
Oriental insurance





THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LTD.



तिषरा-सत्ती

1444 041	
निदेशकगण और प्रबंधन2	
निदेशक मंडल3	
सूचना4	
शीर्ष प्रबंधन टीम5	
उप महानिदेशकों की टीम6	
क्षेत्रीय प्रभारियों की टीम7	
अध्यक्ष का वक्तव्य10	
निदेशक-मंडल का प्रतिवेदन14	
शीर्ष प्रबंधन टीम के आलेख64	
लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन138	,
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां 144	
अग्नि बीमा राजस्व लेखा146	,
मरीन बीमा राजस्व लेखा148	,
विविध बीमा राजस्व लेखा	
लाभ-हानि विवरणिका152	
तुलन पत्र156	
अनुसूचियां158	
लेखाकरण नीतियां और टिप्पणियां206	
गैर जीवन विश्लेषक अनुपात250	ļ
वित्तीय विवरणिका पर प्रबंधन की रिपोर्ट	
नकद प्रवाह विवरणिकाएं	
तुलन पत्र के उद्धरण277	
समेकित वित्तीय विवरणिका	
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां 280	
लाभ-हानि विवरणिका	
तुलन पत्र	,
लेखाकरण नीतियां और टिप्पणियां287	
नकद प्रवाह विवरणिकाएं	
तुलन पत्र के उद्धरण	
अनुषंगी कम्पनी	
निदेशकों का प्रतिवेदन	
लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन359	,
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां 363	
तुलन पत्र365	
लाभ-हानि विवरणिका367	
लेखाकरण नीतियां और टिप्पणियां	
नकद प्रवाह विवरणिका	
तुलन पत्र के उद्धरण380	

CONTENT

Directors and Management	2
Board of Directors	
Notice	
Top Management Team	5
Team of Deputy General Managers	
Team of Regional Incharges	
Chairman's Statement	
Report of the Board of Directors	14
Write-ups of the Top Management Team	64
Auditor's Report	138
Comments of the Comptroller & Auditors	
Generalof India	144
Fire Insurance Revenue Account	146
Marine Insurance Revenue Account	148
Miscellaneous Insurance Revenue Account	150
Profit & Loss Account	152
Balance Sheet	156
Schedules	158
Accounting Policies and Notes	206
Non Life Analytical Ratios	250
Management Report on Financial Statement	
Cash Flow Statements	275
Balance Sheet Abstract	277
CONSOLIDATED FINANCIAL	
Comments of the Comptroller & Auditors	
General of India	280
Profit & Loss Account	282
Balance Sheet	285
Accounting Policies and Notes	
Cash Flow Statements	
Balance Sheet Abstract	
SUBSIDIARY COMPANY	2.40
Report of the Directors	
Auditor's Report	359
Comments of the Comptroller & Auditor	
General of India	
Balance Sheet	365
Profit & Loss Account	367
Accounting Policies and Notes	369
Cash Flow Statement	378
Balance Sheet Abstract	380

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

डॉ. ए.के. सक्सेना

निदेशकगण

जितंदरबीर सिंह डॉ. एन. श्रीनिवास राव कौशल्या राय विजय गर्ग अमरदीप सिंह बाली कुलदीप सिंह सुजाय बनर्जी

महाप्रबंधक

नीरज कुमार कुलदीप सिंह के.के. राव पी.के. भगत सुजाय बनर्जी पी. सेंथिलकुमार बी.एन. प्रसाद ए.के. मित्तल के. रमादेवी

वित्तीय सलाहकार एवं सीएफओ के. रमादेवी

महाप्रबंधक एवं केंद्रीय सतक्रता अधिकारी राकेश कुमार

बियुक्त बीमांकिक निखिल गुप्ता

उप महाप्रबंधक

वेद प्रकाश
ए सिन्हा
चन्द्रधर सिंह
एन. शशीधरन
पी. अयप्पन नैयर
अतुल जेरथ
थॉमस टी उम्मन
नीलू दुग्गल
अतुल सहाय
अखिलेश मिश्रा
अजीत कुमार
अनिल श्रीवास्तव
अजय गुप्ता

कम्पनी सचिव

रश्मि बाजपेयी

लेखा परीक्षक

मैसर्स एस. मान एंड कम्पनी मैसर्स के.पी.एम.आर. एंड एसोशिएट्स

पंजीकृत कार्यालय:

ओरिएण्टल हाउस^६ ए. 25 / 27, आसफ अली रोड़, नई दिल्ली —110 002

CIN No.: U66010DL1947GO1007158 www.orientalinsurance.org.in

CHAIRMAN-CUM MANAGING DIRECTOR

Dr. A.K. Saxena

DIRECTORS

Jatinderbir Singh Dr. N. Srinivasa Rao Kaushalya Roy Vijay Garg Amardeep Singh Bali Kuldip Singh Sujay Banarji

GENERAL MANAGERS

Niraj Kumar Kuldip Singh K. K. Rao P. K. Bhagat Sujay Banarji P. Senthilkumar B. N. Prasad A. K. Mittal K. Ramadevi

FINANCIAL ADVISOR & CFO

K. Ramadevi

GENERAL MANAGER & CVO

Rakesh Kumar

APPOINTED ACTUARY

Nikhil Gupta

DEPUTY GENERAL MANAGERS

Ved Prakash A Sinha Chakradhar Singh N. Shashidharan P. Ayyapan Nair Atul Jerath Thomas T Oommen Neelu Duggal Atul Sahai Akhilesh Mishra Ajit Kumar Anil Srivastava Ajay Gupta

COMPANY SECRETARY

Rashmi Bajpai

AUDITOR

M/S. S. Mann & Co. M/S. K.P.M.R. & Associates

REGISTERED OFFICE:

'Oriental House' A-25/27, Asaf Ali Road, New Delhi - 110 002 CIN No.: U66010DL1947GO1007158 www.orientalinsurance.org.in

निदेशक मण्डल **BAORD OF DIRECTORS**



डा. ए. के. सक्सेना अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक Dr. A. K. Saxena Chairman-cum Managing Director



जतिन्दरबीर सिंह निदेशक **Jatinderbir Singh** Director



एन. श्रीनिवास राव निदेशक N. Srinivasa Rao Director



कौशल्या राय निदेशक Kaushalya Roy Director



विजय गर्ग निदेशक Vijay Garg Director



अमरदीप सिंह बाली निदेशक **Amardeep Singh Bali** Director



कुलदीप सिंह निदेशक **Kuldip Singh** Director



सुजॉय बैनर्जी निदेशक Sujay Banarji Director



सूचना

एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड की 67वीं वार्षिक आम बैठक कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय 'ओरिएंटल हाउस' ए—25/27, आसफ अली रोड, नई दिल्ली—110002 में बुधवार, 19 अगस्त, 2015 को अपराहन 2.00 बजे निम्नलिखित कार्यों को सम्पन्न करने हेतु आयोजित की जाएगी:

सामान्य कामकाजः

- 1. 31.03.2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए निदेशकों का प्रतिवेदन, परीक्षित लेखा और तत्सम्बंधी लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन प्राप्त करना, उस पर विचार करना और उसे अंगीकृत करना।
- 2. लाभांश की घोषणा करना।
- 3. वर्ष 2015—16 के लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त किए गए लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक निर्धारित करने हेतु मण्डल को प्राधिकृत करना।

(बोर्ड के आदेश से) (रश्मि बाजपेयी) कंपनी सचिव ACS 20332

तारीखः 13 अगस्त, 2015 स्थानः नई दिल्ली

NOTICE

Notice is hereby given that 67th Annual General Meeting of The Oriental Insurance Company Limited will be held at the Registered Office of the Company, at 'Oriental House', A-25/27, Asaf Ali Road, New Delhi-110 002 **on Wednesday, the 19th August, 2015 at 02.00 p.m.** to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

- 1. To receive, consider and adopt the Directors' Report, the Audited Annual Accounts for the year ended 31.3.2015 and Auditors' Report thereon.
- 2. To declare a Dividend.
- 3. To authorise the Board of Directors to fix the remuneration of Auditors, to be appointed by the CAG, forthe year 2015-16.

(By Order of the Board)

(Rashmi Bajpai) Company Secretary ACS 20332

Date: 13th August, 2015

Place: New Delhi



शीर्ष प्रबंधन टीम **TOP MANAGEMENT TEAM**



डा. ए. के सक्सेना अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक Dr. A.K. Saxena Chairman-cum Managing Director



नहाप्रबंधक महाप्रबंधक **Kuldip Singh** General Manager



सुजॉय बैनर्जी महाप्रबंधक Sujay Banarji General Manager



महाप्रबंधक **Niraj Kumar** General Manager



के. के. राव महाप्रबंधक K.K. Rao General Manager



पी.के. भगत महाप्रबंधक P. K. Bhagat General Manager



महाप्रबंधक P. Senthilkumar General Manager

पी. सेंथिल कुमार



बी. एन. प्रसाद महाप्रबंधक **B.N. Prasad General Manager**



ए. के. मित्तल महाप्रबंधक A.K. Mittal General Manager



के. रमादेवी महाप्रबंधक, एफए और सीएफओ K. Ramadevi General Manager, FA & CFO



राकेश कुमार महाप्रबंधक और सीवीओ **Rakesh Kumar** General Manager &



निखिल गुप्ता नियुक्त एक्चुरी **Nikhil Gupta Appointed Actuary**



मुख्यालय में उप महाप्रबंधक दल

TEAM OF DEPUTY GENERAL MANAGERS AT HEAD OFFICE



वेद प्रकाश Ved Prakash



ए. सिन्हा A Sinha



चक्रधर सिंह Chakradhar Singh



एन राशिधरन N. Shashidharan



पी. अय्यपन नायर P. Ayyapan Nair



अतुल जयरथ Atul Jerath



थॉमस टी. उमन Thomas T Oommen



नीलू दुग्गल Neelu Duggal



अतुल सहाय Atul Sahai



अखिलेश मिश्रा Akhilesh Mishra



अजीत कुमार Ajit Kumar



अ<mark>जिल</mark> श्रीवास्तव Anil Srivastava



अजय गुप्ता Ajay Gupta



क्षेत्रीय प्रभारियों की टीम **TEAM OF REGIONAL INCHARGES**



एम वी प्रांजपे डीजीएम एमआरओ-1 M V Paranjape DGM MRO -1



एम जॉनसन डीजीएम एमआरओ-2 M Johnson DGM MRO - 2



अनिल श्रीवास्तव सीआरएम एमआरओ-3 Anil Srivastava CRM MRO - 3



बलवंत सिंह डीजीएम आरओ-अहमदाबाद **Balwant Singh** DGM RO - Ahmedabad



डॉ. एमएस कुमार डीजीएम आरओ-इन्दौर Dr. MS Kumar DGM RO - Indore



वी रघुरमन डीजीएम आरओ-पुणे V Raghuraman DGM RO - Pune



ओपी सिंह सीआरएम आरओ-वदोदरा **OP Singh** CRM RO - Vadodara



महादेव मल्ला सीआरएम आरओ-नागपुर Mahadev Malla CRM RO - Nagpur



आरके श्रीवास्तव डीजीएम आरओ-रायपुर **RK Shrivastava** DGM RO - Raipur



जी ग्रोवर डीजीएम एनआरओ-1 G Grover DGM NRO - 1



जेएल आहुजा सीआरएम आरओ-लखनऊ JL Ahuja CRM RO - Lucknow



इश कुमार मुन्जाल सीआरएम आरओ-चंडीगढ़ Ish Kumar Munjal CRM RO - Chandigarh





एमपी वर्मा सीआरएम आरओ—जयपुर MP Verma CRM RO - Jaipur



पंकज खब्बा सीआरएम आरओ—देहरादून Pankaj Khanna CRM RO - Dehradun



आरएस मदन सीआरएम आरओ—अम्बाला RS Madan CRM RO - Ambala



सुरिद्ध कोहली सीआरएम एनआरओ–2 Surinder Kohli CRM NRO - 2



बी बासुमतारी सीआरएम आरओ—कोलकाता B Basumatary DGM RO - Kolkata



एके गोरलोसा सीआरएम आरओ—गुवाहाटी AK Gorlosa CRM RO - Guwahati



राजीव जयसवाल सीआरएम आरओ—पटना Rajiv Jaiswal CRM RO - Patna



आरपी बलाह सीआरएम आरओ—भुवनेश्वर RP Blah CRM RO - Bhubaneshwar



जेएस कोहली डीजीएम आरओ—चेन्नई J.S. Kohli DGM RO-Chennai



पीसी होता सीआरएम आरओ—बैंगलोर PC Hota CRM RO - Bangalore



राहुल दुग्गल सीआरएम आरओ—हैदराबाद Rahul Duggal DGM RO - Hyderabad



सीआर विजयन डीजीएम आरओ—कोचीन CR Vijayan DGM RO - Cochin



के जोतिनाथन सीआरएम आरओ-कोयम्बटूर K Jothinathan CRM RO - Coimbatore



एमडी निलकानी सीआरएम आरओ-विशाखापटनम MD Nilkani CRM RO - Visakhapatnam



पीएस मुर्ती सीआरएम आरओ-हुबली PS Murthy CRM RO - Hubli



एमके मित्तल सीआरएम सीबीआरओ-दिल्ली MK Mittal CRM CBRO - Delhi



सी लता पूरनी सीआरएम सीबीआरओ-चेन्नई C Latha Poorni CRM CBRO - Chennai



एन सुंदररामन सीआरएम सीबीआरओ-मुम्बई N Sundararaman CRM CBRO - Mumbai



राकेश कुमार प्रधान ओएसटीसी-फरीदाबाद Rakesh Kumar Principal OSTC - Faridabad



ओपी पान्डेय डीजीएम ओएसटीट-चेन्नई **OP Pandey** DGM OSTC - Chennai





DR. A. K. SAXENA

CHAIRMAN-CUM-MANAGING DIRECTOR

प्रिय शेयरधारको

में आपकी कम्पनी की 67वीं वार्षिक आम बैठक में आपका स्वागत करता हूँ।

दिनांक 29 मई, 2015 को सीएसओ द्वारा जारी अनुमान के अनुसार, वित्त वर्ष 2014-15 में, बाजार की कीमतों पर जीडीपी में वृद्धि 6.9% की तुलना में 7.3% रही। यह वृद्धि कृषि की वृद्धि में वित्त वर्ष 2013-14 में 3.7% की तुलना में वित्त वर्ष 2014-15 में 0.2% की गिरावट के बावजूद हुई। निमार्ण क्षेत्र में वृद्धि, जो वित्त वर्ष 2013-14 में 5.3% थी, में उल्लेखनीय बढौतरी होकर वित्त वर्ष 2014-15 में 7.1% हो गई जबिक सेवा क्षेत्र की वृद्धि वित्त वर्ष 2013-14 में 9.1% से उल्लेखनीय रूप से बढकर वित्त वर्ष 2014-15 में 10.2% हो गई। सेवा क्षेत्र के भीतर, वित्तीय, रीयल एस्टेट और व्यावसायिक सेवाओं में वित्त वर्ष 2013-14 में 7.9% की तुलना में वृद्धि होकर वित्त वर्ष 2014-15 में 11.5% हो गई।

वित्त वर्ष 2014-15 के परिणाम दर्शाते हैं कि आपकी कम्पनी ने वर्ष 2013-14 में रु-7282.54 करोड़ की तुलना में रु-7561.93 करोड़ के निम्नांकित वैश्विक प्रीमियम और सकल Dear Shareholders

I welcome you all to the 67th Annual General Meeting of your Company.

According to estimate released by CSO on 29th May, 2015, in the Financial Year 2014-15, GDP growth at market prices increased from 6.9% to 7.3%. This increase happened despite a decline in agriculture growth from 3.7% in Financial Year 2013-14 to 0.2 % in Financial Year 2014-15. The manufacturing growth increased substantially from 5.3% in Financial Year 2013-14 to 7.1 % in Financial Year 2014-15 while Services growth increased substantially to 10.2% in Financial Year 2014-15 from 9.1% in Financial Year 2013-14. Within services, financial, real estate, and professional services increased from 7.9% in FY 2013-14 to 11.5% in FY 2014-15.

The financial results of 2014-15 reflect that your Company has registered positive growth rate of 3.84 % on gross basis and underwritten global premium of Rs.7561.93 crores as against Rs. 7282.54 crores in the year 2013-14. Our net premium was Rs.



आधार पर 3.84% की सकारात्मक वृद्धि दर दर्ज की है। हमारा निवल प्रीमियम वित्त वर्ष 2013-14 के रु- 6381.47 करोड़ की तुलना में की 1.42% वृद्धि दर्ज करते हुए वित्त वर्ष 2014-15 में रु- 6472.39 करोड़ था।




पॉलिसीधारकों की आय को ध्यान में रखते हुए चालू वर्ष का प्रचालनिक लाभ वर्ष 2013-14 के रु. 204.16 करोड़ की तुलना में रु. 91.84 करोड था।

इस वर्ष हमने पिछले वर्ष में रु. 660.73 करोड़ की तुलना में रु. करोड 617.34 का कर-पूर्व लाभ दर्ज किया। अंत में हमने वर्ष 2013-14 में रु. 460.29 करोड़ की तुलना में रु. 392.10 करोड का करोपरांत लाभ दर्ज किया।



प्रबंधन व्यय, जो वर्ष 2013-14 में रु. 1775.44 करोड था, इस वर्ष के दौरान रु. 2347.98 करोड़ रहा।



निवेशों की बिक्री पर लाभ वर्ष 2013-14 में रु. 900.91 करोड की तुलना में वर्ष 2014-15 में रु. 923.20 करोड़ था जबकि ब्याज, लाभांश और किराए से आय पिछले वर्ष के रु.1048.30 6472.39 crores in the year 2014-15 in comparison to Rs. 6381.47 crores in the year 2013-14, registering growth of 1.42 %.




The current year operating profit, after taking into account the policyholder's income, amounted to Rs 91.84 crores as compared to Rs. 204.16 crores in 2013-14.

This year we recorded a profit before tax of Rs. 617.34 crores as compared to Rs. 660.73 crores in the last year. We ended up with a profit after tax of Rs. 392.10 crores as compared to Rs. 460.29 crores in the year 2013-14.




The management expenses during the year amounted to Rs. 2347.98 crores as compared to Rs. 1775.44 crores in the year 2013-14.



Profit on sale of investments were Rs. 923,20 crores in the year 2014-15 as compared to Rs. 900.91 crores

द ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

करोड़ की तुलना में चालू वर्ष में रु. 1177.33 करोड़ थी।



हमारे नेपाल, दुबई और कुवैत के विदेशी प्रचालनों में इस वर्ष रु. 153.97 करोड़ का सकल प्रीमियम दर्ज किया गया और इन तीन विदेशी कार्यालयों द्वारा निवल परिणामों में वर्ष 2014-15 के दौरान का अधिशेष रु. 1.29 करोड़ था, जो वर्ष 2013-14 में रु. 8.03 करोड था।

दिनांक 31.3.2015 को ऋण शोधन मार्जिन 1.68 पर था। इस वर्ष बोर्ड ने भारत सरकार को रु. 110.00 करोड के लाभांश के भूगतान की सिफारिश की है।

विश्वविख्यात रेटिंग एजेंसी एएम बेस्ट ने भी हमारी रेटिंग "B++" (बहुत अच्छा) पर बरकरार रखी है। हमें सीआरआईएसआईएल और आईसीआरए द्वारा भी निरंतर उच्चतम रेटिंग प्रदान की जा रही है।

कम्पनी अपना नया और उन्नत वेब-पोर्टल लांच करेगी जो केंद्रीय बीमा एप्लीकेशन के साथ एकीकृत होगा जिनका लक्ष्य मुख्यतः रीटेल पॉलिसी धारकों, संभावित ग्राहकों, बीमा संबंधी बिचौलियों, जैसे एजेंटों, ब्रोकरों, सर्वेयरों, मोटर डीलरों, तृतीय पक्ष एडमिनिस्ट्रेटरों, कानुनी सलाहकारों आदि की आवश्यकताओं की पूर्ति करना और व्यक्तिगत लाइनों के चुने हुए उत्पादों का ऑनलाइन बीमा और ओआईसीएल के सभी उत्पादों का नवीरकरण सुगम होने के अतिरिक्त दावे प्रस्तुत किया जाना, शिकायतें दर्ज किया जाना और दावों तथा प्रस्तुत शिकायतों के समाधान की प्रगति की निगरानी ऑनलाइन सुगम होगी। ऑनलाइन खरीदी गई पॉलिसियों की संख्या में वृद्धि जारी रही जिसका कम्पनी द्वारा निम्नांकित समग्र प्रीमियम में योगदान रहा। दस्तावेजों को पुरालेखबद्ध करने और अनुरक्षित करने और साथ ही कारोबारी प्रचालनों के लिए इनकी आसानी से पुनः प्राप्ति के लिए भी, एक नई आईटी परियोजना उद्यम विषय-वस्तु प्रबंधन" हाथ में ली गई है जो हमारे केंद्रीय एप्लीकेशन और वेब पोर्टल के साथ विधिवत एकीकृत एक एंटरप्राइज वाइड डिप्लॉयमेंट होगा।

आने वाले वर्ष में, मूल्यों में प्रतिस्पर्ध को देखते हुए, हम दावों के अनुपातों और संयुक्त अनुपातों को नियंत्रित करने के

in 2013-14 whereas income from Interest, Dividend & Rent was recorded as Rs. 1177.33 crores during the current year in comparison to previous year's figure of Rs 1048.30 crores.



Our foreign operations of Nepal, Dubai and Kuwait registered gross premium of Rs. 153.97 crores this year and the net result by three foreign offices was a surplus of Rs. 1.29 crores in 2014-15 as compared surplus of Rs. 8.03 crores in 2013-14.

The Solvency margin as on 31.3.2015 stood at 1.68. This year the Board has recommended dividend payout of Rs. 110.00 crores to Government of India.

World renowned rating agency, A M BEST has also maintained our rating at "B++" (very good). We continue being consistently given the highest rating by CRISIL and ICRA also.

The Company will be launching its new and upgraded Web-portal duly integrated with the core insurance application targeting insurance needs mainly for retail policy holders, potential clients, insurance intermediaries such as agents, brokers, surveyors, motor dealers, third party administrators, legal counsels, etc. and facilitate online issuance of selected products of personal lines and renewal of all the products of OICL besides lodging claims, register complaints and monitor progress of claim settlements and grievances lodged. The number of policies purchased 'online' continued to increase contributing to overall premium underwritten by the Company. A new IT Project, 'Enterprise Content Management' has been undertaken for archiving, and maintaining the documents in electronic form as also their easy retrieval for supporting the business operations which will be an enterprise wide deployment duly integrated with our core application and the Web Portal.

In the year ahead, keeping in view the competition in pricing we would continue to take steps for

THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LTD.



उददेश्य से सतक्र निम्नांकन के साथ प्रभावी दावा प्रबंधन के लिए उपाय करते रहेंगे। हमारा फोकस कम्पनी के विकास और लाभप्रदता में वृद्धि करने पर रहेगा।

ग्रामीण जन तक पहुँच बनाने के अपने सामाजिक दायित्व को पूरा करने के लिए, हमने श्रेणी ॥, ॥ और । कस्बों में रीटेल कारोबार की जरूरत पूरी करने के लिए कारोबार केंद्र खोलकर भारत सरकार की समावेशी पहल में अधिकतम भागीदारी स्निश्चित की है। इससे हमें न्यूनतम लागत पर लाभप्रद रीटेल / ग्रामीण कारोबार हासिल करने में मदद मिलेगी।

हमारी कम्पनी के सुसंगठित, प्रशिक्षित और प्रतिबद्ध कार्यबल ने उभरते प्रतिस्पर्धी परिदृश्य में सभी चुनौतियां स्वीकर की हैं और इस प्रकार कम्पनी को छह दशक से अधिक के इसके यादगार सफर में और आगे ले जाने और शक्ति उत्रोतर प्रगति करते हुए आगे बढ़ने में सहायता प्रदान की है।

हमें अपने ग्राहकों के आभारी हैं जो हमें दृढ़तापूर्वक समर्थन देते हैं और जिनका हमें कड़ी प्रतिस्पर्धा में निरंतर विश्वास हासिल है। हम अपने कारोबार और सेवा मानदंडों में सधार के लिए निरंतर समर्थन के लिए अपने मध्यवर्तियों के भी आभारी हैं। हम सभी क्षेत्रों में समर्थन, मार्गदर्शन और प्रोत्साहन के लिए आईआरडीएआई, वित्त मंत्रालय, अपने निदेशकों, पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड - ॥ के भी ऋणी है। वित्त वर्ष 2014-15 की वार्षिक रिपोर्ट आपके विचारार्थ रखी जाती है।

cautious underwriting as well as effective claims management so as to control the claims ratios and combined ratios. Our focus will be on increasing the growth & profitability of the Company.

To fulfill our social obligation of reaching out to the rural masses we have ensured maximum participation in Financial Inclusion initiatives of Government of India by opening Business Centers catering to retail business in tier II, III & IV towns. This will help us in getting profitable retail / rural business with minimum cost.

The well organized, trained and committed workforce of our Company has accepted all challenges in the emerging competitive scenario thus taking the Company further in its memorable journey of more than six decades and advancing further from strength to strength.

We are thankful to our customers who steadfastedly support us and have continuous faith in us amidst severe competition. We are also thankful to our intermediaries for their continued support in improving our business and service standards. We are also indebted to IRDAI, Ministry of Finance, our Directors, Ex-officio Member, Audit Board – II for their support, guidance and encouragement in all areas. The Annual Report for the FY 2014-15 is placed for your consideration.



कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 134 के अंतर्गत द ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड के निदेशक मंडल की रिपोर्ट

सेवा में.

सदस्यगण.

आपके निदेशकों को कम्पनी के कारोबार पर पर अपनी सतासठवीं वार्षिक रिपोर्ट और 31 मार्च 2015 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए लेखाओं को प्रस्तुत करने में हर्ष हो रहा है।

1. कम्पनी का वित्तीय निष्पादन कोष्ठकों में दिए गए आंकडे निवल प्रीमियम का प्रतिशत

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED

UNDER SECTION 134 OF THE COMPANIES ACT 2013

To,

The Members,

Your Directors have pleasure in presenting their Sixty Seventh Annual Report on the business of the Company and the accounts for the Financial Year ended March 31, 2015.

1. Financial Performance of the Company

Figures in brackets are percentage to net premium

(Rs. in lacs)

		ਰੋਗ re	ਸ ਹੀ ਗ Marine		विर्ा Miscell		कुल Total	
	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14
सकल प्रत्यक्ष प्रीमियमः भारत में Gross Direct Premium: In India	96162	98447	39793	45856	604841	568481	740796	712784
भारत से बाहर Outside India	5116	5531	2354	2434	7927	7505	15397	15470
सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम कुल Gross Direct Premium Total	101278	103978	42147	48290	612768	575986	756193	728254
निवल प्रीमियम Net Premium	50678	67326	29288	31102	567273	539719	647239	638147
निवल से सकल अनुपात Ratio of Net to Gross	50.63 %	64.75%	69.49%	64.41%	92.57%	93.70%	85.59%	87.63%
निवेशों की बिक्री पर लाभ (शेयरधारक) Profit on Sale of Investments (Policy Holders")	7924 (15.64%)	8023 (11.92%)	2985 (10.19%)	3194 (10.27%)	61027 (10.76%)	59184 (10.97%)	71936 (11.11%)	70401 (11.03%)

THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LTD.



ब्याज / लाभांश /	10105	9335	3807	3717	77826	68867	91738	81919
किराया (पॉलिसी	(19.94%)	(13.87%)	(13.00%)	(11.95%)	(13.72%)	(12.76%)	(14.17%)	(12.84%)
धारक)								
Int./Div./ Rent								
(Policy Holders")	2202	2457	2746	2062	20502	24050	24622	26170
कमीशन	-2383	-2157	-2746 (-9.37%)	-2963	-29503	-31050	-34632	-36170 (-5.67%)
और अन्य	(-4.70%)	(-3.20%)	(3.57 70)	(-9.53%)	(-5.20%)	(-5.76%)	(-5.35%)	(3.07 70)
आय (निवल								
आय(+)/								
निवल परिव्यय (-))								
Commission and								
other income (Net Income(+)/ Net								
Outgo (-))								
एनपीए (प्रावधान	32	-10	12	-4	245	-75	289	-89
(-)/ प्रतिलेखन	(0.04%)	(-0.01%)	(0.04%)	(-0.01%)	(0.04%)	(-0.01%)	(0.04%)	(-0.01%)
(+))								
NPA (Provision (-)/								
Write back(+))								
शेयरों के मूल्य में हास	20	-59	8	-23	153	-433	181	-515 (-0.08%)
(-) / प्रतिलेखन(+)	(0.04%)	(-0.09%)	(0.02%)	(-0.07%)	(0.02%)	(-0.08%)	(0.03%)	(-0.0070)
Diminution in								
value of shares (-)/ written back (+)								
असमाप्त जोखिम	8324	-1282	730	-2552	-13777	-38916	-4723	-42750
आरक्षिति में वृद्धि (-)/	(16.42%)	(-1.90%)	(2.49%)	(-8.20%)	(-2.43%)	(-7.21%)	(-0.73%)	(-6.70%)
कमी(+)	,			,	,	,		
Increase (-)/								
Decrease (+) in								
unexpired risks								
reserve								
किए गए निवल दावे	-42505	-55525	-12129	-16660	-471516	-438917	-526150	-511102
Net Incurred claims	(-83.87%)	(-82.47%)	(-41.41%)	(-53.57%)	(-83.12%)	(-81.32%)	(-81.29%)	(-80.09%)
प्रबंधन के खर्च	-34469	-27522	-10163 (-34.70%)	-8821	-190166	-141201	-234798	-177544 (-27.82%)
Expenses of	(-68.02%)	(-40.88%)	(34.7070)	(-28.36%)	(-33.52%)	(-26.16%)	(-36.27%)	(27.02/0)
Management	-97	-96	-37	-38	-751	709	-885	-843
परिशोधन व्यय Amortization	(-0.19%)	(-0.14%)	(-0.13%)	(-0.12%)	(-0.13%)	(-0.13%)	(-0.13%)	(-0.13%)
expenses	(3.1370)	(3.1 170)	(0.1370)	(0.12/0)	(3.1370)	(3.1370)	(0.1370)	
बट्टे खाते डाला गया	-111	-118	-42	-47	-858	-873	-1011	-1038
व्यय	(-0.22%)	(-0.19%)	(-0.14%)	(-0.15%)	(-0.15%)		(-0.16%)	(-0.16%)
Investment Written								
off								



व ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

(22.210/) (2.220/) (3.220/) (4.220/) (4.220/)	84 20416 %) (3.21%)
(1.50%) (5.55%) (5.55%) (6.61%) (2.55%) (1.61%)	90) (3.2170)
Net Operating	
Profit /(Loss)	95 22911
ब्याज, लाभांश और किराया (शेयर धारक) Interest, Dividends & Rent (Shareholders")	22911
निवेशों की बिक्री पर लाभ (शेयरधारक)	34 19690
Profit on sale of Investments (Shareholders")	
अन्य आय / परित्यय 69	3056
Other Income/ Outgo	
	92 00
CSR Expenditure	
कर पूर्व लाभ (+) / हानि (-)	66073
Profit (+) / Loss (-) before Tax	
पूर्वावधि आय / व्यय	-692
Prior period Income / Expenses	
स्रोत पर काटा गया आयकर और कर हेतु प्रावधान -228	-19980
IT deducted at source and Provision for Tax	
पूर्ववर्ती वर्षों के लिए प्रावधान	-5 628
Provision for Tax for earlier years	
करोपरांत निवल लाभ / हानि	10 46029
Net Profit/ Loss after Tax	
सामान्य आरक्षिति / आकस्मि आरक्षिति में अंतरण	33393
Transfer to General Reserve / Contingency Reserve	
लाभांश के लिए प्रावधान	10800
Provision for Dividend	
निगमित लाभांश कर 22	00 1836
Corporate Dividend Tax	

उपरोल्लिखित प्रतिशत निवल प्रीमियम पर सापेक्ष

Percentages mentioned above are to Net Premium.

(Rs. in lacs)

	सकल प्रीमियम Gross Premium						किया गया दावा अनुपात Incurred Claim Ratio			
	2014-15	2013-14	Growth %	2014-15	2013-14	Growth %	2014- 15 %	2013- 14 %	2014- 15 %	2013- 14 %
विभाग							स ^व GR(. ==	ਗਿ N I	ਕਲ ET
अग्नि Fire	1012.78	1039.78	-2.60	506.78	673.26	-24.73	95.81	94.10	83.87	82.47
मरीन कार्गो Marine Cargo	247.58	272.57	-9.17	214.92	236.58	-9.16	58.16	45.11	40.53	48.66

THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LTD.



मरीन हल Marine Hull	173.89	210.33	-17.32	77.96	74.43	4.74	63.55	35.16	43.84	69.16
मरीन कुल Marine Total	421.47	482.90	-12.72	292.88	311.02	-5.83	60.38	40.77	41.41	53.57
मोटर ओडी Motor OD	1261.34	1198.20	5.27	1192.35	1136.61	4.90	49.86	49.42	50.29	46.05
मोटर टीपी—नॉन पूल Motor TP- Non Pool	1605.72	1383.63	16.05	1524.96	1313.32	16.12	102.29	98.89	87.97	79.79
मोटर टीपी—डीआर पूल Motor TP D.R. Pool	47.39	106.28	-55.41	38.71	58.92	-34.29	96.51	358.19	109.44	434.65
मोटर कुल Motor Total	2914.45	2688.11	8.42	2756.03	2508.85	9.85	81.39	83.42	73.97	73.91
इंजीनियरिंग Engineering	355.98	374.78	-5.02	247.14	299.32	-17.43	63.21	52.18	42.94	75.98
कामगार कांप Workman Comp.	80.25	81.65	-1.72	75.73	77.46	-2.23	18.32	20.16	18.12	21.55
विमानन Aviation	100.94	111.61	-9.56	26.14	27.42	-4.66	33.01	49.53	127.71	139.58
व्यक्तिगत बीमा Pers. Accident	149.37	142.41	4.89	132.24	128.37	3.02	60.29	78.38	57.66	76.07
स्वास्थ्य Health	2053.85	1898.75	8.17	1951.47	1796.12	8.65	116.38	106.63	116.27	104.56
देनदारी Liability	50.89	45.14	12.74	42.49	27.58	54.04	8.53	11.25	16.10	2.95
अन्य विविध Other Misc.	421.95	417.41	1.09	441.48	532.06	-17.02	30.71	38.32	38.83	51.89
कुल विविध Total Misc.	6127.68	5759.86	6.39	5672.73	5397.19	5.11	85.83	83.53	83.12	81.32
कुल Total	7561.93	7282.54	3.84	6472.39	6381.47	1.42	85.75	82.20	81.29	80.09



2. वर्ष के दौरान कम्पनी का काममाज कारोबार में वृद्धिः

वर्ष 2013-14 में रु.7282.54 करोड़ की तुलना में रु.7561.93 करोड़ के सकल वैश्विक प्रीमियम और सकल आधार पर 3.84% की सकारात्मक वृद्धि दर दर्ज की है। कम्पनी ने निवल प्रीमियम पर भी वित्त वर्ष 2013-14 के रु. 6381.47 करोड़ की तुलना में की 1.42% वृद्धि प्राप्त की। मोटर, व्यक्तिगत दुर्घटना, स्वास्थ्य, देनदारी और अन्य विविध सेगमेंटों में सकल आधार पर क्रमशः 8.42%, 4.89%, 8.17%, 12.74% और 1.09% की वृद्धि दर्ज की जबकि कारोबारी सेगमेंटों में सकल आधार पर नकारात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई।

पुनः बीमा प्रचालन

सकल अनुपात (प्रतिधारण प्रतिशत) के निवल में पिछले अर्थ वर्ष के दौरान 87.63% की तुलना में कमी होकर यह 85.59% हुआ।

प्रचालनिक परिणाम

कम्पनी के समग्र प्रचालन निष्पादन के परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान रु.204.16 करोड़ की तुलना में समीक्षाधीन वर्ष के दौरान रु.91.84 करोड़ का प्रचालनिक लाभ हुआ। निवल व्यय अनुपात वर्ष 2013-14 के दौरान 80.09% से बढ़कर वर्ष 2014-15 में 81.29% हो गया।

प्रबंधन व्ययः

कुल प्रबंधन व्यय पिछले वर्ष के 1775.44 रु. करोड़ की तुलना में चालू वर्ष में रु. 2347.98 करोड़ थे।

समग्र निष्पादन

निवेशों की बिक्री से उत्सर्जित लाभों में रु. 22.29 करोड की वृद्धि हुई और प्रबंधन व्यय में रु. 572.54 करोड़ की वृद्धि हुई।

इसके साथ–साथ हामीदारी घाटों के परिणामस्वरूपक प्रचालनिक लाभ और निवेश आय दोनों को ध्यान में रखते हुए पिछले वर्ष के दौरान रु. 660.73 करोड़ के कर-पूर्व लाभ की तुलना में समीक्षाधीन वर्ष के दौरान रु. 617.34 करोड़ कर-पूर्व लाभ हुआ। करोपरांत लाभ पिछले वर्ष के दौरान रु. 460.29 करोड़ की तूलना में समीक्षाधीन वर्ष के दौरान रु. 392.10 करोड था।

ऋणशोधन मार्जिनः

बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999,

2. Company's working during the year **Growth of Business:**

The Gross Premium Income increased to Rs. 7561.93 crores during 2014-15 as compared to Rs. 7282.54 crores during 2013-14 thereby recording a positive growth of 3.84 %. The Company also achieved growth of 1.42 % on Net premium. Motor, Personnel Accident, Health, Liability & Other Misc segments depicted growth of 8.42 %, 4.89 %, 8.17 %, 12.74 %, & 1.09 % respectively on gross basis whereas other business segments recorded negative growth rate on gross basis.

Reinsurance Operations

The net to gross ratio (retention percentage) decreased to 85.59 % as compared to 87.63 % during last fiscal year,

Operating Results

The overall operating performance of the company has resulted in operating profit of Rs. 91.84 crores during the year under review as against Rs.204.16 crores during 2013-14. The net incurred claims ratio increased to 81.29 % in 2014-15 from 80.09 % during 2013-14.

Management Expenses:

Total Management Expenses for the current year were Rs. 2347.98 crores as against Rs. 1775.44 crores of previous year.

Overall Performance

The profits generated by sale of investments increased by Rs. 22.29 crores and the management expenses increased by Rs. 572.54 crores This coupled with underwriting losses resulted in profit before tax of Rs 617.34 crores during the year under review compared to profit before tax of Rs. 660.73 crores during the previous year, after taking into account both operating profit and investment income. The profit after tax was Rs. 392.10 crores during the year under review as compared to Rs. 460.29 crores during the previous year.

Solvency Margin:

The solvency margin ratio stood at 1.68 as on 31.3.2015 thereby complying with the



द्वारा यथा संशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64VA का अनुपालन करते हुए दिनांक 31.3.2015 को ऋणशोधन मार्जिन 1.68 पर था।

लाभांश

निदेशकों ने वर्ष 2014-15 के लिए 51.00% के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है जो 20 करोड़ इक्विटी शेयरों पर देय रु. 5.10 प्रति शेयर है। लाभांश का भुगतान पूरा करने के लिए रु. 110.00 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है और उस पर लाभंश वितरण कर के लिए रु. 22.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

आरक्षितियां

लाभ हानि विनियोजन लेखे के अनुसार करोपरांत निवल लाभ में से रु. 260.10 करोड़ की राशि बैलेंस शीट में सामान्य आरक्षित लेखे / आकस्मिक आरक्षित लेखे में अंतरित की गई है जिससे हमारा निवल मृल्य पिछले वर्ष के दौरान रु. 2921.73 करोड़ से बढ़कर रु. 3181.83 करोड़ हो गया है।

विदेशी प्रचालन

नेपाल, दुबई, कुवैत और लंदन के रन-ऑफ खाते में कम्पनी के विदेशी प्रचालनों पर कुल मिलाकर पिछले वर्ष के दौरान रु. 154.70 करोड़ की तुलना में वर्ष 2014-15 के दौरान रु. 153.97 करोड़ का अर्जन हुआ। निवल प्रीमियम पिछले वर्ष के रु. 139.73 करोड़ की तुलना में रु. 155.79 करोड़ था और 64.9% के निवल व्यय दावा अनुपात के साथ इस वर्ष के दौरान निवल व्यय दावे रु. 101.04 करोड थे (गत वर्ष 79.10% पर रु.110.57 करोड)। हमारे विदेशी प्रचालन अंतिम रूप से पिछले वर्ष के दौरान रु. 8.03 करोड़ की तुलना में रु. 1.29 करोड़ के निवल अधिशेष के रूप में परिणत हुए। कम्पनी को कतर में कार्यालय खोलने के लिए आईआरडीएआई से भी अनुमोदन प्राप्त हुआ है और यह औपचारिकताओं का अनुपालन करने की प्रक्रिया में है।

कम्पनी की गतिविधियों की विस्तृत रिपोर्ट

कम्पनी के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी अति महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर वर्ष 2014-15 के लिए अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तृत कर रहे हैं और निगमित शासन पर रिपोर्ट के साथ-साथ उनकी रिपोर्ट निदेशकों की रिपोर्ट के भाग के रूप में संलग्न है।

3. 2015.16 के लिए योजनाएं

हमारी योजना वर्ष 2015.16 में लगभग 15% की वृद्धि करने

provisions of Sec 64VA of Insurance Act, 1938 as amended by the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999.

Dividend

The Directors have recommended final dividend of 51.00% for the year 2014-15 which is Rs. 5.10 per share payable on 20 crore equity shares. A sum of Rs.110.00 crores has been provided to meet the payment of Dividend and a further provision of Rs. 22.00 crores has been made for Dividend Distribution Tax thereon.

Reserves

The amount of Rs. 260.10 crores out of net profit after tax as per the Profit and Loss Appropriation Account is transferred to General Reserve Account / Contingency Reserve Account in the Balance Sheet thereby increasing our net worth to Rs.3181.83 crores from Rs.2921.73 crores last vear

Foreign Operations

The Company"s foreign operations in Nepal, Dubai, Kuwait and the Run-off account in London together yielded a Gross Direct Premium of Rs.153.97 crores during the year 2014-15 as against Rs 154.70 crores during the previous year. The Net Premium was at Rs 155.79 crores as against Rs.139.73 crores last year and the net Incurred Claims during this year in respect of foreign operations were Rs. 101.04 crores with a net Incurred Claims Ratio of 64.9 % (Rs. 110.57. crores at 79.10 %.for the last year). Our foreign operations had finally resulted in a net surplus of Rs. 1.29 crores as against Rs 8.03 .crores during the previous year. The Company has also received approval from IRDAI for opening office at Qatar and is in the process of complying with the formalities.

Detailed Report of Company"s Activities

The Senior Executives of the Company are presenting their detailed report for the financial year 2014-15 on critical areas of operation and their reports together with the report on Corporate Governance are attached as part of the report of the Directors.



की है। अप्रैल 2015 तक 10.04% की वृद्धि दर दर्ज करते हुए पूर्णता रु. 817.32 करोड़ थी (अप्रैल 2013 तक तुलनात्मक राशि रु. ७४२.७४ करोड)। भारत सरकार के परियोजना वित्तपोषण समावेश में सक्रिय सहभागिता करने और रीटेल कारोबार को सदढ बनाने के लिए कम्पनी की योजना गैर-प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्रों में 100 अन्य विस्तार काउंटर और माइक्रो ऑफिस खालने की है। हमारी बैंक बीमा (बैंकाश्योरेंस) कारोबार में वृद्धि करने के लिए प्रतिबद्ध कार्यालय खोलने की भी योजना है। कम्पनी, विशेषकर स्वास्थ्य सेगमेंट में, अधिक दूरदर्शी और प्रभावी जोखिम अंकन अपनाने के लिए भी उपाय करती रहेगी। सामृहिक स्वास्थ्य नीतियों की प्रीमियम दरों को प्रभावित किए बिना व्यावहारिक तौर पर ब्रोकरों के साथ विनियोजन द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया जाएगा। गरीबी रेखा से जरा उपर के व्यक्तियों को बीमा कवर मुहैया कराने के उद्देश्य से बिना अधिक ताम-झाम वाली नई स्वास्थ्य पॉलिसियां आरंभ की जाएंगी और इनका विपणन किया जाएगा।

इससे न केवल उन लोगों को स्वास्थ्य बीमा कवर मिलेगा जिन्हं इसकी सबसे अधिक जरूरत है बल्कि स्वास्थ्य बीमा के विकास में भी वृद्धि होगी। भारत सरकार के परियोजना वित्तपोषण समावेश में सक्रिय भागीदारी और नई सरकार द्वारा आरंभ किए गए सम्पूर्ण वित्तीय समावेशन (SVS) के लिए एजेंटों की भर्ती द्वारा, ग्रामीण क्षेत्रों में कारोबारी निवेश में वृद्धि होगी। कम्पनी की चालु वित्त वर्ष में एचआरएमएस सामने लाने की भी योजना है।

- 4. नारोबार की प्रकृति में परिवर्तन, यदि कोई हो समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा कारोबार की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया।
- 5. जिस वित्त वर्ष से कम्पनी की वित्तीय विवरणिकाएं संबंधित हैं, उस वर्ष की समाप्ति और रिपोर्ट की तारीख के बीच कम्पनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले वेस परिवर्तन या प्रतिबद्धताएं, यदि कोई हों,

जैसा कि उपर उल्लेख किया गया है, कोई परिवर्तन नहीं हुए हैं

6. विनियामकों या न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा कम्पनी के लाभकारी कारोबार वाले संस्थान के दर्ज और भविष्य में कम्पनी के प्रचालनों को प्रभावित करने वाले उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण आदेशों का ब्यौरा

कोई नहीं

3. Plans for 2015-16

We plan to grow by around 15 % in the year 2015-16. The completion up to April 2015 was Rs. 817.32 crores (comparative amount of Rs. 742.74 crores upto April 2013) registering a growth rate of 10.04 %. The Company plans to open 100 more extension counters and micro offices in unrepresented areas for strengthening retail business & participating actively in Project Financial Inclusion of Government of India. We also plan to open dedicated offices for increasing the bancassurance business. The Company will also continue to take measures to adopt more prudent & effective underwriting especially in health segments. Health will be given a push by engaging with Brokers pragmatically without affecting the economics of premium rates of Group Health policies. New Health policies with no frills will be filed and marketed to provide cover to the persons just above poverty line. This will not only provide the Health cover to those who need the same the most but will also increase the growth of Health insurance. By active participation in Project Financial inclusion of Government of India and Fresh recruitment of agents for Sampoorna Vittiya Samaveshan (SVS) launched by new Govt., the business penetration in rural areas will be increased further. The Company also plans to roll out HRMS in current financial year

4. Change in the nature of business, if any

There was no change in the nature of business carried on by the Company during the year under review.

- 5. Material changes and commitments, if any, affecting the financial position of the company which have occurred between the end of the financial year of the company to which the financial statements relate and the date of the report
 - No changes as aforesaid have taken place.
- **6.** Details of significant and material orders passed by the regulators or courts or tribunals impacting the going concern status and company"s operations in future

None



7. अनुषंगी / संयुक्त उद्यम / सहयोगी कम्पनियों का ब्यौरा कम्पनी के पूर्ण स्वामित्व वाली एक अनुषंगी कम्पनी है, जेसा कि नीचे ब्यौरा दिया गया है:

क्र. सं.	. सं. अनुषंगी कम्पनी का नाम		द ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड की : ६ गरिता	
1	द इंडस्ट्रीयल क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड	रु. 5 लाख	100 %	

कम्पनी की दो संयुक्त उद्यम सहयोगी कम्पनियां हैं, जिनका ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र. सं.	संयुक्त उद्यम सहयोगी कम्पनी का नाम	कुल प्रदत्त शेयर पूंजी	द ओरिएण टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड की: धारिता
1	हैल्थ इंश्योरेंस टीपीए ऑफ इंडिया लिमिटेड	रु. 20 करोड़	23.75 %
2	इंडिया इंटरनेशनल इंश्योरेंस प्रा. लि. सिंगापुर	5 करोड़ सिंगापुर डॉलर	20 %

8. प्रत्येक अनुषंगी, सहयोगी और संयुक्त उद्यम कम्पनी के निष्पादन और वित्तीय स्थिति का ब्यौरा समेकित वित्तीय विवरणिका में शामिल है। अनुषंगी (ICC) में कोई कारोबार नहीं है और सहयोगी कम्पनी अर्थात हैल्थ टीपीए ऑफ इंडिया लि. (HITPA) में अभी कारोबार आरंभ किया जाना है। अन्य सहयोगी एक विदेशी कम्पनी है और इसे इस वर्ष सीएफएस में शामिल किए जाने से छूट प्राप्त है।

9. जमा राशियां

कम्पनी द्वारा समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई जमा राशि स्वीकृत नहीं की गई।

10. सांविधिक लेखा परीक्षक

मैसर्स केपीएमआर एंड एसोशिएट्स, नई दिल्ली और मैसर्स मान एंड कम्पनी, नई दिल्ली को कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 139 के अंतर्गत भारत के 7. Details of Subsidiary/Joint Ventures/Associate Companies

The Company has one wholly owned subsidiary as detailed below:

S. No.	Name of the Subsidiary	Total Paid up Share Capital	% Holding of the Oriental Insurance Company Limited		
1	The Industrial Credit Company Limited	Rs 5 Lakhs	100 %		

The Company has two associate companies, detailed below:

S. No.	Name of the Joint Venture Associate Company	Total Paid up Share Capital	% Holding of the Oriental Insurance Company Limited
1	Health Insurance TPA of India Limited	Rs. 20 Crores	23.75 %
2	India International Insurance Pte Ltd. Singapore	SGD 5 Crores	20 %

8. Performance and financial position of each of the subsidiaries, associates and joint venture companies included in the consolidated financial statement.

There is no business in the Subsidiary (ICC) and business has yet to start in the Associate Company viz. Health TPA of India Ltd. (HITPA). The other associate is a foreign Company and is exempt this year to be incorporated in CFS.

9. Deposits

No deposits were accepted by the Company during the year under review.

10. Statutory Auditors

M. /s. KPMR & Associates, New Delhi and M/s. S. Mann & Company, New Delhi were appointed



नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा वर्ष 2014-15 के लिए केंद्रीय सांविधिक लेखा परीक्षकों के तौर पर, और कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(4) के साथ पठनीय धारा 139 के अंतर्गत समेकित वित्तीय विवरणिकाओं के लेखा परीक्षकों के तौर पर भी, नियुक्त किया गयाः

सभी प्रभागीय कार्यालयो में, वर्ष 2014-15 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की नियुक्ति की गई। हम अपने सभी लेखा परीक्षकों का उनके मूल्यवान सहयोग और मार्गदर्शन के लिए आभार प्रकट करते हैं।

11. लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

लेखापरीक्षकों की टिप्पणियां और उन पर हमारे उत्तर निम्नानुसार हैं:

1. बीमा व्यवसाय में लगे व्यक्तियों या निकायों से/ को देय शेष, अंतरणकर्ता कम्पनियां में आरक्षित जमा, एजेंटों के शेष, छोटे कर्जदारों देनदारों, छोटे लेनदारों के शेष, कर्मचारी शेष और अग्रिम समाशोधन/ अभिपुष्टि के लिए लंबित हैं। (टिप्पणी 26 का संदर्भ लें)। अभिपृष्टि / समाशोधन पर समायोजनों के परिणामी प्रभावों, यदि कोई हों, का आकलन नहीं किया जा सकता।

उत्तरः जिन अन्य निकायों / व्यक्तियों के साथ ओरिएंटल कारोबारी सहभागिता के समझौते कर रही है, उनके साथ अनुसरण कार्रवाई के लिए, महाप्रबंधक के पर्यवेक्षण के अधीन एक उपयुक्त प्रणाली मौजूद है। शेषों की पृष्टि और रिकवरी के लिए अन्य कम्पनियों के साथ नियमित अनुसरण और सम्पक्र कार्रवाई की जाती है। एजेंटों, लेनदारों, देनदारों आदि से/को देय शेष राशियों के लिए प्रमाणपत्र भी प्राप्त किए जा रहे हैं। वसूलियों के लिए भी नियमित और अनुसरण कार्रवाई की जाती है। कर्मचारियों को / से शेष राशियों का समायोजन / वसुली वेतन के माध्यम से की जाती है।

कम्पनी द्वारा समय समय पर अनेक दावों का परित्याग किया गया है। इनमें से कतिपय संख्या में दावेदार विभिन्न मंचों पर मुकद्दमेबाजी में संलिप्त हैं। कम्पनी की लाभप्रदता पर वित्तीय प्रभाव, यदि कोई हो, अनिश्चित बने हए हैं।

उत्तरः दावों के लिए प्रावधान उन सभी परिवादी दावों के मामलों में किए जाते हैं जिनमें कम्पनी के संबंधित

as Central Statutory Auditors for the year 2014-15 by the Comptroller and Auditor General of India under Sec 139 of the Companies Act 2013 and also as auditors of Consolidated Financial Statements under section 139 read with section 129(4) of the Companies Act, 2013:

At all the Divisional Offices, auditors were appointed for the year 2014-15 by the Comptroller and Auditor General of India. We convey our thanks to all our auditors for their valuable cooperation and guidance.

11. Auditors" Report

The comments by Auditors and our Replies thereto are as hereunder:

1. Balance due to/from persons or bodies carrying on Insurance business, Reserve Deposit with ceding companies, Agent balances, Sundry Debtors, Sundry Creditors, Employees balances and Advances are pending reconciliation/ confirmation (Refer Note 26). Consequential effect, if any, of adjustments upon confirmation/ reconciliation, is not ascertainable.

Reply: A proper system has been put in place, under the supervision of a General Manager, for follow up with other bodies/persons with whom Oriental is entering into business sharing arrangements. There is regular follow-up and liaison with other companies for confirmation and recovery of balances. Certificates are also being obtained from agents, debtors, creditors, etc., for balances due to/from. Regular and proper follow-up is also done for recoveries. Balances due to/from employees are adjusted/ recovered through salary.

2. Various claims have been repudiated by the company from time to time. Out of these certain numbers of claimants have gone into litigations at various forums. Financial impact if any on the profitability of the company remains indeterminate.

Reply: Claim provisions are made in the books of the Company in all cases of litigated claims where the Company"s dealing advocates are of



वकीलों का यह मत रहता है कि न्यायालय के निर्णय कम्पनी के विरुद्ध जाने की संभावना है। इस प्रकार, ऐसे परित्यागे गए दावों के वित्तीय प्रभावों को कम्पनी की लाभप्रदता में लेखे में लिया जाता है। कम्पनी ने इस मामले में अनुबंध I-लेखाकरण नीतियां और टिप्पणियां के बिंदू संख्या 5.1.ई पर एक लेखाकरण नीति भी निर्धारित की है।

पिछले पांच वर्षों के दौरान सेवारत कर्मचारियों से संबंधित उपदान की खाते में रु. 14856.73 लाख की अतिरिक्त देनदारी का परिशोधन किया जा चुका है और, जैसी कि आईआरडीएआई द्वारा अनुमति दी गई है, रु. 2971.35 लाख की 1ध्ठ देनदारी चाले वर्ष में राजस्व / लाभ-हानि लेखे में प्रभारित की गई है।

तथापि, आईसीएआई द्वारा कर्मचारी लाभों पर जारी लेखाकरण मानक (संशोधित) के अनुसार, सम्पूर्ण देनदारी को लाभ-हानि लेखे पर प्रभारित किया जाना अपेक्षित है। परिणामस्वरूप चालू वर्ष के लाभ में रु. 2971.35 करोड़ की कमी की गई है।

उत्तरः आईआरडीएआई के दिनांक 18/04/2011 संख्या आईआरडीएआई / F&A/CIR/ ACT/069/04/2011 के आधार पर वर्ष 2010-11 से आरंभ करके 5 वर्ष की अवधि के दौरान उपदान की सर्विध ति सीमाओं के खाते में रु.14856.73 लाख की अतिरिक्त देनदारी का परिशोधन किया गया। प्राधिकरण द्वारा पीएसयू बीमा कम्पनियों को यह विशेष व्यवस्था कम्पनी के ऋणशोधन मार्जिन और निष्पादन परिणामों पर बेजा दबाव का शमन करने के उददेश्य से प्रदान की गई थी। रु. 2971.35 लाख की परिशोधन राशि की अंतिम किश्त वित्त वर्ष 2014-15 में लाभमें प्रभारित की गई।

- 4. पुनः उत्थान बीमा प्रीमियम की राशि बिना दर्ज रह गई है जिसका संबंधित प्रभाव लेखा पर किए गए दावों पर पड़ता है जिससे संबंधित मात्रा अनिश्चित बनी हुई है।
 - उत्तरः हमारे केंद्रीय बीमा एप्लीकेशन INLIAS में दावों के भुगतान के समय पुनःस्थापन प्रीमियम के स्वतः लेखाकरण के लिए प्रावधान शामिल है। ऐसे प्रीमियम स्वचालित रूप से संबंधित बीमा सेगमेंट में क्रेडिट कर लिए जाते हैं।
- 5. कम्पनी ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अधीन प्रकटीकरण की अपेक्षाओं

the opinion that the court judgements are likely to go against the Company. Hence, the financial impacts of such repudiated claims are factored into the profitability of the Company. Company has also laid down an accounting policy in this matter at point No. 5.1.e of 'Annexure I-Accounting Policies and Notes".

3. Additional liability of Rs.14856.73 lacs on account of Gratuity relating to serving employees have been amortized over five years and 1/5th of the liability of Rs. 2971.35 lacs have been charged to Revenue/Profit & Loss account in the current year as permitted by IRDAI. However, in terms of Accounting Standard 15 (Revised) on Employees benefits issued by ICAI, entire liability is required to be charged to Profit & Loss account. Entire liability was required to be charged to Profit & Loss Account in the year of reckoning. As a result the current year profit has decreased by Rs.2971.35 lacs.

Reply: The amortization of the additional liability of Rs. 14856.73 lacs on account of enhanced limits of gratuity, were done over a 5-year period beginning with 2010-11 on the basis of IRDAI Circular No. IRDAI/F&A/CIR/ ACT/069/04/2011 dt. 18/04/2011. This special dispensation was provided by the Authority to PSU insurance companies to mitigate the undue strain on the Solvency Margin and performance results of the companies. The last instalment of the amortization amount of Rs. 2971.35 lacs was charged to profit in the financial year 2014-15.

- 4. Amount of reinstatement insurance premium remains un-booked having corresponding effect on the claims incurred account for which quantum remains indeterminate.
 - Reply: INLIAS, our core insurance application, contains provision for automatic accounting of reinstatement premium at the time of payment of claims. Such premia are automatically credited to the premium account of the insurance segment concerned.
- 5. The company has not complied with the requirements of disclosure under the Micro,



का अनुपालन नहीं किया है।

उत्तरः कम्पनी ने ऐसे किसी भी सुक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम को देय किसी भी भुगतान में न तो चूक की है न ही विलंब किया है जिनसे यह आपूर्तियां अर्जित या सेवाएं प्रापत करती रही है।

आकरिमक देनदारी से संबंधित टिप्पणी संख्या जिसमें क्र.सं. (ई) के द्वारा रु. 5671.12 लाख की सांविधिक मांगें / देनदारियां उल्लिखित की गई हैं. जिसमें आकलन वर्ष 2005-06 और 2010-11 के लिए आयकर प्राधिकारियों द्वारा लगाई गई रु. 5634.08 लाख की जुर्माने की राशि शामिल है।

उत्तरः कम्पनी द्वारा निम्नलिखित कारणों से अपनी पुस्तिकाओं में कोई प्रावधान नहीं किया गया है:

- क) कम्पनी ने सीआईटी (अपील) के समक्ष अपील दायर की है और केस जीतने के अच्छे आसार हैं।
- ख) मामले को माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा विधि के उल्लेखनीय प्रश्न के रूप में स्वीकृत कर लिया गया है। आय कर के अनेक निर्णयों के अनुसार, एक बार मामले को उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकृत कर लेने के बाद, इस पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जा सकता।
- ग) जुर्माना निवेशों की बिक्री / ऋणमुक्ति पर लाभ पद कर की छूट / रिफंड से संबंधित है। इस मामले में बीमा कम्पनियों के पक्ष में अनेक निर्णय हो चुके हैं, जिनमें न्यायालयों ने सीबीडीटी के परिपत्र संख्या 528 पर विश्वास करके यह निर्णय दिया है कि निवेशों की बिक्री / ऋणमुक्ति पर लाभ कर में प्रभारणीय नहीं है।
- 7. कतिपय सम्पत्तियों के स्वत्वाधिकार दस्तावेजों की अनुपलब्धता से संबंधित टिप्पणी संख्या 25
 - उत्तरः कम्पनी के पास सम्पत्तियों के शेयर सर्टिफिकेटों या बिक्री विलेखों या पंजीकरण विवरणों जैसे दस्तावेज हैं ताकि सम्पत्ति का स्वामित्व स्पष्टतया स्थापित किया जा सके।
- अचल सम्पत्तियों सहित स्थायी परिसम्पत्तियों के अभिलेख पूर्ण नहीं हैं और/या कतिपय मामलों की अपेक्षानुसार अनुरक्षित नहीं किए गए

Small and Medium Enterprises Development Act 2006.

Reply: Company has not defaulted, nor has it delayed, any payment due to any micro, small and medium enterprise from which it has been procuring supplies or availing service.

6. Note No.1 regarding Contingent Liability wherein vide Sr. No. (e) statutory demands / liabilities of Rs 5671.12 Lacs is mentioned which includes a sum of Rs 5634.08 Lacs of penalty imposed by the Income Tax Authorities for the AY 2005-06 and 2010-11, for which no provision has been made by the company.

Reply: No provision has been made by the Company in its books for the following reasons:

- a) the Company has gone on appeal before CIT (Appeals) and has fair chance of winning the case.
- b) the matter has been admitted by the Honorable High Court of Delhi as a substantial question of law. As per various income-tax rulings, once an issue is admitted by the High Court as a question of law, no penalty can be imposed on the same.
- c) the penalty pertains to exemption/refund of tax on profit on sale/redemption of investments. There have been various judgments in favor of General Insurance companies in this matter, where the Courts have relied on CBDT Circular No. 528 and held that profit on sale/redemption of investments is not chargeable to tax.
- 7. Note No.25 regarding non-availability of title documents of certain properties.

Reply: Company is in possession of documents like Share Certificates or Sale Deeds or registration particulars of properties, so that ownership of the property can be unequivocally established.

8. Fixed Assets including immovable properties records are not complete and/or not maintained as required in certain cases.



उत्तरः कम्पनी द्वारा परिसम्पत्ति रजिस्टरों का उपयुक्त लेखाकरण और अनुरक्षण सुनिश्चित करने के लिए एक रथायी परिसम्पत्त मॉड्यूल विकसित किया जा रहा है।

कम्पनी की आंतरिक लेखा परीक्षा / समवर्ती लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षा की कवरेज और अनुपालनों के क्षेत्रों में उल्लेखनीय सुदृढ़ीकरण अपेक्षित है।

उत्तरः कम्पनी के आंतरिक लेखा परीक्षा तंत्र को सुदृढ बनाने के उद्देश्य से, नए कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन में मुख्यालय में सीए की योग्यता रखने वाले मुख्य प्रबंधक के स्तर के अधिकारी को मुख्यालय में आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग का प्रमुख नियुक्त किया गया है।

लेखा परीक्षाओं के बीच की समय सीमा को कम करने के लिए नियमित लेखा परीक्षाएं करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। लेखा परीक्षा की टिप्पणियों की तीव्र अनुपालन और कुशल मॉनीटरिंग के लिए हमारे केंद्रीय एप्लीकेशन INLIAS में एक सोफटवेयर भी समाविष्ट किया गया है।

10. कम्पनी द्वारा आस्थिगत कर परिसम्पत्तियों की अस्वीकृति से संबंधित टिप्पणी संख्या 42

उत्तरः कम्पनी के पास वित्त वर्ष 2014-15 तक रु. 3373.98 करोड़ तक असमाविष्ट मूल्यहास और घाटों की अगले लाभ से पूर्ति है। 'आय पर कर के लिए लेखाकरण' पर लेखाकरण मानक 22 के अनुसार, किसी उद्यम द्वारा आस्थगित कर परिसम्पत्तियों की स्वीकृति केवल उस सीमा तक की जाती है कि विश्वसनीय साक्ष्यों द्वारा समर्थित वस्तृतः यह निश्चितता हो की पर्याप्त भावी कर-योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके सापेक्ष ऐसी आस्थगित कर परिसम्पत्तियां वसूल की जा सकती हैं। वस्तुतः निश्चितता संकल्पना देखते हुए, कम्पनी केवल चालू वर्ष में लाभ के आधार अपने लेखों में आस्थिगत कर परिस्मपत्ति की स्वीकृति करने में न्यायोचित नहीं है।

11. रू. 1914 लाख के आय कर पर ब्यान की बुकिंग से संबंधित टिप्पणी संख्या 29(1V)

उत्तरः कम्पनी को आकलन वर्ष 1978-79 के लिए आय कर विभाग से रु. 61.74 करोड़ के रिफंड के साथ-साथ रु. 19.14 करोड़ ब्याज प्राप्त हुआ है। जिसका उपयुक्त रूप से आय कर रिफंडों पर ब्याज शीर्ष के तहत लेखाकरण किया गया है।

Reply: A fixed asset software module is being developed by the Company to ensure proper accounting and maintaining of asset registers.

9. The Internal Audit / Concurrent Audit of company require substantial strengthening in the areas of audit coverage and compliances.

Reply: In order to strengthen the Internal Audit machinery of the Company, an officer of the rank of Chief Manager having CA qualification has been appointed at the head of the Internal Audit Dept at HO in compliance of the provisions of the new Companies Act, 2013. Efforts are also underway to reduce the time gap between audits by conducting frequent audits. A software has also been incorporated into INLIAS, our core insurance application, for speedy compliance and efficient monitoring of audit queries.

10. Note no. 42 pertaining to non recognition of Deferred Tax Asset by the company.

Reply: The Company unabsorbed has depreciation and carry forward of losses to the extent of Rs.3373.98 crores up to the FY 2014-15. As per AS 22 "Accounting for Taxes on Income', deferred tax assets can be recognized by an enterprise only to the extent that there is a virtual certainty, supported by convincing evidence, that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets can be realized. Considering the virtual certainty concept, Company is not justified in recognizing deferred tax asset in its accounts merely on the basis of profit in the current year.

11. Note no. 29(IV) regarding booking of interest on Income Tax of Rs. 1914 Lacs

Reply: Company received a refund of Rs. 61.74 crores from the income-tax department for the Assessment Year 1978-79 along with an interest of Rs. 19.14 crores, which was properly accounted under the head 'Interest on incometax refunds".

12. Note no. 27 pertaining to change in Accounting Policy of Depreciation/ Amortization.



12. मुल्यहास/ऋणमुक्ति की लेखाकरण नीति में परिवर्तन से संबंधित टिप्पणी संख्या 27

उत्तरः मूल्यहास / ऋणमुक्ति की लेखाकरण नीति में परिवर्तन की आवश्यकता नए कम्पनी अधिनियम की वजह से पड़ी। लेखाओं पर टिप्पणियों से संबंधित टिप्पणी संख्या 27(i) में ऐसे परिवर्तन के रु. 136. 44 लाख के वित्तीय प्रभाव की सूचना दी गई है। संशोधित लेखाकरण नीति का उल्लेख लेखाकरण नीतियां और टिप्पणियां' में बिंदू संख्या 9.1 और 9.2 में भी किया गया है।

12क. वार्षिक रिटर्न के उद्धरण

फॉर्म संख्या MGT - 9 में वार्षिक रिटर्न के उद्धरण बोर्ड की रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं।

13. उर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेश और विदेशी मुद्रा आय और परिव्यय

क) उर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेश

कम्पनी किसी निर्माण गतिविधि में नहीं लगी है और कम्पनी का कोई प्रचालन उर्जा संवेदी नहीं है। इसके अतिरिक्त, कम्पनी द्वारा कोई नई प्रौद्योगिकी समाविष्ट नहीं की है। इसलिए उर्जा संरक्षण या प्रौद्योगिकी समावेशन के संबंध में कम्पनी (लेखा) नियमावली, 2014 के अधीन इस प्रकार किसी प्रकार के विवरण का अपेक्षित प्रकटीकरण नहीं किया जा रहा है।

ख) विदेशी मुद्रा आय और परिव्ययरू

वर्ष 2014-15 के लिए कम्पनी की विदेशी मुद्रा आय रु. 164.63 करोड है जबकि विदेशी मुद्रा में परिव्यय रु. 334.38 करोड रहा है।

14. निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर)

कम्पनी (निगमित सामाजिक दायित्व नीति) नियमावली, 2014 के नियम 9 अनुसार प्रकटीकरण निदेशकों की रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

15. निदेशकः

अ) निदेशक मंडल और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

निदेशक मंडल और इसकी समितियां

कम्पनी के निदेशक मंडल में बीमा, बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्रों के विशेषज्ञों का उत्तम मिश्रण शामिल है। दिनांक 31 मार्च, 2015 को कम्पनी के निदेशक Reply: The change in accounting policy depreciation/amortization has necessitated due to the new Companies Act. The financial impact of Rs. 136.44 lacs of such a change has been reported in the 'Notes to Accounts". Note No. 27(i). The revised accounting policy has also been mentioned in 'Annexure-I Accounting Policies and Notes" vide Point Nos. 9.1 and 9.2.

12a. Extract of the annual return

The extract of the annual return in Form No. MGT - 9 is annexed to the Board"s report

of 13. Conservation energy, technology absorption and foreign exchange earnings and outgo

A. Conservation of energy, technology absorption

The Company is not engaged in any manufacturing activity and the operations of the Company are no energy intensive. Further, no new technology has been absorbed by the Company. Hence no particulars required as such to be disclosed under the Companies (Accounts) Rules, 2014 as regards conservation of energy or technologies absorption are being given.

B. Foreign exchange earnings and Outgo:

The Company's foreign exchange earnings for the year 2014-15 are Rs. 164.63 crores whereas the outgo in foreign currency has been Rs. 334.38 crores.

14. Corporate Social Responsibility (CSR)

The disclosures as per Rule 9 of Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014 are annexed to the Director"s Report

15. Directors:

A) Board of Directors and Key Managerial Personnel

BOARD OF DIRECTORS & ITS COMMITTEES

The Board of Directors of the Company consists of a perfect blend of experts from



मंडल की संरचना निम्नानुसार है:

- 1. डॉ. ए.के. सक्सेना, अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक
- श्री जतिंदरबीर सिंह, आईएएस, निदेशक
- 3. डॉ. एन. श्रीनिवास राव, निदेशक
- 4. श्रीमती कौशल्या राय, निदेशक
- 5. श्री विजय गर्ग, निदेशक
- 6. श्री ए.एस. बाली, निदेशक
- 7. श्री कुलदीप सिंह, पूर्णकालिक निदेशक
- 8. श्री सुजाय बनर्जी, पूर्णकालिक निदेशक

निदेशकों की पिछली रिपोर्ट अर्थात 15 मई. 2014 के बाद से बोर्ड की संरचना में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं

- 1. श्री जतिंदरबीर सिंह, आईएएस, अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक, पंजाब एंड सिंध बैंक को 23 मार्च, 2015 से कम्पनी के बोर्ड में निदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया।
- 2. श्री एस.एल. बंसल, अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक, ओरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, सेवानिवृत्ति होने पर, दिनांक 30 सितंबर, 2014 से कम्पनी के निदेशक नहीं रहे।
- 3. कम्पनी के महाप्रबंधक श्री सुजाय बनर्जी को दिनांक 17 जुलाई, 2014 से कम्पनी के बोर्ड में पूर्णकालिक निदेशक नियुक्त किया गया।

बोर्ड की बैठकों का ब्यौरा:

वर्ष के दौरान, बोर्ड की बैठक छह (6) बार अर्थात् 24 अप्रैल, 2014, 15 मई, 2014, 12 अगस्त, 2014, 8 नवम्बर, 2014, 6 फरवरी, 2015 और 19 मार्च, 2015 को हुई। उक्त बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का ब्यौरा निम्नानुसार है:

बिदेश क		बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित रहे
डॉ. ए.के. सक्सेना	6	6
श्री जतिंदरबीर सिंह, आईएएस	शून्य	शून्य
श्री एस.एल. बंसल	3	2
डॉ. एन. श्रीनिवास राव	6	6

the fields of Insurance, Banking and finance sectors of the Company as on 31st March, 2015 is as under:

- Dr. A. K. Saxena, Chairman-cum-Managing Director
- 2. Shri Jatinderbir Singh, IAS, Director
- 3. Dr. N. Srinivasa Rao, Director
- 4. Mrs. Kaushalya Roy, Director
- 5. Shri Vijay Garg, Director
- 6. Shri A. S. Bali, Director
- **7.** Shri Kuldip Singh, Wholetime Director
- 8. Shri Sujay Banarji, Wholetime Director

The Board underwent the following changes in its composition since the date of last directors" report i.e. 15th May, 2014:

- 1. Shri Jatinderbir Singh, IAS, Chairman & Managing Director, Punjab & Sind Bank, was appointed as a Director on the Board of the Company w.e.f. 23rd March, 2015.
- 2. Shri S. L. Bansal, Chairman & Managing Director, Oriental bank of Commerce, on attaining superannuation, ceased to be Director of the Company w.e.f. 30th September, 2014.
- 3. Shri Sujay Banarji, General Manager of the Company, was appointed as a Whole-time Director on the Board of the Company w.e.f. 17th July, 2014

BOARD MEETING DETAILS:

During the year, the Board met Six (6) times viz. on 24th April, 2014, 15th May, 2014, 12th August, 2014, 8th November, 2014, 6th February, 2015 and 19th March, 2015. The attendance of the Directors at the said meetings is as below:

Director		No. of Meetings attended
Dr. A. K. Saxena	6	6
Shri Jatinderbir Singh, IAS	NIL	NIL
Shri S. L. Bansal	3	2

द ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

श्रीमती कौशल्या राय	6	6
श्री विजय गर्ग	6	4
श्री ए.एस. बाली	6	5
श्री कुलदीप सिंह	6	6
श्री सुजाय बनर्जी	4	3

श्री वाई.पी. सभरवाल, परामर्शदाता बीमांकिक और श्री निखिल गुप्ता, नियुक्त बीमांकिक वर्ष के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों में उपस्थित थे।

बोर्ड की बैठक, वित्त वर्ष 2014-15 के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणिकाओं के अनुमोदन के लिए, दिनांक 15 मई, 2015 को भी हुई।

लेखा परीक्षा समिति का ब्यौरा)

लेखा परीक्षा समिति, अन्य बातों के साथ-साथ, बोर्ड में प्रस्तुत किए जाने से पहले वित्तीय विवरणिकाओं और वित्तीय रिपोर्टिंग, आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य और संबंधित कार्य का पर्यवेक्षण करती है।

वर्ष के दौरान, समिति की बैठक छह (6) बार अर्थात् 24 अप्रैल, 2014, 15 मई, 2014, 12 अगस्त, 2014, 8 नवम्बर, 2014, 6 फरवरी, 2015 और 19 मार्च, 2015 को हुईं। उक्त बैठकों में समिति के सदस्यों की उपस्थिति का ब्यौरा निम्नानुसार है:

निदेशक	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकों की संख्या	
डॉ. एन. श्रीनिवास राव	4	4
श्री एस.एल. बंसल	2	1
श्री विजय गर्ग	4	2
श्री ए.एस. बाली	4	3
श्री कुलदीप सिंह	4	4

निवेश समिति का ब्यौराः

निवेश समिति की संरचना आईआरडीएआई (निवेश) विनियमावली 2000 के यथा संशोधित प्रावधानों और आईआरडीएआई द्वारा समय समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार है। वर्ष के दौरान निवेश समिति की बैठक पांच (5) बार अर्थात अप्रैल. 2014. मई, 2014, अगस्त,2014, नवम्बर, 2014 और फरवरी, 2015 को हुई। उक्त बैठकों में समिति के सदस्यों की उपस्थिति का ब्यौरा निम्नानुसार है:

Dr. N. Srinivasa	6	6
Rao		
Mrs. Kaushalya	6	6
Roy		
Shri Vijay Garg	6	4
Shri A. S. Bali	6	5
Shri Kuldip Singh	6	6
Shri Sujay Banarji	4	3

Shri Y. P. Sabharwal, Consulting Actuary and Shri Nikhil Gupta, Appointed Actuary, were present in the Board meetings held during the year.

The Board also met on 15th May, 2015, for approval of Audited Financial Statements for the financial year 2014-15.

AUDIT COMMITTEE DETAILS:

The Audit Committee inter-alia oversees the financial statements and financial reporting before submission to the Board, Internal audit function and the related work.

During the year, the Committee met Six (6) times viz. on 24th April, 2014, 15th May, 2014, 12th August, 2014, 8th November, 2014, 6th February, 2015 and 19th March, 2015. The attendance of the Members of the Committee at the said meetings is as below:

Director	No. of Meetings held in his / her tenure	No. of Meetings attended
Dr. N. Srinivasa	4	4
Rao		
Shri S. L. Bansal	2	1
Shri Vijay Garg	4	2
Shri A. S. Bali	4	3
Shri Kuldip Singh	4	4

INVESTMENTCOMMITTEE DETAILS:

The composition of Investment Committee is in accordance with the provisions of the IRDAI (Investment) Regulations 2000 as amended and the Guidelines issued thereby by IRDAI from time to time. During the year, the



निदेशक	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकों की संख्या	
डॉ. ए.के. सक्सेना	5	5
श्री एस.एल. बंसल	3	2
डॉ. एन. श्रीनिवास राव	5	4
श्रीमती कौशल्या राय	5	5
श्री विजय गर्ग	5	3
श्री ए.एस. बाली	5	4
श्री ए.के. मित्तल	5	5
श्री एम.एन. शर्मा	3	3
श्रीमती के. रमादेवी	2	2
श्री निखिल गुप्ता	2	2

अपील एवं स्मारक समिति का ब्यौराः

कतिपय श्रेणियों के कर्मचारियों / मामलों के लिए अपीलीय प्राधिकरण और स्मारक के लिए प्राधिकरण के तौर पर बोर्ड की उप-समिति विहित की गई है। उप-समिति का गठन सामान्य बीमा (आचरण, अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1975 के संशोधन के परिणामस्वरूप किया गया था जिसे दिनांक 23.12.2004 को आयोजित बोर्ड की 351वीं बैठक में विधिवत अनुमोदित किया गया था। अब सामान्य बीमा (आचरण, अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1975 का स्थान ओरिएण्टल बीमा कम्पनी (आचरण, अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2014 ने ले लिया है जिसे दिनांक 24.04.2014 को आयोजित बोर्ड की 419वीं बैठक में विधिवत अनुमोदित किया गया था।

ओरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री एस.एल. बंसल की अधिवार्षिता के परिणामस्वरूप उनकी बोर्ड से सेवानिवृत्ति उप-समिति की गठन प्रक्रिया वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित बैंक के नामित निदेशक की नियुक्ति तक रोक कर रखी गई।

वर्ष के दौरान उक्त समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

पारिश्रमिक समिति (सीएमडी की पीएलआई के लिए) का ब्यौरा

पारिश्रमिक समिति का गठन, वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग द्वारा दिनांक 20 जुलाई, 2007 के पत्र संदर्भ Investment Committee met five (5) times viz. on 24th April, 2014, 15th May, 2014, 12th August, 2014. 8th November, 2014 and 6th February, 2015. The attendance of the Members of the Committee at the said meetings is as below:

Director	No. of Meetings held in his / her tenure	No. of Meetings attended
Dr. A. K. Saxena	5	5
Shri S. L. Bansal	3	2
Dr. N. Srinivasa Rao	5	4
Mrs. Kaushalya Roy	5	5
Shri Vijay Garg	5	3
Shri A. S. Bali	5	4
Shri A. K. Mittal	5	5
Shri M. N. Sarma	3	3
Mrs. K. Ramadevi	2	2
Shri Nikhil Gupta	2	2

APPEAL & MEMORIAL COMMITTEE DETAILS:

The sub-committee of the Board has been prescribed as the Appellate Authority and the Authority for Memorial for certain categories of employees / cases. The Sub-committee was constituted consequent upon the amendment of General Insurance (Conduct, Discipline & Appeal) Rules, 1975 which was duly approved in the 351st Board Meeting held on 23.12.2004. The General Insurance (Conduct, Discipline & Appeal) Rules, 1975 is now replaced with The Oriental Insurance Company (Conduct, Discipline & Appeal) Rules, 2014 which were duly approved in the 419th Board Meeting held on 24/04/2014.

The constitution of Sub-Committee was kept in abeyance consequent to retirement of Shri S. L. Bansal, Chairman & Managing Director of The Oriental Bank of Commerce after attaining the age of superannuation, from the Board of the Company, till the time fresh appointment of Bank Nominee Director was notified by the Ministry of Finance.

No meeting of the said Committee was held during the year



संख्या F.No.S-11012/01/2007-Ins.III द्वारा दिए गए निदेश के अनुसार निष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन राशि (पीएलआई) के भुगतान के उददेश्य से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के निष्पादन का मुल्यांकन करने के लिए किया गया था।

मंत्रालय से मांगे गए स्पष्टीकरणों के उत्तरों के लंबित रहने की वजह से वर्ष 2014-15 में समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

जीरिवम प्रबंधन समिति का ब्यौरा

जोखिम प्रबंधन समिति का गठन आईआरडीएआई द्व ारा दिनांक 5 अगस्त, 2009 के परिपन्न संदर्भ संख्या IRDAI/F&A/CIR/025/2009-10 द्वारा जारी निगमित शासन संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया था। वर्ष के दौरान, जोखिम प्रबंधन समिति की बैठक चार (4) बार अर्थात् दिनांक 27 जून, 2014, 8 सितम्बर, 2014, 17 नवम्बर, 2014 और 28 जनवरी, 2015 को आयोजित की गई। उक्त बैठकों में समिति के सदस्यों की उपस्थिति का ब्यौरा निम्नानुसार है:

निदेशक	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित रहे
डॉ. ए.के. सक्सेना	4	4
डॉ. एन. श्रीनिवास राव	4	2
श्रीमती कौशल्या राय	4	4
श्री कुलदीप सिंह	4	3

पॉलिसीधारक संरक्षण समिति का ब्यौरा

पॉलिसीधारक संरक्षण समिति का गठन आईआरडीएआई द्वारा दिनांक 5 अगस्त, 2009 के परिपत्र संदर्भ संख्या IRDAI/F&A/CIR/025/2009-10 द्वारा जारी निगमित शासन संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया था। वर्ष के दौरान, पॉलिसीधारक संरक्षण समिति की बैठक चार (4) बार अर्थात् दिनांक 27 जून, 2014, 8 सितम्बर, 2014, 17 नवम्बर, 2014 और 28 जनवरी, 2015 को आयोजित की गई। उक्त बैठकों में समिति के सदस्यों की उपस्थिति का ब्यौरा निम्नानुसार है:

REMUNERATION COMMITTEE (FOR CMD"S PLI) DETAILS

The Remuneration Committee was constituted to evaluate performance of the Chairmancum-Managing Director, for payment of Performance Linked Incentive (PLI) as directed by The Department of Financial Services, Ministry of Finance, vide letter Ref. No. F.No.S-11012/01/2007-Ins.III dated 20th July, 2007.

No meeting of the Committee was held in the year 2014-15 due to pending replies to clarifications sought from Ministry

RISK MANAGEMENT COMMITTEE DETAILS

The Risk Management Committee was constituted in accordance with the guidelines on Corporate Governance issued by IRDAI vide its circular ref: IRDAI/F&A/ CIR/025/2009-10 dated 5th August, 2009. During the year, the Risk Management Committee met four (4) times viz. on 27th June, 2014, 8th September, 2014, 17th November, 2014 and 28th January, 2015. The attendance of the Members of the Committee at the said meetings is as below:

Director	No. of Meetings held in his / her tenure	Meetings
Dr. A. K. Saxena	4	4
Dr. N. Srinivasa Rao	4	2
Mrs. Kaushalya Roy	4	4
Shri Kuldip Singh	4	3

POLICYHOLDER"S PROTECTION **COMMITTEE DETAILS**

The Policyholder"s Protection Committee was constituted in accordance with the guidelines on Corporate Governance issued by IRDAI vide its circular ref: IRDAI/ F&A/CIR/025/2009-10 dated 5th August, 2009. During the year, the Policyholder"s Protection Committee met four (4) times viz. on 27th June, 2014, 8th September, 2014, 17th November, 2014 and 28th January, 2015. The attendance of the Members of the



निदेशक	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित रहे
डॉ. ए.के. सक्सेना	4	4
डॉ. एन. श्रीनिवास राव	4	2
श्रीमती कौशल्या राय	4	4
श्री कुलदीप सिंह	4	3

नैतिक समिति का ब्यौरा

नैतिक समिति का गठन आईआरडीएआई द्वारा दिनांक 5 अगस्त. 2009 के परिपत्र संदर्भ संख्या IRDAI/F&A/ CIR/025/2009-10 द्वारा जारी निगमित शासन संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया था।

वर्ष के दौरान समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

सूचना प्रौद्योगिकी समिति का ब्यौरा

इस समिति का गठन कम्पनी की आईटी संबंधी पहलों पर और अधिक ध्यान देने और साथ ही यह सूनिश्चित करने के लिए भी किया गया था कि आईटी संबंधी पहलें कारोबारी उद्देश्यों के समनुरूप हैं। वर्ष के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी समिति की बैठक दो (2) बार अर्थात 1 मई, 2014 और 4 फरवरी, 2015 को आयोजित की गईं। उक्त बैठकों में समिति के सदस्यों की उपस्थिति का ब्यौरा निम्नानुसार है:

निदेशक	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकों की संख्या	संख्या जिनमें
डॉ. ए.के. सक्सेना	2	2
डॉ. एन. श्रीनिवास राव	2	2
श्री कुलदीप सिंह	2	2
श्री के.के. राव	1	1
श्री ए.के. मित्तल	1	1
श्री एम.एन. शर्मा	1	1
श्रीमती के. रमादेवी	1	1

सम्पत्ति सभीक्षा सभिति का ब्यौरा

बोर्ड की सम्पत्ति समीक्षा समिति का गठन कम्पनी द्वारा धारित सम्पत्तियों के मामलों और अन्य सम्पदा संबंधी मामलों की समीक्षा के लिए वित्त मंत्रालय से प्राप्त Committee at the said meetings is as below:

Director		No. of Meetings attended
Dr. A. K. Saxena	4	4
Dr. N. Srinivasa Rao	4	2
Mrs. Kaushalya Roy	4	4
Shri Kuldip Singh	4	3

ETHICS COMMITTEE DETAILS

The Ethics Committee was constituted in accordance with the guidelines on Corporate Governance issued by IRDAI vide its circular ref: IRDAI/F&A/CIR/025/2009-10 dated 5th August, 2009.

No meeting of the Committee was held during the year.

IT COMMITTEE DETAILS

The Committee was constituted to lend more focus to the IT initiatives of the Company and also to ensure that the IT initiatives are in tune with the business objectives. During the year, the IT Committee met two (2) times viz. on 1st May, 2014 and 4th February, 2015. The attendance of the Members of the Committee at the said meetings is as below:

Director	No. of Meetings held in his / her tenure	No. of Meetings attended
Dr. A. K. Saxena	2	2
Dr. N. Srinivasa Rao	2	2
Shri Kuldip Singh	2	2
Shri K. K. Rao	1	1
Shri A. K. Mittal	1	1
Shri M. N. Sarma	1	1
Mrs. K. Ramadevi	1	1

PROPERTY REVIEW COMMITTEE DETAILS

The Property Review Committee of the Board was constituted in terms of the directives received from Ministry of Finance to review the matters of properties held



निदेशों के अनुसार किया गया था। वर्ष के दौरान सम्पत्ति समीक्ष्जा समिति की बैठक चार बार (4) अर्थात दिनांक 27 जुन, 2014, 8 सितम्बर, 2014, 17 नवम्बर, 2014 और 28 जनवरी, 2015 को हुईं। उक्त बैठकों में समिति के सदस्यों की उपस्थिति का ब्यौरा निम्नानुसार है:

निदेशक	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित रहे
Dr. A. K. Saxena	4	4
Dr. N. Srinivasa Rao	4	2
Mrs. Kaushalya Roy	4	4
Shri Kuldip Singh	4	3

निगमित गासन समिति

बोर्ड की निगमित शासन समिति का गठन कम्पनी की सीएसआर नीति अनुमोदित करने और इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए निगमित कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 27 फरवरी, 2014 की राजपत्र अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 129 (E) द्वारा अधि ासूचित कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अनुसार किया गया था। निगमित शासन समिति बैठक पांच (5) बार अर्थात दिनांक 12 अगस्त, 2014, 23 सितम्बर, 2014, 8 नवम्बर, 2014, 6 फरवरी, 2015 और 19 मार्च, 2015 को उक्त बैठकों में समिति के सदस्यों की उपस्थिति का ब्यौरा निम्नानुसार है:

निदेशक	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित रहे
श्रीमती कौशल्या राय	5	5
श्री एस.एल. बंसल	2	1
श्री ए.एस. बाली	5	4
श्री कुलदीप सिंह	5	5

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

कम्पनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली 2014 के नियम 8 के साथ पिठत कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 203(1) के अनुसरण में, बोर्ड की दिनांक 12 अगस्त, 2014 को आयोजित बैठक में प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के रूप में निम्नलिखित की नियुक्ति की गई:

by the Company and other Estate related Matters. During the year, the Property Review Committee met four (4) times viz. on 27th June, 2014, 8th September, 2014, 17th November, 2014 and 28th January, 2015. The attendance of the Members of the Committee at the said meetings is as below:

Director	No. of Meetings held in his / her tenure	Meetings
Dr. A. K. Saxena	4	4
Dr. N. Srinivasa Rao	4	2
Mrs. Kaushalya Roy	4	4
Shri Kuldip Singh	4	3

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY COMMITTEE DETAILS

The Corporate Social Responsibility Committee of the Board was constituted in terms of the Section 135 of Companies Act 2013 notified vide Gazette notification no. G. S. R. 129 (E) dated 27th February, 2014 issued by Ministry of Corporate Affairs to approve the CSR Policy of the Company and ensure its implementation. During the year, the Corporate Social Responsibility Committee met five (5) times viz. on 12th August, 2014, 23rd September, 2014, 8th November, 2014, 6th February, 2015 and 19th March, 2015. The attendance of the Members of the Committee at the said meetings is as below:

Director	No. of Meetings held in his / her tenure	No. of Meetings attended
Mrs. Kaushalya Roy	5	5
Shri S. L. Bansal	2	1
Shri A. S. Bali	5	4
Shri Kuldip Singh	5	5

KEY MANAGERIAL PERSONNEL

Pursuant to Section 203(1) of the Companies Act 2013 read with Rule 8 of the Companies (Appointment and Remuneration Managerial personnel) Rule 2014, following were appointed as Key Managerial Personnel



- 1. श्री ए.के. सक्सेना, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकए
- 2. श्रीमती रश्मि बाजपेयी, कम्पनी सचिव और
- 3. श्रीमती के. रमादेवी, मुख्य वित्तीय अधिकारी और महाप्रबंधक

ख) स्वतंत्र निदेशक ;निदेशकोंद्व द्वारा घोषणा और पुनः नियुक्ति, यदि कोई हो

श्रीमती कौशल्या रॉय, श्री विजय गर्ग और श्री ए.एस. बाली ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 की उप-धारा (6) में किए गए प्रावधान के अनुसार स्वतंत्रता के मापदंडों को पूरा करने से संबंधित घोषणा प्रस्तुत की है।

ग) औपचारिक वार्षिक मुल्यांकन

दिनांक 19 मार्च, 2015 को आयोजित बोर्ड की बैठक में निदेशक मंडल को सूचित किया गया कि कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, स्वतंत्र निदेशकों के निष्पादन का मूल्यांकन पूरे बोर्ड द्व ारा किया जाएगा, सिवाय उन स्वतंत्र निदेशकों के, जिनका मूल्यांकन किया जा रहा हो। बोर्ड ने इस पर विचार करने और स्वतंत्र निदेशकों के मुल्यांकन के लिए तंत्र विकसित करने पर सहमति प्रदान की।

16. निदेशकों और कर्मचारियों के लिए सतक्रता तंत्र की स्थापना का ब्यौरा

व्हिसल ब्लोअर नीति कम्पनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

17. धारा 186 के अधीन ऋणों, गारंटियों या निवेंशों के विवरण

कोई नहीं

18. संबंधित पक्षकारों के साथ करारों या समझौतों के विवरण:

फॉर्म एओसी.2 में उक्त ब्यौरा निदेशकों की रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

१९. प्रबंधकीय पारिश्रमिकः

क) कम्पनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली 2014 के नियम 5(2) के अनुसरण में यथोपेक्षित कम्पनी के प्रत्येक कर्मचारी का ब्यौरा

कोई नहीं

in the Board meeting held on 12th August, 2014

- 1. A. K. Saxena, CMD,
- 2. Mrs. Rashmi Bajpai, Company Secretary
- 3. Mrs. K. Ramadevi, Chief Financial Officer & General Manager

B) Declaration by an Independent Director(s) and re-appointment, if any

Mrs. Kaushalya Roy, Shri Vijay Garg & Shri A. S. Bali, have furnished declaration of meeting the criteria of independence as provided in sub-section (6) of Section 149 of the Companies Act, 2013.

C) Formal Annual Evaluation

In the Board Meeting held on 19th March, 2015, the Board of Directors were informed that as per the provisions of Companies Act, 2013, the performance evaluation of Independent directors shall be done by the entire Board, excluding the Director being evaluated. Board agreed to look into the same and devise the mechanism for performance evaluation of Independent Directors.

16. Details Of Establishment of Vigil Mechanism **For Directors And Employees**

The whistle blower policy is available on the Company"s website.

17. Particulars of loans, quarantees investments under section 186

None

18. Particulars of contracts or arrangements with related parties:

The details in Form AOC -2 are annexed to the Director"s Report.

19. Managerial Remuneration:

A) Details of the every employee of the Company as required pursuant to rule 5(2) of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014

द ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

ख) कोई भी निदेशक जिस कम्पनी से कोई कमीशन प्राप्त होता है और जो कम्पनी का प्रबंध निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक है, उक्त कम्पनी की किसी भी ध गरित कम्पनी या अनुषंगी कम्पनी से कोई पारिश्रमिक या कमीशन प्राप्त करेगा. बशर्ते इसका प्रकटीकरण कम्पनी द्वारा बोर्ड की रिपोर्ट में किया गया हो।

कोई नहीं

ग) (i) सीएमडी और पूर्णकालिक निदेशकों को अदा किए गए पारिश्रमिक का ब्यौरा नीचे दिए गए अनुसार है:

None

B) Any director who is in receipt of any commission from the company and who is a Managing Director or Whole-time Director of the Company shall receive any remuneration or commission from any Holding Company or Subsidiary Company of such Company subject to its disclosure by the Company in the Board's Report.

None

C) (i) The details of remuneration paid to CMD & Whole-time directors is as given hereunder:

(Amount in ₹)

					(Amount in V)
	निदेशकों का वेतन DIRECTOR'S SALARY				
(अप्रैलह14 से मार्चह15) (April'14 to Mar'15)					
क्र.सं.	एस.आर.	नाम	वेतन	भविष्य निधि/पेंशन	कुल
S.No.	संख्या	NAME	SALARY	अंशदान	TOTAL
	S.R. No.			PF/PENSION Cont.	
1	012360	श्री ए.के. सक्सेना Sh. A.K. Saxena	1980321	95331	2075652
2	013366	श्री कुलदीप सिंह Sh. Kuldip Singh	1518950	72120	1591070
3	013331	श्री सुजाय बनर्जी Sh. Sujay Banarji	1045238	50988	1096226
	कुल Total		4544509	218439	4762948

(ii) निष्पादन के मापदंडों के साथ साथ नियत घटक और निष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन राशियों का ब्यौराः

शून्य

(iii) स्टॉक विकल्प का ब्यौरा, यदि कोई हो, और क्या ये किसी छूट पर जारी किया गया है और साथ ही वह अवधि जिसमें यह उपार्जित हुआ हो और जिसमें यह प्रयोज्य हुआ हो।

शून्य

(ii) Details of fixed component and performance linked incentives along with the performance criteria;

NIL

(iii) Stock option details, if any, and whether the same has been issued at a discount as well as the period over which accrued and over which exercisable.

NIL



20. सचिवायली लेखा परीक्षा रिपोर्ट

कम्पनी की पहली सचिवालयी लेखा परीक्षा मैसर्स जयंत गुप्ता एंड एसोशिएट्स, पेशेवर कम्पनी सचिवों द्वारा की गई थी। इनकी रिपोर्ट बोर्ड की रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

सूचित किया गया है कि वर्ष के दौरान कम्पनी ने, अपनी ओर से दिन प्रतिदिन प्रचालनिक व्ययों के माध्यम से अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कम्पनी, इंडस्ट्रीयल क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड को अप्रत्याभृत ऋण प्रदान किए हैं, क्योंकि अनुषंगी कम्पनी कोई कारोबार नहीं कर रही है। इसके अतिरिक्त इन संबंधित पक्षकरा संव्यवहारों को निदेशक मंडल और इसकी समितियों द्वारा अनुमोदित किया जाना था।

कम्पनी का उत्तरः

अपेक्षित अनुमोदन दिनांक 15 मई, 2015 को आयोजित बोर्ड की बैठक में लिया गया था।

21. जोरिवम प्रबंधन नीति

कम्पनी की जोखिम प्रबंधन नीति दिनांक 19 अप्रैल, 2012 को आयोजित बोर्ड की 401वीं बैठक में अनुमोदित की गई थी।

22. आईआरडीएआई पंजीकरण का नवीकरण

मार्च, 2015 में संसद के दोनों सदनों द्वारा बीमा संशोधन विधेयक पारित किए जाने से, आईआरडीएआई द्वारा लाइसेंस के नवीकरण का वार्षिक प्रमाण पत्र जारी करने की अपेक्षा समाप्त कर दी गई।

23. निदेशकों के दायित्व संबंधी विवरण हम पुष्टि करते हैं कि

- (क) वार्षिक लेखों को तैयार करने में, महत्वपूर्ण विचलनों से संबंधित उपयुक्त स्पष्टीकरण के साथ साथ प्रयोज्य लेखाकरण मानदंडों का अनुसरण किया गया था।
- (ख) निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियां चुनी हैं और उन्हें सतत रूप से लागू किया और ऐसे निर्णय तथा अनुमान लगाए जो कि उचित और न्यायसंगत थे ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के कामकाज की स्थिति और वित्त वर्ष की समाप्ति पर कंपनी के कामकाज को लेकर और उस अवधि में लाभ हानि की एक यथार्थ और निष्पक्ष स्थिति प्रस्तुत की जा सके।

20. Secretarial Audit Report

The 1st Secretarial Audit of the Company was conducted by M/s. Jayant Gupta & Associates, Practicing Company Secretaries. Their report is annexed to the Board"s report.

It has been reported that during the year the Company has provided unsecured loans to Industrial Credit Company Limited, a wholly owned subsidiary company, by way of day to day operational expenses borne for and on their behalf as the subsidiary company is not transacting any business. Further these related party transactions were to be approved by the Board of Directors and its Committees.

Reply of the Company:

The requisite approval was taken in the Board Meeting held on 15th May, 2015

21. Risk Management policy

The Risk Management Policy of the Company was approved in the 401st Board Meeting held on 19th April, 2012.

22. Renewal of IRDAI Registration

With the passing of Insurance Amendment Bill by both the houses of parliament in March, 2015, the requirement of issuing Annual Certificate of Renewal of License by IRDAI was done away with.

23. Directors" Responsibility Statement

We confirm that

- (a) in the preparation of the annual accounts, applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures;
- (b) the directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the company at the end of the financial year and of the profit and loss of the company for that period;



- (ग) निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की अभिरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताएं रोकने और अभिज्ञात करने के उददेश्य से इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त लेखांकन रिकॉर्ड रखने के संबंध में उपयुक्त और समीचीन ध्यान रखा है।
- (घ) निदेशकों ने सुनाम-प्रतिष्ठान आधार पर वार्षिक लेखे तैयार किए थे और
- (ड) निदेशकों ने कम्पनी द्वारा अपनाई जानी वाली आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणालियां निर्धारित की हैं और ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी रूप से काम कर रहे हैं।

24. आभारोक्तियां

निदेशक मंडल भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग (बीमा प्रभाग), भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई), प्रधान वाणिज्यिक लेखा परीक्षा निदेशक और पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा मंडल. बीमा परीषद के शासी निकाय (जीबीआईसी) और भारतीय सामान्य बीमाकार सार्वजनिक क्षेत्र संघ (जीआईपीएसए) और अन्य सरकारी और विनियामक एजेंसियों का वर्ष भर कम्पनी को मुहैया कराए गए मुल्यवान मार्गदर्शन और सतत समर्थन के लिए आभार प्रकट करता है।

निदेशक मंडल अपने मूल्यवान ग्राहकों, बैंकरों, एजेंटों, सर्वेयरों. स्टेकधारकों और समग्र रूप से जनता के भी आभारी है जिन्होंने कम्पनी को परश्रय दिया और कम्पनी में अपना विश्वास रखा।

निदेशक मंडल कम्पनी के समग्र विकास और वृद्धि में प्रत्येक कर्मचारी द्वारा प्रदर्शित प्रतिबद्धता. समावेशन की भावना और समर्पण के लिए अपनी सराहना रिकॉर्ड में रखता है और आने वाले वर्ष में निगमित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उनके सतत समर्थन और पूरे हृदय से सहयोग की आशा करता है।

कृते और निदेशक मंडल की ओर से

डॉ. ए.के. सक्सेना

स्थानः नई दिल्ली दिनांक: 15 मई, 2015 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

- (c) the directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of this Act for safeguarding the assets of the company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;
- (d) the directors had prepared the annual accounts on a going concern basis; and
- (e) the directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

24. Acknowledgements

The Board of Directors thanks Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services (Insurance Division), Insurance Regulatory & Development Authority of India (IRDAI), the Principal Director of Commercial Audit and Ex-officio Member, Audit Board - II, Governing Body of Insurance Council (GBIC) and General Insurers" Public Sector Association of India (GIPSA) and other government and regulatory agencies for their valuable guidelines and continuous support provided to the company throughout the year.

The Board of Directors are also grateful to the valued customers. Bankers, agents, surveyors, stakeholders and public at large for the patronage and confidence reposed in the Company.

The Board of Directors places on record their appreciation for the commitment. Sense of involvement and dedication exhibited by each staff member in the overall development and growth of the Company and look forward to the continued support and whole hearted cooperation for the realization of the corporate goals in the year ahead.

For and on behalf of the Board of Directors

DR. A. K. SAXENA CHIARMAN-CUM-MANAGING DIRECTOR

Place: New Delhi Date: 15th May, 2015



फॉर्म संख्या एओसी-2

(अधिनियम की धारा 134 की उप–धारा (3) के खंड और कम्पनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 8(2) के अनुसरण में)

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप–धारा (1) में संदर्भित संबंधित पक्षकारों के साथ कम्पनी द्वारा की गई संविदाओं / करारों के ब्यौरे के प्रकटीकरण के लिए प्रपत्र जिसमें इस अधिनियम के तीसरे परंतुक के अंतर्गत कतिपय दूरी रखकर किए जाने वाले धारित संव्यवहार शामिल हैं जो संविदाएं या समझौते या संव्यवहार निश्चित दुरी रखकर (आर्म्स लैंथ बेसिस पर) नहीं की गई हैं, उनका ब्यौराः वित्त वर्ष 01.04.2014 से 31.03.2015 तक जो संविदाएं या समझौते या संव्यवहार निश्चित दूरी रखकर (आर्म्स लैंथ बेसिस पर) नहीं की गई हैं, उनका ब्यौराः शून्य

FORM NO. AOC-2

(Pursuant to clause (h) of sub-section (3) of section 134 of the Act and Rule 8(2) of the Companies (Accounts) Rules, 2014)

Form for disclosure of particulars of contracts/ arrangements entered into by the company with related parties referred to in sub-section (1) of section 188 of the Companies Act, 2013 including certain arms length transactions under third proviso thereto

Details of contracts or arrangements or transactions not at arm"s length basis:

Details of contracts or arrangements or transactions not at arm"s length basis for the financial year 01/04/2014 to 31/03/2015: NIL

संबंधित पक्ष का (के) नाम Name(s) of the related party	संबंध की प्रकृति Nature of relationship	संव्यवहारों की अवधि Duration of the transactions	मुख्य हार्ते Salient terms	ऐसी संविदाओं या समझौतों या संव्यवहारों के लिए औचित्य Justification for entering into such contracts or arrangements or transactions	बोर्ड द्वारा अनुमोदन, यदि कोई हो, की तारीख (तारीखें) Date(s) of approval by the Board, if any	अग्रिम के रूप में अदा की गई राशि Amount paid as advances	वे तारीखें जिन पर आम बैठक में विशेष संकल्प पारित किए गए थे, जैसा कि धारा 188 के प्रथम परन्तुक के अधीन अपेक्षित है Date on which the special resolution was passed in general meeting as required under first proviso to section 188
संविदा की प्रकृति Nature of Contract							
लागू नहीं N.A.	लागू नहीं N.A.	लागू नहीं N.A.	लागू नहीं N.A.	लागू नहीं N.A.	लागू नहीं N.A.	लागू नहीं NIL	लागू नहीं N.A.

Details of material contracts or arrangement or transactions at arm"s length basis:

1. जो महत्वपूर्ण संविदाएं या समझौते या संव्यवहार निश्चित दूरी रखकर (आर्म्स लैंथ बेसिस पर) किए गए हैं, उनका ब्यौरा:

वित्त वर्ष 01.04.2014 से 31.03.2015 तक जो महत्वपूर्ण संविदाएं या समझौते या संव्यवहार निश्चित दूरी रखकर (आर्म्स लैंथ बेसिस पर) किए गए हैं, उनका ब्यौराः

Details of material contracts or arrangement or transactions at arm"s length basis for the financial year 01/04/2014 to 31/03/2015:

संबंधित पक्ष का (के) नाम Name(s) of the related party	संबंध की प्रकृति Nature of relationship	संव्यवहारों की अवधि Duration of the transactions	संविदाओं या समझौतों या संव्यवहारों की मूल्य, यदि कोई हो, सहित मुख्य हार्ते Salient terms of the contracts or arrangements or transactions including the value, if any	बोर्ड द्वारा अनुमोदन, यदि कोई हो, की तारीख (तारीखें) Date(s) of approval by the Board, if any	राशि ;लाख रूपए मेंद्र Amount (in INR Lacs)
संविदा की प्रकृति Nature of Contract					
इक्विटी लिखत में निवेश Investment in Equity Instrument					
द इंडस्ट्रीयल क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड The Industrial Credit Company Limited	अनुषंगी Subsidiary	लागू नहीं Not Applicable	लागू नहीं Not Applicable	टिप्पणी संख्या 1 देखें Refer Note No. 1	5.00
हैल्थ इंश्योरेंस टीपीए ऑफ इंडिया लिमिटेड Health Insurance TPA of India Ltd.	सहयोगी Associates	लागू नहीं Not Applicable	लागू नहीं Not Applicable	टिप्पणी संख्या 2 देखें Refer Note No. 2	475.00
इंडिया इंटरनेशनल इंश्योरेंस पीटीई लिमिटेड India International Insurance Pte. Ltd	सहयोगी Associates	लागू नहीं Not Applicable	लागू नहीं Not Applicable	टिप्पणी संख्या 3 देखें Refer Note No. 3	391.10
दिया गया अग्रिम Advances given					
द इंडस्ट्रीयल क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड The Industrial Credit Company Limited	अनुषंगी Subsidiary	31 मार्च, 2015 तक Upto 31 st March, 2015	अप्रत्याभूत Unsecured	टिप्पणी संख्या 4 देखें Refer Note No. 4	5.83
प्राप्त लाभांश Dividend Received					
इंडिया इंटरनेशनल इंश्योरेंस पीटीई लिमिटेड India International Insurance Pte. Ltd	सहयोगी Associates	लागू नहीं Not Applicable	लागू नहीं Not Applicable	लागू नहीं Not Applicable	356.80



टिप्पणी:

- 1. द इंडस्ट्रीयल क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड जीआईबीएनए -1972 के प्रभाव से द ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड की अनुषंगी कम्पनी है।
- हैल्थ इंश्योरेंस टीपीए ऑफ इंडिया लिमिटेड दिनांक 11 अप्रैल 2013 को आयोजित बोर्ड की 411वीं बैठक में निवेश के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया।
- 3. इंडिया इंटरनेशनल इंश्योरेंस पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर -मूल निवेश दिनांक 8 जनवरी, 1988 को किया गया और इसके बाद बोनस शेयर और अधिकार जारी किए गए।
- 4. कम्पनी ने दिनांक 15 जुलाइ, 2015 को आयोजित बैठक में बोर्ड का अनुमोदन मांगा।

ਵ. डॉ. ए.के. सक्सेना अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

Note:

- 1. The Industrial Credit Company Limited- is a subsidiary of The Oriental Insurance Company Limited by virtue of GIBNA-1972.
- 2. Health Insurance TPA of India Ltd- In Principle approval for investment was given at the 411th Board Meeting held on 11th April 2013.
- 3. India International Insurance Pte., Singapore-Original investment was made on 8th January, 1988 and was followed by Bonus shares and Rights issue
- 4. The Company sought approval of the Board in its Meeting held on 15th May, 2015.

-Sd/-

Dr. A. K. Saxena Chairman-cum Managing Director

फॉर्म संख्या एमजीटी.9 **FORM NO. MGT-9** वार्षिक रिटर्न का उद्धरण **EXTRACT OF ANNUAL RETURN**

दिनांक 31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्त वर्ष के अनुसार [कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 92(3) और कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 12(1)2, as on the financial year ended on 31st March, 2015 [Pursuant to section 92(3) of the Companies Act 2013 and rule 12(1) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014]

_	• 0	Companies (Management and Administr		100, 2011
I.		ण और अन्य विवरणः		
	REGIS	FRATION AND OTHER DETAILS:	I	
	i)	सीआईएनः		U66010DL1947GOI007158
		CIN :-		
	ii)	पंजीकरण की तारीख		12/9/1947
		Registration Date		
	iii)	कम्पनी का नाम		द ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी
		Name Of The Company		लिमिटेड
				THE ORIENTAL INSURANCE
				COMPANY LIMITED
	iv)	कम्पनी की श्रेणी/उप-श्रेणी		सरकारी कम्पनी
		Category/Sub-Category of The Company		Government Company
	v)	पंजीकृत कार्यालय का पता और सम्पक्र विवरण		''ओरिएण्टल हाउस''
		Address of the Registered office and contact details		ए—25 / 27 आसफ अली रोड,
				दिल्ली.110002,
				टेलीफोन / फैक्सः 011—23287204,
				वेबसाइटः
				WWW.ORIENTAL LIQUISE"
				"ORIENTAL HOUSE",
				A-25/27 ASAF ALI
				ROAD,DELHI-110002, TEL/FAX:
				011-23287204, WEB:WWW.
	di\	4	<u>-</u> : ,9:	ORIENTALINSURANCE.ORG
	vi)	क्या सूचीबद्ध कम्पनी है	हां / नहीं	नहीं
	::\	Whether listed company	Yes/No	NO
	vii)	पंजीयक और अंतरण अभिकर्ता, यदि कोई हो, का नाम, पता		लागू नहीं
		और सम्पक्र विवरण		N/A
		Name , Address and Contact details of Registrar and		
		Transfer Agent, if any		



कम्पनी की प्रमुख कारोबारी गतिविधियां PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY

कम्पनी की कुल टर्नओवर में 10% या इससे अधिक का योगदान देने वाली सभी कारोबारी गतिविधियों का उल्लेख किया जाएगा:-

All the business activities contributing 10% or more of the total turnover of the company shall be

	statea:-			
	क्र.सं.	मुख्य उत्पादों / सेवाओं का नाम और विवरण	उत्पाद / सेवा का	कम्पनी के कुल टर्नओवर
	SI No.	Name and Description of main products/services	एनआईसी कोड	में %
			NIC Code of the	% to total turnover of
			Product/service	the company
	1	गैर-जीवन बीमा	6512	100%
		NON-LIFE INSURANCE		
	2			
	3			

III. धारित, अनुषंगी और सहयोगी कम्पनियों का विवरण-PARTICULARS OF HOLDING, SUBSIDIARY AND ASSOCIATE COMPANIES-कम्पनी का नाम और पता सीआईएन / जीएलएन धारित / धारित शेयरों प्रयोज्य धारा क्र.सं. Name and Address of The CIN/GLN S. No. **Applicable** अनुषंगी / का % Company Section % of Shares सहयोगी Held Holding/ Subsidiary/ Associate U65921DL1930GOI000216 100% द इंडस्ट्रीयल क्रेडिट कम्पनी अनुषंगी धारा 2(87) SUBSIDIARY SEC 2(87) लिमिटेड पताः ''ओरिएण्टल हाउस'' ए-25 / 27 आसफ अली रोड, दिल्ली.110002 THE INDUSTRIAL CREDIT COMPANY LIMITED REGD **ADDRESS "ORIENTAL HOUSE"** , A-25/27 ASAF ALI ROAD, DELHI-110002 2 इंडिया इंटरनेशनल इंश्योरेंस सहयोगी 20% धारा 2(6) SEC 2(6) ASSOCIATE पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर INDIA INTERNATIONAL INSURANCE PTE. LTD., **SINGAPORE** 3 हैल्थ इंश्योरेंस टीपीए ऑफ U85100DL2013PLC256581 सहयोगी 23.75% धारा 2(6) SEC 2(6) ASSOCIATE इंडिया लिमिटेड **HEALTH INSURANCE TPA OF INDIA**



IV. शेयर धारिता पद्धति

SHARE HOLDING PATTERN

(कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी का ब्यौरा)

(Equity Share Capital Breakup as percentage of Total Equity)

- i) श्रेणी-वार शेयर धारिता

i) Category-wise Share Holding होयरधारकों की श्रेणी वर्ष के प्रारंभ में धारित होयरों की संख्या वर्ष के अंत में धारित होयरों की संख्या वर्ष व										
होयरधारकों की श्रेणी Category of Shareholders	No. of	ਸ਼ਾरंभ में धारि Shares hel ning of the	d at the	संख्या	No. of	वर्ष के अंत में धारित होयरों की संख्या No. of shares held at the end of the year				
	ਤੀਜੋਟ Demat	वास्तविक physical	ਗ ੁਲ Total	कुल रोयरों का % % of Total Share	ਤੀਜੇਟ Demat	वास्तविक physical	ਗ ੁਲ Total	कुल रोयरों का % % of Total Share	year	
क. प्रमोटर A. Promoters										
(1) भारतीय (1) Indian										
क) एकल / एचयूएफ a) Individual/HUF			0	0			0	0	0	
ख) केंद्रीय सरकार b) Central Govt.		150000000	150000000	100		200000000	200000000	100	0	
ग) राज्य सरकार (सरकारें) c) State Govt(s)			0	0			0	0	0	
घ) निगमित निकाय d) Bodies Corp.			0	0			0	0	0	
ड़) बैंक / वित्तीय संस्थान e) Banks/ FI			0	0			0	0	0	
च) कोई अन्य f) Any Other			0	0			0	0	0	
उप—योग (क)(1):— Sub-total (A) (1):-		150000000	150000000	100		200000000	200000000	100	0	
(2) विदेशी (2) Foreign										

THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LTD.



क) एनआरआई. एकल			0	0		0	0	0
a) NRIs- Individuals								
ख) अन्य—एकल b) Other-Individuals			0	0		0	0	0
ग) निगमित निकाय c) Bodies Corp.			0	0		0	0	0
घ) बैंक / वित्तीय संस्थान d) Banks/Fl			0	0		0	0	0
ड़) कोई अन्य e) Any Other			0	0		0	0	0
उप—योग (क)(2):— Sub-total (A) (2):-			0	0		0	0	0
प्रमोटरों की कुल शेयरधारिता Total Shareholding of Promoter								
क = (क) (1)+(A)(2) A= (A) (1)+(A)(2)	15000	00000 150	0000000	100	200000000	200000000	100	0
ख. सार्वजनिक शेयरधारिता B. Public Shareholding								
1. संस्थाएं 1. Institutions								
क) म्युचुअल फंड a) Mutual Funds			0	0		0	0	0
ख) बैंक / वित्तीय संस्थान b) Banks/FI			0	0		0	0	0
ग) केंद्रीय सरकार c) Central Govt				0		0	0	0
घ) राज्य सरकार (सरकारें) d) State Govt(s)			0	0		0	0	0
ड़) उद्यम पूंजी निधियां e) Venture Capital Funds			0	0			0	0
च) बीमा कम्पनियां f) Insurance Companies				0			0	0
छ) एफआईआई g) Flls				0			0	0



ज) विदेशी उद्यम पूंजी निधियां h) Foreign Venture Capital Funds			0				0	0
झ) अन्य (विनिर्दिष्ट करें) i) Others (Specify)			0				0	0
उप—योग (ख) (1):- Sub-total (B) (1):-	0	0	0		0	0	0	0
2. गैर—संस्थाएं								
क) निगमित निकाय a) Bodies Corp.								
i) भारतीय i) Indian		0				0		0
ii) पारसमुद्री ii) Overseas		0				0		0
ख) व्यक्तिगत b) Individuals								
प) रु. 1 लाख तक की सांकेतिक शेयर पूंजी धारित करने वाले एकल शेयरधारक i) Individual Shareholders holding nominal share capital upto Rs. 1 Lakh ii) रु. 1 लाख से अधिक सांकेतिक शेयर पूंजी धारित करने वाले एकल			0				0	
शेयरधारक ii) Individual Shareholders holding nominal share capital in excess of Rs. 1 Lakh								
ग) अन्य (विनिर्दिष्ट करें) c) Others (specify)								
उप—योग(ख)(2):— Sub-total (B) (2):-	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल सार्वजनिक शेयरधारिता Total Public Shareholding								



7	ख=(ख)(1)+(ख)(2)	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ग. जीडीआर और	0	0			0	0	0	0
τ	एडीआर के लिए								
7	कस्टोटियनों द्वारा								
8	धारित शेयर								
	C. SHARES HELD BY								
	CUSTODIAN FOR								
	GDRs & ADRs								
7	कुल योग								
((ख+ख+ग)*	150000000	150000000	100	0	200000000	200000000	100	0

^{*}वर्ष के दौरान, रु.10 / – प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त 5,00,00,000 बोनस शेयर, जिनका कुल योग रु. 50 करोड़ है, जारी और आवंटित किए गए।

- ii) प्रमोटरों की शेयरधारिता
- ii) Shareholding of Promoters

क्र. सं. SI No.	रोयरधारकों की श्रेणी Shareholders Name	वर्ष के प्रारंभ संख्या Shareholdin year		होयरों की ginning of the	वर्ष के अंत संख्या Shareholdir		वर्ष के दौरान परिवर्तन % % change in shareholding during the year	
		शेयरों की संख्या No. of Shares	कम्पनी के कुल रोयरों का % % of total Shares of the company	कुल शेयरों में से प्रतिभूत/ ऋणग्रस्त शेयरों का % % of shares Pledged/ encumbered to total shares	शेयरों की संख्या No. of Shares	कम्पनी के कुल शेयरों का % % of total Shares of the company	कुल होयरों में से प्रतिभूत/ ऋणग्रस्त होयरों का % % of shares Pledged/ encumbered to total shares	
1	भारत के राष्ट्रपति PRESIDENT OF INDIA	150000000	100	0	200000000	100	0	0
2								
3	Total	150000000	100	0	200000000	100	0	0

iii) प्रमोटरों की शेयरधारिता में परिवर्तन

^{*} During the year, 5,00,00,000 fully paid bonus shares of Rs. 10/- each aggregating to Rs. 50 crores were issued and allotted.

iii) Change in Promoters' Shareholding

क्र. सं. Sl No.		वर्ष की शुरूआत Shareholding at t the year		वर्ष के दोरान संचित होयरधारिता Cumulative Shareholding during t year		
		शेयरों की संख्या No. of Shares	शेयरों का %	शेयरों की संख्या No. of Shares	शेयरों का %	
			% of Total shares of the company		% of Total shares of the company	
	वर्ष की शुरुआत में At the beginning of the year	150000000	100	200000000	100	
	दिनांक 12 अगस्त, 2015 को आवंटित बोनस शेयरों की वजह से वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयरधारिता में वृद्धि	50000000	100			
	Increase in Promoters Shareholding during the year due to Bonus shares allotted on 12th August, 2015					
	वर्ष के अंत में At the End of the year	200000000	100	200000000	100	

iv) शीर्ष दस शेयरधारकों की शेयरधारिता पद्धति (निदेशकों, प्रमोटरों और जीडीआर और एडीआर के धारकों को छोड़कर): iv) Shareholding Pattern of top ten Shareholders (Other than Directors, Promoters and Holders of GDRs and ADRs):

क्र. सं.		वर्ष	की शुरूआत में	वर्ष के	दोरान संचित
SI No.			शेयरधारिता		यरधारिता
			eholding at the ning of the year		ve Shareholding ng the year
	शीर्ष 10 शेयरधारकों में से प्रत्येक के लिए	शेयरों की	कम्पनी के कुल शेयरों	शेयरों की	कम्पनी के कुल रोयरों
	For Each of the TOP 10 Shareholders	संख्या No. of Shares	का % % of total shares of the company	संख्या No. of Shares	का % %of total shares of the company
1	नाम Name				•
	वर्ष की शुरुआत में At the beginning of the year	0	0	0	0
	वृद्धि / कमी के कारणों (अर्थात् आवंटन / अंतरण / बोनस / स्वैट इक्विटी आदि) को विनिर्दिष्ट करते हुए वर्ष के दौरान तारीख वार वृद्धि / कमीः Date wise Increase/Decrease in Share holding during the year specifying the reasons for increase/decrease(e.g. allotment/transfer/bonus/sweat equity etc):	0	0	0	0
	वर्ष के अंत में (या पृथक्करण की तारीख पर, यदि पृथक्करण वर्ष के दौरान हुआ हो) At the End of the year (Or on the date of seperation, if seperated during the year)	0	0	0	0



क्र. सं. SI No.	वर्ष की शुरूआत में वर्ष के दौरान संचित Shareholding at the beg Cumulative Shareholdin	शेयरधारिता inning of the y			
	शीर्ष 10 शेयरधारकों में से प्रत्येक के लिए For Each of the TOP 10 Shareholders	होयरों की संख्या No. of Shares	कम्पनी के कुल रोयरों का % %of total shares of the company	शेयरों की संख्या No. of Shares	कम्पनी के कुल रोयरों का % %of total shares of the company
1	नाम Name				
	वर्ष की शुरुआत में At the beginning of the year	0	0	0	0
	वृद्धि / कमी के कारणों (अर्थात् आवंटन / अंतरण / बोनस / स्वैट इक्विटी आदि) को विनिर्दिष्ट करते हुए वर्ष के दौरान तारीख वार वृद्धि / कमीः Date wise Increase/Decrease in Share holding during the year specifying the reasons for increase/decrease(e.g. allotment/transfer/bonus/sweat equity etc):	0	0	0	0
	वर्ष के अंत में (या पृथक्करण की तारीख पर, यदि पृथक्करण वर्ष के दौरान हुआ हो) At the End of the year (Or on the date of seperation, if seperated during the year)	0	0	0	0

v) निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों ;केएमपीद्र की होयरधारिता v) Shareholding of Directors and Key Managerial Personnel:

17 Shareholding of Directors and Rey Manageri	arr croomic.			
प्रत्येक निदेशक और केएमपी के लिए	वर्ष की	शुरूआत में	वर्ष :	के दौरान संचित
For Each of the Directors and KMP	रोयर	एधारिता	शेयरधारिता	
	Shareho	lding at the	Cumulat	tive Shareholding
	beginning	g of the year	dui	ring the year
	रोयरों की	कम्पनी के कुल	शेयरों की	कम्पनी के कुल शेयरों
	संख्या	रोयरों का %	संख्या	का %
	No. of	% of total	No. of	% of total shares
	shares	shares of the	shares	of the company
		company		
वर्ष की शुरूआत में	0	0	0	0
At the beginning of the year				
वृद्धि/कमी के कारणों ;अर्थात् आवंटन/ अंतरण/बोनस/	0	0	0	0
स्वैट इक्विटी आदिद्ध को विनिर्दिष्ट करते हुए वर्ष के दौरान				
तारीख वार वृद्धि/कभीः				
Date wise Increase / Decrease in Share holding during				
the year specifying the reasons for increase / decrease				
(e.g. allotment / transfer / bonus/ sweat equity etc):				
वर्ष के अंत में	0	0	0	0
At the End of the year				

प्रत्येक निदेशक और केएमपी के लिए For Each of the Directors and KMP	वर्ष की शुरूआत में शेयरधारिता Shareholding at the beginning of the year शेयरों की कम्पनी के कुल संख्या शेयरों का % No. of shares of the company			ारिता hareholding he year कम्पनी के कुल
वर्ष की शुरुआत में At the beginning of the year		0		0
वृद्धि / कमी के कारणों (अर्थात् आवंटन / अंतरण / बोनस / स्वैट इक्विटी आदि) को विनिर्दिष्ट करते हुए वर्ष के दौरान तारीख वार वृद्धि / कमीः Date wise Increase / Decrease in Share holding during the year specifying the reasons for increase / decrease (e.g. allotment / transfer / bonus/ sweat equity etc):	0	0	0	0
वर्ष के अंत में At the End of the year		0		0

ऋणग्रस्तता

INDEBTEDNESS

बकाया/उपचित किंतु भुगतान के लिए अदेय ब्याज सहित कम्पनी की ऋणग्रस्तता Indebtedness of the Company including interest outstanding/ accrued but not due for payment

	जमा राशियों को छोड़कर प्रत्याभूत ऋण Secured Loans excluding deposits	अप्रत्याभूत ऋण Unsecured Loans	जमा राशियां Deposits	कुल ऋणग्रस्तता Total Indebtedness
वित्त वर्ष के प्रारम्भ में ऋणग्रस्तता Indebtedness at the beginning of the financial year				
i) मूल धनराशि i) Principal Amount	0	0	0	0
ii) देय किंतु अदा न किया गया ब्याज ii) Interest due but not paid	0	0	0	0
iii) उपचित किंतु अदेय ब्याज iii) Interest accrued but not due	0	0	0	0
कुल (i+ii+iii) Total (i+ii+iii)	0	0	0	0
वित्त वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन Change in indebtedness during the financial year				



* जमा	0	0	0	0
* Addition				
* घटा	0	0	0	0
* Reduction				
निवल परिवर्तन	0	0	0	0
Net Change				
वित्त वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता				
Indebtedness at the end of the financial year				
i) मूल धनराशि	0	0	0	0
i) Principal Amount				
ii) देय किंतु अदा न किया गया ब्याज	0	0	0	0
ii) Interest due but not paid				
iii) उपचित किंतु अदेय ब्याज	0	0	0	0
iii) Interest accrued but not due				
कुल (i+ii+iii)	0	0	0	0
Total (i+ii+iii)				

VI.	VI. निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL						
	क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों						
	A. Remuneration to Managing Dire						
SI	पारिश्रमिक का विवरण		पूर्णकालिक निदेशक/प्र		Total		
No.	Particulars of Remuneration	Name	of MD/WTD/Man		Amount		
		1 ¥ - >>-	2 a 0 0 0	3 ************************************			
		डॉ. ए. के. सक्सेना Dr A. K SAXENA	श्री कुलदीप सिंह Sh KULDIP SINGH				
1	सकल वेतन	DI AURO DI ALIA	JII KOLDII JII GII				
	Gross salary						
	(क) आयकर अधिनियम 1961 की धारा	2075652	1591070	1096226	4762948		
	17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार						
	वेतन						
	(a) Salary as per provisions						
	contained in section 17(1) of the						
	Income Tax Act 1961						
	(ख) आयकर अधिनियम 1961 की धारा	175594	141537	158231	475362		
	17(2)के अधीन पूर्वापेक्षाओं का मूल्य						
	(b) Value of perquisites u/s 17(2)						
	of the Income Tax Act 1961				0		
	(ग) आयकर अधिनियम 1961 की धारा				0		
	17(3) के अधीन वेतन के बदले लाभ						
	(c) Profits in lieu of salary u/s 17(3) of						
2	the Income Tax Act 1961 स्टॉक विकल्प				0		
_	Stock Option				U		
3	स्वैट इक्विटी				0		
	Sweat Equity						



4	कमीशन				
	Commission				
	–लाभ के % के तौर पर				0
	- as % of Profit				
	–अन्य, विनिर्दिष्ट करें				0
	- others, specify				
5	अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें				0
	Others, please specify				
	Total (A)	2251246	1732607	1254457	5238310
	Ceiling as per the Act				

ख. अन्य निदेशकों का पारिश्रमिकरू

B. Remuneration to Other Directors:

क्र.सं. SI No.	पारिश्रमिक का विवरण Particulars of Remuneration	प्रबंध निदेश		कुल राशि Total Amount		
		1	2	3	5	
1.	स्वतंत्र निदेशक Independent Directors	SMT. KAUSHALYA ROY	SH VIJAY GARG	SH AMARDEEP SINGH BALI		
	*बोर्ड की समितियों की बैठक	168000	65000	80000		313000
	में उपस्थित होने के लिए					
	शुल्क					
	*Fee for attending Board committee meetings					
	*कमीशन					0
	*Commission					0
	*अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें *Others, please specify					U
	कुल (1) Total (1)	168000	65000	80000		313000
2.	अन्य गैर—कार्यपालक निदेशक Other Non-Executive Directors	SH SHYAM LAL BANSAL	DR. N. SRINIVASA RAO	SH JATINDERBIR SINGH		
	*बोर्ड की समितियों की बैठक	0	0	0		0
	में उपस्थित होने के लिए	· ·	ŭ	O		
	शुल्क					
	*Fee for attending Board					
	committee meetings					
	*कमीशन					0
	*Commission					
	*अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें					0
	*Others, please specify	0	0			
	कुल (2) Total (2)	0	0	0		0
	কুল (ख)=(1+2) Total (B)=(1+2)	168000	65000	80000		313000
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक					5551310
	Total Managerial Remuneration					
	अधिनियम के अनुसार सीमा Ceiling as per the Act					



ग. प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/प्रबंधक से अन्य प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक C. Remuneration to Key Managerial Personnel other than MD/Manager/WTD

C. Remuneration to Key Managerial Personnel other than MD/Manager/WTD							
क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक					
SI. No.	Particulars of Remuneration		Key Mana	gerial Personne	el		
		सीईओ	कम्पनी सचिव	मुख्य वित्त	कुल		
		CEO	COMPANY	अधिकारी	Total		
			SECRETARY	CFO			
1	सकल वेतन						
	Gross Salary						
	(क) आयकर अधिनियम 1961 की		1217270	1405171	2622441		
	धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार						
	वेतन						
	(a) Salary as per provisions contained						
	in section 17(1) of the Income-tax Act,						
	1961						
	(ख) आयकर अधिनियम 1961 की		38306	122843	161149		
	धारा 17(2) के अधीन पूर्वापेक्षाओं का मूल्य						
	(b) Value of perquisites u/s 17(2) of the						
	Income -tax Act, 1961						
	(ग) आयकर अधिनियम 1961 की				0		
	धारा 17(3) के अधीन पूर्वापेक्षाओं का मूल्य						
	(c) Profits in lieu of salary u/s 17(3) of						
	the Income Tax Act 1961						
2	स्टॉक विकल्प				0		
	Stock Option						
3	स्वैट इक्विटी				0		
	Sweat Equity						
4	कमीशन						
	Commission						
	—लाभ के % के तौर पर				0		
	- as % of Profit						
	–अन्य, विनिर्दिष्ट करें				0		
	- others, specify						
5	अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें				0		
	कुल	0	1255576	1528014	2783590		
	Total						



अधिकारियों की शास्तियां/दंड/कम्पाउंडः

PENALTIES/ PUNISHMENT/ COMPOUNDING OF OFFENCES:

प्रकार Type	कम्पनी अधिनियम की धारा Section of the Companies Act	संक्षिप्त विवरण Brief Description	लगाई गई ग्रास्तियों/ दंड/ कम्पाउंड ग्रुल्क का ब्यौरा Details of Penalty/ Punishment/ Compounding fee imposed	प्राधिकरण [आरडी/ एनसीएलटी/ न्यायालय] Authority [RD/ NCLT/COURT]	की गई अपील, यदि कोई हो (ब्यौरा दें) Appeal made if any (give Details)
क. कम्पनी A. COMPANY					
शास्ति Penalty		कम्पनी अधिनियम के अधीन कोई शास्ति नहीं लगाई गई No Penalty imposed under Companies Act			
दंड Punishment					
जब्ती Compounding					
ख. निदेशक B. DIRECTORS					
शास्ति Penalty		कम्पनी अधिनियम के अधीन कोई शास्ति नहीं लगाई गई No Penalty imposed under Companies Act			
दंड Punishment					
जब्ती Compounding					
ग. अन्य चूककर्ता अधिकारी C. OTHER OFFICERS IN DEFAULT					
शास्ति Penalty		No Penalty imposed under Companies Act			
दंड Punishment					
शास्ति Compounding					



अनुबंध बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल किए जाने के लिए सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट

1. कम्पनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा जिसमें आरंभ की जाने के लिए प्रस्तावित परियोजनाओं या कार्यक्रमों का अवलोकन और सीएसआर नीति और परियोजनाओं या कार्यक्रमों के वेब लिंक में संदर्भ शामिल है ।

कम्पनी की सीएसआर नीति नीति को बोर्ड की सीएसआर उप समिति द्वारा दिनांक 23 सितंबर, 2014 को आयोजित अपनी बैठक में तथा निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 25 सितंबर, 2014 के परिपत्र संकल्प संख्या ठ.8ध्2014 द्वारा अनुमोदित किया गया था।

सीएसआर नीति कम्पनी के विजन के अनुरूप है और इसमें बडे पैमाने पर समाज और उन लोगों के लाभों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है जिन्हें विशेष सहायता की आवश्यकता है।

सीएसआर नीति का फोकस सीएसआर संबंधी पहलों पर है जो ओरिएण्टल इंश्योरेंस के लिए सामुदायिक साख सृजित करती हैं और कम्पनी की सकारात्मक और सामाजिक दिष्टकोण उत्तरदायी छवि निर्मित करने में सहायता करते हैं ।

नीति में जिन क्षेत्रों पर जोर दिया गया है वे कम्पनी अधि ानियम, 2013 की अनुसूची टप्प के अनुपालन में हैं। सभी प्रस्तावित परियोजनाएं कम्पनी अधिनियम की अनुसूची टप्प पर भी आधारित हैं।

सीएसआर नीति में प्रचालनिक कार्यविधियों के लिए दिशानिर्देश प्रख्यापित किए गए हैं। सीएसआर रणनीति और वार्षिक कार्रवाई योजना सीएसआर नीति के आधार पर तैयार की गई हैं।

सीएसआर रणनीति दस्तावेज और वार्षिक कार्रवाई योजना को सीएसआर समिति द्वारा दिनांक 23 सितंबर, 2014 को आयोजित अपनी 2सरी बैठक में भी अनुमोदित किया गया था।

कम्पनी ने अपने वेब पोर्टल के होम पेज "www. orientalinsurance.org.in" पर 'सीएसआर' के अधीन एक वेब लिंक सृजित किया है।

ANNEXURE

ANNUAL REPORT ON CSR ACTIVITIES TO BE INCLUDED IN THE BOARD'S REPORT

1. A brief outline of the Company's CSR Policy including overview of projects or programs proposed to be undertaken and a reference in the web-link to the CSR Policy and projects or programs.

The CSR Policy of the Company was approved by the CSR Sub committee of the Board in its meeting held on 23rd September, 2014 and Board of Directors vide circular resolution no. B-8/2014 dated 25th September, 2014.

The CSR Policy is in alignment with the Vision of the Company and focuses on the benefits of society at large and those who need special assistance.

The CSR Policy focuses on CSR Initiatives which create a community goodwill for ORIENTAL INSURANCE and help to build a positive and socially responsible image of the Company.

The Thrust Area selected in the Policy are in compliance with the Schedule VII of the Company's Act, 2013. All the project proposed are also based on the Schedule VII of the Company's Act.

The guidelines for operational modalities have been spelt out in the CSR Policy. The CSR Strategy and Annual Action Plan are worked out based on the CSR Policy.

CSR Strategy document and Annual Action Plan was also approved by CSR Sub-Committee on 2nd CSR Committee Meeting held on 23rd September, 2014.

The Company created a web link under 'CSR' head on the company's web portal home page "www.orientalinsurance.org.in'

2. The composition of the CSR Committee.

The CSR Committee, a sub-committee of



2. सीएसआर समिति की संरचना

निदेशक मंडल की एक उप-समिति, सीएसआर समिति का गठन कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 में निहित दिशानिर्देशों के अनुसार दिनांक 24 अप्रैल, 2014 को आयोजित निदेशक मंडल की 419वीं बैठक में किया गया था जिनमें निम्न शामिल हैं:

क्र.सं.	समिति का गठन	समिति के सदस्यों के
		नाम
1.	पदेन निदेशक	सुश्री कौशल्या रॉय,
		समिति की अध्यक्ष
2.	पदेन निदेशक	श्री एएस बाली, सदस्य
3.	निदेशक *	श्री एस.एल. बंसल,
		सदस्य
4.	पूर्णकालिक निदेशक	श्री कुलदीप सिंह, सदस्य
	, ,	

डॉ. ए.के. सक्सेना, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, डॉ. एन. श्रीनिवास राव, निदेशक, श्री विजय गर्ग, निदेशक और श्री नीरज कुमार और महाप्रबंधक (सीएसआर) इस समिति के स्थायी आमंत्रित सदस्य हैं। श्री एस एल बंसल अधिवार्षिता की आयु होने के बाद दिनांक 30.09.2014 को कम्पनी के बोर्ड में निदेशक के रूप में अपने कार्यकाल की समाप्ति के परिणामस्वरूप समिति के सदस्य नहीं रहे।

3. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए कम्पनी का औसत विवल लाभ

the Board of Directors was formed in Board Meeting No. 419th held on 24th April, 2014 as per guidelines in Section 135 of Companies Act, 2013 consisting of the following:

S.	Constitution of the	Name of the Committee
No.	Committee	member
1.	Non-Officio Director	Ms. Kaushalya Roy,
		Chairman of the
		Committee
2.	Non-Officio Director	Sh. AS Bali, Member
3.	Director *	Sh. S L Bansal, Member
4.	Whole time Director	Sh. Kuldip Singh,
		Member

Dr. A.K. Saxena, Chairman-cum-Managing Director, Dr. N. Srinivasa Rao, Director, Sh. Vijay Garg, Director and Sh. Niraj Kumar and General Manager (CSR) are permanent invitees to the Committee.

* Shri S L Bansal ceased to be a Committee member consequent to ending of his term as Directors' of Company's Board on 30.09.2014 after attaining age of superannuation.

3. Average net profit of the company for last three financial years.

	2011-12	2012-13	2013-14	TOTAL
	(लाख रू. में)	(लाख रू. में)	(लाख रू. में)	(लाख रू. में)
	(Rs. In lacs)	(Rs. In lacs)	(Rs. In lacs)	(Rs. In lacs)
	36634	79474	66073	182181
घटाएं: पारसमुद्रीय प्रचालनों से लाभ	1475	4906	6311	12692
Less: Profit from overseas operations				
घटाएं: (वित्तीय वर्ष 2011—12 के वित्त वर्ष 2013—14 के लिए)				50635
पहले से ही सीएसआर में लगी कंपनियों से लाभांश आय				
Less: Dividend income from Companies already				
engaged in CSR (For FY's 2011-12 to 2013-14)				
अंतिम परिणाम				118854
FINAL RESULT				
तीन वर्ष का कुल परिणाम				118854
Total result of three FY's				
तीन वर्ष का औसत परिणाम				39618
Average Result of Three FY's				
पिछले तीन वर्षो. का औसतन दो %				792
Two % of Average result of last three years				



4. निर्धारित सीएसआर व्यय (उपयुक्त मद 3 में दिए अनुसार राशि का दो प्रतिशत)

वित्त वर्ष 2014.15 के लिए सीएसआर संस्वीकृत बजट रु. 7.92 करोड था।

- 5. चालू वर्ष के दौरान सीएसआर खर्च का ब्यौरा
 - क. वित्त वर्ष के लिए खर्च की जाने वाली कुल राशिः रु. 7.92 करोड
 - ख. खर्च न की गई राशि, यदि कोई हो: रु. 691 लाख की कुल अनुमोदित राशि में से रु. 231.50 लाख की राशि 31.03.2015 तक खर्च नहीं की जा सकी क्योंकि प्रस्ताव प्रक्रियाधीन थे। रु. 701 लाख की राशि किसी विनिर्दिष्ट प्रस्ताव के लिए आवंटित नहीं की गई।
 - ग. वित्तीय वर्ष के दौरान जिस तरीके से राशि खर्च की गई उसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

4. Prescribed CSR expenditure (two per cent of the amount as in item 3 above)

Rs. 7.92 crores was the sanctioned CSR Budget for the Financial Year 2014-15.

- 5. Details of CSR spent during the financial year.
 - a. Total amount to be spent for the financial year: Rs. 7.92 crores
 - b. Amount unspent, if any: Out of total approved amount of Rs. 691 lakhs an amount of Rs. 231.50 lakhs could not be spent till 31.03.2015 as the proposals were under process. An amount of Rs.101 lakhs was not allocated for any specific proposal.
- c. Manner in which the amount spent during the financial year is detailed below:

क्र. सं. S. No	चिह्नित की गई सीएसआर परियोजना या गतिविधि CSR Project or activity identified	वह सेक्टर जिसमें परियोजना आती है Sector in which the Project is covere d.	परियोजना या कार्यक्रम 1. स्थानीय क्षेत्र या अन्य 2. वह जाज्य और जिला विनिर्देश्ट करें जिसमें परियोजनाएं या कार्यक्रम हाथ में लिए गए Projects or programs 1. Local area or other 2. Specify the State and district where projects or programs was undertaken	राहि। परिव्यय (बजट) परियोजना या कार्यक्रमवा (लाख में) Amount outlay (budget) project or programs wise (in lacs)	परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर खर्च की गई राशि उप-शीर्शः 1. परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर प्रत्यक्ष व्यय 2. उपरी खर्चे (लाख में) Amount spent on the projects or programs sub- heads: 1. Direct expenditure on projects or programs 2. Overheads (in lacs)	प्रतिवेदन अवधि तक संचित व्यय Cumulative expenditure upto to the reporting period	खर्च की गई राशिः प्रत्यक्ष या कार्याक्वयन एजेंसी के माध्यम से (लाख में) Amount spent: Direct or through impleme nting agency (in lacs)
1.	भौक्षणिक दौरे Educational Trips		Delhi State	10	7.50	7.50	7.50
2.	स्वच्छ विद्यालय अभियान में योगदान Contribution to Swacch Vidyalaya Campaign			150	150	150	150
3.	जम्मू क मीर के बाढ़ पीड़ितों के लिए योगदान Contribution to J & K Flood Victims		Jammu	100	100	100	100



4.	आंध्र प्रदे ा मुख्यमंत्री राहत निधि में, हुद हुद तूफान योगदान Contribution to Andhra Pradesh CM Relief Fund, HUD HUD Cyclone		ndhra adesh	100	100	100	100
5.	असम और मेघालय राहत निधि में योगदान Contribution to Assam and Meghalaya Relief Fund	_	sam eghalaya	50	50	50	50
6.	स्वच्छ गंगा निधि Clean Ganga Fund			50	50	50	50
1.	*वृद्धाश्रमों में योगदान *Contribution to old Age homes	De	elhi	25	0	0	0
8.	*कुड़ाघरों के लिए योगदान *Contribution to Garbage bins	De	elhi	50	0	0	0
9.	पीएमजेडीवाई में योगदान — बीमा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना Contribution to PMJDY- Holding of Insurance Awareness Program			50	2	2	2
10.	*एनआईए पुणे में योगदान *Contribution to NIAPune	Ma	aharashtra	106	0	0	0
	कुल TOTAL			691	459.5	459.5	459.5

कार्यान्वयन एजेंसी का ब्यौरा दें: लागू नहीं

Give details of implementing agency: Not Applicable

- * प्रस्ताव बोर्ड की सीएसआर समिति द्वारा अनुमोदित हैं और प्रक्रियाधीन हैं।
- * Proposals are approved by the CSR Committee of the Board and are under process.



6. कम्पनी के पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत निवल ला<mark>भ</mark> का दो पतिशत या इसके भाग को खर्च करने में विफल रहने की स्थिति में, कम्पनी अपने बोर्ड प्रतिवेदन में राशि खर्च न करने कारण प्रस्तृत करेगी।

चूंकि यह कार्यान्वयन का पहला वर्ष है, अतः सीएसआर समिति ने रु. 691 लाख की राशि के प्रस्ताव अनुमोदित किए, जिसमें से रु. लाख 459.50 खर्च किए गए। रु. लाख की राशि 101 अनावंटित रही। सीएसआर समिति ने दिनांक 19.03.2015 को आयोहित अपनी बैठक में खर्च न की गई राशि को आगे ले जाए जाने और अनावंटित राशि को अगले वित्तीय वर्ष में ले जाने का निदेश दिया (रु. 231.50 लाख + 101 लाख = कुल रु. 332.50 लाख)

7. सीएसआर समिति का उत्तरदायित्व कथन कि सीएसआर नीति का कार्यान्वयन और मॉनीटरिंग सीएसआर के उद्देश्यों और कम्पनी की नीति के अनुपालन में है। सीएसआर समिति उल्लेख करती है कि सीएसआर नीति का कार्यान्वयन और मॉनीटरिंग सीएसआर के उद्देश्यों और कम्पनी की नीति के अनुपालन में है।

(मुख्य कार्यकारी अधिकारी या प्रबंध निदेशक या निदेशक) (अध्यक्ष सीएसआर समिति)

(अधिनियम की धारा 380 की उप-धारा (i) के खंड (घ) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति) (जहां कहीं लागू हो)

6. In case the company has failed to spend the two percent of the average net profit of the last three financial years or any part thereof, the company shall provide the reasons for not spending the amount in its **Board report.**

This being the first year of implementation the CSR Committee approved proposals amounting to Rs. 691 lacs, out of which Rs./ 459.50 lacs was spent. An amount of Rs. 101 lacs remained unallocated. The CSR Committee in its meeting held on 19.03.2015 directed to carry forward the unspent and unallocated amount to next Financial Year.

(amounting to Rs. 231.50 lakhs+101 lakhs = total Rs. 332.50 lakhs)

7. A responsibility statement of the CSR Committee that the implementation and monitoring of CSR Policy, is in compliance with CSR Objectives and Policy of the Company.

The CSR Committee states that implementation and monitoring of CSR Policy, is in compliance with CSR Objectives and Policy of the Company.

(Chief Executive-Officer or Managing Director or Director)

(Chairman CSR"Committee) (Person specified under clause(d) sub-section(i) of section 380 of the Act) (Wherever applicable)

जयंत गुप्ता एंड एसोशिएट्स कम्पनी सचिव फार्म संख्या एमआर-3

सचिवालयी लेखा परीक्षा प्रतिवेदन; दिनांक 31 मार्च, 2015को समाप्त वित्त वर्ष के लिए) ख्कम्पनी अधिनियम, 2013 की ध ारा 204(1) औरकम्पनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम संख्या 9 के अनुसरण में

सेवा में. सदस्यगण दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड ए-25 / 27, आसफ अली रोड नई दिल्ली 110002

मैंने दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड (जिसे यहां इसके बाद ''कम्पनी'' / ''ओआईसीएल'' कहा गया है) द्वारा उत्तम निगमित परिपाटियों के अनुपालन और प्रयोज्य सांविधि ाक प्रावधानों के अनुपालन की सचिवालयी लेखा परीक्षा की है। सचिवालयी लेखा परीक्षा ऐसे तरीके से की गई जिससे हमें निगमित आचरणों / सांविधिक अनुपालनों के लिए औचित्यपूर्ण आधार और उन पर मेरा मत व्यक्त करने का औचित्यपूर्ण आधार मुहैया हुआ।

दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड की बहियों, पत्रों, कार्यृत्त पुस्तिकाओं, प्रपत्रों, और प्रस्तुत की गई विवरणियों तथा कम्पनी द्वारा अनुरक्षित अन्य अभिलेखों के अपने सत्यापन के आधार पर और सचिवालयी लेखा परीक्षा के दौरान कम्पनी. इसके अधिकारियों, एजेंटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा मुहैया कराई गई सूचना के आधार पर भी, मैं एतद्द्वारा रिपोर्ट करता हूँ कि मेरे मतानुसार, कम्पनी ने दिनांक 31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्त वर्ष को आच्छादित करने वाली लेखा परीक्षा अवधि के दौरान यहां नीचे दिए गए सूचीबद्ध सांवधिक प्रावधानों का अनुपालन करता है और यह भी कि कम्पनी में यहां इसके पश्चात प्रतिवेदन की सीमा, तरीके और अध्यधीन समीचीन बोर्ड-प्रक्रियाएं और अनुपालन-व्यवस्था मौजूद हैरू

1. मैंने निम्न के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2015 को समाप्त अवधि के लिए ओआईसीएल बहियों, पत्रों, कार्युत्त पुस्तिकाओं, प्रपत्रों, और प्रस्तुत की गई विवरणियों तथा कम्पनी द्वारा अनुरक्षित अन्य अभिलेखों की जांच की हे:

JAYANT GUPTA & ASSOCIATES COMPANY SECRETARIES FORM NO. MR-3

Secretarial Audit Report (For the Financial Year ended 31st March, 2015) [Pursuant to Section 204(1) of the Companies Act, 2013 and Rule No. 9 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014]

To, **The Members The Oriental Insurance Company Limited** A-25/27, Asaf Ali Road New Delhi 110002

I have conducted the secretarial audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by The Oriental Insurance Company Limited (hereinafter called "the Company" / "OICL"). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing my opinion thereon.

Based on my verification of The Oriental Insurance Company Limited's books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Company and also the information provided by the Company, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of secretarial audit, I hereby report that in my opinion, the Company has, during the audit period covering the Financial Year ended on 31st March, 2015, complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Company has proper Boardprocesses and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

1. I have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by OICL for the period ended on 31st March, 2015 according to the provisions of:



- I. कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और इसके अधीन बनाए गए नियमय
- II. विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा तक इसके अधीन बनाए गए नियम और विनियमय
- III. सामान्य बीमा कारोबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972य बीमा अधिनियम, 1938 और भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999और इनके अधीन बनाए गए नियम

इसके अतिरिक्त, एक असूचीबद्ध कम्पनी होने के नाते, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड अधिनिमय, 1992, प्रतिभृति संविदाएं (विनियम) अधिनियम, 1956, और निक्षेपागार अधिनियम, 1996 के अधीन निर्धारित विनियम और दिशानिर्देश कम्पनी पर लागु नहीं होते।

मैंने निम्नलिखित प्रयोज्य खंडों के अनुपालन की जांच भी की हः

भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवालयी मानक।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कम्पनी ने निम्नलिखित अवलोकनों के अध्यधीन उपरोल्लिखित अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि का अनुपालन किया है:

1. ओआईसीएल बीमा क्षेत्र की एक सरकारी कम्पनी है और यह आईआरडीएआई और ऐसी प्रयोज्य विधियों द्वारा भी भासित होती है।सामान्य बीमा कारोबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 16(स)(घ) और 16(स)(ड.) के प्रावधानों और कम्पनी के संगम अनुच्छेदों के प्रावधानों के अंतर्गत केंद्रीय सरकार के पास कम्पनी के निदेशक मंडल की संचरना पर निर्णय करने की एकमात्र भावित अर्थात निदेशक मंडल की नियुक्ति और इसे हटाने की भाक्ति है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान बोर्ड की संरचना निम्नानुसार थी:

- I. The Companies Act, 2013 (the Act) and the Rules made thereunder:
- II. Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Rules and Regulations made thereunder to the extent of Overseas Direct Investment:
- III. General Insurance **Business** (Nationalisation) Act, 1972; the Insurance Act, 1938 and the Insurance Regulatory and Development Authority of India Act, 1999 and the Rules and Regulations made thereunder.

Further, being an Unlisted Company, the regulations and guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992, The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 and The Depositories Act, 1996 are not applicable on the Company.

- I have also examined compliance with the applicable clauses of the following:
- i) Secretarial Standards issued by The Institute of Company Secretaries of India.

During the period under review the Company has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. mentioned above subject to the following observations:

1. The OICL is a Government Company in the Insurance Sector and is also governed by IRDAI and similar applicable laws. Under the provisions of Sections 16(l)(d) and 16(l)(e) of the General Insurance Business (Nationalisation) Act, 1972 and the Articles of Association of the Company, the Central Government has the sole power to decide upon the composition of the Board of Directors of the Company, i.e. power to appoint and remove Directors on the Board. The composition of the Board during the period under review was as under:

क्र. सं. Sr. No.	व्यक्ति का नाम '' Name Of Person**	नियुक्ति की तारीख Date of Appointment	समाप्ति की तारीख Date of cessation	नामांकन और आधिकारिक क्षमता Designation & Official Capacity
1	डॉ अजित कुमार सक्सेना Dr Ajit Kumar Saxena	12/06/2012		अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (कार्यकारी निदेशक) Chairman Cum Managing Director (Executive Director)
2	श्री जतिंदरबीर सिंह Mr. Jatindirbir Singh	23/03/2015		निदेशक;गैर—कार्यकारी नामांकित निदेशकद्ध Director (Non-Executive Nominee Director
3	श्री कुलदीप सिंह Mr Kuldip Singh	17/10/2013		पूर्ण कालिक निदेशक (कार्यकारी निदेशक) Whole Time Director (Executive Director)
4	डॉ. श्रीनिवास राव नागार्जुन Dr Srinivasa Rao Nagarjuna	18/07/2013		निदेशक (गैर—कार्यकारी नामांकित निदेशक) Director (Non-Executive Nominee Director)
5	श्री श्याम लाल बन्सल Mr Shyam Lai Bansal	13/12/2012	30/09/2014	निदेशक (गैर—कार्यकारी नामांकित निदेशक) Director (Non-Executive Nominee Director)
6	सुश्री कौश्लया रॉय* Ms. Kaushalya Roy*	19/12/2012		अंशकालिक पदेन निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) Part Time Ex- Officio Director (Independent Director)
7	श्री विजय कुमार गर्ग* Mr. Vijay Kumar Garg*	19/02/2013		अंशकालिक पदेन निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) Part Time Ex- Officio Director (Independent Director)
8	श्री अमरदीप सिंह बाली* Mr. Amardeep Singh Bali*	11/07/2013		अंशकालिक पदेन निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) Part Time Ex- Officio Director (Independent Director)
9	श्री सुजय बनर्जी Mr. Sujay Banarji	17/07/2014		पूर्ण कालिक निदेशक (कार्यकारी निदेशक) Whole Time Director (Executive Director)

^{*}अंशकालिक पदेन निदेशकों' के रूप में नियुक्त निदेशकों को स्वतंत्र निदेशक माना जाता है।

<mark>*अंशकालिक पदेन निदेशकों' के रूप में नियुक्त निदेशकों को निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक माना जाता है क्योंकि वे</mark> किसी भी सरकारी निकाय या उपक्रम में कोई पद या नियुक्ति धारित नहीं करते।

^{*}The directors appointed as 'part time non officiating directors' are regarded as Independent

^{*}The directors appointed as 'part time non of ficiating directors' are regarded as Independent Director on the Board as they do not hold any position or employment with any Government body or undertaking.



- 2. समीक्षाधीन अवधि के दौरान कम्पनी ने, अपनी ओर से दिन प्रतिदिन प्रचालनिक व्ययों के माध्यम से, अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कम्पनी, इंडस्ट्रीयल क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड को अप्रत्याभृत ऋण प्रदान किए हैं, क्योंकि अनुषंगी कम्पनी कोई कारोबार नहीं कर रही है। इसके अतिरिक्त इन संबंधित पक्षकरा संव्यवहारों को निदेशक मंडल और इसकी समितियों द्वारा अनुमोदित किया जाना था। इसके अतिरिक्त, इन संबंधित पक्षकार संव्यवहारों को कम्पनी के बोर्ड और इसकी समितियों द्वारा अनुमोदित किया जाना था।
- 3. मैं आगे रिपोट्र करता हूँ कि:
 - क. कम्पनी के निदेशक मंडल की विधिवत संरचना कार्यकारी निदेशकों, गैर-कार्यकारी निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों के उपयुक्त संतुलन सहित की गई है।
 - ख. निदेशक मंडल की संरचना में समीक्षाधीन अवधि मे हुए परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन करते हए किए गए थे।
 - ग. बोर्ड की बैठकों को निर्धारित करने के लिए, सभी निदेशकों को सात दिन अग्रिम रूप से कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत टिप्पणियां देने के लिए पर्याप्त सूचना प्रदान की गई है और बैठक से पूर्व कार्यसूची की मदों पर आगे सूचना और स्पष्टीकरण मांगने और हासिल करने के लिए और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए प्रणाली विद्यमान है।
 - घ. बहुमत से लिए गए निर्णयों को कार्यान्वित किया जाता है जबकि असहमत सदस्यों के मदों को रख कर कार्यवृत्त के भाग के रूप में अभिलेखबद्ध कर लिया जाता है।

में आगे रिपोट्र करता हूं किकम्पनी में प्रयोज्य विधियों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों का अनुपालन और इसकी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए कम्पनी के आकार और प्रचालनों के अनुरूप पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं विद्यमान हैं। तथापि, समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कम्पनी के निदेशक मंडल को कम्पनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियमावली, 2013 के नियम 13 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की ध गरा 143 के अंतर्गत आने वाली धोखाधडी का एक दुष्टांत सूचित किया गया था जिस पर बोर्ड द्वारा उपयुक्त कार्यवाई 2. During the year under review, the Company has provided unsecured loans to Industrial Credit Company Limited, a wholly owned subsidiary company, by way of day to Day operational expenses borne for and on their behalf as the subsidiary company is not transacting any business. Further, these related party transactions were to be approved the Board of the Company and its committees.

3. I further report that:

- a. The Board of Directors of the Company is duly constituted with proper balance of Executive Non-Executive Directors Directors, Independent Directors.
- b. The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the provisions of the Act.
- c. Adequate notice is given to all directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda were sent at least seven days in advance, and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.
- d. Majority decision is carried through while the dissenting members' views are captured and recorded as part of the minutes.

I further report that there are adequate systems and processes in the company commensurate with the size and operations of the Company to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines. However, during the period under review, an instance of fraud covered under Section 143 of the Companies Act, 2013 read with Rule 13 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2013 was reported to the Board of Directors of the Company, which has been suitably acted upon by the Board.

I further report that the Company has, in my



की जा चुकी

में आगे रिपोट्र करता हूँ किकम्पनी ने मेरे मतानुसार और उपरोल्लिखत अवलोकनों के अध्यधीन, लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कम्पनी अधिनियम, 1956 और अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों निम्न के संबंध में निगमित कार्य मंत्रालय द्व ारा यथा अधिसूचित कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानोंऔर कम्पनी के ज्ञापन और संगम अनुच्छेदों के प्रावधानों का अनुपालन किया है:

- क. विभिन्न सांविधिक रजिस्टरों और दस्तावेजों का अनुरक्षण और इनमें आवश्यक प्रविष्टियां करनाः
- ख सदस्यों के रजिस्टरों का क्लोजर
- ग. कम्पनी रजिस्ट्रार और केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित प्रपत्र, विवरणियां और संकल्पः
- घ. कम्पनी द्वारा अपने सदस्यों, लेखा परीक्षकों और कम्पनी रजिस्ट्रार द्वारा दस्तावेजों का शोधन;
- ड. बोर्ड की बैठकें और निदेशकों की समितियों की बैठकें:
- च. बोर्ड की बैठकें और निदेशकों की समितियों की बैठकें जिनमें परिचालन द्वारा संकल्पों को पारित किया जाना शामिल है:
- छ. वार्षिक आम सभा का आयोजन:
- ज. आम सभा और बोर्ड और इसकी समितियों की बैठकों की कार्यवाहियों का कार्यवृत्त अभिलेखबद्ध करना;
- झ. जहां कहीं अपेक्षित हो, सदस्यों, निदेशक मंडल, निदेशकों की समितियों और सरकारी प्राधिकरणों के अनुपोदन प्राप्त करना:
- निदेशक मंडल / निदेशकों की समिति (समितियों का गठनद्ध, प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशकों सहित निदेशकों की नियुक्ति, सेवानिवृत्ति और पुनः नियुक्ति;
- ट. प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशकों सहित निदेशकों को पारिश्रमिक का भुगतान;
- लेखा परीक्षकों और लागत लेखा परीक्षकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक:
- ड. कम्पनी के शेयरों का अंतरण और शेयर प्रमाणपत्रों का निर्गमन और डिस्पेच

opinion and subject to the above mentioned observations, during the audit period complied with the provisions of the Companies Act, 1956 and the Rules made under that Act and the provisions of Companies Act, 2013 as notified by Ministry of Corporate Affairs and the Memorandum and Articles of Association of the Company, with regard to:

- a) maintenance of various statutory registers and documents and making necessary entries therein;
- b) closure of the Register of Members;
- c) forms, returns, documents and resolutions required to be filed with the Registrar of Companies and the Central Government;
- d) service of documents by the Company on its Members, Auditors and the Registrar of Companies;
- e) notice of Board meetings and Committee meetings of Directors;
- f) the meetings of Directors and Committees of Directors including passing of resolutions by circulation;
- g) holding of Annual General Meeting;
- h) recording minutes of proceedings of General Meetings and of the Board and its Committee meetings;
- i) obtaining approvals of the Members, the Board of Directors, the Committees of Directors and the government authorities, wherever required;
- j) constitution of the Board of Directors / Committee(s) of Directors, appointment, retirement and reappointment of Directors including the Managing Director and Wholetime Directors;
- k) payment of remuneration to Directors including the Managing Director and Wholetime Directors,

THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LTD.



- ढ. लाभाशों की घोषणा और भुगतान;
- ण. जहां कहीं लागू हो, उधार और प्रभारों का पंजीकरण, संशोधन और परितृष्टि;
- त. कम्पनी की निधियों में निवेश जिसमें अन्यों के निवेश और अन्यों का ऋण भी शामिल हैं
- थ. बीमा अधिनियम, 1938, आईआरडीएआई विनियम 2002 और कम्पनी अधिनियम, 2013 की संबंधित धाराओं द्वारा यथोपेक्षित लेखों के परिपत्र और सूचना;
- द. निदेशकों का प्रतिवेदन:
- ध. संविदाएं, सामान्य मुहर, पंजीकृत कार्यालय और कम्पनी के नाम का प्रकाशनय और
- न. सामान्य तौर पर, अधिनियम और इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के सभी प्रयोज्य प्रावधान।

जयंत गुप्ता एंड एसोशिएट्स

स्थानः नई दिल्ली दिनांकः 14 मई, 2015

- I) appointment and remuneration of Auditors and Cost Auditors:
- m) transfers of the Company's shares and issue and dispatch of certificates of shares;
- n) declaration and payment of dividends;
- o) borrowings and registration, modification and satisfaction of charges wherever applicable;
- p) investment of the Company's funds including investments and loans to others:
- g) form of accounts and information required by the Insurance Act, 1938, IRDAI Regulations 2002 and the relevant sections of Companies Act, 2013;
- r) Directors' report;
- s) contracts, common seal, registered office and publication of name of the Company; and
- t) Generally, all other applicable provisions of the Act and the Rules made under the Act.

For Jayant Gupta and Associates

Place: New Delhi Date: 14th May, 2015











वित्त वर्ष 2014-15 में, कम्पनी ने 3.93% की वृद्धि का साक्षी बनते हए भारतीय बाजार से रु.7407.96 करोड़ का प्रीमियम अर्जित किया। वर्ष 2014-15 स्वास्थ्य / आरएसबीवाई में और अग्नि / सम्पत्ति में भी आक्रामक मूल्य-निर्धारण की वजह से एक कठिन वर्ष रहा है। ओरिएण्टल में हमने निरंतर मूल्य-निर्धारण में अनुशासन बनाए रखा और परिणामस्वरूप वृद्धि दर के कम होने के बावजूद सजग जोखिम अंकन की वजह से परिणाम बेहतर लाभप्रदता के रूप में रहा। एक बार फिर कम्पनी ने रु.617.34 करोड़ का प्रभावशाली सकल लाभ दर्ज किया, जो कि कम्पनी का एक और सफल वर्ष रहा। ये परिणाम समस्त ओरिएण्टल परिवार के सभी स्तरों पर. विशेषकर वितरण माध्यमों के स्तरों पर संयुक्त सतत कठिन प्रयासों का नतीजा हैं।

वितरण चैनल

हमारे वितरण चैनल नामतः विपणन अधिकारी, विकास अधिकारी, प्रत्यक्ष एजेंट, ब्रोकर और बैंकाश्योरेंस भागीदार निरंतर इस वर्ष में अच्छा निष्पादन करते रहे और वृद्धि दर्शाते रहे। चैनल-वार निष्पादन ब्यौरा निम्नानुसार है:

MARKETING

In the financial year 2014-15, the Company has generated a Premium of Rs.7407.96 crores from Indian market witnessing a Growth of 3.93%. Year 2014-15 has been a tough year due to aggressive pricing in Health /RSBY segment and also in Fire / Property. We at Oriental continued to maintain discipline in the pricing and as a result even though the growth was lower due to cautious underwriting resulted in better profitability. Once again company recorded an impressive Gross Profit of Rs.617.34 crore, another successful year for the Company. The results are the outcome of joint continuous strenuous work of entire Oriental family at all levels especially the distribution channels.

Distribution Channels

Our various distribution channels namely marketing officers, development officers, direct agents, brokers and bancassurance partners continued to perform well in this year and showed growth. The detailed channel wise performance is as under:



केवल भारतीय पचालन

चैनल	2013-14	2014-15	GR%
प्रत्यक्ष कारोबार	1260.19	1228.37	-2.53
एओ(डी) / एएम (डी)	1036.41	1080.47	4.25
विकास अधिकारी	1619	1670.16	3.16
(विपणन)			
प्रत्यक्ष एजेंट	1497.24	1639.03	9.47
ब्रोकर	974.1	1007.20	3.40
बैंकों के साथ सहयोग	256.96	274.73	6.92
व्यवस्थाएं			
मोटर सहयोग	483.94	507.99	4.97
व्यवस्थाएं			
कुल	7127.84	7407.95	3.93

ग्रामीण क्षेत्र - सामाजिक क्षेत्र बीमाः

कम्पनी ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र के प्रति अपने सांविधिक दायित्वों को लगातार पूरा करती रही और दायित्वों से अधिक कार्य किया। वर्ष 2014-15 में कुल प्रीमियम में ग्रामीण प्रीमियम का योगदान 12.40% था जो 7% की सांविधिक अपेक्षा से कहीं अधिक था।

सामाजिक क्षेत्र में, कम्पनी ने 92.40 लाख की न्यूनतम अपेक्षा से कहीं अधिक 382.82 लाख जीवनों को बीमा संरक्षण प्रदान किया। समीक्षाधीन अवधि के दौरान, इस क्षेत्र के निष्पादन का ब्यौरा निम्नानुसार है:

		2013-14	2014-15
1.	कुल कल प्रीमियम जोखिम अंकन (करोड़ रुपए में)	7127.84	7407.95
2.	ग्रामीण क्षेत्रों में बीमांकित पॉलिसियां (संख्या में)	2373688	2469750
3.	ग्रामीण क्षेत्रों में बीमांकित प्रीमियम (करोड़ रुपए में)	830.15	918.53
4.	ग्रामीण कारोबार का :	11.65	12.40
5.	क्या ग्रामीण क्षेत्र का निर्धारण पूरा हुआ (हां / नहीं)	हां	हां
6.	सामाजिक क्षेत्र में बीमा दायरे में	1.67	3.82
	लाए गए जीवनों की संख्या	करोड़	करोड़
7.	क्या सामाजिक क्षेत्र का निर्धारण पूरा हुआ (हां / नहीं)	हां	हां

संगठनात्मक संरचनाः

न केवल समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बल्कि बीमा संरक्षण में वृद्धि करने के लिए भी असेवित

Indian operations only

(Rs. In crore)

Channel	2013-14	2014-15	GR%
Direct Business	1260.19	1228.37	-2.53
AO(D)/AM (D)	1036.41	1080.47	4.25
Dev. Officers (Mktg.)	1619	1670.16	3.16
Direct Agents	1497.24	1639.03	9.47
Brokers	974.1	1007.20	3.40
Bank Tie-ups	256.96	274.73	6.92
Motor Tie Ups	483.94	507.99	4.97
TOTAL	7127.84	7407.95	3.93

Rural Sector-Social Sector Insurance:

The Company continues to fulfill and surpass its statutory obligations towards the rural and social sector. In the year 2014-15, the contribution of rural premium to the total was 12.40% well above the statutory requirement of 7%.

In the social sector, the company provided insurance protection to 382.82 lakh lives much above minimum requirement of 92.40 lakhs. During the period under review, the details of performance of this sector are as under:

		2013-14	2014-15
1.	Total Gross Premium Underwritten (Rs. In crore)	7127.84	7407.95
2.	Policies u/w in rural areas (in no.)	2373688	2469750
3.	Gross Premium u/w in rural areas (Rs. In crore)	830.15	918.53
4.	% age of Rural Business	11.65	12.40
5.	Whether Rural Sector Stipulation met (Yes/no)	Yes	YES
6.	No. of lives covered in	1.67	3.82
	Social Sector	crore	crore
7.	Whether Social Sector stipulation met (Yes/no)	Yes	YES

Organization Structure:

30 Business centres were opened at the unserviced semi urban and rural locations to meet not only the obligation to the society but also to increase



अर्धशहरी और ग्रामीण स्थानों पर 30 कारोबार केंद्र खोले गए। इससे, कार्यालयों की कुल संख्या बढ़कर 1915 हो गई है, जिसमें 30 क्षेत्रीय कार्यालय, 350 प्रभागीय कार्यालय, 497 शाखा कार्यालय और 968 एक व्यक्ति कार्यालयों के अतिरिक्त 25 सेवा केंद्र और 38 तृतीय पक्षकार हब शामिल हैं, और ये सभी भारत की जनता का बीमा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत 50000 एजेंटों के प्रतिबद्ध कार्यबल की देख-रेख 23 एजेंसी कोचों, 321 एजेंसी प्रबंधकों और 1014 विकास अधिकारियों द्वारा की जा रही है। इन्हें प्रेरित करने के लिए नवीन प्रोत्साहन योजनाएं निरूपित की गई हैं।

संचार:

कॉल सेंटर ने अपने कामकाज का तीसरा सफल साल पूरा कर लिया है। कॉल सेंटर से सम्पर्क करने वाले ग्राहकों की औसत संख्या प्रतिमाह लगभग 28000 है। कॉल सेंटर का निष्पादन बहुत अच्छा रहा है। कॉल सेंटर ग्राहकों और कम्पनी के बीच एक महत्वपूर्ण सम्पर्क की भूमिका निभा रहा है।

पचार.

वर्ष 2014-15 के दौरान, हमने न केवल महानगरों में बल्कि छोटे शहरों में भी काफी प्रचार किया। कम्पनी की ब्रांड इमेज में सुधार करना और अपनी उपस्थिति बाजार में महसूस कराना प्रचार विभाग का महत्वपूर्ण लक्ष्य रहा है। वर्ष 2014-15 के दौरान हमने स्थानीय स्तरों पर प्रचार गतिविधियां चलाने के लिए सभी क्षेत्रीय कार्यलयों को पर्याप्त बजट आवंटित किए। निदेशक मंडल ने क्षेत्रीय प्रमुखों के लिए वित्तीय प्राधिकार में उर्ध्वगामी संशोधन को अनुमोदित कर दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार बढाने के लिए, प्रत्येक क्षेत्रीय प्रमुख को अतिरिक्त वित्तीय प्राधिकार दिया गया है। हमने गांवों और छोटे करबों में अनेक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया है जैसे ग्रामीण मेलों में भागीदारी, वॉल पेंटिंग, स्वास्थ्य शिविर आदि। मोबाइल कार्यालय के लिए 3 वैनों की खरीद को भी संस्वीकृत किया जा चुका है।

तकनीकी विप्रणन विभाग - अठिन और अभियांत्रिकी

सम्पत्ति बीमा बाजार, जो काफी समय से नरमी का रुख अपनाए हुए है, इस वर्ष के दौरान भी भारी छूटें प्रदान करने में इसी रुख को अपनाए रहा। जहां बाजार मूल्य-निर्धारण प्रणाली में मनमाने ढंग से भावों में कमी करता रहा है, वहीं हमने अभी भी बाजार की बाध्यताओं पर विचार करने के साथ साथ ग्राहक की दावा अनाश्रयता. जोखिम संभावना के आधार

insurance penetration. With this, the total number of offices has raised to 1915, with 30 Regional Offices, 350 Divisional Offices, 497 Branch Offices and 968 One Man Offices in addition to 25 Service Centers and 38 Third Party Hubs, all dedicated to the insuring public of India.

A committed work force of 50000+ agents working in various offices is being looked after by 23 Agency Coaches, 321 Agency Managers and 1014 Development Officers. Innovative incentive schemes have been formulated to motivate them.

Communication:

Call Centre has completed third successful year of its functioning. The average number of customers approaching the call center is around 28000 per month. The Performance of the Call Center has been very good. The Call Centre is playing a vital role as a link between customers and the company.

Publicity

In the year 2014-15, we made substantial publicity not only in the metro cities but also in smaller towns. Improving brand image of the company and making our presence felt in the market has been an important goal of Publicity department. In 2014-15 we allotted sufficient budget to all Regional Offices for undertaking publicity activities at local levels. The Board of Directors has approved upward revision of Financial Authority for Regional Heads. Further to increase the publicity in rural areas, additional financial authority has been given to each Regional Head. We have encouraged various activities in villages and big towns such as participation in rural melas, wall paintings, health camps etc. Purchase of 3 vans for mobile office was also sanctioned.

TECHNO MARKETING DEPARTMENT - FIRE & **ENGINEERING**

The Market on Property Insurance which adopted a softening trend for quite some time now, continued to follow the similar approach in offering heavy discounts during this year also. While the market has fallen back arbitrarily on pricing mechanism, we still adopted a careful approach while granting discounts depending upon the risk perception, claim exposure of client clubbed with consideration



पर छूटें प्रदान करते हुए सतर्क रुख अपनाया हुआ है। इस बीच, प्रतिस्पर्धी धार देने के लिए, हमने छूट संस्वीकृत करने का प्राधिकार अपने क्षेत्रीय कार्यालयों में विकेंद्रीकृत किया है।

छूटों में कटौती करने और बाजार में जोखिमों के मूल्य-निर्धारिण में सुधार करने के उददेश्य से, हमारे विनियामक आईआरडीएआई ने वित्त वर्ष के अंत में सबसे पहले अग्नि जोखिमों की चुनी हुई श्रेणियों पर बर्निंग कॉस्ट कार्यान्वित करने एक पहल शुरू की है, जिसके दायरे में चरणबद्ध तरीके से बाद में अन्य विभागों को लाया जाना अभिप्रेत है। हालांकि इस पर बाजार के व्यवहार के बारे में आने वाले समय में जानकारी हो सकेगी।

कायान्तरण की इस प्रक्रिया के तहत, वर्ष के दौरान बीमांकित अग्नि प्रीमियम रु.1012.78 करोडबनता है जिसमें की 2.60: नकारात्मक वृद्धि दर रही है। जहां तक अभियांत्रिकी विभाग का संबंध है, देश में बीमा के लिए अनेक नई परियोजनाएं आने की वजह से समूचा बीमा उद्योग दबाव से जूझ रहा है। इस प्रकार इंजीनियरिंग सेगमेंट के लिए प्रीमियम रु. 355.98 करोड पर टिक गया जिसमें 5.02% की नकारात्मक वृद्धि रही जबकि उद्योग की वृद्धि भी (-) 5.71% पर जूझ रही थी।

हमारे सम्पत्ति विभाग ने कम्पनी के कुल प्रीमियम में 18.10% का योगदान दिया और जब पीएसयू कम्पनियों से औसत से, बल्कि यहां तक उद्योग स्तरीय उत्पाद के मिश्रित प्रीमियमों से भी इसकी तुलना की जाए तो यह सर्वश्रेष्ठ है।

सकल आधार पर अग्नि आईसीआर 95.81% पर उच्चतर है जिसका प्रमुख कारण दो बड़े दावों की रिपोर्टिंग के साथ-साथ देश के समक्ष आई आंध्र प्रदेश में हद हद तूफान और जम्मू कश्मीर में बाढ़ जैसी आपदा की घटनाएं भी रहीं। तथापि, निवल आधार पर यह तुलनात्मक रूप से 83.87% के निम्नतर स्तर पर है। अभियांत्रिकी विभाग के तहत, इसका आईसीआर सकल आधार पर औचित्यपूर्ण 63.21% है और निवल आधार पर केवल 42.94% पर काफी पुरसुकून है।

इसके अतिरिक्त, दावों के समाधान में तेजी लाने के उददेश्य से हमारे आरओ को अनेक निदेश जारी किए गए। इसमें सर्वेयरों की तत्परता से नियुक्ति, बड़ी हानियों के स्थानों पर डीओ / आरओ द्वारा दौरा किया जाना, बीमांकन और दावा दस्तावेजों की शीध्र प्रस्तुति सर्वे रिपोर्ट की समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण प्राप्ति, सर्वेयरों के निष्पादन की समीक्षा, उपयुक्त दावा प्रावधानों का अनुरक्षण आदि शामिल है।

of market compulsions. Meanwhile, in order to give a competitive edge, we decentralized discount sanctioning authority with our Regional Offices.


In order to curtail discounts and improve pricing of risks in the market, our regulator IRDAI at the end of the financial year came up with an initiative to implement Burning Cost rates on selected categories of Fire risks, at the first instance with intent to cover the other portfolios subsequently in a phased manner. The market behavior on this, however, shall be known in the times to come.

Under this process of metamorphosis, the Fire premium underwritten during the year amounts to Rs.1012.78 cr with a negative growth rate of 2.60%. So far as Engineering portfolio is concerned, the entire Insurance Industry had been reeling under pressure with not many new projects coming up in the country viz-a-viz for insurance. Thus the premium for Engineering segment settled at Rs.355.98 cr. with a negative growth of 5.02% with Industry growth also tottering at (-) 5.71%.

Our Property portfolio contributes 18.10% of Company's total premium and this share is at its best when compared to the average of PSU companies and even the Industry level product mix premiums.

Fire ICR on Gross basis is higher at 95.81% primarily owing to reporting of couple of major claims, alongside the impact of catastrophic events experienced by the country viz. Hud Hud cyclone in AP and floods in J&K. However, on Net basis it is comparatively at a lower level of 83.87%. Under Engineering Portfolio, its ICR on Gross basis is reasonable at 63.21% and quite comfortable on Net basis at 42.94% only.

Further, various directives have been issued to our ROs in order to speed up timely settlement of claims. This includes prompt deputation of surveyors, visitation by DO/RO officials to sites of large losses, expeditious submission of underwriting & claim documents, timely & qualitative receipt of survey report, review of surveyors' performance, maintenance of proper claim provisions etc.



पुनर्बीमा

पुनर्बीमा एक महत्वपूर्ण जोखिम प्रबंधन उपकरण है जिसका लक्ष्य एक बीमा कम्पनी को स्वचालित द्वमता मुहैया करान है जिससे यह कम्पनी का वित्तीय स्थायीत्व मुहैया कराने और कम्पनी का समग्र संरक्षण सुनिश्चित करने के अतिरिक्त एक वैश्विक विस्तार प्राप्त करके अपने जोखिमों का बीमांकन और प्रभावी प्रबंधन कर सके। बीमा की तरह, पुनर्बीमा भी जोखिम अंतरण का एक सुव्यवस्थित तरीका होता है। यह बीमाकर्ता को बड़ी संख्या में जोखिमों पर आपदाकारी हानियों और विशिष्ट जोखिमों पर बड़ी हानियों के प्रति संरक्षित करता है।

पुनर्बीमा किसी बीमा कम्पनी के लिए शॉक ऑब्जर्वर के रूप में काम करता है। प्रभावी पुनर्बीमा व्यवस्था कम्पनी को इसके प्रतिध गरण की सीमा से भी अधिक हानियों का भुगतान करने में सक्षम बनाती है है और जहां तक संभव हो उतनी स्वचालित क्षमता उपलब्ध कराती है ताकि प्रत्यक्ष विपणन टीम चुनौतीपूर्ण बाजार परिस्थितियों में कारोबार को स्वीकृत करने और अपने वृद्धि संबंध ी लक्ष्यों को पूरा करने की स्थिति में हो। साथ ही, पु<mark>नर्बीमा</mark> कम्पनी को तकनीकी विशेषज्ञता से भी सुसज्जित करता है।

हमारे पुनर्बीमा कार्यक्रम का लक्ष्य न्यूनतम परिव्यय पर अधिकतम सुरक्षा सुनिश्चित करना और आनुपातिक और गैर-आनुपातिक

REINSURANCE

Reinsurance as one of the important Risks Management tools aims at providing automatic capacity to an Insurance Company thereby enabling it to underwrite and manage its risks effectively, by achieving a global spread, besides providing financial stability and ensuring overall protection of Company's Balance Sheet. Like insurance, reinsurance is a methodical way of Risk Transfer. It protects insurers against large losses on particular risks and catastrophic losses on a large number of risks.

Reinsurance acts as a shock absorber for an Insurance Company. An effective Reinsurance arrangement enables a Company to pay losses even beyond its retention and provides as much automatic capacity as is possible so that the direct marketing team is in a position to accept business in challenging market conditions and achieve its growth targets. At the same time, Reinsurance also equips the Company with technical expertise.

The aim of our Reinsurance Programme is to ensure maximum protection at minimum outgo and to



संधियों के उपयुक्त मिश्रण के जरिए स्वचालित पुनर्बीमा सुविध ा कराना है जिससे हमारे अपने देश और विदेशों में कारोबारी अवसरों को तेजी से विस्तार करने का सर्वोत्तम उपयोग सुगम हो सके।

स्वचालित क्षमता आनुपातिक संधियों द्वारा मुहैया कराई जा रही है जिसका लक्ष्य, कम्पनी की पूंजी पर दबाव डाले बिना, कम्पनी के निवल प्रतिधारण की सीमा से परे के जोखिमों का संरक्षण करना है। कम्पनी के निवल पर अनाश्रयताओं के संचय के जोखिम का शमन किसी एकल जोखिम की हानि से उत्पन्न होने वाली भारी हानियों या किसी एक आपदा की घटना से उत्पन्न होने वाली एक से अधिक हानियों को कवर करने के लिए हानि संरक्षण से अधिक का क्रय करके किया जाता है।

वर्ष 2014-15 मेंए भारतीय बीमा बाजार सितंबर में जम्म-कश्मीर की बाढ़ और अक्टूबर में हुदहुद तूफान द्वारा प्रभावित हुआ। इन आपदाओं की वजह से हमारी कैट एक्सएल संधि प्रभावित हई है।

हमारी रिस्क एक्सएल 2014-15 संधि कुछ बड़ी जोखिम हानियों द्वारा भी प्रभावित हुई है। जहां उपरोल्लिखित जोखिम और आपदा हानियों की वजह से हमारी अग्नि और अभियांत्रिकी अधिशेष संधियों के नकारात्मक परिणाम रहे, वहीं हमारी मरीन कार्गो और विविध दुर्घटना अधिशेष संधियां पुनर्बीमाकारों को अच्छा सकारात्मक संतुलन प्रदान करती रहीं।

कम्पनी एक धीमी मगर स्थिर गति से आगे बढ रही है। हमारे प्रत्यक्ष प्रीमियम अभी भी दबाव में बने हुए हैं किंतू यह ''लाभप्रदता सहित वृद्धि" के हमारे लक्ष्य को हासिल करने के उददेश्य से स्व-विनियमन के माध्यम से पर्याप्त मृल्य-निर्धारण प्रणाली के लिए हमारे कठोर प्रयासों का नतीजा है। विनियामक ने भी रेटिंग की ''बर्निंग कॉस्ट'' पद्धति आरंभ करके जोखिमों के मूल्य-निध र्गारण में सुधार की प्रक्रिया आरंभ करने की आवश्यकता महसूस की है जिसके परिणाम भारतीय बीमा बाजार को वित्त वर्ष 2015. 16 की दूसरी छमाही के दौरान दिखाई देने की आशा है।

कम्पनी द्वारा जोखिमों के मूल्य-निर्धारण में सुधार और दावों पर नियंत्रण के उपायों के लिए विवेकपूर्ण जोखिम अंकन की दिशा में पिछले कुछ वर्षों में आरंभ किए गए उपाय अभी भी जारी हैं। सुपरिभाषित मानपदंडों के भीतर अध्यवसाय सहित अपनी वृद्धि के लक्ष्यों को हासिल करने के टीम ओरिएण्टी के प्रयासों की वजह से आने वाले समय में कम्पनी के लिए सकारात्मक जोखिम अंकन परिणाम सामने आने की आशा है।

provide automatic reinsurance facility through a proper mix of Proportional and Non-Proportional Treaties thereby facilitating best use of the rapidly expanding business opportunities in our own country and overseas.

Automatic capacity is being provided by Proportional Treaties which aim to protect the Risks which are beyond Company's Net Retention, without putting strain on Company's Capital. The risk of accumulation of exposures on Company's Net is mitigated by purchasing Excess of loss protection to cover huge losses arising out of a single risk loss or multiple losses arising out of a Cat Event.

In 2014-15, the Indian Insurance market had been hit by two major catastrophes viz Jammu and Kashmir floods in September and Hud-Hud Cyclone in October. Our Cat XL treaty has been affected due to these Cat events.

Our Risk XL 2014-15 Treaty has also been affected by a few major risk losses. Whilst our Fire and Engineering Surplus Treaties have gone into negative results due to above mentioned Risk and Cat losses, our Marine Cargo and Miscellaneous Accident Surplus Treaties continue to give a good positive balance to the Reinsurers.

The Company has been growing at a moderate yet steady pace. Our direct premium still continues to be under stress but it is the result of our striving hard for an adequate pricing through self regulation so as to achieve our target of "Growth with Profitability". The Regulator has also felt the need to initiate process of correction in pricing of risks by way of introduction of "Burning Cost" methodology of rating, the results of which are expected to be seen by Indian Insurance market during second half of financial year 2015-16.

The initiatives that were introduced by the Company in the last few years towards prudent underwriting for improvement in pricing of the risks and the controlling measures on claims still continue. Team Oriental's continuous endeavor for achieving its growth targets diligently within the well-defined parameters are expected to reap positive underwriting results for the Company, in the times to come.

Our Company's Reinsurance Programme for 2015-



वर्ष 2015.16 के लिए कम्पनी का पुनर्बीमा कार्यक्रम अलग-अलग विभागों के अपेक्षाओं के अनुरूप अत्यंत आवश्यक स्वचालित सुविधा महैया कराने के लिए तैयार किया गया है। इसकी सीमाएं समाप्ति जैसी ही हैं। तथापि, देनदारी विभाग, जिसमें वृद्धि हो रही है और साथ ही अभियांत्रिक वार्षिक पॉलिसियों, समूह व्यक्तिगत दुर्घटना और सेंधमारी बीमा पॉलिसियों में भी अतिरिक्त क्षमताएँ सुजित की गई हैं। आपदा मॉडलों के आध गर पर, हमारी कम्पनी के भुकम्प कवर की सीमाओं में भी संवध नि हुआ है।

हमारी संधियों पर जम्मू कश्मीर की बाढ़ और हुद-हुद तूफान के प्रभाव के बावजूद, ओरिएण्टल की सभी आनुपतिक और गैर आनुपातिक संधियों को आईआरएडीएआई के विनियमों के दायरे के भीतर वित्तीय रूप से ठोस प्रतिभृतियों के साथ रखा गया है।

विविध

कम्पनी का विविध विभाग विविध प्रकार की पॉलिसियों की संभलाई करता है जिन्हें कॉरपोरेट के साथ साथ अलग अलग व्यक्तियों दों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तैयार किया गया है। विभाग अनेक वर्षों से निरंतर लाभ प्रदान करता रहा है। वर्ष 2014-15 के दौरान विविध में बीमांकित कारोबारी सेगमेंट और इसके निष्पान का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है।

वर्ष 2014.15		सकल उपगत दावा अनुपात (%)	निवल उपगत दावा अनुपात (%)
देनदारी	50.89	8.53	16.10
कर्मचारी लाभ	80.25	18.32	18.12
व्यक्तिगत दुर्घटना	149.37	60.29	57.66
अन्य विविध (आरआईडी सहित)	421.95	30.71	38.83

कम्पनी अधिनियम में हुए परिवर्तनों की वजह से, जो कम्पनी के निदेशक मंडल पर अधिक उत्तरदायित्व आयद करते हैं. देनदारी कारोबार भारतीय बीमा बाजार में, विशेषकर निदेशकों और अधिकारियों की देनदारी पॉलिसी जैसी लाइनों में तेजी से बढ़ रहा है।

जैसा कि आश्वासन दिया गया था, वर्ष के दौरान विभाग नई

16 has been designed to provide the much needed automatic capacity in line with the requirements of individual portfolios. The limits are generally the same as expiring. However, additional capacities have been created in Liability portfolio which is growing steadily as also in Engineering Annual policies, Group Personal Accident and Burglary Insurance policies. Based on results of Catastrophic Models, there has also been enhancement in limits of our Company's Earthquake cover.

Despite the impact of J & K Flood and Hud-Hud Cyclone losses on our Treaties, all the Proportional and Non Proportional Treaties of Oriental have successfully been placed with financially sound Securities within the ambit of IRDAI Regulations.

MISCELLANEOUS

The Miscellaneous department of the Company handles the widest variety of policies which are tailored to suit the requirements of both the corporate as well as individuals. The department has given continuous profits over many years .A brief snap shot of the business segments underwritten in Miscellaneous and their performance during the year 2014-15 is given below.

Year 2014-15	Gross Premium (in crores)	Gross Incurred Claims Ratio (%)	Net Incurred Claims Ratio (%)
LIABILITY	50.89	8.53	16.10
EMPLOYER'S LIABILITY	80.25	18.32	18.12
PERSONAL ACCIDENT	149.37	60.29	57.66
OTHER MISC (including RID)	421.95	30.71	38.83

Liability business is fast growing in the INDIAN INSURANCE market particularly lines like Director's & Officer's liability policy, due to changes in the Companies Act which imposes greater responsibility on the Board of Directors of the Company.

During the year, as promised, the department was able to modify and get the Regulator's approval for the



ज्यूलर्स ब्लॉक बीमा पॉलिसी के साथ साथ कर्मचारी क्षतिपूर्ति बीमा पॉलिसी में चिकित्सा खर्च विस्तार के लिए कवर के लिए विनियामक का अनुमोदन पाने में सफल रहा। इन दोनों उत्पादों की बड़ी मांग है और हमें उन्नत वृद्धि के लिए इसका लाभ उठाने की उम्मीद है।

वर्ष के दौरान विभाग ने हमारी ओर से लाभप्रद प्रीमियम पर संवर्धित स्व—प्रतिधारण में मदद करने और मात्रा में वृद्धि करने के लिए भी कतिपय सेगमेंटों / कतिपय पॉलिसियों में जोखिम अंकन क्षमताओं की समीक्षा और वृद्धि भी की है।

विभाग का कारोबार चालू वर्ष के दौरान लाभप्रद मार्ग पर चलता रहेगा और कम्पनी की लाभप्रदता में वृद्धि के लक्ष्य में सहायक होगा।

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य बीमा हमारी कम्पनी के बड़े विभागों में से एक है। हाल के वर्षों में, इसी वृद्धि के लिहाज से इसें उल्लेखनीय संभावना देखी गई है। स्वास्थ्य विभाग हमारा सतत वृद्धि संचालक रहा है और यह बीमा संरक्षण के नए नए क्षेत्र भी मुहैया कराता है। बढ़ती जागरूकता के साथ और विभिन्न जन योजनाओं की शुरुआत की सरकारी पहलों और अपनी जतना को कवरेज प्रदान करने के लिए राज्य स्तर की अनेक पॉलिसियों से भी, स्वास्थ्य कारोबार आने वाले वर्षों में कई गुणा बढ़ने के मार्ग पर प्रशस्त है।

वर्ष 2014—15 मेंए ओरिएण्टल का स्वास्थ्य प्रीमियम रु. 1,98,753 लाख था। हमने जीवन 71,76,000 कवर करते हुए 12,94,700 पॉलिसियां जारी की हैं। खुदरा, समूह, बैंकाश्योरेंस और आरएसबीवाई सेगमेंट में स्थिर वृद्धि रही है। वर्ष 2014—15 के दौरान स्वास्थ्य विभाग का प्रदर्शन निम्नानुसार था।

स्वास्थ्य कारोबार 2014–15 (आरएसबीवाई के अतिरिक्त)						
सकल प्रीमियम	निवल	उपगत दावे	आईसीआर			
(लाख रुपए में)	प्रीमियम	निवल	(%)			
	(लाख रुपए	(लाख				
	में)	रुपए में)				
198753	188818	203128	107.17%			

वर्ष 2014—15 में, विभाग में विवेकपूर्ण जोखिम अंकन और परिव्यय पर नियंत्रण द्वारा लाभप्रदता पर जोर दिया गया है। हमारे पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिम अंकन पॉलिसी विद्यमान है, कारोबार का अंकन अधिक विवेकपूर्ण तरीके से किया जाता है जो हमारी जोखिम अंकन नीति के अनुरूप है। new Jewelers Block Insurance Policy as well as cover for Medical Expenses Extension with the Employee Compensation Insurance Policy. Both these products are in great demand and we hope to capitalize on the same for improved growth.

During the year the department has also reviewed and increased underwriting capacities in certain segments/certain policies to help increased self retention of profitable premium at our end and also increase the volume growth.

The business of the department will continue to be guided along profitable lines during the current Financial Year and align with the Company's objective of growth with profitability.

HEALTH

Health Insurance business is one of the major portfolios of our Company. In recent years, it has shown tremendous potential in terms of its growth. The health business has been our constant growth driver and it also offers newer areas for insurance penetration. With increasing awareness and also government initiatives in introduction of various mass schemes and many State level policies for coverage of its population, health business is on its way to grow many folds in the coming years.

In 2014-15, Oriental's Health Insurance premium was Rs. 1,98,753 lakhs. We have issued 12,94,700 policies covering 71,76,000 lives. There has been a steady growth in Retail, Group, Bancassurance and RSBY segment. The performance of the Health portfolio is as under for the year 2014-15.

	HEALTH BUSINESS 2014-15 (EXCLUDING RSBY)						
	Gross Premium	Net	Claims	ICR (%)			
	(Rs. In Lakhs)	Premium	Incurred				
		(Rs. In	Net (Rs. In				
		Lakhs)	Lakhs)				
	198753	188818	203128	107.17%			

In the year 2014-15, emphasis was given on profitability of the portfolio by prudent underwriting and control on the outgo. We have Board approved underwriting policy in place, business is written more prudently, conforming to our underwriting policy. We have proper division of authority for acceptance



जोखिम की स्वीकृति और जोखिम के मूल्यनिर्धारण के लिए हमारे पास उपयुक्त प्रभाग है। समूह उत्पादों पर ध्यानपूर्वक मॉनीटरिंग की जाती है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान कडी प्रतिस्पर्धा की वजह से बाजार के प्रत्यक्षतः अव्यवहार्य स्तर पर प्रचालित होने के बावजूद, हमने अपनी आईसीआर और संयुक्त लागतें बरकरार रखी हैं। दावों के परिव्यय पर अंकुश लगाने के लिए प्रणाली में विभिन्न पद्धतियां आरंभ की गई है। जिनमें एमआईएस का विश्लेषण, ध ोखाधडी के विभिन्न सतक्रता बिंदुओं की पहचान करना और फिर तदनुसार प्रदत्त दावों का विश्लेषण किया जाना शामिल है। एमआईएस का विश्लेषण प्रदत्त दावों के आंकडों में प्रवृत्ति और स्वरूप की जांच करने के लिए किया गया है। डीओ और आरओ की स्थानीय स्वास्थ्य टीमों को अनुपूरित करने के लिए प्रमुख केंद्रों में स्वास्थ्य समीक्षा टीमों की पुनर्सरचना / सुदृढ़ीकरण किया गया है और इन्होंने लागतों को नियंत्रित रखने और टीपीए के निष्पादन पर निरंतर नजर रखने में उल्लेखनीय योगदान दिया।

स्वास्थ्य विनियमों की भावना के अनुरूप, हमने सभी टीपीए के साथ सेवा स्तर के करार किए हैं। इन एसएलए में टीपीए की शल्क संरचना सहित निष्पादन और डिलीवरी तंत्र के सभी मानदंड परिभाषित किए गए हैं। ऐसे दिशानिर्देशों से वास्तव में विभिन्न प्रक्रियाओं के कूटकरण के साथ साथ टीपीए के सापेक्ष प्रचालनों/ आवेदनों की एकरूपता सुनिश्चित करने में भी सहायता मिली है। आईआरडीएआई विनियमावलीए 2013 के अनुसार, दावों के संसाध ान के लिए बिंदुवार विस्तृत सूचना देते हुए दावा दिशानिर्देश भी टीपीए को दिए गए हैं।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा अधिमान्य प्रदाता नेटवक्र संकल्पना-पीपीएन का सुदृढ़ीकरण भी किया गया है। इस वर्ष पीपीएन में पूणे और जयपूर 2 नए शहर जोड़े गए हैं, जहां दावा परिव्यय को नियंत्रित करने के लिए 112 परिभाषित सर्जिकल प्रक्रियाओं के लिए 2 वर्ष के लिए पहले से तय की गई दरें नियत की गई हैं। गैर-समृहबद्ध प्रक्रियाओं के लिए भी हम अस्पतालों से उनकी प्रभारों की अनुसूची पर छूट मांगते रहे हैं। दिल्ली / एनसीआर में, अस्पतालों की दरों और पेनलीकरण के संशोधन की शुरुआत की गई है और यह प्रक्रियाधीन है। अस्पतालों के संशोधन और पेनलीकरण के लिए अप्रयुक्त आंकड़े भी अस्पतालों और टीपीए से मांगे गए हैं ताकि कुछ खास अस्पतालों में रोगियों की आमद पर अंकुश लगाया जा सके और पीपीएन गतिविधि के निष्पादन का विश्लेषण भी किया जा सके।

स्वारथ्य विभाग के निरंतर कठोर श्रम और समर्पण से, दावा अपलोड इस वर्ष 99.3% सफल रहे हैं जो गत वर्ष में इसकी अपेक्षा बहुत कम थे। जोखिम अंकन कार्यालय और टीपीए कार्यालय of risk and pricing of risk. Group products rating is monitored keenly. Despite the market apparently operating at an unviable level over the last few years due to intense competition, we have maintained our ICR and combined costs. Different methods have been introduced in the system to check the claims' outgo, which includes, analysis of MIS, identifying various triggers for fraud and then analyzing the paid claims files accordingly. MIS have been analyzed to check the patterns and trends in the paid claims data. Health review teams have been constituted / strengthened across major centers to supplement the efforts of local health teams of DOs & ROs and they significantly contributed in containing the costs and keeping constant vigil on the performance of TPAs.

In conformity to the spirit of Health Regulations, we have entered into Service Level Agreement with all the TPAs. These SLAs define all the parameters of performance and delivery mechanism including the fee structure of TPAs. Such guidelines have really helped codifying the various processes as well as in ensuring uniformity of operations / applications viz a viz TPAs. Claims guidelines containing point wise detailed information for processing of claims has also been given to the TPAs, as per IRDAI Health Regulations, 2013.

Preferred Provider Network concept-PPN has also been strengthened by the Health Department. This year 2 new cities have been included in the PPN-Pune and Jaipur, where pre-negotiated rates have been fixed for 2 years for defined 112 surgical procedures for controlling claims outgo. For non-packaged procedures also we have been seeking discounts from the hospitals on their Schedule of Charges. In Delhi/ NCR, revision of rates and empanelment of hospitals has also been initiated and under process. Utilization data for revision and empanelment of hospitals has also been called from hospitals and TPAs to check the footfall of patients in particular hospitals and also to analyze the performance of PPN activity.

With the continuous hard work and dedication of Health Department, claims upload has been made 99.3% successful this year as compared to much lower uploads in the previous years. Data flow has been made smooth from both underwriting office and TPA office. This year we are planning to link our bank



दोनों से आंकड़ों के प्रवाह को सुचारु बनाया गया है। इस वर्ष हम अपने बैंक खातों को टीपीए द्वारा संसाधित दावों से लिंक करने की योजना बना रहे हैं ताकि हमारे केंद्रीय एप्लीकेशन का टीपीए प्रणाली के एप्लीकेशन के साथ पूर्ण सटीक समय एकीकरण सुनिश्चित किया जा सके।

चिकित्सा स्फीति प्रत्येक वर्ष लगभग 18% की दर से बढ़ रही है। हम अभी भी 2010 की दरों के अनुसार प्रीमियम प्रभारित कर रहे हैं, जिसका परिणाम उच्चतर आईसीआर के रूप में हुआ है। चालू वर्ष में, हम अपनी व्यक्तिगत मेडीक्लेम पॉलिसी का संशोधन करने और "हॉस्पिटल कैश" के तौर पर नए स्वास्थ्य उत्पाद के लिए अनुमोदन पाने में भी सक्षम रहे हैं। हैप्पी फैमिली फ्लोटर की दरें भी आने वाले महीनों में संशोधित की जाएंगी। इन सबका मिलाकर हमारी आईसीआर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

धारणीय वृद्धि और बेहतर कारोबारी व्यवहार्यता दर्शाने के लिए अंकुश लगाए गए हैं। अंतिम पर कम नहीं, स्वास्थ्य बीमा के क्षेत्र में हमारे प्रयासों की मान्यता के रूप में, हमें वर्ष 2014—15 के लिए सर्वोत्तम स्वास्थ्य बीमा कम्पनी हेतु आउटलुक एवार्ड प्राप्त हुआ है।

विपणन - वैकल्पिक चैनल

वितरण चैनल बैंकाश्योरेंस का निष्पादन

बैंकाश्योरेंस का निष्पादन संतोषजनक रहा है और इस चैनल से कुल योंगदान रु. 274.73 करोड़ था और न केवल मौजूदा सहयोग व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने बिल्क नई सहयोग व्यवस्थाएं आरंभ करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। इस अविध के दौरान बाजार के समसामयिक उत्पादों के अनुरूप बनाने के लिए मौजूदा बैंकाश्योरेंस उत्पाद का स्तरोन्नयन और संशोध ान करने के उपाय भी किए गए। एक बार आईआरडीएआई में आवेदन किए जाने और इसके अनुमोदित हो जाने पर, यह

एजेंसी बल (प्रत्यक्ष एजेंटों, एजीएनआई और एओ (डी) / एएम(डी) के अंतर्गत एजेंटों और विकास विपणन) का निष्पादन

इस चैनल (प्रत्यक्ष एजेंटों, एजीएनआई और एओ (डी) / एएम(डी) के अंतर्गत एजेंटों और विकास विपणन) का कुल प्रीमियम में योगदान 54: था जो रु. 4034 करोड़ बनता है। मुख्यालय द्वारा आरंभ किए गए एजेंसी भर्ती अभियान पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए प्रचालिनक कार्यालयों ने 4000 नए एजेंटों की भर्ती की। एजेंटों के लिए विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं की शुरुआत और प्रेरक बैठकों से उन्हें अपने निष्पादन और बाजार

accounts with TPA processed claims to ensure full real time integration of our core application with that of TPA system.

Medical Inflation is increasing approximately 18% every year. We are still charging premium as per 2010 rates, which has resulted in higher ICR. In the current year, we have been able to revise our Individual Mediclaim Policy and also got approval for a new Health Product as "Hospital Cash". The rates of Happy Family Floater will also be revised in the coming months. These all together will have positive effect on our ICR.

Checks have been put in place to show sustainable growth and better business viability. Last but not the least, as a recognition of our efforts in the field of Health Insurance we have been awarded with Outlook Award for Best Health Insurance Company for 2014-15.

MARKETING – ALTERNATE CHANNELS

Distribution Channels

Performance of Banc assurance

The performance of Bancassurance channel has been satisfactory and the total contribution from this channel was 274.73 Crores and efforts were made to not only strengthen the existing tie ups but also bring in the fold of the company new tie ups. Initiatives were also taken during this period to upgrade and revise the existing Bancassurance product to align with the contemporary products in the market. Once filed and approved by the IRDAI, it will bring in additional revenue to the company.

Performance of the Agency force (Direct Agents, AGNI & Agents under AO (D)/AM(D) & Development Marketing)

The contribution from this channel (Direct Agents, AGNI & Agents under AO (D)/ AM(D) & Development Marketing) to the total premium was 54% amounting to Rs.4034 Crores. Responding positively to the agency recruitment drive launched by Head Office, the operating offices recruited 4000 new agents. Introduction of various incentive schemes for the agents and motivational meetings have helped them to improve their performance and brand image of the company in the market. The functioning of various incentive schemes and clubs namely CMD and GM



में कम्पनी की ब्रांड इमेज में सुधार लाने में मदद मिली है। वित्त वर्ष 2013.14 के दौरान विभिन्न प्रोत्साहक स्कीमों और क्लबों नामतः सीएमडी और जीएम क्लब का कामकाज असाध गरण था। सीएमडी क्लब के 141 सदस्य एजेंटों और जीएम क्लब के 209 सदस्य एजेंटों ने प्रति एजेंट रु. 1.29 करोड के औसत प्रीमियम सहित रु. 451 करोड़ का योगदान दिया। क्लब के सदस्य एजेंटों के असाधारण प्रदर्शन को देखते हुए, हमने इनकी प्रोत्साहन योजना में संशोधन किया है जिससे उनके निष्पादन को और बढावा मिलेगा।

कारोबार केंद्रों का निष्पादन

968 कारोबार केंद्रों ने की 22%वृद्धि दर सहित रु. 521 करोड़ का प्रीमियम पुरा किया। वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान 30 नए कारोबार केंद्र खोले गए। बीसी प्रभारियों को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहनों की नई योजना कार्यान्वित की गई है। कारोबार केंद्रों की स्तर-वार संख्या और प्रीमियम निष्पादन निम्नानुसार है

स्तर	संख्या	कुल					
		2014-15	2013-14	ACCR.	GR%		
I	115	12042	10609	1433	13.51		
II	107	8414	7757	656	8.46		
Ш	353	18480	14532	3948	27.16		
IV	375	10939	7614	3325	43.67		
٧	9	1026	871	155	17.76		
VI	9	1170	1222	-52	-4.29		
	968	52070	42606	9465	22.21		

बोकरों और बोकरों के विशेषज्ञ कार्यालयों का निष्पादन

कम्पनी ने ब्रोकरों के माध्यम से रु. 1007 करोड़ का प्रीमियम अर्जित किया जिसक कुल प्रीमियम में 13.60% योगदान रहा। मुंबई और बंगलौर स्थित ब्रोकर डिवीजनों ने रु. 214 करोड़ का प्रीमियम पूरा किया। इन विशेषज्ञ कार्यालयों की केंद्रित वृद्धि को देखते हुए, एक कारोबारी रणनीति के तौर पर, हमने 3 अन्य केंद्रों के प्रचालनों का स्तरोन्नयन करने का निर्णय लिया जिसके लिए संभावना अध्ययन किया जा रहा है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान ब्रोकरों के साथ नियमित बैठकें और इस कारोबार स्रोत के साथ अन्य संबंध निर्माण कवायदें की गईं।

निगमित कारोबार पकोष्ठों का निष्पादन

06 प्रभागीय कार्यालयों को निगमित कारोबार प्रकोष्टों के

club was exceptional during the FY 2013-14. 141 CMD club member agents and 209 GM club member agents contributed Rs.451 Crores with an average premium of Rs.1.29 Crores per agent. Looking to the exceptional performance of club member agents, we have revised their incentive scheme which will give a further impetus to their performance.

Performance of the BCs

968 Business centres completed a premium of Rs.521 Crores with a Growth rate of 22%, 30 new Business centres were opened during the FY 2014-15. A new scheme of incentives has been implemented this year to encourage BC incharges to perform better. The tier wise number and premium performance of BCs is as under

TIER	No		TOTAL						
		2014-15	2013-14	ACCR.	GR%				
I	115	12042	10609	1433	13.51				
II	107	8414	7757	656	8.46				
Ш	353	18480	14532	3948	27.16				
IV	375	10939	7614	3325	43.67				
V	9	1026	871	155	17.76				
VI	9	1170	1222	-52	-4.29				
	968	52070	42606	9465	22.21				

Performance of Brokers and Broker specialized offices

The company procured a premium of Rs.1007 Crs through the Brokers' channel contributing 13.60% of total premium. Brokers Divisions at Mumbai & Bangalore completed a premium of Rs.214 Crs.. Looking to the focused growth of these specialized offices as a business strategy we have decided to upscale the operations to 3 more centres for which potential study is being carried out. Regular meetings with brokers & other relationship building exercises were carried out with this business source during the year under review.

Performance of CBUs

06 Divisional offices have been designated as Corporate business units and they contributed a premium of Rs.274 Crores with a growth rate of 25.45% in 2014-15. The dedicated relationship teams at CBUs continue to

द ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

रूप में नामित किया है और इन्होंने वर्ष 2014-15 के दौरान 25.45% की वृद्धि दर से रु. 274 करोड़ के प्रीमियम का योगदान दिया। सीबीय में प्रतिबद्ध संबंध टीमें अपने प्रयासों को निगमित गाहकों पर केंद्रित करती रहीं।

वैकल्पिक चैनल, पोर्टल और ऑनलाइन बिकी

हमने ग्राम स्तरीय उद्यमियों (वीएलई) के जरिए कम्पनी के विभिन्न उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री के लिए कॉमन सर्विस सेंटर स्पेशल पर्पज व्हीकल (एससी-एसपीवी) के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है। सीएससी पोर्टल पर ऑनलाइन पॉलिसियां जारी करने के लिए हमारे आईएनएलआईएएस एप्लीकेशन को एकीकृत किया जा रहा है। इस स्रोत से कारोबार अप्रैल से आरंभ होने की संभावना है।

हमारी कम्पनी का बेब पोर्टल निरंतर "बीमा ऑनलाइन – कहीं भी कभी भी" के आश्वासनों को पूरा करते हुए कम्पनी के ग्राहकों और एजेंटों को कुशल ऑनलाइन सेवाएं मुहैया करा रहा है। हमने वेब पोर्टल के जरिए 142425 पॉलिसियों से रु. 44.26 करोड से अधिक का प्रीमियम अर्जित किया।

सीएससी

हमने ग्राम स्तरीय उद्यमियों (वीएलई) के जरिए कम्पनी के विभिन्न उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री के लिए कॉमन सर्विस सेंटर स्पेशल पर्पज व्हीकल (एससी-एसपीवी) के साथ एक समझाौता जापन किया है।

focus their efforts on corporate clients.

Alternative channels, portal and online selling.

We have entered into an MOU with Common Service Centre Special Purpose Vehicle (CSC-SPV) for online sale of various products of the company through their Village Level Entrepreneurs (VLEs). Our INLIAS application is being integrated for issuance of online policies at CSC Portal. The business from this source is likely to start from April onwards.

Web portal of the company continue to provide efficient service to the customers and agents of the company fulfilling the promises of "Insurance Online – any place any time". We have generated a premium of more than 44.26 crores with 142425 policies through Web portal.

CSC

We have entered into an MOU with Common Service Centre Special Purpose Vehicle (CSC-PSV) for online sale of various products of the company through their Village Level Entrepreneurs (VLEs)



पशिक्षण

किसी भी संगठन की प्रशिक्षण गतिविधि का अंतिम लक्ष्य और उददेश्य कर्मचारियों को प्रतिस्पर्धी, निष्ठावान और अपेक्षित कार्य कौशल के साथ सुपरिचित बनाना है ताकि संगठन के लक्ष्य हासिल किए जा सकें। इस मूल दर्शन को दिमाग में रखकर और निगमित दृष्टि दस्तावेज (2011–2016) में यथा निर्धारित प्रशिक्षण के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, निगमित प्रशिक्षण विभाग निरंतर नवीन और प्रगतिशील प्रशिक्षण आरंभ करने पर फोकस करता रहा है जो संगठन की वर्तमान और भावी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।

प्रशिक्षण के विभिन्न क्षेत्रों में एक्सपोजर पाने के उद्देश्य से, हम चार स्तरीय प्रशिक्षण प्रणाली के अनुसार अपने अधि ाकारियों / कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करते हैं. जिनमें शामिल हैं:-

- 1. ओरिएण्टल कर्मचारी प्रशिक्षण महाविद्यालय, फरीदाबाद और चेन्नई।
- 2. 24 क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र जिसके दायरे में 30 क्षेत्रीय कार्यालय आते हैं।
- 3. राष्ट्रीय बीमा अकादमी, पुणे।

TRAINING

The ultimate aim & objective of training activity of any organization is to make the employees competitive, loyal & well acquainted with the required job skills so as to achieve Organizational Goals. With this basic philosophy in mind and taking into account the objective of training as laid down in the Corporate Vision Document (2011-2016), the Corporate Training Department has been constantly focusing on introducing new and innovative training programmes catering to the present and future training needs of the organisation.

In order to get the exposure in different areas of training, we impart training to our officers/ employees as per the four tier training system consisting of:-

- 1. Oriental Staff Training College Faridabad and Chennai.
- 2. 24 Regional Training Centers covering 30 Regional Offices.
- 3. National Insurance Academy, Pune.

द ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

4 अन्य व्यावसायिक संस्थान जैसे भारतीय बीमांकिक संस्थान भारतीय बीमा संस्थान, आईसीडब्ल्यए, भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज, हैदराबाद, फिक्की, स्कोप, आईएसएबीएस, आईएसटीए, वाईएमसीए आदि।

1(क) ओएसटीसी फरीदाबाद

ओएसटीसी में प्रशिक्षण कार्यक्रम इस तरीके से तैयार और नियोजित किए जाते हैं कि अधिकारियों के कौशल संबंधी अंतर का समाधान किया जा सकता है ताकि उन्हें और कुशलता से अपने कार्य निष्पादित करने के लिए अपेक्षित ज्ञान और आवश्यक कौशलों से युक्त किया जा सके और वे अपने प्रतिस्पर्धियों से आगे रहें। ओएसटीसी ने प्रबंधन विकास, मुल समावेश प्रशिक्षण, फाउंडेशन प्रशिक्षण, ओरिएंटेशन प्रशिक्षण, तकनीकी प्रशिक्षण, पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, परिवर्ती प्रशिक्षण, संकाय विकास कार्यक्रम और प्रोन्नति पूर्व प्रशिक्षण। प्रशिक्षण के अतिरिक्त, ओएसटीसी कम्पनी का संसाधन और ज्ञान केंद्र भी है। ओएसटीसी के प्रशिक्षण गतिविधियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

वर्ष के दौरान ओएसटीसी द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम/ सेमीनार/कार्यशालाएं

4. Other Professional Institutes like Institute of Actuaries of India, Insurance Institute of India, ICWA, Administrative Staff College of India, Hyderabad, FICCI, SCOPE, ISABS, ISTM, YMCA etc.

1(A) OSTC FARIDABAD

The training programmes at OSTC are designed & planned in such a manner that the skills gap of officers can be addressed so that they can be equipped with necessary skills and knowledge required to perform their job more efficiently and enable them to remain ahead of their competitors. OSTC has conducted regular training programmes on Management Development, Basic Induction Training, Foundation Training, Orientation Training, Technical training, Refresher Courses, Transitional Training, Faculty development programmes and pre promotional training. Apart from training, the OSTC is also a resource & knowledge hub of the Company. Details of the training activities of OSTC are as under:-

Training Programmes/ Seminars/ Workshops conducted by OSTC during 2014-15

प्रशिक्षण कार्यक्रमों की	उपस्थित अधिकारियों की	कार्यशालाओं/सेमीनारों की	उपस्थित अधिकारियों की
संख्या	संख्या	संख्या	संख्या
No. of Training	No. of Officers	No. of workshops/	No. of Officers
Programmes	attended	Seminars	attended
35	1161	9	347

ओएसटीसी 2014.15 में प्रशिक्षित अधिकारियों का श्रेणी-वार ब्यौरा

Category-wise detail of officers trained in OSTC 2014-15

	कुल Total	अनु. जाति SC	अनु. जन जाति ST	अन्य पिछड़े वर्ग OBC	सामान्य General	ਸ ਵਿ ला Female	शारीरिक रूप से निःशक्त Physically Challenged
प्रशिक्षित अधिकारियों की संख्या No. of officers trained	1161	204	59	203	695	198	2
सेमीनारों / कार्यशालाओं में उपस्थित अधिकारियों की संख्या No. of officers attended Seminars/ Workshop	347	66	29	62	190	60	0
কুল Total	1508	270	88	265	885	258	2



1.(ख) ओएसटीसी, चेळाई

ओएसटीसी चेन्नई ने पिछले वर्ष कार्य करना आरंभ किया और यह दक्षिणी क्षेत्रों में नियुक्त अधिकारियों की प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसने 11 सत्रों के जरिए 207 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया।

2. क्षेत्रीय पशिक्षण केंद्र

क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र श्रेणी ॥,॥,।। और अंशतः स्तर । संवर्गी के कर्मचारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन करते हैं। पहली बार, इन क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्रों ने सीधी भर्ती अधिकरी परीक्षा के लिए उपस्थित होने वाले एससी / एसटी / ओबीसी अभ्यर्थियों का भर्ती-पूर्व प्रशिक्षण आरंभ किया। निम्नलिखित आंकडों में वर्ष 2014-15 की प्रशिक्षण गतिविधियों के आंकडों का सारांश दिया गया है:-

1(B) OSTC, Chennai

OSTC Chennai started functioning last year and caters to the training needs of the officers posted in the Southern Regions. It trained 207 officers through 11 sessions.

2. REGIONAL TRAINING CENTRES

Regional Training Centers conduct regular training sessions for the employees in Class II, III, IV and partly Scale I cadres. For the first time, the RTCs initiated Pre-recruitment Training for SC / ST / OBC candidates appearing for the Direct Recruit Officers Examination. Following data summarizes the training activities in 2014-15:-

आयोजित सत्रों की संख्या NO. OF SESSIONS CONDUCTED	भागीदारों की संख्या TOTAL NO. OF PARTICIPANTS	पुरूष MALE	ਸहਿला FEMALE	एससी SC	एसटी ST	ओबीसी OBC	सामान्य GEN
345	7164	5856	1308	1733	559	1162	3710

3. राष्ट्रीय बीमा अकादमी

एनआईए बीमा शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान के क्षेत्र में एक प्रमुख संस्थान है। वर्ष 2014-15 के दौरान एनआईए में 80 सत्रों के माध्यम से कम्पनी के 508 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया। एनआईए द्वारा आयोजित सेवानिवृत्त कार्यकारी अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण का उपयोग कम्पनी द्वारा स्तर प्ट से स्तर टप्प के अधिकारियों के लिए किया जाता है।

4. अन्य व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण

प्रशिक्षण की प्रभावोत्पादकता में वृद्धि करने के लिए, निगमित प्रशिक्षण विभाग निरंतर प्रगतिशील प्रशिक्षण कार्यक्रमों की खोज करता है जो उपर्युक्त कार्यक्रमों के अनुपूरक होते हैं। परिणामस्वरूप, कतिपय विशेषज्ञ प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए निम्नलिखित संस्थाओं को शामिल किया गया।

-भारतीय प्रायोगिक व्यवहार विज्ञान सोसायटी (ISABS): ISABS द्वारा अपनी विभिन्न व्यवहार विज्ञान प्रयोगशालाओं द्वारा 23 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाता है।

वाईएमसीए, शिक्षण केंद्र में पीए/पीएस प्रशिक्षणः वाईएमसीए द्वारा 30 आशुलिपिकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

3. NATIONAL INSURANCE ACADEMY

NIA is a premier institute in the field of insurance education, training and research. 508 officers of the Company were trained in NIA through 80 sessions during 2014-15. The training for Retiring Executives conducted by NIA is utilized by the Company for the officers from Scale IV to Scale VII.

4. TRAININGS AT OTHER PROFESSIONAL TRAINING INSTITUTES

To increase the effectiveness of training, Corporate Training Department constantly searches for innovative training programmes which are complimentary to the above programmes. As a result, the following institutes were roped in for conducting certain specialized trainings.

- Indian Society for Applied Behavioral Science (ISABS): 23 officers were trained by ISABS under its various behavioral Science labs.
- PAs/PSs training at YMCA, Education Centre: 30 Stenographers were imparted training by YMCA.

सचिवालयी प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान (ISTM): सीपीआईओ / पीआईओ के लिए अभिप्रेत आरटीआई पर 05 अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

विभिन्न व्यावसायिक संस्थानों ने 62 सत्रों में कम्पनी के 165 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया।

वर्ष 2014-15 के दौरान प्रशिक्षित कर्मचारियों का समेकित ब्यौरा निम्नानुसार है:-

Institute of Secretariat **Training** Management (ISTM): 05 Officers were imparted a special training on RTI meant for CPIOs/PIOs.

Various Professional Institutes trained 165 officers of the Company in 62 sessions.

The consolidated details of the employees trained during 2014-15 are as follows:-

केंद्र	प्रशिक्षित अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या
Centers	No. of Officers/ Employees Trained
एनआईए	508
NIA	
ओएसटीसी फरीदाबाद	1508
OSTC Faridabad	
ओएसटीसी चेन्नई	207
OSTC Chennai	
आरटीसी	7164
RTCs	
अन्य व्यावसायिक संस्थान	165
Other Professional Institutes	
कुल	9552
Total	

ग्राहक सेवा

ओआईसी की ग्राहक शिकायत संवेदनशीलताः

ओरिएण्टल इंश्योरेंस अपने ग्राहकों की शिकायतों और परिवेदनाओं के प्रति संवेदी है। यह इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि हमने लगातार दूसरे वर्ष 98% परिवेदनाओं का निपटान किया और केवल 0.45% विचाराधीनता सहित 99. 55% निपटान हासिल किया जिसका सारांश निम्नानुसार है:

CUSTOMER SERVICE

Consumer grievance sensitivity of OIC:

Oriental Insurance is sensitive towards the complaints and grievances of its customer. This is evident from the fact that for the second year in a row we surpassed the target of 98% disposal of grievances and achieved 99.55% disposal with a pendency of 0.45% only summarized as under:

अनुसार ओ/एस O/s as on	2014–15 के दौरान सूचित Reported during 2014-15	2014.15 के दौरान निपटान Disposed during 2014-15	31.03.2015 के अनुसार ओ/एस O/s as on 31.03.2015	% निपटान अनुपात % age disposal ratio
21	2438	2448	11	99.55%

कुशलता मानदंडों को निम्नानुसार रेखांकित किया गया है:

1. 31 मार्च 2015 के अंत में 22 आरओ ने शून्य विचाराधीनता अर्जित की।

The efficiency parameters are highlighted below:

1. 22 RO"s achieved zero pendency of grievances at the end of 31st March 2015.



- 2. ओआईसी की परिवेदना समाधान प्रणाली इस प्रकार की है कि एक एक परिवेदना की निष्पक्ष सुनवाई की जाती है। दावों से संबंधित परिवेदनाओं के मामले में, एक-एक दावे की समीक्षा उच्च प्राधिकारी द्वारा की जाती है।
- 3. कम्पनी की परिवेदना संवेदनशीलता और परिवेदनाओं की संभलाई की प्रभावोत्पादकता और गुणवत्ता का निर्णय इस तथ्य से किया जा सकता है कि दावों से संबंधित सूचित कुल परिवेदनाओं में से, 32% को पूर्णतया स्वीकृत किया गया और ओआईसी ने विलंबों या गलत इनकार के मामले में ग्राहक के पक्ष में समाधान किया। 8% प्रतिशत परिवेदनाओं को बीमित को संदेह लाभ प्रदान करते हुए आंशिक :प से स्वीकृत किया गय
- 59% परिवेदनाएं या तो पॉलीसी के स्कोप से परे पाई गईं या औचित्यपूर्ण नहीं पाई गईं। यह तथ्य दर्शाता है कि पहली बार में हमारी दावा संभलाई प्रणाली निष्पक्ष है और कोई नाजायाज कटौती या अस्वीकरण नहीं किया जाता है।


ओआईसी की दावों से संबंधित शिकायतें



- 5. स्वारथ्य बीमा से संबंधित परिवेदनाओं पर हैदराबाद में क्षेत्रीय परिवेदना केंद्रीय अधिकारियों और टीपीए के साथ एक सेमीनार आयोजित किया गया ताकि स्वास्थ्य संबंधी परिवेदनाओं का प्रभावी :प से प्रबंधन करने के लिए बेहतर समझ और संयुक्त रणनीति तैयार की जा सके।
- 6. परिवेदनाओं की संभलाई और निपटान में टीपीए के निष्पादन के मुल्यांकन के लिए इनके साथ टीपीए के साथ तिमाही बैठकें आयोजित की जाती हैं।
- 7. हमारे परिवेदना पोर्टल को नियमित :प से अद्यतन किया जाता है और ग्राहक-मैत्रिक बनाया जाता है। हमारा राष्ट्रीय कॉल सेंटर परिवेदनाओं सहित सभी मृद्दों पर ग्राहकों की कॉल का तत्परता से उत्तर देता है।
- 8. ओआईसी की परिवेदना निवारण प्रणाली ग्राहकों

- 2. The Grievance Resolution System of OIC is such that each and every grievance gets a fair hearing. In case of claim related grievances, each and every claim is reviewed by a higher authority
- 3. The grievance sensitivity of the company and the effectiveness and quality of grievance handling can be judged from the fact that of the total grievances reported relating to claims, 32% were fully accepted and OIC gave the resolution in favour of the customer in case of delays or wrong denials. 8% grievances were partially accepted giving the benefit of doubt to the insured.
- 4. 59% grievances were found to be either beyond the scope of the policy or not reasonable. This goes to show that at the first place our claims handling is fair and no undue deductions or repudiations are made

CLAIM RELATED COMPLAINTS OF OIC



- 5. A seminar on Health Insurance related grievances was held at Hyderabad with the Regional Grievance Nodal Officers and TPAs for better understanding and to create a joint strategy to effectively manage health related grievances.
- 6. Quarterly meeting are held with the TPAs to assess their performance in the handling and disposal of grievances.
- 7. Our Grievance Portal is regularly updated and made customer friendly. Our national Call Centre diligently answers to the call of the customer on all issues including grievances.
- 8. The Grievance Redressal Machinery of OIC is



की आवश्यकताओं के प्रति प्रभावी, कार्यकुशल और प्रतिक्रियावादी है(जिसमें ये सुनिश्चित करने के लिए सभी स्तरों पर समय और प्रयास लगाए जाते हैं कि पीडित ग्राहक वांछित और संरक्षित महसूस करे।

उत्पाद विकास

वर्ष 2014-15 के दौरान गतिविधियों के उल्लेखनीय क्षेत्रों में से एक नए उत्पाद विकसित करना और इसके पुनःमूल्य निध ारिण सहित मौजदा उत्पादों का संशोधन करना है। इस अवधि के दौरान किए गए प्रयासों के उल्लेखनीय परिणाम सामने आए हैं, और प्रस्तुत किए गए तीन में से दो उत्पादों को विनियामक द्वारा स्वीकृत किया गया है। ये हैं व्यक्तिगत मेडिक्लेम पॉलीसी और ओरिएण्टल हैप्पी कैश पॉलिसी । हैप्पी फैमिली फुलोटर 2015 (मौजूदा एचएफएफ नीति का संशोधि ात संस्करण) भी प्रस्तुत किया गया है और इसके अनुमोदन की प्रतीक्षा है। यह एक चुनौती रहा है, क्योंकि हमारा फोकस बाजार वृद्धि की प्रक्रिया को अनुपूरित करने के उद्देश्य से मूल्य प्रतिस्पर्धात्मकता अनुरक्षित करने के साथ साथ उत्पाद के गुणों को उन्नत बनाने पर रहा है।

विभाग का प्रारंभिक फोकस स्वास्थ्य उत्पादों पर है क्योंकि ये उत्पाद कम्पनी के वित्तीय परिणामों में उल्लेखनीय योगदान दे रहे हैं और यह अवस्था तब प्राप्त हुई जब प्रीमियम संशोधन अपेक्षित था। मौजूदा बाजार अपेक्षाओं की वजह से उत्पाद विशेषताओं का स्तरोन्नयन करने की भी आवश्यकता थी। वर्तमान में हम उच्च निवल मूल्य व्यक्तियों (एचएनआई) के लिए वैश्वित स्वास्थ्य उत्पाद विकसित करने, बैंकाश्योरेंस स्वास्थ्य पॉलिसियों के संशोधन, घरेलू और द्कानदारों के पैकेज उत्पाद विकसित करने पर फोकस कर रहे हैं।

जोखिम पबंधन

विभाग में जोखिम प्रबंधन गतिविधियों के गतिशील माध्यम को जारी रखते हुए, निम्नलिखित दो महत्वपूर्ण लक्ष्य हासिल किए गए हैं.

- 1. धोखाधडी जोखिम प्रबंधन रूपरेखा का कार्यान्वयन
- 2. ईआरएम (उद्यम जोखिम प्रबंधन) कार्यान्वयन आरंभ करना

धोखाधडी जोखिम प्रबंधन रूपरेखा

जैसा कि बोर्ड द्वारा अनुमोदित धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन नीति में परिकल्पित किया गया है, प्रबंधन रूपरेखा का कार्यान्वयन किया गया है। विभिन्न विभागों से प्राप्त सुझावों के आधार पर धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन मेनुअल संकलित किया गया है।

effective, efficient and responsive to the needs of the customers; putting in time and effort at all levels to ensure that an aggrieved customer feels wanted and cared for.

PRODUCT DEVELOPMENT

One of the significant areas of activity during 2014-15 has been devising new products and modification of existing products including its repricing. The efforts put in this period has brought significant results, with two of the three products filed being approved by the Regulator. These are Individual Mediclaim Policy and Oriental Happy Cash Policy . Happy Family Floater 2015 (revised version of existing HFF Policy) has also been filed and is awaiting approval. It has been a challenge, as focus was to improve the product features while maintaining price competitiveness so as to supplement the process of market growth.

Initial focus of the department is on the Health products as these are the ones contributing significantly to Company"s financial results and the stage was reached when premium revision was required. The product features also needed an upgrade due to existing market requirements. Presently we are focusing on devising a Global Health product for High Net worth individuals (HNIs), revision of Bancassurance health policies, Shopkeepers" Householders" and **Package** products.

RISK MANAGEMENT

While continuing with the vibrant mode of risk management activities in the department, following two important milestones have been achieved-

- 1. Implementation of Fraud Risk Management Framework
- 2. Initiation of ERM (Enterprise Risk Management) implementation

Fraud Risk Management Framework

As envisaged in the Board approved Fraud Risk Management Policy the management framework has been implemented. Fraud Risk Management Manual has been compiled on the basis of inputs received from various departments. A Fraud Cases



धोखाधड़ी के जोखिम से संबंधित सभी मुद्दों पर ध्यान देने के लिए एक धोखाधडी मामलों की समीक्षा समिति गठित की गई है।

उद्यम जीखिम पबंधन

ईआरएम कार्यान्वयन के लिए परामर्शदाता नियोजित करने के मामले को इस वित्त वर्ष में मैसर्स पीडब्ल्यूसी के सेवाएं विनियोजित करके अंतिम रूप दिया गया। ये राष्ट्रीय बीमा और साथ ही युनाइटेड बीमा के लिए साझे परामर्शदाता निकाय के रूप में काम करेंगे। कार्यान्वयन का प्रथम चरण 8 अप्रैल 2015 को परियोजना आरंभ होने की बैठक से शुरू हुआ जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, महाप्रबंधकों, उपमहाप्रबंधकों और मुख्यालयों के मुख्य प्रबंधकों ने भाग लिया।

ईआरएम रूपरेखा और इसका कार्यान्वयन पांच चरणों में किया जाएगा, जो छह महीने में पूरा किया जाना निर्धारित है। इनमें परियोजना आरंभ होने के समय की बैठकें, जोखिम पहचान, जोखिम आकलन और प्राथमिकता, जोखिम शमन, ईआरएम पॉलिसियां विकसित करना और सूचना देना शामिल होगा।

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व

ओरिएण्टल इंश्योरेंस ने निगमित कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 27 फरवरी 2014 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 129(E) द्वारा अधिूसचित अनुसूची VII और इसके संशोधनों के तहत सुचीबद्ध प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार सीएसआर गतिविधियां आरंभ की हैं। तदनुसार वित्त वर्ष 2014-15 में सीएसआर समिति (कम्पनी के निदेशक मंडल की उप-समिति) का गठन किया गया। बोर्ड की सीएसआर उप-सिमित और निदेशक मंडल ने दिनांक 23 सितंबर, 2014 को सीएसआर नीति अनुमोदित की है। वित्त वर्ष 2014-15 के लिए सीएसआर गतिविधियों के लिए रु. 7.92 करोड आवंटित किए गए।

कम्पनी ने अपनी सीएसआर गतिविधियां कम्पनी के स्थापना दिवस, दिनांक 12 सितंबर, 2014 को दिल्ली सरकार, महिला एवं बाल कल्याण विभाग द्वारा चलाए जा रहे अनाथालयों में रहने वाले बच्चों के लिए आजाद हिंद ग्राम की शैक्षणिक यात्रा आयांजित करके आरंभ की। कम्पनी ने प्रधान मंत्री के 'स्वच्छ भारत अभियान' और 'स्वच्छ गंगा अभियान' में भी योगदान दिया। कम्पनी ने जम्मू कश्मीर की बाढ़, हुद हुद तूफान, असम और मेघालय की बाढों के लिए निधियों का योगदान दिया। कम्पनी ने नई दिल्ली में वृद्धाश्रमों की दैनिक अवसंरचना संबंधी आवश्यकताएं मृहैया कराईं।

Review Committee has been formed to look into all issues related to fraud risk

Enterprise Risk Management

The matter of engaging consultant for ERM implementation was concluded in this financial year by engaging services of M/S PwC. They would be working as common consultant for National Insurance and United India Insurance as well. First phase of implementation has begun with the project launch meeting on 8th April 2015 which was attended by CMD, GMs, DGMs and Chief Managers of Head Office.

ERM framework and its implementation would be done in five phases, scheduled to be completed within six months. These will include project kickoff meetings, Risk Identification, Risk Assessment & Prioritization, Risk Mitigation, Developing ERM policies and reporting

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

ORIENTAL INSURANCE has undertaken CSR Activities in accordance with Section 135 of Companies Act, 2013 for thrust areas listed under Schedule VII notified by Gazette Notification no. G.S.R. 129(E) dated 27th February, 2014, issued by Ministry of Corporate Affairs and amendments thereof. Accordingly, The CSR Committee (a Sub-Committee of the Board of Directors of the Company) was constituted in the Financial Year 2014-15. The CSR Sub-Committee of the Board and Board of Directors has approved the CSR Policy of the Company on 23rd September, 2014. Budget of Rs. 7.92 crores was allocated for CSR activities for the FY 2014-15.

The Company started its CSR initiatives on 12th September, 2014, the Founder "s day of the Company, by organizing an Educational Trip at Azad Hind Gram for the children living in orphanages run by the Delhi Government, Department of Women and Child Development. The Company also contributed to PM"s initiative of 'Swach Bharat Abhiyan" & 'Clean Ganga Mission". The Company contributed funds for relief and rehabilitation of victims of J & K Floods, Hud Hud Cyclone, Assam and Meghalaya Floods. The Company provided daily infrastructure requirements of Old Age homes in New Delhi.





भारत के अनेक बड़े औद्योगिक और वाणिज्यिक समूह मुंबई स्थित मुख्यालय से प्रचालन कर रहे हैं। जहां यह सूची बहुत बड़ी है, इनमें से प्रमुख औद्योगिक घराने हैं टाटा, अम्बानी, रुइया आदि। इस प्रकार बीमा कारोबार, विशेषकर सामान्य बीमा का उल्लेखनीय भाग मुंबई से संचालित किया जाता है। निम्नलिखित सारणी में सामान्य बीमा कम्पनियों के बाजार के रूप में मुंबई को महत्ता दी गई है।

पीएसयू कम्पनियां	आरओ की संख्या	अखिल भारतीय प्रीमियम	मुम्बई का प्रीमियम	%
राष्ट्रीय	3	11257	1726	15
न्यू इंडिया	7	13209	3674	28
युनाइटेड इंडिया	3	10692	1336	13
ओरिएण्टल	4	7408	1345	18

एक बाजार के तौर पर मुंबई की महत्ता को देखते हुए और बाजार की मांगों पर तत्पर और तुरंत प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए, ओरिएण्टल ने वर्ष 2013 में महाप्रबंधक और 2 अधिकारियों की नियुक्ति के साथ महाप्रबंधक का एक कार्यालय खोला है। जुलाई 2014 में अतिरिक्त अधिकारियों की नियुक्ति करके महाप्रबंधक कार्यालय का सुदृढ़ीकरण

Many large industrial and commercial groups in India operate with Mumbai as Headquarters. While the list is very big, prominent among these industrial houses are the Tatas, Ambanis, Ruias etc. Thus substantial portion of insurance business, particularly General Insurance, is transacted from Mumbai. The following table gives the importance to Mumbai as a market for General Insurance Cos.

महाप्रबंधक

GENERAL MANAGER

PSU Cos.	No. of Ros.	Premium All India	Premium of Mumbai	%
National	3	11257	1726	15
New India	7	13209	3674	28
United India	3	10692	1336	13
Oriental	4	7408	1345	18

In view of the importance of Mumbai as a market and to ensure more prompt and immediate response to the market demands, Oriental has opened a General Manager's Office in the year 2013 with a posting of GM and 2 Officers. In July 2014, GM Office strength was augmented with posting of additional officers (present strength is 6). After this

THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LTD.



किया गया (वर्तमान क्षमता 6 है)। इसके बाद मुंबई के 4 क्षेत्रीय कार्यालयों से संबंधित निम्नानंकन और दावों का निर्णय महाप्रबंध के कार्यालय द्वारा किया जा रहा है।

वर्ष 2015.16 के लिए मुंबई में कार्यालयों से संबंधित लक्ष्य 20% की वृद्धि दर सहित रु. 1577 करोड़ है। इसके लिए प्रमुख रूप से फोकस मुंबई में मोटर बीमा गठबंधन कारोबार विकसित करने और साथ ही रीटेल मार्केटिंग के लिए संख्याएं विकसित करने और मजबूत एजेंसी बल को पोषित करने पर भी रहेगा।

all decisions of underwriting and claims pertaining to 4 Regional Offices of Mumbai are being attended to by GM Office.

The target for Offices in Mumbai is Rs. 1577 Crs. For 2015-16 with growth rate of 20 %. The main focus would be on developing Motor tie-up business in Mumbai and also develop numbers & nurturing strong agency force for retail marketing.





सम्पदा एवं स्थापना विभाग

कम्पनी के स्वामित्व वाली सम्पत्ति का प्रबंधन

कम्पनी के स्वामित्व वाले सभी परिसरों की साज-सज्जा और इनका सभी आवश्यक सुख-सुविधाओं के साथ आधुनिकीकरण करने के लिए कठोर प्रयास किए जा रहे हैं। दिल्ली और देश के अन्य स्थानों पर स्थित कम्पनी के स्वामित्व वाले सभी फुलैटों का अनुरक्षण सर्वोत्तम मानदंडों के अनुरूप किया जा रहा है ताकि अधिभोगियों की पूर्ण संतुष्टि की जा सके और सम्पत्तियों की ईष्टतम उपयोगिता हासिल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, कानूनी मृददों का कठोरतपूर्वक दिन-प्रतिदिन आधार पर अनुसरण किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कम्पनी के हितों का पूर्ण संरक्षण किया जा सके। सम्पदा विभाग ने स्वामित्व के अभिलेखों को सुरक्षित तरीके से रख-रखाव करने के लिए कम्पनी के स्वामित्व वाली सम्पत्तियों के शीर्ष विलेखों का डिजीलटाइजेशन किया है।

कम्पनी के परिसरों का नवीकरण

हमारे सम्पदा विभाग का प्रयास देश भर में अपने सभी कार्यालयों का नवीकरण और आधुनिकीकरण करने का रहा है। इस दिशा

ESTATE & ESTABLISHMENT DEPARTMENT

Management of Company Owned Property

Rigorous efforts are being made to facelift all our Company Owned Premises and modernize them with all necessary amenities. All Company Owned Flats at Delhi and other locations in the Country have been maintained to the best of standards to ensure full occupant satisfaction and efforts are being made to have optimum utilization of the properties. In addition to this, legal issues are being rigorously followed up on day-to-day basis to ensure that the interest of the Company is fully protected. Estate Department has digitalized the Title Deeds of Company Owned Properties to ensure safe upkeep of ownership records.

Renovation of Office Premises

It has been the Endeavour of our Estate Department to renovate and modernize all its offices across the Country. In this direction, we have renovated the newly acquired premises at Aggarwal House, Asaf Ali Road, New Delhi; part of the premises situated on Ground Floor, Oriental House, Head Office, New



में, हमने अग्रवाल हाउस, आसफ अली रोड, नई दिल्ली स्थित नए अधिग्रहीत परिसर(भूतल, आरिएण्टल हाउस मुख्यालय, नई दिल्ली के भाग और एमआरओ ।।, मुंबई के साथ साथ मुंबई स्थित महाप्रबंधक के कार्यालय का नवीकरण किया है।

कम्पनी द्वारा सम्पत्ति की खरीद

गत वर्ष के दौरान की गई पहलों की निरंतरता में, हमारे सभी कार्यालयों को स्थान मुहैया कराने और विभिन्न संवर्गों के कर्मचारियों को उपयुक्त आवास उपलब्ध कराने के लिए देश के सभी भागों में आवासीय सम्पत्तियों के साथ-साथ वाणिज्यिक सम्पत्तियों की खरीद के लिए इस वित्त वर्ष के दौरान अत्यधिक प्रयास किए गए हैं। इस दिशा में, कम्पनी राज्य निकायों या सरकारी कम्पनियों से निम्नखित सम्पत्तियों को खरीदने में सफल रही है:-

- छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड से नया रायपुर में 3 अतिरिक्त नए मकानों की खरीद।
- एनबीसीसी ग्रीन व्यू एपार्टमेंट्स, सेक्टर 37डी, गुड़गांव में एनबीसीसी से टाइप डी के 5 आवासीय फलैटों की खरीद।
- एनबीसीसी से एनबीसीसी सेंटर, फेज।, ओखला, नई दिल्ली में 13,318 वर्ग फूट वाणिज्यिक स्थल और 31 कवर्ड कार पाक्रिंग की खरीद।
- एनबीसीस सेंटर, लाल कोठी स्कीम, जयपुर में एनबीसीसी से 9,180 वर्ग फूट वाणिजियक स्थल की खरीद
- एनबीसीसी प्लाजा, करेलीबाग, वडोदरा में 2356 वर्ग फुट वाणिज्यिक स्थल और 2 कवर्ड पाक्रिंग की खरीद
- आरओ चेन्नई, सीबीआरओ और आरटीसी चेन्नई को स्थान मुहैया कराने के लिए सैफ गेम्स विपेज वाणिज्यिक स्थल – ।, कोयम्बेडु, चेन्नई में तमिलनाडु हाउसिंग बोर्ड से 20,000 वर्ग फुट वाणिज्यिक स्थल और 25 आरक्षित कार पाक्रिंग की बुकिंग
- किदवई नगर (ईस्ट), नई दिल्ली में एनबीसीसी से 45,000 वर्ग फुट वाणिज्यिक स्थल और 125 कवर्ड पाक्रिंग की खरीद

कार्यालय परिसर - लीज मामले

हमारा प्रयास पूरे भारत में सम्पदा कार्यशालाएं आरंभ करके सम्पदा विभाग के अधिकारियों को संवेदी बनाने का है, इस प्रयास ने लाभ प्रदान करना आरंभ कर दिया है और लीज मामलों के नवीकरण में उल्लेखनीय सुधार रहा है। अधिकांश लीज करारों का नवीकरण समाप्ति से पहले समय रहते किया जा रहा है जिसका परिणाम भाड़े के व्यय में हुई बचत के Delhi and the premises of MRO II, Mumbai as well as newly set up GM's Office at Mumbai.

Purchase of Property by the Company

In continuation of the initiatives taken during previous years, enormous efforts have been made during this fiscal to purchase Commercial as well as Residential Properties in all parts of the Country to house our Offices and provide suitable accommodation to employees of various cadres. In this direction, the Company has been able to purchase the following properties from State **Bodies or Govt. Companies:-**

- Purchase of additional 3 No. Independent Houses at Naya Raipur from Chhattisgarh **Housing Board**
- Purchase of 5 No. Type D Residential Flats from NBCC in NBCC Green View Apartments, Sector 37D, Gurgaon
- Purchase of Commercial Space of 13,318 sq.ft. & 31 Covered Car Parkings from NBCC in NBCC Centre, Phase I, Okhla, New Delhi
- Purchase of Commercial Space of 9,180 sq.ft. from NBCC in NBCC Centre, Lal Kothi Scheme, Jaipur
- Purchase of Commercial Space of 2356 sq.ft. & 2 Covered Car Parkings in NBCC Plaza, Karelibaug, Vadodara
- Booking of 20,000 sq. ft. of Commercial Space & 25 Reserved Car Parkings from Tamil Nadu Housing Board at SAF Games Village Commercial Site - I, Koyambedu, Chennai to house RO Chennai, CBRO & RTC Chennai.
- Purchase of additional 45,000 sq.ft. Commercial Space & 125 Covered Car Parkings from NBCC in Kidwai Nagar (East), New Delhi.

Office Premises – Lease Matters

Our efforts to sensitize officers in Estate Dept. all over India by conducting Estate Workshops have started paying dividends and there has been remarkable improvement in renewal of Lease Matters. Most of the Lease Agreements are being renewed in time



रूप में हुआ है।

हमारे कर्मचारियों के साथ-साथ ग्राहकों को बेहतर सुख-सुविधाएं मुहैया कराने और भाड़े के व्यय को न्यूनतम करने के लिए, 31 मामलों में शिफिटंग की अनुमति दी गई और 3 परिसर वापस किए गए।

राजभाषा कार्यान्वयन

हमारी कंपनी भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुसार दैनिक कार्यालयीन कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढावा देने के लिए लिए निरंतर प्रयत्नशील है। हमने वर्ष के दौरान भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन में राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) का पूर्ण रूप से पालन करने के साथ ही हिंदी में मुल पत्राचार के मामले में उल्लेखनीय प्रगति की है। हम अपने सभी कॉरपोरेट और व्यक्तिगत ग्राहकों की बीमा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनकी भाषा में संवाद करने के लिए सदैव प्रतिबद्ध हैं। कर्मियों को हिंदी भाषा, आशुलिपि व टंकण प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से कंपनी ने "मानक बीमा शब्दावली'' का प्रकाशन किया है। कंपनी के प्रधान कार्यालय स्तर से गह पत्रिका 'ओरिएण्टल संवाद' का भी त्रैमासिक प्रकाशन किया जा रहा है।

वर्ष 2014-15 के दौरान सचिव (राजभाषा), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय ने हमारी कंपनी के प्रधान कार्यालय का निरीक्षण किया।

कंपनी के विभिन्न कार्यालयों में 15 से 29 सितंबर 2014 के दौरान हिंदी पखवाडा व 15 सितंबर 2014 को हिंदी दिवस का आयोजन किया गया। हिंदी पखवाडे के दौरान आयोजित की गई विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं में कर्मियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया व पुरस्कार प्राप्त किए।

सूचना का अधिकार

ओरिएण्टल इंश्योरेंस काफी पहले वर्ष 2009 में आरटीआई मामलों के विकेंद्रीकरण में अग्रणी निकायों में से है। परिण गमस्वरूप, आरटीआई आवेदनों के साथ साथ उन पर प्रथम अपीलें भी मुख्यालय और देश भर में विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों दोनों में प्राप्त किए जाते हैं। हमारे मुख्यालय और प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में पृथक-पृथक केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) और प्रथम अपीलीय प्राधिकारी हैं। आरटीआई मामलों पर तत्परता से कार्रवाई की जाती है और इनका निपटान सांविधिक समय के भीतर तेजी से किया जाता है।

before expiry, resulting in savings in rental outgo.

To provide better amenities to our employees as well as customers and minimize the rental outgo, shifting was allowed in 31 cases and 3 premises were surrendered.

OFFICIAL LANGUAGE IMPLEMENTATION

It has been Company's continuous endeavor to encourage the use of Hindi in day-to-day office work in accordance with the Official Language policy of the Government of India. In the field of original correspondence in Hindi and compliance of section 3 (3) of the Official Language Act of Government of India, we have made a notable progress during the year. We, in the Company, are committed to meet the insurance requirements of all our corporate and individual clients through their own language. In coordination with Department of Science and Technical terminology, Ministry of Human Resource Development, Government of India, Company has published the "Standard Insurance Glossary". A house magazine "Oriental Samvaad" is also being published quarterly at Head Office level.

During the year 2014-15, Secretary (OL), Official Language Department, Ministry of Home Affairs inspected our Company's Head office.

During 15-29 September, 2014 "Hindi Fortnight" and on 15th September, 2014 "Hindi Day" was organized in all the Offices of the Company. Large number of employees participated and won prizes in various Hindi Competitions organized during the Fortnight.

RIGHT TO INFORMATION

Oriental Insurance was one of the pioneers of decentralizing the RTI matters, way back in the year 2009. As a result, RTI Applications as well as First Appeals thereon are received both at Head Office and various Regional Offices across the length and breadth of the country. We have separate Central Public Information Officers (CPIOs) and First Appellate Authorities (FAAs) for Head Office and each of our Regional Offices. RTI matters are promptly attended to and expeditiously disposed of within the statutory time.



सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 (1) (ख) द्वारा यथोपेक्षित अनियार्य प्रकटीकरण किए गए हैं और सूचना कम्पनी की वेबसाइट पर रखी गई है। इसी प्रकार, आरटीआई विभाग के संबंध में सांख्यिकीय आंकडों को केंद्रीय सूचना आयोग की वेबसाइट पर तिमाही आधार पर नियमित रूप से अपलोड किया जाता है।

समस्त भारत में हमारे विभिन्न कार्यालयों द्वारा प्राप्त और कार्रवाई किए गए आरटीआई आवेदनों और प्रथम अपीलों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

	आवेदन	अपीलें
कम्पनी द्वारा प्राप्त कुल	2141	278
आवेदन/अपीलें		
(01.04.2014 से 31.03.2015)		
कम्पनी द्वारा निपटाए गए	2002	255
कुल आवेदन/अपीलें		
(01.04.2014 से 31.03.2015)		

आवेदन / अपीलें प्राप्त करने के अतिरिक्त, मुख्याल और क्षेत्रीय कार्यालयों के आरटीआई विभागों के अधिकारी भी केंद्रीय सतक्रता आयोग द्वारा की गई विभिन्न सुनवाइयों में उपस्थित हो रहे हैं। सीआईसी के सभी आदेशों के साथ साथ समय समय पर इनके द्वारा जारी विभिन्न निदेशों का अक्षरशः अनुपालन किया जा रहा है।

हमने वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग के निदेशों के अनुसार आरटीआई आवेदनों / अपीलों की ऑनलाइन फाइलिंग के लिए अपनी प्रणाली का एकीकरण किया है।

Mandatory disclosures as required by Sec. 4 (1) (b) of the Right to Information Act 2005 have been made and information put on the website of the company. Likewise, statistical data with respect to the RTI Department is being regularly uploaded on quarterly basis on the website of the Central Information Commission.

Details of RTI Applications and First Appeals received and dealt with by our various Offices all over India is as under:

	Applications	Appeals
Total Applications/	2141	278
Appeals received by the		
Company (01/04/2014		
to 31/03/2015)		
Total Applications/	2002	255
Appeals disposed		
of by the Company		
(01/04/2014 to		
31/03/2015)		

Apart from receiving Applications/Appeals, Officials of RTI Department at Head Office and Regional Offices, are also attending various Hearings held by Central Information Commission. All the orders of the CIC as well as various directives issued by it from time to time are being complied with in letter and spirit.

We have integrated our system for online filing of RTI applications/appeals as per directions of Ministry of Finance, Department of Financial Services.





मानव संसाधनः

मानव संसाधन विभाग निरंतर ईष्टतम एचआर हस्ताक्षेप के साथ प्रशासनिक कुशलताओं में सुधार के लिए निरंतर प्रयासरत है। विभाग ने प्रचालनिक कार्यालयों में कमी को पूरा करने के लिए भर्ती में सुदृढ़ गतिविधियां जारी रखीं। निष्पादन मूल्यांकन प्रबंधन प्रणाली और प्रोन्नति नीति में प्रासंगिक परिवर्तन करके कार्य बल के प्रोत्साहन स्तरों में सुधार लाने के लिए विश्वसनीय प्रयास किए जा रहे हैं। एचआर प्रभाव को निर्धारित करने के लिए विभागीय समीक्षाओं और कार्यान्वयन विधानों से सुनिश्चित होता है कि सभी प्रासंगिक प्रक्रियाओं, नीतियों और परिपाटियों का अनुपालन किया जा रहा है।

मानव संसाधन विभाग (श्रेणी। प्रकोष्ठ):

प्रोन्नित कार्रवाई 2014–15 में अगस्त, 14 के महीने में श्रेणी I संवर्ग में स्केल V तक के लिए प्रोन्नति आदेश जारी किए गए थे। घोषित प्रोन्नतियों की संख्या निम्नानुसार थीः

जिस संवर्ग में प्रोन्नति हुई	घोषित प्रोन्नतियों की संख्या
स्केल । से स्केल ॥	173
स्केल ॥ से स्केल ॥।	96
स्केल III से स्केल IV	38
स्केल IV से स्केल V	17

स्केल vi से vii स्केल के संवर्ग में प्रोन्नतियों की प्रक्रिया समय

HUMAN RESOURCES:

Human Resource Department continued its efforts to improve organizational efficiencies with optimum HR intervention. The Department continued robust activities of recruitment to meet the shortfall in the Operational Offices. Sincere efforts are being made to improve the motivational levels of the work force by making relevant changes in the performance appraisal management system and promotion policy. The Department reviews and implements legislations to determine HR impact and ensure that all relevant procedures, policies and practices are in compliance.

HR DEPTT. (CLASS I CELL):

In the Promotion Exercise 2014-15 Promotion Orders were released in the month of August"14, up to Scale V in Class I Cadre. The number of promotions declared were as under:

The cadre to which	No. of Promotions
promoted	declared
Scale I to Scale II	173
Scale II to Scale III	96
Scale III to Scale IV	38
Scale IV to Scale V	17



पर पूरी की गई है और प्रोन्नत अधिकारियों ने प्रोन्नति के संवर्ग में दिनांक 15.06.2014 तक अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

प्रोन्नित प्रक्रिया 2015–16 आरंभ की जा चुकी है और ऑनलाइन परीक्षा मई 2015 में आयोजित होनी प्रस्तावित है।

सीडीए प्रकोष्ठः

सीवीसी के दिशानिर्देशों में उल्लेख किया गया है कि जांच कार्यवाहियों को अधिमानतः जांच / प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की नियक्ति की तारीख से 6 महीने के भीतर परी की जानी चाहिए।

सीडीए मामलों के तीव्र निपटान के लिए, वर्ष 2014-15 के दौरान जांच / प्रस्तुतकर्ता अधिकारियों का विभागीय पेनल सुजित किया गया था। प्रत्येक क्षेत्रीय अधिकारी ने अपने क्षेत्रीय कार्यालय के अधीन 5 अधिकारियों को जांच / प्रस्तुतकर्ता अधि ाकारी के रूप में पेनल में शामिल करने के लिए पहलें की गईं। पेनल में शामिल किए गए सभी अधिकारियों को जोन के आधार पर प्रशिक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया गया। उत्तरी जोन के क्षेत्रीय अधिकारियों के लिए दिनांक 22.08.2014 से 23.08.2014 तक दिल्ली में दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। इसी प्रकार, पश्चिमी जोन के क्षेत्रीय अधिकारियों के लिए दिनांक 11.09.2014 से 12.09.2014 तक पंचगनी, पूणे में दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई।

इसके अतिरिक्त, जांच कार्यवाहियां समय पर पूरी की जानी सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ कठोर अनुसरण कार्रवाई की गई। की गई पहलों के परिणामस्वरूप, दिनांक 31.03.2015 को केवल चार सतक्रता मामले छह महीने से अधिक समय से जांच स्तर पर लंबित थे।

उपरोल्लिखत 4 मामलों में से, 1 मामला माननीय न्यायालय द्वारा दिए गए स्थगनादेश की वजह से लंबित है। शेष 3 मामलों में या तो मामला सीबीआई जांच के परिणामस्वरूप, उत्पन्न हुआ या इसमें संयुक्त जांच चल रही है जिसमें एक से अधिक प्रभारी अधिकारी और भारी संख्या में दस्तावेज और गवाह शामिल हैं।

अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति के कर्मचारियों के कल्याण संबंधी मामलों पर संक्षिप्त विवरणः

अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति कल्याण के लिए, भारत सरकार की नीति के अनुसार, कम्पनी में मुख्यालय में यह सुनिश्चित करने के लिए एक अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति प्रकोष्ठ काम कर रहा है कि आरक्षण नीति संबंधी नियमों और विनियमों का अनुपालन किया जा रहा है। अनुसूचित जाति / अनु. जनजाति में मुख्यालय में तैनात एक मुख्य सम्पक्र अधिकारी, सम्पक्र अधिकारी और

Promotions to the cadre of Scale VI & Scale VII have been completed in time and the promoted officers joined in promoted cadre by 15.06.2014.

The Promotion Exercise 2015-16 has been initiated and the Online Test is proposed to be conducted in May 2015.

CDA CELL:

CVC guidelines states that Enquiry Proceedings should preferably be completed within 6 months from the date of appointment of Enquiry / Presenting Officer.

For speedy disposal of CDA cases, initiatives were taken to create in-house panel of Enquiry / Presenting Officers during 2014-15. Each Regional Office nominated 5 officers under their respective Regional Office to empanel as Enquiry / Presenting Officer. It was decided to impart training to all empanelled Officers on Zonal Basis. Two days workshop was organized for North Zone Regional Offices from 22.08.2014 to 23.08.2014 at Delhi. Similarly, two days workshop was organized for West Zone Regional Offices from 11.09.2014 to 12.09.2014 at Panchgani, Pune. Further, rigorous follow up was done with Regional Offices to ensure timely completion of enquiry proceedings. As a result of the initiatives taken, only four Vigilance cases were pending at Enquiry stage for more than six months as on 31.03.2015.

Out of the above stated 4 cases, 1 case is pending due to stay order granted by the Hon"ble Court. In remaining 3 cases, either the case arose out of CBI investigation or there is composite enquiry involving more than one charged officials and large volume of documents and witnesses.

Brief on Welfare matters for SC/ST Employees:

For welfare of SC/ST, in accordance with the policy of the Government of India, a SC/ST cell is functioning in the Company at HO to ensure that the Rules and Regulation on Reservation Policy are implemented. The SC/ST Cell has Chief Liaison Officer, Liaison Officer and Addl. Liaison Officer posted at Head Office. A Liaison Officer is also posted in each



अतिरिक्त सम्पक्र अधिकारी है। एक सम्पक्र अधिकारी हमारे प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में भी तैनात है जो क्षेत्रीय स्तर पर आरक्षण नीति का कार्यान्वयन और उनकी परिवेदनाओं का तत्परता से निवारण भी सुनिश्चित करता है। मुख्यालय स्थित अनुसूचित जाति/अनु जनजाति प्रकोष्ट अनुसूचित जाति / अन् जनजाति कर्मचारियों के संबंध में सांख्यिकीय आंकड़ों की जांच करके इनका समेकन करता है। सम्पक्र अधिकारी, जहां कहीं आवश्यक हो, क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा अनुरक्षित रोस्टर की जांच और सुधार करता है ताकि आरक्षण नीति और डीओपीटी द्वारा समय समय पर जारी दिशाननिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित जाति / अन्. जनजातियों का उपयुक्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके। अनुसूचित जाति / अन्. जनजाति प्रकोष्ठ कम्पनी ओर क्षेत्रीय काग्रालयों को प्रासंगिक सूचना मुहैया कराता है। मुख्यालय स्थित अनुसूचित जाति / अनु. जनजाति प्रकोष्ठ अनुसूचित जाति / अनु. जनजाति कर्मचारियों की परिवेदनाओं के निराकरण का ध्यान रखता है ताकि अनुसूचित जाति / अनु. जनजाति कर्मचारियों के काम-काज के लिए सोहार्द्रपूर्ण संबंध और स्वस्थ माहौल मुहैया कराया जा सके। यह प्रकोष्ट राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, अनु. जनजाति आयोग और आरक्षण नीति के कार्यान्वयन पर संसदीय समिति के साथ समन्वय भी करता है और अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति कर्मचारियों/कल्याण संघों द्वारा उठाई गई सभी आपत्तियों / परिवेदनाओं के समाधान के लिए सभी संबंधित आंकडे / समर्थन प्रदान करता है।

मंत्रालय द्वारा रोस्टरों का निरीक्षण

वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय ने दिनांक 15.04.2015 को ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड में आरक्षण नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा की है और निरीक्षण किए जाने पर हमारे रोस्टर संतोषजनक पाए गए।

बैठकें

कम्पनी में ''संरचित बैठक योजना'' विद्यमान है जिसमें प्रबंधन सेवा मामलों और कल्याण संबंधी मुद्दों पर चर्चा करने और मुददों के समाधान के लिए कर्मचारियों के प्रतिनिधि निकायों के साथ आवधिक रूप से बैठकें करता है।

प्रशिक्षण

कम्पनी ने अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए भर्ती-पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए और 636 अभ्यर्थियों ने इनका लाभ उठाया।

प्रोन्नित प्रक्रिया 2015.16 के दौरान, विभिन्न स्तरों के अधिकारियों को ऑन-लाइन परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रोन्नति-पूर्व प्रशिक्षण प्रदान किया गया। अनुसूचित जाति / अन्. जनजाति के जिन अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया उनकी संख्या निम्नानुसार है:-

of our Regional Offices to ensure implementation of Reservation Policy at Region level and also prompt disposal of their grievances. SC/ST Cell at HO scrutinizes and consolidates the statistical data with regards to SC/ST Employees. The Liaison Officer examines and rectifies, wherever necessary, the roster maintained by Regional Offices for ensuring proper representation to SCs/STs as provided by Reservation Policy and guidelines issued from time to time by DOPT. The SC/ST Cell provides relevant information to the Company and Regional Offices. The SC/ST Cell at HO takes care of redressal of grievances of SC/ST Employees in order to have cordial relations and healthy environment for working of SC/ST Employees. It also co-ordinates with the National Commission for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and the Parliamentary Committee on the implementation of Reservation Policy and to provide all necessary data/support for resolving all the queries/grievances raised by SC/ST **Employees/Welfare Associations.**

Rosters Inspection by the Ministry

Deptt. of Financial Services, Ministry of Finance has Reviewed the Implementation of Reservation Policy in the Oriental Insurance Company Ltd. on 15/04/2015 and on inspection our Rosters were found satisfactory.

Meetings

The Company has in place "Structured Meetings Scheme' in which the Management meets various representative bodies of employees periodically in order to discuss and resolve issues on service matters and welfare issues.

Trainings

Company organized Pre-Recruitment Training programs for the SC/ST/OBC candidates and 636 candidates availed the benefit from the same.

During promotion exercise 2015-16, the officers in various Scales were imparted pre-promotion training to equip them to appear in On-Line Test. The number of SC/ST officers scale-wise who were imparted training is as under:-



स्केल I से स्केल II : 348 स्केल II से स्केल III : 106 स्केल III से स्केल IV: 122 स्केल IV से स्केल V: 44

अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों के कर्मचारियों के कौशल को उन्नत बनाने के उददेश्य से, इन्हें विभिन्न विभागीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ साथ प्रख्यात एजेंसियों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में भी नामित किया गया। ओएसटीसी, फरीदाबाद में जिन अधिकारियों को प्रशिक्षण हेत नामित किया गया, उनका ब्यौरा निम्नानुसार है:-

Scale I to II: 348 Scale II to III: 106 Scale III to IV: 122 Scale IV to V: 44

In order to upgrade their skills, SC/ST/OBC employees were nominated to various in-house training programs as well as programs conducted by renowned agencies. The number of Officers who were nominated for training at OSTC, Faridabad are as follows:-

	कुल Total	अनु. जाति SC	अनु. जन जाति ST	अन्य पिछड़े वर्ग OBC	सामान्य General	ਸहਿला Female	शारीरिक रूप से निःशक्त Physically Challenged
प्रशिक्षित अधिकारियों की संख्या No. of officers trained	1161	204	59	203	695	198	2
सेमीनारों / कार्यशालाओं में उपस्थित अधिकारियों की संख्या No. of officers attended Seminars/ Workshop	347	66	29	62	190	60	0
कुल Total	1508	270	88	265	885	258	2

नियमान्सार रोस्टर तैयार किया जाना सुनिश्चित करने के लिए, आरओ के सम्पक्न अधिकारियों और कार्मिक विभाग के संबंधित अधिकारियों के लिए आरक्षण रोस्टरों के संबंध में जोन-वार प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था की गई। कम्पनी ने ये रोसटर वेबसाइट पर डाले हैं।

कम्पनी में अनुसूचित जाति/अन्. जनजाति प्रतिनिधित्व का श्रेणी7वार प्रतिनिधित्व निम्नानसार है:

श्रेणी	कुल	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
श्रेणी -।	5285	1161	344
श्रेणी -॥	1413	163	44
श्रेणी -III	6028	1413	509
श्रेणी -IV	1848	875	136
कुल	14574	3612	1033

सीधी भर्ती

कम्पनी ग्राहक सेवा के उन्नत स्तर अनुरक्षित करने के लिए

Zone-wise training programs were arranged on Reservation Rosters for ROs" Liaison Officers and dealing officers of Personnel Deptt., posted in Regional Offices to ensure preparation of Rosters, as per rules. The company has placed Rosters" on the website.

Class-wise SC/ST representation the Company is as under:

Class	Total	SC	ST
Class-I	5285	1161	344
Class-II	1413	163	44
Class-III	6028	1413	509
Class-IV	1848	875	136
TOTAL	14574	3612	1033

DIRECT RECRUITMENT

The Company has formulated the Recruitment plans consistent with the approved policy and



कार्यालयों को प्रतिभावान अधिकारियों और कर्मचारियों से सुराज्जित करने के लिए इच्छुक है और अनुमोदित नीति के अनुरूप भर्ती योजनाएं निरूपित की हैं। भती की सतत प्रक्रिया से चल रही कटौती और सेवानिवृत्ति की वजह से उत्पन्न मानवशक्ति की किमयों को पूरा किया जाएगा और कम्पनी की विस्तार योजनाएं भी पूरी होंगी। प्रशासनिक अधिकारियों के लिए भर्ती कार्रवाई 2012-13 स्केल-। के 177 अधिकारियों की भर्ती से परी की गई जिनमें 95 सामान्य और विभिन्न शाखाओं में 82 विशेषज्ञ अधिकारी शामिल हैं।

पोत्नियां

कम्पनी ने निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली में सुधार के उपाय किए हैं और वर्ष 2014-15 श्रेणी III और IV के लिए निष्पादन मूल्यांकनों के कार्यान्वयन का प्रथम वर्ष था। श्रेणी ॥। से श्रेणी ।में प्रोन्नति प्रक्रिया समय सारणी के अनुसार आयोजित की गई और 100 कर्मचारियों को श्रेणी। में प्रोन्नत किया गया। श्रेणी ॥ में 69 कर्मचारियों को वरिष्ठ सहायकों और 99 को सहायकों के रूप में प्रोन्नत किया गया।

नियमित प्रक्रिया के अतिरिक्त 72 अभ्यर्थियों को सहायकों के संवर्ग में प्रोन्नित की एक बार की प्रक्रिया के तहत प्रोन्नत किया गया।

मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएमएस)

हमने मानव संसाधन संबंधी सभी गतिविधियों को स्वचालित करने के लिए एक ठोस मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली की एक महत्वाकांक्षी परियोजना आरंभ की है।

वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान, बड़ी संख्या में प्रतिपूर्ति / अग्रिम मॉड्यूल (स्थानीय वाहन, त्यौहार अग्रिम, आवासीय चिकित्सा अनुदान, निदेशकों की चिकित्सकीय खर्चों की प्रतिपूर्ति, टेलीफोन खर्चों की प्रतिपूर्ति, मोबाइल उपकरण की लागत, समाचार पत्र प्रतिपूवर्ति और वाहन अग्रिम) और ओआईईडब्ल्यूएस मॉड्यूल आरंभ किए गए और सभी मॉड्यूलों का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया गया। आवासीय ऋण माड्यूल को साइन ऑफ किया जा चुका है और यह आरंभ किए जाने के लिए तैयार है। कुछ अन्य प्रमुख मॉड्यूल जैसे अनुपस्थिति प्रबंधन, एलटीएस, टीई बिल, प्रशिक्षण, भविष्य निधि, परिवहन योजना 9A(V) और विभिन्न वाहन अनुरक्षण प्रतिपूर्तियां प्रयोक्ता स्वीकृति परीक्षण की समाप्ति की अग्रिम अवस्था में हैं। फिलहाल हमारा जोर ग्लोबल पेरोल की परीक्षण और इसे आरंभ करने पर है, जिसमें कम्पनी के सभी कर्मचारियों के वेतनों को मुख्यालय में संसाधित किया जाएगा। strives to equip the offices with talented officers and staff to maintain improved levels of Customer Service. The continuous process of recruitment will make good the manpower shortages caused due to ongoing attrition and retirement and also meet the Company"s expansion plans. The Recruitment Exercise 2012-13 for Administrative officers concluded with induction of 177 Scale – Lofficers which included 95 Generalists and 82 Specialists in various streams.

PROMOTIONS

The Company has made efforts to improve Performance Appraisal System and the year 2014-15 was the first year of implementation of Disclosures of Performance Appraisal for Class III and IV. Promotional Exercise from Class III to Class I was conducted as per Schedule and 100 employees were promoted to Class-I. Within Class III 69 employees were promoted as Senior Assistants and 99 as Assistant.

Apart from the regular exercise 72 candidates were promoted under One Time Exercise for Promotion to the cadre of Assistants.

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT SYSTEM (HRMS)

We have embarked upon an ambitious Project of a robust Human Resources Management System to automate all the HR related activities. During the Financial Year 2014-15, a number of Reimbursement/Advance Modules (Local Conveyance, Festival Advance, Calamity Advance, Briefcase Reimbursement, Domiciliary Medical Grant, Directors Medical Expenses Reimbursement, Telephone Expenses Reimbursement, Cost of Mobile instrument, Newspaper Reimbursements & Vehicle Advance) and OIEWS Modules were rolled out and all the modules were successfully implemented. Housing Loan module has been signed off and is ready for roll out. Some other major modules like Absence Management, LTS, TE Bills, Training, Provident Fund, Conveyance Scheme 9A(V) & various Vehicle maintenance reimbursements are in the advanced stage of completion of user acceptance testing. Presently our major thrust is



एक बार एचआरएमएस के सभी मॉड्यूल कार्यान्वित होने पर, यह प्रणाली प्रबंधन को अत्यंत मूल्यवान सूचना मुहैया कराएगी और मानवशक्ति को अन्य कामों से निवृत्त करके त्वरित निर्णयन प्रक्रिया को सुगम बनाएगी।

पेंशन विभागः

वर्ष में पेंशन योजना आरंभ किए जाने से, एक पृथक विभाग पेंशन निधि का प्रबंधन कर रहा है जिसका आकार वित्त वर्ष 2014-15 की समाप्ति पर रु. 2080 43 करोड़ था। दिनांक 31 मार्च 2015 तक पेंशन का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या ९९४२ है और पेंशनधारकों की संख्या ७६७२ है।

वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान, हमने पेंशन की 350 और पारिवारिक पेंशन की 170 फाइलें संसाधित की हैं जिनका समवर्ती लेखापरीक्षकों द्वारा नियमित रूप से लेखा परीक्षण किया जाता है।

हमने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को दायरे में लेते हुए चारों मंडलों में पेंशन कार्यशालाएं सफलतापूर्वक आयोजित की हैं जिनमें विषय से संबंधित अधिकारियों को संवेदी बनाया गया ताकि "मिशन 30 दिन" के लक्ष्यों को हासिल किया जा सके। हमारी परिपाटी रही है कि सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की क्षेत्रवार सूची एक महीना अग्रिम रूप से भेजी जाए।

भारतीय जीवन बीमा निगम से ली गई समूह अधिवार्षिता महंगाई संबद्ध पॉलिसी (जीएसडीएलके) ने रु. 6.42 करोड़ ब्याज अर्जित किया है। यह सुविधा भविष्य में भी जारी रहेगी।

नई पेंशन योजनाः

नई पेंशन योजना (एनपीएस), जो एक अंशदायी लाभ योजना है, 1 जनवरी, 2004 को या इसके बाद सेवा में आने वाले कर्मचारियों के लिए आरंभ की गई, कानूनी मृददों की वजह से पूर्णतया लाग् नहीं की जा सकी। तथापि, सदस्यों द्वारा किए जा रहे अंशदान को कम्पनी के निवेश पोर्टफोलियो पर अर्जित औसत के आधार पर गणना किए गए ब्याज सहित एक अलग निधि में रखा जा रहा है। इस योजना के अधीन संचित कुल निधि 31मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार रु.32.00 करोड़ है। एक बार कानूनी मृद्दे समाप्त हो जाने पर, संचित निधि को पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) को अंतरित कर दिया जाएगा।

आवासीय ऋण विभागः

कम्पनी में, सभी कर्मचारियों को छत मुहैया कराने के अभियान के भाग के रूप में, अपने कर्मचारियों को सब्सिडी-प्राप्त दरों on testing and rolling out of Global Payroll, where the processing of the salaries for all the employees of the Company shall happen at Head Office. Once all the modules of HRMS are implemented, this system will provide the information of immense value to the Management and facilitate quick decision making besides relieving manpower for other assignments.

PENSION DEPARTMENT:

Since the introduction of the pension scheme in the year 1995, a separate department is managing the pension fund which has a size of Rs.2080.43 crores at the end of F.Y.-2014-15. The total number of employees who have opted for pension as on 31 March 2015 is 9942 and that of pensioners is 7672.

During the financial year 2014-15, we have processed 350 pension and 170 family pension files which are regularly audited by concurrent auditors.

have successfully conducted We pension workshops in all the four zones covering all Regional Offices sensitizing the officers dealing with the subject so as to accomplish "Mission 30 days' target and this has proved fruitful. We have a practice of sending the region wise list of retiring employees a month in advance.

The Group Superannuation Dearness Linked Policy(GSDLK) taken from LIC has yielded an interest of Rs.6.42cr. This facility will continue in future as well.

NEW PENSION SCHEME:

The New Pension Scheme (NPS), which is a contributory benefit scheme, started for employees joining on or after Jan 1, 2004 could not be implemented in toto because of legal issues. However, contributions made by the members are being retained in a separate fund together with interest calculated on the basis of average yield on investment portfolio of the Company. The total fund accumulated under this scheme as on Mar 31, 2015 is Rs.32.00cr. Once the legal issues are over, the accumulated fund will be transferred to the Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA).

द ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

पर आवासीय ऋण मुहैया कराने के लिए एक पृथक आवासीय ऋण विभाग है।

आवासीय ऋण की संस्वीकृति की शक्ति क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर विकेंद्रित की जा चुकी है और अपने कर्मचारियों को ऋण संस्वीकृत करने के लिए मुख्यालय द्वारा इनहें अलग औचित्यपूर्ण बजट मृहैया कराया गया है। तथापि, मुख्यालय इन पर नियंत्रण रखता है और इन्हें आवश्यक सलाह प्रदान करता रहता है। कम्पनी के अधिकांश कर्मचारी कम्पनी की आवासीय ऋण योजना से लाभान्वित हुए हैं।

वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान, कर्मचारियों को संस्वीकृत कुल योजना ऋण रु. 6.65 करोड़ था। इसी अवधि के दौरान कर्मचारियों से योजना ऋण के तौर पर रु. 7.67 करोड वस्त किए गए और इन पर रु. 3.71 करोड ब्याज अर्जित किया गया।

HOUSING LOAN DEPARTMENT:

The Company has a separate Housing Loan Department for the sanction of Housing Loan to its employees at subsidized rates, with the mission to provide a roof to all employees. The sanction of Housing Loan has been decentralized to the Regional Office level and separate rationalized budget is provided to them by Head Office for the sanction of loan to its employees. However, the Head Office has control over them and keeps on providing them with the necessary advices. Most of the employees in the Company have availed the benefit of Company"s Housing Loan Scheme.

During the F.Y.2014-15, total Scheme Loan sanctioned to the employees was for Rs.6.65 Crs. During the same period, Rs.7.67 Crores was recovered as Scheme Loan from the employees and an interest of Rs.3.71 Crores was earned on the same.



मोटर

इस वर्ष हमारा निष्पादन

वर्ष 2014-15 इस बात का साक्षी रहा कि मोटर पोर्टफोलियो पिछले छह वर्ष की प्रवृत्ति को बनाए रखते हुए लाभकारी धटक बना रहा। कमपनी का मोटर ओडी अनुपात 50.29% की निवल आईसीआर सहित कदाचित उद्योग में न्युनतम रहा। यहां तक कि 92.02% पर टीपी निवल आईसीआर को भी काफी कम माना जा सकता है।

इस वर्ष मोटर प्रीमियम का योगदान रु. 2914.45 करोड था, जिसमें से मोटर ओड़ी प्रीमियम का योगदान रु.1261.34 करोड़ और मोटर टीपी प्रीमियम का योगदान रु.1653.11 करोड था। मोटर कारोबार की हिस्सेदारी में पिछले वर्ष की तुलना में 1.5% वृद्धि हुई क्योंकि मोटर प्रीमियम ने कम्पनी के कुल प्रीमियम में 38.54% का योगदान दिया।

सामान्य बीमा, विशेषकर मोटर पोर्टफोलियो में समीक्षाधीन वर्ष के दौरान भीषण प्रतिस्पर्धा देखने को मिली। स्थापित कम्पनियों के साथ-साथ नए खिलाडियों ने अपनी बाजार हिस्सेदारी में सुधार करने के लिए स्वस्थ और रुग्ण सभी युक्तियां अपनाईं। गतिशील बाजार के साथ कदम मिलाने के लिए हमारी रेटिंग पद्धति पर दबाव बना। हमने प्रतिस्पर्धा के प्रति सजग रूप से

MOTOR

Our Performance this year

Year 2014-15, witnessed that Motor Portfolio for the company continued to be a profitable segment maintaining the trend for last six years. Motor OD ratio of the Company is perhaps the lowest in the Industry with Net ICR of 50.29%. Even the TP Net ICR at 92.02% can be considered as quite low.

Contribution of Motor premium this year was Rs.2914.45 crores, out of which Motor OD premium contributed Rs. 1261.34 crores and Motor TP premium, Rs. 1653.11 crores. The share of Motor Business grew by 1.5% as compared to last year as Motor premium contributed 38.54% to the total premium of the company.

General Insurance particularly Motor Portfolio witnessed fierce competition during the year in review. Established as well as new players tried all tricks healthy and unhealthy to improve their market share. To keep pace with the dynamic market our rating pattern was put to stress. We followed a cautiously aggressive approach towards आक्रामक रुख अपनाया।

तथापि, निजी के साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों ने ऐसी दरों पर करोबार बुक किया जिन्हें वित्तीय दृष्टि से व्यवहार्य नहीं माना जा सकता, और जिनका अनुसरण हम नहीं करते।

हमने 8.42% की समग्र वृद्धि दर सहित रु. 226.34 करोड़ की अभिवृद्धि हासिल की। भारतीय प्रचालन में मोटर ओडी की वृद्धि दर 4.80% थी। मोटर टीपी की वृद्धि दर 11.33% थी। लाभप्रदता की अपनी रणनीति पर से अपना ध्यान हटाए बिना हम वर्ष के दौरान मूल्य की दृष्टि से प्रतिस्पर्धी बने रहे। हानि नियंत्रण और विवेकपूर्ण निम्नांकन के लिहाज से हमारे प्रयासों का परिणाम मोटर ओड़ी के लिए 91.08% और मोटर टीपी के लिए 124.39% के निवल संयुक्त अनुपात के रूप में रहा। इससे मोटर पोर्टफोलियो में न्यायोचित वृद्धि और लाभप्रदता का हमारा उददेश्य स्पष्टतया परिलक्षित होता है।

इस वर्ष हमारे विदेशी प्रचालनों ने मोटर पोर्टफोलियो में 6.66% की वृद्धि दर सहित सवंधित निष्पादन दर्शाया और प्रीमियम रु. 49.48 करोड से बढ़कर रु. 52.75 करोड हो गया।

हमने अखिल भारतीय स्तर पर विनिर्माताओं और वित्त संस्थाओं के साथ मोटर सहयोगों के साथ साथ स्थानीय स्तर पर डीलरों और वित्त संस्थाओं के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के अपने प्रयास जारी रखे। 9 अग्रणी ऑटोमोबाइल निर्माता और अखिल भारत में 2 अग्रणी वित्तीय संस्थाएं मोटर पोर्टफोलियो को विकसित करने में हमारी यात्रा में हमारे साझीदार रहे हैं। हमने इस वित्त वर्ष में एस्कॉर्ट द्रेक्टर्स एवं यामाहा मोटर्स के साथ विनिर्माता स्तर के सहयोग से अपने मोटर सहयोग में एक इजाफा किया है। अब हमारे साथ 3198 मोटर डीलर प्रचालन कर रहे हैं।

ग्राहक आधार

एक सर्वेक्षण दर्शाता है कि वर्ष 2014—15 में मोटर पॉलिसीधारकों की संख्या में 213484 की वृद्धि होकर यह 7906441 से 8120125 हो गई। हमने टीपी स्टैंडएलोन पॉलिसीधारकों के अपने आधार में 6.23% वृद्धि की जबिक वाणिज्यिक वाहन सेगमेंट के ग्राहक आधार में 19949 पॉलिसियों की गिरावट आई।

टीपी ढावे

वित्त वर्ष के दौरान तिरुणेलवेली और तिरुचिरापल्ली में दो नए टीपी हब संस्वीकृत किए गए जिससे टीपी हबों की कूल संख्या बढ़कर 40 हो गई। टीपी हब कम्पनी के कुल 145234 टीपी दावों में से 70359 टीपी दावों अर्थात कुल टीपी दावों के 48% the competition. However, Private as well as public sector companies booked business at rates which cannot be termed as financially viable which we did not follow.

We achieved an accretion of Rs.226.34 Crores, with an overall growth rate of 8.42%. The growth rate in Motor OD in Indian operation was 4.80%. The Motor TP growth rate was 11.33%. Without losing focus on our strategy of profitability we were price competitive during the year. Our efforts in terms of loss control measures and prudent underwriting resulted in the net combined ratio for Motor OD at 91.08% and Motor TP at 124.39%. This clearly projects that we achieved our objective of reasonable growth and profitability in Motor Portfolio.

Our foreign operations this year has shown improved performance in Motor Portfolio with growth rate of 6.66% and premium increasing from Rs.49.48 Crores to Rs.52.75 Crores.

We continued our efforts to strengthen the motor tie-ups with manufacturers and financiers on all India level, as also our relationship with dealers and financiers at local level. 9 leading automobile manufacturers and 2 leading all India financiers are our partners in our Journey to develop Motor Portfolio. We made an addition to our motor tieup portfolio with a Manufacturer level tie up with Escorts Tractors & Yamaha Motors Two wheelers in this financial year. 3198 motor dealers are now operating with us.

Customer Base

An analysis shows that number of Motor Policy holders increased in 2014-15 by 213484 from 7906441 to 8120125. We increased our base of TP stand alone Policyholders by 6.23% while customer base of commercial vehicle segment declined by 19949 Policies.

TP Claims

During the financial year two new TP Hubs were sanctioned at Tirunelveli and Tiruchirapalli taking the total number of TP Hubs to 40. TP Hubs handle 70359 TP claims out of the Company's 145234 TP Claims i.e. 48% of the total TP claims.



की संभलाई करते हैं।

वित्त वर्ष 2014-15 में, 70025 नए मोटर टीपी दावों की सूचना दी गई। हमने 81558 टीपी दावों का समाधान किया जिससे बकाया दावों की कुल संख्या 156767 से घटकर 145234 रह गई। टीपी दावों का समाधान अनुपात 36.19% है।

कम्पनी ने देश भर में आयोजित लोक अदालतों में सिक्रय भागीदारी की जिनमें उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय की लोक अदालतें भी शामिल हैं। 12308 मामलों में न्यायालय से बाहर समझौता हुआ जिनमें से 8646 मामलों का समाधान दिनांक 6 दिसंबर 2014 को आयोजित राष्ट्रीय मैगा लोक अदालत में एक ही दिन किया गया।

नए विपणन माध्यमों का विकास

मोटर पॉलिसियां हमारे वेब पोर्टल के माध्यम से बेची गई कुल पॉलिसियों में निरंतर सर्वाधिक योगदान देती रही है।

पौद्योगिकी के उपयोग में एक कदम आगे

प्रौद्योगिकी के उपयोग में एक कदम आगे की ओर हमने अपने एक निर्माता स्तर के सहयोग को वेब एकीकृत मॉडल पर चालित किया है। अन्य सहयोग व्यवस्थाएं भी इसी मॉडल अनुसरण करने जा रही हैं जिससे हमारे सेवा स्तर, विशेष तौर पर डीलरशिप बिंदू पर ग्राहकों को पॉलिसी की डिलीवरी तीव्र होनी अवश्वंभावी है।

ग्रामीण बीमा

ग्रामीण बीमा विभाग के पास से 40 अधिक उत्पाद हैं जो लगभग गरीब के साथ साथ असंगतित क्षेत्र के ग्रामीणों की सभी संभावित बीमा योग्य आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। चालू वित्त वर्ष 2014-2015 के दौरान हमने आरएसबीवाई प्रीमियम सहित रु.168.97 करोड, का प्रीमियम अर्जित किया है। कम्पनी के ग्रामीण बीमा विभाग (आरएसबीवाई सहित) ने रु.30.02 करोड. का लाभ दर्शाया है। उपचित दावा अनुपात 63.25% है।

आरएसबीवाई एक सरकारी प्रायोजित स्वास्थ्य बीमा योजना है जो बीपीएल परिवारों के असंगठित क्षेत्रों के कामगारों के लिए अभिप्रेत है। यह एक नकदी रहित अस्पताल-दाखिला पॉलिसी है और इस योजना के तहत 2 राज्यों के 35 जिलों में जीवन यापन करने वाले 15442444 बीपीएल व्यक्तियों को कवर किया गया है।

In the FY 2014-15, 70025 new Motor TP claims were reported. We disposed 81558 TP claims thereby bringing down the total number of outstanding claims from 156767 to 145234. The TP Claims settlement ratio is 36.19%.

The Company actively participated in Lok Adalats held all over the country, including the Lok Adalats at the High Courts and the Supreme Court. 12308 cases were settled out of court with 8646 claims settled on a single day at the National Mega Lok Adalat on 6th December 2014.

Developing New Marketing Channels

Motor policies continue to contribute the maximum to total policies sold online through our web portal.

A step forward in use of technology

We have moved one of our manufacturer level tie up to web integrated model. Other tie ups are also in the pipeline to follow this model which is bound to enhance our service levels particularly faster policy delivery to the customers at dealerships points.

RURAL INSURANCE

Rural insurance department has more than 40 products catering to almost all possible insurable needs of rural, poor as well as unorganized sector. During the current financial year 2014-2015 we have procured a premium of Rs 168.97 Crores including the RSBY premium. The Rural Insurance Department (excluding RSBY) of the company showed a profit of Rs 30.02 Crores .The incurred claim ratio is 63,25%.

RSBY is a Govt. sponsored health insurance scheme meant for unorganized sector workers belonging to BPL family. This is a cashless hospitalization policy and under this scheme 15442444 BPL lives through 35 districts of 2 states have been covered.



वित्त वर्ष 2014.15

Financial Year 2014-15							
पॉलिसी का नाम		कवर की गई	प्रीमियम	सूचित दावों	समाधान	उपगत दावे	दावा
Name of Policy	की संख्या	संख्या	(लाख रूपए	की संख्या	किए गए	(लाख रूपए	प्रतिशत
	No. of	Number	में)	No. of	दावों की	में)	Claims
	Policies	Covered	Premium	claims	संख्या	_	Ratio %
			(Rs. in lacs)	reported	No. fo	Incurred claims	
					claims settled	(Rs. in lacs)	
जनता व्यक्तिगत दुर्घटना	75054	6851448	2091.00	2482	2711	1543.06	74.00
Janta Personal	73031	0031110	2071.00	2 102	2711	13 13.00	7 1.00
Accident							
ग्रामीण व्यक्तिगत दुर्घटना	10229	65763	2.70	10	12	(-1.46400)	-54.00
Gramin Personal							
Accident							
राज राजेश्वरी	1496	3664	1.03	1	5	(-1.39600)	-136.00
Raj Rajeshwari	026	2060	0.21	•	•	0.00	0.00
भाग्यश्री	926	2069	0.31	0	0	0.00	0.00
Bhagyashree	83978	280401	5252.41	15469	15071	3233.59	61.56
पशुधन Cattle	03970	200401	3232.41	13409	130/1	3233.39	01.30
कृषि पंपसेट	4457	0	83.49	42	46	1.26	2.00
Agri-Pumpset	. 137		03.15		.0		2.00
किसान पैकेज पॉलिसी	108037	18498	2399.48	2127	2371	1560.18	65.00
Kisan Package Policy							
यूएचआईएस	46117	436025	529.28	9773	9753	716.16	135.00
ÜHIS							
अन्य (ग्रामीण बीमा)	51532	2887988	1248.77	4171	4130	291.20	23.32
OTHERS(Rural							
Insurance)	25	15442444	5200.25			22040.55	424.02
आरएसबीवाई	35	15442444	5289.35	-	-	22840.55	431.82
RSBY	201061	26102757	16007.00	24075	2.4000	20102.12	170.60
कुल	381861	26192757	16897.82	34075	34099	30183.13	178.62
TOTAL							



वित्त वर्ष 2013-14

	Financial Year 2013-14						
पॉलिसी का नाम Name of Policy	पॉलिसियों की संख्या No. of	कवर की गई संख्या Number		सूचित दावों की संख्या No. of	समाधान किए गए दावों की	उपगत दावे (लाख रूपए में)	दावा प्रतिरात Claims
	Policies	Covered	Premium (Rs. in lacs)	claims reported	संख्या No. fo claims settled	Incurred claims (Rs. in lacs)	Ratio %
जनता व्यक्तिगत दुर्घटना Janta Personal Accident	90387	6523191	2223.56	2888	2978	1913.70	86.06
ग्रामीण व्यक्तिगत दुर्घटना Gramin Personal Accident	10384	75022	3.14	8	8	1.03	32.74
राज राजेश्वरी Raj Rajeshwari	303	2331	0.93	3	12	0.36	38.76
भाग्यश्री Bhagyashree	225	1061	0.16	2	3	0.08	48.92
पशुधन Cattle	90756	271768	6153.52	15705	15180	3304.69	53.70
कृषि पंपसेट Agri-Pumpset	6245	0	110.77	56	61	1.16	1.04
किसान पैकेज पॉलिसी Kisan Package Policy	136680	24368	2989.92	2570	2684	1808.44	60.48
यूएचआईएस UHIS	54370	513833	741.51	11608	11705	760.43	102.55
अन्य (ग्रामीण बीमा) OTHERS(Rural Insurance)	35639	0	1072.71	5637	5869	358.95	33.46
आरएसबीवाई RSBY	41	4862406 families	17036.88	-	-	17907.28	105.11
कुल TOTAL	425030	7411574	30333.09	38477	38500	26056.10	85.90



वित्त वर्ष 2012-13

Financial Year 2012-13							
पॉलिसी का नाम	पॉलिसियों	कवर की गई	प्रीमियम	सूचित दावों	समाधान	उपगत दावे	दावा
Name of Policy	की संख्या	संख्या	(लाख रूपए	की संख्या	किए गए	(लाख रूपए	प्रतिशत
	No. of	Number	में)	No. of	दावों की	में)	Claims
	Policies	Covered	Premium	claims	संख्या		Ratio %
			(Rs. in lacs)	reported	No. fo	Incurred claims	
					claims settled	(Rs. in lacs)	
जनता व्यक्तिगत दुर्घटना	109735	7897770	2682.09	3078	2982	2310.31	86.12
Janta Personal							
Accident							
ग्रामीण व्यक्तिगत दुर्घटना	16616	69433	3.22	5	98	4.65	155.27
Gramin Personal							
Accident	537	12562	3.43	20	14	2.50	110 10
राज राजेश्वरी	55/	13563	3.43	20	14	3.58	110.19
Raj Rajeshwari भाग्यश्री	401	1383	0.20	2	4	0.03	0.00
Bhagyashree	101	1303	0.20	_		0.03	0.00
पशुधन	75843	219755	4352.12	13244	14587	2844.74	65.37
Cattle							
कृषि पंपसेट	6063	0	116.79	7	162	1.14	0.00
Agri-Pumpset							
किसान पैकेज पॉलिसी	156661	0	3232.36	3682	3303	1932.42	59.77
Kisan Package Policy		207420	504.04	0004	44400	700.00	110.00
यूएचआईएस UHIS	61956	397428	591.96	9036	11432	703.82	118.92
अन्य (ग्रामीण बीमा)	37481	0	808.00	6599	5905	175.00	5.01
OTHERS(Rural	37401	J	000.00	0377	3703	175.00	3.01
Insurance)							
आरएसबीवाई	44	4194240	13626.83	-	-	11789.00	86.51
RSBY							
कुल	465337	12793572	25417	35673	38487	19764.69	77.75
TOTAL							



वित्त वर्ष 2011-12

	Financial Year 2011-12						
पॉलिसी का नाम		कवर की गई	प्रीमियम	सूचित दावों	समाधान	उपगत दावे	दावा
Name of Policy	की संख्या	संख्या	(लाख रूपए	की संख्या	किए गए		प्रतिशत
	No. of	Number	में)	No. of	दावों की	में)	Claims
	Policies	Covered	Premium	claims reported	संख्या		Ratio %
			(Rs. in lacs)	reported	No. fo	Incurred claims	
					claims settled	(Rs. in lacs)	
जनता व्यक्तिगत दुर्घटना	178712	29204813	4231.44	7454	9029	2451.17	57.93
Janta Personal							
Accident							
ग्रामीण व्यक्तिगत दुर्घटना	8129	235	8.96	136	127	2.32	25.89
Gramin Personal							
Accident							
राज राजेश्वरी	2711	3400	2.38	65	95	2.25	94.54
Raj Rajeshwari	201	2224	0.00			0.00	0.00
भाग्यश्री	384	2336	2.32	8	14	0.00	0.00
Bhagyashree	116202	645536	4225.00	20747	24502	2224.45	F2.04
पशुधन Cattle	116293	645536	4335.80	30747	34583	2334.45	53.84
कृषि पंपसेट	225	5991	129.61	178	50	10.71	8.27
Agri-Pumpset	223	3991	129.01	170	30	10.71	0.27
किसान पैकेज पॉलिसी	3542	185598	3841.16	2786	2743	2091.94	54.46
Kisan Package Policy							
यूएचआईएस	64830	417159	1195.58	9430	8407	1430.05	119.61
ÜHIS							
अन्य (ग्रामीण बीमा)	-	48,92,492	17606.71	0	-	14845.29	84.32
OTHERS(Rural		Familes					
Insurance)							
आरएसबीवाई	10379	714456	858.59	7787	8048	361.19	42.07
RSBY							
कुल	385204	31179524	32212.55	58590	63096	23529.37	73.04
TOTAL							



वित्त वर्ष 2010-11

	Financial Year 2010-11						
पॉलिसी का नाम		कवर की गई	प्रीमियम	सूचित दावों	समाधान	उपगत दावे	दावा
Name of Policy	की संख्या	संख्या	(लाख रूपए	की संख्या	किए गए	(लाख रूपए	प्रतिशत
	No. of	Number	में)	No. of	दावों की	में)	Claims
	Policies	Covered	Premium	claims	संख्या		Ratio %
			(Rs. in lacs)	reported	No. fo	Incurred claims	
					claims settled	(Rs. in lacs)	
जनता व्यक्तिगत दुर्घटना	424743	28246628	4092.61	7209	6452	6852	167.43
Janta Personal							
Accident							
ग्रामीण व्यक्तिगत दुर्घटना	13281	17220	657.58	249	188	515	78.35
Gramin Personal							
Accident	6020	7640	5.25	1.4.0	124	25	450.44
राज राजेश्वरी	6930	7642	5.35	146	124	25	459.44
Raj Rajeshwari भाग्यश्री	2140	5035	5.00	18	12	1	29.50
Bhagyashree	2140	3033	5.00	10	12	I	29.30
पशुधन	192459	634082	4258.87	30201	25577	3511	82.44
Cattle							
कृषि पंपसेट	11722	5546	119.98	125	136	33	27.62
Agri-Pumpset							
किसान पैकेज पॉलिसी	103984	185576	3840.70	2658	2050	2620	68.21
Kisan Package Policy							
यूएचआईएस	109979	558785	1601.48	10643	9358	1937	120.97
UHIS		4020720	16007.00			0222	F1 17
अन्य (ग्रामीण बीमा)	-	4829739 families)	16087.00	-	-	8232	51.17
OTHERS(Rural Insurance)		rairiiies)					
आरएसबीवाई	22187	291618	262.74	2383	2241	38	14.48
RSBY							
कुल	887425	29952132	30931.31	53632	46138	23764	76.83
TOTAL							



निवेश विभाग

आर्थिक मंदी की वजह से गत वर्ष निम्नतम बिंदू तक पहुँच गया था। वैश्विक आर्थिक अस्थिरता के दौर के परिणामस्वरूप पूंजी का बहिर्प्रवाह और विनिमय दर पर दबाव उत्पन्न हुआ, किंतु मजबूत नीतिगत उपायों से मुद्रा में स्थिरता आई, विदेशी मुद्रा आरक्षितियों में सुधार हुआ और चालू खाता घाटा (CAD) कम हुआ। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (CSO) द्वारा जारी अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2015 और 2016 के दौरान जीडीपी की वृद्धि 8.1%-8.5% रहने का अनुमान है। जहां वैश्विक वातावरण चुनौतीपूर्ण बना हुआ है वहीं भारत में नीतिगत कार्रवाई जारी रहेगी जो विकास को नई उँचाईयों तक ले जाएगी। वैश्विक वृद्धि दर वर्ष 2015 के दौरान 3.5% और 2016 के दौरान 3.8% रहने का अनुमान है।

मुद्रास्फीति की दर अप्रैल 2014 में 8.79% से घटकर मार्च 2015 में 5.17% हो गई। मुद्रास्फीति कम होने में मुख्य योगदान कच्चे तेल, वस्तुओं और खाद्य मदों की कीमतों में आई गिरावट थी।

भारतीय रिजर्व बैंक ने अर्थव्यवस्था में दबाव को नियंत्रित करने के प्रयास में रेपो दर को दिसंबर 2014 तक 8.00% पर रखा और मुद्रास्फीति कम होने पर इसने रेपो दर को चरणबद्ध तरीके से कम करके 7.50% कर दिया।

INVESTMENT DEPARTMENT

The Economic slowdown bottomed out last year. A spell of global financial turbulence caused capital outflows and pressure on the exchange rate, but strong policy measures stabilised the currency, improved forex reserves and narrowed down the Current Account Deficit (CAD). The growth of GDP is estimated at 8.1%-8.5% during 2015 and 2016 respectively according to advanced estimates released by Central Statistics Office (CSO). While Global environment remain challenging policy action in India would continue to drive the growth to new highs. The Global growth is pegged at 3.5% during 2015 and 3.8% during 2016.

Inflation decreased from 8.79% in April 2014 to 5.17% March in 2015. The main factors contributing to lower inflation were fall in the prices of Crude, commodities and food items.

RBI in its pursuit to control the inflationary pressure in the economy kept the repo rate at 8.00% till December 2014 and on inflation easing it reduced the reporates in a phased manner to 7.50%.



इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में बेमौसम बरसात के बावजूद, आने वाले वित्त वर्ष 2015.16 के दौरान ब्याज दर परिदृश्य में नरमी का रुख आने के आसार हैं।

वर्ष 2014-15 में भारत के इक्विटी बाजारों में तेजी रही जिसमें सेंसेक्स ओर निफटी ने 12 महीने में क्रमशः 24.55 प्रतिशत और 26.33 प्रतिशत का रिटर्न दिया। तेजी का यह चक्र कम से कम 3-5 वर्ष तक जारी रहने की आशा है और केंद्रीय सरकार द्वारा किए जा रहे निवेश-हितैषी उपायों की वजह से बाजार की दिशा सकारात्मक रहने की संभावना है।

इक्विटी बाजार की तेजी का लाभ उठाते हुए, आपकी कम्पनी निवेशों की बिक्री से (जिसमें म्यूचुअल फंडों के मोचन से प्राप्त आय शामिल है जो रु. 35.62 करोड़ बनती है) रु. 923.21 करोड़ का लाभ अर्जित करने में सफल रही, जो गत वर्ष रु. 900.90 करोड (जिसमें म्युचुअल फंडों के मोचन से प्राप्त आय शामिल है जो रु. 27.45 करोड़ बनती है) था। यह सुनिश्चित करने के लिए, कि कम्पनी के इक्विटी पोर्टफोलियों का बही मूल्य अक्षुण्ण बना रहे, आपकी कम्पनी ने अल्पमूल्यांकित इक्विटी स्टॉकों की रु. 239.27 करोड (गत वर्ष रु. 403.01 करोड) की मूल्य खरीद की।

परिणामस्वरूप इक्विटी पोर्टफोलियो का बही मूल्य 31 मार्च, 2014 को रु. 2178.47 करोड़ की तुलना में बढ़ कर 31 मार्च, 2015 को रु. 2189.60 करोड़ हो गया।

आपकी कम्पनी ने वर्ष 2014-15 में भारत सरकार के विनिवेश कार्यक्रम में सक्रिय भागीदार की है और भविष्य में भी भागीदारी करने की आशा है।

वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान, आपकी कम्पनी के निवेश विभाग ने ब्याज और लागांश से गत वर्ष के रु. 986.24 करोड़ की तुलना में रु. 1094.57 करोड़ की आय अर्जित की।

नियत आय निवेशों के लिए हमारा निवेश का दर्शन हमारे समस्त उत्पादों पर ईष्टतम जोखिम/समायोजित आय डिलीवर करे के उद्देश्य से संचालित होता है।

बहरहाल, दरों में कटौती, मुद्रास्फीति में कमी और नकदी की स्थितियों को देखते हुए, भारतीय बांड बाजार में वित्त वर्ष 2014-15 की दूसरी छमाही (H2) में अर्जन की शार्प ईजिंग देखी गई। इसके कारण रहे कच्चे तेल की कीमतों में कमी जिससे चालू खाते का घाटा (CAD) कम करने में सहायता मिली, मुद्रा स्फीति (डब्ल्यूपीआई और सीपीआई दोनों) में तेज आधुनिकीकरण और भारतीय जी सेक्शन तथा निगमित बांडों की मजबूत एफआईआई मांग।

Keeping these facts in mind, despite unseasonal rains in the first quarter of the current financial year, the interest rate scenario is expected to be soft during the coming financial year 2015-16.

In 2014-15 Equity markets in India had a bull run with Sensex and Nifty giving 12 month return of 24.55 per cent and 26.33 per cent respectively. The Bull Run cycle is expected to continue for at least 3-5 years and the direction of the market is likely to be positive due to investor friendly measures being taken by the Central Government.

Taking advantage of the Equity market rally, your company was able to make a profit of Rs.923.21 crores from Sale of Investments (including income from redemption of Mutual Funds amounting to Rs 35.62cr) during the year as against Rs.900.90 crores (including income from redemption of Mutual Funds amounting to Rs 27.45cr) in previous year. In order to ensure that the Book Value of the Equity Portfolio of the company is kept intact, your company did value buying of Rs.239.27 crores (previous year Rs.403.01 crores) of undervalued equity stocks. As a result, the Book Value of the Equity Portfolio went up to Rs.2189.60 Crores as on 31st March, 2015 from Rs.2178.47 crores as on 31st March, 2014.

Your Company has actively participated in the Government of India divestment programme in 2014-15 and expects to further participate in future, as well.

During the fiscal 2014-15, the Investment Department of your company achieved an Income from Interest & Dividend amounting to Rs.1094.57 crores as against Rs.986.24 crores in previous year.

Our investment philosophy for fixed income investments flows from the objective to deliver optimal risk-adjusted returns across our products.

However in view of rate cuts, easing inflation and liquidity conditions the Indian bond market saw a sharp easing of yields in H2 of FY 2014-15. The reasons contributing were sharp fall in crude oil prices which helped in reduction of Current Account Deficit (CAD), sharp moderation in Inflation (both WPI and CPI) and lower than market consensus and strong FII demand for Indian G-Sec and Corporate Bonds.



भारतीय बांड से अर्जन वैश्विक अर्जनों की तुलना में अत्यंत आकर्षक थे खास तौर पर यह देखते हुए कि भारतीय रुपया उभरते बाजारों के बीच सर्वाधिक टिकाउ मुद्राओं में से एक था। ऐसा सुध ारते चालू और वित्तीय घाटे की वजह से हुआ (जिसे कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से आई कमी की वजह से प्रोत्साहन मिला)।

बाजार की स्थितियां वित्त वर्ष के दौरान कम क्रेडिट फैलाव की वजह से कठोर रहीं(बहरहाल आपकी कम्पनी अपने सम्पूर्ण कार्यक्षेत्र में उच्च क्रेडिट गुणवत्ता वाले पोर्टफोलियो बनाए रख पाई।

वित्त वर्ष 2014-15 के लिए 10 वर्षों का औसत बेंचमाक्र (जी-सेक्शन) अर्जन था 8.47% (वार्षिक रूप से) और वर्ष के दौरान आपकी कम्पनी का औसत निधियों पर अर्जन, जो गत वर्ष 8.92% था (निवेशों की बिक्री / मोचन पर लाभ / हानि पर विचार किए बिना), वर्ष के दौरान 9.12% था। तथापि, निवेशों की बिक्री / मोचन पर लाभ / हानि को ध्यान में रखते हुए, समग्र अर्जन गत वर्ष में 17.08% की तुलना में चालू वर्ष के 16.82% दौरान रहा।

निवेश पोर्टफोलियो का बाजार मूल्य और लागत आधारित बही मूल्य (सावधि ऋणों सहित) नीचे दिया गया है।

(करोड रु. में)

	वित्त वर्ष	वित्त वर्ष
	2014-15	2013-14
कुल निवेश का बाजार मूल्य (सावधि ऋणों सहित)	22205.64	20087.32
कुल निवेश का लागत आध् गारित बही मूल्य (सावधि ऋणों सहित)	12476.50	11517.21

इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान आपकी कम्पनी ने सीडीआर/ बीआईएफआर द्वारा अनुमोदित योजनाओं के तहत 6 कम्पनियों के सावधि ऋणों/डिबेंचरों/अधिमान्य पूंजी की पुनर्संचरना भी की। इसके अतिरिक्त, 3 कम्पनियों के लिए एक बारगी समधान (OTS) किया गया। वर्ष 2014-15 के दौरान, आपकी कम्पनी ने अपने पोर्टफोलियो का यौक्तिकरण करने के उद्देश्य से इक्विओ पोर्टफोलियो की छॅटाई की प्रक्रिया जारी रखी, जिसके परिणामस्वरूप आपकी कम्पनी चालू वित्त वर्ष के दौरान 31 कम्पनियों से बाहर निकल गई।

मरीन और विमानन

मरीन और विमानन कारोबार श्रृंखला प्रकृतिवश पूंजी संवेदी होती है। वर्ष के दौरान, निर्माण क्षेत्र में निवेश में कमी और धीमी आर्थिक

Indian Bond yields were very attractive compared to Global yields especially considering that the INR was one of the most stable currencies among emerging markets. This was due to improving current and fiscal deficit (boosted by sharp correction on crude oil prices).

The market conditions during the fiscal 2014-15 were tough on account of lower credit spreads; however your Company managed to maintain high credit quality portfolios across the board.

The average 10 year benchmark (G-Sec) yield for FY 2014-15 was 8.47% (annualised) and the yield on mean funds of your company was at 9.12% during the year against 8.92% in the previous year (without considering the profit/loss on Sale/redemption of investments). However, taking into account the profit/loss on Sale/redemption of investments, the overall yield was at 16.82 % during the current year as against 17.08% in the previous year.

The Market Value and Cost based Book Value of Investment Portfolio (including Term Loans) are given hereunder.

(Rs. In Crores)

·		
	FY 2014-15	FY 2013-14
Market Value of Total	22205.64	20087.32
Investments (including		
Term Loans)		
Cost based Book Value	12476.50	11517.21
of Total Investment		
Portfolio (including		
Term Loans).		

Apart from this, during the year your company also restructured Term Loans/Debentures/Preference Capital of 6 companies under CDR/BIFR approved Schemes. Besides, One Time settlement (OTS) was done for 3 companies. During the year 2014-15, your company continued the exercise of pruning of Equity Portfolio with a view to rationalise its Portfolio. As a result of which, your company exited from 31 companies in the current Financial Year.

MARINE & AVIATION

Marine & Aviation line of business is capital intensive in nature. During the year, the market continued



गतिविधियों की वजह से बाजार में मंदी बनी रही। इसके अतिरिक्त, अति—क्षमता की वजह से, प्रीमियम दरों में और गिरावट आई। इन स्थितियों में, हमने मरीन हल और कार्गो पोर्टफोलियो में तीसरा स्थान बनाए रखा और विमानन पोर्टफोलियो में आंशिक तौर पर खिसक कर दूसरे स्थान पर आ गए।

सतक्र निम्नांकन परिपाटियों और अपनाए गए उपायों ओर प्रभावी दावा प्रबंधन से, मरीन कार्गो, हल और विमानन पोर्टफोलियों के मामले में निवल आधार पर उपगत दावा अनुपातों में उल्लेखनीय सुधार हासिल किए गए।

वर्ष 2014—15 के दौरान, मरीन कार्गी और हल पोर्टफोलियो ने क्रमशः रु. 95.27 करोड़ और रु. 21.84 करोड़ का प्रभावशाली निवल प्रचालनिक परिणाम दर्ज किया।

विमानन पोर्टफोलियों में, (-) रु. 21.58 करोड़ का निवल प्रचालनिक परिणाम मुख्यतः बहाली क्षमता में लिखित पॉलिसियों के तहत अधिक बड़े दावों के उपगत होने की वजह से है।

सर्विस वर्टिकल सेंटर

पर्यवेक्षण प्रकोष्ठ की स्थापना दावों के तत्परतापूर्ण, मानकीकृत और झंझट—मुक्त समाधान के लिए देश भर में 25 सर्विस वर्टिकल सेंटरों (svc) की प्रभावपूर्ण तरीके से निगरानी, मूल्यांकन, मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण करने के उद्देश्य से की गई है। इस विभाग का लक्ष्य एक अत्यंत प्रतिस्पर्धी बाजार में एक प्रमुख कम्पनी के रूप में प्रभावूपर्ण दावा समाधान प्रणाली प्रक्षेपित करना है। विभाग ने अपने अग्रसक्रिय उपायों से सुनिश्चित किया है कि मोटर ओडी दावों की संभलाई करते हुए भी एसवीसी में दावा समधान अनुपात 93% से अधिक है। ऐसे दावों की सर्विसिंग के लिए औसत निपटान समय (TAT) में वर्ष दर वर्ष सुधार होता जा रहा है। विभाग देश भर में और अधिक संख्या में एसवीसी आरंभ करने और जिन एसवीओ के समग्र पोर्टफोलियो में गैर—मोटर दावों की सर्विसिंग अभी तक आरंभ नहीं की गई है उनमें भी इसे आरंभ करने की परिकल्पना कर रहा है।

विदेशी प्रचालन

हमारे विदेशी बाजार में नेपाल, कुवैत और दुबई में कार्यालय हैं। हमने वर्ष 2013–14 में रु.154.68 करोड़ की तुलना में 13. 44% वृद्धि दर्ज करते हुए वर्ष 2014–15 में रु.175.48 करोड़ रुपए का सकल प्रीमियम पूरा किया है।

इस वर्ष दुबई और नेपाल के प्रचालनिक परिणाम संतोषजनक थे जबकि कुवैत में पिछले वर्ष के संचित घाटों की वजह से to be depressed due to lack of investment & low economic activity in manufacturing sector. Moreover, due to over-capacity, the premium rates slide down further. Under these conditions, we continued to maintain the number three position in the market for Marine Hull and Cargo portfolios and marginally descended to number two position in case of Aviation portfolio.

With judicious underwriting practices & measures adopted and effective claims management, significant improvements were achieved in incurred claims ratios on net basis in case of Marine Cargo, Hull & Aviation portfolios.

During the year 2014-15, Marine Cargo & Hull portfolios posted an impressive Net Operating Result of Rs. 95.27 Cr and Rs. 21.84 Cr, respectively.

In Aviation portfolio, the Net Operating Result of (-) Rs. 21.58 Cr is mainly due to incurring of more large claims under policies written within the retention capacity.

SERVICE VERTICAL CENTRES

Supervision Cell has been formed to effectively monitor, evaluate, guide and supervise 25 Service Vertical Centres (SVC) across the country for prompt, standardized and hassle-free servicing of claims. The aim of the department is to project effective claims servicing as a key differentiator in a highly competitive market. The department, through its proactive initiatives, has ensured that the SVCs have over 93% Claims Settlement Ratio while handling motor OD claims. The average turn-around-time (TAT) for servicing such claims has been improving year on year. The department envisions rolling out more SVCs across the country and also including servicing of non-motor claims in the overall portfolio of those SVCs where the same are yet to roll out.

FOREIGN OPERATIONS

We have our offices in Nepal, Kuwait and Dubai in the foreign market. We have completed a gross premium of Rs 175.48 Crores in the year 2014-15 against Rs154.68 crores in the year 2013-14 registering a growth of 13.44%. This year operating results of Dubai and Nepal were satisfactory even as



कुछ असफलताएं रहीं।

हमने नेपाल में अपने कर्मचारियों के लिए चालू वर्ष में परिलिब्ध ायों को संशोधित किया है और उनके गैर-केंद्रीय लाभों का संशोधन प्रक्रियाधीन है। हमने कतर में एक स्थानीय विनियामक सहित एक शाखा की स्थापना का आवेदन प्रस्तुत किया है और हमें शीध्र ही लाइसेंस मिलने की आशा है। हमने नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी की शेयर पूंजी में अभिदान करके इसकी स्थापना में भागीदारी कै। दुबई में विपणन संसाधनों में विस्तार किया गया है और हमें अगले वित्त वर्ष में अपने प्रीमियम में उल्लेखनीय वृद्धि होने की आशा है। नेपाल में कुछ विपणन अधिकारियों की भर्ती और कार्यालयों के स्तरोन्नयन के परिणामस्वरूप हमें प्रोत्साहन मिलेगा। हमें कुवैत में अगले वर्ष में स्थिति में बदलाव आने और काफी बेहतर परिणाम दर्शाने की आशा है।

हमारे विदेशी प्रचालनों का विस्तृत निष्पादन निम्नानुसार है:-

Kuwait suffered some setback due to accumulated losses of previous years.

We revised the wages for the employees in Nepal in the current year and revision of their noncore benefits is under process. We have filed our application for setting up of a branch in Qatar with a local regulator and we hope to get the license soon. We participated in the formation of Nepal Reinsurance Company by subscribing to its share capital. The marketing resources in Dubai have been augmented and we hope to increase our premium substantially in the next financial year. The operations in Nepal will also receive a boost as a result of recruitment of a few marketing officers and upgrading of offices. We hope to turn around the position in Kuwait in next year and show much better results.

The detailed performance of our Foreign operations is as under:-

Account Head		नेपाल Nepal		दुबई Dubai		कुवैत Kuwait		Total	
	राशि Amt	%	राशि Amt	%	राशि Amt	%	राशि Amt	%	
सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम (आरआईए सहित) Gross Direct Premium (incl. RIA)	36.93	-	98.64	-	39.91	-	175.48	-	
प्रीमियम (निवल) Premium (Net)	32.59	88.2%	89.27	90.5%	33.93	85.0%	155.79	88.8%	
कमीशन (निवल) Commission (Net)	1.16	3.6%	27.26	30.5%	10.16	29.9%	38.58	24.8%	
उपगम दावे (निवल) Incurred Claims (Net)	18.02	55.3%	35.28	39.5%	47.74	140.7%	101.04	64.9%	
आरक्षिति दबाव Reserve Strain	1.56	4.8%	7.21	8.1%	-0.8	-2.4%	7.97	5.1%	
एम.ई. M.E.	6.85	21.0%	8.43	9.4%	2.41	7.1%	17.69	11.4%	
निम्नांकित अधिशेष / कमी U/w Surplus/Deficit	5.0000	15.3%	11.0900	12.4%	-25.58	-75.4%	-9.49	-6.1%	
ब्याज और अन्य आय Interest & Other Inc.	7.43	22.8%	4.99	5.6%	-1.64	-4.8%	10.78	6.9%	
निवल अधिशेष (+)/ Net Surplus(+)/Deficit(-)	12.4300	38.1%	16.0800	18.0%	-27.22	-80.2%	1.29	0.8%	



आयकर संबंधी मामले

विभाग द्वारा वित्त वर्ष 2012—13 तक का आयकर आकलन पूरा किया जा चुका है। वर्ष के दौरान, आपकी कम्पनी को आकलन वर्ष 1978. 79 के लिए रु. 61.74 करोड़ का रिफंड आदेश प्राप्त हुआ। हमें विभाग द्वारा आय कर अधिनियम की धारा 13(1)(C) के अधीन वित्त वर्ष 1992—93 के लिए लगाए गए रु. 44 लाख के जुर्माने के विरुद्ध भी एक अनुकूल आदेश प्राप्त हुआ है।

INCOME TAX MATTERS

The income tax assessment until AY 2012-13 has been completed by the Department. During the year, your company has received a refund order amounting to Rs. 61.74 crores for AY 1978- 79. We have also received a favourable order against a penalty levied on us by the Department u/s Section 13(1) (C) of the interest tax for AY 1992-93 for Rs 44 lakhs.



लेखे

वित्त वर्ष 2014-15 के लिए, रु. 279.40 करोड़ की अभिवृद्धि के साथ 3.84% वृद्धि दर दर्शाते हुए सकल आधार पर कुल रु. 7561.93 करोड (गत वर्ष में रु. 7282.53 करोड) का कुल प्रीमियम अर्जित किया गया। निवल प्रतिधारण वर्ष 2013-14 में 82.48% की तुलना में 0.29% की कमी दर्शाते हुए वर्ष के दौरान 82.19% था। निवल आईसीआर गत वर्ष में 85.84% से 3.95%घटकर चालू वर्ष में 81.89% रह गई है।

स्वास्थ्य, मोटर ओडी / टीपी और अग्नि सेगमेंटों का समग्र सकल प्रीमियम में योगदान गत वर्ष में 77.26% की तुलना में चालू वर्ष में 79.09% रहा। जोखिम अंकन हानि वर्ष 2013-14 में रु. 1289.92 करोड़ की तुलना में रु. 242.21 करोड़ वृद्धि होकर वर्ष 2014-15 में रु. 1532.13 करोड़ हो गई।

वर्ष 2014-15 के लिए निवल कमीशन अनुपात निवल प्रीमियम का 5.37% रहा, जो गत वर्ष में 5.60% था।

प्रस्तावित वेतन संशोधन के कारण उच्च्तर प्रावधान किए जाने और एएस-15 की बाध्यताओं की वजह से प्रबंधन व्यय रु. 1775.43 करोड (प्रत्यक्ष प्रीमियम का 24.38%) से बढकर रु. 2347.98 करोड़ (प्रत्यक्ष प्रीमियम का 31.05%) हो चुका है।

ACCOUNTS

GENERAL MANAGER, CHIEF FINANCIAL OFFICER & FINANCIAL ADVISOR

For the financial year 2014-15, a total premium of Rs. 7561.93 Crores (Rs.7282.53 Crores in the previous year) on Gross basis was procured, showing a growth of 3.84% with an accretion of Rs. 279.40 crores. The net retention was 82.19% during the year as against 82.48% in the year 2013-14, showing a decrease of 0.29%. The net ICR has reduced by 3.95% from 85.84% in the previous year to 81.89% in the current year.

Health, Motor OD/TP and Fire segment contributed 79.09% to the overall gross premium in the year, as against 77.26% in the previous year. The underwriting loss increased by Rs. 242.21 Crores from Rs. 1289.92 in 2013-14 to Rs. 1532.13 Crores in 2014-15.

The net commission ratio for the year 2014-15 stood at 5.37% of net premium, as against 5.60% in the previous year.

The management expenses have increased from Rs. 1775.43 Crores (24.38% of Direct Premium) to

चालू वित्त वर्ष के निवेश आय में रु. 151.34 करोड़ की वृद्धि हुई है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:

(रु करोद में)

विवरण	2014-15	2013-14
ब्याज, लाभांश और किराया	1177.34	1048.31
निवेशों की बिक्री पर लाभ्र	923.21	900.90
कुल	2100.55	1949.21

प्रचालनिक लाभ वित्त वर्ष 2013-14 में रु. 204.16 करोड की तुलना में चालू वित्त वर्ष में रु. 91.83 करोड़ था। पिछले पांच वर्षों के लिए अग्नि, मरीन और विविध सेगमेंटों के अधीन कम्पनी के प्रचालनिक परिणाम (आईआरडीएआई के विनियमों के अनुसार) नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार हैं:

(रु. करोड में)

			,	. ,
वर्ष	अविन	मरीन	विविध	कुल
2010-11	-21.58	-21.09	-199.51	-242.18
2011-12	-64.47	9.31	71.23	16.07
2012-13	114.35	35.35	254.71	404.41
2013-14	-20.85	69.05	155.96	204.16
2014-15	-24.82	117.12	-0.47	91.83

कुल मिलाकर, हमने रु. 617.34 करोड़ (गत वर्ष रु. 660. 73 करोड़) का कर-पूर्व लाभ और रु. 392.10 करोड़ (गत वर्ष रु. 460.29 करोड़) का कर-पश्चात लाभ दर्ज किया है। संयुक्त अनुपात वित्त वर्ष 2013-14 में 121.66% की तुलना में बढ़कर चालू वर्ष में 123.84% हो चुका है जिसका प्रमुख कारण एएस- के अधीन सेवानिवृत्ति लाभों में वृद्धि और प्रस्तावित वेतन संशोधन है।

सक्रिय रूप से कारोबार किए गए इक्विटी शेयरों और म्यूच्अल फंडों के पोर्टफोलियो में वृद्धि को दर्शाने वाला उचित मृल्य परिवर्तन लेखा दिनांक 31.03.2014 को रु. 8570.11 करोड़ की तुलना में दिनांक 31.03.2015 को रु. 9729.14 करोड़ पर था।

हम ऋण शोधन क्षमता मार्जिन पर आईआरडीएआई के संशोधित विनियमों का अनुपालन कर रहे हें और यह दिनांक 31.03. 2014 को 1.64 की तुलना में दिनांक 31.03.2015 को 1.68 था।

कम्पनी की सामान्य आरक्षित निधियां दिनांक 31.03.2014 को रु. 2771.74 करोड़ की तूलना में दिनांक 31.03.2015 को 2981.83 करोड़ हैं। कम्पनी ने वर्ष के दौरान रु. 50.00 करोड़ के बोनस शेयर जारी किए हैं।

Rs. 2347.98 Crores (31.05% of Direct Premium) due to higher provisioning towards proposed wage revision and AS-15 obligations.

The investment income for the current financial year increased by Rs.151.34Crores, as detailed below:

(Rs. in Crs)

Particulars	2014-15	2013-14
Interest, Dividend and Rent	1177.34	1048.31
Profit on sale of investments	923.21	900.90
Total	2100.55	1949.21

The operating profit was Rs. 91.83 Crores during the financial year as against Rs. 204.16 Crores in the year 2013-14. The operating results of the Company (as per IRDAI Regulations) under the Fire, Marine and Miscellaneous segments for the past five years are as detailed below:

(Rs. in Crs)

Year	Fire	Marine	Miscellaneous	Total
2010-11	-21.58	-21.09	-199.51	-242.18
2011-12	-64.47	9.31	71.23	16.07
2012-13	114.35	35.35	254.71	404.41
2013-14	-20.85	69.05	155.96	204.16
2014-15	-24.82	117.12	-0.47	91.83

Overall, we have recorded a profit before tax of Rs. 617.34 Crores (previous year Rs. 660.73 Crores) and a profit after tax of Rs. 392.10 Crores (previous year Rs. 460.29 Crores). The combined ratio has increased from 121.66% in the FY 2013-14 to 123.84% in the current financial year mainly due to increase in provisions under AS-15 towards retirement benefits and proposed wage revision.

The fair value change account representing appreciation in the portfolio of actively traded equity shares and mutual funds stood at Rs. 9729.14 Crores as on 31.03.2015, as against Rs.8570.11 Crores as on 31.03.2014.

We are complying with the revised IRDAI regulations on Solvency Margin and it stands at 1.68 as on <mark>31.03.</mark>2015, as against 1.64 as on 31.03.2014.

The General Reserves of the Company are Rs. 2981.83 Crores as on 31-03-2015 as against Rs. 2771.74 Crores as on 31.03.2014. The Company has



कम्पनी के निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2013-14 के लिए रु. 108.00 करोड़ (सवंधित पूंजी का 72%) की तुलना में वित्त वर्ष 2014-15 के लिए रु. 110.00 करोड़ (55%) के लाभांश का प्रस्ताव किया है।

सूचना प्रौद्योगिकी

आईटी अवसंरचना और सुरक्षा

ओआईसीएल पारम्परिक रूप से सार्वजनिक क्षेत्र की गैर-जीवन बीमा कम्पनियों में आईटी कार्यान्वयन के लिहाज से बाजार का अगुआ रहा है। आईटी ढांचे में और वृद्धि करने और इसे सुचारू बनाने के उददेश्य से हमने मौजूदा आईटी अवसंरचना में बड़ा स्तरोन्नयन आरंभ किया है। डेटा सेंटर और डिजास्टर रिकवरी साइटों पर मौजदा अवसंरचना को मजबूत बनाने और इसे नया रूप देने के लिए नवोन्नत प्रौद्योगिकी सहित टेक्नोलॉजी रिफ्रेश आरंभ किया गया है जिसमें सर्वर, स्टोरेज, नेटवक्रिंग और सिक्योरिटी डिवाइस, बैकअप डिवाइस, ईएमएस, एंटी वायरस, एक्टिव डायरेक्ट्री, ई-मेल, परिसम्पत्ति प्रबंधन, हेल्पडेस्क आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, हमारे इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन और वेब पोर्टल के लिए डिजास्टर रिकवरी सुविधा भी सुजित की जा रही है।

आईटी एप्लीकेंशन

हमारी केदीय बीमा एप्लीकेशन हमारा प्रमुख कार्यान्वयन बनी हुई है और इसे हाल ही में ओरेकल 11ळ से अपग्रेड किया गया है। कोर एप्लीकेशन में ऑनलाइन एक्सेस को 500+ मोटर डीलरों तक एक्सटेंड किया गया है जिससे डीलर आउटलेटों पर पॉलिसयां ऑनलाइन जारी किया जाना संभव हो सका है। कुछ बड़े ऑटोमोबाइल विनिर्माताओं (OEMs) और चुनींदा ब्रोकरों के लिए वेब सेवाओं के जरिए सिस्टम लेवल इंटीग्रेशन का कार्यान्वयन किया गया है। इसी प्रकार, स्वास्थ्य संबंधी डेटा अपलोड करने के लिए तृतीय पक्ष प्रशासकों (TPAs) को ऑनलाइन एक्सेस प्रदान की गई है। चुने हए ग्राहकों के लिए मरीन सर्टिफिकेट जेनरेट करने के लिए भी ऑनलाइन एक्सेस चालू की गई है। इसके अतिरिक्त, देश के दूर दराज के कोनों तक भी पॉलिसियां ऑनलाइन जारी करने के लिए कोर एप्लीकेशन को सीएससी पोर्टल (कॉमन सर्विस सेंटर) के साथ इंटीग्रेट किया गया है। आईएनएलआईएएस से जेनरेट किए गए पॉलिसी शैड्यूल्स में बार कोड और क्युआर कोड का कार्यान्वयन किया गया है।

मौजूदा वेब पोर्टल, जिसे 2009 में लांच किया गया था, को शीध्र ही एक नए वेब पोर्टल से बदला जा रहा है जिससे न

issued bonus shares of Rs.50.00 Crores during the year.

The Board of Directors of the Company has proposed a dividend of Rs. 110.00 crores (55% on increased capital) for the Financial Year 2014-15 as against Rs. 108.00 crores (72%) for the Financial Year 2013-14

INFORMATION TECHNOLOGY

IT Infrastructure And Security

OICL has traditionally been the market leader in IT implementation among the PSU Non-Life Insurance Companies. In order to further enhance and streamline the IT setup we have embarked upon a major upgrade of the existing IT infrastructure. The "Technology Refresh" has been undertaken to consolidate and refresh the existing infrastructure at Data Centre and Disaster Recovery sites with state of the art technology which includes Servers, Storage, Networking and security devices, Backup devices, EMS, Anti Virus, Active Directory, E-Mail, Asset Management, Helpdesk, etc. Further, Disaster Recovery facility is being created for our Investment Application and the Web Portal.

IT Applications

Our core insurance application continues to be the flagship implementation and the same has recently been upgraded to Oracle 11g.Online access to the core application has been extended to 500+ Motor Dealers enabling online issuance of policies at the Dealer outlets. System level integration through web services has been implemented for a few major automobile manufacturers (OEMs) and selected Brokers. Similarly, online access has been extended to Third Party Administrators (TPAs) for upload of health related data .Online access has also been enabled for generation of Marine Certificates to selected customers. Further, the Core application has been integrated with the CSC Portal (Common Service Centre) for online issuance of policies even in the remote corners of the country. Bar code and QR codes have been implemented in the policy schedules generated from INLIAS.

The existing Web Portal which was launched in 2009 is shortly being replaced by a new Web Portal



केवल ऑनलाइन द्रांजेक्शनों की बढ़ती हुई मांग पूरी होगी बल्कि यह विभिन्न स्टेकधारकों को ऑनलाइन सेवाएं मृहैया कराने के लिए प्रमुख चैनल होगा।

हमारे एचआर प्रचालनों को भी एचआरएमएस द्वारा सेवा प्रदान की जा रही है, जिसने समस्त संगठन में अपने लाइव ऑपरेशन आरंभ कर दिए हैं। कुछ बचे हुए मॉड्यूल्स को भी जल्द ही चालू किया जा रहा है।

नर्ड पहलें

दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में पुरालेखबद्ध और अनुरक्षित करने के साथ साथ कारोबारी प्रचालनों को समर्थन प्रदान करने के लिए इनका आसानी से रिट्टीवल करने के लिए भी, एक नई आईटी परियोजना, 'एंटरप्राइज कन्टेंट मैनेजमैंट' आरंभ की गई है। ये एक एंटरप्राइज वाइड डिप्लॉयमेंट होगी और इसे हमारे कोर एप्लीकेशन और वेब पोर्टल के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए डेटा वेयरहाउसिंग के साथ साथ बिजनेस इंटेलीजेंस (DW/BI) और ग्राहक संबंध प्रबंधन (CRM) परियोजनाएं भी प्रस्तावित की जा रही हैं और इन्हें शीध्रातिशीध्र डिप्लॉय कर दिया जाएगा।

आंतरिक लेखा परीक्षा

मुख्यालय का आंतरिक लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण विभाग (IAID) क्षेत्रीय केंद्रों में काम कर रहे अपने 25 लेखा परीक्षा प्रकोष्ठों द्वारा उपलब्ध कराए गए फीडबैक की सहायता से प्रबंधन को विभिन्न स्थानों पर स्थित अपने प्रचालनिक कार्यालयों की कार्यप्रणाली पर सूचना मुहैया कराने में सक्षम रहा है।

वर्ष 2014-15 में, आईएडी ने 30 क्षेत्रीय कार्यालयों, 347 मंडल कार्यालयों, 495 शाखा कार्यालयों और 392 व्यापारिक केंद्रों की नियमित लेखा परीक्षा संचालित की। इसके अतिरिक्त, इसने सेवा केंद्रों और टीपी हबों की लेखा परीक्षा की। समझौता ज्ञापना के अधीन किए गए अवसंरचनात्मक भूगतानों – इनकी स्थिति और अनुपालन और कम्पनी के अतिथि गृहों -अनुरक्षण, आवंटन और अतिथि गृहों में ठहरने के लिए कम्पनी के नियमों के अनुपालन पर विशेष लेखा परीक्षा की। इसने सभी सेवानिवृत्त / मृत कर्मचारियों के लिए पेंशन / पारिवारिक पेंशन के भुगतानों की संगामी लेखा परीक्षा भी की।

वर्ष के दौरान, मुख्यालय के कार्मिक, ओएसटीसी, सम्पदा, स्थापना, आरआईडी, लेखा, निवेश प्रचालन, पुनर्बीमा संधि और स्वास्थ्य विभागों की लेखा परीक्षा भी की गई।

वित्त वर्ष 2014–15 के दौरान, लंबित लेखा परीक्षा बिंदुओं

which will not only cater to the increased demand of online transactions but will be the primary channel for delivery of online services to various stakeholders.

Our HR operations are also being serviced by HRMS, which has started its live operations across the organization. Some of the remaining modules are also being rolled out very shortly.

NEW INITIATIVES

A new IT Project, 'Enterprise Content Management' has been undertaken for archiving, and maintaining the documents in electronic form as also their easy retrieval for supporting the business operations. This will be an enterprise wide deployment and will be integrated with our core application and the Web Portal. Going ahead Data Warehousing coupled with Business Intelligence (DW/BI) and Customer Relationship Management (CRM) projects are also proposed and the same shall be deployed at the earliest.

INTERNAL AUDIT

The Internal Audit & Inspection Department (IAID) at Head Office with the help of the feedback made available by its 25 Audit Cells functioning at Regional Centers has been able to provide information to the Management on the functioning of its operational offices situated at various places.

In the year 2014-15, IAD conducted Regular Audit of 30 Regional Offices, 347 Divisional Offices, 495 Branch Offices and 392 Business Centres. In addition, it carried out audit of Service Centers and TP Hubs. Special Audit was carried out on Infrastructure payments made under MOUs - their status and compliance and on Company owned Guest Houses - Critical analysis of Maintenance, allotment and adherence of company's rules for stay in the Guest Houses. It has also conducted concurrent audit of Pension/family pension payments for all retiring/ deceased employees.

During the year, audits of Personnel, OSTC, Estate, Establishment, RID, Accounts, Investment Operations, Reinsurance Treaty and Health departments of Head Office were also conducted.

THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LTD.



को क्लियर करने के लिए विशेष प्रयास किए गए। दिनांक 01.04.2014 की स्थिति के अनुसार 15995 बिंदू लंबित थे, वर्ष के दौरान 15229 बिंदू जुड़ गए, जिनमें से 15672 बिंदुओं का समाधान किया जा चुका है।

दिनांक 01.04.2014 की स्थिति के अनुसार, 486 सीएजी पैरा लंबित थे। वर्ष के दौरान 110 नए पैरा जुड़ गए। दिनांक 31. 03.2015 तक 434 पैराओं के संबंध में सीएजी को उत्तर प्रस्तृत किए गए जिनमें से 48 पैरा सीएजी द्वारा समाप्त / समाशोधित किए जा चुके हैं और 386 पैरा सीएजी के पास उनके अंतिम निर्णय के लिए लंबित हैं।

फाइल एंड यूज के संबंध में आईआरडीएआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, क्षेत्रों की डी-टैरिफ जोखिम अंकन लेखा परीक्षा तिमाही आधार पर की गई है और इसके निष्कर्ष बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए जा चुके हैं।

During the Financial Year 2014-15, special efforts were made to clear the pending audit points. As on 01.04.2014 there were 15995 points pending and during the year 15229 were added, out of which 15672 points have been settled.

As on 01.04.2014, 486 CAG paras were pending. During the year 110 new paras were added. Replies in respect of 434 paras were submitted to CAG upto 31.03.2015 out of which 48 paras have been settled/dropped by CAG and 386 paras are pending with CAG for their final decision.

As per IRDAI guidelines on File and Use, de-tariff underwriting audit of the Regions has been conducted on quarterly basis and the findings were placed before the Board.





पिछले वर्ष हमने कहा था सतक्रता किसी भी संगठन का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यकलाप होता है। यह सभी संबंधित लोगों के लिए नैतिकता और मूल्यों की संस्कृति अनुरक्षित रखने के स्पष्ट संदेश के साथ सुशासन सुनिश्चित करता है।

हमने सतक्रता प्रक्रिया को और मजबूत करके बहुत से अन्य संदेहास्पद क्षेत्रों को सुचारू बनाया है। हम सतक्रता विभाग में रोटेशन नीति का कठोरतापूर्वक अनुसरण कर रहे हैं। 11 सतक्रता अधिकारियों को रोटेंट करके नए अधिकारियों की नियुक्ति करके इन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया गया। यह निष्पादन में सकारात्मकता को परिलक्षित करता है।

पशिक्षण

विभाग ने क्षेत्रीय कार्यालयों में सीवीओ के दौरे के माध्यम से निवारक सतक्रता का संदेश भी प्रसारित किया। इस वर्ष हम अपना ध्यान मंडल कार्यालयों और शाखाओं की ओर भी आकर्षित करने में सफल रहे। क्षेत्रीय कार्यालयों का दौरा करते समय, 18 मंडलों और 7 शाखाओं का दौरा भी किया गया और इस बात पर जोर दिया गया कि कर्मचारियों को अपने कर्तव्यों का निर्वहन सर्वाधिक कुशल, ईमानदार और पारदर्शी तरीके से करने की आवश्यकता है।

Last Year we said "Vigilance is a very important function for any organization. It ensures good governance with a clear message to all concerned to maintain a culture of ethics and values"

We further consolidated vigilance process and streamlined many more grey areas. We are strictly following the rotation policy in vigilance department. 11 Vigilance Officers were rotated and new officers were posted and trained. This reflects positively in the performance.

TRAINING

The Department also spread the message of preventive vigilance through the visit of CVO to Regional Offices. This year we were able to draw our attention at Divisional Offices and Branches also. While visiting Regional Offices, also visited 18 Divisions and 7 Branches and emphasized that employees need to perform their duties in the most efficient, honest and transparent manner.



कर्मचारियों के साथ बातचीत

(i) ओरिएण्टल स्टाफ द्वेनिंग कॉलेज, फरीदाबाद में बैठक:

सम्बोधित समूह	7
भागीदारों की संख्या	174

(ii)

ओरिएण्टल दिवस और सतक्रता सप्ताह पर बैठक	2
सम्बोधित व्यक्तियों की संख्या	430

(iii) क्षेत्रीय कार्यालयों में बैठकें

क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या	17
सम्बोधित कर्मचारियों की संख्या	1450

इस भावना को नीचे तक ले जाने के लिए, सतक्रता विभाग ने सतक्रता सप्ताह के दौरान हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में निबंध लेखन प्रतियोगिता आयोजित की।

भागीदार क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या	25
भागीदारों की संख्या	142
पुरस्कारों की संख्या	30

पुरस्कार विजेता प्रविष्टियों का प्रकाशन विभागी पत्रिका में किया गया।

सतकता विभाग कम्पनी के कार्यालयों का औचक निरीक्षण करता है और इस प्रक्रिया में कर्मचारियों को पासवर्ड साझा करने जैसी सामान्य चूकों के बारे में भी शिक्षित किया गया और उन्हें बेहतर जोखिम अंकन करने, प्रत्यक्ष कारोबार को संरक्षित करने, वित्तीय विवेक का उपयोग करने, लाभप्रदता में सुधार लाने और देनदारियों को कम करने के लिए संवेदी बनाया गया।

वित्त वर्ष 2014-15 के लिए सतक्रता विभाग का निष्पादन निम्नानुसार है:

3							
	सतक्रता एक नजर में						
1	01.04.2014 को मामलों की संख्या	55					
2	01.04.2014 से 31.03.2015 की अवधि के दौरान पंजीकृत मामले	68					
3	01.04.2014 से 31.03.2015 2015 की अवधि के दौरान निपटाए गए मामलों की संख्या जिनमें आरडीए (बड़ी और छोटी दोनों) की सिफारिश की गई।	69					
4	31.03.2015 को अंतिम शेष	54					

विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आंकडों या शिकायतों के आधार

Interaction with Employees

(i) Meeting at Oriental Staff Training College, Faridabad:

Group addressed	7
No. of Participants	174

(ii)

Meeting on Oriental day and	2
Vigilance Week	
No. of Persons addressed	430

(iii) Meeting at Regional Offices

Regional Offices covered	17
Employees addressed	1450

To take this spirit down the line, Vigilance conducted department essay competition during the vigilance week in both Hindi and English

No. of Regional Office Participated	25
No. of Participants	142
No. of Prizes	30

The prize winning entries were published in house magazine.

Vigilance Department carries out surprise Inspection of Company Offices and in the process also educated the employees about common pitfalls like sharing of pass words and sensitizing them for better underwriting, preserving the direct business, financial prudence, to improve profitability and reducing liabilities.

The performance of Vigilance Department for the period 2014-15 is as under:

	Vigilance at A Glance							
1	No. of cases as on 01.04.2014	55						
2	2 Cases Registered during the							
	period 01.04.2014 to 31.03.2015							
3	Cases disposed during the period	69						
	01.04.2014 to 31.03.2015 where							
	RDA (Both Major & Minor is							
	recommended)							
4	Closing Balance as on 31.03.2015	54						

पर की गई जांच

01.04.2014 से 31.03.2015 की अवधि के	56
दौरान जांच	
तदनुसार बड़ी और छोटी आरडीए आरंभ की	
गई	
आरडीए बडी	26
आरडीए छोटी	10

औचक निरीक्षण के साथ साथ जांचों के आधार पर अनेक निवारक उपाय किए गए।

	2013-14	2014-15
औचक निरीक्षण	179	296
पंजीकृत मामले	3	6

सभी औचक निरीक्षणों की रिपोर्टें अनुपालन और प्रचालनिक सुधार हेतू संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को भेजी गईं।

बाहरी एजेंसियों के साथ सम्पक्र

ज्ञान का पारस्परिक विनिमय, जहां सीबीआई के अधि ाकारियों ने ओरिएण्टल स्टाफ कॉलेज में ओआईसीएल के सतक्रता अधिकारियों को प्रशिक्षित किया, वहीं सीवीओ और मुख्य प्रबंधक ने सीबीआई अकादमी में नियमित अंतराल पर प्रशिक्षण प्रदान किया है। इसी प्रकार सीवीसी के संसाधनों को भी सतक्रता अधिकारियों के ज्ञान में सुधार हेतु उपयोग किया गया है।

अंत में, हम सतक्रता मामलों को तीव्रतापूर्वक निर्धारित समय में समाप्त करने का प्रस्ताव करते हैं, जैसा कि सीवीसी द्वारा समय समय पर प्रस्तावित किया जा चुका है।

Investigation based on our analysis of data or complaint received from different sources

Investigation conducted during	56
01.04.2014 to 31.03.2015	
Accordingly RDA Major and minor	
were initiated	
RDA Major	26
RDA Minor	10

On the basis of Surprise Inspection as well as Investigations many preventive steps were taken.

	2013-14	2014-15
Surprise Inspection	179	296
Cases Registered	3	6

The reports for all the surprise inspection were sent to concerned Regional Offices for compliance and administrative improvement.

Liaison with outside agencies

Mutual Exchange of knowledge, while CBI Official have trained OICL Vigilance Officers at Oriental Staff Training College, CVO and Chief Manager have imparted training at CBI Academy at regular interval. Similarly CVC resources have been used for improving the knowledge of Vigilance Officers.

To conclude, we propose speedy closure of vigilance cases in stipulated time line as proposed by CVC time to time.



बीमांकिकों की भूमिका अपने कौशल को नए बीमा उत्पाद तैयार करने, संभावित हानियों का पूर्वानुमान लगाने, प्रीमियम दरें तय करने, बीमाकर्ता की अपने पॉलिसीधारकों के प्रति देनदारी की गणना करने, कम्पनी की पूंजीगत स्थिति का आकलन करने ओर पॉलिसीधारकों का संरक्षण सुनिश्चित करने जैसे कार्यों में लागू करने की होती है।

सामान्य बीमा में नियुक्त बीमांकिक की भूमिका पिछले कुछ वर्षों के दौरान वैश्विक रूप से उल्लेखनीय रूप से बढ़ौतरी हुई है। भारत में बीमा सेक्टर के खुलने के बाद, भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने भी सभी सामान्य बीमा कम्पनियों की ऋणशोधन क्षमता सुनिश्चित करने के उददेश्य से प्रकटीकरणों और प्रतिवेदन पर अपनी अपेक्षाओं में वृद्धि की है।

विनियमों में हाल ही में हुए परिवर्तनों की वजह से सभी बीमा कम्पनियों के लिए एक पूर्णकालिक बीमांकिक नियुक्त करना अनिवार्य हो गया है जिसके अनुसरण में मेरी नियुक्ति 1 अगस्त, 2014 को की गई। मौजूदा अवसंरचना के अधीन, मेरे साथ साथ, हमारे पास एक वरिष्ठ परामर्शदाता बीमांकिक और चार बीमांकिक विद्यार्थियों की मजबूत और कुशल टीम है।

मुल्य निर्धारण

ओरिएण्टल इंश्योरेंस का नए उत्पादों और मौजूदा उत्पादों में

The role of Actuaries is to apply their skills totasks such as designing new insurance products, forecasting expected losses, setting premium rates, calculating the liabilities of an insurer to its policyholders, assessing the capital position of the company and ensuring policyholder protection.

Appointed Actuary's role in General Insurance has increased significantly over the last few years globally. Following the opening up of Insurance sector in India, the Indian regulator, Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) has also increased their requirements on disclosures and reporting to ensure the solvency of all general insurance companies.

Recent changes in regulations mandated all Insurance companies to have a full time appointed actuary pursuant to which I was appointed on August 1, 2014. Under the current structure, along with me, we have a senior consulting actuary and a strong skilled team of four actuarial students.

PRICING

Oriental Insurance's pricing approach to new



संशोधन के प्रति मूल्य निर्धारण संबंधी दृष्टिकोण सामान्यतया प्रज्जवलन लागत अर्थात बर्निंग कॉस्ट की गणना करने पर आध गरित होता है जिसमें विगत दावा आवृत्तियां और दावों की सर्विसिंग संबंधी अनुभव का उपयोग किया जाता है। इसके बाद इसका रुख आर्थिक मुद्रास्फीति ओर दावा समाधान पद्धतियों में किसी भी परिवर्तन को समाहित करने की ओर होता है। फिर इस प्रकार प्राप्त हुई दरों में प्रबंधन व्यय, लाभ भारण और विभिन्न पक्षकारों को देय कोई अन्य शुल्क जोड़े जाते हैं ताकि हमारे उत्पादों के लिए विपणन प्रीमियम का निष्कर्ष निकाला जा सके।

बहरहाल भारतीय बीमा कारोबार में कड़ी बाजार प्रतिस्पर्धा की वजह से, उत्पाद को वित्तीय तौर पर व्यवहार्य और विपणन योग्य बनाए रखने के लिए कुछ रणनीतिक प्रबंधन निर्णय लिए जाते हैं।

फरवरी, 2013 में नए स्वास्थ्य बीमा दिशानिर्देश जारी किए गए जिसके बाद पिछले एक वर्ष में नए स्वास्थ्य उत्पादों को विकसित करने और तदनुसार मौजुदा पॉलिसियों का संशोधन करने पर काफी काम किया गया है।

यह वर्ष उत्पाद अनुमोदनों की दृष्टि से शानदार रहा है। 7 वर्ष बाद, ओरिएण्टल इंश्योरेंस आईआरडीएआई से उत्पादों को अनुमोदित करा सका है। हमने पिछले 10 महीनों में 5 उत्पाद फाइल किए हैं और 4 अनुमोदन हासिल करने में सफल रहे हैं जबकि एक पर परिणाम लंबित हैं।

आईआरडीएआई द्वारा अनुमोदित उत्पादों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

- व्यक्तिगत मेडीक्लेम पॉलिसी के मूल्य निर्धारण का संशोधन
- ज्यूलर्स ब्लॉक पॉलिसी के मूल्य निर्धारण का संशोधन
- हॉस्पिटल कैश कवर नई पॉलिसी आरंभ की गई
- डब्ल्यूसी पॉलिसी के नए कवर पर चिकित्सा विस्तार आरंभ किया गया

हैप्पी फैमिली फ्लोटर पॉलिसी के मूल्य निर्धारण के संशोधन पर परिणाम लंबित है।

आरिषाति-निर्धारण (रिजर्विग)

रिजर्विंग जोखिम किसी बीमा कम्पनी के समक्ष आने वाला सबसे बड़ा जोखिम होता है क्योंकि इसमें दावा आवृत्तियों और दावों की कठिनाई दोनों में अनिश्चितता रहती है। नियुक्त बीमांकिक को आरक्षितियों के लिए एक पर्याप्त प्रावधान की गणना करने की आवश्यकता होती है जिसकी समीक्षा आवधिक रूप से की जाए और अनुभव के मुताबिक जिसका समायोजन किया जाए।

हम प्रत्येक कारोबार श्रृंखला के विशिष्ट पहलुओं को ध्यान में रखते

products and revision in existing products is generally based on calculating the burning cost using historical claim frequencies and claim severities experience. These are then trended to incorporate the economic inflation and any changes in claim settlement patterns. Trended rates are then loaded for management expenses, profit loading and other fee payable to different parties to arrive at a market premium for our products.

However due to stiff market competition in Indian insurance business, some strategic management decisions have to be made to keep the product financially viable and marketable.

New health insurance guidelines were issued in February 2013 following which there has been a <mark>significant amount of work done in last one year</mark> on developing new health products and revising existing policies accordingly.

This year has been a marvelous year in terms of product approvals. After 7 years, Oriental Insurance has been able to get products approved from IRDAI. We filed 5 products in last 10 months and have been able to secure 4 approvals with results pending on one.

The products approved by IRDAI are as follows:

- 1. Individual Mediclaim Policy Revision in Pricing
- 2. Jewelers Block Policy Revision in Pricing
- 3. Hospital Cash Cover New Policy introduced
- 4. Medical Extension on WC policy New cover introduced

Result is pending for Happy Family Floater policy revision in pricing.

RESERVING

Reserving risk is one of the biggest risk an insurance company faces more because of uncertainty both in terms of frequency and severity of claims. Appointed actuary needs to calculate an adequate provision for reserves which can be reviewed periodically and adjusted as per experience.

We decide on the level of reserves to be held



हुए प्रत्येक श्रृंखला के लिए रखी गई आरक्षितियों का स्तर तय करते हैं। जोखिम की प्रकृति के आधार पर, हम किसी कारोबार श्रृंखला विशेष के लिए अंतिम हानि लागत का अनुमान लगाते हैं और आरक्षितियों की गणना करने के लिए आदिनांक तक किए गए किसी भी भूगतान और प्रावधान की कटौती करते हैं, जो हमारे मतानुसार ऐसे किसी भी दावों के संबंध में किए गए किसी भी दावे का भुगातन करने के लिए पर्याप्त हो जिन्हें उपगत तो किया जा चुका हो किंतु अभी तक कम्पनी को जिसकी सूचना न दी गई हो।

हम बीमांकिक मॉडलों का उपयोग करके आरक्षितियों की पर्याप्तता सुनिश्चित करते हैं। हम प्रत्येक तिमाही के अंत में अपनी आरक्षितियों की पूर्ण समीक्षा करते हैं और तदनुसार किसी भी कमी / निस्तारण के लिए इसे समायोजित करते हैं।

पूंजी प्रतिरूपण

ऋण शोधन पूंजी व्यवस्था की दिशा में पहले कदम के तौर पर, आईआरडीएआई ने सभी बीमाकर्ताओं को अपने दिशानिर्देशों में निर्धारित किए अनुसार आर्थिक पूंजी की गणना करने की सलाह दी।

आर्थिक पूंजी को किसी भी दिए गए जोखिम सहनशीलता स्तर पर, किसी विशिष्ट कालखंड के दौरान, संभावित हानियों को संरक्षित करने के लिए पर्याप्त अधिशेष के रूप में परिभाषित किया जाता है।

इसके अनुपालन में हमने वर्षवार आधार पर आर्थिक पूंजी आकलन किया है और आईआरडीएआई को निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया है। इस मामले में हमारी कम्पनी की स्थिति निरंतर आश्वासक बनी हुई है और समय के साथ-साथ इसमें सुधार हो रहा है।

परिसम्पत्ति देनदारी प्रबंधन

निवेश विभाग परिसम्पत्ति देनदारी की स्थिति की निगरानी करता है ताकि परिसम्पत्तियों से मिलने वाले प्रतिफल का देनदारियों के संबंध में राशि और समय द्वारा मेल करने के लिए निवेश संबंध ी निर्णय लिए जा सकें। कम्पनी का परिसम्पत्ति देनदारी मिलान काफी ठोस है और भविष्य में इसकी देनदारियों को पूरा करने के लिए इसमें समय के साथ साथ सुधार हो रहा है।

परिसम्पत्ति देनदारी प्रबंधन की समीक्षा तिमाही आधार पर की जाती है और परिणामों को प्रबंधन के साथ साझा करके आईआरडीएआई को निर्धारित प्रारूप में भेजा जाता है।

वित्तीय स्थिति पतिवेदन

वित्तीय स्थिति प्रतिवेदन का उद्देश्य मूल्यांकन की तारीख की स्थिति के अनुसार बीमाकर्ता द्वारा चलाए जा रहे सम्पूर्ण सामान्य बीमा कारोबार की जांच करना और ऋणशोधन क्षमता की

for each line of business separately taking into consideration the specific aspects of each line. Depending on the nature of risk, we estimate an ultimate loss cost for a particular line of business and deduct any payments and provisions made till date to arrive at reserves which should be sufficient in our opinion to pay any claims in respect of claims which have been incurred but not yet reported to the company.

We ensure the adequacy of reserves by use of actuarial models. We undertake a full review of our reserves at the end of every quarter and adjust for any shortfall/release accordingly.

CAPITAL MODELLING

As a first step towards Solvency Capital regime, IRDAI advised all the Insurers to work out Economic Capital, as prescribed in their guidelines.

Economic Capital can be defined as sufficient surplus to cover potential losses, at a given risk tolerance level, over a specified time horizon.

In compliance to this, Economic Capital assessment is done by us on yearly basis and submitted to IRDAI in the prescribed format. Our company's position on this front is consistently comfortable and improving over time.

ASSET LIABILITY MANAGEMENT

Investment department monitors the asset liability position to make investment decisions to match the returns from assets by amount and time in relation to liabilities. The company's asset liability matching is quite robust and improving over time to meet its liabilities in future.

Asset liability Management is reviewed on quarterly basis and results are shared with management and sent to IRDAI in prescribed formats.

FINANCIAL CONDITION REPORT

The objective of Financial Condition Report is to investigate the entire general insurance business carried on by the insurer as on the date of valuation and to report the strengths and weaknesses in terms of the risk the insurer carry with respect to meeting solvency requirements, profitability, morbidity,



अपेक्षाओं, लाभप्रदता, रुग्णता, नकदी, ऋण, खर्च, निवेश प्रतिफल, परिसम्पत्ति-देनदारी प्रबंधन के लिहाज से बीमाकर्ता के जोखिमों और बीमा कारोबार के अन्य विशिष्ट जोखिमों की दृष्टि से कम्पनी की ताकतों और कमजोरियों की सूचना देना होता है।

वित्तीय स्थिति प्रतिवेदन के कार्यक्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है ताकि इसमें कम्पनी की वित्तीय क्षमता सही मायने में परिलक्षित हो सके और सभी संभावित आर्थिक परिदृश्यों में कम्पनी ऋण शोधन क्षमता का आकलन भी हो सके।

कार्यपालक प्रतिवेदन बोर्ड को समीक्षा हेतु प्रस्तुत किया जाता है और वार्षिक तौर पर आईआरडीएआई को प्रस्तुत किया जाता है।

liquidity, credit, expense, investment return, assetliability management and other insurance business specific risks.

Financial condition report increased has substantially in its scope to give a true reflection of the company's financial strength and also to assess the solvency of the company in all possible economic scenarios.

The executive report is presented to the board for review and submitted to IRDAI annually.





निगमित शासन

1. शासन संहिता पर कम्पनी का दर्शन

'ओरिएण्टल' में हम विश्वास रखते हैं कि उत्तम निगमित शासन परिपाटियां कम्पनी के चहुंमुखी विकास के लिए सर्वोत्तम संघटक होती हैं जिनसे न केवल शेयरधारकों का मुल्य अधिकतम होता है बल्कि संगठन का टिकाउ और दीर्घकालिक विकास भी होता है। निदेशक मंडल निगमित शासन के उच्चतम मानदंड हासिल करने के लिए नैतिक मूल्यों और उच्च नैतिक मापदंडों में विश्वास रखता है।

कम्पनी ने आईआरडीएआई द्वारा दिनांक 5 अगस्त, 2009 के परिपत्र संदर्भ संख्या IRDAI/F&A/CIR/025/2009-10 और दिनांक 29 जनवरी 2010 के परिपत्र संदर्भ संख्या IRDAI/ F&I/CIR/F&A/014/01/2010 द्वारा इसके संशोधन द्वारा जारी निगमित शासन संबंधी दिशानिर्देशों को अंगीकृत किया है।

कम्पनी न केवल निगमित शासन की सांविधिक अपेक्षाओं का अनुपालन करती है बल्कि स्वैच्छिक रूप से निगमित शासन की सर्वोत्तम परिपाटियों का आग्रहपूर्वक अनुसरण करने का प्रयास भी करती है ताकि इसके स्टेकधारकों अर्थात् शेयरधारकों, सरकार और समग्र रूप से जनता के हितों को सर्वोत्तम संभव तरीके से पूरा किया जा सके।

CORPORATE GOVERNANCE

1. COMPANY"S PHILOSOPHY ON CODE OF GOVERN-**ANCE**

We at 'Oriental' believe that good Corporate Governance practices are the best ingredients for all round development of the Company which would not only maximize the shareholders value but would also have sustained and long lasting development of the organization. The Board of Directors believes in ethical values and high moral standards in achieving the highest standards of Corporate Governance.

The Company has adopted Guidelines on Corporate Governance issued by IRDAI vide its circular ref: IRDAI/F&A/ CIR/025/2009-10 dated 5th August, 2009 and amendment to the same vide Circular ref: IRDAI/F&I/CIR/F&A/014/01/2010 dated 29th January, 2010.

The Company not only complies with statutory requirements of Corporate Governance but shall also earnestly attempts to follow voluntarily the best practices of Corporate Governance in order to serve the interests of its stakeholders i.e. Shareholders, Customers, Government and Public at large, in best possible manner.

In view of the notification of Companies Act, 2013, the



कम्पनी अधिनियम, 2013 की अधिसूचना के दृष्टिगत, कम्पनी ने यह सुनिश्चित करने के लिए, कि सभी प्रयोज्य प्रावधानों को अनुपालन हो, अपना अनुपालन मैनुअल तैयार किया है। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 203 के अनुसार, कम्पनी की पहली सचिवालयी लेखा परीक्षा मैसर्स जयंत गुप्ता एंड एसोशिएट्स, व्यावसायिक कम्पनी सचिवों द्वारा किया गया। इनका प्रतिवेदन बोर्ड के प्रतिवेदन के साथ संलग्न है।

2. निदेशक मंडल

कम्पनी की 100% प्रदत्त शेयर पूंजी केंद्रीय सरकार द्वारा ध गरित की जाती है और कमपनी के बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा की जाती है। वर्तमान में, बोर्ड में अध्यक्ष एवं प्रबंधन निदेशक और सात निदेशक शामिल हैं।

2.1 निदेशकों का विवरण

निदेशकों के विवरण संलग्न हैं।

3. बोर्ड और समितियों की बैठकें

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, निदेशक मंडल / बोर्ड की समितियों की बैठकें निम्न विवरणानुसार आयोजित की गई:

Company has prepared its compliance manual to ensure that all the applicable provisions are complied with. In accordance with section 203 of the Companies Act, 2013, the 1st Secretarial Audit of the Company was conducted by M/s. Jayant Gupta & Associates, Practicing Company Secretaries. Their report is annexed to the Board's report.

2. BOARD OF DIRECTORS

The 100% paid-up share capital of the Company is held by the Central Government and the Directors on the Board of the Company are appointed by the Central Government. Presently, the Board comprises of the Chairman-cum-Managing Director and seven Directors.

2.1 PARTICULARS OF DIRECTORS

The particulars of Directors are annexed:

3. BOARD AND COMMITTEE MEETINGS

During the year under review, the Meetings of the Board of Directors / Committee of the Board were held as detailed below:

बोर्ड की बैठकें BOARD MEETING	लेखा परीक्षा समिति AUDIT COMMITTEE	निवेश समिति INVESTMENT COMMITTEE	सीएसआर समिति CSR COMMITTEE	जोखिम प्रबंधन समिति RISK MANAGEMENT COMMITTEE	पॉलिसीधारक संरक्षण समिति POLICYHOLDER'S PROTECTION COMMITTEE	सम्पत्ति समीक्षा समिति PROPERTY REVIEW COMMITTEE	सूचना प्रौद्योगिकी समिति IT COMMITTEE
छह	चार	पांच	पांच	चार	चार	चार	दो
SIX	FOUR	FIVE	FIVE	FOUR	FOUR	FOUR	TWO
24.04.2014		24.04.2014					
							01.05.2014
15.05.2014	15.05.2014	15.05.2014					
				27.06.2014	27.06.2014	27.06.2014	
12.08.2014	12.08.2014	12.08.2014	12.08.2014				
				08.09.2014	08.09.2014	08.09.2014	
			23.09.2014				
08.11.2014	08.11.2014	08.11.2014	08.11.2014				
				17.11.2014	17.11.2014	17.11.2014	
				28.01.2015	28.01.2015	28.01.2015	
							04.02.2015
06.02.2015	06.02.2015	06.02.2015	06.02.2015				
19.03.2015			19.03.2015				



4. निदेशकों की समिति (वित्त वर्ष 2014-15)

4.1 बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति में सदस्यों के रूप में इस समय निम्नलिखित निदेशक शामिल हैं:

- 1. डॉ. एन. श्रीनिवास राव, निदेशक (बीमा डिवीजन), वित्त मंत्रालय
- 2. श्री विजय गर्ग, अंशकालिक पदेन निदेशक,
- 3. श्री ए.एस. बाली, अंशकालिक पदेन निदेशक, और
- 4. श्री कुलदीप सिंह, पूर्णकालिक निदेशक एवं महाप्रबंधक

लेखा परीक्षा समिति के कार्यों में तिमाही छमाही और वार्षिक वित्तीय विवरणिकाओं की समीक्षा, आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों का अनुपालन, कम्पनी द्वारा अपनाई गई प्रणालियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा और समय समय पर कम्पनी अधिनियम के अधीन सौंपे गए ऐसे अतिरिक्त कार्य शमिल हैं।

42 बोर्ड की निवेश समिति

समिति में सदस्यों के रूप में इस समय निम्नलिखित निदेशक शामिल हैं:

- 1. डॉ. ए.के. सक्सेना, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक.
- 2. डॉ. एन. श्रीनिवास राव, निदेशक (बीमा डिवीजन), वित्त मंत्रालयए
- 3. श्रीमती कोशल्या राय, अंशकालिक पदेन निदेशक,
- 4. श्री विजय गर्ग, अंशकालिक पदेन निदेशक.
- 5. श्री ए.एस. बाली, अंशकालिक पदेन निदेशक.
- 6. श्री ए.के. मित्तल, महाप्रबंधक, और
- 7. श्रीमती के. रमादेवी, मुख्य वित्त अधिकारी और महाप्रबंधक
- 8. श्री निखिल गुप्ता, नियुक्त बीमांकिक

निवेश समिति के प्रमुख कार्य बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित निवेश नीति का कार्यान्वयन करना और समय समय पर निवेश के प्रस्तावों को अनापत्ति देना है।

4. COMMITTEES OF DIRECTORS (FY 2014-15)

4.1 Audit Committee of the Board

The Audit Committee of the Board presently consists of the following Directors as Members:

- 1. Dr. N. Srinivasa Rao, Director (Insurance Division) Ministry of Finance,
- 2. Shri Vijay Garq, Part-time Non-Offficio Director,
- 3. Shri A. S. Bali, Part-time Non-Offficio Director, and
- 4. Shri Kuldip Singh, Whole Time Director & General Manager

The functions of Audit Committee includes review of quarterly, half yearly and annual financial statements, compliance of internal control systems, review of systems and procedures followed by the Company and such additional functions as may be assigned under the Company"s Act from time to time.

4.2 Investment Committee of the Board

The Investment Committee of the Board presently consists of following as its Members:

- 1. Dr. A. K. Saxena, CMD,
- 2. Dr. N. Srinivasa Rao, Director (Insurance Division) Ministry of Finance
- 3. Mrs. Kaushalya Roy, Part-time Non-Officio Director,
- 4. Shri Vijay Garg, Part-time Non-Officio Director,
- 5. Shri A. S. Bali, Part-time Non-Officio Director,
- 6. Shri A. K. Mittal, General Manager, and
- 7. Mrs. K. Ramadevi, Chief Financial Officer & General Manager
- 8. Shri Nikhil Gupta, Appointed Actuary

The main functions of the Investment Committee are to implement the Investment Policy as approved by the Board and clear the



4.3 बोर्ड की अपील एवं स्मारक समिति

ओरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री एस.एल. बंसल की अधिवार्षिता के परिणामस्वरूप उनकी बोर्ड से सेवानिवृत्ति उप-समिति की गठन प्रक्रिया वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित बैंक के नामित निदेशक की नियुक्ति तक निलंबित रखी गई।

कतिपय श्रेणियों के कर्मचारियों / मामलों के लिए अपीलीय प्राधिकरण और स्मारक के लिए प्राधिकरण के तौर पर बोर्ड की उप-समिति विहित की गई है। उप-समिति का गठन सामान्य बीमा (आचरण, अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1975 के संशोधन के परिणामस्वरूप किया गया था जिसे दिनांक 23.12.2004 को आयोजित बोर्ड की 351वीं बैठक में विधिवत अनुमोदित किया गया था। अब सामान्य बीमा (आचरण, अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1975 का रथान ओरिएण्टल बीमा कम्पनी (आचरण, अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2014 ने ले लिया है जिसे दिनांक 24.04.2014 को आयोजित बोर्ड की 419वीं बैठक में विधि ावत अनुमोदित किया गया था।

4.4 बोर्ड की पारिश्रमिक समिति

बोर्ड की पारिश्रमिक समिति में सदस्यों के रूप में इस समय निम्नलिखित निदेशक शामिल हैं:

- 1. डॉ. एन. श्रीनिवास राव, निदेशक (बीमा डिवीजन), वित्त मंत्रालय.
- 2. श्रीमती कौशल्या राय, अंशकालिक पदेन निदेशक,
- श्री विजय गर्ग, अंशकालिक पदेन निदेशक, और
- 4. श्री ए.एस. बाली, अंशकालिक पदेन निदेशक

पारिश्रमिक समिति का गठन, वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग द्वारा दिनांक 20 जुलाई, 2007 के पत्र संदर्भ संख्या F.No.S-11012/01/2007-Ins.III द्वारा दिए गए निदेश के अनुसार निष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन राशि (पीएलआई)के भूगतान के उद्देश्य से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए किया गया था।

4.5 बोर्ड की जोखिम पबंधन समिति

बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति में सदस्यों के रूप में इस समय निम्नलिखित निदेशक शामिल हैं:

1. डॉ. ए.के. सक्सेना, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,

Investment proposal from time to time.

4.3 Appeal and Memorial Committee of the **Board**

The constitution of Sub-Committee was suspended consequent to retirement of Shri S. L. Bansal, Chairman & Managing Director of The Oriental Bank of Commerce after attaining the age of superannuation, from the Board of the Company, till the time fresh appointment of Bank Nominee Director was notified by the Ministry of Finance.

The sub-committee of the Board has been prescribed as the Appellate Authority and the Authority for Memorial for certain categories of employees / cases. The Sub-committee was constituted consequent upon the amendment of General Insurance (Conduct, Discipline & Appeal) Rules, 1975 which was duly approved in the 351st Board Meeting held on 23.12.2004. The General Insurance (Conduct, Discipline & Appeal) Rules, 1975 is now replaced with The Oriental Insurance Company (Conduct, Discipline & Appeal) Rules, 2014 duly approved in the 419th Board Meeting held on 24/04/2014.

4.4 Remuneration Committee of the Board

The Remuneration Committee of the Board presently consists of the following Directors as Members:

- 1. Dr. N. Srinivasa Rao, Director (Insurance Division) Ministry of Finance
- 2. Mrs. Kaushalya Roy, Part-time Non-Officio Director,
- 3. Shri Vijay Garg, Part-time Non-Officio Director, and
- 4. Shri A. S. Bali, Part-time Non-Officio Director

The Remuneration Committee was constituted to evaluate performance of the Chairmancum-Managing Director, for payment of Performance Linked Incentive (PLI) as directed by The Department of Financial Services, Ministry of Finance, vide letter Ref. No. F.No.S-11012/01/2007-Ins.III dated 20th July, 2007.



- 2. डॉ. एन. श्रीनिवास राव, निदेशक (बीमा डिवीजन), वित्त मंत्रालय
- श्रीमती कौशल्या राय, अंशकालिक पदेन निदेशक, और
- 4. श्री कुलदीप सिंह, पूर्णकालिक निदेशक एवं महाप्रबंधक जोखिम प्रबंधन समिति का गठन आईआरडीएआई द्वारा दिनांक 5 अगस्त, 2009 के परिपत्र संदर्भ संख्या IRDAI/ F&A/CIR/025/2009-10 द्वारा जारी निगमित शासन संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया था।

46 बोर्ड की पॉलिसीधारक संरक्षण समिति

बोर्ड की पॉलिसीधारक संरक्षण समिति में सदस्यों के रूप में इस समय निम्नलिखित निदेशक शामिल हैं:

- 1. डॉ. ए.के. सक्सेना, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
- 2. डॉ. एन. श्रीनिवास राव, निदेशक (बीमा डिवीजन), वित्त मंत्रालय.
- 3. श्रीमती कोशल्या राय, अंशकालिक पदेन निदेशक,
- 4. श्री कुलदीप सिंह, पूर्णकालिक निदेशक एवं महाप्रबंधक पॉलिसीधारक संरक्षण समिति का गठन आईआरडीएआई द्वारा दिनांक 5 अगस्त. 2009 के परिपत्र संदर्भ संख्या IRDAI/F&A/CIR/025/2009-10 द्वारा जारी निगमित शासन संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया था।

4.7 बोर्ड की बैतिक समिति

बोर्ड की नैतिक समिति में सदस्यों के रूप में इस समय निम्नलिखित निदेशक शामिल हैं:

- 1. डॉ. ए.के. सक्सेना, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
- 2. डॉ. एन. श्रीनिवास राव, निदेशक (बीमा डिवीजन), वित्त मंत्रालयए
- 3. श्रीमती कौशल्या राय, अंशकालिक पदेन निदेशक,
- श्री विजय गर्ग, अंशकालिक पदेन निदेशक, और
- 5. श्री ए.एस. बाली, अंशकालिक पदेन निदेशक नैतिक समिति का गठन आईआरडीएआई द्वारा दिनांक 5

4.5 Risk Management Committee of the Board

The Risk Management Committee of the Board presently consists of the following Directors as Members:

- 1. Dr. A. K. Saxena, CMD,
- 2. Dr. N. Srinivasa Rao, Director (Insurance Division) Ministry of Finance
- 3. Mrs. Kaushalya Roy, Part-time Non-Officio Director, and
- 4. Shri Kuldip Singh, Whole Time Director & General Manager

Risk Management Committee was constituted in accordance with the guidelines on Corporate Governance issued by IRDAI vide its circular ref: IRDAI/F&A/CIR/025/2009-10 dated 5th August, 2009.

4.6 Policyholder"s Protection Committee of the **Board**

The Policyholder"s Protection Committee of the Board presently consists of the following **Directors as Members:**

- 1. Dr. A. K. Saxena, CMD,
- 2. Dr. N. Srinivasa Rao, Director (Insurance Division) Ministry of Finance
- 3. Mrs. Kaushalya Roy, Part-time Non-Officio Director,
- 4. Shri Kuldip Singh, Whole Time Director & General Manager

The Policyholder"s Protection Committee was constituted in accordance with the guidelines on Corporate Governance issued by IRDAI vide its circular ref: IRDAI/F&A/CIR/025/2009-10 dated 5th August, 2009.

4.7 Ethics Committee of the Board

The Ethics Committee of the Board presently consists of the following Directors as Members:

- 1. Dr. A. K. Saxena, CMD,
- 2. Dr. N. Srinivasa Rao, Director (Insurance

अगस्त, 2009 के परिपत्र संदर्भ संख्या /F&A/CIR/025/2009-10 द्वारा जारी निगमित शासन संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया था।

4.8 बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी समिति

बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी समिति में सदस्यों के रूप में इस समय निम्नलिखित निदेशक शामिल हैं:

- 1. डॉ. ए.के. सक्सेना, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
- 2. डॉ. एन. श्रीनिवास राव, निदेशक (बीमा डिवीजन), वित्त मंत्रालय,
- श्री कुलदीप सिंह, पूर्णकालिक निदेशक एवं महाप्रबंधक, और
- 4. श्री के. रमादेवी, महाप्रबंधक

सिनित का गठन कम्पनी की आईटी संबंधी पहलों पर और अधिक ध्यान देने और साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिए भी किया गया था कि आईटी संबंधी पहलें कारोबारी उद्देश्यों के समनुरूप हैं।

4.9 बोर्ड की सम्पत्ति समीक्षा समिति

बोर्ड की सम्पत्ति समीक्षा समिति का गठन वित्त मंत्रालय से प्राप्त निदेशों के अनुसार किया गया था और इस समय निम्नलिखित निदेशक सदस्यों के रूप में शामिल है:

- 1. डॉ. ए.के. सक्सेना, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
- 2. डॉ. एन. श्रीनिवास राव, निदेशक (बीमा डिवीजन), वित्त मंत्रालय.
- श्रीमती कौशल्या राय, अंशकालिक पदेन निदेशक, और
- 4. श्री कुलदीप सिंह, पूर्णकालिक निदेशक एवं महाप्रबंध क

बोर्ड की सम्पत्ति समीक्षा समिति का गठन कम्पनी द्व ारा धारित सम्पत्तियों के मामलों और अन्य सम्पदा संबंधी मामलों की समीक्षा के लिए किया गया था।

4.10 निगमित शासन समिति

बोर्ड की निगमित शासन समिति का गठन कम्पनी की सीएसआर नीति अनुमोदित करने और इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए निगमित कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 27 फरवरी, 2014 की राजपत्र अधिसूचना संख्या Division) Ministry of Finance

- 3. Mrs. Kaushalya Roy, Part-time Non-Officio Director,
- 4. Shri Vijay Garg, Part-time Non-Officio Director, and
- 5. Shri A. S. Bali, Part-time Non-Officio Director

The Ethics Committee was constituted in accordance with the guidelines on Corporate Governance issued by IRDAI vide its circular ref: IRDAI/F&A/CIR/025/2009-10 dated 5th August, 2009.

4.8 IT Committee of the Board

The IT Committee of the Board presently consists of the following Directors as Members:

- 1. Dr. A. K. Saxena, CMD,
- 2. Dr. N. Srinivasa Rao, Director (Insurance Division) Ministry of Finance
- 3. Shri Kuldip Singh, Whole Time Director & General Manager,
- 4. Mrs. K. Ramadevi, General Manager, and

The Committee was constituted to lend more focus to the IT initiatives of the Company and also to ensure that the IT initiatives are in tune with the business objectives.

4.9 Property Review Committee of the Board

The Property Review Committee of the Board was constituted in terms of the directives received from Ministry of Finance and presently consists of the following Directors as Members:

- 1. Dr. A. K. Saxena, CMD,
- Dr. N. Srinivasa Rao, Director (Insurance Division) Ministry of Finance
- 3. Mrs. Kaushalya Roy, Part-time Non-Officio Director, and
- Shri Kuldip Singh, Whole Time Director & General Manager

The Committee was constituted to review the



जी.एस.आर. 129 (E) द्वारा अधिसूचित कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अनुसार किया गया थाः

- 1. श्रीमती कौशल्या राय, अंशकालिक पदेन निदेशक,
- श्री ए.एस. बाली, अंशकालिक पदेन निदेशक दक
- श्री कुलदीप सिंह, पूर्णकालिक निदेशक एवं महाप्रबंधक

समिति का गठन कम्पनी की सीएसआर नीति अनुमोदित करने और इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए किया गया था।

5. निदेशकों का पारिश्रमिक

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को भारत सरकार द्वारा यथा निर्धारित वेतन / पारिश्रमिक का भूगतान किया जाता है और कार्यकारी निदेशकों को उनके वेतनमान के अनुसार वेतन / पारिश्रमिक का भूगतान किया जाता है। अंशकालिक पदेन निदेशकों को उनके द्वारा बैठकों में उपस्थिति के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिदेशों के अनुसार बैठक शुल्क का भुगतान किया जाता है। अध्यक्ष एवं प्रबंधन निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों, बैंक निदेशक और भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले नामित सदस्यों को कोई बैठक शुल्क देय नहीं है।

6. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

कम्पनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली 2014 के नियम 8 के साथ पठित कम्पनी अधि ानियम 2013 की धारा 203(1) के अनुसरण में, बोर्ड की दिनांक 12 अगस्त, 2014 को आयोजित बैठक में प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के रूप में निम्नलिखित की नियुक्ति की गई:

- 1. डॉ. ए.के. सक्सेना, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
- 2. श्रीमती रिंग बाजपेयी, कम्पनी सचिव, और
- श्रीमती के. रमादेवी, मुख्य वित्तीय अधिकारी और महाप्रबंधक

7. व्हिसल ब्लोअर नीति

कम्पनी की व्हिसल ब्लोअर नीति का मसौदा आईआरडीएआई द्वारा दिनांक 5 अगस्त, 2009 के परिपत्र संदर्भ संख्या IRDAI/F&A/CIR/025/2009-10 द्वारा जारी निगमित शासन संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार किया गया

matters of properties held by the Company and other Estate related Matters

4.10 Corporate Social Responsibility Committee

The Corporate Social Responsibility Committee of the Board was constituted in terms of the Section 135 of Companies Act 2013 notified vide Gazette notification no. G. S. R. 129 (E) dated 27th February, 2014 issued by Ministry of **Corporate Affairs:**

- 1. Mrs. Kaushalya Roy, Part-time Non-Officio Director,
- 2. Shri A. S. Bali, Part-time Non-Officio Director, and
- 3. Shri Kuldip Singh, Whole-time Director & General Manager

The Committee was constituted to approve the CSR Policy of the Company and ensure its implementation.

5. Remuneration of Directors

The Chairman & Managing Director is paid salary / remuneration as fixed by the Government of India and the Executive Directors are paid salary / remuneration as per their scale of pay. The Part-time Non-Officio directors were paid sitting fee in accordance with guidelines issued by ministry of finance for the Meetings attended by them. No sitting fees is payable to CMD, Whole-time Directors, Bank-Director and nominees representing Government of India.

6. Key Managerial Personnel

Pursuant to Section 203(1) of the Companies Act 2013 read with Rule 8 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial personnel) Rule 2014, following were appointed as Key Managerial Personnel in the Board meeting held on 12th August, 2014

- 1. A. K. Saxena, CMD,
- 2. Mrs. Rashmi Bajpai, Company Secretary and
- 3. Mrs. K. Ramadevi, Chief Financial Officer & General Manager



था और इसे बोर्ड द्वारा दिनांक 9 फरवरी, 2010 को आयोजित 386वीं बैठक में अनुमोदित किया गया।

व्हिसल ब्लोअर नीति की अवधिक समीक्षा को बोर्ड द्वारा दिनांक 12 अगस्त, 2014 को आयोजित बैठक में अनुमोदित किया गया।

8. सामान्य निकाय की बैठक

कम्पनी की पिछली तीन वार्षिक आम सभा की बैठकें कम्पनी के पंजीकत कार्यालय A-25/27, आसफ अली रोड. नई दिल्ली में निम्नलिखित तारीखों को आयोजित की गईं:

8 सितंबर, 2014

25 जून, 2013

21 सितंबर, 2012

श्निगमित शासन दिशानिर्देशों के अनुपालन हेतू प्रमाणपत्र

में, रश्मि बाजपेयी, एतदद्वारा प्रमाणित करती हूँ कि मेरी जानकारी और सूचना की सीमा तक, कम्पनी ने समय समय पर यथा संशोधित बीमा कम्पनियों के लिए निगमित शासन संबंधी दिशानिर्देशों का अनुपालन किया है और इस संबंध में कोई भी तथ्य गुप्त अथवा अवरुद्ध नहीं रखा गया है।

> <u>ਵ.</u>– रश्मि बाजपेयी कम्पनी सचिव

7. Whistle Blower Policy

The Whistle Blower Policy of the Company was drafted in accordance with the guidelines on Corporate Governance issued by IRDAI vide its circular ref: IRDAI/F&A/CIR/025/2009-10 dated 5th August, 2009 and got approved by the Board in its 386th Meeting held on 9th February, 2010.

The periodic review of Whistle Blower Policy was approved by the Board in its Meeting held on 12th August, 2014.

8. General Body Meeting

The last three Annual General Body Meetings of the Company were held at the Registered Office of the Company, at A-25/27, Asaf Ali Road, New Delhi on the following dates:

8th September, 2014 25th June, 2013 21st September, 2012

'CERTIFICATION FOR COMPLIANCE OF THE CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES'

I, RASHMI BAJPAI hereby certify that up to the extent of my knowledge and information, the Company has complied with the corporate governance guidelines for Insurance Companies as amended from time to time and nothing has been concealed or suppressed.

Sd/-

RASHMI BAJPAI COMPANY SECRETARY



निदेशकों का विवरण (आदिनांक तक)

PARTICULARS OF DIRECTORS (AS ON DATE)

क्र. स. S. No.	निदेशक का नाम Name Of The Director	योग्यता Qualification	_	ओआईसीएल में समितियों की सदस्यता Membership of Committees in OICL	जिदेशकता Directorship
1	डॉ. ए.के. सक्सेना Dr. A. K. Saxena	एम.वी. एससी, एलएलबी, AIII M. V. Sc., L.L.B, AIII	Chairman cum Managing Director	01. निवेश समिति 01-Investment Committee 02. नैतिकता समिति 02-Ethics Committee 03. जोखिम प्रबंधन समिति 03-Risk Management Committee 04. पॉलिसीधारक संरक्षण समिति 04-Policyholder's Protection Committee 05. सम्पत्ति समीक्षा समिति 05-Property Review Committee 06. सूचना प्रौद्योगिकी समिति 06-IT Committee	इंडिया इंटरनेशनल इंश्योरेंस पीटीई लिमिटेड सिंगापुर — अध्यक्ष जीआईसी हाउसिंग फायनेंस कम्पनी लिमिटेड हैल्थ इंश्योरेंस टीपीए ऑफ इंडिया शासी मंडल सदस्य राष्ट्रीय बीमा अकादमी, पुणे India International Insurance Pte Ltd., Singapore - Chairman GIC Housing Finance Company Limited Health Insurance TPA of India Ltd. Governing Board Member National Insurance Academy, Pune
2	श्री जितंदबीर सिंह, आईएएस Shri Jatinderbir Singh, IAS	एमए (अंग्रेजी), एमबीए MA (English), MBA	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पंजाब एंड सिंध बैंक Chairman cum Managing Director, Punjab & Sind Bank	01. निवेश समिति 01-Investment Committee 02. लेखा परीक्षा समिति 02-Audit Committee 03. अपील एवं स्मारक समिति 03-Appeal & Memorial Committee 04. पारिश्रमिक समिति 04-Remuneration Committee 05. नैतिकता समिति 05-Ethics Committee 06. सीएसआर समिति 06-CSR Committee	पंजाब एंड सिंध बैंक Punjab & Sind Bank



क्र. स. S. No.	Director	योग्यता Qualification	_	ओआईसीएल में समितियों की सदस्यता Membership of Committees in OICL	निदेशकता Directorship
3	डॉ. एन श्रीनिवास राव Dr. N. Srinivasa Rao	बी.कॉमए एमए (अर्थशास्त्र), पीएचडी B.Com, MA (Eco.), Ph.D	सरकारी नामित निदेशक Government Nominee Director	01. निवेश समिति 01-Investment Committee 02. लेखा परीक्षा समिति 02-Audit Committee 02. जोखिम प्रबंधन समिति 03-Risk Management Committee 03. पॉलिसीधारक संरक्षण समिति 04-Polcyholder's Protection Committee 04. सम्पत्ति समीक्षा समिति 05-Property Review Committee 05. सूचना प्रौद्योगिकी समिति 06-IT Committee 06. पारिश्रमिक समिति 07-Remuneration Committee 07. नैतिकता समिति 08-Ethics Committee	इंडियन बेंक Indian Bank
4	श्रीमती कौशल्या राय Mrs. Kaushalya Roy	बीए BA	अंशकालिक पदेन निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) Part Time Non Officio Director (Independent Director)	01. निवेश समिति 01-Investment Committee 02. जोखिम प्रबंधन समिति 02-Risk Management Committee 03. पॉलिसीधारक संरक्षण समिति 03-Polcyholder's Protection Committee 04. सम्पत्ति समीक्षा समिति 04-Property Review Committee 05. पारिश्रमिक समिति 05-Remuneration Committee 06-Ethics Committee 06. नैतिकता समिति 07-CSR Committee	बीयूआरसीएच कंसल्टेंसी प्रा.लि. BURCH Consultancy Pvt. Ltd.



क्र. स. S. No.	निदेशक का नाम Name Of The Director श्री विजय गर्ग Shri Vijay Garg	योग्यता Qualification बी.कॉम. एलएलबी(ए), पीजीडीडी, एफसीए B.Com, LLB (A), PGDD, FCA	_	ओआईसीएल में समितियों की सदस्यता Membership of Committees in OICL 01. निवेश समिति 01-Investment Committee 02. लेखा परीक्षा समिति 02-Audit Committee 03. पारिश्रमिक समिति 03-Remuneration Committee 04. नैतिकता समिति 04-Ethics Committee	विदेशकता Directorship प्रोएलाइंस एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड Proalliance Advisors Private Limited
6	श्री अमरदीप सिंह बाली Shri Amardeep Singh Bali	एमबीए, एमएस (फायनेंस) MBA, MS (Finance	अंशकालिक पदेन निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) Part Time Non Officio Director (Independent Director)	01. निवेश समिति 01-Investment Committee 02. लेखा परीक्षा समिति 02-Audit Committee 03. पारिश्रमिक समिति 03-Remuneration Committee 04. नैतिकता समिति 04-Ethics Committee 05. सीएसआर समिति 05-CSR Committee	फोर कंसल्टेंट्स प्रा. लि. Fore Consultants Pvt. Ltd. एस्सार पोर्ट्स लिमिटेड Essar Ports Limited एस्सार बल्क टर्मिनल (सलाया) लिमिटेड Essar Bulk Terminal (Salaya) Limited एस्सार बल्क टर्मिनल Essar Bulk Terminal Limited वाडीनार ऑयल टर्मिनल लिमिटेड Vadinar Oil Terminal Limited एस्सार ड्रेजिंग लिमिटेड (DOA- 21/07/2014, DOC- 25/09/2014) Essar Dredging Limited (DOA- 21/07/2014, DOC- 25/09/2014) एस्सार विजाग टर्मिनल्स लिमिटेड Essar Vizag Terminals Limited



क्र. स. S.	निदेशक का नाम Name Of The Director	योग्यता Qualification	_	ओआईसीएल में समितियों की सदस्यता Membership of Committees in OICL	जिदेशकता Directorship
					एस्सार बल्क टर्मिनल पैराडिप लिमिटेड Essar Bulk Terminal Paradip Limited एस्सार पैराडिप टर्मिनल्स लिमिटेड Essar Paradip Terminals Limited वाडीनार पोर्ट्स एंड टर्मिनल्स लिमिटेड Vadinar Ports & Terminals Limited पैद्रो टेंकेजेज इंडिया लिमिटेडअ PetroTankages India Limited
7	श्री कुलदीप सिंह Shri Kuldip Singh	बी.एससी. (Ag. Hons.), PGDSEM, LIII B.Sc. (Ag. Hons.), PGDSEM, LIII	पूर्णकालिक निदेशक Whole Time Director	01. लेखा परीक्षा समिति 01-Audit Committee 02. जोखिम प्रबंधन समिति 02-Risk Committee 03. पॉलिसीधारक संरक्षण समिति 03-Policyholder's Protection Committee 04. सम्पत्ति समीक्षा समिति 04-Proterty Committee 05. सूचना प्रौद्योगिकी समिति 05-IT Committee 06. सीएसआर समिति 06-CSR Committee	द इंडस्ट्रिय क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड The Industrial Credit Company Limited Agriculture Insurance Company of India Limited
8	श्री सुजाय बनर्जी Shri Sujay Banarji	एमएए AIII MA, AIII	पूर्णकालिक निदेशक Whole Time Director		एंग्लो—फ्रेंच ड्रग्स एंड इंडस्ट्टीज लिमिटेड Anglo-French Drugs & Industries Limited



क्र. स. S. No.	निदेशक का नाम Name Of The Director : (Since the last I	Qualification	_	ओआईसीएल में समितियों की सदस्यता Membership of Committees in OICL	जिदेशकता Directorship
1	श्री एस.एल. बंसल (दिनांक 13.12. 2012 को नियुक्त हुए और दिनांक 30.9.2015 को अधिवार्षिता की आयु होने पर निदेशक नहीं रहे) Shri S. L. Bansal (Appointed on 13.12.2012 and ceased to be Director on 30.9.2015 on attaining the age of superannuation)	एम. कॉम, CAIIB M.Com, CAIIB	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, द ओरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स (स्वतंत्र निदेशक) Chairman cum Managing Director of The Oriental Bank Of Commerce (Independent Director)	01. निवेश समिति 01-Investment Committee 02. लेखा परीक्षा समिति 02-Audit Committee 03. अपील एवं स्मारक समिति 03-Appeal & Memorial Committee 04. पारिश्रमिक समिति 04-Remuneration Committee 05. नैतिकता समिति 05-Ethics Committee 06. सीएसआर समिति 06-CSR Committee	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, द ओरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स केनरा, एचएसबीसी, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड Chairman & Managing Director, Oriental Bank of Commerce Canara, HSBC, Oriental Bank of Commerce Life Insurance Co. Ltd.



मंडल बैठक की झलकियां GLIMPSES FROM BOARD MEETING







निगमित संकल्प कथन

प्रचालन क्षेत्रों में सबसे सम्मानित एवं वांछनीय साधारण बीमाकर्ता बनना

CORPORATE VISION STATEMENT

TO BE THE MOST RESPECTED

&

PREFERRED NON-LIFE **INSURER IN THE** MARKETS WE OPERATE



भी शामिल हैं।

द ओरिएण्टल इंग्योरेंस कम्पनी लिभिटेड के सदस्यों को स्वतंत्र लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन

प्यक (स्टैण्डएलोन) वित्तीय विवरणिकाओं पर प्रतिवेदन हमने द ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड की पथक वित्तीय विवरणियों की लेखा परीक्षा की है. जिनमें दिनांक 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र, लाभ हानि लेखा. राजस्व लेखे और इस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण और उल्लेखनीय लेखाकरण नीतियों का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक सूचना शामिल है। इन वित्तीय विवरणिकाओं में हमारे द्वारा लेखा परीक्षित मुख्यालय की विवरणियां, और एक ओएसटीसी, 30 क्षेत्रीय कार्यालयों, 350 मंडल कार्यालयों जिनमें 968 कारोबार केंद्र शामिल हैं. 497 शाखाओं, एक विदेशी शाखा और दो विदेशी एजेंसियों की उनके अपने अपने लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित विवरि ाकाएं शामिल हैं। इनमें एक विदेशी रन ऑफ एजेंसी की लेखा

परीक्षा न की गई और प्रबंधन द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणि

ात विवरणी और लेखाकरण नीति संख्या 4.2 और 5.1(क) में

इंगित की गई प्राप्त सीमा तक पुनर्बीमा अनुबंध की विवरणियां

प्थक वित्तीय विवरणिकाओं के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कम्पनी का निदेशक मंडल कम्पनी (लेखे) नियमावली, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अध ीन लेखा मानकों सहित भारत में सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार कम्पनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नकद प्रवाहों का सत्य और न्यायोचित अवलोकन देने वाली इन पृथक वित्तीय विवरणिकाओं को तैयार करने के संबंध में समय समय पर यथा संशोधित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5), बीमा अधिनियम, 1938. आईआरडीएआई विनियमावली. 2002 में उल्लिखित मामलों के लिए उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में कम्पनी की परिसम्पित्यों के संरक्षण के लिए और धोखाधिडयों तथा अन्य अनियमितताओं के निवारण और पहचान करने(समीचीन लेखाकरण नीतियों के चयन और इन्हें लागू करने(ऐसे निर्णय और प्राक्कलन करने जो कि औचित्यपूर्ण और विवेकपूर्ण हों(और पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों का आरेखन, कार्यान्वयन और अनुरक्षण करने के लिए, जो लेखाकरण अभिलेखों की सटीकता और सक्षमता को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से काम कर रही हों, अधिनियम के प्रावध ाानों के अनुसार पर्याप्त लेखाकरण अभिलेखों का अनुरक्षण भी शामिल है, जो सत्य और न्यायोचित अवलोकन प्रदान करने

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT TO THE MEMBERS OF THE ORIENTAL INSUR-ANCE COMPANY LIMITED

Report on the Standalone Financial Statements

We have audited the accompanying standalone financial statements of THE ORIENTAL INSURANCE **COMPANY LIMITED**, which comprise the Balance Sheet as at 31st March, 2015, Profit and Loss Account ,Revenue Accounts, & the Cash Flow Statement for the year then ended, and a summary of the significant accounting policies and other explanatory information. In these financial statements are the returns of Head Office audited by us, 30 Regional Offices, one OSTC, 350 Div. Offices including 968 Business Centres, 497 Branches, One Foreign Branch and Two Foreign agencies, all audited by their respective Auditors. Also included is the un-audited return of one Foreign Run off agency duly certified by the Management and reinsurance treaty returns to the extent received as indicated in Accounting Policy No. 4.2, & 5.1(a).

Management's Responsibility for the Standalone Financial Statements

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in Section 134(5) of the Companies Act, 2013, The Insurance Act, 1938, IRDAI Regulations 2002, as amended from time to time with respect to the preparation of these standalone financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and

वाली वित्तीय विवरणिकाओं की तैयारी और प्रस्तृतिकरण के



लिए प्रासंगिक हों और किसी उल्लेखनीय मिथ्या कथन से मुक्त हों, चाहे वह धोखे की वजह से हो या त्रृटि की वजह से हआ हो।

लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर इन पृथक वित्तीय विवरणिकाओं पर एक मत व्यक्त करना है।

हमने समय समय पर यथा संशोधित बीमा अधिनियम, 1938 और आईआरडीएआई विनियमावली, 2002 के साथ साथ कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133, और ऐसे लेखाकरण तथा लेखा परीक्षा मानकों का ध्यान रखा है जिन्हें अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किया जाना अपेक्षित है।

हमने अपनी लेखा परीक्षा अधिनियम की धारा 143(10) के अधीन विनिर्दिष्ट लेखा परीक्षा संबंधी मानकों के अनुसार की है। इन मानकों में अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं और योजना का अनुपालन करें और यह औचित्यपूर्ण आश्वस्ति प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा निष्पादित करें कि क्या ये वित्तीय विवरणिकाएं महत्वपूर्ण मिथ्या कथन से मुक्त हैं।

एक लेखा परीक्षा में वित्तीय विवरणिकाओं में निहित राशि और प्रकटीकरणों के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रियाएं निष्पादित करना शामिल होता है। चूनी गई प्रक्रियाएं लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिनमें वित्तीय विवरणिकाओं में उल्लेखनीय मिथ्या कथन का आकलन किया जाना शामिल है, चाहे वह ध गोखे की वजह से हो या त्रृटि की वजह से हुआ हो। वे जोखिम आकलन करते समय, लेखा परीक्षक कम्पनी की सत्य और न्यायोचित अवलोकन देने वाली वित्तीय विवरि ाकाओं की तैयारी से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर विचार करता है ताकि ऐसी लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं तैयार की जा सके जो उन परिस्थितियों में समीचीन हों। एक लेखा परीक्षा में कम्पनी के निदेशकों द्वारा प्रयुक्त लेखाकरण नीतियों की उपयुक्तता तथा तैयार किए गए लेखाकरण प्राक्कलों के औचित्य का मूल्यांकन करने के साथ साथ वित्तीय विवरणिकाओं के समग्र प्रस्तृतिकरण का मूल्यांकन किया जाना भी शामिल होता है।

हमारा विश्वस है कि हमारे द्वारा प्राप्त किया गया लेखा परीक्षा साक्ष्य पृथक वित्तीय विवरणिकाओं पर हमारे लेखा परीक्षा मत के लिए आधार मुहैया कराने के लिए पर्याप्त और समीचीन है। completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these standalone financial statements based on our audit.

We have taken into account the provisions of The Insurance Act 1938, the IRDAI Regulations, 2002 as amended from time to time as well as section 133 of the Companies Act, 2013, the accounting and auditing standards and matters which are required to be included in the audit report under the provisions of the Act and the Rules made there under.

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing specified under Section 143(10) of the Act. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain auditevidenceabouttheamountandthedisclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal financial control relevant to the Company's preparation of the financial statements that give a true and Fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. An audit also includes evaluating the appropriateness of the accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by the Company's Directors, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the standalone financial statements.



मत

हमारे मत में और हमारी सर्वोत्तम सूचना में और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपरोल्लिखित पृथक वित्तीय विवरणिकाएं समय समय पर यथा संशोधित बीमा अधिनियम, 1938 और आईआरडीएआई विनियमावली, 2002 के साथ साथ कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 द्वारा अपेक्षित दिनांक 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार कम्पनी की हालत के बारे में सूचना इस प्रकार अपेक्षित तरीके से और भारत में सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप प्रदान करती हैं

- क) दिनांक 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार कम्पनी की स्थिति के तुलन पत्र के मामले में।
- ख) दिनांक 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए मरीन के मामले में लाभ और अग्नि व विविध राजस्व लेखे के मामले में हानि के राजस्व लेखों के मामले में।
- ग) उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ के लिए लाभ हानि लेखे के मामले में।
- घ) उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के नकद प्रवाहों के लिए लिए नकद प्रवाह विवरणिका के मामले में।

महत्वपूर्ण मामले

हम निम्नलिखित मामलों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं

- i) बीमा कारोबार कर रहे व्यक्तियों या निकायों को / से देय शेष, सीडिंग कम्पनियों में आरक्षित जमा, एजेंटों के शेष, छोटे देनदारों के शेष, कर्मचारियों के शेष और अग्रिमों पर समाशोधन / पुष्टि लंबित है। (टिप्पणी 26 का संदर्भ लें)। पुष्टि / समाशोधन के बाद समायोजन के परिणामी प्रभाव, यदि कोई हो, का आकलन नहीं किया जा सकता।
- ii) कम्पनी द्वारा समय समय पर अनेक दावों का परित्याग किया गया है। इनमें से कतिपय संख्या में दावेदार विभिन्न मंचों पर मुकद्दमेंबाजी में चले गए हैं। कम्पनी की लाभप्रदता पर वित्तीय प्रभाव, यदि कोई हो, अनिर्धारित बना हुआ है।
- iii) सेवारत कर्मचारियों से संबंधित ग्रेच्युटी के लेखे पर रु.14856.73 लाख की अतिरिक्त देनदारी को परिशोधि त किया गया है और रु. 2971.35 लाख की देनदारी का 1/5वां भाग आईआरडीएआई द्वारा दी गई अनुमति के अनुसार राजस्व/लाभ हानि लेखे में प्रभारित किया गया

Opinion

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid standalone financial statements give the information required by The Insurance Act 1938, the IRDAI Regulations, 2002, as amended from time to time, as well as Section 133 of The Companies Act, 2013 in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Company as at 31st March, 2015

- a) In the case of Balance Sheet of the state of affairs of the company as at 31st March 2015.
- b) In the case of Revenue Accounts of the loss in case of Fire & Miscellaneous Revenue Account and profit in case of Marine, for the year ended 31st March 2015.
- In the case of Profit & Loss account of the profit for the year ended on that date.
- d) In the case of Cash Flow statement of the Cash Flows for the year ended on that date.

Emphasis of Matters

We draw attention to the following matters

- i) Balance due to/from persons or bodies carrying on Insurance business, Reserve Deposit with ceding companies, Agent balances, Sundry Debtors, Sundry Creditors, Employees balances and Advances are pending reconciliation/confirmation (Refer Note 26). Consequential effect, if any, of adjustments upon confirmation/reconciliation, is not ascertainable.
- ii) Various claims have been repudiated by the company from time to time. Out of these certain numbers of claimants have gone into litigations at various forums. Financial impact if any on the profitability of the company remains indeterminate.
- iii) Additional liability of Rs.14856.73 lacs on account of Gratuity relating to serving employees have been amortized over five years and 1/5th of the liability of Rs. 2971.35 lacs have been charged to Revenue/Profit & Loss account



है। तथापि, आईसीएआई द्वारा जारी कर्मचारियों के लाभों पर लेखाकरण मानक 15 (संशोधित) के अनुसार, समस्त देनदारी को गणना के वर्ष के लाभ हानि लेखे में प्रभारित किया जाना अपेक्षित है। परिणामस्वरूप चालू वर्ष के लाभ में रु. 2971.35 लाख की कमी हुई है।

- iv) पुनःस्थापन बीमा प्रीमियम की राशि बहियों में दर्ज हुए बिना रह गई है जिसका समवर्ती प्रभाव दावों पर उपगत राशि पर पडता है जिसके लिए यह मात्रा अनिर्धारित रह गई है।
- v) कम्पनी ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अंतर्गत प्रकीटकरण की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं किया है।
- vi) सदस्य लेखा परीखा बोर्ड, सीएजी के निदेशों, उप-निदेशों और अतिरिक्त उप-निदेशों पर हमारी टिप्पणियां इस रिपोर्ट के साथ अनुबंध (i) से (iv) के रूप में संलग्न हैं।
- vii) आकरिमक देनदारियों से संबंधित टिप्पणी संख्या 1 जिसमें क्र. सं. (ड.) पर रु. 5671.12 लाख की सांविधिक मांगों / देनदारियों का उल्लेख किया गया है जिसमें आय कर प्राधिकारियों द्वारा आकलन वर्ष 2005-06 और 2010-11 के लिए लगाए गए जुर्माने की राशि रु. 5634.08 लाख शामिल है, जिसके लिए कम्पनी द्वारा कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
- viii) कतिपय सम्पत्तियों के स्वामित्व दस्तावेजों की अनुपलब्ध ाता से संबंधित टिप्पणी संख्या 25
- ix) अचल सम्पत्तियों सहित स्थायी परिसम्पत्तियों के अभिलेख पूर्ण नहीं हैं और / या अनुरक्षित नहीं किए गए हैं जैसा कि कतिपय मामलों में अपेक्षित है।
- x) कम्पनी की आंतरिकत लेखा परीक्षा / संगामी लेखा परीक्षा को लेखा परीक्षा के कवरेज और अनुपालनों के क्षेत्रों में काफी सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता है।
- xi) कम्पनी द्वारा आस्थगित कर परिसम्पत्तियों की अस्वीकृति से संबंधित टिप्पणी संख्या 42
- xii) आय कर पर रु. 1914 लाख के ब्याज की बुकिंग से संबंधित टिप्पणी संख्या 29(IV)
- xiii) मूल्यहास / ऋण शोधन क्षमता की लेखाकरण नीति में

- in the current year as permitted by IRDAI. However, in terms of Accounting Standard 15 (Revised) on Employees benefits issued by ICAI, entire liability is required to be charged to Profit & Loss account. Entire liability was required to be charged to Profit & Loss Account in the year of reckoning. As a result the current year profit has decreased by Rs.2971.35 lacs.
- iv) Amount of reinstatement insurance premium remains un-booked having corresponding effect on the claims incurred account for which quantum remains indeterminate.
- v) The company has not complied with the requirements of disclosure under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act 2006.
- vi) Our comments on Directions, Sub-directions and Additional Sub-Directions of the Member Audit Board, CAG are annexed to this report vide Annexure (i) to (iv).
- vii) Note No.1 regarding Contingent Liability wherein vide Sr. No. (e) statutory demands / liabilities of Rs 5671.12 Lacs is mentioned which includes a sum of Rs 5634.08 Lacs of penalty imposed by the Income Tax Authorities for the AY 2005-06 and 2010-11, for which no provision has been made by the company.
- viii)Note No.25 regarding non-availability of title documents of certain properties.
- ix) Fixed Assets including immovable properties records are not complete and/or not maintained as required in certain cases.
- x) The Internal Audit / Concurrent Audit of company require substantial strengthening in the areas of audit coverage and compliances.
- xi) Note no. 42 pertaining to non recognition of Deferred Tax Asset by the company.
- xii) Note no. 29(IV) regarding booking of interest on Income Tax of Rs. 1914 Lacs.
- xiii) Note no. 27 pertaining to change in Accounting Policy of Depreciation/ Amortization.



परिवर्तन से संबंधित टिप्पणी संख्या 27

अन्य मामले

हमने क्षेत्रीय कार्यालयों, एक ओएसटीसी, मंडल कार्यालयों जिनमें कारोबार केंद्र, शाखाएं, एक विदेशी शाखा और दो विदेशी एजेंसियां शामिल हैं, की वित्ती विवरणिकाओं / सूचना की लेखा परीक्षा नहीं की है जिसमें दिनांक 31मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार रु. 8367 लाख की कुल परिसम्पत्तियां (WDV) और रु. 756192 लाख का सकल राजस्व परिलक्षित होते हैं। इन शाखाओं की वित्तीय विवरणिकाओं / सूचना की लेखा परीक्षा शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है जिनकी रिपार्ट हमें प्रस्तुत की गई हैं, और हमारे मत में जहां तक यह इन शाखाओं के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित है, एकमात्र ऐसे शाखा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

इस मामले में हमारा मत संशोधित नहीं है।

अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर प्रतिवेदन जैसा कि अधिनियम की धारा 143 (3) द्वारा अपेक्षित है, हम सूचित करते हैं कि:

- (a) हमने वह सब सूचना और स्पष्टीकरण मांगे हैं और प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजनों हेतु आवश्यक थे।
- (b) हमारे मत में, विधि द्वारा यथोपेक्षित उपयुक्त लेखा पुस्तिकाएं कम्पनी द्वारा रखी गई हैं जहां तक उन पुस्तिकाओं की हमारी जांच से प्रतीत होता है और हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजनों हेतु उपयुक्त विवरणियां उन कार्यालयों से प्राप्त हुई हैं जहां हमने दौरा नहीं किया है।
- (c) शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा अधिनियम की धारा 143 (8) के अंतर्गत लेखा परीक्षित कम्पनी के कार्यालयों के लेखों पर प्रतिवेदन हमें भेजे गए हैं और हमने इस प्रतिवेदन को तैयार करते समय इनका उपयुक्त रूप से इस्तेमाल किया है।
- (d) इस प्रतिवेदन में जिन तुलन पत्र, लाभ हानि लेखे, राजस्व लेखों और नकद प्रवाह विवरणिका का उपयोग किया गया है वे उन कार्यालयों से प्राप्त लेखा पुस्तिकाओं और विवरणियों के अनुरूप हैं जिनका दौरा हमने नहीं किया है।
- (e) हमारे मतानुसार, उपर्युक्त पृथक वित्तीय विवरणिकाएं

Other Matter

We did not audit the financial statements/information of 30 Regional offices, One OSTC, 350 Divisional offices including 968 Business Centres, 497 Branches, One Foreign Branch and Two Foreign Agencies whose financial statements/financial information reflect total assets(WDV) of Rs. 8367. Lacs as at 31st March, 2015 and total Gross revenues of Rs.756192 Lacs. The financial statements/information of these branches have been audited by the branch auditors whose reports have been furnished to

us, and our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these branches, is based solely on the report of such branch auditors.

Our opinion is not modified in respect of this matter.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

As required by Section 143 (3) of the Act, we report that:

- (a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.
- (b) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from the offices not visited by us.
- (c) The reports on the accounts of the offices of the Company audited under Section 143 (8) of the Act by branch auditors have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report.
- (d) The Balance Sheet, the Profit and Loss Account, Revenue Accounts and the Cash Flow Statement dealt with by this Report are in agreement with the books of accounts and with the returns received from the offices not visited by us.
- (e) In our opinion, the aforesaid standalone



- कम्पनी (लेखे) नियमावली, 2014 के नियम 7 के साथ पिठत अधिनियम की धारा 133 का अनुपालन करती हैं।
- (f) दिनांक 31मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा रिकॉर्ड में लिए गए निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदनों के आधार पर, कोई भी निदेशक 31मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार अधिनियम की धारा 164 (2)के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए अयोग्य नहीं है।
- (h) जहां तक कम्पनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों का संबंध है, हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसारः
 - a. ऐसा कोई मुकद्दमा लंबित नहीं है जिसका प्रभाव कम्पनी की पृथक वित्तीय स्थिति पर पडे।
 - b. कम्पनी की व्युत्पन्न संविदाओं सहित दीर्घावधिक संविदाओं पर कोई महत्वपूर्ण अनुमान्य हानि नहीं थी।
 - c. ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे निवेशक शिक्षण एवं संरक्षण निधि में अंतरित किया जाना अपेक्षित हो।

चार्टर्ड एकाउंटेंटस

केपीएमआर एंड एसोसिएट्स चार्टर्ड एकाउंटेंट एफआरएन सं. 02504N सदस्यता संख्या 081750

एस.मान एंड कंपनी चार्टर्ड एकाउंटेंट एफआरएन सं.000075N सदस्यता संख्या 080500

हस्तक्षार की जगहः नई दिल्ली रिपोर्ट की तारीखः 15 मई. 2015

- financial statements comply with Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014.
- (f) On the basis of the written representations received from the directors as on 31st March, 2015 taken on record by the Board of Directors, none of the directors is disqualified as on 31st March, 2015from being appointed as a director in terms of Section 164 (2) of the Act.
- (h) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:
 - a. There were no pending litigations which would impact the standalone financial position of the company.
 - b. The company did not have any material foreseeable losses on long-term contracts including derivative contracts.
 - c. There were no amounts which were required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund.

CHARTERED ACCOUNTANTS

KPMR & ASSOCIATES

CA S.M. Yamin Qureshi **Designation - Partner** Membership No. 081750

Firm Registration No. 02504N

S. MANN & CO.

CA Subhash Mann **Designation Partner** Membership No. 080500 Firm Registration No. 000075N

Place of Signature: New Delhi Date of Report: 15th May, 2015

दिनांक 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए द ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड की वित्तीय विवरणिकाओं पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (8) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (बीमा कम्पनियों की वित्तीय विवरणिका और लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की तैयारी) विनियमावली, 2002 और कम्पनी अधिनियम, 2013 के साथ पिठत बीमा अधिनियम, 1938 के अधीन निर्धारित किए गए वित्तीय प्रतिवेदन प्रारूप के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए द ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड की वित्तीय विवरणिकाओं को तैयार करना कम्पनी के प्रबंधन का दायित्व है। अधिनियम की धारा 139(5) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के अधीन निर्धारित लेखा परीक्षण पर मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरणिकाओं पर मत व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। यह कार्य उनके द्वारा दिनांक 15 मई 2015 के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के द्वारा किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143(6)(क) के अंतर्गत दिनांक 31मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए द ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड की वित्तीय विवरणिकाओं की अनुपुरक लेखापरीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखा परीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षक के कार्यशील दस्तावेजों तक पहुँच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और यह मुख्यतः सांविधिक लेखा परीक्षकों और कम्पनी कार्मिकों की जांचों और कुछ लेखाकरण अभिलेखों की चुनी हुई जांच तक सीमित है। अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर, मेरी जानकारी में ऐसा कुछ उल्लेखनीय नहीं आया है जिससे सांविधिक लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन पर या इसके अनुपूरण में कोई टिप्पणी उत्पन्न होती हो।

> कृते और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से

> > (सुपर्णा देव) प्रधान वाणिज्यिक लेखापरीक्षा निदेशक एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड-॥ नई दिल्ली

स्थानः नई दिल्ली तारीख: 15.07.2015



COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2015.

The preparation of financial statements of The Oriental Insurance Company Limited for the year ended 31 March 2015 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Insurance Act, 1938 read with the Insurance Regulatory and Development Authority (Preparation of Financial Statement and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations, 2002 and the Companies Act, 2013 is the responsibility of the management of the company. The statutory auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under Section 139(5) of the Act are responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 15 May 2015.

I, on the behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit under section 143(6)(a) of the Act of the financial statements of The Oriental Insurance Company Limited for the year ended 31 March 2015. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records. On the basis of my audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to statutory auditors' report.

> For and on behalf of the Comptroller and Auditor General of India

(Suparna Deb) **Principal Director of Commercial Audit** & Ex-officio Member, Audit Board-II, New Delhi

Place: New Delhi Date: 15.07.2015



बीमाकर्ता का नामरू द ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड पंजीकरण संख्या और आईआरडीएआई में नवीकरण की तारीखः 556 दिनांक 25.02.2014

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए अग्नि बीमा राजस्व लेखा

NAME OF INSURER: THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED

REGISTRATION NO. AND DATE OF RENEWAL WITH IRDAI: 556 DATED 25.02.2014

FIRE INSURANCE REVENUE ACCOUNT FOR YEAR ENDED 31ST MARCH 2015

विवरण _	अनुसूची	31.03.15	31.03.15
Particulars	Schedule	को समाप्त वर्ष	को समाप्त वर्ष
		Year ended	Year ended
		31.03.15	31.03.14
1. अर्जित राजस्व (निवल)	1	5900214	6604357
1. Premium earned (Net)			
2. निवेशों की बिक्री / शोधन पर लाभ / हानि		792421	802272
2. Profit/Loss on sale/redemption of Investments			
3. अन्य – विनिमय पर लाभ / (हानि)		23983	(9467)
3. Others - Profit/(Loss) on exchange			
4. ब्याज, लाभांश और किराया — सकल		1010554	933537
4. Interest, Dividend & Rent - Gross			
कुल (क)		7727172	8330699
Total (A)			
1. उपगत दावे (निवल)	2	4250553	5552520
1. Claims Incurred (Net)			
2. कमीशन	3	262331	206235
2. Commission			
3. बीमा कारोबार से संबंधित प्रचालनिक खर्चे	4	3446802	2752146
3. Operating Expenses related to Insurance			
Business			
4. अन्य			
4. Others			
क) मानक परिसम्पत्तियों / एनपीए के लिए प्रावधान		(3184)	1021
a) Provision for Standard Assets/NPA			
ख) शेयरों के मूल्य में ह्रास के लिए प्रावधान		(1982)	5863
b) Provision for Diminution in Value of Shares			
ग) ऋण शोधन व्यय		9749	9616
c) Amortization Expenses			
घ) बट्टे खाते डाला गया निवेश (निवल)		11139	11828
d) Investment Written Off (Net)			
ड़) प्रीमियम की कमी		0	0
e) Premium deficiency			
कुल (ख)		7975408	8539230
Total (B)			



अग्नि कारोबार से प्रचालनिक लाभ / (हानि)		(248236)	(208531)
ग = (क - ख)			
Operating Profit/(Loss) from fire business			
C = (A - B)			
विनियोजन			
Appropriations			
शेयरधारकों के खाते में अंतरण		(248236)	(208531)
Transfer to shareholders' Account			
आपदा आरक्षिति में अंतरण		NIL	NIL
Transfer to Catastrophe Reserve			
सामान्य आरक्षिति में अंतरण		NIL	NIL
Transfer to General Reserve			
कुल (ग)		(248236)	(208531)
Total (C)			
उल्लेखनीय लेखाकरण नीतियां और लेखाओं पर	16		
टिप्पणियां			
Significant Accounting Policies and Notes to			
Accounts			
उपर संदर्भित अनुसूचियां तुलन पत्र का अभिन्न अंग हैं			
The Schedules referred to above form integral			
part of the Balance Sheet			
0 . , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			

हमारी संलग्न लेखा परीक्षक रिपोर्ट के अनुसार As per our auditors report attached

कृते केपीएमआर एंड एसोसिएट्स चार्टर्ड एकाउंटेंट एफआरएन सं. 02504N

For KPMR & Associates **Chartered Accountants** FRN No. 02504N

कृते एस.मान एंड कंपनी चार्टर्ड एकाउंटेंट

एफआरएन सं.000075N For S.MANN & CO. **Chartered Accountants** FRN No.000075N

(डॉ. ए.के. सक्सेना) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक DR. A.K. SAXENA

Chairman-cum-Managing Director

सी.ए. एस.एम.वाई कुरैशी

भागीदार

सदस्यता संख्या 081750

CA. S.M.Y. Qureshi Partner

M. No. 081750

स्थानः नई दिल्ली

दिनांकः 15.05.2015

के. रमादेवी

महाप्रबंधक एवं मुख्य वित्तीय

अधिकारी **K.Ramadevi**

GM & Chief Financial Officer

कंपनी सचिव Rashmi Bajpai

M. No. 080500

सी.ए. सुभाष मान

सदस्यता संख्या 080500

CA. Subhash Mann

भागीदार

Partner

Company Secretary

रिभ बाजपेयी निदेशक

Place: New Delhi Dated: 15.05.2015 एन. श्रीनिवास राव कुलदीप सिंह निदेशक निदेशक N. Srinivasa Rao

Kuldip Singh Director

सुजय बनर्जी

Director

Sujay Banarji Director



बीमाकर्ता का नामः द ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड पंजीकरण संख्या और आईआरडीएआई में नवीकरण की तारीखः 556 दिनांक 25.02.2014

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए मरीन बीमा राजस्व लेखा

NAME OF INSURER: THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED REGISTRATION NO. AND DATE OF RENEWAL WITH IRDAI: 556 DATED 25.02.2014 MARINE INSURANCE REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2015

			(₹ In 000)
विवरण	अनुसूची	31.03.15	31.03.15
Particulars	Schedule	को समाप्त वर्ष	को समाप्त वर्ष
		Year ended	Year ended
		31.03.15	31.03.14
1. अर्जित राजस्व (निवल)	1	3001854	2855003
1. Premium earned (Net)			
2. निवेशों की बिक्री / शोधन पर लाभ / हानि		298512	319420
2. Profit/Loss on sale/redemption of Investments			
3. अन्य – विनिमय पर लाभ / (हानि)		339	(11405)
3. Others - Profit/(Loss) on exchange			
4. ब्याज, लाभांश और किराया – सकल		380684	371682
4. Interest, Dividend & Rent - Gross			
कुल (क)		3681389	3534700
Total (A)			
1. उपगत दावे (निवल)	2	1212855	1665981
1. Claims Incurred (Net)			
2. कमीशन	3	274977	284883
2. Commission			
3. बीमा कारोबार से संबंधित प्रचालनिक खर्चे	4	1016348	882087
3. Operating Expenses related to Insurance			
Business			
4. अन्य			
4. Others			
क) मानक परिसम्पत्तियों / एनपीए के लिए प्रावधान		(1200)	407
a) Provision for Standard Assets/NPA			
ख) शेयरों के मूल्य में ह्रास के लिए प्रावधान		(747)	2334
b) Provision for Diminution in Value of Shares			
ग) ऋण शोधन व्यय		3673	3829
c) Amortization Expenses			
घ) बट्टे खाते डाला गया निवेश (निवल)		4196	4709
d) Investment Written Off (Net)			
ड़) प्रीमियम की कमी		0	0
e) Premium deficiency			
कुल (ख)		2510102	2844230
Total (B)			



मरीन कारोबार से प्रचालनिक लाभ / (हानि)		1171286	690470
ग = (क - ख)			
Operating Profit/(Loss) from fire business			
C = (A - B)			
विनियोजन			
Appropriations			
शेयरधारकों के खाते में अंतरण		1171286	690470
Transfer to shareholders' Account			
आपदा आरक्षिति में अंतरण		NIL	NIL
Transfer to Catastrophe Reserve			
सामान्य आरक्षिति में अंतरण		NIL	NIL
Transfer to other reserves			
कुल (ग)		1171286	690470
Total(C)			
उल्लेखनीय लेखाकरण नीतियां और लेखाओं पर	16		
टिप्पणियां			
Significant Accounting Policies and Notes to			
Accounts			
उपर संदर्भित अनुसूचियां तुलन पत्र का अभिन्न अंग हैं			
The Schedules referred to above form integral			
part of the Balance Sheet			
2			

हमारी संलग्न लेखा परीक्षक रिपोर्ट के अनुसार As per our auditors report attached

कृते केपीएमआर एंड एसोसिएट्स चार्टर्ड एकाउंटेंट

एफआरएन सं. 02504N For KPMR & Associates **Chartered Accountants**

FRN No. 02504N

कृते एस.मान एंड कंपनी चार्टर्ड एकाउंटेंट

एफआरएन सं.000075N For S.MANN & CO. **Chartered Accountants**

(डॉ. ए.के. सक्सेना) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक DR. A.K. SAXENA

Chairman-cum-Managing Director

सी.ए. एस.एम.वाई कुरैशी

भागीदार

सदस्यता संख्या 081750

CA. S.M.Y. Qureshi Partner

M. No. 081750

के. रमादेवी

महाप्रबंधक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी

K.Ramadevi

GM & Chief Financial Officer

स्थानः नई दिल्ली दिनांकः 15.05.2015 FRN No.000075N

सी.ए. सुभाष मान भागीदार

सदस्यता संख्या 080500

CA. Subhash Mann

Partner

M. No. 080500

रिभ बाजपेयी

कंपनी सचिव Rashmi Bajpai

Company Secretary

Place: New Delhi Dated: 15.05.2015 एन. श्रीनिवास राव

निदेशक N. Srinivasa Rao


Director

कुलदीप सिंह

निदेशक **Kuldip Singh** Director

सुजय बनर्जी निदेशक Sujay Banarji

Director



बीमाकर्ता का नामः द ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड पंजीकरण संख्या और आईआरडीएआई में नवीकरण की तारीखः 556 दिनांक 25.02.2014

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए विविध बीमा राजस्व लेखा

NAME OF INSURER: THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED **REGISTRATION NO. AND DATE OF RENEWAL WITH IRDAI: 556 DATED 25.02.2014** MISCELLANEOUS INSURANCE REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2015

(₹ In			
विवरण	अनुसूची	31.03.15	31.03.15
Particulars	Schedule	को समाप्त वर्ष	को समाप्त वर्ष
		Year ended	Year ended
		31.03.15	31.03.14
1. अर्जित राजस्व (निवल)	1	55349582	50080323
1. Premium earned (Net)			
2. निवेशों की बिक्री / शोधन पर लाभ / हानि		6102709	5918374
2. Profit/Loss on sale/redemption of Investments			
3. अन्य – विनिमय पर लाभ / (हानि)		(9476)	(21685)
3. Others - Profit/(Loss) on exchange			
4. ब्याज, लाभांश और किराया – सकल		7782626	6886717
4. Interest, Dividend & Rent - Gross			
कुल (क)		69225441	62863729
Total (A)		474.54.600	42004704
1. उपगत दावे (निवल)	2	47151628	43891701
1. Claims Incurred (Net)		2040064	2002204
2. कमीशन	3	2940861	3083301
2. Commission	4	10016615	14120077
3. बीमा कारोबार से संबंधित प्रचालनिक खर्चे	4	19016615	14120077
3. Operating Expenses related to Insurance Business			
4. अन्य			
4. Others			
क) मानक परिसम्पत्तियों / एनपीए के लिए प्रावधान		(24524)	7534
a) Provision for Standard Assets/NPA		,	
ख) शेयरों के मूल्य में ह्रास के लिए प्रावधान		(15266)	43253
b) Provision for Diminution in Value of Shares			
ग) ऋण शोधन व्यय		75080	70937
c) Amortization Expenses			
घ) बट्टे खाते डाला गया निवेश (निवल)		85784	87255
d) Investment Written Off (Net)			
ड़) प्रीमियम की कमी		0	0
e) Premium deficiency			
कुल (ख)		69230178	61304058
Total (B)			



मरीन कारोबार से प्रचालनिक लाभ / (हानि)		(4737)	1559671
ग = (क - ख)			
Operating Profit/(Loss) from fire business			
C = (A - B)			
विनियोजन			
Appropriations			
शेयरधारकों के खाते में अंतरण		(4737)	1559671
Transfer to shareholders' Account			
आपदा आरक्षिति में अंतरण		NIL	NIL
Transfer to Catastrophe Reserve			
सामान्य आरक्षिति में अंतरण		NIL	NIL
Transfer to other reserves			
कुल (ग)		(4737)	1559671
Total(C)			
उल्लेखनीय लेखाकरण नीतियां और लेखाओं पर	16		
टिप्पणियां			
Significant Accounting Policies and Notes to			
Accounts			
उपर संदर्भित अनुसूचियां तुलन पत्र का अभिन्न अंग हैं			
The Schedules referred to above form integral			
part of the Balance Sheet			

हमारी संलग्न लेखा परीक्षक रिपोर्ट के अनुसार As per our auditors report attached

कृते केपीएमआर एंड एसोसिएट्स चार्टर्ड एकाउंटेंट एफआरएन सं. 02504N For KPMR & Associates **Chartered Accountants**

FRN No. 02504N

FRN No.000075N

सी.ए. एस.एम.वाई कुरैशी

भागीदार

सदस्यता संख्या 081750

CA. S.M.Y. Qureshi Partner

M. No. 081750

के. रमादेवी

महाप्रबंधक एवं मुख्य वित्तीय

अधिकारी

K.Ramadevi GM & Chief Financial Officer

स्थानः नई दिल्ली दिनांकः 15.05.2015 चार्टर्ड एकाउंटेंट

कृते एस.मान एंड कंपनी

एफआरएन सं.000075N For S.MANN & CO. **Chartered Accountants**

सी.ए. सुभाष मान

भागीदार

सदस्यता संख्या 080500

CA. Subhash Mann

Partner

M. No. 080500

रिभ बाजपेयी

कंपनी सचिव Rashmi Bajpai

Company Secretary

Place: New Delhi Dated: 15.05.2015

(डॉ. ए.के. सक्सेना) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

DR. A.K. SAXENA

Chairman-cum-Managing Director

एन. श्रीनिवास राव

निदेशक

N. Srinivasa Rao

Director

कुलदीप सिंह निदेशक

Kuldip Singh

Director

सुजय बनर्जी

निदेशक

Sujay Banarji

Director



द ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

बीमाकर्ता का नामः द ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड पंजीकरण संख्या और आईआरडीएआई में नवीकरण की तारीखः 556 दिनांक 25.02.2014

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाता

NAME OF INSURER: THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED **REGISTRATION NO. AND DATE OF RENEWAL WITH IRDAI: 556 DATED 25.02.2014** PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2015

			(₹ in '000')
क्र.सं.	विवरण	31.03.15	31.03.14
S.No.	Particulars	को समाप्त वर्ष	को समाप्त वष
		Year ended	Year ended
	_	31.03.15	31.03.14
1	प्रचालन लाभ/(हानि)		
	OPERATING PROFIT /(LOSS)		
	(क) अग्नि बीमा	(248236)	(208531)
	(a) Fire Insurance		
	(ख) मैरीन बीमा	1171286	690470
	(b) Marine Insurance		
	(ग) विविध बीमा	(4737)	1559671
	(c) Miscellaneous Insurance		
2	निवेशों से आय		
	INCOME FROM INVESTMENTS		
	(क) ब्याज, लाभांश व किराया–सकल	2599542	2291116
	(a) Interest, Dividend & Rent - Gross		
	(ख) निवेशों की बिक्री / शोधन पर लाभ	2038418	1968962
	(b) Profit on sale/redemption of investment		
	घटाएं: निवेशों की बिक्री / शोधन में हानि	0	0
	Less: Loss on sale/redemption of investment		
3	अन्य आय		
	OTHER INCOME		
	स्थायी परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ / (हानि)	(3276)	9965
	Profit/(Loss) on sale of fixed assets		
	विविध आय	66244	27943
	Miscellaneous Income		
	बट्टे खाते डाला गया पुराना / अदावी शेष	68180	45443
	Old/Unclaimed Balance Written Back		
	विनिमय लाभ / (हानि)	(161625)	148381
	Exchange Gain/(Loss)		
	आयकर रिफंड पर ब्याज	226050	292790
	Interest on income-tax refunds		
	कुल (क)	5751846	6826210
	TOTAL (A)		



क्र.सं.	विवरण	31.03.15	31.03.14
S.No.	Particulars	को समाप्त वर्ष	को समाप्त वष
		Year ended	Year ended
		31.03.15	31.03.14
4	प्रावधान (कराधान के अतिरिक्त)		
	PROVISIONS (Other than taxation)		
	(क) निवेशों के मूल्य में कमी के लिए	(5099)	14390
	(a) For diminution in the value of investments		
	(ख) अशोध्य और संदिग्ध ऋणों / निवेशों के लिए	(606723)	148386
	(b) For bad and doubtful debts\Investment		
	(ग) परिशोधन व्यय	25078	23599
	(c) Amortisation Expenses		
5	अन्य व्यय		
	OTHER EXPENSES		
	क) बीमा व्यवसाय से संबंधित व्ययों के अतिरिक्त अन्य लाभ	0	0
	a) Expenses other than those relating to		
	Insurance Business		
	ख) बट्टे खाते डाले गए पुराने/अशोध्य शेष	406	1016
	b) Old/Irrecoverable balances written off		
	ग) मानक परिसंपत्तियों / एनपीए के प्रावधान	(8191)	2507
	c) Provision on Standard Assets/NPA		
	घ) बट्टे खाते डाले गए निवेश (निवल)	28654	29028
	d) Investments written off (Net)		
	ड़) सीएसआर व्यय	79200	0
	e) CSR Expendiure		
	च) भुगतान किए गए आय कर पर ब्याज	65148	0
	f) Interest on income-tax paid		
	कुल (ख)	(421527)	218926
	TOTAL (B)		



द ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

क्र.सं.	विवरण	31.03.15	31.03.14
S.No.	Particulars	को समाप्त वर्ष	को समाप्त वष
		Year ended	Year ended
		31.03.15	31.03.14
	कर पूर्व लाभ	6173373	6607284
	Profit Before Tax		
	जोड़ें / (घटाए)ः पूर्व अवधि आय	1208	2948
	Add/(Less): Prior Period Income		
	जोड़ें / (घटाए): पूर्व अवधि व्यय	28926	(72127)
	Add/(Less): Prior Period Expenses		
	जोड़ें / (घटाए): अनुषंगी लाभ कर के लिए प्रावधान	0	0
	Add/(Less): Provision for Fringe Benefit Tax		
	जोड़ें / (घटाए): कराधान के लिए प्रावधान – चालू वर्ष	(2282028)	(1998005)
	Add/(Less): Provision for taxation - Current Year		
	जोड़ें / (घटाए): आस्थगित कराधान के लिए प्रावधान	0	0
	Add/(Less): Provision for Deferred Taxation		
	जोड़ें / (घटाए): पूर्व वर्षों के लिए कर का प्रावधान	(527)	62774
	Add/(Less):Provision for tax in respect of earlier		
	years		
	कर पश्चात लाभ	3920952	4602873
	Profit after Tax		
	विनियोजन		
	APPROPRIATIONS		
	(क) वर्ष के प्रारंभ में शेष	0	0
	(a) Balance at the beginning of the year		
	(ख) वर्ष के दौरान भुगतान किए गए अंतरिम लाभांश	0	0
	(b) Interim dividends paid during the year	(
	(ग) प्रस्तावित अंतिम लाभांश	(1100000)	(1080000)
	(c) Proposed final dividend	(2.1.2.2.2.)	(****
	(घ) लाभांश वितरण कर	(219972)	(183546)
	(d) Dividend distribution tax		
	(ड़) आरक्षितियों / अन्य खातों में अंतरणरू		
	(e) Transfer to reserves/ other accounts:		
	(i) सामान्य आरक्षितियां	2600980	3339327
	(i) General Reserves	_	
	(ii) असमाप्त जोखिमों के लिए आकस्मिक आरक्षिति	0	0
	(ii) Contingency Reserve for Unexpired Risks		



क्र.सं.	विवरण	31.03.15	31.03.14
S.No.	Particulars	को समाप्त वर्ष	को समाप्त वष
		Year ended	Year ended
		31.03.15	31.03.14
	पिछले वर्ष से अग्रेनीत लाभ / हानि का शेष	0	0
	Balance of profit/loss brought forward from last		
	year		
	तुलन पत्र में अग्रेनीत शेष	0	0
	Balance carried forward to Balance Sheet		
	मूल / विरलित आय प्रति शेयर (ईपीएस) रुपए में	19.60	30.69
	Basic/Diluted Earning Per Share (EPS) in Rs.		
	उल्लेखनीय लेखांकन नीतियां और लेखाओं के लिए नोट – अनुसूची 16		
	Significant Accounting Policies and Notes to Accounts - Schedule 16		
	उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियां तुलनःपत्र का अभिन्न अंग हैं		
	The Schedules referred to above form integral part	of the Balance Sheet	

हमारी संलग्न लेखा परीक्षक रिपोर्ट के अनुसार As per our auditors report attached

कृते केपीएमआर एंड एसोसिएट्स चार्टर्ड एकाउंटेंट
एफआरएन सं. 02504N

For KPMR & Associates **Chartered Accountants** FRN No. 02504N

सी.ए. एस.एम.वाई कुरैशी

भागीदार सदस्यता संख्या 081750 CA. S.M.Y. Qureshi

Partner M. No. 081750

के. रमादेवी

महाप्रबंधक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी

K.Ramadevi

GM & Chief Financial Officer

स्थानः नई दिल्ली दिनांकः 15.05.2015 कृते एस.मान एंड कंपनी चार्टर्ड एकाउंटेंट

एफआरएन सं.000075N For S.MANN & CO. **Chartered Accountants** FRN No.000075N

सी.ए. सुभाष मान

भागीदार

सदस्यता संख्या 080500

CA. Subhash Mann

Partner M. No. 080500

रिम बाजपेयी

कंपनी सचिव Rashmi Bajpai

Company Secretary

Place: New Delhi Dated: 15.05.2015 (डॉ. ए.के. सक्सेना)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

DR. A.K. SAXENA

Chairman-cum-Managing Director

कुलदीप सिंह

Kuldip Singh

निदेशक

Director

एन. श्रीनिवास राव

निदेशक N. Srinivasa Rao

Director

निदेशक Sujay Banarji Director

सुजय बनर्जी



बीमाकर्ता का नामः द ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड पंजीकरण संख्या और आईआरडीएआई में नवीकरण की तारीखः 556 दिनांक 25.02.2014

31 मार्च 2015 को बैलेंस शीट

NAME OF INSURER: THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED REGISTRATION NO. AND DATE OF RENEWAL WITH IRDAI: 556 DATED 25.02.2014 BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2015

			(₹ In 000) As at
PARTICULARS	Schedule	31.03.2015	31.03.2014
निधियों के स्रोत			
SOURCES OF FUNDS			
शेयर पूंजी	5	2000000	1500000
SHARE CAPITAL			
आरक्षित एवं अधिशेष	6	29818347	27717367
RESERVES AND SURPLUS			
आस्थगित कर देयता		0	0
Deferred Tax Liability			
उचित मूल्य परिवर्तन लेखा		97291378	85701136
FAIR VALUE CHANGE ACCOUNT			
उधार	7	0	0
BORROWINGS			
कुल		129109725	114918503
TOTAL			
निधियों का अनुप्रयोग			
APPLICATION OF FUNDS			
निवेश	8 & 8A	206594242	187670628
INVESTMENTS			
ऋण	9	1896127	2042990
LOANS			
स्थायी परिसंपत्तियां	10	956732	898005
FIXED ASSETS			
चालू पूंजीगत कार्य	10	623563	403996
Capital Work In Progress			
आस्थगित कर परिसंपत्तियां		0	0
Deferred Tax Assets			
चालू परिसंपत्तियांः			
CURRENT ASSETS:			
नकद एवं बैंक शेष	11	24269975	22269889
Cash and Bank Balances			
अग्रिम व अन्य परिसंपत्तियां	12	28508003	25794950
Advances and Other Assets			
उप-जोड (क)		52777978	48064839
Sub-Total (A)			



चालू देयताएं CURRENT LIABILITIES	13	88119596	81528318
प्रावधान PROVISIONS	14	45619321	42930773
उप-जोड (ख) Sub-Total (B)		133738917	124459091
निवल चालू परिसंपत्तियां = (क—ख) NET CURRENT ASSETS = (A-B)		(80960939)	(76394252)
विविध व्यय MISCELLANEOUS EXPENDITURE			
(जिनको बट्टे खाते डाला गया या समायोजित नहीं किया गया) (to the extent not written off or adjusted)	15	0	297135
लाभ व हानि खाते में नामे शेष DEBIT BALANCE IN PROFIT AND LOSS ACCOUNT		0	0
कुल TOTAL		129109725	114918502
उल्लेखनीय लेखांकन नीतियां और लेखाओं के लिए नोट Significant Accounting Policies and Notes to Accounts	16		
उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियां तुलनःपत्र का अभिन्न अंग The Schedules referred to above form integra		Balance Sheet	

हमारी संलग्न लेखा परीक्षक रिपोर्ट के अनुसार As per our auditors report attached

कृते केपीएमआर एंड एसोसिएट्स चार्टर्ड एकाउंटेंट एफआरएन सं. 02504N For KPMR & Associates **Chartered Accountants** FRN No. 02504N

कृते एस.मान एंड कंपनी चार्टर्ड एकाउंटेंट एफआरएन सं.000075N For S.MANN & CO. **Chartered Accountants** FRN No.000075N

(डॉ. ए.के. सक्सेना) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक DR. A.K. SAXENA Chairman-cum-Managing Director

सी.ए. एस.एम.वाई कुरैशी भागीदार

सदस्यता संख्या 081750 CA. S.M.Y. Qureshi

Partner M. No. 081750

के. रमादेवी

महाप्रबंधक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी

K.Ramadevi GM & Chief Financial Officer

स्थानः नई दिल्ली दिनांक: 15.05.2015 सी.ए. सुभाष मान भागीदार सदस्यता संख्या 080500 CA. Subhash Mann Partner M. No. 080500

रिस बाजपेयी कंपनी सचिव Rashmi Bajpai Company Secretary

Place: New Delhi

Dated: 15.05.2015

सुजय बनर्जी निदेशक Sujay Banarji Director

एन. श्रीनिवास राव

N. Srinivasa Rao

निदेशक

Director

कुलदीप सिंह

Kuldip Singh

निदेशक

Director



अनुसूची-1 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए अर्जित प्रीमियम (निवल) SCHEDULE -1

PREMIUM EARNED (NET) FOR THE YEAR ENDED 31.03.2015

												(4 IN '000')
विवरण Particulars	ਜ਼ ਗ	आ ^न FIRE			MA!	मरीन MARINE			ਕਿਕਿਬ MISCELLANEOUS	ध INEOUS	कुल योग GRAND TOTAL	यो TOTAL
	31.03.2015	331.03.2015	31.03.2	31.03.2015 को समाप्त वर्ष	र्ष	31.03.2	31.03.2014 को समाप्त वर्ष		31.03.2015	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2014
	को समाप्त वर्ष Voar ended	को समाप्त वर्ष Vest onded	Year Er	Year Ended 31.03.2015	115	Year En	Year Ended 31.03.2014	14	को समाप्त वर्ष Vest ended	को समाप्त वर्ष Voor ended	को समाप्त वर्ष Vest ended	को समाप्त वर्ष Voar andad
	31.03.2015	31.03.2014	Marine Cargo Marine Hull	Marine Hull	TOTAL	Marine Cargo	Marine Hull	TOTAL	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2014
प्रत्यक्ष कारोबारसेप्रीमियम Premium from direct business	10127767	10397762	2475789	1738904	4214693	2725721	2103298	4829019	61276819	57598613	75619279	72825394
जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्रीमियम Add: Premium on reinsurance accepted	1283153	1419352	17279	254662	271941	1682	219746	221428	1579150	2906299	3134244	4547079
घटायें: स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्रीमियम Less: Premium on reinsurance ceded	6343128	5084479	343888	1213963	1557851	361561	1578701	1940262	6128673	6533044	14029652	13557785
निवल प्रीमियम Net Premium	5067792	6732635	2149180	779603	2928783	2365842	744343	3110185	56727296	53971868	64723871	63814688
असमाप्त जोखिमों के लिए आरक्षित परिवर्तन के लिए समायोजन Adjustment for changes in reserve for unexpired risk.	-832422	128278	-108331	35260	-73071	67412	187770	255182	1377714	3891545	472221	4275005
कुल अर्जित प्रीमियम (निवल) Total Premium Earned (Net)	5900214	6604357	2257511	744343	3001854	2298430	556573	2855003	55349582	50080323	64251650	59539683
भारतमें प्रभावी कारोबार से प्रीमियम आय Premium Income from business effected In India	4428972	6021385	1927759	731448	2659207	2186146	615405	2801551	56019642	52958107	63107821	61781043
भारत से बाहर Outside India	638820	711250	221421	48155	269576	179696	128938	308634	707654	1013761	1616050	2033645
निवल प्रीमियम Net Premium	5067792	6732635	2149180	779603	2928783	2365842	744343	3110185	56727296	53971868	64723871	63814688



31 मार्च, 2015 को समाप्त अवधि के लिए अर्जित विविध प्रीमियम (निवल)

MISCELLANEOUS PREMIUM EARNED (NET) FOR THE YEAR ENDED 31.03.2015

विवर्ण Particulars					ऑटर MOTOR	S.				
	ओडी oD	टीपी— नॉनपूल TP - Non Pool	ਟੀਖੀਪ੍ਰਕ TP POOL	ਟੀਪੀ ਭੀआ ਦ ਧੂल TP D.R. POOL	कुल TOTAL	ओडी OD	टीपी— नॉनपूल TP - Non Pool	ਟੀਧੀਪ੍ਰਕ TP POOL	टीपीडीआर पूल TP D.R. POOL	कुल TOTAL
		31.6 Yea	31.03.2015 को समाप्तवर्ष Year Ended 31.03.2015	माप्तवर्ष 3.2015			31.03.2 Year En	31.03.2014 को समाप्तवर्ष Year Ended 31.03.2014	प्तवर्ष 2014	
प्रत्यक्ष कारोबारसेप्रीमियम Premium from direct business	12613383	16057225	0	473928	29144536	11981994	13836326	0	1062801	26881121
जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्रीमियम Add: Premium on reinsurance accepted	2357	527	0	292358	295242	10456	315	0	376687	387458
घटायेंः स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्रीमियम Less: Premium on reinsurance ceded	692207	808116	0	379142	1879465	626317	703475	0	850248	2180040
निवल प्रीमियम Net Premium	11923533	15249636	0	387144	27560313	11366133	13133166	0	589240	25088539
असमाप्त जोखिमों के लिए आरक्षित परिवर्तन के लिए समायोजन Adjustment for changes in reserve for unexpired risk.	278700	1058235	0	-101048	1235887	224936	1400398	0	-54670	1570664
कुल अर्जित ग्रीमियम (निवल) Total Premium Earned (Net)	11644833	14191401	0	488192	26324426	11141197	11732768	0	643910	23517875
भारतमें प्रभावी कारोबार से प्रीमियम आय Premium Income from business effected In India										
भारत में InIndia	11508208	15167308	0	387144	27062660 10997671	10997671	13018536	0	589240	24605447
भारत से बाहर Outside India	415325	82328	0	0	497653	368462	114630	0	0	483092
निवल प्रीमियम Net Premium	11923533	15249636	0	387144	27560313	11366133	13133166	0	589240	25088539



विवरण Particulars	आभिट ENGIN	आभियांत्रिकी ENGINEERING	विभाजन AVIATION	নিল TION	कामगार WORK COMPEN	कामगार क्षतिपूर्ति WORKMEN'S COMPENSATION	ट्यक्तिगत दुर्घटना PERSONAL ACCIDEN	व्यक्तिगत दुर्घटना PERSONAL ACCIDENT
	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2014
	को समाप्तवर्ष	को समाप्तवर्ष	को समाप्तवर्ष	को समाप्तवर्ष	को समाप्तवर्ष	को समाप्तवर्ष	को समाप्तवर्ष	को समाप्तवर्ष
	Year Ended 31.03.2015	Year Ended 31.03.2014	Year Ended 31.03.2015	Year Ended 31.03.2014	Year Ended 31.03.2015	Year Ended 31.03.2014	Year Ended 31.03.2015	Year Ended 31.03.2014
प्रत्यक्ष कारोबारसेप्रीमियम Premium from direct business	3559777	3747776	1009390	1116104	802456	816460	1493671	1424127
जोडें: स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्रीमियम Add: Premium on reinsurance accepted	289469	552935	253283	236137	0	0	768	51305
घटायें: स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्रीमियम Less: Premium on reinsurance ceded	1377827	1307468	1001260	1078072	45116	41876	171998	191742
निवल प्रीमियम Net Premium	2471419	2993243	261413	274169	757340	774584	1322441	1283690
परिवर्तन के लिए समायोजन Adjustment for changes in								
असमाप्त जोखिमों के लिए आरक्षित reserve for unexpired risk.	-260912	-29215	-6378	-119093	-8622	19758	19376	-86552
कुल अर्जित प्रीमियम (निवल) Total Premium Earned (Net)	2732331	3022458	267791	393262	765962	754826	1303065	1370242
भारतमें प्रभावी कारोबार से प्रीमियम आय Premium Income from business effected In India								
भारत में InIndia	2549377	2900229	137060	15830	703957	742519	1309003	1217261
भारत से बाहर Outside India	-77958	93014	124353	258339	53383	32065	13438	66429
निवल प्रीमियम Net Premium	2471419	2993243	261413	274169	757340	774584	1322441	1283690



								()))
विवरण Particulars	स्वास्थ्य HEALTH	æe LTH	देयता LIABILITY	ता LITY	अल्य विविध OTHER MISC	अन्य विविध OTHER MISC.	ਲੂ ਲ TOTAL	ਲ FAL
	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2014
	को समाप्तवर्ष	को समाप्तवर्ष	को समाप्तवर्ष	को समाप्तवर्ष	को समाप्तवर्ष	को समाप्तवर्ष	को समाप्तवर्ष	को समाप्तवर्ष
	Year Ended	Year Ended	Year Ended	Year Ended	Year Ended	Year Ended	Year Ended	Year Ended
	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2014
प्रत्यक्ष कारोबारसेप्रीमियम Premium from direct business	20538525	18987515	508926	451380	4219538	4174129	61276819	57598613
जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्रीमियम Add: Premium on reinsurance accepted	2358	2	490	208	737541	1677954	1579150	2906299
घटायें: स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्रीमियम Less: Premium on reinsurance ceded	1026201	1026272	84566	176077	542240	531497	6128673	6533044
निवल प्रीमियम Net Premium	19514682	17961245	424850	275811	4414839	5320586	56727296	53971868
परिवर्तन के लिए समायोजन Adjustment for changes in								
असमाप्त जोखिमों के लिए आरक्षित reserve for unexpired risk.	776719	1662406	74520	-36738	-452874	910315	1377714	3891545
कुल अर्जित प्रीमियम (निवल) Total Premium Earned (Net)	18737963	16298839	350330	312549	4867713	4410271	55349582	50080323
भारतमें प्रभावी कारोबार से प्रीमियम आय Premium Income from business effected In India								
भारत में In India	19500808	17951323	398876	255927	4357901	5269571	56019642	52958107
भारत से बाहर Outside India	13874	9922	25974	19884	56938	51015	707654	1013761
निवल प्रीमियम Net Premium	19514682	17961245	424850	275811	4414839	5320586	56727296	53971868



31 मार्च, 2015 कोसमाप्तवर्ष के लिए उपगतदावे (निवल) अनुसूची-2

CLAIMS INCURRED (NET) FOR THE YEAR ENDED 31.03.2015 SCHEDULE-2

ended (₹ in '000') 31.03.2015 31.03.2014 9849178 44803684 5385308 26201078 70829480 31.03.2014 3541455 मे समाप्तवर्ष 51111407 91645251 कुल योग GRAND TOTAL **2351407** 63397102 **60486340** 72646136 Year ended 56488629 31.03.2015 99999510 मे समाप्तवर्ष 2118492 7808741 50798381 32193095 4839721 ended 42643335 38096066 68613704 10703585 31.03.2015 31.03.2014 31.03.2014 2271139 6818408 2576222 मे समाप्तवर्ष **MISCELLANEOUS** विविध 47286449 44240866 73921750 ended 31.03.2015 12959195 मे समाप्तवर्ष 1040654 4086238 2434548 6528716 कुल TOTAL 2571732 1840622 199682 930792 533713 4711022 31.03.2014 को सभाप्तवर्ष **Year Ended 31.03.2014** 744114 892629 न कार्गो मरीन हल Marine Marine Hull 1132161 576989 4442249 4014702 188942 465082 मरीन कार्गो Cargo 186678 696320 1439571 10740 1263633 2086467 1458778 68631 MARINE मरीज 1914676 2493523 1074985 1649588 516599 5182082 231050 6580157 31.03.2015 को समाप्तवर्ष Year Ended 31.03.2015 न कार्गो मरीन हल Marine Marine Hull 595541 457339 352294 451592 4520983 882306 4951697 214092 मरीन कार्गो Cargo 1897982 16958 617646 1297294 1628460 65007 661099 1032368 Year ended 5896340 2099978 4866996 7991733 31.03.2014 31.03.2014 16502831 2275373 मे समाप्तवर्ष 10786471 1070634 अगिव FIRE 31.03.2015 9497603 14051818 7334359 31.03.2015 Year ended 2647518 6708657 1888574 मे समाप्तवर्ष 846788 4907927 ADD: Claims Outstanding at जोड़ें चालूवर्ष की समाप्ति Add: Reinsurance Accepted Add: Reinsurance Accepted Net Claims Outstanding at घटाएः अभ्यपित प्नबीमा चालूवर्ष की समाप्ति पर Less: Reinsurance Ceded घटाएं: अभ्यर्पितपूनर्बीमा Less: Reinsurance Ceded the end of Current Year the end of Current Year जोडें: स्वीकृतपुनर्बीमा जोड़ें: स्वीकृतपुनर्बीमा बकाया निवल दावे निवल चुकता दावे पर बकाया दावे Net Claims paid वृकता दावे Claims Paid **Particulars** गुत्यक्ष Direct



विवरण Particulars	अठिन FIRE	3न ≀E			ਸ਼ਈਕ MARINE	ोन ilNE			विविध MISCELLANEOUS	ोध ANEOUS	कुल योग GRAND TOTAL	योग TOTAL
	31.03.2015 को समाप्तवर्ष	31.03.2014 को समाप्तवर्ष	31.03.	31.03.2015 को समाप्तवर्ष Year Ended 31.03.2015	ाप्तवर्ष 2015	31.03.	31.03.2014 को समाप्तवर्ष Year Ended 31.03.2014	ाप्तवर्ष 2014	31.03.2015 को समाप्तवर्ष	31.03.2014 को समाप्तवर्ष	31.03.2015 को सभाप्तवर्ष	31.03.2014 को समाप्तवर्ष
	Year ended 31.03.2015	Year ended 31.03.2014	मरीन कार्गो Marine Cargo	मरीन हल Marine Hull	কুল TOTAL	मरीन कार्गो Marine Cargo	मरीन हल Marine Hull	ஓ ர TOTAL	Year ended 31.03.2015	Year ended 31.03.2014	Year ended 31.03.2015	Year ended 31.03.2014
घटाएं: गतवर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे LESS: Claims Outstanding at the end of Prev. Year												
प्रत्यक्ष Direct	16502831	12614599	2086467	4442249	6528716	2296584	4834887	7131471	68613704	63147535	91645251	82893605
जोड़ेंः स्वीकृतपुनर्बीमा Add: Reinsurance Accepted	2275373	1325526	68631	465082	533713	42200	423548	465748	2576222	813534	5385308	2604808
घटाएं: अभ्यर्पितपुनर्बीमा Less: Reinsurance Ceded	10786471	6633916	696507	4014515	4711022	767571	4303600	5071171	10703585	9270362	26201078	20975449
गतवर्ष की समाप्ति पर	7991733	7306209	1458591	892816	2351407	1571213	954835	2526048	60486341	54690707	70829481	64522964
बकाया दावे Net Claims Outstanding as at the end of the Previous Year												
निवल उपगत दावे Net Claims Incurred												
प्रत्यक्ष Direct	9703429	9784572	1439975	1104989	2544964	1229454	739523	1968977	52594495	48109504	64842888	59863053
जोड़ेः स्वीकृतपुनर्बीमा Add: Reinsurance accepted	459989	2020481	13334	200602	213936	37171	230476	267647	898981	4033827	1572906	6321955
घटाएं: अभ्यर्पितपुनर्बीमा Less: Reinsurance Ceded	5912865	6252533	582238	963807	1546045	115427	455216	570643	6341848	8251631	13800758	15074807
निवल उपगत दावे NET CLAIMS INCURRED	4250553	5552520	871071	341784	1212855	1151198	514783	1665981	47151628	43891701	52615036	51110201





(₹ in '000')

कुल **TOTAL**

टीपीपूल टीपीडीआर **rP Pool** ਪੂਕ TP D.R. POOL -1177634 31.03.2014 मो समाप्तवर्ष Year Ended 31.03.2014 नॉनपूल TP - Non टीयी-अबि भोटर MOTOR कुल **TOTAL** पूल TP D.R. POOL टीपीपूल टीपीडीआर TP POOL 31.03.2015 मो समाप्तवर्ष Year Ended 31.03.2015 नॉनपूल TP - Non टीपी-अंबे ADD: Claims Outstanding at the end Net Claims Outstanding Current Year चालू वर्ष की समाप्ति पर बकाया जोड़ें चालू वर्ष की समाप्ति पर जोडें: स्वीकृत पुनर्बीमा Add: Reinsurance Accepted Add: Reinsurance Accepted घटाएं अभ्यपित प्नबीमा घटाएः अभ्यपित पुनर्बीमा ess: Reinsurance Ceded Less: Reinsurance Ceded जोड़ें स्वीकृत पुनर्बीमा निवल चुकता दावे Net Claims paid of Current Year बकाया दावे **Particulars** चुकता दावे Claims Paid

LESS: Claims Outstanding at the end

of Prev. Year

बकाया दावे

घटाएं: गत वर्ष की समाप्ति पर

प्रत्यक्ष

Direct

प्रत्यक्ष Direct

CLAIMS INCURRED (NET) FOR THE PERIOD ENDED 31.03.2015

THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LTD.

	1 1 1		
1		d)	
100		13 CM	IJ

C +	10	~	10		m	m	0	C +		_	C +	10
51789144	-281886	5280212	46227045		21471493	2338433	5268192	18541734		14242971	549354	14792325
1274144	0	747	1273397		3806873	1068558	2314288	2561143		-1177634	0	-1177634
30765541	-1254751	0	29510789		-987396	1254751	0	267356		5391580	0	5391580
17101256	0	4844587	12256669		12730435	0	2251720	10478715		5312472	122957	5435429
3600007	21060	434878	3186189		5921580	15124	702183	5234521		4716554	426397	5142951
56539462	22312	6585321	49976454		23721352	341322	3677654	20385020		17318671	359827	17678499
5031502	0	19328	5012174		457388	338240	371942	423686		177107	0	177107
24386565	0	0	24386565		549587	0	0	549587		4996394	0	4996394
23510736	0	6210781	17299955		16424750	0	3009148	13415602		6415341	158977	6574318
3610659	22312	355213	3277759		6289628	3082	296565	5996145		5729829	200850	5930679
प्रत्यक्ष Direct	जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा Add: Reinsurance Accepted	घटाएं: अभ्यर्पित पुनर्बीमा Less: Reinsurance Ceded	गत वर्ष की समाप्ति पर निवल बकाया दावे Net Claims Outstanding Previous Year	निवल उपगत दावे Net Claims Incurred	प्रत्यक्ष Direct	जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा Add: Reinsurance accepted	घटाएं: अभ्यर्पित पुनर्बीमा Less: Reinsurance Ceded	कुल उपगत दावे TOTAL CLAIMS INCURRED	दावेदारों को चुकता दावे Claims paid to claimants	भारत में In India	भारत से बाहर Outside India	कुल चुकता दावे Total Claims Paid





								(000 1)
विवरण Particulars	अभियांत्रिकी ENGINEERING	त्रिकी ERING	कामगार क्षतिपूर्ति WORKMEN'S COMPENSATION	क्षतिपूर्ति MEN'S SATION	विभाजन AVIATION	नन ion	व्यक्तिगत दुर्घटना PERSONAL ACCIDENT	r दुर्घटना ACCIDENT
	वर्षे समाप्त Year Ended 31.03.15	वर्षे समाप्त Year Ended 31.03.14	वर्षे समाप्त Year Ended 31.03.15	वर्षे समाप्त Year Ended 31.03.14	वर्षे समाप्त Year Ended 31.03.15	वर्षे समाप्त Year Ended 31.03.14	वर्षे समाप्त Year Ended 31.03.15	वर्षे समाप्त Year Ended 31.03.14
चुकता दावे Claims Paid								
प्रत्यक्ष Direct	1562339	1950975	176637	166434	635978	500104	932438	1089710
जोड़ेंः स्वीकृत पुनर्बीमा Add: Reinsurance Accepted	-131948	227666	0	0	217127	144531	758	50652
घटाएं: अभ्यर्पित पुनर्बीमा Less: Reinsurance Ceded	327895	676592	14884	14792	423375	334152	155705	153832
निवल चुकता दावे Net Claims paid	1102496	1502049	161753	151642	429731	310483	777491	986530
जोड़ें: चालू वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे ADD: Claims Outstanding at the end of Current Year								
प्रत्यक्ष Direct	4281147	3593243	288054	317693	735667	1038477	812293	844236
जोड़ेंः स्वीकृत पुनर्बीमा Add: Reinsurance Accepted	1085171	1193163	0	0	324888	276009	49	1443
घटाएं: अभ्यर्पित पुनर्बीमा Less: Reinsurance Ceded	1903777	1282626	23875	28991	620239	778288	161012	179379
बालू वर्ष की समाप्ति पर बकाया निवल दावे Net Claims Outstanding Current Year	3462541	3503781	264180	288702	440316	536199	651330	666301
घटाएं: गत वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे LESS: Claims Outstanding at the end of Prev. Year								
प्रत्यक्ष Direct	3593243	3588700	317693	319502	1038477	985774	844236	817695
जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा Add: Reinsurance Accepted	1193163	522507	0	0	276009	224316	1443	4703



घटाएं: अभ्यर्पित पुनर्बीमा Less: Reinsurance Ceded	1282626	1379717	28991	46055	778288	746092	179379	146094
गत वर्ष की समाप्ति पर निवल बकाया	3503781	2731490	288702	273446	536199	463998	666301	676304
दावे								
Net Claims Outstanding Previous Year								
निवल उपगत दावे								
Net Claims Incurred								
प्रत्यक्ष	2250242	1955519	146998	164626	333167	552807	900495	1116252
Direct								
जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा Add: Reinsurance accepted	-239940	898322	0	0	266007	196223	-636	47392
घटाएः अभ्यपित पुनर्शीमा Lece Beinemance Coded	949046	579501	2926	-2272	265326	366347	137338	187117
Less, hellisdialice Ceded								
कुल उपगत दावे TOTAL CLAIMS INCURRED	1061256	2274340	137231	166898	333848	382684	762520	976527
दावेदारों को चुकता दावे Claims paid to claimants								
भारत में In India	1446116	1440868	146492	139581	278299	116896	773949	932883
भारत से बाहर Outside India	-343620	61181	15261	12061	151432	193588	3542	53647
कुल चुकता दावे Total Claims Paid	1102496	1502049	161753	151642	429731	310483	777491	986530





								(200)
विवरण Particulars	स्वास्थ	жет ГТН	देनदारी LIABILITY	ਸ਼ੀ LITY	अल्य विविध OTHER MISCELLANEOUS	वेविध IER ANEOUS	ਜੁਲ TOTAL	ਲ FAL
	वर्षे समाप्त Year Ended 31.03.15	वर्षे समाप्त Year Ended 31.03.14						
घटाएं: अभ्यर्पित पुनर्बीमा Less: Reinsurance Ceded	23323353	19938772	58167	72210	1577500	1252151	47286449	42643335
गत वर्ष की समाप्ति पर निवल बकाया दावे Net Claims Outstanding Previous Year	100	0	0	0	616265	765861	1040654	2271139
निवल उपगत दावे Net Claims Incurred	1207847	1522252	13815	30928	262826	122778	4086238	6818408
प्रत्यक्ष Direct	22115606	18416519	44352	41282	1930939	1895235	44240866	38096066
जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा Add: Reinsurance accepted	2851673	2272145	1141021	1155786	2571119	2852659	73921750	68613704
घटाएं: अभ्यर्पित पुनर्बीमा Less: Reinsurance Ceded	21	21	593	574	998543	1082699	2434548	2576222
कुल उपगत दावे TOTAL CLAIMS INCURRED	148228	142289	944562	983377	574418	723313	12959195	10703585
दावेदारों को चुकता दावे Claims paid to claimants	2703466	2129877	197052	172983	2995243	3212045	63397102	60486341
भारत में In India	2272145	1964203	1155786	1177228	2852659	2505289	68613704	63147535
भारत से बाहर Outside India	21	21	574	8743	1082699	335130	2576222	813534
कुल चुकता दावे Total Claims Paid	142289	198225	983377	979837	723313	494129	10703585	9270362
प्रत्यक्ष Direct	2129877	1765999	172983	206134	3212045	2346291	60486341	54690707
जोड़ेंः स्वीकृत पुनर्बीमा Add: Reinsurance Accepted	23902880	20246714	43402	50767	1295960	1599521	52594495	48109504
घटाएं: अभ्यर्पित पुनर्बीमा Less: Reinsurance Ceded	100	0	18	-8169	532110	1513430	898981	4033827



गत वर्ष की समाप्ति पर निवल बकाया	1213786	1466316	-25000	34468	113931	351962	6341848	8251631
दावे Net Claims Outstanding Previous Year								
निवल उपगत दावे Net Claims Incurred	22689195	18780398	68421	8130	1714138	2760989	47151628	43891701
प्रत्यक्ष Direct	23902880	20246714	43402	50767	1295960	1599521	52594495	48109504
जोड़ेंः स्वीकृत पुनर्बीमा Add: Reinsurance accepted	100	0	18	-8169	532110	1513430	898981	4033827
घटाएं: अभ्यर्पित पुनर्बीमा Less: Reinsurance Ceded	1213786	1466316	-25000	34468	113931	351962	6341848	8251631
कुल उपगत दावे TOTAL CLAIMS INCURRED	22689195	18780398	68421	8130	1714138	2760989	47151628	43891701
दावेदारों को चुकता दावे Claims paid to claimants								
भारत में InIndia	22102934	18403172	44228	41258	1915686	1918675	44026374	37236305
भारत से बाहर Outside India	12672	13347	124	24	13378	-23441	212616	859761
कुल चुकता दावे Total Claims Paid	22115606	18416519	44352	41282	1929064	1895235	44238991	38096066



31७03ण्2015 को समाप्त वर्ष के लिए उपगत कमीशन ;निवल्ढू

SCHEDULE -3


COMMISSION INCURRED (NET) FOR THE YEAR ENDED 31.03.2015

											٣	(₹ in '000')
विवरण Particulars	अर्ग FII	अठिन FIRE			ਸ਼ਈਕ MARINE	ोन IINE			विविध MISCELLANEOUS		कुल योग GRAND TOTAI	AL
	वर्ष	वर्ष	वर्ष सर	वर्ष समाप्ति 31.03.2015	3.2015	वर्ष सम	वर्ष समाप्ति 31.03.2014	3.2014	वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष
	सभाप्ति	सभाप्ति	Year E	Year Ended 31.03.2015	.2015	Year E	Year Ended 31.03.2014	.2014	सभाप्ति	सभाप्ति	सभाप्ति	सभाप्ति
	Year ended	Year ended							Year ended	Year ended	Year ended	Year ended
	31.03.2015	31.03.2014	Marine Cargo	Marine Hull	TOTAL	Marine Cargo	Marine Hull	TOTAL	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2014
चुकता कमीशन Commission paid												
प्रत्यक्ष Direct	730544	762025	319225	29157	348382	361348	29098	390446	3598423	3389088	4677349	4541559
जोड़ेंः स्वीकृत पुनर्बीमा Add: Re-insurance Accepted	284527	261153	5003	47816	52819	491	54188	54679	134280	546384	471626	862216
घटाएं: अभ्यपित पुनर्बीमा Less: Re-Insurance Ceded	752740	816943	42250	83974	126224	58833	101409	160242	791842	852171	1670806	1829356
निवल कमीशन Net commission	262331	206235	281978	(7001)	274977	303006	(18123)	284883	2940861	3083301	3478169	3574419



MISCELLANEOUS COMMISSION INCURRED (NET) FOR THE YEAR ENDED 31.03.2015 31.03.2015 को समाप्त वर्ष के लिए विविध उपगत कमीशन (निवल)

								(4 IN '000')
ਰਿਕਦਯ Particulars				भोटर MOTOR	ನೇ OR			
	ओडी op	टीपी—नॉन पूल टीपी पूल TP-Non Pool TP Pool		कुल TOTAL	ओडी op	टीपी—नॉन पूल वर्ष समाप्ति TP-Non Pool TP Pool	वर्ष समाप्ति TP Pool	कुल TOTAL
		वर्ष सभाप्ति Year Ended	15 5			वर्ष समाप्ति 31.03.2015 Year Ended 31.03.2014	31.03.2015	
चुकता कमीशन Commission paid								
प्रत्यक्ष Direct	1147169	17365	0	1164534	1118525	26500	0	1145025
जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा Add: On Re-insurance Accepted	378	36	0	414	3733	0	0	3733
घटाएं: अभ्यर्पित पुनर्बीमा Less: On Re-Insurance Ceded	100333	43468	0	143801	92458	42230	0	134688
निवल कमीशन Net commission	1047214	(26067)	0	1021147	1029800	(15730)	0	1014070





						(111 000)
विवरण	अभियांत्रिकी	निकी	कामिगार श्रिपर्ति	श्रीतपर्ति	विभावन	<u> </u>
Particulars	ENGINEERING	ERING	WORKMEN'S COMPENSATION	OMPEÑSATION	AVIATION	NOIL
	वर्ष समाप्ति	वर्ष समाप्ति	वर्ष समाप्ति	वर्ष समाप्ति	वर्ष समाप्ति	वर्ष समाप्ति
	Year Ended	Year Ended	Year Ended	Year Ended	Year Ended	Year Ended
	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2014
चुकता कमीशन Commission paid						
प्रत्यक्ष Direct	201629	232091	88032	82929	8974	2269
जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा Add: On Re-insurance Accepted	(3886)	251170	0	0	30963	40407
घटाएं: अभ्यर्पित पुनर्बीमा Less: On Re-Insurance Ceded	249458	292102	7784	6603	29007	140290
निवल कमीशन Net commission	(51715)	191159	80248	76326	10930	(95806)
						(₹ in '000')
ਰਿਕਦੁਯ Particulars	अभियांत्रिकी PERSONAL ACCIDENT	निजकी ACCIDENT	काम्रगार क्षतिपूर्ति HEALTH	क्षतिपूर्ति LTH	विभाजन LIABILITY	नन LITY
	वर्षे समाप्ति Year Ended 31.03.2015	वर्ष समाप्ति Year Ended 31.03.2014	वर्ष समाप्ति Year Ended 31.03.2015	वर्षे समाप्ति Year Ended 31.03.2014	वर्षे समाप्ति Year Ended 31.03.2015	वर्षे समाप्ति Year Ended 31.03.2014
चुकता कमीशन Commission paid						
प्रत्यक्ष Direct	139255	124914	1390046	1215531	70966	59193
जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा Add: On Re-insurance Accepted	219	23	260	0	125	66
घटाएं: अभ्यर्पित पुनर्बीमा Less: On Re-Insurance Ceded	33869	41617	153930	153941	7599	25434
निवल कमीशन Net commission	105605	83320	1236376	1061590	63492	33858
						(₹ in '000')



ਰਿਕਦਯ Particulars	अब्य OTHER	- 84	ණු TOTAL	S AL
	वर्ष समारित Year Ended 31.03.2015	वर्ष समाप्ति Year Ended 31.03.2014	वर्ष समाप्ति Year Ended 31.03.2015	वर्ष सम्राप्ति Year Ended 31.03.2014
चुकता कमीशन Commission paid				
प्रत्यक्ष Direct	534987	522428	3598423	3389088
जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा Add: On Re-insurance Accepted	106185	250952	134280	546384
घटाएं: अभ्यर्पित पुनर्बीमा Less: On Re-Insurance Ceded	166394	57496	791842	852171
निवल कमीशन Net commission	474778	715884	2940861	3083301



अनुसूची 3।

दि ओएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

SCHEDULE OF AGENTS COMMISSION AND BROKERAGE FOR THE YEAR ENDED 31.03.2015 3100302015 को समाप्त वर्ष के लिए एजेंटों के कमीशन और बोकरेज की अनुसूची THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED **SCHEDULE 3A** (केवल सकल)

(GROSS ONLY)

	_
=	
(0
Č	000
7	≍
2	_
	_
	⊆
H	~
`	_

				_		
अभियांत्रिकी Engineering	100707	100921	0	0	0	201628
ओटर टीपी (जीआईसी पूल) Motor TP (GIC Pool)	0	0	0	0	0	0
ओटर टीपी (डी.आर. पूल) Motor TP (D.R. Pool)	0	0	0	0	0	0
भोटर टीपी (डी.आर. पूल को छोड़कर) Motor TP (Excl D.R. Pool)	17365	0	0	0	0	17365
ओटर ओडी Motor OD	1068197	78972	0	0	0	1147169
अरीज हल M. Hull	7685	21473	0	0	0	29158
अरीज कार्गी M. Cargo	220075	99150	0	0	0	319225
अरिव Fire	549550	180993	0	0	0	730543
विवरण PARTICULARS	एजेंट Agents	ब्रोकर Brokers	निगमित एजेंसी Corporate Agency	प्रेषण व्यवस्थाएं Referral arrangements	अन्य, यदि कोई हो Others, if any	कुल रुपए उन्हाध



दि ओएएटल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

31.03.2015 को समाप्त वर्ष के लिए एजेंटों के कमीशन और ब्रोकरेज की अनुसूची

(केवल सकल)

SCHEDULE OF AGENTS COMMISSION AND BROKERAGE FOR THE YEAR ENDED 31.03.2015 THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED (GROSS ONLY)

_	r
0	
0	
0	
.⊑	
M	
_	

विवरण PARTICULARS	दिमानन Aviation	कामगार क्षतिपूर्ति w.c.	देनदारी Liability	देनदारी Health	स्वास्थ्य P.A.	अल्य विविध Other Misc.	த ன் TOTAL
एजेंट Agents	478	82092	45969	1065531	112421	437414	3707484
ब्रोकर Brokers	8498	5939	24997	324515	26834	97573	969865
निगमित एजेंसी Corporate Agency	0	0	0	0	0	0	0
प्रेषण व्यवस्थाएं Referral arrangements	0	0	0	0	0	0	0
अन्य, यदि कोई हो Others, if any	0	0	0	0	0	0	0
कुल रुपए Total Rs.	8976	88031	70966	1390046	139255	534987	4677349
टिप्पणीः कुल योग टीबी के भाग क (खाता संख्या		71ए1204ए1205 '즉	1201ए1204ए1205 दक 1206द्वके अनुसार संबंधित आंकाड़ों के मेल खाने चाहिएं।	ार संबंधित आंका	ड़ों के मेल खाने न	गाहिएं।	

वार्षिक प्रतिवेदन Annual Report 2014-15 175

Note: The totals should agree with the corresponding figures as per Part A of TB (a/c nos. 1201,1204,1205 and 1206)



अनुसूची 3।

दि ओएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

SCHEDULE OF AGENTS COMMISSION AND BROKERAGE FOR THE YEAR ENDED 31.03.2014 3100302014 को समाप्त वर्ष के लिए एजेंटों के कमीशन और ब्रोक्रेज की अनुसूची THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED (GROSS ONLY) **SCHEDULE 3A** ;केवल सकलढ़

रिरे	प्त कम्पनी लि	मिटेड					
(₹ in '000')	अभियांत्रिकी Engineering Engineering	120498	111593	0	0	0	232091
	मोटर टीपी (डी. आर. ਧੂਲ) Motor TP(D.R. Pool)	0	0	0	0	0	0
	新 하 하 하 하 하 하 하 하 하 하 하 하 하 하 하 하 하 하	26500	0	0	0	0	26500
	मोटर ओडी Motor OD	1042168	76356	0	0	0	1118524
	अरीज हल M. Hull	8184	19815	1099	0	0	29098
	अरीज कार्गो M. Cargo	233633	127305	410	0	0	361348
	अग्रिज Fire	479981	186177	95867	0	0	762025

Referral arrangements अन्य, यदि कोई हो

Others, if any

कुल रुपए Total Rs.

प्रेषण व्यवस्थाएं

Corporate Agency निगमित एजेंसी

Brokers

Agents ब्रोकर

PARTICULARS



दि ओएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

3100302014 को समाप्त वर्ष के लिए एजेंटों के कमीशन और ब्रोकरेज की अनुसूची

;केवल सकल्द्ध

SCHEDULE OF AGENTS COMMISSION AND BROKERAGE FOR THE YEAR ENDED 31.03.2014 THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED (GROSS ONLY)

						(222 :::)
विभानन Aviation	कामगार क्षतिपूर्ति W.C.	देनदारी Liability	देनदारी Health	स्वास्थ्य P.A.	अल्य विविध Other Misc.	ക്ക
510	77640	40332	871410	106582	327002	3334440
6467	5290	18861	269166	18332	91110	930472
0	0	0	74955	0	104315	276646
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
2269	82930	59193	1215531	124914	522427	4541558



अनुसूची 3।

दि ओएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

SCHEDULE OF AGENTS COMMISSION AND BROKERAGE FOR THE YEAR ENDED 31.03.2013 3100302013 को समाप्त वर्ष के लिए एजेंटों के कमीशन और बोकरेज की अनुसूची THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED (GROSS ONLY) **SCHEDULE 3A** (केवल सकल)

(₹ in '000')	अभियांत्रिकी Engineering Engineering	122836	113895	999	0	0	237297
	ओटर टीपी (डी. आर. पूल) Motor TP(D.R. Pool)	0	0	0	0	0	0
	新당	37741	0	0	0	0	37741
	भोटर ओडी Motor OD	1189288	48584	1360	0	0	1239232
	अरीज हल M. Hull	8469	17065	152	0	0	25686
	अरीज कार्गी M. Cargo	226391	116671	347	0	0	343409
	अठिव Fire	480552	144123	16651	0	0	641326
	विवरण PARTICULARS	एजेंट Agents	ब्रोकर Brokers	निगमित एजेंसी Corporate Agency	प्रेषण व्यवस्थाएं Referral arrangements	अन्य, यदि कोई हो Others, if any	कुल रुपए Total Bs.



दि ओएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

31003ण2013 को समाप्त वर्ष के लिए एजेंटों के कमीशन और बोकरेज की अनुसूची

(केवल सकल)

SCHEDULE OF AGENTS COMMISSION AND BROKERAGE FOR THE YEAR ENDED 31.03.2013 THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED (GROSS ONLY)

							()))
विवरण PARTICULARS	दिमानन Aviation	कामगार क्षतिपूर्ति w.c.	देनदारी Liability	देनदारी Health	स्वास्थ्य P.A.	अब्य विविध Other Misc.	कुल TOTAL
एजेंट Agents	579	72875	34800	825479	97291	390770	3487071
ब्रोकर Brokers	5802	6178	18771	213922	23432	91842	800285
निगमित एजेंसी Corporate Agency	0	2	27	14930	470	14741	49246
प्रेषण व्यवस्थाएं Referral arrangements	0	0	0	0	0	0	0
अन्य, यदि कोई हो Others, if any	0	0	0	0	0	0	0
कुल रुपए Total Rs.	6381	79055	53598	1054331	121193	497353	4336602

अनुसूची . 4

31ण03ण2015 को समाप्त वर्ष के लिए बीमा करोबार से संबंधित प्रचालनिक खर्च SCHEDULE - 4

OPERATING EXPENSES RELATED TO INSURANCE BUSINESS FOR THE YEAR ENDED 31.03.2015

				(₹ in '000')
Particulars	वर्ष समाप्ति 31.03.2015 वर्ष समाप्ति 31.03. YEAR ENDED 31.03.2015 YEAR ENDED 31.03.			
	राशि TNUOMA	राशि TNUOMA	राशि TNUOMA	राशि TNUOMA
कर्मचारी पारिश्रमिक और कल्याण लाभ Employees remuneration & Welfare Benefits		19261243		13972919
यात्रा, परिवहन और वाहन परिचालन खर्च Travel, Conveyance and Vehicle Running Expenses		383448		426516
प्रशिक्षण Training		50883		53819
किराया, दरें और कर Rent, Rates & Taxes		637807		630569
मरम्मत Repairs		119625		115017
मुद्रण और लेखन सामग्री Printing & Stationery		176251		190875
संचार Communication		159902		183951
विधिक और व्यावसायिक खर्च Legal & Professional Expenses		55685		76181
लेखापरीक्षक शुल्क, खर्चे आदि Auditors' fees, expenses etc.				
(क) लेखा परीक्षक के रूप में (a) as auditor		38440		35694
(क) सलाहकर के रूप में या किसी अन्य क्षमता में, निम्न के संबंध में (b) as adviser or in any other capacity, in respect of				
i) कराधान मामले i) taxation matters		0		0
ii) बीमा मामले ii) insurance matters		119		174
iii) प्रबंधन सेवाएं iii) management services		159		27
(ग) किसी अन्य क्षमता में (c) in any other capacity		466		78
विज्ञापन और प्रचार Advertisement & Publicity		123885		68229
ब्याज और बैंक प्रभार Interest & Bank Charges		17882		16226
अन्य Others				



Particulars	वर्ष समाप्ति YEAR ENDED		वर्ष समाप्ति YEAR ENDEC	
	राशि TNUOMA	राशि TNUOMA	राशि TNUOMA	राशि TNUOMA
क) विद्युत प्रभार a) Electricity Charges	135387		129411	
ख) बीमा और कम्पनी अधिनियम आदि के अधीन शुल्क b) Fee under Insurance & Company Act etc.	51863		90305	
क) एलपीए अभिदान c) LPA Subscription	0		0	
घ) पॉलिसी स्टाम्प खर्चे d) Policy Stamps Expenses	32105		30538	
ड़) अन्य e) Others	702719	922073	573133	823386
मूल्य हास Depreciation		187309		287581
सेवा कर खाता # Service Tax A/c #		88493		101507
आउटसोर्सिंग / अवसंरचना खर्च Outsourcing/Infrastructure Expenses		1256095		771561
बीमा कारोबार से संबंधित कुल प्रचालनिक खर्च TOTAL OPERATING EXPENSES RELATING TO INSURANCE BUSINESS		23479765	823386	17754310

#आईआरडीएआई के दिनांक 05ध10ध2012 के मास्टर परिपत्र संख्या आईआरडीएआई / एफएंडआई / सीआईआर/एफएंडए/231/10/2012 के अनुसार एक नई पंक्ति सृजित की गई है।

[#] A new line item created as per IRDAI Master Circular No. IRDAI/F&I/CIR/F&A/231/10/2012 dt. 05/10/2012

अनुसूची -5 31.03.2015 को शेयर पूंजी **SCHEDULE - 5 SHARE CAPITAL AS AT 31.03.2015**

	(₹ in			
SI.No.	Particulars	31.03.2015 को As at	31.03.2014 को As at	
		31.03.2015	31.03.2014	
1	प्राधिकृत पूंजी			
	Authorised Capital			
	रु. 10 प्रत्येक के 20ए00ए00ए000 इक्विटी शेयर	2000000	2000000	
	20,00,00,000 Equity Shares of Rs 10 each			
2	जारी पूंजी			
	Issued Capital			
	रु. 10 प्रत्येक के 20ए00ए00ए000 इक्विटी शेयर	2000000	1500000	
	20,00,00,000 Equity Shares of Rs 10 each			
3	अभिदत्त पूंजी			
	Subscribed Capital	200000	1500000	
	रु. १० प्रत्येक के २०ए००ए००ए००० इक्विटी शेयर	2000000	1500000	
4	20,00,00,000 Equity Shares of Rs 10 each			
4	ब्ससमक देक चंपक.नच ब्चपजंस			
	Called and Paid-up Capital	2000000	1500000	
	रु. 10 प्रत्येक के 20ए00ए00ए000 इक्विटी शेयर 20,00,00,000 Equity Shares of Rs 10 each	2000000	1300000	
5	घटाएं: अदत्त मांगें	0	0	
	Less: Calls Unpaid		Ŭ	
	जोड़ें: जब्त इक्विटी शेयर (मूल रूप से प्रदत्त राशि)	0	0	
	Add: Equity Shares Forfeited (Amount Originally Paid	· ·	·	
	up)			
	घटाएः प्रारंभिक व्यय	0	0	
	Less: Preliminary Expenses			
	जोखिम अंकन या शेयरों के अंशदान पर कमीशन या ब्रोकरेज			
	Expenses including commision or brokerage on			
	underwriting or subscription of shares			
	कुल	2000000	1500000	
	Total			
	टिप्पणीः वित्त वर्ष 2014—15 की दूसरी तिमाही के दौरान रु. 10 प्रत		•	
	योग रु. 50 करोड़ है, सामान्य आरक्षिति खाते में नामे डालकर शेयरधारक (भारत सरकार) को जारी किए गए हैं।			
	Note: During the second quarter of FY 2014-15, 5,00,00,00			
	aggregating Rs.50 crores, have been issued to the shareho	older (Govt. of India)	by debiting General	
	Reserve Account.			



अनुसूची -5ए 31.03.2015 को शेयरधारिता का स्वरूप

(धन द्वारा यथा प्रमाणित) **SCHEDULE - 5A**

PATTERN OF SHAREHOLDING AS AT 31.03.2015

[As certified by the Management]

(₹ in '000')

शेयरधारक Shareholder	31.03.2 As at 31.		31.03.2014 को As at 31.03.2014		
	Number of Shares	% of Holding	Number of Shares	% of Holding	
प्रमोटर					
Promoters					
भारतीय	200000000	100%	150000000	100%	
Indian					
विदेशी	0	0	0	0	
Foreign					
अन्य	0	0	0	0	
Others					
कुल	200000000	100%	150000000	100%	
Total					

टिप्पणीः वित्त वर्ष 2014–15 की दूसरी तिमाही के दौरान रु. 10 प्रत्येक 5ए00ए00ए000 बोनस शेयर जिनका कुल योग रु. 50 करोड़ है, सामान्य आरक्षिति खाते में नामे डालकर शेयरधारक (भारत सरकार) को जारी किए गए हैं। Note: During the second guarter of FY 2014-15, 5,00,00,000 bonus shares of Rs.10 each, aggregating Rs.50 crores, have been issued to the shareholder (Govt. of India) by debiting General Reserve Account.

अनुसूची-6: 31.03.2015 को आरक्षितियों और अधिशेष SCHEDULE - 6: RESERVES AND SURPLUS AS AT 31.03.2015

(₹ in '000')

			((111 000)
क्र. सं.	विवरण	31.03.2015 को	31.03.2014 को
SI.No.	Particulars	As at	As at
		31.03.2015	31.03.2014
1	पूंजी आरक्षित	2565	2565
	Capital Reserve		
2	पुंजी शोधन आरक्षित		
	Capital Redemption Reserve		
3	शेयर पूंजी		
	Share Premium		
4	सामान्य आरक्षित	29815782	27714802
	General Reserves		
	घटाएं: लाभ हानि खाते में नामे शेष		
	Less: Debit Balance in Profit & Loss Account		
	घटाएं: पुन: क्रय के लिए प्रयुक्त राशि		
	Less: Amount Utilised for Buy-Back		
	आपदा आरक्षित		
	Catastrophe Reserve		
5	असमाप्त जोखिमों के लिए आकरिमक आरक्षिति	0	0
	Contingency Reserve for Unexpired Risks		
6	लाभ हानि खाते में लाभ का शेष	0	0
	Balance of Profit in Profit & Loss Account		
7	कुल	29818347	27717367
	Total		

अनुसूची-7: 31.03.2015 को उधार SCHEDULE - 7: BORROWINGS AS AT 31.03.2015

			((111 000)
क्र. सं.	विवरण	31.03.2015 को	31.03.2014 को
SI.No.	Particulars	As at	As at
		31.03.2015	31.03.2014
1	डिबेंचर / बंधपत्र	0	0
	Debentures / Bonds		
2	बेंक	0	0
	Banks		
3	वित्तीय संस्थाएं	0	0
	Financial Institutions		
4	अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाना है)	0	0
	Others (to be specified)		
	कुल	0	0
	Total		



अनुसूची-8 31.03.2015 को निवेश **SCHEDULE - 8 INVESTMENTS AS AT 31.03.2015**

	(₹ in '0			
क्र. सं. Sl.No.	विवरण Particulars	31.03.2015 को As at 31.03.2015	31.03.2014 को As at 31.03.201 4	
	दीर्घावधिक निवेश	31.03.2013	31.03.2017	
	Long Term Investments			
1		42462962	39214858	
•	सरकारी प्रतिभूतियां और सरकार द्वारा गारंटीकृत बांड जिसमें	42402902	39214030	
	राजकोष बिल भी शामिल हैं Government Securities and Government			
	Guaranteed Bonds including Treasury Bills			
2	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां			
	Other Approved Securities			
	क) बांड / डिबेंचर जहां ब्याज केंद्रीय / राज्य सरकारों द्वारा	17951	233885	
	गारंटीकृत है			
	a) Bonds/Debentures where interest is guaranteed			
	by Central/State Govt.			
	ख) भारत सरकार के पास विशेष जमा राशियां	0	0	
	b) Special Deposits with Government of India.			
3	अन्य निवेश			
	Other Investments			
	क) शेयर			
	a) Shares			
	(कक) इक्विटी	102912793	95232858	
	(aa) Equity			
	(खख) अधिमान्य शेयर	74820	69323	
	(bb) Preference shares			
	ख) म्युचुअल फंड	0	0	
	b) Mutual Funds			
	ग) व्युत्पन्न निवेश	0	0	
	c) Derivative Instruments			
	घ) डिबेंचर / बांड	22895867	17375456	
	d) Debentures / Bonds	_	_	
	ड़) अन्य प्रतिभूतियां	0	0	
	e) Other Securities	-		
	च) अनुषंगी कम्पनियां	0	0	
	f) Subsidiaries			
	छ) निवेश सम्पत्तियां – रीयल एस्टेट	0	0	
	g) Investment Properties - Real Estate			



द ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

क्र. सं.	विवरण	31.03.2015 को	31.03.2014 को
SI.No.		As at	As at
		31.03.2015	31.03.2014
4	अवसंरचना और सामाजिक क्षेत्र में निवेश		
	Investment in Infrastructure & Social Sector		
	क) बांड / डिबेंचर जहां ब्याज गारंटीकृत है	0	0
	a) Bonds/Debentures where interest is guaranteed		
	ख) बांड / डिबेंचर (अन्य)	13172198	12760143
	b) Debentures / Bonds(others)		
	ग) इक्विटी	14130483	11252584
_	c) Equity		
5	अनुमोदित निवेशों के अतिरिक्त		
	Other than Approved Investments	474060	750100
	क) डिबेंचर	474869	758188
	a) Debentures	0	2000
	ख) बांड / डिबेंचर जहां ब्याज गारंटीकृत है	0	3980
	b) Bonds/Debentures where interest is guaranteed	2069601	981263
	ग) इक्विटी c) Equity	2009001	901203
	घ) अधिमान्य शेयर	23769	38353
	d) Preference Shares	23707	30333
	ड़) म्युचुअल फंड	0	0
	e) Mutual Funds	Ŭ	
	च) अनुषंगी कम्पनियां	500	500
	f) Subsidiaries		
	छ) उद्यम पूंजी निधि	675857	669514
	g) Venture Capital Fund		
	अल्पाधिक निवेश		
	Short Term Investments		
1	सरकारी प्रतिभूतियां और सरकार द्वारा गारंटीकृत बांड जिनमें	2124101	1796167
	राजकोष बिल भी शामिल हैं		
	Government Securities and Government		
	Guaranteed Bonds including Treasury Bills		
2	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां		
	Other Approved Securities	10014	
	क) बांड / डिबेंचर जहां ब्याज गारंटीकृत है	19914	0
	a) Bonds/Debentures where interest is guaranteed	0	0
	ख) भारत सरकार के पास विशेष जमा राशियां	U	U
3	b) Special Deposits with Government of India. अन्य निवेश		
,	Other Investments		
	क) शेयर		
	a) Shares		
	w, c		



क्र. सं. Sl.No.	विवरण Particulars	31.03.2015 को As at	31.03.2014 को As at
		31.03.2015	31.03.2014
	(कक) इक्विटी	0	0
	(aa) Equity		
	(खख) अधिमान्य शेयर	0	0
	(bb) Preference shares		
	ख) म्युचुअल फंड	787135	1360192
	b) Mutual Funds		
	ग) व्युत्पन्न निवेश	0	0
	c) Derivative Instruments		
	घ) डिबेंचर / बांड	2398206	5207117
	d) Debentures / Bonds		
	ड़) अन्य प्रतिभूतियां	0	0
	e) Other Securities	0	0
	च) अनुषंगी कम्पनियां	0	0
	f) Subsidiaries	0	0
	छ) निवेश सम्पत्तियां – रीयल एस्टेट	U	U
4	g) Investment Properties - Real Estate अवसंरचना और सामाजिक क्षेत्र में निवेश		
7	Investment in Infrastructure & Social Sector		
	क) बांड / डिबेंचर जहां ब्याज गारंटीकृत है	0	0
	a) Bonds/Debentures where interest is guaranteed	ŭ	ŭ
	ख) बांड / डिबेंचर (अन्य)	2187590	615733
	b) Debentures / Bonds(others)		
5	अनुमोदित निवेशों के अतिरिक्त		
	Other than Approved Investments		
	क) डिबेंचर	165000	100000
	a) Debentures		
	ख) बांड / डिबेंचर जहां ब्याज गारंटीकृत है	0	0
	b) Bonds/Debentures where interest is guaranteed		
	ग) इक्विटी	0	0
	c) Equity		
	घ) अधिमान्य शेयर	626	514
	d) Preference Shares		
	ड) म्युचुअल फंड	0	0
	e) Mutual Funds		
	च) अनुषंगी कम्पनियां	0	0
	f) Subsidiaries	•	^
	छ) उद्यम पूंजी निधि	0	0
	g) Venture Capital Fund		



व ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

क्र. सं.	विवरण	31.03.2015 को	31.03.2014 को
SI.No.	Particulars	As at	As at
		31.03.2015	31.03.2014
	अल्पाधिक निवेश	206594242	187670628
	Short Term Investments		
	निवेश		
	Investments		
1	भारत में	206461085	187537470
	In India		
2	भारत से बाहर	133157	133158
	Outside India		
	कुल	206594242	187670628
	Total		

अनुसूची-८क निवेश - 31.03.2015 को पॉलिसीधारकों के निवेश **SCHEDULE - 8A INVESTMENTS - POLICYHOLDERS INVESTMENTS AS AT 31.03.2015**

क्र. सं.	विवरण	31.03.2015 को	31.03.2014 को
SI.No.	Particulars	As at	As at
		31.03.2015	31.03.2014
दीर्घावधि	क निवेश		
Long T	erm Investments		
1	सरकारी प्रतिभूतियां और सरकार द्वारा गारंटीकृत बांड जिसमें	33087140	30642490
	राजकोष बिल भी शामिल हैं		
	Government Securities and Government Guaranteed		
	Bonds including Treasury Bills		
2	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां		
	Other Approved Securities		
	क) बांड / डिबेंचर जहां ब्याज केंद्रीय / राज्य सरकारों द्वारा गारंटीकृत है	13987	182758
	a) Bonds/Debentures where interest is guaranteed by		
	Central/State Govt.		
	ख) भारत सरकार के पास विशेष जमा राशियां	0	0
	b) Special Deposits with Government of India.		
3	अन्य निवेश		
	Other Investments		
	क) शेयर		
	a) Shares		
	(कक) इक्विटी	80189648	74414955
	(aa) Equity		
	(खख) अधिमान्य शेयर	58300	54169
	(bb) Preference shares		



क्र. सं.	विवरण	31.03.2015 को	31.03.2014 को
	Particulars	As at	As at
		31.03.2015	31.03.2014
	ख) म्युचुअल फंड	0	0
	b) Mutual Funds		
	ग) व्युत्पन्न निवेश	0	0
	c) Derivative Instruments	47040460	42577404
	घ) डिबेंचर / बांड	17840460	13577181
	d) Debentures / Bonds		
	ड़) अन्य प्रतिभूतियां	0	0
	e) Other Securities		
	च) अनुषंगी कम्पनियां	0	0
	f) Subsidiaries		
	छ) निवेश सम्पत्तियां – रीयल एस्टेट	0	0
_	g) Investment Properties - Real Estate		
4	अवसंरचना और सामाजिक क्षेत्र में निवेश		
	Investment in Infrastructure & Social Sector		
	क) बांड / डिबेंचर जहां ब्याज गारंटीकृत है	0	0
	a) Bonds/Debentures where interest is guaranteed		
	ख) बांड / डिबेंचर (अन्य)	10263777	9970776
	b) Debentures / Bonds(others)		
	ग) इक्विटी	11010472	8792769
	c) Equity		
5	अनुमोदित निवेशों के अतिरिक्त		
	Other than Approved Investments		
	क) डिबेंचर	370018	592448
	a) Debentures		
	ख) बांड / डिबेंचर जहां ब्याज गारंटीकृत है	0	3110
	b) Bonds/Debentures where interest is guaranteed		
	ग) इक्विटी	1612633	766759
	c) Equity		
	घ) अधिमान्य शेयर	18521	29969
	d) Preference Shares		
	ड़) म्युचुअल फंड	0	0
	e) Mutual Funds		
	च) अनुषंगी कम्पनियां	390	391
	f) Subsidiaries		
	ছ) उद्यम पूंजी निधि	526628	523158
	g) Venture Capital Fund	320020	323,30
	g) venture capitair und		



द ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

क्र. सं.	विवरण	31.03.2015 को	31.03.2014 को
	Particulars	As at	As at
		31.03.2015	31.03.2014
अल्पाधिव	क्र निवेश		
	erm Investments		
1	सरकारी प्रतिभूतियां और सरकार द्वारा गारंटीकृत बांड जिनमें	1655099	1403525
	राजकोष बिल भी शामिल हैं		
	Government Securities and Government Guaranteed Bonds including Treasury Bills		
2	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां		
	Other Approved Securities	15517	0
	क) बांड / डिबेंचर जहां ब्याज गारंटीकृत है	15517	0
	a) Bonds/Debentures where interest is guaranteed	0	0
	ख) भारत सरकार के पास विशेष जमा राशियां b) Special Deposits with Government of India.	0	0
3	अन्य निवेश		
	Other Investments		
	क) शेयर		
	a) Shares		
	(कक) इक्विटी	0	0
	(aa) Equity		
	(खख) अधिमान्य शेयर	0	0
	(bb) Preference shares		
	ख) म्युचुअल फंड	613336	1062854
	b) Mutual Funds		
	ग) व्युत्पन्न निवेश	0	0
	c) Derivative Instruments	1060607	4068841
	घ) डिबेंचर / बांड	1868682	4000041
	d) Debentures / Bonds	0	0
	ड़) अन्य प्रतिभूतियां e) Other Securities	U	O
	च) अनुषंगी कम्पनियां	0	0
	f) Subsidiaries		
	छ) निवेश सम्पत्तियां – रीयल एस्टेट		0
	g) Investment Properties - Real Estate		
4	अवसंरचना और सामाजिक क्षेत्र में निवेश		
	Investment in Infrastructure & Social Sector		
	क) बांड / डिबेंचर जहां ब्याज गारंटीकृत है	0	0
	a) Bonds/Debentures where interest is guaranteed	1704570	401124
	ख) बांड / डिबेंचर (अन्य)	1704570	481134
E	b) Debentures / Bonds(others)		
3	अनुमोदित निवेशों के अतिरिक्त Other than Approved Investments		
	Other than Approved Investments		



क्र. सं.	विवरण	31.03.2015 को	31.03.2014 को
SI.No.	Particulars	As at	As at
		31.03.2015	31.03.2014
	क) डिबेंचर	128568	78140
	a) Debentures		
	ख) बांड / डिबेंचर जहां ब्याज गारंटीकृत है	0	0
	b) Bonds/Debentures where interest is guaranteed		
	ग) इक्विटी	0	0
	c) Equity		
	घ) अधिमान्य शेयर	488	402
	d) Preference Shares		
	ड़) म्युचुअल फंड	0	0
	e) Mutual Funds		
	च) अनुषंगी कम्पनियां	0	0
	f) Subsidiaries		
	छ) उद्यम पूंजी निधि	0	0
	g) Venture Capital Fund		
	कुल निवेश	160978233	146645829
	Total Investments		
	निवेश		
	Investments		
1	भारत में	160874477	146541779
	In India		
2	भारत से बाहर	103756	104050
	Outside India		
	कुल	160978233	146645829
	Total		

टिप्पणियां:

- सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों / म्युचुअलफंडों के अतिरिक्त कम्पनी के निवेश की कुलराशि रु. 680245.55 / – लाख है और तत्संबंधी बाजार मूल्य रु. 676461.05 / - लाख है ।
- ii डिबेंचरों में निवेश के सापेक्ष रु. 1260.99/— लाख के प्रावधान को अनुसूची 14 में अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान के तहत समूहबद्ध किया गया है।
- iii डिबेंचरों में निवेश के सापेक्ष रु. 1281.61 / लाख के प्रावधान को अनुसूची 14 में मानक परिसम्पत्तियों के लिए प्रावधान के तहत समूहबद्ध किया गया है।
- iv गारंटीकृत ब्याज वाले डिबेंचरों में निवेश के सापेक्ष रु. शून्य लाख के प्रावधान को अनुसूची 14 में अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान के तहत समूहबद्ध किया गया है।

Notes:

- Aggregate amount of company's Investments other than listed Equity Shares/Mutual Funds is Rs 680245.55/- lacs and Market Value thereof is Rs 676461.05/- lacs.
- ii Provision of Rs.1260.99/-lacs against Investment in debenture is grouped under Provision for Bad & Doubtful Debts in Schedule 14.
- iii Provision of Rs 1281.61/- lacs against Investment in debenture is grouped under Provisions on Standard Assets in Schedule 14.
- iv Provision of Rs. nil/- lacs against Investment in debenture/bond where intt is guaranteed is grouped under Provision for Bad & Doubtful Debts in Schedule 14.
- Provision of Rs. 0.69/- lacs against Investment in debenture/bond where intt is guaranteed



द ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

- गारंटीकृत ब्याज वाले डिबेंचरों में निवेश के सापेक्ष रु. 0.69 / — लाख के प्रावधानको अनुसूची 14 में मानक परिसम्पत्तियों के लिए प्रावधान के तहत समूहबद्ध किया गया है।
- vi इक्विटी में निवेश के सापेक्ष रु. 476.56 / लाख के प्रावधान को अनुसूची 14 में शेयरों के मूल्यहास के लिए प्रावधान के तहत समूहबद्ध किया गय है।
- vii उद्यम पूंजी में निवेश के सापेक्ष रु. 699.54 / लाख के प्रावधान को अनुसूची 14 में शेयरों के मूल्यहास के लिए प्रावधान के तहत समूहबद्ध किया गया है।
- viii अनषंगी कम्पनियों में निवेश के सापेक्ष रु. 3.90 / लाख के प्रावधानकोअनुसूची 14 में शेयरों के मूल्यहास के लिए प्रावधान के तहत समूहबद्ध किया गया है।
- ix अधिमान्य शेयरों में निवेश के सापेक्ष रु. 61.23 / लाख के प्रावधान को अनुसूची 14 में शेयरों के मूल्यहास के लिए प्रावधान के तहत समूहबद्ध किया गया है।
- X अपनी सहयोगी कम्पनियों नामतः इंडिया इंटरनेशनल इंश्योरेंस पीटीई लिमिटेड और हैल्थ इंश्योरेंस टीपीए ऑफ इंडिया में कम्पनीका निवेश क्रमशः रु. 304.74 लाख और रु. 370.12 लाख है और इसे दीर्घावधिक निवेश इक्विटी शेयरों के तहत समूहबद्ध किया गया है।

- grouped under Provision on Standard Assets in Schedule 14.
- vi Provision of Rs.476.56/- lacs against investment in equity is grouped under Provision for Diminution in value of shares in Schedule 14.
- vii Provision of Rs 699.54/- lacs against investment in Venture Capital is grouped under Provisions for Diminution in value of shares in Schedule 14.
- viii Provision of Rs.3.90/- lacs against investment in subsidiaries is grouped under Provisions for Diminution in value of shares in Schedule 14.
- ix Provision of Rs.61.23/- lacs against investment in Pref. Shares is grouped under Provisions for Diminution in value of shares in Schedule 14.
- x Amount of company's Investment in Associate viz India International Insurance PTE Ltd is 304.74 lacs and Health Insurance TPA of india is 370.12 lacs and is grouped under Long Term Investments Shares Equity



अनुसूची-8क

निवेश - 31.03.2015 को पॉलिसीधारकों के निवेश

SCHEDULE - 8B INVESTMENTS - SHAREHOLDERS INVESTMENTS AS AT 31.03.2015

क्र. सं.	विवरण	31.03.2015 को	31.03.2014 को
SI.No.	Particulars	As at	As at
		31.03.2015	31.03.2014
		(Rs. '000)	(Rs. '000)
	दीर्घावधिक निवेश		
	Long Term Investments		
1	सरकारी प्रतिभूतियां और सरकार द्वारा गारंटीकृत बांड जिसमें राजकोष	9375822	8572368
	बिल भी शामिल हैं		
	Government Securities and Government Guaranteed		
2	Bonds including Treasury Bills		
2	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां		
	Other Approved Securities	3964	51127
	क) बांड / डिबेंचर जहां ब्याज केंद्रीय / राज्य सरकारों द्वारा गारंटीकृत है	3904	51127
	 a) Bonds/Debentures where interest is guaranteed by Central/State Govt. 		
	ख) भारत सरकार के पास विशेष जमा राशियां	0	0
	b) Special Deposits with Government of India.		
3	अन्य निवेश		
	Other Investments		
	क) शेयर		
	a) Shares		
	(कक) इक्विटी	22723145	20817903
	(aa) Equity		
	(खख) अधिमान्य शेयर	16520	15154
	(bb) Preference shares		
	ख) म्युचुअल फंड	0	0
	b) Mutual Funds		
	ग) व्युत्पन्न निवेश	0	0
	c) Derivative Instruments	5055405	270027
	घ) डिबेंचर / बांड	5055407	3798275
	d) Debentures / Bonds	0	0
	ड़) अन्य प्रतिभूतियां	0	0
	e) Other Securities	0	0
	च) अनुषंगी कम्पनियां f) Subsidiaries	U	U
	छ) निवेश सम्पत्तियां – रीयल एस्टेट	0	0
	g) Investment Properties - Real Estate	U	J
4	अवसंरचना और सामाजिक क्षेत्र में निवेश		
	Investment in Infrastructure & Social Sector		
	क) बांड / डिबेंचर जहां ब्याज गारंटीकृत है	0	0
	a) Bonds/Debentures where interest is guaranteed		



द ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

क्र. सं.	विवरण	31.03.2015 को	31.03.2014 को
SI.No.	Particulars	As at	As at
		31.03.2015	31.03.2014
	ख) बांड / डिबेंचर (अन्य)	2908421	2789367
	b) Debentures / Bonds(others)		
	ग) इक्विटी	3120011	2459815
	c) Equity		
5	अनुमोदित निवेशों के अतिरिक्त Other than Approved Investments		
	क) डिबेंचर	104851	165740
	a) Debentures		
	ख) बांड / डिबेंचर जहां ब्याज गारंटीकृत है	0	870
	b) Bonds/Debentures where interest is guaranteed		
	ग) इक्विटी	456968	214504
	c) Equity	50.10	225
	घ) अधिमान्य शेयर	5248	8384
	d) Preference Shares	0	
	ड़) म्युचुअल फंड	0	0
	e) Mutual Funds	110	100
	च) अनुषंगी कम्पनियां	110	109
	f) Subsidiaries	1.40220	146256
	छ) उद्यम पूंजी निधि	149229	146356
	g) Venture Capital Fund		
	अल्पाधिक निवेश		
1	Short Term Investments	469002	392642
'	सरकारी प्रतिभूतियां और सरकार द्वारा गारंटीकृत बांड जिसमें राजकोष	409002	392042
	बिल भी शामिल हैं Government Securities and Government Guaranteed		
	Bonds including Treasury Bills		
2	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां		
_	Other Approved Securities		
	क) बांड / डिबेंचर जहां ब्याज केंद्रीय / राज्य सरकारों द्वारा गारंटीकृत है a) Bonds/Debentures where interest is guaranteed by	4397	0
	Central/State Govt.		
	ख) भारत सरकार के पास विशेष जमा राशियां	0	0
	b) Special Deposits with Government of India.		
3	अन्य निवेश		
	Other Investments		
	क) शेयर		
	a) Shares		
	(कक) इक्विटी	0	0
	(aa) Equity		
	(खख) अधिमान्य शेयर	0	0
	(bb) Preference shares		



क्र. सं.	विवरण	31.03.2015 को	31.03.2014 को
SI.No.	Particulars	As at	As at
		31.03.2015	31.03.2014
	ख) म्युचुअल फंड	173799	297338
	b) Mutual Funds		
	ग) व्युत्पन्न निवेश	0	0
	c) Derivative Instruments		
	घ) डिबेंचर / बांड	529524	1138276
	d) Debentures / Bonds		
	ड़) अन्य प्रतिभूतियां	0	0
	e) Other Securities		
	च) अनुषंगी कम्पनियां	0	0
	f) Subsidiaries		
	छ) निवेश सम्पत्तियां दृ रीयल एस्टेट		0
	g) Investment Properties - Real Estate		
4	अवसंरचना और सामाजिक क्षेत्र में निवेश		
	Investment in Infrastructure & Social Sector		
	क) बांड / डिबेंचर जहां ब्याज गारंटीकृत है	0	0
	a) Bonds/Debentures where interest is guaranteed		
	ख) बांड / डिबेंचर (अन्य)	483020	134599
	b) Debentures / Bonds(others)		
5	अनुमोदित निवेशों के अतिरिक्त		
	Other than Approved Investments		
	क) डिबेंचर	36432	21860
	a) Debentures		
	ख) बांड / डिबेंचर जहां ब्याज गारंटीकृत है	0	0
	b) Bonds/Debentures where interest is guaranteed		
	ग) इक्विटी	0	0
	c) Equity		
	घ) अधिमान्य शेयर	138	112
	d) Preference Shares		
	ड़) म्युचुअल फंड	0	0
	e) Mutual Funds		
	च) अनुषंगी कम्पनियां	0	0
	f) Subsidiaries		
	छ) उद्यम पूंजी निधि	0	0
	g) Venture Capital Fund		
	कुल निवेश	45616009	41024799
	Total Investments		
	निवेश		
	Investments		
1	भारत में	45586608	40995691
	In India		

द ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

क्र. सं.	विवरण	31.03.2015 को	31.03.2014 को
SI.No.	Particulars	As at	As at
		31.03.2015	31.03.2014
2	भारत से बाहर	29401	29108
	Outside India		
	कुल	45616009	41024799
	Total		

टिप्पणियां:

- सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों / म्युचुअल फंडों के अतिरिक्त कम्पनी के निवेश की कुल राशि रु. 192759.52 / — लाख है और तत्संबंधी बाजार मूल्य रु. 191687.11 / – लाख है।
- डिबेंचरों में निवेश के सापेक्ष रु. 357.32 / लाख के प्रावधान को अनुसूची 14 में अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान के तहत समूहबद्ध किया गया है।
- डिबेंचरों में निवेश के सापेक्ष रु. 363.17 / लाख के प्रावधान को अनुसूची 14 में मानक परिसम्पत्तियों के लिए प्रावधान के तहत समूहबद्ध किया गया है।
- iv गारंटीकृत ब्याज वाले डिबेंचरों में निवेश के सापेक्ष रु. शून्य लाख के प्रावधान को अनुसूची 14 में अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान के तहत समूहबद्ध किया गया है।
- गारंटीकृत ब्याज वाले डिबेंचरों में निवेश के सापेक्ष रु. 0.19 / -लाख के प्रावधान को अनुसूची 14 में मानक परिसम्पत्तियों के लिए प्रावधान के तहत समूहबद्ध किया गया है।
- इक्विटी में निवेश के सापेक्ष रु. 135.04 / लाख के प्रावधान को अनुसूची 14 में शेयरों के मुल्यहास के लिए प्रावधान के तहत समूहबद्ध किया गया है।
- vii उद्यम पूंजी में निवेश के सापेक्ष रु. 198.23 / लाख के प्रावध ान को अनुसूची 14 में शेयरों के मूल्यहास के लिए प्रावधान के तहत समूहबद्ध किया गया है।
- viii अनुषंगी कम्पनियों में निवेश के सापेक्ष रु. 1.10/- लाख के प्रावधान को अनुसूची 14 में शेयरों के मूल्यहास के लिए प्रावध गन के तहत समूहबद्ध किया गया है।
- ix अधिमान्य शेयरों में निवेश के सापेक्ष रु. 17.35/— लाख के प्रावधान को अनुसूची 14 में शेयरों के मूल्यहास के लिए प्रावध गन के तहत समूहबद्ध किया गया है।
- अपनी सहयोगी कम्पनियों नामतः इंडिया इंटरनेशनल इंश्योरेंस पीटीई लिमिटेड और हैल्थ इंश्योरेंस टीपीए ऑफ इंडिया में कम्पनी का निवेश क्रमशः रु. ८६.३६लाख और रु. १०४.८८लाख है और इसे दीर्घावधिक निवेश इक्विटी शेयरों के तहत समूहबद्ध किया गया है।

Notes:

- Aggregate amount of company's Investments other than listed Equity Shares/Mutual Funds is Rs 192759,52/- lacs and Market Value thereof is Rs 191687.11/- lacs.
- Provision of Rs.357.32/- lacs against Investment in debenture is grouped under Provision for Bad & Doubtful Debts in Schedule 14.
- iii Provision of Rs 363.17/- lacs against Investment in debenture is grouped under Provisions on Standard Assets in Schedule 14.
- iv Provision of Rs. nil/- lacs against Investment in debenture/bond where intt is guaranteed is grouped under Provision for Bad & Doubtful Debts in Schedule 14.
- Provision of Rs. 0.19/- lacs against Investment in debenture/bond where intt is guaranteed grouped under Provision on Standard Assets in Schedule 14.
- vi Provision of Rs.135.04/- lacs against investment in equity is grouped under Provision for Diminution in value of shares in Schedule 14.
- vii Provision of Rs 198.23/- lacs against investment in Venture Capital is grouped under Provisions for Diminution in value of shares in Schedule 14.
- viii Provision of Rs.1.10/- lacs against investment in subsidiaries is grouped under Provisions for Diminution in value of shares in Schedule 14.
- ix Provision of Rs.17.35/- lacs against investment in Pref. Shares is grouped under Provisions for Diminution in value of shares in Schedule 14.
- X Amount of company's Investment in Associate viz India International Insurance PTE Ltd is 86.36 lacs and Health Insurance TPA of india is 104.88 lacs and is grouped under Long Term **Investments Shares - Equity**



अनुसूची-9 31.03.2015 को ऋण SCHEDULE - 9 **LOANS AS AT 31.03.2015**

विवरण Particulars As at As at 31.03.2015 31.03.2014 प्रितमूति—वार वर्गीकरण Security-Wise Classification प्रत्यामूत Secured (क) सम्पत्तिबंधक रखनेपर (a) On Mortgage of Property (i) भारतमें (i) In India (ii) भारत से बाहर (ii) Outside India (ख) शेयरों, बांडों, सरकारीप्रतिभूतियोंपर (b) On Shares, Bonds, Government Securities (ग) अन्य (i) कर्मचारियोंकोआवासीय ऋण (c) Others (i) Housing Loans to Staff (ii) राज्य सरकारोंकोआवासव्यवस्थाऔर एफएफई के लिए सावधि ऋण और ऋण, राज्य सरकारों द्वारागारंटीकृत (ii) Term Loans and loans to state govts for housing & FFEs, guaranteed by State Govts. अप्रत्याभूत (सावधि ऋण, अंतरिम ऋण, जमाराशि प्रमाणपत्र, 64499
प्रतिमूति—वार वर्गीकरण Security-Wise Classification प्रत्याभूत Secured (क) सम्पत्तिबंधक रखनेपर (a) On Mortgage of Property (i) भारतमें 0 0 (ii) In India (ii) भारत से बाहर 0 0 (ii) Outside India (ख) शेयरों, बांडों, सरकारीप्रतिभूतियोंपर (b) On Shares, Bonds, Government Securities (ग) अन्य (i) कर्मचारियोंकोआवसीय ऋण (c) Others (i) Housing Loans to Staff (ii) राज्य सरकारोंकोआवासव्यवस्थाऔर एफएफई के लिए सावधि ऋण और ऋण, राज्य सरकारों द्वारागारंटीकृत (ii) Term Loans and loans to state govts for housing & FFEs, guaranteed by State Govts. अप्रत्याभूत (सावधि ऋण, अंतरिम ऋण, जमाराशि प्रमाणपत्र,
प्रतिभूति—वार वर्गीकरण Security-Wise Classification प्रत्याभूत Secured (क) सम्पत्तिबंधक रखनेपर (a) On Mortgage of Property (i) भारतमें 0 0 0 (ii) In India (ii) भारत से बाहर 0 0 0 (ii) Outside India (ख) शेयरों, बांडों, सरकारीप्रतिभूतियोंपर 0 0 (b) On Shares, Bonds, Government Securities (ग) अन्य (i) कर्मचारियोंकोआवसीय ऋण 1015448 927012 (c) Others (i) Housing Loans to Staff (ii) राज्य सरकारोंकोआवासव्यवस्थाऔर एफएफई के लिए सावधि 816179 1051479 ऋण और ऋण, राज्य सरकारों द्वारागारंटीकृत (ii) Term Loans and loans to state govts for housing & FFEs, guaranteed by State Govts. अप्रत्याभूत (सावधि ऋण, अंतरिम ऋण, जमाराशि प्रमाणपत्र, 64499 64499
Security-Wise Classification प्रत्याभूत Secured (क) सम्पत्तिबंधक रखनेपर (a) On Mortgage of Property (i) भारतमें 0 0 0 (ii) In India (ii) भारत से बाहर 0 0 0 (ii) Outside India (ख) शेयरों, बांडों, सरकारीप्रतिभृतियोंपर 0 0 (b) On Shares, Bonds, Government Securities (ग) अन्य (i) कर्मचारियोंकोआवसीय ऋण 1015448 927012 (c) Others (i) Housing Loans to Staff (ii) राज्य सरकारोंकोआवासव्यवस्थाऔर एफएफई के लिए सावधि ऋण और ऋण, राज्य सरकारों द्वारागारंटीकृत (ii) Term Loans and loans to state govts for housing & FFEs, guaranteed by State Govts. अप्रत्याभृत (सावधि ऋण, अंतरिम ऋण, जमाराशि प्रमाणपत्र, 64499 64499
प्रत्याभूत Secured (क) सम्पत्तिबंधक रखनेपर (a) On Mortgage of Property (i) भारतमें 0 0 0 (ii) In India (ii) भारत से बाहर 0 0 0 (iii) Outside India (ख) शेयरों, बांडों, सरकारीप्रतिभूतियोंपर 0 0 0 (b) On Shares, Bonds, Government Securities (ग) अन्य (i) कर्मचारियोंकोआवसीय ऋण 1015448 927012 (c) Others (i) Housing Loans to Staff (ii) राज्य सरकारोंकोआवासव्यवस्थाऔर एफएफई के लिए सावधि ऋण और ऋण, राज्य सरकारों द्वारागारंटीकृत (ii) Term Loans and loans to state govts for housing & FFEs, guaranteed by State Govts. अप्रत्याभूत (सावधि ऋण, अंतरिम ऋण, जमाराशि प्रमाणपत्र, 64499
Secured (क) सम्पत्तिबंधक रखनेपर (a) On Mortgage of Property (i) भारतमें 0 0 0 (ii) In India (ii) भारत से बाहर 0 0 0 (iii) Outside India (ख) शेयरों, बांडों, सरकारीप्रतिभूतियोंपर 0 0 (b) On Shares, Bonds, Government Securities (ग) अन्य (i) कर्मचारियोंकोआवसीय ऋण 1015448 927012 (c) Others (i) Housing Loans to Staff (ii) राज्य सरकारोंकोआवासव्यवस्थाऔर एफएफई के लिए सावधि ऋण और ऋण, राज्य सरकारों द्वारागारंटीकृत (iii) Term Loans and loans to state govts for housing & FFEs, guaranteed by State Govts. अप्रत्याभूत (सावधि ऋण, अंतरिम ऋण, जमाराशि प्रमाणपत्र, 64499
Secured (क) सम्पत्तिबंधक रखनेपर (a) On Mortgage of Property (i) भारतमें 0 0 0 (ii) In India (ii) भारत से बाहर 0 0 0 (iii) Outside India (ख) शेयरों, बांडों, सरकारीप्रतिभूतियोंपर 0 0 (b) On Shares, Bonds, Government Securities (ग) अन्य (i) कर्मचारियोंकोआवसीय ऋण 1015448 927012 (c) Others (i) Housing Loans to Staff (ii) राज्य सरकारोंकोआवासव्यवस्थाऔर एफएफई के लिए सावधि ऋण और ऋण, राज्य सरकारों द्वारागारंटीकृत (iii) Term Loans and loans to state govts for housing & FFEs, guaranteed by State Govts. अप्रत्याभूत (सावधि ऋण, अंतरिम ऋण, जमाराशि प्रमाणपत्र, 64499
(a) On Mortgage of Property (i) भारतमें 0 0 0 (i) In India (ii) भारत से बाहर 0 0 0 (ii) Outside India (ख) शेयरों, बांडों, सरकारीप्रतिभूतियोंपर 0 0 (b) On Shares, Bonds, Government Securities (ग) अन्य (i) कर्मचारियोंकोआवसीय ऋण 1015448 927012 (c) Others (i) Housing Loans to Staff (ii) राज्य सरकारोंकोआवासव्यवस्थाऔर एफएफई के लिए सावधि ऋण और ऋण, राज्य सरकारों द्वारागारंटीकृत (ii) Term Loans and loans to state govts for housing & FFEs, guaranteed by State Govts. अप्रत्याभूत (सावधि ऋण, अंतरिम ऋण, जमाराशि प्रमाणपत्र, 64499
(a) On Mortgage of Property (i) भारतमें 0 0 0 (i) In India (ii) भारत से बाहर 0 0 0 (ii) Outside India (ख) शेयरों, बांडों, सरकारीप्रतिभूतियोंपर 0 0 (b) On Shares, Bonds, Government Securities (ग) अन्य (i) कर्मचारियोंकोआवसीय ऋण 1015448 927012 (c) Others (i) Housing Loans to Staff (ii) राज्य सरकारोंकोआवासव्यवस्थाऔर एफएफई के लिए सावधि ऋण और ऋण, राज्य सरकारों द्वारागारंटीकृत (ii) Term Loans and loans to state govts for housing & FFEs, guaranteed by State Govts. अप्रत्याभूत (सावधि ऋण, अंतरिम ऋण, जमाराशि प्रमाणपत्र, 64499
(i) भारतमें 0 0 0 (i) In India (ii) भारत से बाहर 0 0 0 (ii) Outside India (ख) शेयरों, बांडों, सरकारीप्रतिभूतियोंपर 0 0 0 (b) On Shares, Bonds, Government Securities (ग) अन्य (i) कर्मचारियोंकोआवसीय ऋण 1015448 927012 (c) Others (i) Housing Loans to Staff (ii) राज्य सरकारोंकोआवासव्यवस्थाऔर एफएफई के लिए सावधि ऋण और ऋण, राज्य सरकारों द्वारागारंटीकृत (ii) Term Loans and loans to state govts for housing & FFEs, guaranteed by State Govts. अप्रत्याभूत (सावधि ऋण, अंतरिम ऋण, जमाराशि प्रमाणपत्र, 64499 64499
(ii) In India (iii) भारत से बाहर 0 0 0 (iii) Outside India (ख) शेयरों, बांडों, सरकारीप्रतिभूतियोंपर 0 0 (b) On Shares, Bonds, Government Securities (ग) अन्य (i) कर्मचारियोंकोआवसीय ऋण 1015448 927012 (c) Others (i) Housing Loans to Staff (ii) राज्य सरकारोंकोआवासव्यवस्थाऔर एफएफई के लिए सावधि ऋण और ऋण, राज्य सरकारों द्वारागारंटीकृत (ii) Term Loans and loans to state govts for housing & FFEs, guaranteed by State Govts. अप्रत्याभूत (सावधि ऋण, अंतरिम ऋण, जमाराशि प्रमाणपत्र, 64499
(ii) भारत से बाहर (iii) Outside India (ख) शेयरों, बांडों, सरकारीप्रतिभूतियोंपर 0 0 0 (b) On Shares, Bonds, Government Securities (ग) अन्य (i) कर्मचारियोंकोआवसीय ऋण 1015448 927012 (c) Others (i) Housing Loans to Staff (ii) राज्य सरकारोंकोआवासव्यवस्थाऔर एफएफई के लिए सावधि स्था अर ऋण, राज्य सरकारों द्वारागारंटीकृत (ii) Term Loans and loans to state govts for housing & FFEs, guaranteed by State Govts. अप्रत्याभूत (सावधि ऋण, अंतरिम ऋण, जमाराशि प्रमाणपत्र,
(ii) Outside India (ख) शेयरों, बांडों, सरकारीप्रतिभूतियोंपर (b) On Shares, Bonds, Government Securities (ग) अन्य (i) कर्मचारियोंकोआवसीय ऋण (c) Others (i) Housing Loans to Staff (ii) राज्य सरकारोंकोआवासव्यवस्थाऔर एफएफई के लिए सावधि क्रण और ऋण, राज्य सरकारों द्वारागारंटीकृत (ii) Term Loans and loans to state govts for housing & FFEs, guaranteed by State Govts. अप्रत्याभूत (सावधि ऋण, अंतरिम ऋण, जमाराशि प्रमाणपत्र,
(ख) शेयरों, बांडों, सरकारीप्रतिभूतियोंपर (b) On Shares, Bonds, Government Securities (ग) अन्य (i) कर्मचारियोंकोआवसीय ऋण (c) Others (i) Housing Loans to Staff (ii) राज्य सरकारोंकोआवासव्यवस्थाऔर एफएफई के लिए सावधि ऋण और ऋण, राज्य सरकारों द्वारागारंटीकृत (ii) Term Loans and loans to state govts for housing & FFEs, guaranteed by State Govts. अप्रत्याभूत (सावधि ऋण, अंतरिम ऋण, जमाराशि प्रमाणपत्र,
(b) On Shares, Bonds, Government Securities (ग) अन्य (i) कर्मचारियोंकोआवसीय ऋण (c) Others (i) Housing Loans to Staff (ii) राज्य सरकारोंकोआवासव्यवस्थाऔर एफएफई के लिए सावधि हारागारंटीकृत (ii) Term Loans and loans to state govts for housing & FFEs, guaranteed by State Govts. अप्रत्याभूत (सावधि ऋण, अंतरिम ऋण, जमाराशि प्रमाणपत्र,
(ग) अन्य (i) कर्मचारियोंकोआवसीय ऋण (c) Others (i) Housing Loans to Staff (ii) राज्य सरकारोंकोआवासव्यवस्थाऔर एफएफई के लिए सावधि 816179 ऋण और ऋण, राज्य सरकारों द्वारागारंटीकृत (ii) Term Loans and loans to state govts for housing & FFEs, guaranteed by State Govts. अप्रत्याभूत (सावधि ऋण, अंतरिम ऋण, जमाराशि प्रमाणपत्र,
(c) Others (i) Housing Loans to Staff (ii) राज्य सरकारोंकोआवासव्यवस्थाऔर एफएफई के लिए सावधि ऋण और ऋण, राज्य सरकारों द्वारागारंटीकृत (ii) Term Loans and loans to state govts for housing & FFEs, guaranteed by State Govts. अप्रत्याभूत (सावधि ऋण, अंतरिम ऋण, जमाराशि प्रमाणपत्र,
(ii) राज्य सरकारोंकोआवासव्यवस्थाऔर एफएफई के लिए सावधि 816179 1051479 ऋण और ऋण, राज्य सरकारों द्वारागारंटीकृत (ii) Term Loans and loans to state govts for housing & FFEs, guaranteed by State Govts. अप्रत्याभूत (सावधि ऋण, अंतरिम ऋण, जमाराशि प्रमाणपत्र, 64499
ऋण और ऋण, राज्य सरकारों द्वारागारंटीकृत (ii) Term Loans and loans to state govts for housing & FFEs, guaranteed by State Govts. अप्रत्याभूत (सावधि ऋण, अंतरिम ऋण, जमाराशि प्रमाणपत्र,
(ii) Term Loans and loans to state govts for housing & FFEs, guaranteed by State Govts. अप्रत्याभूत (सावधि ऋण, अंतरिम ऋण, जमाराशि प्रमाणपत्र, 64499 64499
FFEs, guaranteed by State Govts. अप्रत्याभूत (सावधि ऋण, अंतरिम ऋण, जमाराशि प्रमाणपत्र, 64499 64499
अप्रत्याभूत (सावधि ऋण, अंतरिम ऋण, जमाराशि प्रमाणपत्र, 64499 64499
वाणिज्यिकदस्तावेज)
Unsecured (Term Ioans, Bridge Ioans, Certificate
of deposit, Commercial paper)
কুল 1896127 2042990
Total
उधारकर्ता-वारवर्गीकरण
Borrower-Wise Classification
(क) केंद्रीय और राज्य सरकारें 474906 566122
(a) Central and State Governments
(ख) बैंकऔरवित्तीय संस्थान 0
(b) Banks and Financial Institutions
(ग) अनुषंगीकम्पनियां 0
(c) Subsidiaries
(घ) कम्पनियां 405772 425389
(d) Companies
(इ) पॉलिसियों के सापेक्ष ऋण 0 0
(e) Loan against policies
(च) अन्य (i) कर्मचारी 1015448 1051479
(f) Others (i) Staff



द ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

विवरण	31.03.2015 को	31.03.2014 को
Particulars	As at	As at
	31.03.2015	31.03.2014
(ii) वाणिज्यिमदस्तावेज	0	0
(ii) Commercial Papers		
कुल Total	1896127	2042990
निष्पादन—वारवर्गीकरण		
Performance-Wise Classification		
(क) मानक के रूपमेंवर्गीकृत ऋण		
(a) Loans classified as standard		
(क) भारतमें	1503685	1624344
(a) In India		
(ख) भारतसेबाहर	0	0
(b) Outside India		
(ख) प्रावधान घटातेहुए गैर-निष्पादन ऋण		
(b) Non-Performing loans less provisions		
(क) भारत में	90577	64930
(a) In India		
(ख) भारत से बाहर	0	0
(b) Outside India		
प्रावधान	301864	353716
Provision		
कुल	1896127	2042990
Total		
परिपक्वता—वार वर्गीकरण		
Maturity-Wise Classification		
(क) अल्पावधिक	60013	68999
(a) Short-Term		
(ख) दीर्घावधिक	1836113	1973991
(b) Long-Term		
कुल	1896127	2042990
Total		

टिप्पणियां:

- 1. परिसम्पत्तियों को गिरवी रखने के सापेक्ष रु. 2373.64 लाख के प्रावधान को अनुसूची.14 में अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों से संबंधित प्रावधान के तहत समूहबद्ध किया गयाहै।
- 2. अप्रत्याभूत ऋणों के सापेक्ष रु. ६४४.९९ लाख के प्रावधान को अनुसूची.14 में अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों से संबंधित प्रावधान के तहत समूहबद्ध किया गया है।
- 3. मानक परिसम्पत्तियों के सापेक्ष रु. 19.97 लाख के प्रावधानको अनुसूची.14 में अशोध्य एवंसंदिग्ध ऋणों से संबंधित प्रावधान के तहत समूहबद्ध किया गया है।

Notes:

- 1. Provision for Rs. 2373.64 Lacs against hypothecation of assets is grouped under Provision for bad and doubtful debts in Schedule-14
- 2. Provision for Rs 644.99 Lacs against unsecured loans is grouped under Provision for bad and doubtful debts in Schedule-14
- 3. Provision for Rs 19.97 Lacs against standard assets is grouped under Provision on standard assets in Schedule-14



अनुसूची-10 31.03.2015 कोस्थायीपरिसम्पत्तियों की अनुसूची SCHEDULE - 10

SCHEDULE OF FIXED ASSETS AS AT 31.03.2015

विवर्ण Particulars		लागत/स :OST/GR(लागत/सक्ल ब्लॉक COST/GROSS BLOCK		ă	मूल्यद्वास आरीक्षेति DEPRECIATION RESERVE	आर्यक्षिति N RESERV	ш	ਗਿਕਲ NET B	निवल ब्लॉक NET BLOCK
	प्रारंभिक शेष	अवधि के	अवधि के	अंतिम शेष	प्रारंभिक शेष	अवधि के दौरान	अवधि के	अंतिम शेष	31.03.2015 को	31.03.2014 को
	Opening Balance	दौरान वृद्धि Additions	दौरान की गई	Closing Balance	Opening Balance	वृद्धि Additions	दौरान की गई	Closing Balance	As at 31.03.2015	As at 31.03.2014
		during the period	समायोजन समायोजन Deductions			during the period	समायोजन समायोजन Deductions			
			and Adjustments made				and Adjustments made			
मूर्त परिसम्पत्तियां Tangible Assets										
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि Land Freehold	1109	0	0	1109	0	0	0	0	1109	1109
पट्टे पर ली गई सम्पत्ति Leasehold Property	123639	1031	8753	115917	94329	1021	438	94912	21005	29310
पूर्ण स्वामित्व वाली सम्पत्ति Freehold Property	530743	30982	-56202	617927	339009	3970	1185	341794	276133	191734
फर्नीचर और फिटिंग्स Furniture & Fittings	435706	9022	1524	443204	359979	17241	3618	373602	69602	75727
सूचना प्रौद्योगिकी उपस्कर Information & Technology Equipment	1478696	38187	148884	1367999	1390884	29481	124056	1296309	71690	87812
बाहन Vehicles	670196	129460	104331	695325	333256	58964	69432	322788	372537	336940
कार्यालय उपस्कर Office Equipment	177238	3527	6932	173833	136690	23657	9364	150983	22850	40548



विवरण Particulars		लागत/स COST/GRC	लागत/सक्ल ब्लॉक COST/GROSS BLOCK		DE	मूल्यहास आरक्षिति DEPRECIATION RESERVE	आरक्षिति IN RESERV	ш	निवल ब्लॉक NET BLOCK	निवल लॉक NET BLOCK
	प्रारंभिक शेष	अवधि के	अवधि के अंतिम शेष	अंतिम शेष	प्रारंभिक शेष	अवधि के दौरान	अवधि के	अवधि के अंतिम शेष	31.03.2015 को	31.03.2014 को
	Opening Balance	दौरान वृद्धि Additions	दौरान की गई कटौतियां और	Closing Balance	Opening Balance	शृद्ध Additions	दौरान की गई कटौतियां और	Closing Balance	As at 31.03.2015	As at 31.03.2014
		during the period	समायोजन Deductions			during the period	समायोजन Beductions			
			and Adjustments				and Adjustments			
			in the period				in the period			
अन्य	406911	14735	3663	417983	304683	30772	-2620	338075	79908	102228
Omers			1	1		1	1			1
कुल स्थायी परिसम्पत्तियां Total Fixed Assets	3824238	226944	217885	3833297	2958830	165106	205473	2918463	914834	865408
अमूर्त परिसम्पत्तियां	375214	38479	9269	406717	342617	22201	0	364818	41899	32597
(सोफ्टवेयर) Intangible Assets										
(Software)										
उप योग	4199452	265423	224861	4240015	3301447	187307	205473	3283281	956732	898005
Sub Total										
चल रहे पूंजी कार्य	403996	309781	90215	623562	0	0	0	0	623563	403996
Capital Work in Progress										
कुल Total	4603448	575204	315076	4863577	3301447	187307	205473	3283281	1580295	1302001



अनुसूची -11 31.03.2015 को नकद और बैंक रोष **SCHEDULE - 11 CASH & BANK BALANCES AS AT 31.03.2015**

		(₹ in '000')
विवरण Particulars	31.03.2015 को As at	31.03.2014 को As at
raiticulais	31.03.2015	31.03.2014
नकद (चैकों, डाफ्टों और स्टाम्पों सहित)	890850	1410117
Cash (including cheques, drafts and stamps)		
बैंक रोष		
Bank Balances		
(क) जमा खाते		
(a) Deposit Accounts		
(कक) अल्पावधिक (12 महीने के भीतर देय)	18061509	15566941
(aa) Short-term (due within 12 months)		
(खख) अन्य	0	0
(bb) others		
(ख) चालू खाते	5317616	5292831
(b) Current Accounts		
(ग) अन्य	0	0
(c) Others		
मांग और अल्पावधिक सूचना पर धनराशि		
Money at Call and Short Notice		
(क) बैंकों के साथ	0	0
(a) With Banks		
(ख) अन्य संस्थानों के साथ	0	0
(b) With other Institutions		
अन्य	0	0
Others		
कुल	24269975	22269889
TOTAL		
उपर्युक्त 2 और 3 में शामिल किए गए गैर अनुसूचित बैंकों में शेष	0	0
Balance with non-scheduled banks included in 2 and 3 above		
नकद और बैंक शेष		
Cash & Bank Balances		
भारत में	21898203	20194040
In India		
भारत से बाहर	2371772	2075849
Outside India		
कुल	24269975	22269889
TOTAL		



अनुसूची-12 31.03.2015 को अग्रिम और अन्य परिसम्पत्तियां **SCHEDULE - 12 ADVANCES AND OTHER ASSETS AS AT 31.03.2015**

		(< 111 000)
विवरण	31.03.2015 को	31.03.2014 को
Particulars	As at	As at
	31.03.2015	31.03.2014
अग्रिम		
Advances		
अभ्यर्पित कम्पनियों के पास जमा राशियां	157625	190459
Reserve deposits with ceding companies		
निवेशों के लिए आवेदन राशि	0	0
Application money for investments		
पूर्व-भुगतान	42996	4365
Prepayments		
निदेशकों / अधिकारियों को अग्रिम	467711	455867
Advances to Directors/Officers		
चुकता अग्रिम कर और स्रोत पर कर की कर्टाती (कराधान संबंधी	3057626	1849154
प्रावधान को घटाते हुए) / कर विभाग से वसूली योग्य राशि		
Advance tax paid and taxes deducted at source, (Net of Provision		
for Taxation)/Amount Recoverable from Tax Deptt.		
अन्य	209055	149068
Others		
कुल (क)	3935013	2648913
Total (A)		
निवेशों पर उपचित आय	3829027	3344607
Income accrued on investments		
बकाया प्रीमियम	568087	1152690
Outstanding Premiums		
एजेटों के शेष	0	0
Agents' Balances		
विदेशी एजेंसियों के शेष	153588	138898
Foreign Agencies' Balances		
बीमा कारोबार करने वाले अन्य निकायों (पुनर्बीमाकर्ताओं सहित) से	15451938	14106902
देय		
Due from other entities carrying on insurance business		
(including reinsurers)		
अनुषंगी कम्पनियों / धारक कम्पनी से देय	583	544
Due from subsidiaries/holding company		
भारतीय रिजर्व बैंक में जमा राशि, [बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 7	171107	171192
के अनुसरण में]*		
Deposit with Reserve Bank of India, [Pursuant to section 7		
of Insurance Act, 1938]*		
अन्य रु	4398660	4231204
Others #	1330000	1231201
Ouicis#		



विवरण	31.03.2015 को	31.03.2014 को
Particulars	As at	As at
	31.03.2015	31.03.2014
कुल (ख)	24572990	23146037
Total (B)		
कुल (क + ख)	28508003	25794950
Total (A + B)		

^{*} बीमा अधिनियमए 1938 की धारा ७ अनुसार केद्रीय सरकार की 6.01% प्रतिभूति 2028 एचडीएफसी बैंक में जमा हैं। # अन्य में 'सेवा कर अप्रयुक्त क्रेडिट' शामिल है

अनुसूची -13: 31.03.2015 को चालू देयताएं SCHEDULE - 13: CURRENT LIABILITIES AS AT 31.03.2015

(₹ in lacs)

Particulars		(K III IaCS)	
31.03.2015 (Rs. '000) एजेटों के शेष (निवल) Agents Balances (Net) अन्य बीमा कम्पनियों को देय शेष Deposits held on reinsurance ceded अग्रिम रूप प्रीमियम 0 (1000) पजेटों के शेष (निवल) Agants Balances (Net) अन्य बीमा कम्पनियों को देय शेष Deposits held on reinsurance ceded अग्रिम रूप प्रीमियम 1612940 831666 Premium received in advance अनावंदित प्रीमियम 0 (1000) Unallocated Premium छोटे लेनदार 11095926 8256464 Sundry Creditors अनुषंगी कम्पनियों/धारक कम्पनी को देय 0 (1000) Due to subsidiaries/holding company बकाया दावे Claims Outstanding अधिकारियों / निदेशकों को देय 0 (1000) Due to Officers / Directors पॉलिसीधारकों को देय 496969 471962 Due to Policy Holders नई पॅशन योजना पर देयता Liability on New Pension Scheme 3न्य 224173 76713 Others	विवरण	31.03.2015 को	31.03.2014 को
(Rs. '000) (Rs. '000) एजेटों के शेष (निवल) 362390 31925' Agents Balances (Net) 205343 7932' Balances due to other insurance companies 344 पार्ट	Particulars	As at	As at
एजेटों के शेष (निवल) Agents Balances (Net) अन्य बीमा कम्पनियों को देय शेष Balances due to other insurance companies अभ्यर्गित पुनर्बीमा पर धारित जमा राशियां Deposits held on reinsurance ceded अग्रिम रूप से प्रान्त प्रीमियम Premium received in advance अनावंटित प्रीमियम 0 0 0 Unallocated Premium छोटे लेनदार 11095926 8256466 Sundry Creditors अनुषंगी कम्पनियों/ धारक कम्पनी को देय Due to subsidiaries/holding company बकाया दावे Claims Outstanding अधिकारियों/ निदेशकों को देय Due to Officers / Directors पॉलिसीधारकों को देय Due to Policy Holders वर्ड पंशन योजना पर देयता Liability on New Pension Scheme अन्य Оthers			31.03.2014
Agents Balances (Net) अन्य बीमा कम्पनियों को देय शेष Balances due to other insurance companies अभ्यर्षित पुनर्बीमा पर धारित जमा राशियां Deposits held on reinsurance ceded अग्रिम रूप से प्राप्त प्रीमियम 1612940 831667 Premium received in advance अनावंटित प्रीमियम 0 (Mallocated Premium bic लेनदार Sundry Creditors अनुषंगी कम्पनियों/धारक कम्पनी को देय 0 (Mallocated Premium bic लेनदार Sundry Creditors अनुषंगी कम्पनियों/धारक कम्पनी को देय 0 (Mallocated Premium bic लेनदार Sundry Creditors अनुषंगी कम्पनियों/धारक कम्पनी को देय 0 (Mallocated Premium bic लेनदार Sundry Creditors अनुषंगी कम्पनियों/धारक कम्पनी को देय 0 (Mallocated Premium bic लेनदार Sundry Creditors अनुषंगी कम्पनियों/धारक कम्पनी को देय 0 (Mallocated Premium bic सेवार (Mallocated Premium bic स			(Rs. '000)
अन्य बीमा कम्पनियों को देय शेष Balances due to other insurance companies अभ्यर्षित पुनर्बीमा पर धारित जमा राशियां Deposits held on reinsurance ceded अग्रिम रूप से प्राप्त प्रीमियम Premium received in advance अनावंदित प्रीमियम Unallocated Premium छोटे लेनदार Sundry Creditors अनुषंगी कम्पनियों (धारक कम्पनी को देय Due to subsidiaries/holding company बकाया दावे Claims Outstanding अधिकारियों / निदेशकों को देय Due to Officers / Directors पॉलिसीधारकों को देय Due to Premium व्याप पर देयता Liability on New Pension Scheme अन्य Others कुल 88119596 881528318	एजेटों के शेष (निवल)	362390	319251
Balances due to other insurance companies अभ्यर्षित पुनर्बीमा पर धारित जमा राशियां 1155668 460846 Deposits held on reinsurance ceded अग्रिम रूप से प्राप्त प्रीमियम 1612940 831662 Premium received in advance अनावंटित प्रीमियम 0 0 0 00 Unallocated Premium छोटे लेनदार 11095926 8256466 Sundry Creditors अनुषंगी कम्पनियों / धारक कम्पनी को देय 0 0 00 Due to subsidiaries/holding company बकाया दावे 72646137 70829486 Claims Outstanding अधिकारियों / निदेशकों को देय 0 0 0 0 Due to Officers / Directors पॉलिसीधारकों को देय 496969 471962 Due to Policy Holders नई पंशन योजना पर देयता 320050 202615 Liability on New Pension Scheme अन्य 224173 76712 Others कुल 88119596 81528318			
अभ्यर्षित पुनर्बीमा पर धारित जमा राशियां Deposits held on reinsurance ceded अग्रिम रूप से प्राप्त प्रीमियम Premium received in advance अनावंटित प्रीमियम Unallocated Premium छोटे लेनदार Sundry Creditors अनुषंगी कम्पनियों / धारक कम्पनी को देय Due to subsidiaries/holding company बकाया दावे Claims Outstanding अधिकारियों / निदेशकों को देय Due to Officers / Directors पॉलिसीधारकों को देय Due to Policy Holders नई पेशन योजना पर देयता Liability on New Pension Scheme अन्य Others कुल 88119596 881528318	अन्य बीमा कम्पनियों को देय शेष	205343	79321
Deposits held on reinsurance ceded अग्रिम रूप से प्राप्त प्रीमियम Premium received in advance अनावंदित प्रीमियम Unallocated Premium छोटे लेनदार अनुषंगी कम्पनियों / धारक कम्पनी को देय Due to subsidiaries/holding company बकाया दावे Claims Outstanding अधिकारियों / निदेशकों को देय Due to Officers / Directors पॉलिसीधारकों को देय 496969 Une to Policy Holders नई पेंशन योजना पर देयता Liability on New Pension Scheme अन्य Others कुल 88119596 831667 83167 83167 831667 83167	Balances due to other insurance companies		
अग्रिम रूप से प्राप्त प्रीमियम Premium received in advance अनावंटित प्रीमियम 0 (Mallocated Premium छोटे लेनदार Sundry Creditors अनुषंगी कम्पनियों / धारक कम्पनी को देय Due to subsidiaries/holding company बकाया दावे Claims Outstanding अधिकारियों / निदेशकों को देय Due to Officers / Directors पॉलिसीधारकों को देय 496969 Une to Policy Holders नई पेंशन योजना पर देयता Liability on New Pension Scheme अन्य Others कुल 88119596 81528318	अभ्यर्पित पुनर्बीमा पर धारित जमा राशियां	1155668	460846
Premium received in advance अनावंदित प्रीमियम Unallocated Premium छोटे लेनदार Sundry Creditors अनुषंगी कम्पनियों / धारक कम्पनी को देय Due to subsidiaries/holding company बकाया दावे Claims Outstanding अधिकारियों / निदेशकों को देय Due to Officers / Directors पॉलिसीधारकों को देय 496969 471962 Due to Policy Holders नई पँशन योजना पर देयता Liability on New Pension Scheme अन्य Others कुल 88119596 881528318			
अनावंदित प्रीमियम Unallocated Premium छोटे लेनदार Sundry Creditors अनुषंगी कम्पनियों / धारक कम्पनी को देय Due to subsidiaries/holding company बकाया दावे Claims Outstanding अधिकारियों / निदेशकों को देय Due to Officers / Directors पॉलिसीधारकों को देय 496969 Une to Policy Holders नई पेंशन योजना पर देयता Liability on New Pension Scheme अन्य Others कुल 88119596 81528318	अग्रिम रूप से प्राप्त प्रीमियम	1612940	831667
Unallocated Premium छोटे लेनदार Sundry Creditors अनुषंगी कम्पनियों / धारक कम्पनी को देय Due to subsidiaries/holding company बकाया दावे Claims Outstanding अधिकारियों / निदेशकों को देय Due to Officers / Directors पॉलिसीधारकों को देय 496969 Due to Policy Holders नई पेंशन योजना पर देयता Liability on New Pension Scheme अन्य Others कुल 88119596 81528318	Premium received in advance		
छोटे लेनदार Sundry Creditors अनुषंगी कम्पनियों / धारक कम्पनी को देय Due to subsidiaries/holding company बकाया दावे Claims Outstanding अधिकारियों / निदेशकों को देय Due to Officers / Directors पॉलिसीधारकों को देय 496969 Uue to Policy Holders नई पेंशन योजना पर देयता Liability on New Pension Scheme अन्य Others कुल 88119596 8856464 82564646 11095926 82564646 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	अनावंटित प्रीमियम	0	0
Sundry Creditors अनुषंगी कम्पनियों / धारक कम्पनी को देय Due to subsidiaries/holding company बकाया दावे Claims Outstanding अधिकारियों / निदेशकों को देय Due to Officers / Directors पॉलिसीधारकों को देय 496969 471962 Due to Policy Holders नई पेंशन योजना पर देयता Liability on New Pension Scheme अन्य Others 88119596 881528318	Unallocated Premium		
अनुषंगी कम्पनियों / धारक कम्पनी को देय Due to subsidiaries/holding company बकाया दावे Claims Outstanding अधिकारियों / निदेशकों को देय Due to Officers / Directors पॉलिसीधारकों को देय 496969 471962 Due to Policy Holders नई पेंशन योजना पर देयता Liability on New Pension Scheme अन्य Others 88119596 881528318	छोटे लेनदार	11095926	8256464
Due to subsidiaries/holding company बकाया दावे 72646137 70829480 Claims Outstanding अधिकारियों / निदेशकों को देय 0 0 Due to Officers / Directors पॉलिसीधारकों को देय 496969 471962 Due to Policy Holders नई पेंशन योजना पर देयता 320050 202615 Liability on New Pension Scheme अन्य 224173 76712 Others कुल 88119596 81528318	Sundry Creditors		
बकाया दावे 72646137 70829480 Claims Outstanding अधिकारियों / निदेशकों को देय 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	अनुषंगी कम्पनियों / धारक कम्पनी को देय	0	0
Claims Outstanding 0 0 अधिकारियों / निदेशकों को देय 0 0 Due to Officers / Directors 496969 471962 पॉलिसीधारकों को देय 496969 471962 Due to Policy Holders 320050 202615 नई पेंशन योजना पर देयता 320050 202615 Liability on New Pension Scheme 224173 76712 Others 88119596 81528318	Due to subsidiaries/holding company		
अधिकारियों / निदेशकों को देय Due to Officers / Directors पॉलिसीधारकों को देय 496969 471962 Due to Policy Holders नई पेंशन योजना पर देयता Liability on New Pension Scheme अन्य 224173 76712 Others कुल 88119596 81528318	बकाया दावे	72646137	70829480
Due to Officers / Directors पॉलिसीधारकों को देय 496969 471962 Due to Policy Holders नई पेंशन योजना पर देयता Liability on New Pension Scheme अन्य 224173 76712 Others कुल 88119596	Claims Outstanding		
पॉलिसीधारकों को देय Due to Policy Holders नई पेंशन योजना पर देयता Liability on New Pension Scheme अन्य Others कुल 88119596 471962	अधिकारियों / निदेशकों को देय	0	0
Due to Policy Holders320050202615नई पेंशन योजना पर देयता320050202615Liability on New Pension Scheme22417376712उन्य22417376712Others8811959681528318	Due to Officers / Directors		
नई पेंशन योजना पर देयता 320050 202615 Liability on New Pension Scheme 224173 76712 Others कुल 88119596 81528318	पॉलिसीधारकों को देय	496969	471962
Liability on New Pension Scheme अन्य 224173 76712 Others कुल 88119596 81528318	Due to Policy Holders		
अन्य 224173 76712 Others कुल 88119596 81528318	नई पेंशन योजना पर देयता	320050	202615
Others 88119596 81528318	Liability on New Pension Scheme		
कुल 88119596 81528318	अन्य	224173	76712
	Others		
	<u>कु</u> ल	88119596	81528318

^{* 6.01%} Central Government Security 2028 deposited with HDFC Bank in accordance with Sec. 7 of Insurance Act, 1938. # Others include "Service Tax Unutilized Credit"

अनुसूची-14

31.03.2015 को प्रावधान

SCHEDULE - 14

PROVISIONS AS AT 31.03.2015

	(× in t		
विवरण	31.03.2015 को	31.03.2014 को	
Particulars	As at	As at	
	31.03.2015	31.03.2014	
असमाप्त जोखिम के लिए आरक्षिति	32751739	32279521	
Reserve for Unexpired Risk			
कराधान के लिए (चुकता अग्रिम कर और स्रोत पर कर को घटाते	0	0	
हुए)			
For taxation (less advance tax paid and tax deducted at			
source)			
प्रस्तावित लाभांशों के लिए	1100000	1080000	
For proposed dividends			
लाभांश वितरण कर के लिए	219982	183546	
For dividend distribution tax			
अन्य			
Others			
(क) छुट्टी नकदीकरण / एलटीसी / बीमारी अवकाश हेतु प्रावधान	5375075	4893859	
(a) Provision for Leave Encashment/ LTS/Sick Leave			
(ख) परिलब्धि संशोधन के लिए प्रावधान	3814306	1464306	
(b) Provision for Wage revision			
(ग) अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	2032364	2693115	
(c) Provision for Bad & Doubtful Debts			
(घ) मानक परिसम्पत्तियों के लिए प्रावधान	166561	149632	
(d) Provision for Standard Assets			
(ड़) शेयरों के मूल्य में ह्रास के लिए प्रावधान	159294	182388	
(e) Provision for Diminution in Value of Shares			
(च) ब्याज उचंत	0	4406	
(f) Interest Suspense			
प्रीमियम में कमी के लिए आरक्षिति	0	0	
Reserve for Premium Deficiency			
कुल	45619321	42930773	
Total			



अनुसूची-15 31.03.2015 को विविध व्यय

(जिन्हें बट्टे खाते नहीं डाला गया या समायोजित नहीं किया गया है)

SCHEDULE - 15

MISCELLANEOUS EXPENDITURE AS AT 31.03.2015

(TO THE EXTENT NOT WRITTEN OFF OR ADJUSTED)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2015 को	31.03.2014 को
S.No.	Particulars	As at	As at
		31.03.2015	31.03.2014
1	शेयरों / डिबेंचरों को जारी करने में अनुमत्त छूट Discount Allowed in issue of shares/debentures	0	0
2	अन्य Others		
	क) उपदान का परिशोधन a) Amortisation of Gratuity	0	297135
	कुल Total	0	297135



अनुबंध-। लेखाकरण नीतियां और टिप्पणियां

क. महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

1. लेखाकरण अभिसमयः

तूलन पत्र, लाभ हानि लेखा और राजस्व लेखे कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 की उप धाराओं (1) और (1)(क) के प्रावधानों के साथ पठित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 11(1) के प्रावधानों के अनुसार, और बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के प्रावधानों के अनुसार तैयार किए गए हैं। उक्त विवरणिकाएं एक सुनाम प्रतिष्ठान के रूप में ऐतिहासिक लागत अभिसमय पर और लेखाकरण पर उपचयिक आधार पर तैयार की गई हैं। इस कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 और बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (वित्तीय विवरणिकाओं और बीमा कम्पनियों के लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन की तैयारी) विनियम, 2002 और आईआरडीएआई द्वारा जारी मास्टर परिपत्र में संदर्भित लेखाकरण मानकों का, भारत में सामान्य बीमा उद्योग में प्रचलित परिपाटियों के अनुरूप और प्रयोज्य सीमा तक, अन्यथा अन्यत्र किए गए उल्लेख को छोडकर, अनुपालन करती हैं।

2. होयरधारकों और पॉलिसीधारकों की निधियां:

शेयरधारकों की निधि में शेयर पूंजी, सामान्य आरक्षिति और पूंजी आरक्षिति सम्मिलित हैं। पॉलिसीधारकों की निधि में तकनीकी आरक्षितियां और बकाया दावों के लिए प्रावधान शामिल है।

3. विदेशी मुद्रा संव्यवहार/परिवर्तनः

- 3.1 लेखाकरण मानक 11 विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तनों के प्रभाव (संशोधित 2003) के अनुसार, विदेशी शाखाओं / एजेंसियों को ''एकीकृत विदेशी प्रचालनों'' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- 3.2 विदेशी मुद्राओं में अर्जित निवेशों और स्थायी परिसम्पत्तियों के मूल्य को अर्जन की तारीख को मुद्रा दरों पर परिवर्तित / स्थानांतरित किया जाता है।
- 3.3 विदेशी मुद्राओं व्यक्त देनदारियों और अन्य सभी परिसम्पत्तियों के मूल्य को वर्ष के अंत में क्रय बोली दर पर परिवर्तित/स्थानांतरित किया

THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED ANNEXURE-I ACCOUNTING POLICIES AND NOTES

A. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. Accounting Convention:

The Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Revenue Accounts are drawn up in accordance with the provisions of Section 11(1) of the Insurance Act, 1938 read with the provisions of sub-sections (1) and (1)(a) of the Section 129 of the Companies Act, 2013, and as per the provisions of Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999. The said statements are prepared on historical cost convention as a going concern and on accrual basis of accounting. They comply with the accounting standards referred to in section 133 of The Companies Act, 2013 and The Insurance Regulatory and Development Authority (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations, 2002 and Master Circular 2012 issued by IRDAI, to the extent applicable and conform to practices prevailing in the General Insurance Industry in India except as otherwise stated.

2. Shareholders' and Policyholders' Fund:

The Shareholders' Fund comprises of Share Capital, General Reserve and Capital Reserve. The Policyholders' Fund comprises of Technical Reserves and Provision for Outstanding Claims.

3. Foreign Currency Transactions / Conversion:

- **3.1** As per Accounting Standard 11 "the effects of changes in foreign exchange rates (revised 2003), Foreign branches/agencies are classified as "Integral Foreign Operations".
- **3.2** Value of fixed assets and investments acquired in foreign currencies, is converted/ translated at the exchange rates on the date of acquisition.
- **3.3** Value of all other assets and liabilities



जाता है।

- 3.4 विदेशी मुद्राओं में व्यक्त विदेशी शाखाओं और एजेंसियों की आय और व्यय मदों को वित्त वर्ष के दौरान चार तिमाही दरों के औसत विनिमय दर पर परिवर्तित / स्थानांतरित किया जाता है. जो दैनिक समाप्ति खरीद बोली दरों की औसत दर हैं।
- 3.5 पुनर्बीमा कारोबार और निवेशों से संबंधित राजस्व संव्यवहारों को वित्त वर्ष की उस तिमाही विशेष में सभी कारोबारी दिनों के लिए दैनिक समाप्ति खरीद बोली दरों की औसत दर पर परिवर्तित / स्थानांतरित किया जाता है।
- 3.6 विदेशी मुद्रा संव्यवहारों के परिवर्तन पर विनिमय लाभ / हानि को आय / व्यय के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

4. राजस्व स्वीकृतिः

- 4.1 पुनर्बीमा के निवल प्रीमियमों को, प्रत्येक संबंधि ात राजस्व लेखे में जोखिमों की अवधारणा के आधार पर अभिलेखबद्ध किया जाता है। असमाप्त जोखिमों के लिए आरक्षिति उसके प्रतिशत पर आधारित है जो अग्नि मरीन कार्गो और विविध कारोबार के मामले में 50% और मरीन हल कारोबार के मामले में 100% है।
- 4.2 31 मार्च तक प्राप्त सीमा तक बीमा कम्पनियों से प्राप्त पुनर्बीमा विवरणियों (बकाया दावों के लिए अनुमानित देनदारी के संबंध में लेखाकरण नीति 5.1क(ii) के अध्यधीन) और संबंधित लेखाकरण वर्ष के लेखों को अंतिम रूप दिए जाने तक प्राप्त सरकारी निकायों और भारतीय बीमाकर्ताओं से प्राप्त विवरणियों को वर्ष के लेखों में समाविष्ट किया जाता है। पुनर्बीमा घटाव प्रचालनिक कार्यालयों से प्राप्त किए अनुसार परामर्शौ / विवरणियों के आधार पर किए जाते हैं। जहां कहीं पूर्ण ब्यौरा उपलब्ध नहीं होता, पून<mark>र्बीमा</mark> स्वीकृतियां / घटाव उपलब्ध सूचना पर आधारित अनुमानों पर किए जाते हैं।
- 4.3 लाभांश को घोषणा के वर्ष में आय के रूप में लेखांकित किया जाता है। लाभांश/शेयरों

- expressed in foreign currencies, is converted/translated at the year-end closing purchase bid rate.
- 3.4 Items of income and expenditure of foreign branches and agencies expressed in foreign currencies are converted/ translated at the mean exchange rate of four quarterly rates during the financial year, which are the average of daily closing purchase bid rates.
- 3.5 Revenue transactions relating reinsurance business and investments are converted/ translated at the average exchange rate of daily closing purchase bid rates for all the trading days in that particular quarter of the financial year.
- 3.6 Exchange Gain/Loss on conversion of foreign currency transactions is recognized as income/expense.

4. Revenue Recognition:

- **4.1** Premiums are recorded, net reinsurances, based on assumption of risks in each related Revenue account. Reserve for Unexpired Risks is based on a percentage thereof, being 50 % in case of Fire, Marine Cargo and Miscellaneous business and 100% in case of Marine Hull business.
- **4.2**The reinsurance returns from Foreign Insurance companies to the extent received upto 31st March (subject to Accounting Policy 5.1a(ii) in respect of Estimated liability for outstanding claims) and returns from Indian Insurers and Government Bodies received upto finalisation of accounts of the relevant accounting year are incorporated in the accounts of the year. Reinsurance cessions are made on the basis of advices/ returns as received from the Operating Offices. Wherever full particulars are not available, reinsurance acceptances/ cessions are made on estimates based



पर ब्याज / आपत्ति के अधीन डिबेंचरों / लंबित डिलीवरी को उगाहे जाने पर लेखांकित किया जाता है। अंतरिम लाभांश को वहां लेखांकित किया जाता है जहां अनुज्ञा-पत्र दिनांक 31 मार्च या इससे पहले के होते हैं।

- 4.4 निवेशों की बिक्री / शोधन पर लाभ / हानि की गणना बिक्री / शोधन से पहले के दिन की समाप्ति पर औसत लागत को लेते हुए की जाती है।
- 4.5 निवेशों की बिक्री / शोधन पर लाभ / हानि, निष्क्रिय परिसम्पत्तियों के लिए प्रावधान. शेयरों के मुल्य में कमी के लिए प्रावधान, ऋण प्रतिभूतियों का ऋणशोधन और ब्याज के जरिए आय, लाभांश और किराए को वर्ष के शुरुआत के अनुसार पॉलिसीधारकों की निधि और शेयरध गरकों की निधि के आधार पर राजस्व लेखों और लाभ हानि लेखे के बीच आवंटित किया जाता है।
- 4.6 ऋणों. बंधपत्रों और डिबेंचरों के संबंध में ब्याज की आय को आईआरडीएआई द्वारा दिनांक जारी 24 जनवरी 2007 के परिपत्र 32 / 2 / एफएंडए / परिपत्र / 169 / जन. 2006-07 द्वारा किए गए आय स्वीकृति, परिसम्पत्ति वर्गीकरण और प्रावधान प्रक्रिया के लिए विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार स्वीकृत किया जाता है।
- 4.7 बीमा संविदाओं के नवीकरण / नई संविदाओं के अर्जन से संबंधित अर्जन आय को उस वर्ष में प्रभारित किया जाता है जिसमें ये उपगत हुई हों।

5. बकाया दावेः

5.1.क वर्ष में बकाया दावों के लिए अनुमानित देनदारी, अंतिम रूप दिए जाने की तारीख तक प्राप्त सर्वे रिपोर्टी, ग्राहकों द्वारा मुहैया कराई गई सूचना, लीडरों की सलाहों और अन्य स्रोतों, गत अनुभव और अन्य प्रयोज्य विधियों पर आधारित होती हैं। प्राक्कलनों की निरंतर समीक्षा की जाती है और तदनुसार प्रावधान किए जाते हैं। तथापि, अंतिम

on available information.

- **4.3** Dividend is accounted for as income in the year of declaration. Dividend/ interest on shares/ debentures under objection/pending delivery is accounted for on realization. Interim dividend is accounted where the warrants are dated 31st March or earlier.
- **4.4** Profit/Loss on sale/redemption investments is computed by taking the average cost as at the close of the preceding day of sale/redemption.
- of **4.5** Profit/loss on sale/redemption investments, for non provisions for performing assets, provision diminution in value of amortization of premium on debt securities and income by way of Interest, Dividend and Rent are allocated between Revenue accounts and Profit & Loss account on the basis of Policyholders' Fund and Shareholders' Fund as at the beginning of the year.
- 4.6 Interest income in respect of loans, bonds and debentures is recognized as per the prudential norms for income recognition, asset classification and provisioning issued by IRDAI vide circular no. 32/2/F&A/circular/169/Jan/2006-07 dated 24th January 2007.
- **4.7**The acquisition cost relating acquisition of new/renewal of insurance contracts is charged in the year in which they are incurred.

5. Outstanding Claims:

5.1.a Estimated liability for outstanding claims at the year end are based on survey reports, information provided by clients, advices of Leaders and other sources upto the date of finalization, past experience and other applicable laws. The estimates are continually reviewed



देनदारी, प्रावधान की गई राशि से अधिक या कम हो सकती है, जिसके लिए किए गए किसी भी समायोजन को उन अवधियों में परिलक्षित किया जाएगा जिसमें वे ज्ञात हुई हों। बकाया दावों के लिए अनुमानित देनदारी में शामिल हैं:

- (i) प्रत्यक्ष कारोबार के संबंध में, वर्ष के अंत तक प्राप्त दावों की सूचनाएं
- (ii) पुनर्बीमा स्वीकृतियों के संबंध में, लेखों को अंतिम रूप दिए जाने की तारीख तक अनुवर्ती वर्ष की विभिन्न तारीखों को प्राप्त परामर्श के आधार पर, और जहां परामर्श प्राप्त न हुए हों, वहां अनुमानित आधार पर।
- 5.1.ख मोटर टीपी दावों के बकाया दावों के लिए प्रावधान मामला-दर-मामला आधार पर किया जाता है। वास्तविक समाशोधनों में प्रवित्तयों पर भी विचार किया जाता है और बीमांकिक के प्रमाणीकरण के आधार पर, परिणामी कमी, यदि कोई हो, के लिए मुख्यालय में प्रावधान किया जाता है।
- मोटर तृतीय पक्ष दावों के संबंध में जहां कम्पनी की देनदारी स्थापित करने के लिए पॉलिसी विवरणों के बिना न्यायालय के सम्मन दे दिए जाते हैं, ऐसे मामलों में निम्नानुसार प्रावधान किया जाता है:
 - i) जहां ऐसे दावे 1 वर्ष से अधिक समय से बकाया हों, वहां अनुमानित देनदारी का 100%
 - ii) जहां वर्ष के दौरान न्ययायालय के सम्मन कम्पनी में दे दिए जाते हैं, अनुमानितद देनदारी का 1/3 भाग
- उपगत मगर स्चित न किए गए दावों 5.1.घ (आईबीएनआर) के लिए प्रावधान और उपगत मगर पर्याप्त रूप से सूचित न किए गए दावों (आईबीएनईआर) के लिए प्रावधान बीमांकिक के मूल्यांकन के अनुसार किए जाते हैं।
- कम्पनी द्वारा परित्यागे गए किंतु दावेदारों 5.1.ड द्वारा न्यायालयों / लोकपाल / माध्यस्थ आदि

- and provisions made accordingly. However, the final liability may be in excess of, or less than, the amount provided, for which any adjustments will be reflected in the periods in which they become known. Estimated liability for outstanding claims include:
- (i) In respect of direct business, claims intimations received up to the year end.
- (ii) In respect of reinsurance acceptances, advices received as of different dates of subsequent year upto the date of finalization of accounts and on estimation basis wherever advices are not received.
- **5.1. b** Provision for outstanding Motor TP claims is made at the Operating Offices on a case-to-case basis. Trends in actual settlement are also considered and based on Actuarial Certification, consequent shortfall, if any, is provided at Head Office.
- 5.1. c In respect of Motor Third Party claims where court summons have been served on the company without adequate policy particulars to establish liability of the company, provision is made as under:
 - 100% of estimated liability where such claims are outstanding for more than 1 year
 - ii) 1/3rd of the estimated liability for all such claims where court summons have been served in the company during the year.
- 5.1. d Provisions for claims incurred but not reported (IBNR) and provisions for claims incurred but not enough reported (IBNER) are made as per actuarial valuation.



के समक्ष परिवादित दावों के लिए प्रावधान उन मामलों में किए गए हैं जिनमें प्रबंधन का मत हो कि फैसले कम्पनी के विरुद्ध जाने की संभावना है।

6. प्रतिफल/दावा वसूलियां

दावागत प्रतिफल / वसूलियों के निपटान को उगाही होने पर लेखे में डाला जाता है और दावों के नामे डाल दिया जाता है।

7. प्रबंधन के खर्चे - प्रभाजनः

पॉलिसी स्टाम्पों से अन्य प्रबंधन के खर्चों को, अग्नि और विविध कारोबार दोनों में से प्रत्येक को 100% और मरीन कारोबार को 75% भारिता देते हुए, सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम जमा स्वीकृत पुनर्बीमा प्रीमियम के आधार पर राजस्व लेखों में प्रभाजित किया जाता है। पॉलिसी स्टाम्पों से संबंधित खर्चों को सीधे संबंधित राजस्व खातों में ले जाया जाता है। निवेशों यथा सुरक्षित कस्टडी, ब्याज और लाभांश आदि के एकतत्रण पर बैंक प्रभारों से संबंधि खर्चों को वर्ष की शुरुआत में पॉलिसीधारकों की निधि और शेयरधारकों की निधि के आधार पर राजस्व लेखों और लाभ हानि लेखे के बीच प्रभाजित किया जाता है।

8. स्थायी परिसम्पत्तियांः

- 8.1 भवन सम्पत्तियों (अर्जित सम्पत्ति अधिकारों के लिए कोऑपरेटिव सोसायटियों में शेयरों की लागत सहित) को ''पट्टाधारित सम्पत्ति / पूर्णस्वामित्व वाले भवन'' शीर्ष के अधीन शामिल किया जाता है।
- 8.2 स्थायी परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन लागत में से मूल्यहास घटाकर किया जाता है। लागत में अर्जन की लागत और परिसम्पत्तियों के अर्जन के लिए किए गए अन्य प्रत्यक्ष व्यय को शामिल किया जाता है।
- 8.3 अर्जित किंतु प्रयोग में न लाई गई परिसम्पत्ति को ''चल रहे पूंजीगत कार्य'' के अधीन प्रमाणित किया जाता है।
- नियत परिसम्पत्तियों / अमूर्त परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास / ऋणशोधनः

5.1. e Provisions for claims repudiated by the company but contested by the claimants in courts/ombudsman/ arbitration etc. have been made where the management is of the opinion that the awards are likely to go against the company.

6. Salvage and claim Recoveries

Disposal of salvage / recoveries under claims, are accounted for on realization and credited to claims.

7. Expenses of Management-Apportionment:

Expenses of Management other than policy stamps are apportioned to the Revenue Accounts on the basis of the gross direct premium plus reinsurance premium accepted giving weightage of 100% each for Fire and Miscellaneous business and 75% for Marine business. Expenses relating to Policy Stamps are directly taken to respective Revenue Accounts. Expenses relating to investments such as, safe custody, bank charges on collection of interest and dividend etc. are apportioned between Revenue Accounts and Profit and Loss Account on the basis of Policy Holders' Fund and Shareholders' Fund as at the beginning of the year.

8. Fixed Assets:

- **8.1** House Properties (inclusive of cost of shares in Co-operative societies for property rights acquired) are included under the head "Leasehold property/ Freehold Buildings".
- **8.2** Fixed assets are valued at cost less depreciation. Cost includes cost of acquisition and other direct expenditure incurred for acquisition of assets.
- **8.3** Assets acquired but not put to use are classified under "Capital Work in Progress".

9. Depreciation/Amortization on Fixed



- 9.1 मूल्यहास का प्रावधान कम्पनी अधिनियमए 2013 की धारा 123 के अंतर्गत अनुसूची ॥ में यथा निर्धारित उपयोगी जीवन के आधार पर किया जाता है। दिनांक को मौजदा परिसम्पत्तियों की वहन लागत और इसके बाद अनुवर्ती क्रयों की लागत का मुल्यहास परिसम्पत्तियों के उपयोगी जीवनकाल पर किया जाता है जिसमें कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुसार सरल रेखा पद्धति द्वारा अवशिष्ट मूल्य को छोड़ दिया जाता है।
- 9.2 अमृत परिसम्पत्तियों को उनके अर्जन की लागत पर लेखांकित किया जाता है और लेखाकरण मानक एएस 26 के संदर्भ सहित कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसार 3 वित्त वर्षों के अनुमानित उपयोगी जीवनकाल पर परिशोधित किया जाता है।

9क. 1 जहां कम्पनी पट्टाधारी होः

वे पट्टे जहाँ पट्टाधारी प्रभावी रूप से पट्टे की शर्त पर स्वामित्व के सभी जोखिमों और लाभों को उल्लेखनीय रूप से धारित करता है. प्रचालनिक पट्टों के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं। प्रचालनिक पट्टा भुगतानों को पट्टे की अवधि के दौरान सरल रेखा आधार पर लाभ हानि लेखे में खर्च के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

9क. 2 जहां कम्पनी पट्टाकार हो:

प्रचालनिक पट्टों के अध्यधीन परिसम्पत्तियों को रथायी परिसम्पत्तियों में शामिल किया जाता है। पटटा आय को करार में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसार लाभ हानि लेखे में स्वीकृत किया जाता है। मूल्यहास सहित लागतों को लाभ हानि लेखो में खर्च के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

10. निवेशः

लागत में अर्जन पर प्रीमियम, दलाली जैसे 10.1 खर्चे, अंतरण स्टाम्पें, अंतरण प्रभार आदि शामिल होते हैं, और यह इन पर प्राप्त प्रोत्साहन राशि / शुल्क, यदि कोई हो, से निवल होती है।

Assets/Intangible Assets:

- 9.1 Depreciation is provided on the basis of useful life as prescribed in Schedule Il under section 123 of The Companies Act, 2013. The carrying cost of existing assets on 01.04.2014 and of subsequent purchases thereafter is depreciated over the useful life of the assets leaving a residual value by Straight Line method as per The Companies Act 2013.
- 9.2 Intangible Assets are accounted for at their cost of acquisition and amortized over the estimated useful life of 3 financial years in accordance with The Companies Act, 2013 with reference to AS 26.

9A. 1 Where the Company is the lessee:

Leases where the lessor effectively retains substantially all the risks and benefits of ownership of the leased term, are classified as operating leases. Operating lease payments are recognized as an expense in the Profit & Loss Account on a straight line basis over the lease term.

9A.2 Where the Company is the lessor:

Assets subject to operating leases are included in fixed assets. Lease income is recognized in the P & L Account as per the terms specified in the agreement. Costs, including depreciation are recognized as an expense in the Profit & Loss Account.

10. Investments:

- 10.1 cost includes premium on acquisition, expenses like brokerage, transfer stamps, transfer charges etc., and is net of incentive/fee, if any, received thereon.
- Market 10.2 Short Term Money instruments such as certificates of



- 10.2 जमा राशि के प्रमाणपत्रों और वाणिज्यिक दस्तावेजों जैसे अल्पावधिक राशि बाजार विलेख, जिन पर संविदा के समय सहमत दरों पर छूट दी जाती है, को छूटप्राप्त मूल्य पर लेखांकित किया जाता है।
- 10.3 सरकारी प्रतिभूतियों और प्रतिदेय अधिमान्य शेयरों सहित ऋण प्रतिभूतियों में निवेश को "परिपक्वता पर धारि" माना जाता है और इसका मूल्यांकन लागत पर किया जाता है और प्रतिभूतियों पर प्रदत्त प्रीमियम को परिपक्वता की अवशिष्ट अवधि पर परिशोधित किया जाता है।
- 10.4 इक्विट शेयरों के संबंध में निवेश पोर्टफोलियों को सक्रिय रूप से कारोबार किए जाने वाले, कम कारोबार किए जाने वाले और असूचीबद्ध के रूप में पृथक—पृथक किया जाता है।
- 10.4.1 भारत में सक्रिय रूप से कारोबार किए गए इक्विटी शेयरों का मूल्य निर्धारण मार्च महीने में एनएसई में व्यक्त अंतिम मूल्य पर किया गया है जिसका चयन प्रमुख एक्सचेंज के तौर पर किया गया है और यदि ऐसी प्रतिभूति प्रमुख एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है / कारोबार नहीं किया जाता है, तो इसका मूल्य—निर्धारण मार्च महीने में बीएसई में व्यक्त अंतिम मूल्य पर किया गया है जिसका चयन द्वितीयक एक्सचेंज के तौर पर किया गया। अतृप्त लाभ / हानि को उचित मूल्य परिवर्तन लेखे में लेखांकित किया जाता है।
- 10.4.2 भारत से बाहर निगमित कम्पनियों में धारित इिक्वटी शेयरों सिहत कम कारोबार किए जाने वाले / असूचीबद्ध इिक्वटी शेयरों का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है। तथापि, ऐसे निवेशों के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान किया जाता है जब विश्लेषित मूल्य लागत से कम पड़ता हो। विश्लेषित मूल्य के नकारात्मक होने की स्थिति में, बही मूल्य के समतुल्य राशि के लिए प्रावधान किया जाता है।
- 10.5 अधिमान्य शेयरों के मामले में, जहां ऋण

- deposit and commercial papers, which are discounted at the time of contract at the agreed rates, are accounted at the discounted value.
- Investments in debt securities including Government securities and redeemable preference shares are considered as "held to maturity" and are valued at cost and the premium paid on securities is amortized over the residual period of maturity.
- 10.4 Investment Portfolio in respect of Equity Shares is segregated into actively traded, thinly traded and unlisted.
- 10.4.1 Actively traded equity shares in India, are valued at the last quoted closing price at NSE in the month of March which is selected as the Primary Exchange and in case such security is not listed/not traded on the Primary Exchange, the same will be valued at the last quoted closing price at BSE in the month of March which is selected as the Secondary Exchange. The unrealized gain/losses are accounted in Fair Value Change Account."
- 10.4.2 Investment in thinly traded/
 unlisted equity shares including
 held in Companies incorporated
 outside India are valued at cost.
 However, provision is made
 for diminution in value of such
 investments when the break-up
 value falls below the cost. In case
 the break-up value is negative,
 provision is made for an amount
 equivalent to the book value.
- 10.5 In case of Preference Shares, where redemption proceeds are due for



शोधन आगम तीन वर्ष से अधिक समय से देय हैं, देय राशि के लिए प्रावधान किया जाता है।

क्षति 10.6

इक्विटी और अधिमान्य शेयरों में क्षिति की स्वीकृति तब की जाती है, जहां कम्पनियों को बिल्कुल पिछले तीन वर्ष से निरंतर हानि हो रही हो और जिनकी पूंजी अंशतः / पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गई हो या जहां बिल्कूल पिछले तीन वर्षों के लिए वार्षिक लेखे उपलब्ध न हों। ऐसी कम्पनियों में शेयरों के निवेश का मूल्यांकन निम्नानुसार किया जाता है।

10.6.1 इक्विटी शेयरः

सक्रिय रूप से कारोबार किए जाने वाले शेयरों के मामले में, अंतिम उद्धृत अंतिम मूल्य पर (उपर्युक्त लेखाकरण नीति 10.4.1 के अनुसार), या बही मूल्य पर, जो भी कम हो।

ख) कम कारोबार किए जाने वाले/ असूचीबद्ध इक्विटी शेयरों के मामले में, जहां विश्लेषित मूल्य नकारात्मक हो या पिछले तीन वर्षों के लिए वार्षिक लेखे उपलब्ध न हों. अधिकतम पिछले तीन वर्षों से के अंतिम वार्षिक लेखों के अनुसार विश्लेषित मूल्य पर, प्रति कम्पनी रु.1 / – के सांकेतिक मूल्य पर मूल्यांकन किया जाता है।

10.6.2 अधिमान्य शेयरः

- क) यदि किसी कम्पनी के इक्विटी शेयरों में सक्रिय रूप से कारोबार हो रहा हो, तो इसके अधिमान्य शेयरों को उस मृल्य तक अंकित किया जाता है जो इसके बही मूल्य वाले इक्विटी शेयर के बाजार मूल्य के समान अनुपात में हो।
- ख) यदि कम्पनी के इक्विटी शेयरों में कम कारोबार हो रहा हो / असूचीबद्ध हों, तो इसके अधिमान्य शेयरों को उस मूल्य

more than three years, provision is made for the amount due.

10.6 **Impairment**

Impairment is recognized in equity and preference shares, where the companies have been making losses continuously for the three immediately preceding years and whose capital is impaired partially/ fully or where the annual accounts for the three immediately preceding years are not available. Investments in shares of such companies are valued as under:

10.6.1 **Equity Shares:**

In the case of actively traded equity shares, at the last quoted closing price(as per Accounting Policy 10.4.1 above), or book value whichever is lower.

b) In case of thinly traded/unlisted equity shares, at the breakup value as per latest annual accounts of the company not earlier than the three immediately preceding years.-Where the break-up value is negative or where the annual accounts are not available for the three immediately preceding years, to a nominal value of Re 1/- per company.

10.6.2 Preference shares:

- a) If the equity shares of a company are actively traded, its preference shares are written down to a value which is in the same proportion as the market value of the equity share bears to its face value.
- b) If the equity shares of a Company are unlisted/thinly



तक अंकित किया जाता है जो इसके बही मूल्य वाले इक्विटी शेयर के बाजार मूल्य के समान अनुपात में हो; जहां विश्लेषित मूल्य नकारात्मक हो या पिछले तीन वर्षों के लिए वार्षिक लेखे उपलब्ध न हों, अधिकतम पिछले तीन वर्षों से के अंतिम वार्षिक लेखों के अनुसार विश्लेषित मूल्य पर, प्रति कम्पनी रु.1/— के सांकेतिक मूल्य पर मूल्यांकन किया जाता है।

- 10.6.3 क्षिति हानि, जिसका प्रावधान लेखाकरण नीति संख्या 10.6 के रूप में किया गया है, दिनांक 01/04/2000 के बाद, केवल तभी लिखित और राजस्व/लाभ—हानि लेखे में केवल तभी स्वीकृत की जाती है जब संचित हानियां पूरी तरह समाप्त हो चुकी हों और पूंजी नवीनतम उपलब्ध प्रकाशित खातों के अनुसार पूरी तरह बहाल हो चुकी हो। तथापि, जहां अधिमान्य शेयरों के परिशोधन आगम तीन वर्ष से अधिक समय से देय हों, ऐसे मामलों में क्षिति हानि का व्युत्क्रमण इक्विटी और अधिमान्य दोनो शेयरों में नहीं किया जाता।
- 10.7 म्युचुअल निधियों में निवेश का मूल्यांकन निवल परिसम्पत्ति मूल्य (एनएवी) पर किया जाता है और अप्राप्त लाभों / हानियों को ''अचित मूल्य परिवर्तन लेखे'' में लेखांकित किया जाता है।
- 10.8 उद्यम पूंजी निधि की यूनिटों में निवेशों का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है। तथापि यदि अंतिम निवल परिसम्पत्ति मूल्य (पिछले 18 महीनों के दौरान उपलब्ध) लागत से कम हो, तो मूल्य में कमी के लिए प्रावधान लागत और निवल परिसम्पत्ति मूल्य के बीच के अंतर की सीमा तक किया जाता है। पहले से स्वीकृत हानि की सीमा तक एनएवी में कोई भी विनियोजन राजस्व में ले जाया जाता है।
- 10.9 मानक / निष्क्रिय ऋणों / जमा राशियों / डिबेंचरों के लिए प्रावधान आईआरडीएआई द्वारा जारी आय स्वीकृति, परिसम्पत्ति

traded, its preference shares are written down to a value, which is in the same proportion as the break-up value of equity share bears to its face value; where the break up value of equity share is negative or where the annual accounts are not available for the three immediately preceding years, to a nominal value of Re 1/- per company.

- 10.6.3 Impairment loss, provided in terms of accounting policy NO 10.6, after 01/04/2000, is written back and recognized in Revenue / Profit and Loss Account only in case the accumulated losses are fully wiped out and capital fully restored as per the latest available published accounts. However, reversal of impairment loss is not recognized for both equity and preference shares in cases where the redemption proceeds of preference shares are due for more than three years.
- 10.7 Investments in units of Mutual Funds are valued at Net Asset Value (NAV) and the unrealized gains/losses are accounted in "Fair Value Change Account".
- 10.8 Investments in units of Venture Capital Fund is valued at cost. However in case the latest Net Asset Value (available during last 18 months) is below Cost, the provision is made for diminution in the Value of Investment to the extent of difference between Cost and Net Asset Value. Any appreciation in the NAV to the extent of loss earlier recognized is taken to revenue.
- **10.9** Provisions for standard/non-



वर्गीकरण और प्रावधान प्रक्रिया से संबंधित विवेकपूर्ण मानदंडों / आरबीआई के संबंधित दिशानिर्देशों के आधार पर किया जाता है।

11. कर्मचारी लाभः

- कर्मचारियों को ग्रेच्युटि और पेंशन लाभों 11.1 के लिए देनदारी का निर्धारण वर्षांत में बीमांकिक के मुल्यांकन के अनुसार उपचय आधार पर किया जाता है और इसे एक अनुमोदित निधि द्वारा शासित किया जाता है ।
- छुट्टी नकदीकरण और अन्य परिभाषित 11.2 कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान वर्षांत में बीमांकिक के मुल्यांकन के आधार पर किया जाता है।
- कम्पनी पूर्वनिर्धारित दरों पर भविष्य निधि में 11.3 नियत अंशदान एक पृथक ट्रस्ट में करती है, जो निधियों को अनुमेय प्रतिभृतियों में निविष्ट करता है। अवधि के लिए निधि में अंशदान को खर्च के रूप में स्वीकत किया जाता है और लाभ हानि लेखे में लेखांकित किया जाता है कम्पनी की देनदारी ऐसे नियत अंशदान तक सीमित है।

12. कराधानः

कर खर्चे (कर बचत) चालू वर्ष, पूववर्ती वर्ष के कर और आस्थिगित कर का सकल होते हैं। इनको लाभ हानि लेखे में प्रभारित (या नामे डाला) किया जाता है।

- चालु वर्ष प्रभारः कराधान के लिए प्रावधान 12.1 में शामिल है:
 - क) आयकर अधिनियम 1961 के अधीन यथा निर्धारित कम्पनी के आकलनीय लाभों पर कराधान के लिए प्रावधान
 - ख) सम्पत्ति कर अधिनियम 1957 के अधीन यथा निर्धारित सम्पत्ति कर का प्रावधान
- 1.2 **पूर्ववर्ती वर्ष प्रभारः** प्रावधानों को, अस्वीकृति या किसी अन्य कारण से अपील के अधीन मामलों के लिए, समीचीन

performing loans/deposits/ debentures are made on the basis of prudential norms for income recognition, asset classification and provisioning issued by IRDAI / related RBI Guidelines

11.1 Employees' Benefits:

- The liability for gratuity and pension benefits to employees is determined on accrual basis as per the actuarial valuation at the year end and is administered through an approved fund.
- 11.2 Provisions for leave encashment and other defined employee benefits are made on the basis of actuarial valuation at the year end.
- 11.3 **TheCompanypaysfixedcontribution** to Provident Fund at predetermined rates to a separate trust, which invests the funds in permitted securities. The contribution to the fund for the period is recognized as expense and is charged to the Profit & Loss Account. The obligation of the Company is limited to such fixed contribution.

12. Taxation:

Tax expense (tax saving) is the aggregate of current year tax, earlier year tax and deferred tax. These are charged (or credited) to the Profit and Loss Account.

- 12.1 Current year charge: The provision for taxation includes:
 - a) Provision for taxation assessable profits of the company as determined under Income Tax Act 1961.
 - **b)** Provision of Wealth Tax as determined under the Wealth Tax Act, 1957.
- 1.2 Earlier year charge: Provisions are recorded,

समझे गए अनुसार अभिलेखबद्ध किया जाता है।

1.3 आस्थिगत करः कम्पनी वित्तीय विवरणिकाओं में मदों की स्वीकृति और अपने चालू आय कर प्रावधानों का प्राक्कलन करने के परिणामस्वरूप होने वाले कालांतों के कर प्रभाव के आधार पर देनदारी की पद्धति का उपयोग करते हुए आस्थिगित कर के लिए प्रावधान करती है। अस्थायी कालांतरों से उत्पन्न होने वाली आस्थगित कर परिसम्पत्तियों को उस सीमा तक स्वीकृत किया जाता है जहां तक यह औचित्यपूर्ण निश्चितता हो कि परिसम्पत्तियों को भविष्य में प्राप्त किया जा सकता है।

13. अदावी जमा शेषः

ऐसे चेकों को छोड़कर जो सांविधिक भुगतानों, एमएसीटी दावों या प्रीमियम के रिफंड, दावों के भूगतान या अन्य देयताओं के लिए पॉलिसीधारकों को जारी किए गए हों. जारी करने की तारीख से 3 वर्षों से अधिक समय से दावा न किए गए गतावधि चेकों को प्रतिलेखित किया जाता है। अन्य पुराने जमा शेषों, जो 3 वर्षों से अधि ाक समय से अदावी हों, मामला दर मामला आधार पर प्रतिलेखित किया जाता है। पॉलिसीधारकों से संबंधित अदावी चेकों को ''पॉलिसीधारकों के देयता खाते'' में अंतरित कर दिया जाता है।

- as considered appropriate, for matters under appeal due to disallowances or for other reasons.
- 1.3 **Deferred Tax:** The Company provides for deferred tax using the liability method, based on the tax effect of timing differences resulting from the recognition of items in the financial statements and in estimating its current income tax provision. Deferred Tax Assets arising from temporary timing differences are recognized to the extent there is reasonable certainty that the assets can be realised in future.-

13. Unclaimed Credit Balances:

Stale cheques unclaimed for more than 3 years from the date of issue, except those related to Statutory Payments, MACT Claims or issued to policyholders towards refund of premium, claims payment or other dues, are written back. Other old credit balances unclaimed for more than 3 years are written back on case to case basis. Unclaimed Cheques related to policyholders' dues are transferred to "Policyholders' Dues Account".



ख. खातों का भाग बनाने वाली टिप्पणियां

आईआरडीएआई द्वारा अपेक्षित विवरणों का प्रकटन

B. NOTES FORMING PART OF ACCOUNTS

Disclosures of particulars as required by IRDAI.

(₹ in lacs)

	O	21 02 2015 -	31.03.2014 को
क्र.सं.	विवरण	31.03.2015 को	
SI.	Particulars	As at	As at
No.		31.03.2015	31.03.2014
1.	आकरिमक देयताएं		
	Contingent Liabilities		
क	आंशिक चुकता निवेश	2292.67	1912.69
a.	Partly Paid Investments		
ख	जोखिम अंकन प्रतिबद्धता बकाया	NIL	NIL
b	Underwriting Commitment Outstanding		
ग	ऐसे दावों के अतिरिक्त अन्य दावे जिन्हें पॉलिसियों के	175.15	153.40
	अंतर्गत ऋण नहीं माना गया		
С	Claims, other than those under policies, not		
	acknowledged as Debt		
घ	कंपनी द्वारा या उसकी ओर से दी गई गारंटी	NIL	NIL
d	Guarantee given by or on behalf of the Company		
ड़	विवादास्पद सांविधिक मांग / देनदारी, जिनके लिए प्रावधान	5671.12#	35554.48*
	नहीं किया गया है		
e	Statutory demands/ liabilities, in dispute, not		
	provided for		
च	उस सीमा तक पुनर्बीमा दायित्व जिसके लिए लेखा में प्रावध	NIL	NIL
	ाान नहीं किया गया		
f	Reinsurance obligations to the extent not provided		
	for in Accounts		
ਬ	अन्य	118.01	132.15
g	Others		

^{* 35554.48} लाख रुपए में नई दिल्ली में आयकर प्राधिकारियों द्वारा दंड के रूप में लगाए गए 17388.50 लाख रुपए और 18128. 94 लाख रुपए (क्रमशः आकलन वर्ष 2005–06 और 2010–11 के लिए) जम्मू में सेवा कर प्राधिकरण द्वारा सेवा कर के लिए वसूले गए ब्याज के 4.90 लाख रुपए, हैदराबाद में आयकर प्राधिकारियों द्वारा एमएसीटी ब्याज पर टीडीएस के लिए वसूले गए 23.14 लाख रुपए और उच्च न्यायालय, हैदराबाद में पूर्व कर्मचारी द्वारा दायर मुकदमें (2013–14) के लिए 9 लाख रुपए शामिल हैं। * Rs.35554.48 lacs comprises of Rs. 17388.50lacs and Rs. 18128.94 lacs, being Penalty (for the AYs 2005-06 and 2004-05 respectively) imposed by Income Tax Authorities in New Delhi ,Rs.4.90 lacs being interest on Service tax 2007-08 levied by Service tax Authority in Jammu, Rs.23.14 lacs towards TDS on MACT interest levied by Income tax Authorities in Hyderabad and Rs.9 lacs towards case filed by ex-employee in the High Court, Hyderabad (2013-14).

5671.12 लाख रुपए में नई दिल्ली में आयकर प्राधिकारियों द्वारा दंड के रूप में लगाए गए 5628.48 लाख रुपए और 5.60 लाख रुपए (क्रमशः आकलन वर्ष 2005-06 और 2010-11 के लिए) जम्मू में सेवा कर प्राधिकरण द्वारा सेवा कर के लिए वसूले गए ब्याज के 4.90 लाख रुपए, हैदराबाद में आयकर प्राधिकारियों द्वारा एमएसीटी ब्याज पर टीडीएस के लिए वसूले गए 23.14 लाख रुपए और उच्च न्यायालय, हैदराबाद में पूर्व कर्मचारी द्वारा दायर मुकदमें (2013–14) के लिए 9 लाख रुपए शामिल हैं।



Rs.5671.12 lacs comprises of Rs.5628.48 lacs and Rs.5.60 lacs, being Penalty (for A.Ys 2005-06 and 2010-11 respectively) imposed by Income Tax Authorities in New Delhi, Rs.4.90 lacs being interest on Service tax 2007-08 levied by Service tax Authority in Jammu, Rs.23.14 lacs towards TDS on MACT interest levied by Income tax Authorities in Hyderabad and Rs.9 lacs towards case filed by ex-employee in the High Court, Hyderabad (2013-14).

(₹ in lacs)

			` '		
2.	भारत में तथा भारत से बाहर कंपनी की परिसंपत्तियों पर ऋण भार Encumbrances to assets of the Company in and outside India				
		31.03.2015 को	31.03.2014 को		
		As at	As at		
		31.03.2015	31.03.2014		
	क. न्यायालय के आदेशों से सील हुए बैंक खाते	60.78lacs	49.36 lacs		
	a. Bank Accounts frozen as per Court Orders				
	ख. सरकार की ओर से पर्यावरण राहत कोष के अंतर्गत				
	रोकी गई जमा राशियां	NIL	NIL		
	b. Deposits held under Environment Relief fund				
	on behalf of the Government				

(₹ in lacs)

3.	ऋणों, निवेशों एवं स्थायी परिसंपत्तियों के वचनबद्धताएं एवं बकाया (लाख रुपए में)				
	Commitments made and outstanding for loans, investments and Fixed Assets(Rs. In lacs)				
		31.03.2015 को	31.03.2014 को		
		As at	As at		
		31.03.2015	31.03.2014		
	क. ऋण	1.80	1.80		
	a. Loans				
	ख. आंशिक चुकता शेयर	15.13	15.13		
	b. Partly Paid Shares				
	ग. अग्रिम घटाते हुए पूंजी प्रतिबद्धताएं	25388.10	5408.30		
	c. Capital Commitments Net of Advances				

			(\ III lacs)		
4.	4. पुनर्बीमा घटाते हुए चुकता दावे Claims less Reinsurance, paid to				
		31.03.2015 को	31.03.2014 को		
		As at	As at		
		31.03.2015	31.03.2014		
		(लाख रुपए में)	(लाख रुपए में)		
	क. भारत में दावेदार	498875.11	429833.99		
	a. Claimants in India				
	ख. भारत से बाहर दावेदार	9108.70	18202.85		
	b. Claimants outside India				
	ग. कुल	507983.81	448036.84		
	c. Total				



5. जिन दावों के भूगतान को चार वर्ष से अधिक का समय हो गया है उन दावों के मामले में दावा देनदारियों के निर्धारण के लिए बीमांकिक अनुमान

जहां दावा भुगतान की अवधि चार वर्ष से अधिक हो गई है वहां कंपनी ने कोई पॉलिसी जारी नहीं की है।

5. Actuarial assumptions for the determination of claim liabilities in the case of claims where the claim payment period exceed four years.

The Company has not issued any policy where claim payment period exceeds four years.

- 6. दावों की अवधि (आईबीएनआर को छोडकर प्रत्यक्ष)
- क) भारत के भीतर
- 6. Ageing of claims (Direct excluding IBNR)
- a) Within India

(₹ in lacs)

व्यवसाय का वर्ग	वर्ष Year	बकाया दावे Claims outstanding for					
Class of Business			से ज्यादा n six months	छह माह Less than s			ਰੂਲ otal
Dusilless		wore that संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
		Number	Amount	Number	Amount	Number	Amount
अग्नि	As at 31.3.2015	1983	137813.20	1628	53217.45	3611	191030.65
Fire	As at 31.3.2014	1936	124529.42	1478	36147.65	3414	160677.07
मरीन	As at 31.3.2015	1878	30487.59	2327	31898.89	4205	62386.48
Marine	As at 31.3.2014	1942	51687.22	1966	9179.76	3908	60866.98
विविध	As at 31.3.2015	164263	319195.79	86959	150620.80	251222	469816.59
Misc	As at 31.3.2014	220383	343384.35	103039	96481.74	323422	439866.09
कुल	As at 31.3.2015	168124	487496.58	90914	235737.14	259038	723233.72
Total	As at 31.3.2014	224261	519600.99	106483	141809.15	330744	661410.15

ख) भारत से बाहर

b) Outside India

व्यवसाय का वर्ग	वर्ष Year	बकाया दावे Claims outstanding for					
Class of Business			से ज्यादा six months	_	ह से कम six months		ਰੂਲ otal
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
		Number	Amount	Number	Amount	Number	Amount
अग्नि	As at 31.3.2015	42	2013.67	40	325.27	82	2338.94
Fire	As at 31.3.2014	67	292.53	52	2126.85	119	2419.38
मरीन	As at 31.3.2015	57	318.07	75	218.54	132	536.61
Marine	As at 31.3.2014	79	212.97	60	228.82	139	441.79
विविध	As at 31.3.2015	2488	4503.80	1339	1776.63	3827	6280.43
Misc	As at 31.3.2014	1566	1736.58	2774	6298.04	4340	8034.62
कुल	As at 31.3.2015	2587	6835.54	1454	2320.44	4041	9155.98
Total	As at 31.3.2014	1712	2242.08	2886	8653.71	4598	10895.79



ग) कुल c) Total

(₹ in lacs)

व्यवसाय का वर्ग Class of Business	वर्ष Year	_	ह से ज्यादा n six months	Claims out छह मार	या दावे tstanding for ह से कम six months		<u>जूल</u>
Dusiness		संख्या Number	n six months राशि Amount	संख्या Number	six months राशि Amount	संख्या Number	otal राशि Amount
अग्नि	As at 31.3.2015	2025	139826.87	1668	53542.72	3693	193369.59
Fire	As at 31.3.2014	2003	124821.95	1530	38274.50	3533	163096.45
मरीन	As at 31.3.2015	1935	30805.66	2402	32117.43	4337	62923.09
Marine	As at 31.3.2014	2021	51900.19	2026	9408.58	4047	61308.78
विविध	As at 31.3.2015	166751	323699.59	88298	152397.43	255049	476097.02
Misc	As at 31.3.2014	221949	345120.93	105813	102779.78	327762	447900.71
कुल	As at 31.3.2015	170711	494332.12	92368	238057.58	263079	732359.70
Total	As at 31.3.2014	225973	521843.07	109369	150462.86	335342	672305.94

7.	पुनर्बीमा जोखिम अंकन घटाते हुए प्रीमियम Premium less Reinsurance underwritten from		
		31.03.2015	31.03.2014
		(लाख रूपए में)	(लाख रूपए में)
		As at 31.03.2015	As at 31.03.2014
		(Rs. In Lacs)	(Rs. In Lacs)
	क. भारत में कारोबार	631078.21	617810.43
	a. Business in India		
	ख. भारत से बाहर कारोबार	16160.50	20336.45
	b. Business outside India		
	ग. कुल	647238.71	638146.88
	c. Total		

- 8. क्या बाह्य प्रमाणों पर विश्वास किया गया है अथवा नहीं, इस तथ्य सहित आधार और उसके प्रमाणन के साथ श्रेणीवार विभिन्न जोखिम प्रणाली के आधार पर प्रीमियम आय की मात्रा स्वीकृत की जाती है:
 - प्रत्येक संबंधित राजस्व लेखा में जोखिमों के अनुमान के आधार पर पुनर्बीमा को घटाते हुए प्रीमियमों को स्वीकृत किया जाता है और असमाप्त जोखिमों के लिए राजस्व उसकी प्रतिशतता पर आधारित होता है, जो कि बीमा अधिनियम, 1938 के अनुसार अग्नि, मैरीन कार्गो और विविध व्यवसाय के मामले में 50 प्रतिशत और मैरीन हल व्यवसाय के मामले में 100 प्रतिशत होता है।
- **8.** Extent of premium income recognized, based on varying risk pattern, category wise, with basis and certification thereof, including whether reliance has been placed on external evidence:
 - Premiums are recognized, net of reinsurance, based on assumption of risks in each related Revenue account and Reserve for Unexpired Risks is based on a percentage thereof, being 50% in case of Fire, Marine Cargo and Miscellaneous business and 100% in case of Marine Hull business as per Insurance Act,1938.



(₹ in lacs)

9.	निवेशों के संबंध में अनुबंधों का मूल्य Value of contracts in relation to investments for		
		31.03.2015	31.03.2014
		(लाख रूपए में)	(लाख रूपए में)
		As at 31.03.2015	As at 31.03.2014
	क. खरीद जहां आपूर्ति लंबित है	शून्य	शून्य
	a. Purchases where deliveries are pending	NIL	ÑIL
	ख. बिक्री, जहां भुगतान अतिदेय है	शून्य	शून्य
	b. Sales where payments are overdue	NIL	NIL

(₹ in lacs)

		31.03.2015	31.03.2014
		(लाख रूपए में)	(लाख रूपए में)
		As at 31.03.2015	As at 31.03.2014
10.	उचित मूल्य आधार पर मूल्यांकित इक्विटी शेयरों / म्यूचुअल	218379.10	223086.92
	फंडों की इकाइयों की ऐतिहासिक लागत		
	Historical cost of Equity Shares/ Units of Mutual		
	Funds valued on Fair Value Basis		

11. पबंधकीय पारिश्वमिक की गणना

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के प्रावधानों के अनुसार, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों और निदेशकों को अदा किए जाने वाले पारिश्रमिक की गणना धारा 198 में निर्धारित तरीके से की जाती है और यह कंपनी के निवल लाभों के 11 प्रतिशत से अधिक नहीं होती। गत वर्ष तक, कंपनी को सरकारी कंपनी होने की वजह से कंपनी अधिनियम की धारा 620 के अंतर्गत दिनांक 31 जनवरी 1978 की अधिसूचना जीएसआर 235 के द्वारा छुट प्राप्त थी।

11. Computation of managerial remuneration

As per provisions of section 197 of the Companies Act, 2013, remuneration paid to Key Managerial Personnel and directors has been computed in the manner laid down in Section 198 and does not exceed 11% of the net profits of the Company. Till previous year, the company being a Government Company was exempted vide notification GSR 235 dated 31st January 1978 under section 620 of the Companies Act, 1956.

12 ऋण प्रतिभृतियों के परिशोधन के आधार पर:-

ऋण प्रतिभृतियों का परिशोधन परिपक्वता के तारीख तक अवशिष्ट दिनों की संख्या के आधार पर किया जाता है। परिशोधन की गणना करते समय पुट / कॉल के विकल्प पर विचार नहीं किया जाता। बहरहाल, आंशिक शोधन, यदि कोई हो, पर विचार किया जाता है।

12. Basis of Amortization of Debt Securities:-

Debt Securities are amortized on the basis of residual number of days up to the date of maturity. While working out amortization put/call option is not considered. However, partial redemption, if any, is taken into account.

13 उपार्जन के लंबित रहते, 'उचित मूल्य परिवर्तन खाता' में ऋण शेष वितरण के लिए उपलब्ध नहीं है।

13. Pending realization, the credit balance in the 'Fair value change Account' is not available for distribution.



14. निवेश संपदा का उचित मूल्य एवं उसका आधार

आईआरडीएआई (बीमा कंपनियों का वित्तीय विवरण एवं लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट तैयार करना), विनियमन, 2002 के अंतर्गत आवश्यक निवेश संपदा (रीयल एस्टेट) का मूल्य ऐतिहासिक लागत में से संचयी मूल्यह्यास एवं हानि, यदि कोई हो, पर आंका गया है।

14. Fair value of Investment Property and basis thereof

As required under the IRDAI (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations, 2002, the value of Investment Property (Real Estate) has been valued at historical cost less accumulated depreciation and impairment loss, if any.

(₹ in lacs)

		31.03.2015	
		(लाख रूपए में)	(लाख रूपए में)
		As at 31.03.2015	As at 31.03.2014
15.	तुलन पत्र की तिथि को निस्तारित दावे तथा 6 माह से अधि		
	ाक समय से गैर चुकता शेष	5.30	6.18
	Claims settled and remaining unpaid for more		
	than 6 months as on the Balance Sheet date		

16.	सांविधिक अपेक्षाओं के अनुरूप किए गए निवेश Investments made in accordance with statutory requ	uirements	
		31.03.2015	31.03.2014
		(लाख रूपए में)	(लाख रूपए में)
		As at 31.03.2015	As at 31.03.2014
	क. बीमा अधिनियम, 1938 की धारा ७ के अनुरूप केंद्र	1711.07	1711.92
	सरकार की 6.01 प्रतिशत प्रतिभूतियां 2028 एचडीएफसी बैंक	F.V.1700.00	F.V.1700.00
	के पास जमा		
	a. 6.01% Central Government Securities 2028		
	deposited with HDFC Bank in accordance with		
	Section 7 of Insurance Act, 1938		
	ख. स्थानीय कानूनों के अंतर्गत सांविधिक जमा के रूप में	10470.54	9044.64
	भारत से बाहर किए गए निवेश		
	b. Investments made outside India by way of		
	Statutory Deposits under local laws		
	ग. सेबी के निर्देशों के अनुरूप संस्थागत व्यापार के लिए	500.00	500.00
	मार्जिन के रूप में सावधि जमा		
	c. Fixed Deposits as margins for Institutional Trades		
	as per SEBI directives		



(₹ in lacs)

लेखाकरण नीति संख्या 10.8 के अनुरूप आय की स्वीकृति के उद्देश्य से ऋण सहित सक्रिय' एवं गैर सक्रिय* 17. निवेश का विवरण नीचे दिए गए विवरण के अनुसार है:

Performing* and non-performing* investments including loans for the purpose of income recognition as per Accounting Policy No. 10.8 are as under:

	31.03.2015 (लाख रूपए में) As at 31.03.2015	31.03.2014 (लाख रूपए में) As at 31.03.2014
क. सक्रिय निवेश a. Performing Investments	863873.32	786713.15
ख. गैर—सक्रिय निवेश b. Non-Performing Investments	6775.01	5405.24
ग. कुल c. Total	869540.00	792118.39

^{&#}x27;म्यूचुअल फंड, वेंचर फंड, इक्विटी एवं अधिमानी शेय<mark>रों को छोड़कर</mark>

18. पिछले पांच वर्षों के लिए वित्तीय विवरणों का सारः

पिछले पांच वर्षों के लिए वित्तीय विवरणों का सार निम्नानुसार है:

18. Summary of financial statements for the last 5 years:

The summary of financial statements of the Company for the last five years are as under:

	वित्तीय विवरणों का सार Summary of Financial Statements										
쿐.	विवरण 2014-15 2013-14 2012-13 2011-12 2										
सं.	प्रचालन परिणाम										
SI.	Particulars										
No.	OPERATING RESULTS										
1	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम	756193	728254	673766	619460	556988					
	Gross Direct Premium										
2	निवल प्रीमियम	647238	638147	554524	523665	461158					
	Net Premium										
3	निवेश से आय (निवल)	210054	191740	185032	161920	178772					
	Income from Investment										
	(net)										
4	अन्य आय	4894	3325	357	2453	967					
	Other Income										
5	कुल आय	862186	833212	739913	688038	640897					
	Total Income										
6	कमीशन (निवल) (दलाली सहित)	34782	35744	30467	32453	28590					
	Commission(Net)(Including										
	Brokerage)										

^{*} Excluding mutual fund, venture fund, equity and preference shares.

द ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

	वित्तीय विवरणों का सार Summary of Financial Statements								
क्र. सं. SI. No.	विवरण प्रचालन परिणाम Particulars OPERATING RESULTS	ummary of Fi 2014-15	2013-14	2012-13	2011-12	2010-11			
7	प्रचालन व्यय Operating Expenses	234798	177543	174870	135446	157254			
8	निवल उपगत दावे Net Incurred Claims	526150	511102	439285	489306	406536			
9	निवल असमाप्त जोखिम रिजर्व में परिवर्तन Change in Unexpired Risk Reserve	4722	42750	15817	-5801	30476			
10	प्रचालन लाभ / हानि Operating Profit/Loss	61734	66073	79474	36634	18041			
	गैर-प्रचालन परिणाम NON OPERATING RESULT								
11	शेयरधारक लेखा के तहत कुल आय Total Income under Shareholder"s account								
12	कर पूर्व लाभ / (हानि) (घटाएं: पूर्वावधि मदें) Profit/(loss) before tax (less: Prior period items)	62035	65381	79520	36241	17939			
13	कर के लिए प्रावधान (पूर्ववर्ती वर्षी तथा डीटीए / डीटीएल के लिए प्रावधान सहित) Provision for tax (including provision for earlier years and DTA/DTL)	22825	19352	26131	10902	12477			
14	कर पश्चात लाभ / (हानि) Profit/(loss) after tax	39210	46029	53389	25339	5462			
15	पॉलिसी धारक का लेखाः Policyholder"s Account:								
	कुल निधि Total funds	1053979	1031090	925275	831309	716955			
	कुल निवेश Total Investments	1609782	899955	827144	726184	643420			
	निवेश पर आय Yield on Investments	9.12%	8.92%	8.95%	9.24%	8.95%			



			वेवरणों का सार			
	S		nancial State			
क्र.	विवरण	2014-15	2013-14	2012-13	2011-12	2010-11
सं.	प्रचालन परिणाम					
SI.	Particulars					
No.	OPERATING RESULTS					
16	शेयर धारकों की लेखा Shareholder"s Account					
	कुल निधि Total funds	318183	292174	258780	217852	198402
	कुल निवेश Total Investments	456160	251766	231335	190303	178053
	निवेश पर आय Yield on Investments	9.12%	8.92%	8.95%	9.24%	8.95%
17	प्रदत्त इक्विटी पूंजी Paid up Equity Capital	20000	15000	15000	10000	10000
18	निवल मूल्य Net Worth	318183	289202	252838	217852	198402
19	कुल परिसंपत्तियां Total Assets	2628486	2390805	2187937	1997121	1938831
20	कुल निवेश पर लाभ Yield on total investments	9.12%	8.92%	8.95%	9.24%	8.95%
21	प्रति शेयर उपार्जन (रुपए) Earning per share (Rs.)	19.60	30.69	35.59	25.34	5.46
22	प्रति शेयर बही मूल्य (रुपए) Book Value per share (Rs.)	159.09	192.80	168.56	217.85	198.40
23	कुल लाभांश Total Dividend	11000.00	10800.00	10650.00	5067.00	0.00
24	प्रति शेयर लाभांश (रुपए) Dividend per share (Rs.)	5.50	7.20	7.10	5.07	0.00

१९. लेखाकरण अनुपातः

वित्त वर्ष 2014–15 के लिए महत्वपूर्ण लेखाकरण अनुपात नीचे दिए गए अनुसार हैं:

19. Accounting Ratios:

The important accounting ratios for the FY 2014-15 are as under:

	गैर—जीवन बीमा कम्पनियों के लिए विश्लेषणात्मक अनुपात % Analytical Ratios for Non-Life companies %							
क्र. सं.	सं. विवरण 31.03.2015 31.03.2							
SI. No.	Particulars							
1	सकल मूल्य प्रीमियम वृद्धि दर (प्रतिशत)	3.84	8.09					
	Gross Direct Premium Growth Rate							
2	निवल मूल्य के संबंध में सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम अनुपात (प्रतिशत)	237.65	251.81					
	Gross Direct Premium to Net Worth ratio							



द ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

गैर—जीवन बीमा कम्पनियों के लिए विश्लेषणात्मक अनुपात % Analytical Ratios for Non-Life companies %								
	5. सं. I. No.	विवरण Particulars	31.03.2015	31.03.2014				
3		निवल मूल्य की वृद्धि दर Growth rate of Net Worth	10.02	14.38				
4	,	निवल प्रतिधारण अनुपात Net Retention Ratio	82.19	82.48				
5		निवल कमीशन अनुपात Net Commission Ratio	5.37	5.60				
6		सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम के संबंध में प्रबंधन व्यय अनुपात Expense of Management to Gross Direct Premium Ratio	37.24	30.62				
7		निवल लिखित प्रीमियम के संबंध में प्रबंधन व्यय अनुपात Expenses of Management to Net Written Premium Ratio	43.50	34.94				
8		निवल अर्जित प्रीमियम के संबंध में निवल उपगत दावे Net Incurred Claims to Net Earned Premium	81.89	85.84				
9		संयुक्त अनुपात Combined Ratio	123.54	119.26				
1	0	निवल प्रीमियम के संबंध में तकनीकी आरक्षित अनुपात Technical Reserves to Net Premium Ratio	1.63	1.62				
1	1	जोखिम अंकन शेष अनुपात Underwriting balance ratio	(-)0.24	(-)0.22				
1.	2	प्रचालन लाभ अनुपात Operating profit ratio	8.56	10.54				
1.	3	देयताओं के संबंध में अर्थसुलभ परिसंपत्तियों का अनुपात Liquid Assets to liabilities ratio	0.30	0.30				
1.	4	निवल उपार्जन अनुपात Net Earnings ratio	6.05	7.21				
1.	5	निवल मूल्य पर लाभ अनुपात Return on net worth ratio	12.32	15.92				
1	16	अपेक्षित ऋण शोधन क्षमता के अंतर (आरएसएम) के संबंध में उपलब्ध ऋण शोधन क्षमता के अंतर (एएसएम) का अनुपात Available Solvency Margin(ASM) to Required Solvency Margin(RSM) ratio	1.68	1.64				
1	17	सकल एनपीए अनुपात—पॉलिसी धारकों का फंडः शेयरधारक फंड Gross NPA Ratio-Policy holders funds ; Shareholder funds सकल एनपीए अनुपात Net NPA Ratio	0.35:0.10 0:0	0.42 : 0.12 0 : 0				

20. राजस्व लेखा तथा लाभ एवं हानि लेखा के बीच ब्याज, लाभांश एवं किराए के आवंटन का आधार

कंपनी की लेखाकरण नीतियों की क्रम संख्या ए4(5) के अनुरूप बयाज, लाभांश तथा किराए के रूप में प्राप्त आय को वर्ष के आरंभ में पॉलिसीधारक निधि एवं शेयरधारक नीधि के आधार पर राजस्व लेखा तथा लाभ एवं हानि लेखा के बीच आवंटित किया जाता है।



20. Basis of allocation of interest, dividends and rent between Revenue Accounts and Profit & Loss account.

As per sl. no. A 4 (5) of Accounting policies of the Company, income by way of Interest, Dividend and Rent are allocated between Revenue accounts and Profit & Loss account on the basis of Policyholders" Fund and Shareholders" Fund as at the beginning of the year.

(₹ in lacs)

21.	भारतीय प्रत्यक्ष प्रीमियम का क्षेत्रवार ब्यौरा		
	Sector-wise break-up of Indian Direct Premium		
		As at	As at
		31.03.2015	31.03.2014
	क. ग्रामीण क्षेत्र	100990.51	82877.93
	a. Rural Sector		
	ख. सामाजिक क्षेत्र	161319.85	74191.86
	b. Social Sector		
	ग. अन्य	478485.34	555714.21
	c. Others		
	घ. कुल	740795.70	712784.00
	d. Total		

22. पुनःसंरचना के अधीन निवेशों का ब्यौराः

विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत पुनः संरचित कुल परिसंपत्तियों के आंकड़ों को संकलित किया जा रहा है। संबंधित श्रेणियों के अंतर्गत वर्ष के दौरान तथा पिछले वर्ष में पूनः संरचित एवं क्रियान्वित की गई परिसंपत्तियों को नीचे दर्शाया गया है:

22. Break-up of investments subjected to restructuring

The figures of total assets restructured under various categories are being compiled. The assets restructured and implemented during the year and during previous year, under respective categories, are given below:

क्र.सं. Sr. No.	परिसंपत्ति की श्रेणी Category of Asset	पुनःसंरचना के अध्यधीन तथा कार्यान्वित की गई (वर्ष के दौरान) परिसंपत्तियां Assets subjected to Restructuring and implemented (during the year)				
		2014-15	2013-2014			
1	मानक Standard	0.00	0.00			
2	मानक से निम्नतर Sub Standard	0.00	0.00			
3	संदिग्ध Doubtful	554.11	924.16			
4	हानि Loss	0.00	0.00			
	कुल Total	554.11	924.16			

23. व्यवसाय अधिग्रहण लागत का ब्यौरा

भारतीय प्रत्यक्ष व्यवसाय के संबंध में वर्ष 2014–15 के दौरान उपगत कमीशन / दलाली का विवरण नीचे दिया गया है:

23. Break up of Business Acquisition Cost

The Commission/Brokerage incurred during the year 2014-15 in respect of Indian Direct Business is given below:

(₹ in lacs)

क्र.सं.	श्रेणी	2014-15	2013-14
Sr. No.	Category		
1	अभिकर्ता	34094.45	33344.40
	Agents		
2	दलाल	9698.67	9304.73
	Brokers		
3	कारपोरेट एजेंसी	2980.37	2766.46
	Corporate Agency		
4	रेफरल व्यवस्था	0	0
	Referral Arrangement		
	कुल	46773.49	45415.59
	Total		

24. निवेश

- 24.1 4.23 लाख रुपए के क्रय मूल्य (गत वर्ष 4.23 लाख रुपए) वाले 29.39 लाख रुपए के बही मूल्य (उचित मुल्य) (गत वर्ष 20.27 लाख रुपए) के शेयरों को कंपनी के नाम पंजीकृत नहीं किया गया है क्योंकि इसका अंतरण 1998 से पहले की अवधि के लिए आपत्ति के अधीन है।
- 24.2 कंपनी के बहीखातों के अनुसार भारतीय स्टॉक होल्डिंग कारपोरेशन (कस्टोडियन) द्वारा जारी प्रमाणपत्रों की दिष्ट से निवेश में विसंगति पाई गई है। बही मूल्य में यह अंतर 0.09 लाख रुपए एसएचसीआईएल की बही में कम तथा 3.06 लाख रुपए एसएचसीआईएल की बही में ज्यादा (पिछले वर्ष क्रमशः 1.31 लाख रुपए और 6.18 लाख रुपए) है। इस अंतर का समाधान किया जा रहा है।
- 24.3 ऋणों के एकमुश्त समाधान / पुनःसंरचना शोधन के संबंध में 540.28 लाख रुपए (गत वर्ष 11.25 लाख रुपए की निवल निर्गत राशि) के अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधानों में निवल निर्गम राशि समाहित की गई है।
- 24.4 तुलन पत्र की तिथि को गैर क्रियाशील परिसंपत्तियों

24. Investments

- 24.1 Shares of the book value (fair value)of Rs 29.39 lacs (Previous year Rs20.27lacs) having purchase value of Rs.4.23 lacs (Previous year Rs.4.23 lacs)have not been registered in the name of the company, as the transfers are under objection for the period prior to 1998.
- 24.2 There are discrepancies in investments as per company"s books with the certificates issued by Stock Holding Corporation of India (custodian) of book value (fair value) of Rs0.09 lacs (Short) in SHCIL books) and Rs.3.06 lacs (Excess) in SHCIL books (Previous year Rs. 1.31lacs and Rs6.18lacs respectively). The differences are under reconciliation.
- 24.3 There is a net release in provisions for bad & doubtful debts of Rs 540.28 lacs (Previous year net release Rs11.25lacs) on account of One Time Settlements/ Restructuring/ Redemption of debts.
- 24.4 Loans/investments under non-performing assets as on the date of Balance Sheet have



के अंतर्गत ऋण / निवेश को दीर्घकालीन श्रेणी के तहत वर्गीकृत किया गया है क्योंकि इनकी वसूली निश्चित नहीं है।

- 24.5 निवेशों पर आईआरडीएआई के मानकों के अनुरूप सूचीबद्ध इक्विटी / म्यूच्अल फंड के उचित मूल्य में परिवर्तन के कारण उत्पन्न 972913.78 लाख रुपए (गत वर्ष 857011.36 लाख रुपए) के अप्राप्त लाभ / हानि को निवेश में लाया गया है और उसके लिए 'उचित मूल्य परिवर्तन लेखा' में तदनुरूप समान आरक्षित राशि की व्यवस्था की गई है। लाभ एवं हानि पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है और इस तरह की आरक्षित राशि वितरण के लिए उपलब्ध नहीं है।
- 24.6 दीर्घकालीन निवेशों की बिक्री पर को 31.03.2015 समाप्त वित्त वर्ष के दौरान ८७९३७.७५ लाख रुपए (गत वर्ष 85995.45 लाख रुपए) का लाभ हुआ।

अचल संपत्तियां 25

अचल परिसंपत्तियों में 2432.59 लाख रुपए (गत वर्ष 2432.59 लाख रुपए) की लागत की कतिपय संपत्तियां शामिल हैं जिनके लिए या तो स्वामित्व विलेख रिकॉर्ड में नहीं है या पंजीकरण लंबित है। इनके पंजीकरण / स्टांप शुल्क प्रभारों को अब तक लेखाबद्ध नहीं किया गया है और उसको पंजीकरण के समय परिकलित किया जाएगा।

26. निम्नलिखित शीर्षों के अधीन शेष समाधान/अभिपृष्टि के लिए लंबित हैं

- एजेंटों की शेष राशि निवल
- प्रीमियम जमाराशि एवं एजेंटों के प्रीमियम को वर्तमान देनदारियों में सम्मिलित किया गया है।
- बंद कंपनियों के पास आरक्षित जमा
- बीमा व्यवसाय करने वाले अन्य व्यक्तियों अथवा निकायों पर / को बकाया राशि
- कर्मचारियों पर / को बकाया राशि
- फुटकर देनदार
- फुटकर लेनदार

उपर्युक्त के संबंध में यदि कोई समायोजन होना है तो उसे अभिपृष्टि / विश्लेषण / समाधान के बाद ही किया जाएगा।

- 27. मूल्यहास / ऋण परिशोधन
- (i) मूर्त स्थायी परिसंपत्तियों पर मूल्यहास का प्रावधान करने

- been classified under long term category as their realisibility is not certain.
- 24.5 In accordance with IRDAI norms on investments, unrealized gains/ loss of Rs 972913.78 lacs (Previous year Rs. 857011.36 lacs) arising due to change in fair value of listed equities and mutual funds are taken to investment and corresponding equal reserve created for the same as 'Fair Value Change Account'. There is no effect on Profit and Loss account and such reserve is not available for distribution.
- 24.6 Profit on sale of long term investments amounted to Rs.87937.75 lacs (Previous year Rs. 85995.45lacs) during the financial year ended 31.03.2015.

25. Immovable Properties

Fixed assets include certain properties costing Rs. 2432.59lacs (previous year Rs2432.59 lacs) for which either title deeds are not on record or registration is pending. The registration/stamp duty charges, to the extent not accounted, will be accounted for at the time of registration.

26. Balances under the following heads are pending reconciliation / confirmation

- Agents" Balances (Net)
- Premium Deposits and Agents" Premium, included in Current Liabilities.
- Reserve Deposits with ceding companies.
- Amounts due to /from other persons or bodies carrying on Insurance Business.
- Amounts due to/ from employees.
- **Sundry Debtors**
- **Sundry Creditors**
- Advances

The adjustments, if any, in respect of above will be made upon confirmation/analysis/ reconciliation.

27. Depreciation/Amortization

(i) There is a change in Accounting Policy of the Company for providing depreciation on tangible Fixed Assets. The Company was earlier charging the depreciation on WDV method at higher of



के लिए कंपनी की लेखाकरण नीति में बदलाव आया है। पहले कंपनी कंपनी अधिनियम 1956 और आयकर अधिनियम, 1961 में उल्लिखित दरों में से उच्चतर दरों पर डब्ल्युडीवी तरीके से मुल्यहास प्रभारित कर रही थी। कंपनी अधिनियम में परिवर्तन की वजह से, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची ।। के भाग ग में दिए गए तरीके के अनुसार सरल रेखा आधार मूर्त स्थायी परिसंपत्तियों पर मुल्यहास प्रभारित करने का निर्णय किया है। लेखाकरण नीति में परिवर्तन के कारण, वित्त वर्ष 2014-15 का मूल्यहास प्रभार उस प्रभार की तुलना में 136.44 लाख रुपए कम है जो पिछली लेखाकरण नीति का उपयोग करके प्राप्त होता। चाल वर्ष के लिए लाभ में समतुल्य राशि जितनी वृद्धि हुई है।

28. असमाप्त जोखिम के लिए आरक्षित राशि

वर्ष के दौरान भारत में अर्जित प्रत्यक्ष प्रीमियम जो आगामी लेखाकरण अवधि में योगदान देने वाला तथा उसमें आवंटित होने वाला है वह बीमा अधिनियम, की धारा 64वी (1)(ii) (ख) में वर्णित प्रतिशत स्तर से कम है और इसलिए पुनर्बीमा के सकल प्रीमियम पर असमाप्त जोखिमों के लिए रिजर्व का निर्माण केवल विविध व्यवसाय को छोडकर सभी संवर्गों में आईआरडीएआई के विनियमों के अनुरूप धारा में वर्णित प्रतिशत स्तर पर तथा आईआरडीएआई के विनियमों के अनुसार धारा 64 वी(1)(ii) (ख) में वर्णित प्रतिशत स्तर पर तथा आईआरडीएआई के वित्तीय विवरण तैयार करना – सामान्य बीमा के संबंध में अक्टूबर, 2012 में जारी मास्टर परिपत्र के अनुसार और बीमा अध्यादेश 2014 के अनुसार किया गया है। (देखें लेखाकरण नीति 4.1)

29. आय कर एवं सेवा कर आकलन की स्थिति

- (i) आकलन वर्ष 2012-13 हेतु एवं उस वर्ष तक आय कर तथा वित्तीय वर्ष 2002-03 के लिए / तक एवं वित्तीय वर्ष 2008-09 से 2010-11 तक के लिए सेवा कर का आकलन पूरा कर लिया गया है। पूर्ववर्ती वर्षों के लिए आय कर तथा सेवा कर से संबंधित कतिपय अपीलें लंबित हैं। आकलन/अपील के पूरा होने के बाद आवश्यक समायोजन किए जाए।
- ऐसे मामलों में, जहां कंपनी ने सक्षम प्राधिकरण के पास अपील कर रखी है या इसकी प्रक्रिया में है, वहां जहां कहीं उपयुक्त समझा गया, आय कर अधिकारियों द्वारा

the rates mentioned in the Companies Act, 1956 and Income Tax Act, 1961. Due to change in the Companies Act, the Company has decided to charge depreciation on tangible Fixed Assets in accordance with the methodology provided in Part C of Schedule II to the Companies Act, 2013, on Straight Line basis. Due to this change in Accounting Policy, the depreciation charge for the F.Y.2014-15 is less by Rs.136.44 lacs as compared to the charge which would have been arrived by using the previous accounting policy .The profit for the current year has increased by an equivalent amount.

28. Reserve for Unexpired Risk

Direct Premium written in India during the year attributable to and to be allocated to succeeding accounting periods is less than the percentages laid down in Sec 64V(1)(ii)(b) of the Insurance Act, 1938 and hence Reserve for Unexpired Risks on Premium net of Reinsurance is created at the percentages laid down in Sec 64V(1)(ii) (b) in accordance with IRDAI Regulations in all segments (Refer Accounting Policy No. 4.1, as per IRDAI Master Circular on preparation of Financial Statements-General Insurance-issued in October"2012 and as per Insurance Ordinance 2014.

29. Status of income tax and service tax assessments

- (i) The income tax assessment for and up to the assessment year 2012-13 and service tax assessment for and up to financial year 2002-03 and for the financial years 2008-09 to 2010-11 have been completed. Certain appeals pertaining to Income Tax and Service Tax are pending for the earlier years. The necessary adjustments shall be carried out after completion of assessments/appeals.
- (ii) Demands raised by Income Tax authorities have been fully provided for, wherever considered appropriate, in cases where the company has filed or is in the process of filing an appeal with the appropriate authority.



उठाई गई मांगों का पूरी तरह निपटारा कर दिया गया

- (iii) माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर आधारित आय कर वापसी की रकम 2461 लाख रुपए तथा उस पर ब्याज की राशि 8283 लाख रुपए का लेखा जोखा वित्त वर्ष 2004-05 के अनुमानित आधार पर किया गया है। लेकिन आय कर विभाग द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल की गई अपील को ध्यान में रख कर तथा सीओडी द्वारा स्वीकृति दिए जाने के बाद आकलन वर्ष 1974-75, 1976-77, 1977-78 और 1979-80 से संबंधित अप्राप्त ब्याज के लिए 6518 लाख रुपए का प्रावधान वर्ष 2005-06 में सृजित किया गया था। यद्यपि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपील का फैसला हमारे पक्ष में दिया है लेकिन फिर भी कंपनी ने अभी तक सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के प्रभाव को मान्यता नहीं दी है, क्योंकि ब्याज की वापसी के लिए आय कर विभाग से मिलने वाली सूचना अभी प्रतीक्षित है।
- (iv) आय कर विभाग की ओर से आकलन वर्ष 1978-79 के लिए 61.74 करोड़ रुपए के रिफंड आदेश के आधार पर वर्ष के दौरान 19.14 करोड़ रुपए की ब्याज की आय बही में डाली गई है।
- (v) कर हेत् प्रावधान में चालू वर्ष 2014-15 के लिए 22820 लाख रुपए और गत वर्ष 2013-14 के लिए 5 लाख रुपए शामिल है।

30. बकाया दावों के लिए प्रावधानः

अक्टूबर 2012 में जारी आईआरडीएआई के मास्टर परिपत्र के अनुसरण में, नियुक्त बीमांकिक / मुहर्रर ने चालु वर्ष 2014-15 के लिए स्वास्थ्य सेगमेंट के अधीन फी लुक अवधि के प्रावधान का मूल्यांकन 0.71 लाख रुपए (गत वर्ष 0.51 लाख रुपए) के रूप में किया है।

31. पीमियम में कमी

अग्नि, मैरीन एवं विविध राजस्व लेखा में प्रीमियम में कोई कमी नहीं है और इसलिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में किसी प्रीमियम की कमी के लिए प्रावधान नहीं किया गया है। तथापि, विविध के अंतर्गत आने वाले आठ संवर्गों में से विमानन में लाख रुपए गत 362 वर्ष लाख रुपए (ग<mark>त वर्ष</mark> 543 लाख रुपए) की प्रीमियम की कमी दर्ज की गई। इसके अतिक्रित स्वास्थ्य संवर्ग (प्रीमियम जोखिम अंकन में 10 प्रतिशत से अधिक का योगदान करने वाला एक

- (iii) Based upon Hon"ble Delhi High Court Order, Income Tax refund and interest thereon of Rs.2461 lacs and Rs. 8283 lacs respectively were accounted for on an estimated basis in the FY 2004-05. However in view of the appeal filed by the I.T. Department in Hon"ble Supreme Court and clearance given by COD, a provision of Rs. 6518 lacs towards unrealised interest relating to assessment years 1974-75, 1976-77, 1977-78 and 1979-80 was created in 2005-06. Though the appeal has been decided by Hon"ble Supreme Court in our favour, the Company has not yet recognized the effect of Supreme Court order, as intimation from IT department for refund of interest is still awaited.
- (iv) An interest income of Rs.19.14 crores has been booked during the year on the basis of intimation of refund order of Rs.61.74 crores received from the Income Tax Department for the Assessment Year 1978-79.
- (v) Provision for tax includes Rs.22820 lacs for the current year 2014-15 and Rs 5 lacs for the previous year 2013-14.

30. Provisions For Outstanding Claims:

In pursuance to IRDAI Master Circular issued in October" 2012 ,the Appointed Actuary has valued the provision for Free Look Period under the Health Segment as Rs.0.71 lacs for the current year 2014-15 (Previous year Rs.0.51 lacs)

31. Premium Deficiency

Overall there is no Premium Deficiency in Fire, Marine and Miscellaneous Revenue Accounts put together and hence no premium deficiency has been provided in the current financial year. However, under the 8 segments falling under Miscellaneous, there is Premium Deficiency of Rs. 362 lacs (Previous year Rs543 lacs) in Aviation. In addition, in Health segment (a reportable segment which contributes to more than 10% of the Premium underwritten), the Premium Deficiency works out to Rs.15873 lacs (previous year Rs. 4096 lacs).

The Premium deficiency is recognized if the sum of expected claims cost, related expenses and



महत्वपूर्ण संवर्ग है) में 15873 लाख रुपए (गत वर्ष 4096 लाख रुपए) की प्रीमियम की कमी दर्ज की गई है।

यदि प्रत्याशित दावों की राशि, संबंधित व्यय और दावों क निपटान से संबंधित रख—रखाव लागत व्यवसाय के संबंधित वर्ग के लिए अप्राप्त प्रीमियम से अधिक होती है, तो प्रीमियम कमी को स्वीकृत किया जाता है।

- 32. निम्नलिखित शीर्षों के अधीन किया गया व्यय
 - i. आउटसोर्सिंग व्ययः रुपए 12560.95 लाख रुपए
 - i. विपणन सहयोगः शून्य रुपए
- 33. एमएसीटी मामलों में स्रोत पर कर कटौती में विफलता हेतु आय कर की मांग के मद में आय कर (अपीलों) के लिए चुकाए गए 289.40 लाख रुपए सहित 5558.84 लाख रुपए की फुटकर देनदारी, जो अब तक बकाया है और इसलिए उसे पूरी राशि प्रदान की गई है।
- 34. तकनीकी विभागों के समूह जोखिम अंकन प्रकोष्ठों (जीयूसी) एवं पुनर्बीमा खातों द्वारा अनुरक्षित खातों के बीच सौंपे गए संभागीय प्रीमियम तथा संभागीय दावे की चुकता वापसी की राशि का पुनर्मिलान नहीं हुआ है।

 31.03.2015 को संभागीय प्रीमियम के लिए निवल अंतर 11937.70 लाख रुपए (गत वर्ष 6749.67 लाख रुपए) तथा भुगतान के सापेक्ष वापसी का अंतर 1330.68 लाख रुपए (गत वर्ष 4676.26 लाख रुपए) बैठता है।
- 35. लेखाकरण मानक 3: नकद प्रवाह विवरण कंपनी का नकद प्रवाह विवरण प्रत्यक्ष विधि के तहत तैयार किया गया है।
- 36. लेखाकरण मानक 5: पूर्वावधि मर्दे:-क) पूर्वावधि अवधि मदों में निम्नलिखित शामिल हैं:

maintenance costs related to claims handling exceeds the unearned premium for the related class of business.

32. Expenses Incurred Under Following Heads

- i. Outsourcing Expenses Rs.12560.95 lacs
- ii. Marketing Support Rs. NIL
- 33. Sundry debtors of Rs5558.84 lacs includes Rs. 289.40 lacs paid to income tax(appeals) on account of income tax demand for failure to deduct tax at source in MACT cases, which remains outstanding and so has been provided fully.
- **34.**There is non reconciliation of amount of facultative premium ceded and facultative claims paid recoveries between the accounts maintained by the reinsurance accounts and the group underwriting cells (GUC) of technical departments.

As on 31.03.2015 the net difference for facultative premium ceded comes to Rs 11937.70 lacs (previous year Rs. 6749.67 lacs) and for recoveries it comes to Rs 1330.68 lacs (previous year Rs 4676.26 lacs).

- **35.** Accounting Standard 3: Cash Flow Statement

 The Cash Flow statement of the Company has
- 36. Accounting Standard 5: Prior Period items:-

been prepared under the direct method

a) Prior period items consist of the following:

(Rs. In Lacs)

क्र.सं.	विवरण	2014-15	2013-14
Sr. No.	Particulars		
1	पूर्वावधि आय Prior Period Income	12.08	29.48
2	पूर्वावधि व्यय Prior period expenses	289.26	(-)721.27
	निवल आय Net Income	301.34	(-)691.79



"कर पूर्व लाभ" के बाद लाभ हानि लेखा में राशियां अलग से दर्शाई गई हैं।

ख) लेखाकरण अनुमानों में परिवर्तन

लेखाकरण नीति 5.1क की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें विशेष रूप से कहा गया है कि वर्ष के अंत में बकाया दावों के लिए अनुमानित दायित्व (देनदारियां) सर्वेक्षण की रिपोर्ट, ग्राहकों द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना, नेताओं के परामर्श तथा अंतिम रूप देने की तारीख तक के अन्य स्रोतों, पिछले अनुभव तथा लागू होने वाले अन्य कानूनों पर आधारित होता है। अनुमानों की निरंतर समीक्षा की जाती है और तदनुसार प्रावधान किए जाते हैं। लेकिन फिर भी अंतिम देयता (देनदारी) उपलब्ध राशि से अधिक या कम हो सकती है जिसके लिए किसी प्रकार के समायोजन को उस अवधि में दिखाया जाएगा जिसमें उसकी पहचान की गई है। 'बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 25 मई, 2004 के अपने पत्र के माध्यम से यह भी स्पष्ट किया गया है कि अनुमानों में इस तरह के परिवर्तनों के प्रभाव को तब तक प्रकट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जब तक बकाया दावों के लिए प्रावधान निर्माण की विधि में कोई बदलाव न किया जाए। चूंकि चालू वर्ष में बकाया दावों के लिए प्रावधान निर्माण के तरीके में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है इसलिए अलग से कोई प्रकटन नहीं किया गया है।

ग) मुकदमेबाजी का निपटान

31.03.2015 दिनांक को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए मुकदमेबाजी के मद में 132854.07 लाख रुपए (गत वर्ष 129939.41 लाख रुपए) की राशि का निपटान किया गया है।

घ) स्थायी परिसंपत्तियों का निपटान

वर्ष के दौरान स्थायी परिसंपत्तियों की बिक्री पर निवल रूप से 297.77 लाख रुपए (गत वर्ष 468.99 लाख रुपए) की राशि अर्जित की गई और अचल परिसंपत्तियों की बिक्री पर निवल लाभ की राशि 32.78 लाख रुपए (गत वर्ष 94.51 लाख रुपए) रही।

37. लेखाकरण मानक 15 (संशोधित)

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2007–2008 के दौरान लेखाकरण मानक एएस-15 (संशोधित 2005) कर्मचारियों के लिए लाभ को अपनाया है।

परिभाषित कर्मचारी योजनाएं निम्नानुसार हैं:

The amounts are shown separately in profit and loss account after 'profit before tax"

b) Changes in Accounting Estimates

Attention is drawn to Accounting Policy 5.1.a, wherein it has been specifically stated that 'Estimated liability for outstanding claims at the year end are based on survey reports, information provided by clients, advices of the leader and other sources upto the date of finalization, past experience and other applicable laws. The estimates are continuously reviewed and provisions made accordingly. However, the final liability may be in excess of, or less than, the amount provided, for which any adjustments will be reflected in the periods in which they become known.' It has also been clarified by the Insurance Regulatory and Development Authority vide letter dated 25th May 2004 that impact of such changes in estimates, do not call for disclosure so long as there is no change in the method of provisioning for outstanding claims. As there has been no change in the method of provisioning for outstanding claims in the current year, no disclosure has been separately made.

c) Litigation Settlements

The settlements made on account of litigations for the financial year ended on 31.03.2015 amounted to Rs.132854.07 lacs (previous year Rs 129939.41 lacs).

d) Disposal of Fixed Assets

The net proceeds on sale of fixed assets during the year amounted to Rs.297.77 lacs (previous year Rs. 468.99 lacs) and the net loss on sale of fixed assets amounted to Rs.32.78 lacs (previous year Rs. 94.51 lacs).

37. Accounting Standard 15 (Revised)

The Company has adopted Accounting Standard, AS-15 (Revised 2005) 'Employee Benefits" during the financial year 2007-2008.

The defined Employees benefits schemes are as under:



सेवाकाल के दौरान कर्मचारियों के लाभ

बीमारी अवकाश एवं एलटीएस के लिए दायित्व की पहचान बीमांकिक मुल्यांकन के आधार पर की जाती है।

- (क) वर्ष के दौरान एलटीएस देनदारी में 339 लाख रुपए की कमी (गत वर्ष 25.81 लाख रुपए) की कमी हुई है और इसे लाभ एवं हानि खाता में क्रेडिट / डेबिट कर दिया गया है। 31.03.2015 को एलटीएस की कुल देयता 745.32 लाख रुपए (गत वर्ष 1084.20 लाख रुपए) है।
- (ख) चालू वर्ष के लिए बीमारी अवकाश हेतु दायित्व में 610.13 लाख रुपए (गत वर्ष 2356.99 लाख रुपए) की वृद्धि हुई है और इसे लाभ एवं हानि खाता में डेबिट किया गया है। 31.03.2015 को बीमारी अवकाश के लिए कुल दायित्व 17588.87 लाख रुपए (गत वर्ष 16978.75 लाख रुपए) है।

अनुमान:- बकाया बीमारी अवकाश के 70% प्रतिशत (गत वर्ष 75%) का लाभ उठाया गया। यह अनुमान सेवा निवृत्ति के समय कर्मचारियों के खाते में अप्राप्त बीमारी अवकाश पर आधारित है जिसे प्राप्त नहीं करने पर सेवा निवृत्ति पर समाप्त माना जाता है।

2. कर्मचारी सेवानिवृत्ति लाभः

इसमें पेंशन, उपदान एवं अवकाश नकदीकरण शामिल हैं।

पेंशनः

कंपनी की एक परिभाषित पेंशन योजना है। इस योजना के अंतर्गत उन कर्मचारियों को पेंशन दी जाती है जिन्होंने पेंशन योजना का विकल्प चुना है। कंपनी ने इस योजना के लिए अलग निधि बनाई है जिसका वित्तपोषण कंपनी द्वारा किया जाता है। इसके लिए दायित्व की पहचान बीमांकिक मुल्यांकन के आधार पर की जाती है।

तथापि, ऐसे कर्मचारियों के मामले में, जिनहोंने 1 जनवरी 2004 के बाद से कंपनी में नौकरी की शुरुआत की है, पेंशन अंशदायी लाभ योजना है, जिसमें कंपनी का दायित्व केवल आवधिक अंशदानों तक ही सीमित है। 31.03.15 तक इस योजना के अंतर्गत संचयी कोष की कुल राशि 3200.50 लाख रुपए है जिसमें इसकी स्थापना से अब तक का 572.55 लाख रुपए का ब्याज (वित्त वर्ष 2014-15 के लिए 227.94 लाख रुपए का ब्याज) शामिल है जिसकी गणना निवेश पोर्टफोलियो पर औसत प्राप्ति के आधार पर की गई है और जो पेंशन नियामक एवं विकास

1. EMPLOYEES BENEFITS DURING SERVICE **PERIOD**

The liability for Sick Leave and LTS is recognized based on Actuarial Valuation.

- (a) LTS Liability has decreased by Rs.339 lacs during the year (previous year decreased by Rs. 25.81 lacs) and has been credited/debited to Profit & Loss Account respectively. Total liability for LTS as on 31.03.2015 is Rs. 745.32 lacs (previous year Rs. 1084.20 lacs).
- (b) Liability for sick leave for the current year has increased by Rs. 610.13 lacs (previous year increased by Rs2356.99 lacs) and has been debited to Profit and Loss Account. Total liability for sick leave as on 31-03-2015 is Rs. 17588.87 lacs (previous year Rs.16978.75 lacs).

Assumption:- Availment of 70 % of outstanding sick leave (previous year 75%). The assumption is based on un-availed sick leave to the credit of employees at the time of retirement, which, being not vesting, lapses on retirement.

2. EMPLOYEES RETIREMENT BENEFITS;

This includes Pension, Gratuity and Leave Encashment.

Pension:

Company has a Defined Pension Scheme. Under this scheme, Pension is payable to Employees who have opted for Pension Scheme. Company has created separate Fund for the Scheme which is funded by the Company and managed by separate Trust. The liability for the same is recognized on the basis of actuarial valuation.

However, in case of employees who joined service from 1st January 2004 onwards, Pension is Contributory benefit scheme wherein Company"s obligation is restricted only to the periodic contributions. Total funds accumulated under this scheme as on 31.03.15 amounting to Rs.3200.50 lacs including interest of Rs. 572.55lacs since



प्राधिकरण को भेजे जाने के लिए लंबित है।

उपदान:

कंपनी की सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए अपनी परिभाषित लाभ उपदान योजना मौजूद है। पांच वर्ष की निरंतर सेवा के बाद उपदान का भूगतान किया जाता है। इसके लिए कंपनी ने पृथक कोष का निर्माण किया है जिसके लिए धन की व्यवस्था कंपनी द्वारा और इसकी देख रेख एक पृथक न्यास द्वारा की जाती है। बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर इसके दायित्व की पहचान की जाती है।

उपदान दायित्व का ऋण शोधनः

वर्ष 2010-11 के दौरान कंपनी द्वारा अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा की गई है। इसके अलावा भारत सरकार ने दिनांक 24 मई, 2010 को जारी राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से ''उपदान भूगतान अधि ानियम 1972" के अंतर्गत उपदान के लिए उच्चतम सीमा की उर्ध्वमुखी समीक्षा करके इसे 3.50 लाख रुपए से बढाकर 10.00 लाख रुपए निर्धारित किया है। इसके परिण गमस्वरूप उपदान दायित्व में 17122.76 लाख रुपए की बढोतरी हो गई है।

कर्मचारी लाभ पर लेखाकरण मानक 15 (संशोधित) की अपेक्षाओं के दृष्टिकोण से वित्त वित्त वर्ष 2010-11 में 17122.76 लाख रुपए के संपूर्ण दायित्व को लाभ एवं हानि खाता में प्रभारित करना अपेक्षित था।

आईआरडीए ने दिनांक 18 अप्रैल, 2011 अपने परिपत्र संख्या आईआरडीए/एफएंडए/ सीआईआर / एसीटी / 069 / 04 / 2011 के माध्यम से बीमाकर्ताओं को उपदान के मामले में पांच वर्ष की अवधि तक अतिरिक्त दायित्व के शोधन की अनुमति प्रदान की गई है। आईआरडीए के परिपत्र के आलोक में सेवारत कर्मचारियों से संबंधित उपदान की मद में अतिरिक्त दायित्व की राशि 14856.73 लाख रुपए बैठती है जिसे पांच वर्ष की अवधि में शोधित किया जा रहा है जिसकी शुरुआत 2010-11 से हो चुकी है। वर्ष 2013-14 के दौरान कुल 14856.73 लाख रुपए की देयता से 1/5 भाग की राशि 2971.35 लाख रुपए को राजस्व/लाभ एवं हानि लेखा में प्रभारित कर दिया गया है। दिनांक 31.03.2015 की रिथिति के अनुसार शेष अपरिशोधित देयता शुन्य है।

inception (Rs. 227.94 lacs interest for the FY 2014-15), calculated on the basis of average yield on Investment portfolio, are pending remittance to Pension Regulatory and Development Authority.

Gratuity:

Company has Defined Benefit Gratuity Plan for all categories of employees. Gratuity is payable after 5 years of continuous service. Company has created separate Fund which is funded by the Company and managed by separate trust. The liability for same is recognized on the basis of actuarial valuation.

Amortization of Gratuity Liability:

During the year 2010-11, pay revision of the officers and employees have been carried out by the Company. Further, Government of India, vide Gazette Notification dated May 24th 2010, has revised upward maximum limit for Gratuity under 'Payment of Gratuity Act 1972' from Rs. 3.50 lacs to Rs. 10.00 lacs which resulted in increase in Gratuity Liability by Rs 17122.76 lacs.

In terms of the requirements of Accounting Standard 15 (Revised) on employees" benefits, entire liability of Rs 17122.76 lacs was required to be charged to profit and loss account in the FY 2010-11.

IRDAI, vide Circular No IRDAI/F&A/CIR/ ACT/069/04/2011 dated 18th April 2011, has permitted insurers to amortize the additional liability on account of Gratuity over a period of five years. In pursuance of IRDAI Circular, the additional liability on account of Gratuity relating to employees in service amounting to Rs 14856.73 lacs, is being amortized over a period of five years commencing from 2010-11. During the year 2014-15, 1/5th of the liability of Rs. 14856.73 lacs amounting to Rs. 2971.35 lacs has been charged to Revenue / Profit and Loss Account. The balance unamortized liability as on 31.03.2015 is NIL.



छुट्टी नकदीकरणः

सेवाकाल के दौरान एवं सेवा निवृत्ति पर, दोनों अवधि में कर्मचारियों के सभी वर्गों के लिए प्रीविलेज लीव (पीएल) के नकदीकरण की अनुमति दी गई है। सेवा काल के दौरान 2 वर्ष में एक बार 15 दिन के लिए नकदीकरण की अनुमित होती है और सेवानिवृत्ति पर पीएल की सीमा 240 दिनों तक नियत रखी है। इसके लिए कोष नहीं होता है और इसकी पहचान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर की जाती है।

लाभ एवं हानि लेखा तथा तुलनपत्र में स्वीकृत कर्मचारियों के उपर्युक्त लाभ की संक्षिप्त स्थिति नीचे दिए गए अनुसार

वर्णित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

Leave Encashment:

Encashment of Privilege Leave (PL) is allowed to all class of employees, both during service period and on retirement. During service period, encashment is allowed for 15 days PL once in 2 years and on retirement, it is restricted to 240 days PL. This is unfunded and recognized on the basis of actuarial valuation.

The summarized position of the above **Employees** benefits recognized in the Profit and Loss Account and Balance Sheet are as under:

CHANGE IN THE PRESENT VALUE OF THE DEFINED BENEFIT OBLIGATIONS

विवरण PARTICULARS	पेंशन PENSION					ग्रेच्युरी GRATUITY			अवकारा नकदीकरण LEAVE ENCASHMENT			
	14-15	13-14	12-13	11-12	14-15	13-14	12-13	11-12	14-15	13-14	12-13	11-12
1 अप्रैल 2014 को वर्णित लाभ दायित्व Defined benefit obligations as at 1 st April,2014	171743	128098	117693		62082	60693	54464*	50835	30619	26474	22119	19914
वर्तमान सेवा लागत Current Service Cost	11838	21380	11036	9799	3843	3322	2799	2642	5510	4754	4593	3480
ब्याज लागत Interest Cost	12651	12875	9519	9454	4723	5315	4310	4233	2275	2222	1699	1615
दायित्व पर वास्तविक (लाभ) / हानि Actuarial (gain) / loss on obligation	35001	8618	26520	2782	2521	(3962)	2521	(1275)	394	738	606	(1073)
प्रदत्त लाभ Benefits paid	(23190)	(23689)	(22614)	(11630)	(4593)	(3286)	(3392)	(2067)	(3647)	(3569)	(2543)	(1817)
31 मार्च 2014 को वर्णित लाभ दायित्व Defined benefit obligation as at 31st March, 2015	208043	171743	152559	128098	8576	62082	60693	54368	35151	30619	26474	22119



योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन CHANGE IN FAIR VALUE OF PLAN ASSETS

(₹ in lacs)

विवरण PARTICULARS		पेंशन PENSION				ग्रेच्युटी GRATUITY			
	14-15	13-14	12-13	11-12	14-15	13-14	12-13	11-12	
1 अप्रैल 2014 को योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य Fair value of plan assets as at 1st April,2014	44680	119166	116651	117693	62906	56277	52524*	50835	
योजना परिसंपत्ति पर वास्तविक लाभ Actual return on plan assets	3123	11123	10063	7083	5332	5025	4689	3682	
कर्मचारियों का योगदान Employer"s contribution	2871	3270	3250	3505	-	-	-	-	
अतिरिक्त योगदान Additional contribution	27179	33170	11447	0	43	4415	2456	0	
प्रदत्त लाभ Benefits paid	(23190)	(23689)	(22614)	(11630)	(4593)	(3286)	(3392)	(2067)	
वास्तविक लाभ / हानि Actuarial Gain/Loss	244	1640	369	-	443	475	-	-	
31 मार्च, 2015 को योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य Fair value of plan assets as at 31 st March, 2015	164906	144680	119166	116651	64131	62906	56277	52450	

लाभ एवं हानि खाता में स्वीकृत व्यय **EXPENSES RECOGNISED IN PROFIT AND LOSS ACCOUNT**

विवरण PARTICULARS		चें र PENS	रान SION	ग्रेच्युटी GRATUITY				
	14-15	14-15 13-14 12-13 11-12				13-14	12-13	11-12
वर्तमान सेवा लागत Current Service Cost	11838	21380	11036	9799	3843	3322	2799	2642
ब्याज लागत Interest Cost	12652	12875	9518	9454	4723	5315	4301	4233
योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक लाभ Actual return on plan assets	(13123)	(11123)	(10063)	(8032)	(5333)	(5498)	(4689)	(3682)



द ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

निवल वास्तविक	34757	6978	26152	(3721)	(2079)	(4435)	2006	(1275)
(लाभ) / हानि								
Net Actuarial (Gain)/								
Loss								
निवल आवधिक लागत	46124	30110	36643	14952	4430	1379	4416	1918
अस्वीकृत ऋण शेष					-	2972	5942	-
_								
वर्तमान वर्ष में स्वीकृत					2972	2972	2972	-
Net Periodic Cost								
Unrecognized credit								
balance								
Recognized in current								
year								
अशोधित शेष								
Unamortized balance								

राशि तुलन पत्र में मान्यता AMOUNT RECOGNISED IN BALANCE SHEET

(₹ in lacs)

	2.				<u>~ 0</u>				अवकारा नकदीकरण			
विवरण PARTICULARS		PENS	रान SION			ग्रेच GRAT	_			अवकाश ब LEAVE ENC		
	14-15	13-14	12-13	11-12	14-15	13-14	12-13	11-12	14-15	13-14	12-13	11-12
31 मार्च 2015 को वर्णित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य Present value of defined benefit obligations as at 31st March, 2015	208043	163864	152559	128098	68576	62082	60694	54368	35151	30619	26474	22119
31 मार्च 2015 को योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य (वर्तमान वर्ष में कंपनी को योगदान सहित) Fair value of plan assets as at 31st March, 2015 (including current year Company"s contribution)	164906	144680	119166	128098	64131	62906	56278	52450	-	-	-	-
तुलन पत्र में स्वीकृत देयता Liability recognized in Balance Sheet	43137	19184	33393	NIL	5302	(824)	4416	1918	35151	30619	26474	2205

नोटः उपर्युक्त तालिकाओं में आंकड़ों को निकटतम लाख रुपए में रखा गया है।

Note: The figures in the above tables are rounded off to nearest Rupees in Lacs.



बीमांकिक अनुमान

बीमांकिक मुल्यांकन के लिए इस्तेमाल होने वाले प्रमुख अनुमान इस प्रकार हैं:

ACTUARIAL ASSUMPTION

The Principal Assumptions used for Actuarial Valuation are:

विवरण PARTICULARS	पेंशन PENSION					ग्रेच GRAT	_			अवकाश ब LEAVE ENC		
(i) प्रयुक्त विधि (i) Method used	अनुमानित इकाई ऋण विधि Projected Unit Credit Method			अनुमानित इकाई ऋण विधि Projected Unit Credit Method				अनुमानित इकाई ऋण विधि Projected Unit Credit Method				
	14-15	13-14	12-13	11-12	14-15	13-14	12-13	11-12	14-15	13-14	12-13	11-12
(ii) छूट दर % (ii) Discount rate %	7.90	9.15	8.45	8.45		9.00	8.15	8.5	7.90	9.00	8.15	8.5
(iii) परिसंपत्तियों पर लाभ की संभावित	8.86	886	8.43	8.44		8.84	9.05	8.5				
दर* % (iii) Expected rate of return on assets* %												
(iv) भविष्य में वेतन वृद्धि#% (iv)Future Salary Increase #%	7	7	5	5		5	5	5	7	7	5	5
(v) मृत्युदर (v) Mortality	LIC (1	996-98)	LIC (199	94-96)	IAL(2006-08)LIC (1994-96)				IAL(2006-08)LIC (1994-96)			94-96)
vi) कर्मचारियों का कारोबार vi) Employees Turnover	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
vii) सेवा के शेष वर्ष vii) Remaining working life years	11.69	9.57	10.27	11.00	10.71	11.42	11.21	11.39	10.71	11.42	11.21	11.39

^{*} योजना परिसंपत्तियों पर वापसी की अनुमानित दर बाजार की संभावना पर आधारित है जो वर्ष के आरंभ में संबंधित दायित्व की संपूर्ण जीवनावधि हेतु प्रतिफल के लिए है।

[#]बीमांकिक ने दायित्व का अनुमान लगाने के क्रम में मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति एवं अन्य संबंधित घटकों का ध्यान रखा है।

^{*} Expected rate of return on plan assets is based on market expectation, at the beginning of the year, for return over the entire life of the related obligation.

[#] Actuary, while estimating liability has taken into consideration inflation, seniority, promotion and other relevant factors.



31 मार्च, 2015 को न्यास द्वारा अनुरक्षित योजना परिसंपत्तियों का ब्यौरा निम्नानुसार है: Details of Plan Assets maintained by the trust as on 31st March, 2015 are as follows:

(प्रतिशत में) / (In Percentage)

विवरण PARTICULARS	पेंशन ग्रेच्युरी PENSION GRATUITY					~		
	14-15	13-14	12-13	11-12	14-15	13-14	12-13	11-12
(i) विशेष जमा राशियां (i) Special Deposits	0.00	4.42	10.01	10.23	6.66	6.92	7.43	8.01
(ii) सरकारी प्रतिभूतियां (ii) Government Securities	54.54	51.38	47.01	44.70	35.76	36.18	37.86	38.45
(iii) बंधपत्र / डिबेंचर (iii) Bonds/debentures	39.69	37.33	38.66	39.00	35.76	36.18	37.86	38.45
(iv) बैंक में जमा राशियां (iv) Deposits in Banks	0.79	2.20	-	0.38	0.48	0.68	-	0.90
(v) अन्य (v) Others	4.98	4.67	4.32	5.79	1.13	1.39	1.65	2.60

^{*}गैर-लेखापरीक्षित

सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभः

कंपनी से सेवानिवृत्ति के पश्चात चिकित्सा लाभ की कोई योजना नहीं है। तथापि, कंपनी के पूर्णकालिक निदेशकों (जो कि कंपनी के पूर्णकालिक कर्मचारी होते हैं) द्वारा स्वयं और परिवार के लिए चिकित्सा व्यय (अस्पताल में भर्ती एवं ओपीडी व्यय दोनों) को कंपनी द्वारा उस समय भी वहन किया जाता है जब निदेशक कंपनी के निदेशकों / कार्मिकों की श्रेणी से हट जाते हैं बशर्ते कंपनी ऐसे पूर्व कार्मिकों की मूल कंपनी रही हो। इस लाभ के लिए संबंधित पूर्व अधिकारियों से कोई प्रीमियम प्रभारित नहीं किया जा रहा है।

कंपनी वर्ष 2014 से लागू नई सामूहिक चिकित्सा दावा नीति के उपबंध 09.2.1 और 09.2.2 के अनुसार सेवानिवृत्त कर्मचारी और उसकी पत्नी/पति के संबंध में उसके अनुमानतः समायोजित मूल वेतन के आधार पर कर्मचारियों के लिए लागू पात्र बीमित राशि के आधार पर गणना किए गए देय चिकित्सा दावा प्रीमियम के 75 प्रतिशत हिस्से का वहन करेगी।

पारिश्रमिक संशोधन के लिए प्रावधानः

31.03.2015 की स्थिति के अनुसार कर्मचारियों को 1 अगस्त 2012 से देय पारिश्रमिक संशोधन संबंधी प्रावधान 38143.06 लाख रुपए है और इसमें वर्ष 2014-15 के लिए प्रावधान की गई 235 करोड रुपए की अतिरिक्त धनराशि शामिल है।

Post Retirement Medical Benefits:

Company does not have any Post Retirement Medical Benefit Scheme. However medical expenses (both hospitalization and OP expenses) incurred by full time directors of the Company (who are full time employees of the company) for self and family are met by the Company even after the directors cease to be directors/employees of the Company, provided the Company is the Parent Company of such ex-employees. No premium is being charged from the exexecutives concerned for this benefit.

The Company shall bear 75% of the mediclaim premium payable computed on the basis of eligible Sum Insured applicable for the employee based on his notionally adjusted Basic Pay in respect of retired employee and spouse as per clause 09.2.1 and 09.2.2 of the New Group Mediclaim policy which is effective from 2014

Provision for wage revision:

Provision for wage revision due to employees w.e.f 1st August 2012 stood at Rs.38143.06 lacs as at 31.03.2015 and it includes Rs.235 crores additional amount provided in the year 2014-15

^{*}unaudited



38. लेखाकरण मानक 17 संवर्ग रिपोर्टिगः

तुलनपत्र की अनुसूची 1,2 और 3 के अनुरूप संवर्गीय रिपोर्टिंग पर आईआरडीएआई (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण एवं लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट तैयार करना) विनियम 2002 द्वारा निर्धारित निम्नलिखित प्रारूप में संवर्गीय सूचना उपलब्ध कराई गई है:

38. Accounting Standard 17 Segment **Reporting:**

Segmental information has been given in the following format prescribed by IRDAI (Preparation of Financial Statements and Auditor"s Report of Insurance Companies) Regulations, 2002 on Segmental Reporting, as per Schedules 1, 2 and 3 of Balance Sheet.

संवर्ग Segment	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम वित्त वर्ष 2014—15 Gross Direct Premium FY	कुल व्यवसाय का प्रतिशत Percentage to Total Business	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम वित्त वर्ष 2013.14 Gross Direct	कुल व्यवसाय का प्रतिशत Percentage to Total Business
	2014-15		Premium FY 2013-14	
अग्नि Fire	101277.67	13.39	103977.09	14.28
मैरीन कार्गो Marine Cargo	24757.89	3.27	27257.21	3.74
मैरीन हल Marine Hull	17389.04	2.30	21032.98	2.89
मोटर ओडी Motor OD	126133.83	16.68	119819.94	16.45
मोटर टीपी (नॉन-पूल) Motor TP(Non-Pool)	160572.25	21.23	138363.26	19.00
मोटर टीपी (पूल) एवं डीआर पूल Motor TP(Pool) & D.R. Pool	4739.28	0.63	10628.01	1.46
अभियांत्रिकी Engineering	35597.77	4.71	37477.16	5.15
उड्डयन Aviation	10093.90	1.33	11161.04	1.53
कामगार क्षतिपूर्ति Workmen Compensation	8024.56	1.06	8164.60	1.12
व्यक्तिगत दुर्घटना Personal Accident	14936.71	1.98	14241.27	1.96
स्वास्थ्य Health	205385.25	27.16	189875.15	26.07
दायित्व Liability	5089.26	0.67	4513.80	0.62
अन्य विविध Other Miscellaneous	42195.38	5.58	41742.41	5.73
कुल सकल प्रीमियम Total Gross Premium	756192.79	100	728253.93	100



द ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

39. लेखाकरण मानक 18: संबंधित पक्ष प्रकटनः

1. लेखाकरण मानक 18 के अनुसार संबंधित पक्ष प्रकटन

क. सहायक कंपनियां

दि इंडस्ट्रियल क्रेडिट कंपनी लिमिटेड

ख. सहयोगी कंपनियां

इंडिया इंटरनेशनल इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए ऑफ इंडिया

ग. निकाय, जिन पर नियंत्रण बरकरार है

- i. ओआईसीएल कर्मचारी भविष्य निधि
- ii. ओआईसीएल पेंशन निधि
- iii. ओआईसीएल कर्मचारी उपदान निधि

प्रमुख प्रबंधन कार्मिकः

- 1. डॉ. ए.के. सक्सेना, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (12.06. 2012 से)
- 2. सुश्री रश्मि बाजपेयी, कंपनी सचिव (20.08.2007 से)
- 3. सुश्री के रमादेवी, महाप्रबंधक एवं सीएफओ (23.06.2014 से)

संबंधित पक्षो के साथ संव्यवहारः

39. Accounting Standard 18: Related Party Disclosure:

1. Related party disclosures as per Accounting Standard 18

a. Subsidiaries

The Industrial Credit Company Limited.

b. Associates

India International Insurance Pvt. Ltd., Singapore Health Insurance TPA of India

c. Entities over which control exists

- OICL Staff Provident Fund
- ii. OICL Pension Fund
- iii. OICL Employees Gratuity Fund

Key Management Personnel:

- 1. Dr. A.K. Saxena, Chairman-cum-Managing Director (from 12.06.2012)
- 2. Ms.Rashmi Bajpai,Company Secretary (from 20.08.2007)
- 3. Ms.K.Ramadevi, General Manager & CFO (from 23.06.2014)

Transactions with related parties:

क्र.सं. Sr. No.	संबंध की प्रकृति Nature of Relationship	कारोबार की प्रकृति Nature of Transaction	2014-15	2013-14
i)	सहायक कंपनियां Subsidiary	अन्य देय राशि Other Amount Due	5.83	5.44
ii)	सहयोगी कंपनियां Associates	क) इंडिया इंटरनेशनल इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर:- प्राप्त लाभांश आय शेयरों में निवेश a)India International Insurance Pvt. Ltd., Singapore :- Dividend Income received Investment in	356.80	233.64
		shares ख) हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए ऑफ इंडिया:- b) Health Insurance TPA of India :- शेयरों में निवेश Investment in shares	391.10 475.00	391.10 237.50



40. पट्टे

कंपनी के कार्यालय परिसर एवं कर्मचारियों के लिए आवासीय फ्लैट पट्टे पर लिए गए हैं और आपसी सहमति से नवीकरण / निरस्तीकरण किया जा सकता है। पट्टा करारों द्वारा कोई बंदिश नहीं लगाई गई है। पट्टे के नियम अलग-अलग करारों पर आधारित हैं। महत्वपूर्ण पट्टाजन्य समझौते परिसरों के लिए पट्टे के संबंध में हैं। पट्टे के अंतर्गत दायित्व के संबंध में कुल पट्टा किराया की राशि 6214.21 लाख रुपए (गत वर्ष 5991.44 लाख रुपए) को चालू वर्ष में राजस्व लेखा में प्रभारित किया गया है ।

41. लेखाकरण मानक 20 - प्रति शेयर आयः

	31.03.2015 को	31.03.2014 को
शेयरधारकों से	39209.52	46028.73
संबद्ध निवल लाभ		
(लाख रुपए में)		
जारी इक्विटी	20,00,00,000	15,00,00,000
शेयरों की भारित		
औसत संख्या		
रुपए प्रत्येक वाले	19.60	30.69
शेयरों की प्रति		
शेयर मूल और		
विरलित आय		

42. लेखाकरण मानक 22

पिछली हानियों को आगे लाए जाने के कारण आस्थिगित कर परिसंपत्ति बढ रही है जिस पर भावी लाभ की अनिश्चितता के कारण कंपनी द्वारा विचार नहीं किया गया है।

43. लेखाकरण मानक 28

लेखाकरण मानक-28 के अनुसार, प्रबंधन ने परिसम्पत्तियों की हानि की संभावना का आकलन किया है और मिश्रित परिसम्पत्तियों के मूल्य में कोई हानि नहीं हुई है।

- 44. पुनर्बीमा स्वीकृति से संबंधित बकाया दावा प्रावधानों (देखें लेखाकरण नीति संख्या 5.1.क.ii) के संबंध में वर्ष के दौरान निम्नलिखित तिथियों को अपनाया गयाः
 - 1 भारतीय व्यवसाय के संबंध में वित्तीय विवरणों को अंतिम रूप देने की तारीख (लेखाकरण नीति 4.2)
 - विदेशी कारोबार के संबंध में:
 - (i) वर्ष के अंत तक हुए समस्त नुकसान एवं उसके

40. Leases

The company"s office premises and residential flats for employees are obtained on lease and are renewable/ cancellable at mutual consent. There are no restrictions imposed by lease agreements. Lease terms are based on individual agreements. Significant leasing arrangements are in respect of lease for premises. Aggregate lease rentals amounting to Rs.6214.21 lacs in the current year (previous year Rs.5991.44 lacs) in respect of obligation under lease are charged to Revenue Account in the current year.

41.Accounting Standard 20 - Earnings Per Share':

(₹ in lacs)

		(\ III Iacs)
	As at	As at
	31.03.2015	31.03.2014
Net Profit	39209.52	46028.73
attributable to		
Shareholders (Rs. in		
Lacs)		
Weighted Average	20,00,00,000	15,00,00,000
Number of Equity		
Shares issued		
Basic & Diluted	19.60	30.69
Earnings per Share		
of Rs. 10/- each		

42. Accounting Standard 22

In view of brought forward Losses, the Deferred Tax Assets is emerging which has not been considered by the company due to uncertainty of future profits.

43. Accounting Standard 28

In accordance with Accounting Standard-28, the Management has assessed the possibility of impairment of assets and there is no impairment in the value of fixed assets.

- 44. In respect of outstanding claim provisions relating to reinsurance acceptances (Refer Accounting Policy no.5.1.a.ii), the following dates were adopted during the year:
- 1. In respect on Indian business up to the date of finalization of financial statement (Accounting Policy 4.2.)



तत्काल बाद आने वाले वर्ष में 30 अप्रैल तक प्राप्त सूचना।

- (ii) निरस्त संधियों के मामले में, 15 मई अथवा लेखाओं को अंतिम रूप देने की तिथि जो भी पहले हो, तक प्राप्त पुनर्बीमा वापसी में यथा सचित विदेशी कम्पनियों द्वारा निपटाए गए दावों को बकाया दावे माना गया।
- 45. कंपनी ने बीमा अधिनियम की धारा 3 क के साथ पठित धारा 3 और बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 के अधीन 23 मार्च 2015 की अधिसूचना के प्रावधानों का अनुपालन किया है।
- 46. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत आपूर्तिकर्ताओं को देय राशि से संबंधित सूचना कंपनी के पास तैयार रूप से उपलब्ध नहीं है ओर इसलिए उक्त अधिनियम के तहत आवश्यक भूगतेय/ भूगतान योग्य ब्याज के साथ-साथ वर्ष के अंत में गैर चुकता राशि, यदि कोई हो, के संबंध में कोई प्रकटन नहीं किया गया है।
- 47. वर्ष के दौरान विभिन्न सरकारी प्राधिकरणों द्वारा की गई दंडात्मक कार्रवाई का विवरण नीचे दिया गया है:

- 2. In respect on Foreign business:
 - (i) All losses incurred up to the year-end and communications received up to 30th April of the immediately succeeding year.
 - (ii) In the case of cancelled treaties, claims paid by the foreign companies as reported in reinsurance returns received up to 15th May or finalization of accounts which ever is earlier, was considered as outstanding claims.
- **45.** The Company has complied with the provisions of Section 3 read with Section 3A of the Insurance Act, 1938, and the notification dated 23 rd March, 2015 under the Insurance Laws (Amendment) Act, 2015.
- **46**. The information as to amount due to suppliers under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act 2006 is not readily available with the company and hence disclosures, if any, relating to amounts unpaid as at the year end together with interest paid/payable as required under the said Act have not been given.
- **47.** Details of penal actions taken by the various Government Authorities during the year are as under:

क्र.सं. SI. No.	प्राधिकरण Authority	गैर—अनुपालन / उल्लंघन Non Compliance/ Violation	लगाया गय Penalty A 2014-15 2	warded	Penalty Paid 2014-15 2013-14		दंड माफी / कमी Penalty waived/ reduced 2014-15 2013-14	
1	आईआरडीएआई IRDAI	गैर—अनुपालन Non Compliance	NIL	5	NIL	5	NIL	NIL
2	सेवा कर प्राधिकरण Service Tax Authorities	सेवा कर विभाग की लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर आधारित विभाग द्वारा की गई सेवा कर की मांग Service Tax demand raised by Dept based on Audit Report of Service Tax Dept	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL



क्र.सं.	प्राधिकरण	भैग अनुगानन	लगाया गर	गा टंट	चुकता दंड		दंड माफी /	'क्रमी
SI.	Authority	गैर—अनुपालन		या दड Awarded	चुकता दड Penalty P	aid	Penalty w	
No.	Authority	/ उल्लंघन		2013-14	2014-15 2		reduced	aiveu/
140.		Non Compliance/	2017-13	2015-14	2017-132	2013-14	2014-15 2	013-14
2		Violation	10.60	17396.03	0200 20#	620462*	2017-132	.013-14
3	आयकर प्राधिकरण	आयकर अधिनियम,	19.60	1/396.03	9289.30#	6304.62*	NIL	NIL
	Income Tax Authorities	1961 की धारा					INIL	INIL
		271(1)(ग) के तहत						
		जुर्माना						
		Penalty under						
		Section 271(1)(c)						
		of I Tax Act, 1961						
4	कोई अन्य कर		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
	प्राधिकरण							
	Any other Tax							
	Authorities							
5	प्रवर्तन निदेशालय/		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
	अधिनिर्णय प्राधिकरण/							
	अथवा एफईएमए अर्थात							
	फेमा के अंतर्गत कोई							
	प्राधिकरण							
	Enforcement							
	Directorate/							
	Adjudicating Authority/							
	Tribunal or any							
-	Authority under FEMA	<i>y</i> -0- 0- <i>y</i> :	NIII	NIL	NIII	KIII	NIII	NIII
6	आरओसी / सीएलबी /	वैधानिक सीमा में	NIL	INIL	NIL	NIL	NIL	NIL
	एमसीए	भुगतान योग्य पूंजी						
	ROC/CLB/MCA	नहीं बढ़ाई गई						
		Not raising Paid						
		up Capital to						
7		Statutory limit	NIL	9	NIL	9	NIL	NIL
,	दावा निपटान सहित		INIL	J	INIL	,	IVIL	INIL
	लेकिन क्षतिपूर्ति को							
	छोड़ते हुए किसी मामले							
	के संबंध में किसी							
	न्यायालय / अधिकरण							
	द्वारा लगया गया दंड							
	Penalty awarded by							
	any Court/Tribunal for							
	any matter including claim settlement							
	but excluding							
	compensation							
	compensation							



द ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

क्र.सं. SI. No.	प्राधिकरण Authority	गैर—अनुपालन / उल्लंघन Non Compliance/ Violation	लगाया गया Penalty A 2014-15 2	warded	चुकता दंड Penalty P 2014-15 2		दंड माफी / Penalty w reduced 2014-15 2	aived/
8	भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड Securities and Exchange Board of India		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
9	भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग Competition Commission of India		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
10	कोई अन्य केंद्रीय / राज्य / स्थानीय सरकार / सांविधिक प्राधिकरण Any other Central/State/ LocalGovernment/ Statutory Authority		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

^{* 6304.62} लाख रुपए में आय कर प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा देय कर वापसी से वसूल किए गए 5099 लाख रुपए शामिल हैं और कंपनी ने इसका विरोध किया है। इसमें कंपनी द्वारा आईटीएटी के स्थगनादेश के संबंध में भूगतान किए गए 12 करोड़ रुपए भी शामिल हैं।

9289.30 लाख रुपए में पिछले वर्ष 2013-14 में लगाए गए जूर्माने के 9281.31 लाख रुपए शामिल हैं जो आकलन वर्ष 2005-06 के लिए 8916.28 लाख रुपए और आकलन वर्ष 2004–05 के लिए 365.03 लाख रुपए बनता है।

Rs.9289.30 lacs includes Rs.9281.31 lacs penalty awarded in the previous year 2013-14 amounting to Rs.8916.28 lacs for the A.Y. 2005-06 and Rs.365.03 lacs for the A.Y. 2004-05.

^{*} Rs.6304.62 lacs includes Rs.5099 lacs recovered by the Income Tax Authority, New Delhi, from tax refunds due and has been protested by the Company. It also includes Rs.12 crores paid by the Company against stay order by ITAT.



48. पॉलिसीधारकों का बकायाः

पॉलिसी धारकों का उम्र-वार विश्लेषण नीचे दिया गया है:

48. Policyholders dues:

Age wise analysis of Policyholders dues is given hereunder:

बकाया

Outstanding

								(\ III lacs)
विवरण	3 माह	4-12	13-18	19-24	25-30	31-36	> 36	कुल
Particulars	तक	माह	माह	माह	माह	माह	माह	Total
	Upto 3	4-12	13-18	19-24	25-30	31-36	> 36	
	months							
क. दावे का निपटान मगर पॉलिसी धारकों / बीमितों को किसी कारण से भुगतान नहीं जिसमें बीमितों / पॉलिसी धारकों से मुकदमेबाजी के तहत कारण शामिल नहीं हैं। A. Claim settled but not paid to the Policyholders / insured due to any reasons except under litigation from the insured / policyholders.	12.20	0	0	0	0	0	21.54	33.74
ख. प्रीमियम कर या किसी अन्य शुल्क की कोई अधिक वसूली जो पॉलिसी धारकों को या तो पॉलिसी के नियमों—शर्तों के अनुरूप या कानून के मुताबिक अथवा प्राधिकरण के निर्देश के तहत लौटाने योग्य है मगर अब तक लौटाई नहीं गई है B. Any excess collection of premium / tax or any other charges which is refundable to the policyholder/s either as per term of conditions of the policy or as per law or as per the direction of the Authority but not refundable so far.	184.19	162.54	147.61	141.18	140.00	139.48	1570.38	2485.38

द ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

ग. पॉलिसी की समयावधि पूरी होने या किसी अन्य आधार पर बीमित व्यक्तियों/ पॉलिसीधारकों को देय/ भुगतेय कोई अन्य राशि C. Any other sum due / payable to the insured / policyholders on completion of the policy terms or otherwise.	13.81	6.18	1.96	2.51	1.88	0.66	17.56	44.56
ड़. 'क', 'ख' या 'ग' के अंतर्गत कंपनी द्वारा चेक जारी किए गए लेकिन पॉलिसी धारकों / बीमित व्यक्तियों द्वारा उन चेकों को नहीं भुनाया गया है D. Cheques issued by the company under 'A', 'B' or 'C' and cheques have not been encashed by the policyholders/insured.	1064.44	232.52	152.30	124.70	129.70	141.47	1651.70	3496.83
कुल Total	1274.64	401.24	301.87	268.39	271.58	281.61	3261.18	6060.51

टिप्पणिया:-

- 1. पॉलिसी धाकरों को जारी किए गए ऐसे चेक जिन्हें 3 महीने के भीतर नहीं भुनाया गया, उन्हें पॉलिसी धारकों के बकाए हेतु स्थानांतरित नहीं किया जाता है क्योंकि वे चेक पुराने नहीं हुए हैं। लेकिन उनकी राशि उपर्युक्त विवरण में दर्शाई गई है।
- 2. निपटाए गए दावे के तहत भुगतान नहीं होने के मामले पॉलिसीधारकों के बकाए में स्थानांतरित नहीं किए गए हैं क्योंकि इन दावों के लिए बकाया दावे के तौर पर ही प्रावधान किया गया है। लेकिन इनकी राशियां उपर्युक्त विवरण में दर्शाई गई है।
- 49. प्रभागीय कार्यालयों में से एक में से निधि के दुर्विनियोजन के संबंध में 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार शीर्ष "अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए आरक्षित" के अंतर्गत प्रधान कार्यालय में 327 लाख रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है।

Notes:-

- Cheques issued to policyholders and not encashed for less than 3 months are not transferred to policyholders dues as these cheques have not become stale. However, the amounts are shown in the above statement.
- 2. Claims settled but not paid are not transferred to policyholders dues as these claims have been provided for as outstanding claims. However, the amounts are shown in the above statement.
- **49**. A provision for a sum of Rs.327 lacs has been made at HO under the head 'Reserve for bad and doubtful debts' as on 31.03.2015 towards misappropriation of funds in one of the Divisional Offices.
- **50.**The Company has introduced Integrated Non Life Insurance Application Software (INLIAS) which has not been fully implemented as



- 50. कंपनी द्वारा एकीकृत नॉन लाइफ इंश्योरेंस एप्लीकेशन सोफटवेयर (इनलियास) आरंभ किया गया है किंतू इसे अभी तक पूरी तरह क्रियान्वित नहीं किया जा सका है क्योंकि कुछ मॉडयल्स जैसे हेड ऑफिस एकाउंटस कंसोलिडेशन मॉड्यूल, जीयूएस मॉड्यूल और पुनर्बीमा खात मॉडयल अभी विकास / परीक्षण के दौर में हैं। कंपनी इनलियास में शेष मॉडयुल्स के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक कदम उठा रही है।
- 51. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों के अनुसार, 7.92 करोड़ रुपए की धनराशि को लाभ एवं हानि खाते में 'सीएसआर व्यय' नामक पृथक लाइन आइटम के रूप में दर्ज किया गया है। 7.92 करोड रुपए की राशि में से सीएसआर व्यय की कुल राशि 4.59 करोड़ रुपए है और शेष 3.33 करोड़ रुपए को वर्ष 2014-15 के दौरान कंपनी द्वारा चलाई गई सीएसआर गतिविधि के रूप में दर्ज किया गया है।

some Modules, such as Head Office Accounts Consolidation Module, GUC Module and Re- insurance Accounts Module which are under development/testing. Company is taking necessary steps for implementation of remaining Modules in INLIAS.

51.As per the provisions of Section 135 of the Companies Act, 2013, an amount of Rs. 7.92 crores has been recognized as a separate line item 'CSR Expenditure" in the Profit & Loss Account. Out of Rs.7.92 crores actual amount of CSR spent Rs.4.59 crores and the balance of Rs.3.33 crores has been recognized as liability towards CSR activity already undertaken by the Company during the year 2014-15.

हमारी संलग्न लेखा परीक्षक रिपोर्ट के अनुसार As per our auditors report attached

कृते केपीएमआर एंड एसोसिएट्स चार्टर्ड एकाउंटेंट

एफआरएन सं. 02504N For KPMR & Associates **Chartered Accountants** FRN No. 02504N

कृते एस.मान एंड कंपनी चार्टर्ड एकाउंटेंट एफआरएन सं.000075N For S.MANN & CO. **Chartered Accountants** FRN No.000075N

(डॉ. ए.के. सक्सेना) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक DR. A.K. SAXENA Chairman-cum-Managing Director

सी.ए. एस.एम.वाई कुरैशी

भागीदार

सदस्यता संख्या 081750

CA. S.M.Y. Qureshi **Partner** M. No. 081750

के. रमादेवी

महाप्रबंधक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी **K.Ramadevi GM & Chief Financial Officer**

स्थानः नई दिल्ली दिनांकः 15.05.2015

सी.ए. सुभाष मान

भागीदार

सदस्यता संख्या 080500

CA. Subhash Mann **Partner**

M. No. 080500

रिम बाजपेयी

कंपनी सचिव

Rashmi Bajpai Company Secretary

Place: New Delhi Dated: 15.05.2015

एन. श्रीनिवास राव

निदेशक

N. Srinivasa Rao

Director

कुलदीप सिंह निदेशक

Kuldip Singh Director

सुजय बनर्जी

निदेशक

Sujay Banarji

Director



गैर जीवन-बीमा विश्लेषणात्मक अनुपात **NON LIFE ANALYTICAL RATIOS**

	(₹ in lacs,							
क्र.	विवरण	सकल प्रत्यक्ष	सकल प्रत्यक्ष	सकल प्रत्यक्ष	31.03.2015	31.03.2014		
सं.	Particulars	प्रीमियम	प्रीमियम	प्रीमियम	को समाप्त वर्ष	को समाप्त वर्ष		
SI.		31.03.2015	31.03.2014	31.03.2013	के लिए वृद्धि	के लिए वृद्धि		
No.		Gross Direct	Gross Direct	Gross Direct	Growth for	Growth for		
		Premium	Premium	Premium	Yr ending	Yr ending		
1		31.03.2015	31.03.2014	31.03.2013	31.03.2015 %	31.03.2014		
1	(কুল) Gross Direct Premium Growth Rate (Total)							
	अग्नि Fire	101278	103978	96221	-2.6	8.06		
	मरीन कार्गो Marine Cargo	24758	27257	28155	-9.17	-3.19		
	मरीन हल Marine Hull	17389	21033	21605	-17.32	-2.65		
	मोटर ओडी Motor OD	126134	119820	120651	5.27	-0.69		
	मोटर टीपी (गैर-पूल) Motor TP(Non-Pool)	160572	138363	114888	16.05	20.43		
	मोटर टीपी (पूल) Motor TP(Pool)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
	मोटर टीपी (डीआर पूल) Motor TP(D.R. Pool)	4739	10628	13578	-55.41	-21.73		
	अभियांत्रिकी Engineering	35598	37478	38141	-5.02	-1.74		
	विमानन Aviation	10094	11161	10457	-9.56	6.73		
	कामगार क्षतिपूर्ति Workmen Compensation	8025	8165	8207	-1.72	-0.51		
	व्यक्तिगत दुर्घटना Personal Accident	14937	14241	15678	4.88	-9.16		
	स्वास्थ्य Health	205385	189875	163528	8.17	16.11		
	देयता Liability	5089	4514	4120	12.75	9.56		
	अन्य विविध Other Miscellaneous	42195	41741	38536	1.09	8.32		
	कुल Total	756193	728254	673766	3.84	8.09		



क्र. सं. SI. No.	विवरण Particulars	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम 31.03.2015 Gross Direct Premium 31.03.2015	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम 31.03.2014 Gross Direct Premium 31.03.2014	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम 31.03.2013 Gross Direct Premium 31.03.2013	31.03.2015 को समाप्त वर्ष के लिए वृद्धि Growth for Yr ending 31.03.2015	31.03.2014 को समाप्त वर्ष के लिए वृद्धि Growth for Yr ending 31.03.2014
1a	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम वृद्धि दर (केवल भारत) Gross Direct Premium Growth Rate (Indian Only)				%	%
	अग्नि Fire	96161	98447	91575	-2.32	7.5
	मरीन कार्गो Marine Cargo	22482	24943	25924	-9.87	-3.78
	मरीन हल Marine Hull	17311	20913	21481	-17.23	-2.64
	मोटर ओडी Motor OD	121775	116198	113684	4.8	2.21
	मोटर टीपी (गैर-पूल) Motor TP(Non-Pool)	159656	137037	113111	16.51	21.15
	मोटर टीपी (पूल) Motor TP(Pool)	0	0	0	0	0
	मोटर टीपी (डीआर पूल) Motor TP(D.R. Pool)	4739	10628	13578	-55.41	-21.73
	अभियांत्रिकी Engineering	34755	36709	37325	-5.32	-1.65
	विमानन Aviation	10094	10887	10166	-7.28	7.09
	कामगार क्षतिपूर्ति Workmen Compensation	7410	7817	7563	-5.2	3.36
	व्यक्तिगत दुर्घटना Personal Accident	14752	14074	15530	4.82	-9.37
	स्वास्थ्य Health	205270	189776	163414	8.16	16.13
	देयता Liability	4795	4258	3976	12.62	7.1
	अन्य विविध Other Miscellaneous	41594	41098	37913	1.21	8.4
	कुल Total	740796	712784	655240	3.93	8.78
1b	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम वृद्धि दर (केवल विदेश) Gross Direct Premium Growth Rate (Foreign Only)				%	%



क्र.	विवरण	सक्य प्रवाश	सक्य प्रभाश	सक्य प्रवाश	31.03.2015	31.03.2014
क्र. सं.	Particulars	सकल प्रत्यक्ष	सकल प्रत्यक्ष	सकल प्रत्यक्ष	को समाप्त वर्ष	
સ. SI.	raiticulais	प्रीमियम	प्रीमियम	•		
No.		31.03.2015	31.03.2014	31.03.2013	के लिए वृद्धि	के लिए वृद्धि
IVO.		Gross Direct			Growth for	Growth for
		Premium	Premium	Premium	Yr ending	Yr ending
		31.03.2015	31.03.2014	31.03.2013	31.03.2015	31.03.2014
	अग्नि	5116	5531	4646	-7.49	19.05
	Fire					
	मरीन कार्गी	2276	2314	2231	-1.66	3.72
	Marine Cargo					
	मरीन हल	78	120	124	-34.54	-3.33
	Marine Hull					
	मोटर ओडी	4359	3622	6967	20.33	-48.01
	Motor OD					
	मोटर टीपी (गैर-पूल)	916	1326	1777	-30.91	-25.37
	Motor TP(Non-Pool)					
	मोटर टीपी (पूल)	0	0	0	0	0
	Motor TP(Pool)					
	मोटर टीपी (डीआर पूल)	0	0	0	0	0
	Motor TP(D.R. Pool)					
	अभियांत्रिकी	842	769	817	9.59	-5.87
	Engineering					
	विमानन	0	274	291	-100	-5.68
	Aviation		_, .	27.		3.00
	कामगार क्षतिपूर्ति	614	348	644	76.65	-45.98
	Workmen Compensation	011	3 10	011	7 0.03	13.50
	व्यक्तिगत दुर्घटना	184	167	148	10.24	12.82
	Personal Accident	101	107	1 10	10.21	12.02
		115	99	114	16.09	-12.8
	स्वास्थ्य Health	113		117	10.03	12.0
		294	256	144	14.86	77.60
	देयता	294	230	144	14.00	77.69
	Liability	601	643	624	-6.52	3.09
	अन्य विविध	001	043	024	-0.52	3.09
	Other Miscellaneous	15207	15470	10536	0.47	16.5
	कुल	15397	15470	18526	-0.47	-16.5
	Total				0/	0/
2	THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH				%	%
	(कुल)					
	Gross Written Premium					
	Growth Rate (Total)	111100	140474	444504	2.44	F 04
	अग्नि	114109	118171	111581	-3.44	5.91
	Fire	_				
	मरीन कार्गो	24931	27274	28355	-8.59	-3.81
	Marine Cargo					



क्र.	विवरण	सकल प्रत्यक्ष	सकल प्रत्यक्ष	सकल प्रत्यक्ष	31.03.2015	31.03.2014
सं.	Particulars	प्रीमियम	प्रीमियम		को समाप्त वर्ष	
SI.		31.03.2015	31.03.2014	31.03.2013	के लिए वृद्धि	के लिए वृद्धि
No.		Gross Direct	Gross Direct	Gross Direct	Growth for	Growth for
		Premium	Premium	Premium	Yr ending	Yr ending
	•	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2013	31.03.2015	31.03.2014
	मरीन हल	19936	23230	24711	-14.18	-5.99
	Marine Hull	126157	119925	120751	5.2	-0.68
	मोटर ओडी Motor OD	120137	119923	120731	3.2	-0.08
	मोटर टीपी (गैर-पूल) Motor TP(Non-Pool)	160578	138366	114888	16.05	20.44
	मोटर टीपी (पूल) Motor TP(Pool)	0	0	0	0	0
	मोटर टीपी (डीआर पूल) Motor TP(D.R. Pool)	7663	14395	17848	-46.77	-19.35
	अभियांत्रिकी Engineering	38492	43007	43872	-10.5	-1.97
	विमानन Aviation	12627	13522	15377	-6.62	-12.06
	कामगार क्षतिपूर्ति Workmen Compensation	8025	8165	8207	-1.72	-0.52
	व्यक्तिगत दुर्घटना Personal Accident	14944	14754	16139	1.29	-8.58
	स्वास्थ्य Health	205409	189875	163528	8.18	16.11
	देयता Liability	5094	4519	4276	12.73	5.67
	अन्य विविध Other Miscellaneous	49571	58521	43628	-15.29	34.14
	कुल Total	787535	773725	713162	1.78	8.49
2a	सकल लिखित प्रीमियम वृद्धि दर (केवल भारतीय) Gross Written Premium Growth Rate (Indian Only)				%	%
	अग्नि Fire	104759	107678	102070	-2.71	5.49
	मरीन कार्गो Marine Cargo	22525	24943	25935	-9.69	-3.82



_	विवरण	лана папет	31747 117419T	3144 H-1191	31.03.2015	31.03.2014
क्र. <u>-</u>	Particulars	सकल प्रत्यक्ष	सकल प्रत्यक्ष	सकल प्रत्यक्ष		
सं.	raiticulais	प्रीमियम	प्रीमियम		को समाप्त वर्ष	
SI.		31.03.2015	31.03.2014	31.03.2013		के लिए वृद्धि
No.		Gross Direct				Growth for
		Premium	Premium	Premium	Yr ending	Yr ending
		31.03.2015	31.03.2014	31.03.2013		31.03.2014
	मरीन हल	19446	21918	23639	-11.28	-7.28
	Marine Hull					
	मोटर ओडी	121775	116198	113684	4.8	2.21
	Motor OD					
	मोटर टीपी (गैर-पूल)	159656	137037	113111	16.51	21.15
	Motor TP(Non-Pool)					
	मोटर टीपी (पूल)	0	0	0	0	0
	Motor TP(Pool)					
	मोटर टीपी (डीआर पूल)	7663	14395	17848	-46.77	-19.35
	Motor TP(D.R. Pool)		020		.0	
	अभियांत्रिकी	38913	41551	42213	-6.35	-1.57
	Engineering	30713	71331	42213	0.55	1.57
		11364	11019	11279	3.13	-2.3
	विमानन	11304	11019	112/9	3.13	-2.5
	Aviation	7410	7017	7562	F 2	2.26
	कामगार क्षतिपूर्ति	7410	7817	7563	-5.2	3.36
	Workmen Compensation					
	व्यक्तिगत दुर्घटना	14758	14074	15990	4.86	-11.98
	Personal Accident					
	स्वास्थ्य	205270	189776	163414	8.16	16.13
	Health					
	देयता	4795	4258	4131	12.62	3.06
	Liability					
	अन्य विविध	48802	57807	41393	-15.58	39.65
	Other Miscellaneous					
	कुल	767136	748470	682271	2.49	9.7
	Total					
2b	सकल लिखित प्रीमियम वृद्धि दर				%	%
	(कंवल विदेशी)				,0	,0
	Gross Written Premium					
	Growth Rate (Foreign Only)					
	अग्नि	9351	10493	9511	-10.89	10.32
	आग्न Fire	9331	10493	9311	10.09	10.52
		2406	2221	2420	2.1	267
	मरीन कार्गी	2406	2331	2420	3.2	-3.67
	Marine Cargo	400	4045	4.0=0		22.42
		490	1313	1072	-62.66	22.49
	मरीन हल Marine Hull	150	10.0			

THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LTD.



-	विवरण	71-1-2 H-11-9T	71-4-2 H-1191	सकल प्रत्यक्ष	31.03.2015	31.03.2014
क्र. सं.	Particulars	सकल प्रत्यक्ष	सकल प्रत्यक्ष			
સ. SI.	raiticulais	प्रीमियम	प्रीमियम		को समाप्त वर्ष	
No.		31.03.2015	31.03.2014	31.03.2013		
110.		Gross Direct Premium	Gross Direct Premium	Gross Direct Premium	Growth for Yr ending	Growth for Yr ending
		31.03.2015	31.03.2014	31.03.2013	_	31.03.2014
	मोटर ओडी Motor OD	4382	3727	7066	17.59	-47.26
	मोटर टीपी (गैर-पूल) Motor TP(Non-Pool)	922	1330	1777	-30.68	-25.19
	मोटर टीपी (पूल) Motor TP(Pool)	0	0	0	0	0
	मोटर टीपी (डीआर पूल) Motor TP(D.R. Pool)	0	0	0	0	0
	अभियांत्रिकी Engineering	-421	1456	1658	-128.9	-12.19
	विमानन Aviation	1263	2503	4099	-49.56	-38.93
	कामगार क्षतिपूर्ति Workmen Compensation	614	348	644	76.65	-46
	व्यक्तिगत दुर्घटना Personal Accident	186	680	149	-72.66	356.68
	स्वास्थ्य Health	139	99	114	39.84	-12.79
	देयता Liability	299	261	145	14.5	79.89
	अन्य विविध Other Miscellaneous	769	714	2235	7.7	-68.05
	कुल Total	20399	25255	30891	-19.23	-18.24



\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \					
निवल मूल्य के लिए सकल	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2013		
प्रीमियम का अनुपात	को समाप्त वर्ष	को समाप्त वर्ष	को समाप्त वर्ष		
Gross Direct Premium to Net	Year ending	Year ending	Year ending		
Worth Ratio	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2013		
सकल प्रीमियम	756193	728254	673766		
	730193	720254	0/3/00		
Gross Premium					
निवल मूल्य	318183	289202	252838		
Net Worth					
सकल प्रीमियम का निवल मूल्य के	2.38	2.52	2.66		
सापेक्ष अनुपात (गुणा)					
Ratio of Gross Premium to Net					
Worth (times)					
	21.02.2015	21.02.2014	21.02.2012	%	%
निवल मूल्य की वृद्धि दर Growth rate of Net Worth	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2013	/0	/0
Growth rate of Net Worth		को समाप्त वर्ष			
	Year ending	_			
	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2013		
चालू वर्ष / अवधि के अंत में निवल	318183	289202	252838		
मूल्य					
Net Worth at the end of					
current year/period					
	289202	252838	208938		
गत वर्ष / अवधि के अंत में निवल	209202	232030	200930		
मूल्य					
Net Worth at the end of					
previous year/period					
वृद्धि और वृद्धि दर (%)	28981	36364	43900	10.02	14.38
Growth and Growth rate (%)					
निवल प्रतिधारण अनुपात (कुल)	निवल	निवल	निवल	प्रतिधारण	प्रतिधारण
Net Retention Ratio (Total)	प्रीभियम	प्रीमियम			
Net Netention Natio (Total)		•	प्रीमियम	अनुपात (%) Retention	अनुपात (%) Retention
	Net	Net	Net		
	Premium	Premium	Premium	Ratio(%)	Ratio(%)
_	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2013		
अग्नि	50678	67326	64761	44.41	56.97
Fire					
मरीन कार्गो	21492	23658	22310	86.21	86.74
Marine Cargo					
मरीन हल	7796	7443	5566	39.11	32.04
Marine Hull	50	7 . 13	3330		-52.5
	110225	112661	100163	04.51	04.70
मोटर ओडी	119235	113661	109163	94.51	94.78
Motor OD					
मोटर टीपी (गैर-पूल)	152496	131332	103324	94.97	94.92
Motor TP(Non-Pool)					
मोटर टीपी (पूल)	0	0	0	0	0
Motor TP(Pool)					
1110101 11 (1 001)					

THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LTD.



	मोटर टीपी (डीआर पूल) Motor TP(D.R. Pool)	3871	5892	6986	50.52	40.93
	अभियांत्रिकी Engineering	24714	29932	30517	64.21	69.6
	विमानन Aviation	2614	2742	5124	20.7	20.28
	कामगार क्षतिपूर्ति Workmen Compensation	7573	7746	7351	94.38	94.87
	व्यक्तिगत दुर्घटना Personal Accident	13224	12837	14568	88.49	87
	स्वास्थ्य Health	195147	179612	146364	95	94.6
	देयता Liability	4249	2758	3493	83.4	61.04
	अन्य विविध Other Miscellaneous	44148	53206	35000	89.06	90.92
	सभी विभाग All Departments	647239	638147	554524	82.19	82.48
5a	निवल प्रतिधारण अनुपात (केवल	निवल	निवल	निवल	प्रतिधारण	प्रतिधारण
	भारतीय)	प्रीमियम	प्रीमियम	प्रीमियम	अनुपात (%)	अनुपात (%)
	Net Retention Ratio (Indian	Net	Net	Net	Retention	Retention
	Only)	Premium	Premium	Premium	Ratio(%)	Ratio(%)
		31.03.2015	31.03.2014	31.03.2013		
	अग्नि Fire	44290	60214	58696	42.28	55.92
	मरीन कार्गो Marine Cargo	19278	21861	20304	85.58	87.65
	मरीन हल Marine Hull	7314	6154	4525	37.62	28.08
	मोटर ओडी Motor OD	115082	109977	102316	94.5	94.65
	मोटर टीपी (गैर-पूल) Motor TP(Non- Pool)	151673	130185	101546	95	95
	मोटर टीपी (पूल)	0	0	0	0	0
	मोटर टीपी (डीआर पूल) Motor TP(D.R. Pool)	3871	5892	6986	50.52	40.93
	अभियांत्रिकी Engineering	25494	29002	29472	65.51	69.8
	विमानन Aviation	1371	158	766	12.06	1.44
			7425	6807	95	94.99
	Motor TP(Pool) मोटर टीपी (डीआर पूल) Motor TP(D.R. Pool) अभियांत्रिकी Engineering विमानन	3871 25494	5892 29002 158	6986 29472 766	50.52 65.51 12.06	



	व्यक्तिगत दुर्घटना Personal Accident	13090	12173	14551	88.7	86.49
	स्वास्थ्य Health	195008	179513	146251	95	94.59
	देयता Liability	3989	2559	3357	83.18	60.11
	अन्य विविध Other Miscellaneous	43579	52696	33082	89.3	91.16
	सभी विभाग All Departments	631078	617810	528659	82.26	82.54
5b	निवल प्रतिधारण अनुपात (केवल विदेशी) Net Retention Ratio (Foreign Only)	ਗਿਰਲ ਧੀਮਿਹਸ Net Premium	ਗਿਰਲ ਧੀਮਿਹਸ Net Premium	ਗਿਰਲ ਧੀਮਿਹਸ Net Premium	प्रतिधारण अनुपात (%) Retention Ratio(%)	प्रतिधारण अनुपात (%) Retention Ratio(%)
	अग्नि	31.03.2015 6388	31.03.2014 7112	31.03.2013 6065	68.32	67.78
	Fire मरीन कार्गो Marine Cargo	2214	1797	2006	92.05	77.09
	मरीन हल Marine Hull	482	1289	1041	98.25	98.22
	मोटर ओडी Motor OD	4153	3685	6847	94.78	98.87
	मोटर टीपी (गैर-पूल) Motor TP(Non-Pool)	823	1146	1777	89.33	86.22
	मोटर टीपी (पूल) Motor TP(Pool)	0	0	0	0	0
	मोटर टीपी (डीआर पूल) Motor TP(D.R. Pool)	0	0	0	0	0
	अभियांत्रिकी Engineering	-780	930	1045	185.26	63.87
	विमानन Aviation	1244	2583	4357	98.49	103.21
	कामगार क्षतिपूर्ति Workmen Compensation	534	321	544	86.88	92.18
	व्यक्तिगत दुर्घटना Personal Accident	134	664	17	72.24	97.65
	स्वास्थ्य Health	139	99	114	100	100
	देयता Liability	260	199	136	86.9	76.17
	अन्य विविध Other Miscellaneous	569	510	1917	74.01	71.42
	सभी विभाग All Departments	16161	20336	25865	79.22	80.52

THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LTD.



6	निवल कमीरान	निवल	निवल	निवल	निवल	निवल
	अनुपात कुल (%)	कमीशन	कमीशन	कमीशन	कमीशन	कमीशन
	NET COMMISSION RATIO -	Net	Net	Net	अनुपात (%)	अनुपात (%)
	TOTAL (%)	Commission	Commission	Commission	Net	Net
		31.03.2015	31.03.2014	31.03.2013	Commission	Commission
		2623	2062	2212	Ratio(%) 5.18	Ratio (%) 3.06
	अग्नि Fire	2023	2002	2212	5.10	3.00
	मरीन कार्गी	2820	3030	2853	13.12	12.81
	Marine Cargo	2020	3030	2033	13.12	12.01
	मरीन हल	-70	-181	-189	-0.9	-2.43
	Marine Hull					
	मोटर ओडी	10472	10298	10654	8.78	9.06
	Motor OD					
	मोटर टीपी (गैर-पूल)	-261	-157	-1357	-0.17	-0.12
	Motor TP(Non-Pool)					
	मोटर टीपी (पूल)	0	0	-124	0	0
	Motor TP(Pool)					
	मोटर टीपी (डीआर पूल)	0	0	0	0	0
	Motor TP(D.R. Pool)					
	अभियांत्रिकी	-517	1912	1205	-2.09	6.39
	Engineering	100	020	276	4.10	22.00
	विमानन	109	-929	376	4.18	-33.89
	Aviation	802	763	668	10.6	9.85
	कामगार क्षतिपूर्ति Workmen Compensation	802	/03	000	10.0	9.65
	•	1056	833	1146	7.99	6.49
	व्यक्तिगत दुर्घटना Personal Accident	1030	033	1170	7.99	0.49
	स्वास्थ्य	12364	10616	8484	6.34	5.91
	Health					
	देयता	635	339	431	14.94	12.28
	Liability					
	अन्य विविध	4748	7159	4108	10.75	13.45
	Other Miscellaneous					
	सभी विभाग	34782	35744	30467	5.37	5.6
	All Departments					



6a	निवल कमीशन अनुपात -	निवल	निवल	निवल	निवल	निवल
	केवल भारतीय	कमीशन	कमीशन	कमीशन	कमीशन	कमीशन
	(%)	Net	Net	Net	अनुपात (%)	अनुपात (%)
	NET COMMISSION RATIO -	Commission	Commission	Commission	Net	Net
	Indian Only (%)	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2013	Commission	Commission
					Ratio(%)	Ratio (%)
	अग्नि	262	-489	-274	0.59	-0.81
	Fire					
	मरीन कार्गो	2366	2651	2391	12.28	12.13
	Marine Cargo					
	मरीन हल	-171	-556	-481	-2.33	-9.03
	Marine Hull					
	मोटर ओडी	9343	9322	8407	8.12	8.48
	Motor OD	405	400	4050	0.00	0.22
	मोटर टीपी (गैर-पूल)	-435	-422	-1859	-0.29	-0.32
	Motor TP(Non-Pool)	0	0	0	0	
	मोटर टीपी (पूल)	0	0	0	0	0
	Motor TP(Pool)	0	0	0	0	0
	मोटर टीपी (डीआर पूल) Motor TP(D.R. Pool)	U	U	U	O	U
	अभियांत्रिकी	147	1649	845	0.58	5.69
	Engineering	147	1049	045	0.58	5.09
	विमानन	-83	-1310	-244	-6.04	-827.74
	Aviation	03	1310	277	0.04	027.74
	कामगार क्षतिपूर्ति	650	676	589	9.24	9.11
	Workmen Compensation	030	0,0	305	7.2 1	2.11
	व्यक्तिगत दुर्घटना	1029	805	1128	7.86	6.61
	Personal Accident					
	स्वास्थ्य	12355	10610	8478	6.34	5.91
	Health					
	देयता	549	275	388	13.77	10.73
	Liability					
	अन्य विविध	4563	6848	3581	10.47	13
	Other Miscellaneous					
	सभी विभाग	30578	30059	22949	4.85	4.87
	All Departments					



6b	निवल कमीरान अनुपात – केवल विदेशी (%) NET COMMISSION RATIO - Foreign Only (%)	निवल कमीशन Net Commission 31.03.2015	निवल कमीशन Net Commission 31.03.2014	निवल कमीशन Net Commission 31.03.2013	निवल कमीशन अनुपात (%) Net Commission Ratio(%)	निवल कमीशन अनुपात (%) Net Commission Ratio (%)
	अग्नि Fire	2361	2551	2486	36.96	35.87
	मरीन कार्गो Marine Cargo	453	379	463	20.47	21.07
	ਸरੀਜ ਫ਼ਕ Marine Hull	101	374	292	20.87	29.04
	मोटर ओडी Motor OD	1129	977	2247	27.18	26.5
	मोटर टीपी (गैर-पूल) Motor TP(Non-Pool)	174	265	377	21.14	23.12
	मोटर टीपी (पूल) Motor TP(Pool)	0	0	0		
	मोटर टीपी (डीआर पूल) Motor TP(D.R. Pool)	0	0	0		
	अभियांत्रिकी Engineering	-664	263	359	85.21	28.24
	विमानन Aviation	192	381	620	15.44	14.76
	कामगार क्षतिपूर्ति Workmen Compensation	152	87	79	28.51	27.15
	व्यक्तिगत दुर्घटना Personal Accident	27	29	19	19.95	4.29
	स्वास्थ्य Health	9	6	6	6.36	6.16
	देयता Liability	86	64	43	33.03	32.15
	अन्य विविध Other Miscellaneous	184	311	527	32.37	60.88
	सभी विभाग All Departments	4203	5686	7518	26.01	27.96
7	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम के सापेक्ष प्रबंधन के खर्च का अनुपात Expense of Management to Gross Direct Premium Ratio	31.03.2015 को समाप्त वर्ष Year ending 31.03.2015	31.03.2014 को समाप्त वर्ष Year ending 31.03.2014			
	प्रबंधन के खर्च (प्रत्यक्ष कमीशन सहित) Expenses of Management (incl. Direct Commission)	281571	222959			



निवल लिखित प्रीमियम आय Net Written Premium Income	756193	728254			
अनुपात (%) Ratio(%)	37.24	30.62			
प्रबंधन के खर्च (प्रत्यक्ष कमीशन सहित) Expenses of Management (incl. Direct Commission)	281571	222959			
निवल लिखित प्रीमियम आय Net Written Premium Income	647239	638147			
अनुपात (%) Ratio(%)					
निवल उपगत दावा अनुपात (%) NET INCURRED CLAIMS RATIO (%)	निवल उपगत दावे Net Incurred Claims 31.03.2015	प्रीमियम	दावे	ਗਿਕਲ अर्जित ਧੀਮਿਕਸ Net Earned Premium 31.03.2014	31.03.15 को निवल आईसीआर (%) Net ICR as at 31.03.15 (%)
अग्नि Fire	42506	59002	55525	66044	72.04
मरीन कार्गी Marine Cargo	8711	22575	11512	22984	38.59
मरीन हल Marine Hull	3418	7443	5148	5566	45.92
मोटर ओडी Motor OD	59961	116448	52345	111412	51.49
मोटर टीपी (गैर—पूल) Motor TP(Non- Pool)	134156	141914	104787	117328	94.53
मोटर टीपी (पूल) Motor TP(Pool)	5496	0	2674	0	#DIV/0!
मोटर टीपी (डीआर पूल) Motor TP(D.R. Pool)	4237	4882	25611	6439	86.79
अभियांत्रिकी Engineering	10613	27323	22743	30225	38.84
विमानन Aviation	3338	2678	3827	3933	124.67
कामगार क्षतिपूर्ति	1372	7660	1669	7548	17.92
Workmen Compensation					
	Net Written Premium Income अनुपात (%) Ratio(%) निवल लिखित प्रीमियम के सापेक्ष प्रबंधन के खर्च का अनुपात Expense of Management to Net Written Premium Ratio प्रबंधन के खर्च (प्रत्यक्ष कमीशन सहित) Expenses of Management (incl. Direct Commission) निवल लिखित प्रीमियम आय Net Written Premium Income अनुपात (%) Ratio(%) निवल उपगत दावा अनुपात (%) NET INCURRED CLAIMS RATIO (%) अग्नि Fire मरीन कार्गो Marine Cargo मरीन हल Marine Hull मोटर ओडी Motor OD मोटर टीपी (गैर—पूल) Motor TP(Non-Pool) मोटर टीपी (पूल) Motor TP(Pool) मोटर टीपी (डीआर पूल) Motor TP(D.R. Pool) अभियांत्रिकी Engineering विमानन Aviation कामगार क्षतिपूर्ति	Net Written Premium Income अनुपात (%) Ratio(%) ि निवल लिखित प्रीमियम के सापेक्ष प्रबंधन के खर्च का अनुपात Expense of Management to Net Written Premium Ratio प्रबंधन के खर्च (प्रत्यक्ष कमीशन सिहत) Expenses of Management (incl. Direct Commission) निवल लिखित प्रीमियम आय Net Written Premium Income अनुपात (%) Ratio(%) लिखल उपगत दावा अनुपात (%) NET INCURRED CLAIMS RATIO (%) NET INCURRED CLAIMS RATIO (%) अनिन हांग् मरीन कार्गो Marine Cargo मरीन हल अ418 Marine Hull मोटर ओडी Motor OD मोटर टीपी (गैर—पूल) Motor TP(Non-Pool) मोटर टीपी (खीआर पूल) Motor TP(D.R. Pool) अभियांत्रिकी Engineering विमानन Aviation कामगार क्षतिपूर्ति 1372	Net Written Premium Income अनुपात (%) Ratio(%) निवल लिखित प्रीमियम के सापेक्ष प्रबंधन के खर्च का अनुपात Expense of Management to Net Written Premium Ratio प्रवंधन के खर्च (प्रत्यक्ष कमीशन सहित) Expenses of Management (incl. Direct Commission) निवल लिखित प्रीमियम आय Net Written Premium Income अनुपात (%) Ratio(%) विवल उपजात दावा अनुपात (%) Ratio(%) विवल उपजात वावा अनुपात (%) RATIO (%) NET INCURRED CLAIMS RATIO (%) अग्मिन शिल कार्यो सियम अाय Net Uncurred Claims 31.03.2015 अग्मि सीन कार्यो अगमि सीन कार्यो अगमि सीन कार्यो अगमि सीन कार्यो Motor OD मोटर टीपी (गेर—पूल) Motor TP(Non-Pool) मोटर टीपी (पूल) Motor TP(Do.R Pool) अभियांत्रिकी Engineering विमानन Aviation कामगार क्षितिपूर्ति 1372 7660	Net Written Premium Income अनुपात (%) Ratio(%) निवल लिखित प्रीमेयम के सापेक्ष प्रबंधन के खर्च का अनुपात Net Written Premium Ratio Net Written Premium Ratio प्रबंधन के खर्च का अनुपात प्रवंधन के खर्च वा अनुपात प्रवंधन के खर्च (प्रत्यक्ष कमीशन सहित) Expenses of Management (incl. Direct Commission) निवल लिखित प्रीमेयम आय Net Written Premium Income अनुपात (%) Ratio(%) विवल उपजात वावा अनुपात (%) RATIO (%) NET INCURRED CLAIMS RATIO (%) NET INCURRED CLAIMS RATIO (%) अग्निन स्वान स्वान अनुपात (%) अग्निन स्वान अनुपात (%) अग्निन स्वान अनुपात (%) अग्निन इल अग्नित स्वान अग्नित वाते Net Incurred Claims 31.03.2015 अग्निन स्वान अग्नित स्वान अग्नित वाते Net Earned Premium 31.03.2015 अग्निन स्वान अग्नित स्वान अग्नित वाते Net Incurred Claims 31.03.2015 अग्निन स्वान अग्नित स्वान अग्नित वाते Net Earned Premium 31.03.2015 अग्निन स्वान अग्नित स्वान अग्नित वाते Net Incurred Claims 31.03.2015 अग्निन स्वान अग्नित स्वान अग्नित वाते Net Incurred Premium 31.03.2015 अग्निन स्वान अग्नित स्वान अग्नित वाते Net Incurred Premium 31.03.2015 अग्निन स्वान अग्नित स्वान अग्नित वाते प्रवंधन स्वान प्रवंधन स्वान अग्नित वाते प्रवंधन स्वान प्रवंधन स्वान अग्नित वाते प्रवंधन स्वान प्रवंधन स्वान अग्नित वाते प्रवंधन स्वान स्वान अग्नित वाते प्रवंधन स्वान	Net Written Premium Income अनुपात (%) Ratio(%) निवल लिखित प्रीमियम के सापेक्ष प्रवासन के खर्च का अनुपात (को समाप्त वर्ष Year ending 31.03.2014 को समाप्त वर्ष Year ending 31.03.2014 प्रवंधन के खर्च (प्रत्यक्ष कमीशन सहित) Expense of Management (incl. Direct Commission) निवल लिखित प्रीमियम आय (647239) निवल कप्रजात वाचा अनुपात (%) (को स्वर्ण अपित प्रीमियम अप (1647239) निवल उपजात वाचा अनुपात (%) (164724) निवल कप्रजात वाचा अनुपात (%) (164724) निवल जप्रजात वाचा अनुपात (%) (164724) निवल जप्पात (%) (164724) निवल जप्रजात वाचा अनुपात (%) (164724) निवल जप्रजात वाचा अनुपात (%) (164724) निवल जप्पात (श्रीयाच अप्रजात वाचा अनुपात (%) (164724) निवल जप्रजात वाचा अनुपात (%) (164724) निवल जप्पात वाचा अनुपात (काचा

THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LTD.



	स्वास्थ्य Health	226892	187380	187804	162988	121.09
	देयता Liability	684	3503	81	3125	19.53
	अन्य विविध Other Miscellaneous	17141	48677	27610	44103	35.21
	सभी विभाग All Departments	526150	642516	511102	595397	81.89
10	संयुक्त अनुपात Combined Ratio	कुल Total 31.03.2015	कुल Total 31.03.2014	भारतीय Indian 31.03.2015	भारतीय Indian 31.03.2014	विदेश Foreign 31.03.2015
	निवल उपगत दावे Net Incurred Claims	526150	511102	520000	487625	6150
	निवल अर्जित प्रीमियम Net Earned Premium	642516	595397	623863	572416	18653
	निवल उपगत दावा अनुपात (%) Net Incurred Claims Ratio (%)	81.89	85.84	83.35	85.19	32.97
	निवल चुकता कमीशन Net Commission Paid	34782	35744	30577	30059	4205
	प्रचालनिक प्रबंधन खर्च Operating Management Expenses	234798	177543	232947	175928	1851
	निवल लिखित प्रीमियम Net Written Premium	647239	638147	631078	617810	16161
	निवल प्रचालनिक खर्च अनुपात (%) Net Operating Expenses Ratio (%)	41.65	33.42	41.76	33.34	37.47
	संयुक्त अनुपात (%) Combined Ratio (%)	123.54	119.26	125.11	118.53	70.44
11	निवल प्रीमियम अनुपात के	31.03.2015	31.03.2014			
	सापेक्ष तकनीकी आरिक्षतियों का	को समाप्त वर्ष				
	अनुपात	Year ending 31.03.2015	Year ending 31.03.2014			
	Technical Reserves to Net Premium Ratio	31.03.2013	31.03.2014			
	असमाप्त जोखिमों के लिए आरक्षिति Reserve for Unexpired Risks	327517	322795			
	प्रीमियम में कमी हेतु आरक्षिति Premium Deficiency Reserve	0	0			
	बकाया दावों के लिए आरक्षिति Reserve for Outstanding Claims	726461	708295			



	कुल Total	1053978	1031090		
	निवल प्रीयिम Net Premium	647239	638147		
	अनुपात (गुणा) Ratio (Times)	1.63	1.62		
12	जीखिम अंकन रोष अनुपात	31.03.2015	31.03.2014	जोखिम अंकन	जोखिम अंकन
	Underwriting Balance Ratio	को समाप्त वर्ष	को समाप्त वर्ष	तुलन अनुपात	तुलन अनुपात
		Year ending		(गुणा)	(गुणा)
		31.03.2015	31.03.2014		U/W Balance
				Ratio (Times)	Ratio (Times)
	अग्नि	-20595	-19065	-0.35	-0.29
	Fire				
	मरीन कार्गो	5397	3679	0.24	0.16
	Marine Cargo				
	मरीन हल Marine Hull	-420	-3458	-0.06	-0.62
	मोटर ओडी Motor OD	7847	20782	0.07	0.19
	मोटर टीपी (गैर—पूल) Motor TP(Non- Pool)	-40563	-19593	-0.29	-0.17
	मोटर टीपी (पूल) Motor TP(Pool)	-5496	-2674	#DIV/0!	#DIV/0!
	मोटर टीपी (डीआर पूल) Motor TP(D.R. Pool)	-1655	-22501	-0.34	-3.49
	अभियांत्रिकी Engineering	5582	-4467	0.2	-0.15
	विमानन Aviation	-4590	-2121	-1.71	-0.54
	कामगार क्षतिपूर्ति Workmen Compensation	3057	3211	0.4	0.43
	व्यक्तिगत दुर्घटना Personal Accident	-172	-339	-0.01	-0.02
	स्वास्थ्य Health	-114021	-79743	-0.61	-0.49
	देयता Liability	643	1651	0.18	0.53
	अन्य विविध Other Miscellaneous	11772	-4354	0.24	-0.1
	कुल TOTAL	-153213	-128992	-0.24	-0.22



13	प्रचालनिक लाभ अनुपात	31.03.2015	31.03.2014		
	Operating Profit Ratio	को समाप्त वर्ष	को समाप्त वर्ष		
			Year Ending		
		31.03.2015	31.03.2014		
	जोखिम अंकन लाभ	-153213	-128992		
	Underwriting Profit				
	निवेशों से आय	208223	191740		
	Investment Income				
	प्रचालनिक लाभ	55010	62747		
	Operating Profits				
	निवल अर्जित प्रीमियम	642516	595397		
	Net Earned Premium				
	अनुपात (%)	8.56	10.54		
	Ratio(%)				
14	देयताओं के सापेक्ष नकद	31.03.2015	31.03.2014		
	परिसम्पत्तियों का अनुपात		को समाप्त वर्ष		
	Liquid Assets to Liabilities	Year Ending			
	Ratio	31.03.2015	31.03.2014		
	नकद परिसम्पत्तियां	320126	314186		
	Liquid Assets	1058948	1035810		
	पॉलिसीधारकों की देयताएं	1036946	1033610		
	Policyholders' Liabilities	0.3	0.3		
	अनुपात (गुणा) Ratio (Times)	0.5	0.5		
15	निवल आय अनुपात	31.03.2015	31.03.2014		
.,	Net Earnings Ratio		को समाप्त वर्ष		
	Tree Lamings Ratio	Year Ending			
		31.03.2015	31.03.2014		
	कर पश्चात लाभ	39210	46029		
	Profit after Tax				
	निवल प्रीमियम	647239	638147		
	Net Premium				
	अनुपात (%)	6.06	7.21		
	Ratio (%)				
16	Return on Net Worth	31.03.2015	31.03.2014		
		को समाप्त वर्ष	को समाप्त वर्ष		
		Year Ending	Year Ending		
		31.03.2015	31.03.2014		
	कर पश्चात लाभ	39210	46029		
	Profit after Tax				
16	Net Premium अनुपात (%) Ratio (%)	6.06 31.03.2015 को समाप्त वर्ष Year Ending	7.21 31.03.2014 को समाप्त वर्ष Year Ending		



	निवल मूल्य Networth	318183	289202		
	अनुपात (%) Ratio (%)	12.32	15.92		
17	अपेक्षित ऋण शोधन मार्जिन के लिए उपलब्ध ऋण शोधन मार्जिन Available Solvency Margin to required Solvency Margin Ratio	समाप्त वर्ष Year Ending 31.03.2015	31.03.2014 को समाप्त वर्ष Year Ending 31.03.2014		
	उपलब्ध ऋण शोधन मार्जिन Available Solvency Margin	286407	262142		
	अपेक्षित ऋण शोधन मार्जिन Required Solvency Margin	170947	160284		
	ऋण शोधन मार्जिन अनुपात (गुणा) Solvency Margin Ratio (Times)	1.68	1.64		
18	एनपीए अनुपात (%) NPA Ratio (%)	31.03.2015 को समाप्त वर्ष Year Ending 31.03.2015	31.03.2014 को समाप्त वर्ष Year Ending 31.03.2014		
	सकल एनपीए अनुपात— पॉलिसीधारकों की निधियां Gross NPA Ratio - Policyholders' funds	0.35	0.42		
	सकल एनपीए अनुपात— शेयरधारकों की निधियां Gross NPA Ratio - Shareholders' Funds	0.1	0.12		
	निवल एनपीए अनुपात— पॉलिसीधारकों की निधियां Net NPA Ratio - Policyholders' Funds	0	0		
	निवल एनपीए अनुपात— शेयरधारकों की निधियां Net NPA Ratio - Shareholders' Funds	0	0		



आईआरडीएआई के विनियमों के अनुसार वित्तीय विवरणिकाओं पर प्रबंधन का प्रतिवेदन

- 1. हम पुष्टि करते हैं कि आईआरडीएआई द्वारा प्रदान किए गए पंजीकरण का वर्ष 2015-16 के लिए उनके पंजीकरण संख्या 556 द्वारा नवीकरण किया जा चुका है।
- 2. सांवधिक प्राधिकारियों को देय सभी देयताओं का विधिवत भुगतान किया जा चुका है।
- 3 वर्ष 2014-15 के दौरान शेयरधारिता का स्वरूप और शेयरों के सभी अंतरण सांविधिक और विनियामक अपेक्षाओं के अनुसार हैं।
- 4. वर्ष 2014-15 के दौरानए प्रबंधन ने भारत में पॉलिसीधाकरों की निधियों का भारत से बाहर प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः निवेश नहीं किया है।
- 5. हम पुष्टि करते हैं कि अपेक्षित ऋण शोधन क्षमता मार्जिन का अनुरक्षण किया गया है।
- 6. हम प्रमाणित करते हैं कि तुलन पत्र में उल्लिखित सभी परिसम्पत्तियों के मूल्य आईआरडीएआई के विनियामों के अनुरूप हैं और हमारे विश्वास के अनुसार ये बाजार मूल्य या निष्पाद्य मूल्य से अधिक नहीं हैं।
- 7. बीमा कम्पनी बीमित राशि के अत्यधिक उच्च मूल्य वाले बीमा के सापेक्ष बीमा-सुरक्षा प्रदान करने की शपथ लेती है। इसके अतिरिक्त कम्पनी बड़ी संख्या में अल्प राशि के बीमित, किंतु मलिन बस्तियों में स्थित, मूल्यों वाले जोखिमों को बीमा सुरक्षा मुहैया कराती है और यह किसी आपदा की घटना में प्रभावित हो सकती है जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी को भारी संचित हानि हो सकती है। ये वे जोखिम हैं जिनका प्रबंधन बीमा कम्पनी द्वारा अपनी जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया के भाग के रूप में किया जाता है।

पुनर्बीमा कार्यक्रम वह विवरण होता है जिसमें विभिन्न जोखिमों - उच्च मृल्य वाले / संचित - का पोर्टफोलियो आधार पर प्रबंधन करने की पद्धतियों का ब्यौरा दिया गया है ।

पुनर्बीमा कार्यक्रम कारोबार का सहायक होता है क्योंकि यह कम्पनी को उस सीमा की पहचान करने में सक्षम बनाता है जहां तक कम्पनी अपनी खुद की पूंजी के साथ-साथ पुनर्बीमाकारों से उधार ली गई पूंजी से अपना कारोबार कर सकती है। विनियमों में प्रावधान है कि

MANAGEMENT REPORT ON FINANCIAL STATEMENTS AS PER IRDAI REGULATIONS

- 1. We confirm that the registration granted by IRDAI has been renewed for the year 2015-16 vide their Registration no. 556
- 2. All dues payable to statutory authorities have been duly paid.
- 3. The shareholding pattern and all transfers of shares during 2014-15 are in accordance with statutory and regulatory requirements.
- 4. During 2014-15, the management has not directly or indirectly invested outside India, the funds of the holders of policies in India.
- 5. We confirm that the required solvency margin has been maintained.
- 6. We certify that the values of all assets stated in the Balance Sheet are in accordance with IRDAI Regulations and in our belief do not exceed the realizable or market value.
- 7. Insurance Company undertakes to provide coverage against insurance risk having very high values of Sum Insured. Further the company provides coverage to a large number of risks having moderate Sum Insured values but located in a cluster and can get affected by a Catastrophic Event resulting in cumulatively large loss to the company. These are risks which are to be managed by the Insurance Company as part of its risk management process.

Reinsurance Programme is a statement detailing methods of management of the various risks high valued/accumulated, on a portfolio basis.

The Reinsurance Programme is an enabler of business as it enables the company to identify the extent to which the company can do its business on own capital as well as on the borrowed capital from the Reinsurers. Regulations provide that Reinsurance should aim at twin objectives of maximum retention and maximum capacity. The programme for 2014-15 was designed to provide impetus to Company"s growth as well as achieve the regulator"s objective to retain



पुनर्बीमा अधिकतम प्रतिधारण और अधिकतम क्षमता के दोहरे उददेश्यों पर लक्षित होता है। वर्ष 2014.15 के लिए कार्यक्रम को कम्पनी की वृद्धि को आवेग प्रदान करने के साथ साथ देश के भीतर अधिकतम प्रतिधारण के विनियामक के उददेश्य को हासिल करने के लिए तैयार किया गया था।

प्रत्यक्ष प्रीमियम निरंतर स्व-विनियम और मालिक के हस्तक्षेप के कारण स्थिर बना रहा। कम्पनी जोखिम अंकन और दावों, दोनों पर नियंत्रण में सुधार करती रही और यह तथ्य कम्पनी के वित्तीय निष्पादन में सुधार द्वारा परिलक्षित होता है।

आनुपातिक संधि क्षमता उपलब्ध थी, हालांकि अपेक्षाकृत अधिक कठोर शर्तों / निबंधनों के साथ उपलब्ध थी, जिसमें जीआईसी अग्रणी है। मरीन हल अधिशेष संधि क्षमता को एचएंडएम पोर्टफोलियो द्वारा निरंतर खराब निष्पादन की वजह से नवीकृत नहीं किया जा सका। इसलिए आनुपातिक द्वमता न होने की वजह से, इस पोर्टफोलियो को मरीन एक्सओएल संधि कवर करती है। गैर-आनुपातिक संधियां समान व्यक्तिपरकता और स्थितियों के साथ उपलब्ध थी और वर्ष 2014-15 के लिए हमारी अगुआ जीआईसी थी। आनुपातिक और गैर-आनुपातिक दोनों प्रकार की संधियों का नियोजन आईआरडीएआई के विनियम द्वारा अनुमत्त मूल्यांकित प्रतिभृतियों सहित सफलतापूर्वक किया गया।

वर्ष 2015–16 के लिए, प्रतिधारण को अधिकतम करने और क्षमता को अधिकतम करने के दोहरे उददेश्य को प्राप्त करने के लक्ष्य से, समाप्त होने वाली सीमाओं के साथ स्वचालित क्षमता मुहैया कराने के लिए आरई कार्यक्रम तैयार किया गया है। वृद्धि और बाजार की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए विविध विभाग के अंतर्गत कुछ उत्पादों की प्रतिधारण सीमाओं में वृद्धि देखी गई।

वृद्धि की संभावना होने के बावजूद क्षमता की कमी देनदारी पोर्टफोलियो में वृद्धि के समक्ष बड़ी रुकावट थी और वर्ष 2015–16 में इसका समाधान किया जा चुका है, चूंकि देनदारी पोर्टफोलियो के लिए क्षमता सुजित की जा चुकी है।

विमानन उद्योग में वृद्धि की संभावना को देखते हुए आशातीत अधिक बडे आकार के बाजार का लाभ उठाने के लिए क्षमता में इजाफा किया गया है ।

the maximum within the country.

Direct premium continued to stabilize on account of self regulation and owner"s intervention. Company continued to improve the controls both on underwriting and claims and the same is reflected by the improvement in the financial performance of the Company.

Proportional Treaty capacity was available, albeit with stricter terms/conditions, with GIC as Leader. Marine Hull Surplus treaty capacity could not be renewed due to continuous poor performance by the H & M Portfolio. Therefore in the absence of proportional capacity, the Marine XOL treaty covers the portfolio. Non-Proportional treaties were available with similar subjectivities and conditions and GIC was our leader for 2014-15. Placement of both Proportional & Non Proportional treaties were successfully completed with rated securities permitted by IRDAI Regulation.

For the year 2015-16 with an aim to achieve the twin objectives of maximization of retention and maximization of capacity, the RI programme is designed to provide Automatic Capacity with expiring limits. A few of the products under Miscellaneous department saw increase in retention limits looking into the growth and market potential.

Lack of capacity was a major hurdle for growth in Liability portfolio despite having a growth potential and the same stands addressed in 2015 16 as Capacity has been created for Liability portfolio.

In view of the growth potential in Aviation industry capacity has been enhanced to take advantage of expected larger sized market.

Based on the results of Catastrophe models, protection against Earthquake Risk has been enhanced.

The international markets in 2015 have been characterized by availability of capacity and relative softening of rates. Despite the effect



आपदा मॉडलों के परिणामों के आधार पर, भूकम्प जोखिम के सापेक्ष संरक्षण में वृद्धि की गई है।

वर्ष 2015 में अंतरराष्ट्रीय बाजारों की विशेषताएं क्षमता की उपलब्धता और इसके सापेक्ष दरों का कम होना रहीं। एक्सओएल कवरों के लिए पुनर्बीमा द्वारा मांगी गई उच्चतर कटौती राशियों के रूप में सम्पत्ति वर्ग के लिए भारतीय बाजार नवीकरणों पर उत्तराखंड की बाढ के कारण हानियों के प्रभाव के बावजूद, समाप्त होने वाली कटौती राशियों पर सभी संधियां सफलतापूर्वक नियोजित की गई हैं।

कुछ आनुपातिक और एक्सओएल संधियों को छोड़कर, वर्ष 2014.15 के लिए ऐसी सभी संधियों का नवीरकण किया जा चुका है, जिनमें जीआईसी अग्रणी रहा, और विनियामक अपेक्षाओं को पूरा करने वाली प्रतिभूतियों के साथ नियोजन प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है।

- कम्पनी के वर्तमान विदेशी प्रचालन दुबई, कुवैत और नेपाल में हैं। कतर में कार्यालय खोलने की प्रक्रिया अभी भी चल रही है। कतर में कार्यालय खोलने के लिए अनुमोदन जनवरी 2014 में प्राप्त किया गया और कतर में कार्यालय खोलने के लिए अपेक्षित औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। कम्पनी की सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम आय उल्लेखनीय नहीं है। इसलिए विदेशी प्रचालनों के कारण जोखिम अरक्षितता अत्यंत मामूली है।
- 9. दावों का परिपक्वन और दावों के समाधान की प्रवृत्तियां: भारत में बकाया दावों का आयू-वार विश्लेषण अनुबंध 1 में दिया गया है।
- 10. स्टॉक और शेयरों सहित सभी निवेशों के मृल्य की गणना आईआरडीएआई के विनियमों के अनुसार की गई है। भारत में सक्रिय रूप से कारोबार किए गए इक्विटी शेयरों का मूल्य निर्धारण मार्च महीने में एनएसई में व्यक्त अंतिम मूल्य पर किया गया है जिसका चयन प्रमुख एक्सचेंज के तौर पर किया गया है और यदि ऐसी प्रतिभृति प्रमुख एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है / कारोबार नहीं किया जाता है, तो इसका मूल्य-निर्धारण मार्च महीने में बीएसई में व्यक्त अंतिम मूल्य पर किया गया है जिसका चयन द्वितीयक एक्सचेंज के तौर पर किया गया है।
- 11. पोर्टफोलियो की दृष्टि से परिसम्पत्तियों की गुणवत्ता और निवेश के निष्पादन की समीक्षा निम्नानुसार की गई है:

of Uttrakhand flood losses on Indian market renewals for the property class in form of higher deductibles sought by Reinsurers for XOL covers, all the treaties have been successfully placed at expiring deductibles.

All the Proportional and XOL treaties have been renewed for 2014-15 with GIC as leader except a few and placement completed with the securities meeting the Regulatory requirements.

- 8. The present overseas operations of the Company are in Dubai, Kuwait and Nepal. The process of opening an office at Qatar is still under way. The approval from IRDAI for opening an office in Qatar was obtained in January 2014 and steps are in process to complete the formalities required to open the office at Qatar. The Foreign offices" contribution to the Gross Direct Premium Income of the Company is not substantial. Therefore the risk exposure on account of the foreign operations is very minimal.
- 9. Ageing of claims and trends in settlement of claims: Age-wise analysis of Outstanding Claims in India is given in Annexure 1.
- 10. The values of all investments including stock and shares have been arrived at in accordance with IRDAI Regulations. The actively traded Equity shares in India, are valued at the last quoted closing price at NSE in the month of March which is selected as the Primary Exchange and in case such security is not listed/not traded on the Primary Exchange, the same are valued at the last quoted closing price at BSE in the month of March which is selected as the Secondary Exchange.
- 11. A review of asset quality and performance of investment in terms of portfolios are given below:



पोर्टफोलियो	निवेश	मुल निवेश का %	अर्जन %	अर्जन %
Portfolio	करोड़ रूपए में	% to total	वित्त वर्ष 2014-15	वित्त वर्ष 2013-
	Investments	Investments	Yield %	14
	Rs. in Crores		FY 2014-15	Yield %
	HSI III CI OTCS			FY2013-14
सरकारी प्रतिभूतियां	4411.52	35.37	8.64	8.24
Government Securities				
बांड और डिबेंचर	4195.82	33.64	9.44	9.37
Bonds and Debentures				
म्यूचुअल फंड / उद्यम निधि	140.49	1.13	0.00	0.00
Mutual Funds/Venture Fund				
港 町	81.87	0.66	12.29	16.63
Loans				
अधिमान्य शेयर	9.92	0.08	2.60	2.37
Preference Shares				
इक्विटी शेयर	2186.70	17.53	9.34	9.78
Equity Shares				
निधि बाजार लिखत	1441.03	11.55	10.40	9.15
Money Market Instruments				
अल्पावधि ऋण	6.20	0.05	0.00	0.00
Short Term Loans				
ऋणों / शेयरों के लिए आवेदन शुल्क	0.00	0.00	0.00	0.00
Application Money for debts/shares				
कुल	12473.55	100.00	9.12	8.92
Total				

पोर्टफोलियो	अर्जन %	अर्जन %	अर्जन %
Portfolio	वित्त वर्ष 2012-13	वित्त वर्ष 2011-12	वित्त वर्ष 2010-
	Yield %	Yield %	11
	FY 2012-13	FY 2011-12	Yield %
	8.28	8.32	FY 2010-11 8.28
सरकारी प्रतिभूतियां	0.20	0.32	0.20
Government Securities			
बांड और डिबेंचर	9.17	9.26	8.68
Bonds and Debentures			
म्यूचुअल फंड/उद्यम निधि	0.00	0.00	0.00
Mutual Funds/Venture Fund			
	12.69	22.55	11.53
Loans			
अधिमान्य शेयर	2.24	2.27	1.36
Preference Shares			
इक्विटी शेयर	9.29	10.47	11.80
Equity Shares			
निधि बाजार लिखत	11.17	9.87	7.65
Money Market Instruments			

THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LTD.

120	(Q	
1111	STATE OF THE PARTY	

अल्पावधि ऋण	0.00	0.00	0.00
Short Term Loans			
ऋणों / शेयरों के लिए आवेदन शुल्क	0.00	0.00	0.00
Application Money for debts/shares			
कुल	8.95	9.24	8.95
कुल Total			

उचित मूल्य बदलें खाते में इक्विटी-म्युचुअल फंड में नहीं माना जाता है। Fair Value Change Account is not considered in Equity/Mutual Funds.

- 12 निदेशकों की रिपोर्ट ''जिम्मेदारी वक्तव्य निदेशकों के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किया गया है''।
- 12 The Directors" Responsibility Statement has been furnished as part of Directors" Report.
- 13 आवश्यक जानकारी नहीं के बराबर है।
- 13 The required information is Nil.

डॉ. ए.के. सक्सेना

अध्यक्ष एवं प्रबंधन निदेशक

Dr. A.K. Saxena

Chairman-cum-Managing Director

एन. श्रीनिवास राव

निदेशक

N. Srinivasa Rao

Director

के. रमादेवी

वित्तीय सलाहकार एवं सीएफओ

K.Ramadevi

Financial Advisor & CFO

स्थानः नई दिल्ली **Place: New Delhi** दिनांकः 15.05.201 Dated: 15.05.2015

कुलदीप सिंह सुजाय बनर्जी निदेशक निदेशक Sujoy Banerji **Kuldip Singh**

Director

रिम बाजपेयी

कम्पनी सचिव

Director

Rashmi Bajpai

Company Secretary



31.03.2015 को भारत में बकाया दावों का अवधि-वार विश्लेषण दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

AGEWISE ANALYSIS OF CLAIMS OUTSTANDING IN INDIA AS AT 31/03/2015 THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED **ANNEXURE 1**

(₹ in lacs)

🧕 जितनी अवधि से तवे बकाया				5 की समाप्त वर्ष	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष/Year Ending 31st March 2015		
жc		अठिज/FIRE		मरीज/MARINE	ARINE	विविध/MISC.	MISC.
		संख्या/NO.	fgr/Amc	संख्या/NO.	साहा/AMOUNT	संख्या/NO.	साधि/AMOUNT
8 30 दिन से कम 1 less than 30 days	वाद Suit	11	62.25	E .	13	4451	11170.94
t 2014	गैर—वाद Nonsuit	520	10213.89	705	2126.5	33072	46100.91
30 दिन से 6 महीने 30 Davs to 6 Months	वाद Suit	m	8:38	7	33	12318	30566.83
	गैर—वाद Nonsuit	1094	42166.4	1612	10800	37118	46161.45
6 महीने से 1 वर्ष 6 Months to 1 Year	वाद Suit	19	294.45	10	32.7	14947	35026.33
	गैर—वाद Nonsuit	803	54971.02	066	4844	17815	40541.08
1 वर्ष 5 वर्ष 1 Year to 5 Years	वाद Suit	146	418.86	64	329	68061	160259.7
	गैर-वाद Nonsuit	637	49627.54	009	11070	11936	38832.79
5 वर्ष और इससे अधिक 5 vears and above	वाद Suit	133	16621.28	64	5852.28	49393	94081.2
	गैर—वाद Nonsuit	95	2393.79	48	1067	1186	2099.31
आवक सहबीमा Incomina Coinsurance	वाद Suit	0	0	ī.	139	406	827.83
	गैर—वाद Nonsuit	150	13486.81	26	7152	519	-52137.2
सर्वेक्षण / विधिक शुल्क Survey / Legal Fee	वाद Suit		320		84	0	5604.7
	गैर—वाद Nonsuit		445.98		18844	0	10680.7
कुल TOTAL	वाद Suit	312	17725.22	153	6482.98	149576	337537.6
	गैर—वाद Nonsuit	3299	173305.4	4052	55903.5	101646	132279
कुल योग GRAND TOTAL		3611	191030.65	4205	62386.48	251222	469816.59



(₹ in lac

जितनी अवधि से दावे बकाया		33	। आर्च २०१४ को	समाज	31 सार्च 2014 को समाजि वर्ष/Near Ending 31st March 2014	31ct March	2014	75	())	- समाज वर्ष	F/Vear Endin	n 31ct Marc	h 2013
		s q	P 1 07 5 10 1		4 4 / Iear Ending	dd	1	5 q	P 01 07 P 110		ועמו רוועווו	יונות ל סם	2013
≱tco		आह	आठब/FIRE	अराङ	मराज/MARINE	<u> 10 0</u>	ावावध/MISC.	आह	आर्ग्ज/FIRE	मराज/MARINE	IARINE	<u> </u>	বোব'a/MISC.
Claims O/s for		संख्या/	ताशि/	संख्या/	संख्या/ हाशि/AMOUNT	संख्या/	्राधि।	संख्या/		संख्या/NO.	शाश्चि/	संख्या/	साधि/
		Š	AMOUNT	Š.		ġ	AMOUNT	Š	AMOUNT		AMOUNT	Š	AMOUN
30 दिन से कम	वाद	4	0.22	4	1.95	3794	12233.97	7	31.00	m	9.05	5744	11873.02
Less than 30 days	Suit												
	गैर–वाद	453	8683.34	663	2626.52	31936	30955.12	493	6260.92	649	4332.15	17446	16196.82
	Nonsuit												
30 दिन से 6 महीने	वाद	4	7.63	4	12.27	14154	29125.01	16	355.70	10	37.63	13954	27517.42
30 Days to 6 Months	Suit												
	गैर–वाद	1017	27453.20	1295	6539.03	56599	69491.79	945	29890.26	1188	4182.72	27304	27246.36
	Nonsuit												
6 महीने से 1 वर्ष	वाद	23	273.78	5	3.07	19961	41705.83	10	86.36	9	8.05	17865	34426.93
6 Months to 1 Year	Suit												
	गैर–वाद	768	44495.49	962	3922.35	22487	66264.67	754	17362.83	954	5164.94	15384	30992.57
	Nonsuit												
1 वर्ष 5 वर्ष	वाद	111	462.41	89	297.56	73781	141920.12	66	424.03	4	92.55	81801	146327.80
1 Year to 5 Years	Suit												
	गैर–वाद	733	36573.02	719	12605.07	16209	81486.38	844	32376.90	738	11668.98	10546	38532.85
	Nonsuit												
5 वर्ष और इससे अधिक	वाद	109	15060.87	41	4705.28	52851	104160.96	186	14274.97	61	4401.30	53756	78175.58
5 years and above	Suit												
	गैर–वाद	61	1054.21	72	2047.38	1445	15566.89	63	982.16	53	1310.61	1289	5033.32
	Nonsuit												
आवक सहबीमा	वाद	2	6.18	5	138.95	729	3440.22	0	00.00	8	1118.80	155	225.44
Incoming Coinsurance	Suit												
	गैर–वाद	129	26080.76	20	9767.44	208	41532.15	209	17841.64	92	17800.57	274	4564.76
	Nonsuit												
सर्वेक्षण / विधिक शुल्क	वाद		195.04		17806.77		21733.50		161.72		17010.65		3207.94
Survey / Legal Fee	Suit												
	गैर–वाद		330.91		393.35		1793.54		450.70		376.73		957.33
	Nonsuit												
केंब	वाद	253	16006.13	127	22965.84	165270	354319.61	318	15333.78	132	22678.03	173275	301754.13
TOTAL	Suit												
	गैर–वाद	3161	144670.93	3781	37901.14	129184	307090.54	3308	105165.41	3674	44836.70	72243	123524.01
	Nonsuit				0		1			0			
कुल योग		3414	160677.06	3908	60896.99	294454	661410.15	3626	120499.19	3806	67514.73	245518	425278.14
GRANDIOIAL													



31.03.2012 को भारत में बकाया दावों का अवधि-वार विश्लेषण दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

(₹ in lacs)

AGEWISE ANALYSIS OF CLAIMS OUTSTANDING IN INDIA AS AT 31/03/2012 THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED

													(25)
जितनी अवधि से वावे बकाया है		37	31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष/Year Ending 31st March 2012	ो समाप्त ट	ाषे/Year Ending	31st March	2012	313	31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष/Year Ending 31st March 2011	समाप्त वर	/Year Ending	31st March	2011
Claims O/s for		अहि	अठिज/FIRE	मरीब,	मरीज/MARINE	विविध	विविध/MISC.	आक	अठिज/FIRE	मरीज/।	मरीज/MARINE	na n	विविध/MISC.
		संख्या/	ताशि/	संख्या/	शाह्य/	संख्या/	शाभ्रि/	संख्या/	शाधा/	संख्या/	शाह्य/	संख्या/	नाशि/
		ġ	AMOUNT	Š	AMOUNT	Š	AMOUNT	Š	AMOUNT	ġ S	AMOUNT	Š	AMOUNT
30 दिन से कम Less than 30 days	वाद Suit	4	0.11	0	0.00	4972	9509.50	2	0.85	21	11.75	6106	9384.48
	गैर—वाद Nonsuit	340	7323.49	758	3009.13	70206	15603.37	330	6173.49	776	2122.10	22901	11227.15
30 दिन से 6 महीने 30 Days to 6 Months	वाद Suit	m	1.00	4	0.62	17398	28158.55	41	170.10	0	0.00	18989	27103.07
	गैर—वाद Nonsuit	1408	24951.97	1662	6847.50	39037	41988.48	981	15781.77	1844	6400.83	36824	37306.44
6 महीने से 1 वर्ष 6 Months to 1 Year	वाद Suit	7	5.03	12	5.56	24626	44154.61	17	12.40	-	0.01	21753	33623.19
	गैर—वाद Nonsuit	948	23152.34	1511	5547.44	19333	29759.62	931	17167.01	1348	9097.84	19881	33100.48
1 वर्ष 5 वर्ष 1 Year to 5 Years	वाद Suit	87	121.95	20	191.50	87218	136365.10	84	898.18	28	101.17	94630	134973.97
	गैर—वाद Nonsuit	873	25216.42	1107	14245.81	12911	40247.04	770	34202.25	959	20440.43	12666	31858.26
5 वर्ष और इससे अधिक 5 years and above	वाद Suit	165	14354.66	26	4151.85	49357	63689.36	86	1255.78	61	4296.22	52927	64144.38
	गैर—वाद Nonsuit	63	917.00	79	3092.74	1163	3840.12	125	1501.47	52	768.90	1341	2702.69
आवक सहबीमा Incoming Coinsurance	बाद Suit	0	0.00	2	131.96	248	2617.95	-	6633.75	9	136.05	324	352.51
	गैर—वाद Nonsuit	110	17745.48	48	7314.43	94	774.87	111	9178.52	61	7905.08	06	370.42
सर्वेक्षण / विधिक शुल्क Survey / Legal Fee	वाद Suit	0	18.75	0.00	16220.37	0	4549.54	0	6692.44	0	15428.95	0	4240.43
	गैर—वाद Nonsuit	0	525.31	0	327.85	0	1379.06	0	267.52	0	543.21	0	984.69
कुल TOTAL	वाद Suit	266	14501.51	97	20701.86	183820	289044.61	219	15663.5	117	19974.15	194729	273822.03
	गैर—वाद Nonsuit	3742	99832.01	5165	40384.91	142744	133592.56	3248	84272	5040	42278.39	93703	117550.13
कुल योग GRAND TOTAL		4008	114333.52	5262	61086.76	326564	422637.18	3467	99935.5	5157	67252.54	288432	391372.16



दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्ति एवं भुगतान लेखा (अर्थात् नकद प्रवाह विवरणी)

		31.03.2015 को समाप्त वर्ष ('000'	31.03.2014 को समाप्त वर्ष
		रूपए में)	('000' रूपए में)
क	प्रचालनिक गतिविधियों से नकद प्रवाह		
1.	पॉलिसीधारकों से प्राप्त प्रीमियम, अग्रिम प्राप्तियों सहित	79947241	76997799
2.	अन्य प्राप्तियां (निवल)	5543652	5780394
3.	पुनर्बीमाकर्ताओं को भुगतान, कमीशनों और दावों से निवल	-3822448	-2659670
4.	सहबीमाकर्ताओं को भुगतान, दावों की वसूली से निवल	-1210782	-11986032
5.	दावों का भुगतान	-58607119	-54652862
6.	कमीशन और ब्रोकरेज का भुगतान	-5105835	-5377584
7.	अन्य प्रचालनिक खर्चों का भुगतान	-20459697	-15538516
8.	प्रारंभिक और प्रचालन-पूर्व खर्चे	0	0
9.	जमा राशियां, अग्रिम और कर्मचारी ऋण	-254016	578920
10.	चुकता आय कर (निवल)	-3190975	-2204596
11.	एकत्रित / चुकता सेवा कर (निवल)	829052	1141018
12.	अन्य भुगतान (निवल)	0	0
13.	असाधारण मदों से पूर्व नकद प्रवाह	-6330917	-7921129
14.	असाधारण प्रचालनों से नकद प्रवाह	0	0
15.	प्रचालनिक गतिविधियों से निवल नकद प्रवाह	-6330917	-7921129
ख	निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह		
1.	स्थायी परिसम्पत्तियों की खरीद (निवल)	-483537	-565495
2.	स्थायी परिसम्पत्तियों की बिक्री से आगम	29777	46699
3.	निवेशों की खरीद	-82121405	-13005969
4.	वितरित ऋण	0	0
5.	निवेशों की बिक्री	11175154	10984596
6.	प्राप्त पुनःभुगतान	70647222	3037343
7.	प्राप्त किराये / ब्याज / लाभांश	10387854	10530389
8.	धन बाजार लिखतों और नकद म्युचुअल निधियों में निवेश (निवल)	0	-458900
9.	निवेशों से संबंधित खर्चे	-40369	-32551
10.	निवेश गतिविधियों से निवल नकद प्रवाह	9594696	11236312
ग	वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह		
1.	शेयर पूंजी के निर्गम से आगम	0	0
2.	उधार राशि से आगम	0	0
3.	उधार राशि की चुकौती	0	0
4.	चुकता ब्याज / लाभांश (वितरण कर सहित)	-1263546	-1246000
5.	वित्तीय गतिविधियों से निवल नकद प्रवाह	-1263546	-1246000
घ	नकद और नकद समतुल्यों पर विदेशी मुद्रा का प्रभाव(निवल)	-147	105824
ड.	नकद और नकद समतुल्यों में निवल वृद्धि(+)/कमी(-)	2000086	2175007
1.	वर्ष के प्रारंभ में नकद और नकद समतुल्य	22269889	20094882
2.	वर्ष के अंत में नकद और नकद समतुल्य	24269975	22269889

टिप्पणियां: 1. आकृति (+)अंतः प्रवाह को और आकृति (-) बहिर्प्रवाह को दर्शाती हैं।

2. इरेडा के दिनांक 01.04.2013 से लागू दिनांक 05.10.2012 के मास्टर परिपत्र के दृष्टिगत गत वर्ष के आंकड़ों को आवश्यकतानुसार पुनःसमूहबद्ध किया गया है।

हमारी संलग्न लेखा परीक्षक रिपोर्ट के अनुसार

कृते केपीएमआर एंड एसोसिएट्स चार्टर्ड एकाउंटेंट

एफआरएन सं. 02504N सी.ए. एस.एम.वाई कुरैशी

भागीदार सदस्यता संख्या 081750

के. रमादेवी

महाप्रबंधक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी

स्थानः नई दिल्ली दिनांकः 15.05.2015 कृते एस.मान एंड कंपनी चार्टर्ड एकाउंटेंट एफआरएन सं.000075N

सी.ए. सुभाष मान भागीदार सदस्यता संख्या 080500

रिम बाजपेयी कंपनी सचिव

(डॉ. ए.के. सक्सेना) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डॉ. एन. श्रीनिवास राव निदेशक

सुजय बनर्जी निदेशक

कुलदीप सिंह निदेशक



The Oriental Insurance Company Limited

Receipts and Payments Account (i.e. Cash Flow Statement) for the year ending 31st March, 2015

	Year ending 31.03.2015 (Rs. in '000s)	Year ending 31.03.2014 (Rs. in '000s)	
A. Cash Flow from the operating activities		NOS-AMAP INSERTAN	
1. Premium received from policyholders, including advance receipts	79947241	76997799	
2. Other receipts (net)	5543652	5780394	
3. Payments to reinsurers, net of commissions and claims	-3822448	-2659670	
Payments to coinsurers, net of claims recovery	-1210782	-11986032	
5. Payments of claims	-58607119	-54652862	
6. Payments of commission and brokerage	-5105835	-5377584	
7. Payments of other operating expenses	-20459697	-15538516	
Preliminary and pre-operative expenses	0	-15550510	
Deposits, advances and staff loans	-254016	578920	
10. Income taxes paid (net)	-3190975	-2204596	
11. Service tax collected/paid (net)			
	829062	1141018	
12. Other payments (Net)	6220047	0	
13. Cash flow before extraordinary items	-6330917	-7921129	
14. Cash flow from extraordinary operations		0	
15. Net cash flow from operating activities	-6330917	-7921129	
B. Cash Flow from investing activities	5		
Purchase of fixed assets(net)	-483537	-565495	
Proceeds from sale of fixed assets	29777	46899	
Purchase of investments	-82121405	-13005969	
4. Loans disbursed	0	0	
5. Sales of investments	11175154	10984596	
6. Repayments received	70647222	3737343	
7. Rents/Interests/Dividends received .	10387854	10530389	
8. Investments in money market instruments & liquid mutual funds (net)	0	-458900	
Expenses relating to investments	-40369	-32551	
10. Net cash flow from the investing activities	9594696	11236312	
C. Cash Flow from financing activities			
Proceeds from issuance of share capital		0	
2. Proceeds from borrowing		0	
Repayments of borrowing		0	
Interest/dividends (including distribution tax) paid	-1263546	-1246000	
5. Net cash flow from the financing activities	-1263546	-1246000	
D. Effect of foreign exchange rates on cash and cash equivalents (no	-147	105824	
E. Net increase(+)/decrease(-) in cash and cash equivalents	2000086	2175007	
1. Cash and cash equivalents at the beginning of the year	22269889	20094882	
Cash and cash equivalents at the end of the year	24269975	22269889	
Notes: 1. (+) figure represents inflow and (-) figure represents outflow 2. Figures of previous year have been regrouped wherever necessa dated 05.10.2012 effective from 01.04.2013.			31
For KNN 2 Association			

For KPMR & Associates

For S. MANN & Co.

Dr. A.K. SAXENA

Chartered Accountants

Charterted Accountants

Chairman-cum-Managing Director

CA S.M.Y. QURESHI

CA SUBHASH MANN

N. SRINIVASA RAO

KULDIP SINGH

Partner

Membership No. 081750

Partner Membership No. 080500

K. RAMADEVI

G.M. & C.F:O

RASHMI BAJPAI Company Secretary SUJAY BANARJI DIRECTOR

New Delhi

Dated: 15.05.2015



त्लन पत्र के उद्धरण और कम्पनी की सामान्य रूपरेखा THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED **BALANCE SHEET ABSTRACT AND COMPANY'S GENERAL PROFILE**

I. पंजीकरण का ब्यौरा

I. REGISTRATION DETAILS

पंजीकरण संख्या

Registration Number 00556 State Code

55

तुलन पत्र की तारीख

Balance Sheet Date 31.03.2015

II. वर्ष के दौरान जुटाई गई पूंजी (राशि हजार रूपए में)

II. CAPITAL RAISED DURING THE YEAR (AMOUNT IN RS. THOUSANDS)

सार्वजनिक निर्गम	सही मुद्दा	शून्य	शून्य
Public Issue	NIL	Right Issue	NIL
बोनस निर्गम	शून्य	प्राईवेट प्लेसमेंट	शून्य
Bonus Issue	NIL	Private Placement	NIL

III. निधियों के संचलन और नियोजना की स्थित (राशि हजार रूपए में)

III. POSITION OF MOBILISATION AND DEPLOYMENT OF FUNDS (AMOUNT IN RUPEES THOUSANDS)

कुल देनदारियां		कुल सपत्तियाँ	
Total Liabilities	129109725	Total Assets	129109725
निधियों के स्रोत			
Source of Funds			
प्रदत्त पूंजी		रिजर्व और अधिशेष	
Paid up Capital	2000000	Reserve & Surplus	
चालू देनदारियां और स्थिति		और उचित मूल्य बदलें	
Current Liabilities & Provision	133738917	and Fair Value Change	127109725
Paid up Capital चालू देनदारियां और स्थिति		Reserve & Surplus और उचित मूल्य बदलें	127109725

निधियों की प्रयोज्यता **Application of Funds**

निवल स्थायी	परिसम्पत्तियां	ि	नेवेश

Net Fixed Assets	1580295	Investments	208490369

निवल चालू परिसम्पत्तियां विविध खर्च

Net Current Assets 52777978 Misc. Expenditure 0

संचित हानियां

Accumulated Losses Nil



IV. कम्पनी का निष्पादन (राशि हजार रुपए में)

IV. PERFORMANCE OF COMPANY (AMOUNT IN Rs. THOUSANDS)

टर्नओवर कुल खर्च

Turnover 64723871 Total Expenditure 79572970

कर पूर्व लाभ / हानि कर पश्चात लाभ / हानि

Profit/Loss before Tax 6173373 Profit/Loss after Tax 3920952

लाभांश

Dividend 1100000

V. कम्पनी के तीन प्रमुख उत्पादों/सेवाओं के सामान्य (जेनरिक) नाम (मौद्रिक राब्दावली के अनुसार) V. GENERIC NAMES OF THREE PRINCIPAL PRODUCTS/SERVICES OF CO. (AS PER MONETARY TERMS)

मद कोड संख्या शून्य Items Code No. NIL

उत्पाद का विवरण गैर-जीवन बीमा कारोबार

Product Description Non Life Insurance Business

स्थानः नई दिल्ली **Place:** New Delhi दिनांकः 15.05.2015 **Dated:** 15.05.2015

डा. ए.के. सक्सेना

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

Dr. A. K. Saxena

(Chairman cum managing Director)

एन. श्रीनिवास राव N.SRINIVASA RAO

कुलदीप सिंह KULDIP SINGH सुजय बनर्जी SUJAY BANARJI

> (निदेशक) (Directors)



समेकित वित्तीय विवरणिका **CONSOLIDATED** FINANCIAL **STATEMENTS**



दिनांक 31मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड की वित्तीय विवरणिकाओं पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (4) के साथ पठित धारा 143 (6) (ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (बीमा कम्पनियों की वित्तीय विवरणिका और लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की तैयारी) विनियमावली, 2002 और कम्पनी अधिनियम, 2013 के साथ पठित बीमा अधिनियम, 1938 के अधीन निर्धारित किए गए वित्तीय प्रतिवेदन प्रारूप के अनुसार दिनांक 31मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड की वित्तीय विवरणिकाओं को तैयार करना कम्पनी के प्रबंधन का दायित्व है। अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पिठत धारा 139(5) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के अधीन निर्धारित लेखा परीक्षण पर मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरणिकाओं पर मत व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। यह कार्य उनके द्वारा दिनांक 15 मई 2015 के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के द्वारा किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित 143(6)(क) के अंतर्गत दिनांक 31मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड की वित्तीय विवरणिकाओं की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। हमने दिनांक 31मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड की वित्तीय विवरणिकाओं की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है, किंतू उस तारीख का समाप्त वर्ष के लिए दि इंडिस्ट्रियल क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड और हैल्थ इंश्योरेंस टीपीए ऑफ इंडिया लिमिटेड की वित्तीय विवरणिकाओं की अनुपरक लेखा परीक्षा नहीं की है। यह अनुपुरक लेखा परीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षक के कार्यशील दस्तावेजों तक पहुँच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और यह मुख्यतः सांविधिक लेखा परीक्षकों और कम्पनी कार्मिकों की जांचों और कुछ लेखाकरण अभिलेखों की चुनी हुई जांच तक सीमित है।

अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर, मेरी जानकारी में ऐसा कुछ उल्लेखनीय नहीं आया है जिससे सांविधिक लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन पर या इसके अनुपूरण में कोई टिप्पणी उत्पन्न होती हो।

> कृते और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से

> > (सुपर्णा देव)

प्रधान वाणिज्यिक लेखापरीक्षा निदेशक एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड-।। नई दिल्ली

स्थानः नई दिल्ली तारीखः 15.07.2015



COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) READ WITH SECTION 129(4) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS OF THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2015.

The preparation of consolidated financial statements of The Oriental Insurance Company Limited for the year ended 31 March 2015 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Insurance Act, 1938 read with the Insurance Regulatory and Development Authority (Preparation of Financial Statement and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations, 2002 and the Companies Act, 2013 is the responsibility of the management of the company. The statutory auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139(5) read with section 129(4) of the Act are responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 read with section 129(4) of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 15 May 2015.

I, on the behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit under section 143(6)(a) read with section 129(4) of the Act of the consolidated financial statements of The Oriental Insurance Company Limited for the year ended 31 March 2015. We conducted a supplementary audit of the financial statements of The Oriental Insurance Company Limited, but did not conduct supplementary audit of the financial statements of The Industrial Credit Company Limited and Health Insurance TPA of India Limited for the year ended on that date. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

On the basis of my audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to statutory auditors' report.

> For and on the behalf of the Comptroller & Auditor General of India

(Suparna Deb) Principal Director of Commercial Audit & Ex-officio Member, Audit Board-II, New Delhi

Place: New Delhi Date: 15.07.2015



दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड पंजीकरण संख्या 556 दिनांक 25.02.2014 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए संचित लाभ हानि लेखा THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED **REGISTRATION NO. 556 DATED 25.02.2014**

CONSOLIDATED PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2015

(₹ in '000')

S. No. Particulars समाप्त वर्ष Year ended 31.03.15 समाप्त वर्ष Year ended 31.03.15 1 प्रचालनिक लाम / (हानि) OPERATING PROFIT /(LOSS) (248236) (20853) (क) अग्नि बीमा (248236) (20853) (20853) (a) Fire Insurance (248236) (20853) (a) Fire Insurance (248236) (20853) (w) मरीन बीमा (171286) 6904 (b) Marine Insurance (r) गिविध्य बीमा (27000) (4737) 15596 (c) Miscellaneous Insurance (4737) 15596 (a) Miscellaneous Insurance (4737) 15596 (b) Marine Insurance (4737) 15596 (c) Miscellaneous Insurance 2599542 22911 (a) Interest, Dividend & Rent - Gross 2038418 19689 (b) Profit on sale/redemption of investment 2038418 19689 (b) Profit on sale/redemption of investment 2038418 19689 3 अल्य आय 0 0 0 Vest constant of the profit of the profi				(₹ In '000')
Year ended 31.03.15 31.03	क्र. सं.	विवरण	31.03.15 को	31.03.14 को
1 प्रचालनिक लाम / (हानि)	S. No.	Particulars	समाप्त वर्ष	समाप्त वर्ष
1 प्रचालनिक लाग / (हानि) OPERATING PROFIT /(LOSS) (क) अग्नि बीमा (a) मंरीन बीमा (b) Marine Insurance (ख) मरीन बीमा (c) Miscellaneous Insurance (एं) बिविध बीमा (c) Miscellaneous Insurance विवेद्यों से आय INCOME FROM INVESTMENTS (क) व्याज, लामांश और किराया . सकल (a) Interest, Dividend & Rent - Gross (ख) निवेश की बिक्री / शोधन पर लाम (b) Profit on sale/redemption of investment घटाएं: निवेश की बिक्री / शोधन पर लाम Less: Loss on sale/redemption of investment 3 अव्य आय OTHER INCOME स्थायी परिसम्पत्तियों की बिक्री पर लाम / (हानि) Profit/(Loss) on sale of fixed assets विवध आय Miscellaneous Income प्रतिलेखित पुराना / बेदावा शेष Old/Unclaimed Balance Written Back मुद्रा लाम / (हानि) Exchange Gain/(Loss) आय कर रिफंड पर व्याज			Year ended	Year ended
OPERATING PROFIT /(LOSS) (क) अग्नि बीमा (248236) (20853) (a) Fire Insurance (248236) (20853) (a) Fire Insurance (24737) 1171286 6904 (b) Marine Insurance (27) विविध बीमा (4737) 15596 (c) Miscellaneous Insurance (27) विविध बीमा (4737) 15596 (c) Miscellaneous Insurance (27) विविध बीमा (4737) 15596 (b) Marine Insurance (27) विवध बीमा (4737) 15596 (c) Miscellaneous Insurance (2599542 22911 22911 (a) Interest, Dividend & Rent - Gross (2599542 22911 (a) Interest, Dividend & Rent - Gross (2038418 19689 (b) Profit on sale/redemption of investment 2038418 19689 (b) Profit on sale/redemption of investment 0 0 3 अळ्य आय 0 0 0 4281 (Closs) 0 0 0 4282 (Closs) 0 0 0 4283 (Closs) 0 0 0 4284			31.03.15	31.03.14
(क) अग्नि बीमा (a) Fire Insurance (ख) मरीन बीमा (b) Marine Insurance (ग) विविध बीमा (c) Miscellaneous Insurance (ग) विविध बीमा (c) Miscellaneous Insurance विकेशों से आय INCOME FROM INVESTMENTS (क) व्याज, लामांश और किराया . सकल (a) Interest, Dividend & Rent - Gross (ख) निवेश की बिक्री / शोधन पर लाम (b) Profit on sale/redemption of investment घटाएं: निवेश की बिक्री / शोधन पर हानि Less: Loss on sale/redemption of investment 3 अब्ध आय OTHER INCOME स्थापी परिसम्पत्तियों की बिक्री पर लाम / (हानि) Profit/(Loss) on sale of fixed assets विविध आय Miscellaneous Income प्रतिलेखित पुराना / बेदावा शेष Old/Unclaimed Balance Written Back मुद्रा लाम / (हानि) Exchange Gain/(Loss) आय कर रिफंड पर व्याज	1	प्रचालनिक लाभ / (हानि)		
(a) Fire Insurance (ख) मरीन बीमा (b) Marine Insurance (ग) विविध बीमा (c) Miscellaneous Insurance 2		OPERATING PROFIT /(LOSS)		
(ख) मरीन बीमा (b) Marine Insurance (ग) विविध बीमा (c) Miscellaneous Insurance 2		(क) अग्नि बीमा	(248236)	(208531)
(b) Marine Insurance (ग) विविध बीमा (c) Miscellaneous Insurance 2		(a) Fire Insurance		
(ग) विविध बीमा (c) Miscellaneous Insurance 2		(ख) मरीन बीमा	1171286	690470
(c) Miscellaneous Insurance 2 जिवेशों से आय INCOME FROM INVESTMENTS (क) ब्याज, लाभांश और किराया . सकल 2599542 22911 (a) Interest, Dividend & Rent - Gross (ख) निवेश की बिक्री / शोधन पर लाभ 2038418 19689 (b) Profit on sale/redemption of investment घटाएं: निवेश की बिक्री / शोधन पर हानि Less: Loss on sale/redemption of investment 3 अब्य आय OTHER INCOME स्थायी परिसम्पत्तियों की बिक्री पर लाभ / (हानि) (3276) 99 Profit/(Loss) on sale of fixed assets विविध आय Miscellaneous Income प्रतिलेखित पुराना / बेदावा शेष Old/Unclaimed Balance Written Back		(b) Marine Insurance		
2		(ग) विविध बीमा	(4737)	1559671
INCOME FROM INVESTMENTS (क) ब्याज, लामांश और किराया . सकल 2599542 22911		(c) Miscellaneous Insurance		
(क) ब्याज, लाभांश और किराया . सकल (a) Interest, Dividend & Rent - Gross (ख) निवेश की बिक्री / शोधन पर लाभ (b) Profit on sale/redemption of investment घटाएं: निवेश की बिक्री / शोधन पर हानि Less: Loss on sale/redemption of investment 3 अन्य आय OTHER INCOME स्थायी परिसम्पत्तियों की बिक्री पर लाभ / (हानि) Profit/(Loss) on sale of fixed assets विविध आय Miscellaneous Income प्रतिलेखित पुराना / बेदावा शेष Old/Unclaimed Balance Written Back मुद्रा लाभ / (हानि) Exchange Gain/(Loss) आय कर रिफंड पर ब्याज	2	निवेशों से आय		
(a) Interest, Dividend & Rent - Gross (ख) निवेश की बिक्री / शोधन पर लाभ (b) Profit on sale/redemption of investment घटाएं: निवेश की बिक्री / शोधन पर हानि Less: Loss on sale/redemption of investment 3 अन्य आय OTHER INCOME स्थायी परिसम्पत्तियों की बिक्री पर लाभ / (हानि) Profit/(Loss) on sale of fixed assets विविध आय Miscellaneous Income प्रतिलेखित पुराना / बेदावा शेष Old/Unclaimed Balance Written Back मुद्रा लाभ / (हानि) Exchange Gain/(Loss) आय कर रिफंड पर व्याज 2038418 19689 2038418 19689 60890 60890 6090 6090 6000 60		INCOME FROM INVESTMENTS		
(ख) निवेश की बिक्री / शोधन पर लाभ (b) Profit on sale/redemption of investment घटाएं: निवेश की बिक्री / शोधन पर हानि Less: Loss on sale/redemption of investment 3 अन्य आय OTHER INCOME स्थायी परिसम्पत्तियों की बिक्री पर लाभ / (हानि) Profit/(Loss) on sale of fixed assets विविध आय Miscellaneous Income प्रतिलेखित पुराना / बेदावा शेष Old/Unclaimed Balance Written Back मुद्रा लाभ / (हानि) Exchange Gain/(Loss) आय कर रिफंड पर ब्याज 2038418 19689 2038418 19689 66294 0 (3276) 99 66244 279 66244 279 68180 454 0161625) 1483		(क) ब्याज, लाभांश और किराया . सकल	2599542	2291116
(b) Profit on sale/redemption of investment घटाएं: निवेश की बिक्री / शोधन पर हानि Less: Loss on sale/redemption of investment 3 अल्य आय OTHER INCOME स्थायी परिसम्पत्तियों की बिक्री पर लाभ / (हानि) Profit/(Loss) on sale of fixed assets विविध आय Miscellaneous Income प्रतिलेखित पुराना / बेदावा शेष Old/Unclaimed Balance Written Back मुद्रा लाभ / (हानि) Exchange Gain/(Loss) आय कर रिफंड पर ब्याज		(a) Interest, Dividend & Rent - Gross		
घटाएं: निवेश की बिक्री / शोधन पर हानि Less: Loss on sale/redemption of investment 3 अब्य आय OTHER INCOME स्थायी परिसम्पत्तियों की बिक्री पर लाभ / (हानि) Profit/(Loss) on sale of fixed assets विविध आय Miscellaneous Income प्रतिलेखित पुराना / बेदावा शेष Old/Unclaimed Balance Written Back मुद्रा लाभ / (हानि) Exchange Gain/(Loss) आय कर रिफंड पर ब्याज 0 (3276) 99 66244 279 66244 279 (161625) 1483		(ख) निवेश की बिक्री / शोधन पर लाभ	2038418	1968962
Less: Loss on sale/redemption of investment 3 अन्य आय OTHER INCOME स्थायी परिसम्पत्तियों की बिक्री पर लाभ / (हानि) Profit/(Loss) on sale of fixed assets विविध आय 66244 279 Miscellaneous Income प्रतिलेखित पुराना / बेदावा शेष Old/Unclaimed Balance Written Back मुद्रा लाभ / (हानि) Exchange Gain/(Loss) आय कर रिफंड पर ब्याज 226050 2927		(b) Profit on sale/redemption of investment		
अल्य आय OTHER INCOME स्थायी परिसम्पत्तियों की बिक्री पर लाभ / (हानि) (3276) 99 Profit/(Loss) on sale of fixed assets विविध आय 66244 279 Miscellaneous Income 68180 454 प्रतिलेखित पुराना / बेदावा शेष 68180 454 Old/Unclaimed Balance Written Back (161625) 1483 मुद्रा लाभ / (हानि) (161625) 1483 Exchange Gain/(Loss) 226050 2927		घटाएं: निवेश की बिक्री / शोधन पर हानि	0	0
OTHER INCOME स्थायी परिसम्पत्तियों की बिक्री पर लाभ / (हानि) (3276) 99 Profit/(Loss) on sale of fixed assets विविध आय 66244 279 Miscellaneous Income प्रतिलेखित पुराना / बेदावा शेष 68180 454 Old/Unclaimed Balance Written Back मुद्रा लाभ / (हानि) (161625) 1483 Exchange Gain/(Loss) अगय कर रिफंड पर ब्याज 226050 2927		Less: Loss on sale/redemption of investment		
स्थायी परिसम्पत्तियों की बिक्री पर लाभ / (हानि) Profit/(Loss) on sale of fixed assets विविध आय 66244 279 Miscellaneous Income प्रतिलेखित पुराना / बेदावा शेष Old/Unclaimed Balance Written Back मुद्रा लाभ / (हानि) Exchange Gain/(Loss) आय कर रिफंड पर ब्याज 226050 2927	3	अन्य आय		
Profit/(Loss) on sale of fixed assets विविध आय 66244 279 Miscellaneous Income प्रतिलेखित पुराना / बेदावा शेष 68180 454 Old/Unclaimed Balance Written Back मुद्रा लाभ / (हानि) (161625) 1483 Exchange Gain/(Loss) आय कर रिफंड पर ब्याज 226050 2927		OTHER INCOME		
विविध आय		स्थायी परिसम्पत्तियों की बिक्री पर लाभ / (हानि)	(3276)	9965
Miscellaneous Income प्रतिलेखित पुराना / बेदावा शेष 68180 454 Old/Unclaimed Balance Written Back मुद्रा लाभ / (हानि) (161625) 1483 Exchange Gain/(Loss) आय कर रिफंड पर ब्याज 226050 2927		Profit/(Loss) on sale of fixed assets		
प्रतिलेखित पुराना / बेदावा शेष 68180 454 Old/Unclaimed Balance Written Back मुद्रा लाभ / (हानि) (161625) 1483 Exchange Gain/(Loss) 226050 2927		विविध आय	66244	27943
Old/Unclaimed Balance Written Back मुद्रा लाभ / (हानि) (161625) 1483 Exchange Gain/(Loss) 226050 2927		Miscellaneous Income		
मुद्रा लाभ / (हानि) (161625) 1483 Exchange Gain/(Loss) 226050 2927		प्रतिलेखित पुराना / बेदावा शेष	68180	45443
Exchange Gain/(Loss) आय कर रिफंड पर ब्याज 226050		Old/Unclaimed Balance Written Back		
आय कर रिफंड पर ब्याज 226050 2927		मुद्रा लाभ / (हानि)	(161625)	148381
		Exchange Gain/(Loss)		
Interest on income-tax refunds		आय कर रिफंड पर ब्याज	226050	292790
		Interest on income-tax refunds		
<u>क</u> ुल (क) 5751846 68262		कुल (क)	5751846	6826210
TOTAL (A)		TOTAL (A)		
4 प्रावधान (कराधान से भिन्न)	4	प्रावधान (कराधान से भिन्न)		
PROVISIONS (Other than taxation)		PROVISIONS (Other than taxation)		

THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LTD.



(क) निवेशों के मूल्य में ह्यास के लिए (a) For diminution in the value of investments	(5099)	14390
(ख) अशोध्य और संदिग्ध ऋणों / निवेश के लिए (b) For bad and doubtful debts\Investment	(606723)	148386
(ग) ऋणशोधन खर्चे (c) Amortisation Expenses	25078	23599
घ) बट्टे खाते डाले गए पुराने / अशोध्य शेष d)Old/Irrecoverable balances written off	406	1016
ड़) मानक परिसम्पत्तियों / एनपीए पर प्रावधान e) Provision on Standard Assets/NPA	(8191)	2507
च) बट्टे खाते डाले गए निवेश (निवल) f) Investments written off (Net)	28654	29028
छ) सीएसआर व्यय g) CSR Expendiure	79200	0
ज) प्रदत्त आयकर पर ब्याज h) Interest on income-tax paid	65148	0
कुल (ख) TOTAL (B)	(421527)	218926
कर पूर्व लाभ Profit Before Tax	6173373	6607284
कर पूर्व लाभ — आईसीसीएल Profit Before Tax - ICCL	(7)	(22)
कर पूर्व लाभ —एचआईटीपीए Profit Before Tax - HITPA	(12322)	(12145)
जोड़ें / (घटाएं)ः पूर्वावधि आय Add/(Less): Prior Period Income	1208	2948
जोड़ें / (घटाएं)ः पूर्वावधि खर्चे Add/(Less): Prior Period Expenses	28926	(72127)
जोड़ें / (घटाएं) अनुषंगी लाभ कर के लिए प्रावधान Add/(Less): Provision for Fringe Benefit Tax	0	0
जोड़ें / (घटाएं)ः कराधान के लिए प्रावधान — चालू वर्ष Add/(Less): Provision for taxation - Current Year	(2282028)	(1998005)
जोड़ें / (घटाएं): आस्थगित कर के लिए प्रावधान Add/(Less): Provision for Deferred Taxation	0	0
जोड़ें / (घटाएं)ः पूर्ववर्ती वर्षों में कर के लिए प्रावधान Add/(Less):Provision for tax in respect of earlier years	(527)	62774
कर पश्चात लाभ Profit after Tax	3908623	4590706
विनियोजन APPROPRIATIONS		0
(क) वर्ष के प्रारंभ में शेष (a) Balance at the beginning of the year	0	0



(ख) वर्ष के दौरान प्रदत्त अंतरिम लाभांश	0	0
(b) Interim dividends paid during the year		
(ग) प्रस्तावित अंतिम लाभांश	(1100000)	(1080000)
(c) Proposed final dividend		
(घ) लाभांश वितरण कर	(219972)	(183546)
(d) Dividend distribution tax		
(ड़) आरक्षितियों / अन्य खातों में अंतरण		0
(e) Transfer to reserves/ other accounts:		
(i) सामान्य आरक्षिति	2588651	3327160
(i) General Reserves		
(ii) असमाप्त जोखिमों के लिए आकरिमक आरक्षिति		
(ii) Contingency Reserve for Unexpired Risks		
पिछले वर्ष से आगे लाए गए लाभ / हानि का शेष	0	
Balance of profit/loss brought forward from last year		
तुलन पत्र में आगे ले जाया गया शेष	0	0
Balance carried forward to Balance Sheet		
मूल / विरलित आय प्रति शेयर (ईपीएस) रुपए में	19.54	30.60
Basic/Diluted Earning Per Share (EPS) in Rs.		

उल्लेखनीय लेखाकरण नीतियां और लेखाओं पर टिप्पणियां . अनुसूची 16 Significant Accounting Policies and Notes to Accounts - Schedule 16 उपर संदर्भित अनुसूचियां तुलन पत्र का अभिन्न अंग हैं The Schedules referred to above form integral part of the Balance Sheet

हमारी संलग्न लेखा परीक्षक रिपोर्ट के अनुसार As per our auditors report attached

कृते केपीएमआर एंड एसोसिएट्स चार्टर्ड एकाउंटेंट एफआरएन सं. 02504N For KPMR & Associates

Chartered Accountants

FRN No. 02504N

सी.ए. एस.एम.वाई कुरैशी

सदस्यता संख्या 081750

CA. S.M.Y. Qureshi **Partner**

M. No. 081750

के. रमादेवी

भागीदार

महाप्रबंधक एवं मुख्य वित्तीय

अधिकारी

K.Ramadevi **GM & Chief Financial Officer**

स्थानः नई दिल्ली दिनांकः 15.05.2015 कृते एस.मान एंड कंपनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट एफआरएन सं.000075N For S.MANN & CO.

Chartered Accountants FRN No.000075N

सी.ए. सुभाष मान

भागीदार

सदस्यता संख्या 080500

CA. Subhash Mann

Partner

M. No. 080500

रहिम बाजपेयी कंपनी सचिव

Rashmi Bajpai Company Secretary

Place: New Delhi Dated: 15.05.2015

(डॉ. ए.के. सक्सेना) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

DR. A.K. SAXENA

Chairman-cum-Managing Director

एन. श्रीनिवास राव

निदेशक

N. Srinivasa Rao Director

कुलदीप सिंह निदेशक

Kuldip Singh

Director

सुजय बनर्जी निदेशक

Sujay Banarji Director



बीमाकर्ता का नामः दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

पंजीकरण संख्या 556 दिनांक 25.02.2014

31 मार्च 2015 के अनुसार समेकित तुलन पत्र NAME OF INSURER: THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED

REGISTRATION NO. 556 DATED 25.02.2014

CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2015

(₹ in '000')

विवरण PARTICULARS	अनुसूची Notes	31.03.15 को As at 31.03.2015	31.03.14 को As at 31.03.2014
निधियों के स्रोत SOURCES OF FUNDS			
शेयर पूंजी SHARE CAPITAL		2000000	1500000
आरक्षितियां और अधिशेष RESERVES AND SURPLUS	1	29793221	27704570
आस्थगित कर देयता Deferred Tax Liability		0	0
उचित मूल्य परिवर्तन लेखा FAIR VALUE CHANGE ACCOUNT		97291378	85701136
उधार BORROWINGS		0	
कुल TOTAL		129084599	114905706
निधियों का अनुप्रयोग APPLICATION OF FUNDS			
निवेश INVESTMENTS	2	206546242	187646378
ऋण LOANS		1896127	2044084
स्थायी परिसम्पत्तियां FIXED ASSETS	3	957277	898707
चालू पूंजीगत कार्य Capital Work In Progress		623563	403996
आस्थगित कर परिसम्पत्तियां Deferred Tax Assets		0	0
चालू परिसम्पत्तियांः CURRENT ASSETS:			
नकद व बैंक शेष Cash and Bank Balances	4	24294126	22281050
अग्रिम और अन्य परिसम्पत्तियां Advances and Other Assets	5	28509564	25794839
उप—योग (क) Sub-Total (A)		52803690	48075889



चालू देयताएं	6	88121785	81529710
CURRENT LIABILITIES			
प्रावधान	7	45620515	42930773
PROVISIONS			
उप–योग (ख)		133742300	124460483
Sub-Total (B)			
निवल चालू परिसम्पत्तियां त्र (क-ख)		(80938610)	(76384594)
NET CURRENT ASSETS = (A-B)			
विविध व्यय			
MISCELLANEOUS EXPENDITURE			
(बट्टे खाते न डाले जाने या समायोजित न किए जाने की सीमा			297135
तक)			
(to the extent not written off or adjusted)			
लाभ हानि खाते में नामे शेष			0
DEBIT BALANCE IN PROFIT AND LOSS ACCOUNT			
कुल		129084599	114905706
TOTAL			

हमारी संलग्न लेखा परीक्षक रिपोर्ट के अनुसार As per our auditors report attached

कृते केपीएमआर एंड एसोसिएट्स चार्टर्ड एकाउंटेंट एफआरएन सं. 02504N

For KPMR & Associates Chartered Accountants FRN No. 02504N

सी.ए. एस.एम.वाई कुरैशी

भागीदार

सदस्यता संख्या 081750

CA. S.M.Y. Qureshi Partner

M. No. 081750

के. रमादेवी

महाप्रबंधक एवं मुख्य वित्तीय

अधिकारी

K.Ramadevi GM & Chief Financial Officer

Place: New Delhi Dated: 15.05.2015 कृते एस.मान एंड कंपनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट एफआरएन सं.000075N For S.MANN & CO.

Chartered Accountants FRN No.000075N

सी.ए. सुभाष मान

भागीदार सदस्यता संख्या 080500

CA. Subhash Mann Partner

M. No. 080500

रिम बाजपेयी कंपनी सचिव

Rashmi Bajpai Company Secretary (डॉ. ए.के. सक्सेना) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

DR. A.K. SAXENA

Chairman-cum-Managing Director

एन. श्रीनिवास राव

निदेशक N. Srinivasa Rao

Director

कुलदीप सिंह निदेशक

Kuldip Singh Director

सुजय बनर्जी

निदेशक

Sujay Banarji Director



टिप्पणियां: १ वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न टिप्पणियां:

I. महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

क. विलीय विवरणों को तैयार करने का आधारः

ये वित्तीय विवरण प्राप्ति आधार पर ऐतिहासिक लागत अभिसमय के अधीन भारत में सामान्य तौर पर स्वीकृत सिद्धांतों के अनुसार तैयार किए जाते हैं, ऐसी कतिपय मूर्त परिसंपत्तियों को छोडकर, जिन्हें विवरण पुनःमृल्यांकित अलेखों पर तैयार किए जा रहे हैं। कंपनी अधिनियम (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पटनीय कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अनुसरण में, केंद्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय वित्तीय सूचना प्राधिकरण के परामर्श और सिफारिशों पर कोई परिशिष्ट या लेखा मानक निर्धारित किए जाने तक, कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन अधिस्चित मौजदा लेखा मानक लागृ होते रहेंगे।

परिणामस्वरूप, ये वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 211(3ग) (कंपनी (लेखाकरण मानक) नियम, 2006, यथा संशोधित, तथा अन्य संबंधित प्रावधानों के अधीन अधिसूचित लेखाकरण मानकों का सभी महत्वपूर्ण पहलुओं की दृष्टि से अनुपालन करने के लिए तैयार किए गए हैं।

सभी परिसंपत्तियों और देयताओं को कंपनी के सामान्य प्रचालन चक्र और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची ॥ में निर्धारित अन्य मापदंडों के अनुसार चालू या गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उत्पादों के प्रकृति और उन्हें संसाधित करके नकद और नकद समतुल्य के रूप में नकदीकरण किया जाने के लिए इनके अधिग्रहण के बीच अवधि के आधार पर कंपनी ने परिसंपत्तियों और देयताओं के चालू-गैर-चालू में वर्गीकरण के उद्देश्य के लिए अपना प्रचालन चक्र 12 महीने के रूप में निश्चित किया है।

ख. राजस्व की स्वीकृतिः

सावधि जमा पर ब्याज को प्राप्ति आधार पर स्वीकृति दी गई है और इन्हें प्राप्त किया जाना निश्चित है।

ग. कराधानः

क) चालू कर

चालू कर के लिए प्रावधान आय कर अधिनियम, 1961 के अधीन अनुमेय लाभों को ध्यान में रखते हुए अनुमानित कर देयता के आधार पर किया गया है।

NOTES: 1 ACCOMPANYING NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS:

I. Significant accounting policies

a. Basis of preparation of Financial Statements:

These Financial statements have been prepared in accordance with the generally accepted accounting principles in India under the historical cost convention on accrual basis, except for certain tangible assets which are being carried at revalued amounts. Pursuant to section 133 of the Companies Act, 2013 read with rule 7 of hte Companies (Accounts) Rules, 2014, till the standard of accounting or any addendum thereto are prescribed by Central government in consultation and recommendation of the National Financial Reporting Authority, the existting accounting standards nofified order the Comapnies Act, 1956 shall contiune to apply.

Consequently, these financial statements have been prepared to comply in all material aspects with the accounting standards nofified under Section 211(3C) [Companie (Accounting Standards) Rules, 2006, as amended] and the other relevant provisions of the Companies Act, 2013.

All assest and liabilities have been classified as current or non-current as per the Company's normal operating cycle and other crieria set out in the Schedule III to the Comapnies Act, 2013. Based on the nautre of products and hte time between the acquisition of assets for processing and their realization in cash and cash equivalents, the Comapny has ascertained its operating cycle as 12 months for th purpose of current-non-current classification of assets and liabilities.

B. Revenue Recognition:

Interest on term deposit is recognised on the accural basis and certain to received.

c. Taxation:

a) Current Tax

Provision for current tax is made on the



ख) आस्थगित कर

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान द्वारा जारी लेखाकरण मानक 22 - आय पर करों के लिए लेखाकरण के अनुसार, वर्ष के लिए बही और कर लाभों के बीच कालांतरों के लिए आस्थगित कर का लेखाकरण उन कर दरों और विधियों का इस्तेमाल करके किया जाता है जिन्हें तुलनपत्र की तारीख का अधिनियमित या वस्तुतः अधिनियमित किया जा चुका

अस्थायी कालांतरों से उत्पन्न होने वाली आस्थिगत कर परिसंपत्तियों को उस सीमा तक स्वीकृति दी जाती है जहां तक इस बात की औचित्पूर्ण निश्चितता हो कि परिसंपत्तियों का भविष्य में नकदीकरण कर दिया जाएगा।

घ. प्रावधान, आकरिमक देयताएं और आकरिमक परिसंपत्तियां

जिन प्रावधानों के मापन में उल्लेखनीय स्तर तक अनुमान निहित हो, उन्हें तब स्वीकृति दी जाती है जब गत घटनाओं के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान बाध्यता हो और यह संभावना हो कि संसाधनों का बहिर्प्रवाह होगा।

ड. आय प्रति शेयर

कंपनी की ईपीएस के लिए जिस आय पर विचार किया जाता है उसमें इक्विटी शेयरधारकों को अभिदेय कर-पश्चात निवल लाभ शामिल होता है (और किसी भी अतिरिक्त मद का कर-पश्चात प्रभाव) शामिल होता है। मूल ईपीएस की गणना में प्रयुक्त शेयरों की संख्या वर्ष के दौरान बकाया शेयरों की औसत भारित संख्या होती है। विरलित ईपीएस की गणना, संभावित विरलक इक्विटी शेयरों के समायोजन के पश्चात, मूल ईपीएस के समान की जाती है।

II. लेखाकरण पर टिप्पणियां

- क. आकरिमक देयताएं
- 1. कंपनी के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया रु.91,28,631 / - (गत वर्ष रु. 8727900 / -)

टिप्पणीः एक पूर्व पार्टी मध्यस्थता निर्णय दिनांक 06 मई, 1999 को मैसर्स सरस्वती वार्ष्णय (सुपुत्री स्वर्गीय श्रीमती रमा देवी वार्ष्णेय) के पक्ष में पारित किया गया था जो

basis of the estimated tax liability after considering benefits admissible under Income Tax Act, 1961

b) Deferred Taxes

In accordance with Accounting Standard 22 - Accounting for Taxes on Income, issued by The institute of Chartered Accountants of India, the deferred tax for timing differences between the book and tax profits for the year is accounted by using the tax rates and laws that have been enacted or substantially enacted as of hte balance sheet date.

Deferred Tax Assests arising from temporary timing differences are recognized to the extent there is reasoanable certaintly that the assests can be realized in future.

d. Provision, Contingent Liabilites and Contingent Assets

Provisions involving substantial degree of estimation in measurement are recognized when there is a present obligation as a result of past events and are probable that there will be an outflow of resources.

e. Earning Per Share

The earning considered in ascertaining the Company EPS comprises the net profit after tax (and include the post-tax effect of any extra items) attributable ot equity shareholders. The number of shares used in computing Basic EPS is the weighted average number of shares outstanding during the year. The dilluted EPS is calculated on the same as basic EPS, after adjusting for the effect of potential dillutive equity shares.

II. Notes to Account

- a. Contingent Liabilities:
- 1. Claims against the Company not acknowledged as debts Rs. 91,28,631/- (Previous year Rs. 8727900/-)

Note: An ex-party arbitration award dated May 06, 1999 was passed in favour of M/s Saraswati 1999 (vide original order suit no. 277/71 of ex-



कि 20 अगस्त, 1999 को न्यायालय का नियम (पूर्व पार्टी स्वर्गीय रमा देवी वार्ष्णेय के मूल आदेश मुकदमा संख्या 277 / 71 के अंतर्गत) बन गया और कंपनी के विरुद्ध 30,82,541.82 रुपए के लिए एक आधिकारिक आदेश अर्थात डिक्री जारी किया गया था। डिक्री धारक ने 03 मार्च 2000 के पश्चात निर्णीत राशि पर 13% वार्षिक की दर से भावी ब्याज के साथ उपर्युक्त राशि की वसूली के लिए एक निष्पादन मामला संख्या 11/2000 दायर कर दिया। इसके बाद कंपनी ने इस मांग का विरोध किया और वर्तमान समय में यह मामला द्वितीय अतिरिक्त दीवानी न्यायाधीश अलीगढ के समक्ष लंबित है।

(₹ in '000')

			,
	विवरण	31 मार्च, 2015	31 मार्च, 2014
		को समाप्त वर्ष	को समाप्त वर्ष
		के लिए	के लिए
(i)	लेखा परीक्षा	12,000*	12,000
	शुल्क		

^{*}सेवा कर को छोडकर

ग. संबंधित पक्ष संव्यवहार

धारक कंपनीः ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

(₹ in '000')

	विवरण	31 मार्च,	31 मार्च,
		2015 को	2014 को
		समाप्त वर्ष	समाप्त वर्ष
		के लिए	के लिए
1.	संव्यवहार		
	धारक कंपनी से ऋण	38,705	26,296
	किये गए व्यय धारक		
	कंपनी ओरिएंटल		
	इंश्योरेंस कंपनी		
	लिमिटेड द्वारा वहन		
	किए जाएंगे		
2.	अंत शेषय	5,82,587	5,43,882

party Late Smt. Rama Devi Varshney) and a decree for Rs. 30,82,541.82 was passed against the Company. An execution case bearing no. 11/2000 has been filed by the decree holder for recovery of the aforesaid amount along with future interest @ 13% p.a. on the awarded amount after March 03, 2000. Further, the company has contested the demand and at present the case is pending before IInd additional Civil Judge, Aligarh.

b. Payment to Auditors

(₹ in '000')

	Particulars	For the year	For the year
		ended	ended
		March 31,	March 31,
		2015	2014
(i)	Audit Fee	12,000*	12,000

^{*}Exclusive of service tax

c. Related Party Transation

Holding Company: The Oriental Insurance Co. Ltd.

			((111 000)
	Particulars	For the	For the
		year	year
		ended	ended
		March	March 31,
		31, 2015	2014
1.	Transactions		
	Loan from Holding	38,705	26,296
	Company		
	expenses incurred		
	are bone by the		
	holding Company		
	"the Oriental		
	Insurance Co. Ltd."		
2.	Closing balance	5,82,587	5,43,882



घ. प्रति शेयर आय (ईपीएस)

(₹ in '000')

		,
विवरण	31 मार्च,	31 मार्च,
	2015 को	2014 को
	समाप्त वर्ष	समाप्त वर्ष
	के लिए	के लिए
वर्ष के लिए लाभ / (हानि)	(6827)	(21,562)
(ক)		
इक्विटी शेयरों की संख्या	5000	5000
(ख)		
लाभ प्रति शेयर (क/ख)	(1.36)	(4.31)

- ड. निदेशकों द्वारा बोर्ड की बैठक में उपस्थित होने के लिए उपस्थिति शुल्क का दावा छोड़ दिया गया है।
- च. कर्जदार पर 37,973 रुपए की बकाया राशि पर ब्याज का हिसाब नहीं दिया गया है क्योंकि बकाया राशि को संदिग्ध कर्ज के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- छ. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कम्पनी द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियमए 2005 के अंतर्गत पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं को कोई राशि देय नहीं है।
- ज. गत वर्ष के आंकड़ों को आवश्यकतानुसार पुनःसमूहबद्ध, पुनः व्यवस्थित और पुनःवगीकृत किया गया है।

d. Earning per Share (EPS)

Particulars	For the	For the		
	year	year		
	ended	ended		
	March	March 31,		
	31, 2015	2014		
Profit/(Loss) for the	(6827)	(21,562)		
yrar (A)				
Number of Equity	5000	5000		
Shares (B)				
Profit Per Share (A.B)	(1.36)	(4.31)		

- e. The directors have waived the sitting fee for attending the Board Meeting.
- f. Interest on outstanding amount fo Rs. 37,973 with the debtor has not been accounted for since the outstanding amount has been classified as doubtful debt.
- g. According to the information and explanations given to us, the Company has no amount due to suppliers registered under Micro, Small and Medium Enterprises Dvelopment act, 2005.
- h. Previous year's figure have been regrouped, rearranged and reclassified wherever necessary.



31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणिकाओं पर टिप्पणियां

THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED

NOTES ON CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH2015

1. आरक्षितियां और अधिशेष

1. RESERVES AND SURPLUS

क्र. सं.	विवरण	31.03.15 को	31.03.14 को
SI.	PARTICULARS	As at	As at
No.		31.03.2015	31.03.2014
क	दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड		
Α	THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED		
1	पूंजी आरक्षिति	2565	2565
	Capital Reserve		
2	पूंजी शोधन आरक्षिति		
	Capital Redemption Reserve		
3	शेयर प्रीमियम		
	Share Premium		
4	सामान्य आरक्षिति	29815782	27714802
	General Reserves		
	घटाएं: लाभ हानि खाते में नामे शेष		
	Less: Debit Balance in Profit & Loss Account		
	घटाएं: पुनः क्रय के लिए प्रयुक्त राशि		
	Less: Amount Utilised for Buy-Back		
5	आपदा आरक्षिति		
	Catastrophe Reserve		
6	असमाप्त जोखिमों के लिए आकरिमक आरक्षिति	0	0
	Contingency Reserve for Unexpired Risks		
7	लाभ हानि खाते में लाभ का शेष	0	0
	Balance of Profit in Profit & Loss Account		
	उप—योग	29818347	27717367
	SUB - TOTAL		
В	दि इंडस्ट्रीयल क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड की 100% हिस्सेदारी	-659	-652
	100% Share of THE INDUSTRIAL CREDIT COMPANY LTD.		
C	हैल्थ इंश्योरेंस टीपीए ऑफ इंडिया लिमिटेड की 23.75% हिस्सेदारी	-24467	-12145
	23.75% Share of HEALTH INSURANCE TPA OF INDIA LTD.		
	कुल	29793221	27704570
	Total		



2. निवेश

2. INVESTMENTS

	(< In			
क्र. सं.	विवरण	31.03.15 को	31.03.14 को	
SI.	PARTICULARS	As at	As at	
No.		31.03.2015	31.03.2014	
क	दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड			
Α	THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED			
	दीर्घावधि निवेश			
	Long Term Investments			
1	सरकारी प्रतिभूतियां और सरकार द्वारा गारंटीकृत बांड जिसमें राजकोष	42462962	39214858	
	बिल भी शामिल हैं			
	Government Securities and Government Guaranteed Bonds			
	including Treasury Bills			
2	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां			
	Other Approved Securities			
	क) बांड / डिबेंचर जहां ब्याज केंद्रीय / राज्य सरकारों द्वारा गारंटीकृत है	17951	233885	
	a) Bonds/Debentures where interest is guaranteed by Central/			
	State Govt.			
	ख) भारत सरकार के पास विशेष जमा राशियां	0	0	
	b) Special Deposits with Government of India.			
3	अन्य निवेश			
	Other Investments			
	क) शेयर			
	a) Shares			
	(कक) इक्विटी	102912793	95232858	
	(aa) Equity			
	(खख) अधिमान्य शेयर	74820	69323	
	(bb) Preference shares			
	ख) म्युचुअल फंड	0	0	
	b) Mutual Funds			
	ग) व्युत्पन्न निवेश	0	0	
	c) Derivative Instruments	22005067	17275456	
	घ) डिबेंचर / बांड	22895867	17375456	
	d) Debentures / Bonds	0	0	
	ड़) अन्य प्रतिभूतियां	0	0	
	e) Other Securities	0	0	
	च) अनुषंगी कम्पनियां	0	0	
	f) Subsidiaries	0	0	
	छ) निवेश सम्पत्तियां — रीयल एस्टेट	U	U	
	g) Investment Properties - Real Estate			



क्र. सं. SI.	विवरण PARTICULARS	31.03.15 को As at	31.03.14 को As at
No. 4	अवसंरचना और सामाजिक क्षेत्र में निवेश	31.03.2015	31.03.2014
	Investment in Infrastructure & Social Sector		
	क) बांड / डिबेंचर जहां ब्याज गारंटीकृत है	0	0
	a) Bonds/Debentures where interest is guaranteed		
	ख) बांड / डिबेंचर (अन्य)	13172198	12760143
	b) Debentures / Bonds(others)		
	ग) इक्विटी	14130483	11252584
_	c) Equity		
5	अनुमोदित निवेशों के अतिरिक्त		
	Other than Approved Investments क) डिबेंचर	474869	758188
	a) Debentures	474009	730100
	ख) बांड / डिबेंचर जहां ब्याज गारंटीकृत है	0	3980
	b) Bonds/Debentures where interest is guaranteed	Ŭ	3,00
	ग) इक्विटी	2069601	981263
	c) Equity		
	घ) अधिमान्य शेयर	23769	38353
	d) Preference Shares		
	ड़) म्युचुअल फंड	0	0
	e) Mutual Funds		
	च) अनुषंगी कम्पनियां	500	500
	f) Subsidiaries		
	छ) उद्यम पूंजी निधि	675857	669514
	g) Venture Capital Fund		
	अल्पाधिक निवेश		
	Short Term Investments	2424424	4704457
1	सरकारी प्रतिभूतियां और सरकार द्वारा गारंटीकृत बांड जिसमें राजकोष	2124101	1796167
	बिल भी शामिल हैं		
	Government Securities and Government Guaranteed		
2	Bonds including Treasury Bills अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां		
_	Other Approved Securities		
	क) बांड / डिबेंचर जहां ब्याज केंद्रीय / राज्य सरकारों द्वारा गारंटीकृत है	19914	0
	a) Bonds/Debentures where interest is guaranteed by Central/State Govt.		
	ख) भारत सरकार के पास विशेष जमा राशियां	0	0
	b) Special Deposits with Government of India.		



क्र. सं.	विवरण	31.03.15 को	31.03.14 को
SI.	PARTICULARS	As at	3 1.03. 14 49
No.	PARTICULARS	31.03.2015	31.03.2014
3	अन्य निवेश	31.03.2013	31.03.2014
	Other Investments		
	क) शेयर		
	a) Shares		
	(कक) इक्विटी	0	0
	(aa) Equity		
	(खख) अधिमान्य शेयर	0	0
	(bb) Preference shares		
	ख) म्युचुअल फंड	787135	1360192
	b) Mutual Funds		
	ग) व्युत्पन्न निवेश	0	0
	c) Derivative Instruments		
	घ) डिबेंचर / बांड	2398206	5207117
	d) Debentures / Bonds		
	ड़) अन्य प्रतिभूतियां	0	0
	e) Other Securities		
	च) अनुषंगी कम्पनियां	0	0
	f) Subsidiaries		
	छ) निवेश सम्पत्तियां – रीयल एस्टेट	0	0
	g) Investment Properties - Real Estate		
4	अवसंरचना और सामाजिक क्षेत्र में निवेश		
	Investment in Infrastructure & Social Sector		
	क) बांड / डिबेंचर जहां ब्याज गारंटीकृत है	0	0
	a) Bonds/Debentures where interest is guaranteed		
	ख) बांड / डिबेंचर (अन्य)	2187590	615733
	b) Debentures / Bonds(others)		
5	अनुमोदित निवेशों के अतिरिक्त		
	Other than Approved Investments		
	क) डिबेंचर	165000	100000
	a) Debentures		
	ख) बांड / डिबेंचर जहां ब्याज गारंटीकृत है	0	0
	b) Bonds/Debentures where interest is guaranteed		
	ग) इक्विटी	0	0
	c) Equity		
	घ) अधिमान्य शेयर	626	514
	d) Preference Shares		
	ड़) म्युचुअल फंड	0	0
	e) Mutual Funds		
	च) अनुषंगी कम्पनियां	0	0
	f) Subsidiaries		



क्र. सं.	विवरण	31.03.15 को	31.03.14 को
SI.	PARTICULARS	As at	As at
No.		31.03.2015	31.03.2014
	छ) उद्यम पूंजी निधि	0	0
	g) Venture Capital Fund		
	उप—योग	206594242	187670628
	SUB - TOTAL		
ख	घटाएं: दि इंडस्ट्रीयल क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड की 100% हिस्सेदारी	500	500
В	Less: 100% Share of THE INDUSTRIAL CREDIT COMPANY LTD.		
ग	घटाएं: हैल्थ इंश्योरेंस टीपीए ऑफ इंडिया लिमिटेड की 23.75% हिस्सेदारी	47500	23750
C	Less: 23.75% Share of HEALTH INSURANCE TPA OF INDIA LTD.		
	कुल	206546242	187646378
	Total		

3. स्थायी परिसम्पत्तियां और चल रहे पूंजीगत कार्य 3. FIXED ASSETS AND CAPITAL WORK IN PROGRESS

			(\(\) III \(\) (000)
क्र. सं.	विवरण	31.03.15 को	31.03.14 को
SI.	PARTICULARS	As at	As at
No.		31.03.2015	31.03.2014
क	दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड	As at 31.03.2015	As at 31.03.2014
Α	THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED		
	मूर्त परिसम्पत्तियां	(Rs. '000)	(Rs. '000)
	Tangible Assets		
	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	1109	1109
	Land Freehold		
	पट्टे पर ली गई सम्पत्ति	21005	29310
	Leasehold Property		
	पूर्ण स्वामित्व वाली सम्पत्ति	276133	191734
	Buildings(Freehold)		
	फर्नीचर और फिटिंग्स	69602	75727
	Furniture & Fittings		
	सूचना प्रौद्योगिकी उपस्कर	71690	87812
	Information & Technology Equipment		
	वाहन	372537	336940
	Vehicles		
	कार्यालय उपस्कर	22850	40548
	Office Equipment		
	अन्य	79908	102228
	Others		
	कुल स्थायी परिसम्पत्तियां	914834	865408
	Total Fixed Assets		



क्र. सं. SI. No.	विवरण PARTICULARS	31.03.15 को As at 31.03.2015	31.03.14 को As at 31.03.2014
	अमूर्त परिसम्पत्तियां (सोफ्टवेयर) Intangible Assets (Software)	41899	32597
	उप योग Sub Total	956733	898005
	चल रहे पूंजी कार्य Capital Work in Progress	623563	403996
	कुल Total	1580296	1302001
ख B	दि इंडस्ट्रीयल क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड की 100% हिस्सेदारी 100% Share of THE INDUSTRIAL CREDIT COMPANY LTD.	0	0
ग C	हैल्थ इंश्योरेंस टीपीए ऑफ इंडिया लिमिटेड की 23.75% हिस्सेदारी 23.75% Share of HEALTH INSURANCE TPA OF INDIA LTD.	545	702
	कुल Total	1580841	1302703

4. नकद और बैंक रोष

4. CASH AND BANK BALANCES

			(₹ 111 000)
क्र. सं.	विवरण	31.03.15 को	31.03.14 को
SI.	PARTICULARS	As at	As at
No.		31.03.2015	31.03.2014
क	दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड		
Α	THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED		
1	1 नकद (चैकों, ड्राफ्टों और स्टाम्पों सहित)	890850	1410117
	Cash (including cheques, drafts and stamps)		
2	बैंक शेष		
	Bank Balances		
	(क) जमा खाते		
	(a) Deposit Accounts		
	(कक) अल्पावधिक (12 महीने के भीतर देय)	18061509	15566941
	(aa) Short-term (due within 12 months)		
	(खख) अन्य	0	0
	(bb) others		
	(ख) चालू खाते	5317616	5292831
	(b) Current Accounts		
	(ग) अन्य	0	0
	(c) Others		
3	मांग और अल्पावधिक सूचना पर धनराशि		
	Money at Call and Short Notice		
	(क) बैंकों के साथ	0	0
	(a) With Banks		



क्र. सं.	विवरण	31.03.15 को	31.03.14 को
SI.	PARTICULARS	As at	As at
No.		31.03.2015	31.03.2014
	(ख) अन्य संस्थानों के साथ	0	0
	(b) With other Institutions		
4	अन्य	0	0
	Others		
	कुल	24269975	22269889
	TOTAL		
ख	दि इंडस्ट्रीयल क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड की 100% हिस्सेदारी	433	402
В	100% Share of THE INDUSTRIAL CREDIT COMPANY LTD.		
ग	हैल्थ इंश्योरेंस टीपीए ऑफ इंडिया लिमिटेड की 23.75% हिस्सेदारी	23718	10759
C	23.75% Share of HEALTH INSURANCE TPA OF INDIA LTD.		
	कुल	24294126	22281050
	Total		

5. 31.03.2015 को अग्रिम और अन्य परिसम्पत्तियां

5. ADVANCES AND OTHER ASSETS AS AT 31.03.2015

			(\ 111 000)
क्र. सं. SI. No.	विवरण PARTICULARS	31.03.15 को As at 31.03.2015	31.03.14 को As at 31.03.2014
Α	दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED		
	अग्रिम Advances		
1	अभ्यर्पित कम्पनियों के पास जमा राशियां Reserve deposits with ceding companies	157625	190459
2	निवेशों के लिए आवेदन राशि Application money for investments	0	0
3	पूर्व—भुगतान Prepayments	42996	4365
4	निदेशकों / अधिकारियों को अग्रिम Advances to Directors/Officers	467711	455867
5	चुकता अग्रिम कर और स्रोत पर कर की कटौती (कराधान संबंधी प्रावधान को घटाते हुए) / कर विभाग से वसूली योग्य राशि Advance tax paid and taxes deducted at source, (Net of Provision for Taxation)/Amount Recoverable from Tax Deptt.	3057626	1849154
6	अन्य Others	209055	149068
	कुल (क) Total (A)	3935013	2648913
1	निवेशों पर उपचित आय Income accrued on investments	3829027	3344607




क्र. सं.	विवरण	31.03.15 को	31.03.14 को
SI.	PARTICULARS	As at	As at
No.	7411166274115	31.03.2015	31.03.2014
2	बकाया प्रीमियम	568087	1152690
	Outstanding Premiums		
3	एजेटों के शेष	0	0
	Agents' Balances		
4	विदेशी एजेंसियों के शेष	153588	138898
	Foreign Agencies' Balances		
5	बीमा कारोबार करने वाले अन्य निकायों (पुनर्बीमाकर्ताओं सहित) से देय	15451938	14106902
	Due from other entities carrying on insurance business		
	(including reinsurers)		
6	अनुषंगी कम्पनियों /धारक कम्पनी से देय	583	544
	Due from subsidiaries/holding company		
7	भारतीय रिजर्व बैंक में जमा राशि, [बीमा अधिनियमए 1938 की धारा 7 के	171107	171192
	अनुसरण में]*		
	Deposit with Reserve Bank of India, [Pursuant to section 7 of		
	Insurance Act, 1938]*		
8	अन्य #	4398660	4231204
	Others #		
	कुल (ख)	24572990	23146037
	Total (B)		
	कुल (क+ख)	28508003	25794950
	TOTAL (A + B)		
ख	दि इंडस्ट्रीयल क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड की 100% हिस्सेदारी	9	3
В	100% Share of THE INDUSTRIAL CREDIT COMPANY LTD.		
ग	हैल्थ इंश्योरेंस टीपीए ऑफ इंडिया लिमिटेड की 23.75% हिस्सेदारी	1552	430
С	23.75% Share of HEALTH INSURANCE TPA OF INDIA LTD.		
	कुल	28509564	25795383
	Total		



6. 31.03.2015 को चालू देयताए 6. CURRENT LIABILITIES AS AT 31.03.2015

	(K IN 00			
क्र. सं.	विवरण	31.03.15 को	31.03.14 को	
SI.	PARTICULARS	As at	As at	
No.		31.03.2015	31.03.2014	
क	दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड			
Α	THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED			
1	एजेटों के शेष (निवल)	362390	319251	
	Agents Balances (Net)			
2	अन्य बीमा कम्पनियों को देय शेष	205343	79321	
	Balances due to other insurance companies			
3	अभ्यर्पित पुनर्बीमा पर धारित जमा राशियां	1155668	460846	
	Deposits held on reinsurance ceded			
4	अग्रिम रूप से प्राप्त प्रीमियम	1612940	831667	
	Premium received in advance			
5	अनावंटित प्रीमियम	0	0	
	Unallocated Premium			
6	छोटे लेनदार #	11095926	8256464	
	Sundry Creditors #			
7	अनषंगी कम्पनियों / धारक कम्पनी को देय	0	0	
	Due to subsidiaries/holding company			
8	बकाया दावे	72646137	70829480	
	Claims Outstanding			
9	अधिकारियों / निदेशकों को देय	0	0	
	Due to Officers / Directors			
10	पॉलिसीधारकों को देय	496969	471962	
	Due to Policy Holders			
11	नई पेंशन योजना पर देयता	320050	202615	
	Liability on New Pension Scheme			
12	अन्य	224173	76712	
	Others			
	कुल	88119596	81528318	
	Total			
ख	दि इंडस्ट्रीयल क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड की 100% हिस्सेदारी	601	13	
В	100% Share of THE INDUSTRIAL CREDIT COMPANY LTD.			
ग	हैल्थ इंश्योरेंस टीपीए ऑफ इंडिया लिमिटेड की 23.75% हिस्सेदारी	1588	1379	
С	23.75% Share of HEALTH INSURANCE TPA OF INDIA LTD.			
	कुल	88121785	81529710	
	Total			



7. 31.03.2015 को प्रावधान

7. Provisions as at 31.03.2015

			(< In 000)
क्र. सं. SI. No.	विवरण PARTICULARS	31.03.15 को As at 31.03.2015	31.03.14 को As at 31.03.201 4
क A	दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED		
1	असमाप्त जोखिम के लिए आरक्षिति Reserve for Unexpired Risk	32751739	32279521
2	कराधान के लिए (चुकता अग्रिम कर और स्रोत पर कर को घटाते हुए) For taxation (less advance tax paid and tax deducted at source)	0	0
3	प्रस्तावित लाभांशों के लिए For proposed dividends	1100000	1080000
4	लाभांश वितरण कर के लिए For dividend distribution tax	219982	183546
5	अन्य Others		
	(क) छुट्टी नकदीकरण / एलटीसी / बीमारी अवकाश हेतु प्रावधान (a) Provision for Leave Encashment/ LTS/Sick Leave	5375075	4893859
	(ख) परिलब्धि संशोधन के लिए प्रावधान (b) Provision for Wage revision	3814306	1464306
	(ग) अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान (c) Provision for Bad & Doubtful Debts	2032364	2693115
	(घ) मानक परिसम्पत्तियों के लिए प्रावधान (d) Provision for Standard Assets	166561	149632
	(ड़) शेयरों के मूल्य में ह्रास के लिए प्रावधान (e) Provision for Diminution in Value of Shares	159294	182388
	(च) ब्याज उचंत (f) Interest Suspense	0	4406
6	प्रीमियम में कमी के लिए आरक्षिति Reserve for Premium Deficiency	0	0
	कुल Total	45619321	42930773
ख B	दि इंडस्ट्रीयल क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड की 100% हिस्सेदारी 100% Share of THE INDUSTRIAL CREDIT COMPANY LTD.	0	0
ग C	हैल्थ इंश्योरेंस टीपीए ऑफ इंडिया लिमिटेड की 23.75% हिस्सेदारी 23.75% Share of HEALTH INSURANCE TPA OF INDIA LTD.	1194	0
	कुल Total	45620515	42930773



ब. आईआरडीएआई द्वारा यथोपेक्षित विवरणों के लेखों के प्रकटीकरण के भाग को बनाती हुई टिप्पणियां

प्रयानाया प्राची या प्राची या प्रचारा हुर १०व्यानाया						
क्र. सं.	विवरण	31.03.15 को	31.03.14 को			
1.	आकस्मिक देनदारियां	Rs. In lacs	Rs. In lacs			
क	अंशतः चुकता निवेश	2292.67	1912.69			
ख	बकाया जोखिम अंकन प्रतिबद्धता	शून्य	शून्य			
ग	पॉलिसियों से इतर अन्य दावे, जिन्हें ऋण नहीं माना गया	175.15	153.40			
घ	कम्पनी द्वारा या इसकी ओर से दी गई गारंटी	शून्य	शून्य			
ड़	विवादास्पद सांविधि ाक मांगें / देनदारियां, जिनके लिए प्रावधान नहीं किया गया है।	5671.12#	35554.48*			
च	उस सीमा तक पुनर्बीमा दायित्व जिसके लिए लेखाओं में प्रावधान नहीं किया गया।	शून्य	शून्य			
छ	अन्य	118.01	132.15			

- *35554.48 लाख रुपए में नई दिल्ली में आयकर प्राधि ाकारियों द्वारा दंड के रूप में लगाए गए 17388.50 लाख रुपए और 18128.94 लाख रुपए (क्रमशः आकलन वर्ष 2005-06 और 2004-05 के लिए) जम्मू में सेवा कर प्राधिकरण द्वारा सेवा कर के लिए वसूले गए ब्याज के 4.90 लाख रुपए, हैदराबाद में आयकर प्राधिकारियों द्वारा एमएसीटी ब्याज पर टीडीएस के लिए वसूले गए 23.14 लाख रुपए और उच्च न्यायालय, हैदराबाद में पूर्व कर्मचारी द्वारा दायर मुकदमें (2013-14) के लिए 9 लाख रुपए शामिल हैं।
- # 5671.12 लाख रुपए में नई दिल्ली में आयकर प्राधिकारियों द्वारा दंड के रूप में लगाए गए 5628.48 लाख रुपए और 5.60 लाख रुपए (क्रमशः आकलन वर्ष 2005-06 और 2004-05 के लिए) जम्मू में सेवा कर प्राधिकरण द्वारा सेवा कर के लिए वसूले गए ब्याज के 4.90 लाख रुपए, हैदराबाद

B. Notes forming part of Accounts Disclosures of particulars as required by IRDAL.

Disclosures of particulars as required by INDAI.					
SI.	Particulars	As at	As at		
No.		31.03.2015	31.03.2014		
1.	Contingent	Rs. In lacs	Rs. In lacs		
	Liabilities				
a.	Partly Paid	2292.67	1912.69		
	Investments				
b	Underwriting	NIL	NIL		
	Commitment				
	Outstanding				
С	Claims, other	175.15	153.40		
	than those under				
	policies, not				
	acknowledged as Debt				
Ь	Guarantee given	NIL	NIL		
ч	by or on behalf of	IVIL	IVIL		
	the Company				
е	Statutory	5671.12#	35554.48*		
	demands/				
	liabilities, in				
	dispute, not				
	provided for				
f	Reinsurance	NIL	NIL		
	obligations to				
	the extent not				
	provided for in				
	Accounts	110.01	122.45		
g	Others	118.01	132.15		

- * Rs.35554.48 lacs comprises of Rs. 17388.50lacs and Rs. 18128.94 lacs, being Penalty (for the AYs 2005-06 and 2004-05 respectively) imposed by Income Tax Authorities in New Delhi ,Rs.4.90 lacs being interest on Service tax 2007-08 levied by Service tax Authority in Jammu, Rs.23.14 lacs towards TDS on MACT interest levied by Income tax Authorities in Hyderabad and Rs.9 lacs towards case filed by ex-employee in the High Court, Hyderabad (2013-14).
- # Rs.5671.12 lacs comprises of Rs.5628.48 lacs and Rs.5.60 lacs, being Penalty (for A.Ys 2005-06 and 2010-11 respectively) imposed by Income Tax Authorities in New Delhi, Rs.4.90 lacs being interest on Service tax 2007-08 levied by

में आयकर प्राधिकारियों द्वारा एमएसीटी ब्याज पर टीडीएस के लिए वसूले गए 23.14 लाख रुपए और उच्च न्यायालय, हैदराबाद में पूर्व कर्मचारी द्वारा दायर मुकदमें (2013-14) के लिए 9 लाख रुपए शामिल हैं।

भारत में तथा भारत से बाहर कंपनी की परिसंपत्तियों पर ऋण भार 31.03.15 को 31.03.14 को 60.78lacs 49.36 lacs क. न्यायालय के आदेशों से सील हुए बैंक खाते ख. सरकार की ओर शून्य शून्य से पर्यावरण राहत कोष के अंतर्गत रोकी गई जमा राशियां

ऋणों, निवेशों एवं स्थायी परिसंपत्तियों के वचनबद्धताएं एवं बकाया (लाख रुपए में) 31.03.15 को 31.03.14 को 1.80 1.80 क. ऋण 15.13 ख. आंशिक चुकता 15.13 शेयर ग. अग्रिम घटाते हुए 25388.10 5408.30 पूंजी प्रतिबद्धताएं

4.	पुनर्बीमा घटाते हुए चुकता दावे (लाख रुपए में)					
			(, , , , , ,			
		31.03.15 को	31.03.14 को			
	क. भारत में दावेदार	498875.11	429833.99			
	ख. भारत से बाहर दावेदार	9108.70	18202.85			
	ग. कुल	507983.81	448036.84			

5. जिन दावों के भूगतान को चार वर्ष से अधिक का समय हो गया है उन दावों के मामले में दावा देनदारियों के निध र्गारण के लिए बीमांकिक अनुमान।

जहां दावा भुगतान की अवधि चार वर्ष से अधिक हो गई है वहां कंपनी ने कोई पॉलिसी जारी नहीं की है।

Service tax Authority in Jammu, Rs.23.14 lacs towards TDS on MACT interest levied by Income tax Authorities in Hyderabad and Rs.9 lacs towards case filed by ex-employee in the High Court, Hyderabad (2013-14).

Encumbrances to assets of the Company in and outside India As at As at 31.03.2015 31.03.2014 49.36 lacs 60.78lacs a. Bank Accounts frozen as per Court **Orders** b. Deposits held under Environment NIL **NIL** Relief fund on behalf of the Government

Commitments made and outstanding for loans, investments and Fixed Assets (Rs. in lacs) As at As at 31.03.2015 31.03.2014 1.80 1.80 a. Loans b. Partly Paid 15.13 15.13 Shares 25388.10 5408.30 c. Capital Commitments Net of Advances

4.	Claims less Reinsurance, paid to					
	(Rs. in lacs					
	As at As					
		31.03.2015	31.03.2014			
	a. Claimants in	498875.11	429833.99			
	India					
	b. Claimants	9108.70	18202.85			
	outside India					
	c. Total	507983.81	448036.84			

5. Actuarial assumptions for the determination of claim liabilities in the case of claims where the claim payment period exceed four years.

The Company has not issued any policy where claim payment period exceeds four years.



- 6. दावों की अवधि (आईबीएनआर को छोड़कर प्रत्यक्ष) क) भारत के भीतर
- 6. Ageing of claims (Direct excluding IBNR)
- a) Within India

(₹ in lacs)

व्यवसाय	वर्ष	बकाया दावे						
का वर्ग	Year	Claims outstanding for						
Class of		छह माह से ज्यादा छह माह से कम कुल			ल			
Business		More than	six months	Less than s	ix months	To	Total	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	
		Number	Amount	Number	Amount	Number	Amount	
अग्नि	31.3.2015 को	1983	137813.20	1628	53217.45	3611	191030.65	
Fire	As at 31.3.2015							
	31.3.2014 को	1936	124529.42	1478	36147.65	3414	160677.07	
	As at 31.3.2014							
मरीन	31.3.2015 को	1878	30487.59	2327	31898.89	4205	62386.48	
Marine	As at 31.3.2015							
	31.3.2014 को	1942	51687.22	1966	9179.76	3908	60866.98	
	As at 31.3.2014							
विविध	31.3.2015 को	164263	319195.79	86959	150620.80	251222	469816.59	
Misc	As at 31.3.2015							
	31.3.2014 को	220383	343384.35	103039	96481.74	323422	439866.09	
	As at 31.3.2014							
कुल	31.3.2015 को	168124	487496.58	90914	235737.14	259038	723233.72	
Total	As at 31.3.2015							
	31.3.2014 को	224261	519600.99	106483	141809.15	330744	661410.15	
	As at 31.3.2014							

ख) भारत से बाहर

b) Outside India

(₹ in lacs)

व्यवसाय का वर्ग	वर्ष Year	बकाया दावे Claims outstanding for					
Class of Business		छह माह से More than siz		छह माह Less than s		कु Tot	
		संख्या	राशि		राशि	संख्या	राशि
_	_	Number	Amount		Amount	Number	Amount
अग्नि	31.3.2015 को	42	2013.67	40	325.27	82	2338.94
Fire	As at 31.3.2015						
	31.3.2014 को	67	292.53	52	2126.85	119	2419.38
	As at 31.3.2014						
मरीन	31.3.2015 को	57	318.07	75	218.54	132	536.61
Marine	As at 31.3.2015						
	31.3.2014 को	79	212.97	60	228.82	139	441.79
	As at 31.3.2014						



व्यवसाय का	वर्ष	बकाया दावे					
वर्ग	Year		C	laims outst	anding for		
Class of		छह माह से ज्यादा छह माह से कम		कु	ल		
Business		More than si	x months	Less than s	ix months	To	tal
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
		Number	Amount	Number	Amount	Number	Amount
विविध	31.3.2015 को	2488	4503.80	1339	1776.63	3827	6280.43
Misc	As at 31.3.2015						
	31.3.2014 को	1566	1736.58	2774	6298.04	4340	8034.62
	As at 31.3.2014						
कुल	31.3.2015 को	2587	6835.54	1454	2320.44	4041	9155.98
Total	As at 31.3.2015						
	31.3.2014 को	1712	2242.08	2886	8653.71	4598	10895.79
	As at 31.3.2014						

ग) कुल c) Total

(₹ in lacs)

							(\ III lacs)
व्यवसाय का	वर्ष			बकाय	ा दावे		
वर्ग	Year		Claims outstanding for				
Class of		छह माह	छह माह से ज्यादा छह माह से कम		से कम	कुल	
Business		More than	six months	Less than s	ix months	To	tal
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
		Number	Amount	Number	Amount	Number	Amount
अग्नि	31.3.2015 को	2025	139826.87	1668	53542.72	3693	193369.59
Fire	As at 31.3.2015						
	31.3.2014 को	2003	124821.95	1530	38274.50	3533	163096.45
	As at 31.3.2014						
मरीन	31.3.2015 को	1935	30805.66	2402	32117.43	4337	62923.09
Marine	As at 31.3.2015						
	31.3.2014 को	2021	51900.19	2026	9408.58	4047	61308.78
	As at 31.3.2014						
विविध	31.3.2015 को	166751	323699.59	88298	152397.43	255049	476097.02
Misc	As at 31.3.2015						
	31.3.2014 को	221949	345120.93	105813	102779.78	327762	447900.71
	As at 31.3.2014						
कुल	31.3.2015 को	170711	494332.12	92368	238057.58	263079	732389.70
Total	As at 31.3.2015						
	31.3.2014 को	225973	521843.07	109369	150462.86	335342	672305.94
	As at 31.3.2014						



7. पुनर्बीमा जोखिम अंकन घटाते हुए प्रीमियम

(लाख रुपए में)

(, . ,		
	31.03.15 को	31.03.14 को
क. भारत में कारोबार	631078.21	617810.43
ख. भारत से बाहर	16160.50	20336.45
कारोबार		
ग. कुल	647238.71	638146.88

8. क्या बाह्य प्रमाणों पर विश्वास किया गया है अथवा नहीं, इस तथ्य सहित आधार और उसके प्रमाणन के साथ श्रेणीवार विभिन्न जाखिम प्रणाली के आधार पर प्रीमियम आय की मात्रा स्वीकृत की जाती है:

प्रत्येक संबंधित राजस्व लेखा में जोखिमों के अनुमान के आधार पर पुनर्बीमा को घटाते हुए प्रीमियमों को स्वीकृत किया जाता है और असमाप्त जोखिमों के लिए राजस्व उसकी प्रतिशतता पर आधारित होता है, जो कि बीमा अधिनियम, 1938 के अनुसार अग्नि, मैरीन कार्गो और विविध व्यवसाय के मामले में 50 प्रतिशत और मैरीन हल व्यवसाय के मामले में 100 प्रतिशत होता है

9. निवेशों के संबंध में अनुबंधों का मूल्य

(लाख रुपए में)

		((1101 (131)
	31.03.15 को	31.03.14 को
क. खरीद जहां	शून्य	शून्य
आपूर्ति लंबित है		
ख. बिक्री, जहां	शून्य	शून्य
भुगतान अतिदेय		
है		

(लाख रुपए में)

			(लाज एनर ग)
		31.03.15 को	31.03.14 को
10.	उचित मूल्य आध	218379.10	223086.92
	गर पर मूल्यांकित		
	इक्विटी शेयरों /		
	म्यूचुअल फंडों		
	की इकाइयों की		
	ऐतिहासिक लागत		

11 प्रबंधकीय पारिश्रमिक की गणना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के प्रावधानों के अनुसार, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों और निदेशकों को अदा

7. Premium less Reinsurance underwritten from

(₹ in lacs)

	As at	As at
	31.03.2015	31.03.2014
a. Business in India	631078.21	617810.43
b. Business outside India	16160.50	20336.45
c. Total	647238.71	638146.88

8. Extent of premium income recognized, based on varying risk pattern, category wise, with basis and certification thereof, including whether reliance has been placed on external evidence:

Premiums are recognized, net of reinsurance, based on assumption of risks in each related Revenue account and Reserve for Unexpired Risks is based on a percentage thereof, being 50% in case of Fire, Marine Cargo and Miscellaneous business and 100% in case of Marine Hull business as per Insurance Act, 1938.

9. Value of contracts in relation to investments for

(Rs. in lacs)

		As at 31.03.2015	As at 31.03.2014
a.	Purchases where deliveries are pending	NIL	NIL
b.	Sales where payments are overdue	NIL	NIL

(Rs. in lacs)

		As at	As at
		31.03.2015	31.03.2014
10.	Historical	218379.10	223086.92
	cost of Equity		
	Shares/ Units		
	of Mutual		
	Funds valued		
	on Fair Value		
	Basis		

11. Computation of managerial remuneration

As per provisions of section 197 of the Companies Act, 2013, remuneration



किए जाने वाले पारिश्रमिक की गणना धारा 198 में निध र्गिरत तरीके से की जाती है और यह कंपनी के निवल लाभों के 11 प्रतिशत से अधिक नहीं होती। गत वर्ष तक, कंपनी को सरकारी कंपनी होने की वजह से कंपनी अधि ानियम की धारा 620 के अंतर्गत दिनांक 31 जनवरी 1978 की अधिसूचना जीएसआर 235 के द्वारा छूट प्राप्त थी।

- 12. ऋण प्रतिभूतियों के परिशोधन का आधार:-ऋण प्रतिभृतियों का परिशोधन परिपक्वता के तारीख तक अवशिष्ट दिनों की संख्या के आधार पर किया जाता है। परिशोधन की गणना करते समय पट / कॉल के विकल्प पर विचार नहीं किया जाता। बहरहाल, आंशिक शोधन, यदि कोई हो पर विचार किया जाता है।
- 13. उपार्जन के लंबित रहते, "उचित मूल्य परिवर्तन खाता" में ऋण शेष वितरण के लिए उपलब्ध नहीं है।
- 14. निवेश संपदा का उचित मूल्य एवं उसका आधारः आईआरडीए (बीमा कंपनियों का वित्तीय विवरण एवं लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट तैयार करना), विनियमन, 2002 के अंतर्गत आवश्यक निवेश संपदा (रीयल एस्टेट) का मूल्य ऐतिहासिक लागत में से संचयी मूल्यहरास एवं हानि, यदि कोई हो, पर आंका गया है।

(लाख रुपए में)

		31.03.15 को	31.03.14 को
15.	तुलन पत्र की तिथि	5.30	6.18
	को निस्तारित दावे		
	तथा 6 माह से		
	अधिक समय से		
	गैर चुकता शेष		

paid to Key Managerial Personnel and directors has been computed in the manner

laid down in Section 198 and does not exceed 11% of the net profits of the Company.

Till previous year, the company being a **Government Company was exempted vide**

notification GSR 235 dated 31st January 1978 under section 620 of the Companies Act, 1956.

12. Basis of Amortization of Debt Securities:-

Debt Securities are amortized on the basis of residual number of days up to the date of maturity. While working out amortization put/ call option is not considered. However, partial redemption, if any, is taken into account.

- 13. Pending realization, the credit balance in the " Fair value change Account" is not available for distribution.
- 14. Fair value of Investment Property and basis thereof As required under the IRDAI (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations, 2002, the value of Investment Property (Real Estate) has been valued at historical cost less accumulated depreciation and impairment loss, if any.

			, ,
		As at 31.03.2015	As at 31.03.2014
15.	Claims settled and remaining unpaid for	5.30	6.18
	more than 6 months as on the Balance Sheet date		



16. सांविधिक अपेक्षाओं के अनुरूप किए गए निवेश

(लाख रुपए में)

	(लाख रुपए म		
	31.03.15 को	31.03.14 को	
क. बीमा अधिनियम, 1983 की धारा 7 के अनुरूप केंद्र सरकार की 6.01 प्रतिशत प्रतिभूतियां 2028 एचडीएफसी बैंक के पास जमा	1711.07 F.V.1700.00	1711.92 F.V.1700.00	
ख. स्थानीय कानूनों के अंतर्गत सांविध् ाक जमा के रूप में भारत से बाहर किए गए निवेश	10470.54	9044.64	
ग. सेबी के निर्देशों के अनुरूप संस्थागत व्यापार के लिए मार्जिन के रूप में सावधि जमा	500.00	500.00	

17. लेखाकरण नीति संख्या 10.8 के अनुरूप आय की स्वीकृति के उद्देश्य से ऋण सहित सक्रिय' एवं गैर सक्रिय ' निवेश का विवरण नीचे दिए गए विवरण के अनुसार है:

	(1101 11)		
	31.03.15 को	31.03.14 को	
क. सक्रिय निवेश	863873.32	786713.15	
ख. गैर–सक्रिय निवेश	6775.01	5405.24	
ग. कुल	869540.00	792118.39	

*म्यूचुअल फंड, वेंचर फंड, इक्विटी एवं अधिमानी शेयरों को छोडकर

18. पिछले पांच वर्षों के लिए वित्तीय विवरणों का सारः पिछले पांच वर्षों के लिए वित्तीय विवरणों का सार निम्नानुसार है:

16. Investments made in accordance with statutory requirements

(₹ in lacs)

	As at	As at		
	31.03.2015	31.03.2014		
a. 6.01% Central	1711.07	1711.92		
Government	F.V.1700.00	F.V.1700.00		
Securities 2028				
deposited with				
HDFC Bank in				
accordance with				
Section 7 of				
Insurance Act,				
1938				
b. Investments	10470.54	9044.64		
made outside				
India by way				
of Statutory				
Deposits under				
local laws				
c. Fixed Deposits	500.00	500.00		
as margins for				
Institutional				
Trades as per				
SEBI directives				

17. Performing* and non-performing* investments including loans for the purpose of income recognition as per Accounting Policy No. 10.8 are as under:

(₹ in lacs)

	As at 31.03.2015	As at 31.03.2014
a. Performing	863873.32	786713.15
Investments		
b. Non-	6775.01	5405.24
Performing		
Investments		
c. Total	869540.00	792118.39

*Excluding mutual fund, venture fund, equity and preference shares.

18. Summary of financial statements for the last 5 years:

The summary of financial statements of the Company for the last five years are as under:

(₹ in lacs)

	(₹ in lacs					
	वित्तीय विवरणों का सार					
	Summary of Financial Statements					
क्र. सं.	विवरण प्रचालन परिणाम	2014-15	2013-14	2012-13	2011-12	2010-11
SI. No.	Particulars OPERATING RESULTS					
1	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम Gross Direct Premium	756193	728254	673766	619460	556988
2	निवल प्रीमियम Net Premium	647238	638147	554524	523665	461158
3	निवेश से आय (निवल) क Income from Investment (net)	210054	191740	185032	161920	178772
4	अन्य आय Other Income	4894	3325	357	2453	967
5	कुल आय Total Income	862186	833212	739913	688038	40897
6	कमीशन (निवल) (दलाली सहित) Commission(Net) (Including Brokerage)	34782	35744	30467	32453	28590
7	प्रचालन व्यय Operating Expenses	234798	177543	174870	135446	157254
8	निवल उपगत दावे Net Incurred Claims	526150	511102	439285	489306	406536
9	निवल असमाप्त जोखिम रिजर्व में परिवर्तन Change in Unexpired Risk Reserve	4722	42750	15817	-5801	30476
10	प्रचालन लाभ / हानि Operating Profit/Loss	61734	66073	79474	36634	18041
	गैर-प्रचालन परिणाम NON OPERATING RESULT					
11	शेयरधारक लेखा के तहत कुल आय Total Income under Shareholder's account					
12	कर पूर्व लाभ / (हानि) (घटाएं: पूर्वावधि मदें) Profit/(loss) before tax (less: Prior period items)	62035	65381	79520	36241	17939

THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LTD.



13	कर के लिए प्रावधान (पूर्ववर्ती वर्षों तथा डीटीए / डीटीएल के लिए प्रावधान सहित) Provision for tax (including provision for earlier years and DTA/DTL)	22825	19352	26131	10902	12477
14	कर पश्चात लाभ / (हानि) Profit/(loss) after tax	39210	46029	53389	25339	5462
15	पॉलिसी धारक का लेखाः Policyholder's Account:					
	कुल निधि Total funds	1053979	1031090	925275	831309	716955
	कुल निवेश Total Investments	1609782	899955	827144	726184	643420
	निवेश पर आय Yield on Investments	9.12%	8.92%	8.95%	9.24%	8.95%
16	शेयर धारकों की लेखा Shareholder's Account					
	कुल निधि Total funds	318183	292174	258780	217852	198402
	कुल निवेश Total Investments	456160	251766	231335	190303	178053
	निवेश पर आय Yield on Investments	9.12%	8.92%	8.95%	9.24%	8.95%
17	प्रदत्त इक्विटी पूंजी Paid up Equity Capital	20000	15000	15000	10000	10000
18	निवल मूल्य Net Worth	318183	289202	252838	217852	198402
19	कुल परिसंपत्तियां Total Assets	2628486	2390805	2187937	1997121	1938831
20	कुल निवेश पर लाभ Yield on total investments	9.12%	8.92%	8.95%	9.24%	8.95%
21	प्रति शेयर उपार्जन (रुपए) Earning per share (Rs.)	19.60	30.69	35.59	25.34	5.46
22	प्रति शेयर बही मूल्य (रुपए) Book Value per share (Rs.)	159.09	192.80	168.56	217.85	198.40
23	कुल लाभांश Total Dividend	11000.00	10800.00	10650.00	5067.00	0.00
24	प्रति शेयर लाभांश (रुपए) Dividend per share (Rs.)	5.50	7.20	7.10	5.07	0.00



१९. लेखाकरण अनुपातः

वित्त वर्ष 2014–15 के लिए महत्वपूर्ण लेखाकरण अनुपात नीचे दिए गए अनुसार हैं:

19. Accounting Ratios:

The important accounting ratios for the FY 2014-15 are as under:

	न बीमा कम्पनियों के लिए विश्लेषणात्मक अनुपात % ical Ratios for Non-Life companies	%	%
क्र. सं.	विवरण	31.03.2015	31.03.2014
	Particulars	31.03.2013	31.03.2014
1	सकल मूल्य प्रीमियम वृद्धि दर (प्रतिशत)	3.84	8.09
•	Gross Direct Premium Growth Rate	3.04	0.07
2		237.65	251.81
_	निवल मूल्य के संबंध में सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम अनुपात (प्रतिशत) Gross Direct Premium to Net Worth ratio	257.05	251.01
3	निवल मूल्य की वृद्धि दर (प्रतिशत)	10.02	14.38
	Growth rate of Net Worth	10.02	1 1.50
4	निवल प्रतिधारण अनुपात (प्रतिशत)	82.19	82.48
•	Net Retention Ratio	02.13	02.10
5	निवल कमीशन अनुपात (प्रतिशत)	5.37	5.60
	Net Commission Ratio	3.37	3.00
6	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम के संबंध में प्रबंधन व्यय अनुपात (प्रतिशत)	37.24	30.62
	Expense of Management to Gross Direct Premium Ratio	37.21	30.02
7	निवल लिखित प्रीमियम के संबंध में प्रबंधन व्यय अनुपात (प्रतिशत)	43.50	34.94
,	Expenses of Management to Net Written Premium Ratio	13.30	3, 1
8	निवल अर्जित प्रीमियम के संबंध में निवल उपगत दावे (प्रतिशत)	81.89	85.84
	Net Incurred Claims to Net Earned Premium	55	
9	संयुक्त अनुपात (प्रतिशत)	123.54	119.26
	Combined Ratio		
10	निवल प्रीमियम के संबंध में तकनीकी आरक्षित अनुपात (गुणा)	1.63	1.62
	Technical Reserves to Net Premium Ratio		
11	जोखिम अंकन शेष अनुपात (गुणा)	(-)0.24	(-)0.22
	Underwriting balance ratio	` '	.,
12	प्रचालन लाभ अनुपात (प्रतिशत)	8.56	10.54
	Operating profit ratio		
13		0.30	0.30
	Liquid Assets to liabilities ratio		
14	देयताओं के संबंध में अर्थसुलभ परिसंपत्तियों का अनुपात (गुणा)	6.05	7.21
	Net Earnings ratio		
15	निवल मूल्य पर लाभ अनुपात (प्रतिशत)	12.32	15.92
	Return on net worth ratio		
16	अपेक्षित ऋण शोधन क्षमता के अंतर (आरएसएम) के संबंध में	1.68	1.64
	उपलब्ध ऋण शोधन क्षमता के अंतर (एएसएम) का अनुपात (गुणा)		
	Available Solvency Margin(ASM) to Required Solvency		
	Margin(RSM) ratio		
17	सकल एनपीए अनुपात (प्रतिशत)	0.35 : 0.10	0.42:0.12
	Gross NPA Ratio-Policy holders funds; Shareholder funds	0:0	0:0
	Net NPA Ratio		



20. राजस्व लेखा तथा लाभ एवं हानि लेखा के बीच ब्याज. लाभांश एवं किराए के आवंटन का आधार

कंपनी की लेखाकरण नीतियों की क्रम संख्या ए 4(5) के अनुरूप ब्याज, लाभांश तथा किराए के रूप में प्राप्त आय को वर्ष के आरंभ में पॉलिसीधारक निधि एवं शेयरधारक नीधि के आधार पर राजस्व लेखा तथा लाभ एवं हानि लेखा के बीच आवंटित किया जाता है।

21. भारतीय प्रत्यक्ष प्रीमियम का क्षेत्रवार ब्यौरा

(लाख रुपए में)

	,	
	31.03.15 को	31.03.14 को
क. ग्रामीण क्षेत्र	100990.51	82877.93
ख. सामाजिक क्षेत्र	161319.85	74191.86
ग. अन्य	478485.34	555714.21
घ. कुल	740795.70	712784.00

22. पुनःसंरचना के अधीन निवेशों का ब्यौराः

विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत पुनः संरचित कुल परिसंपत्तियों के आंकडों को संकलित किया जा रहा है। संबंधित श्रेणियों के अंतर्गत वर्ष के दौरान तथा पिछले वर्ष में पनः संरचित एवं क्रियान्वित की गई परिसंपत्तियों को नीचे दर्शाया गया है:

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	परिसंपि्त की श्रेणी	पुनःसंरचना के अध्यधीन तथा कार्यान्वित की गई (वर्ष के दौरान) परिसंपत्तियां		
		2014-15	2013-2014	
1	मानक	0.00	0.00	
2	मानक से निम्नतर	0.00	0.00	
3	संदिग्ध	554.11	924.16	
4	हानि	0.00	0.00	
	कुल	554.11	924.16	

20. Basis of allocation of interest, dividends and rent between Revenue Accounts and Profit & Loss account.

As per sl. no. A 4 (5) of Accounting policies of the Company, income by way of Interest, Dividend and Rent are allocated between Revenue accounts and Profit & Loss account on the basis of Policyholders' Fund and Shareholders' Fund as at the beginning of the year.

21. Sector-wise break-up of Indian Direct Premium

(Rs. in lacs)

	As at	As at
	31.03.2015	31.03.2014
a. Rural Sector	100990.51	82877.93
b. Social Sector	161319.85	74191.86
c. Others	478485.34	555714.21
d. Total	740795.70	712784.00

22. Break-up of investments subjected to restructuring

The figures of total assets restructured under various categories are being compiled. The assets restructured and implemented during the year and during previous year, under respective categories, are given below:

Sr. No.	Category of Asset	Assets subjected to Restructuring and implemented (during the year)		
		2014-15	2013-2014	
1	Standard	0.00	0.00	
2	Sub Standard	0.00	0.00	
3	Doubtful	554.11	924.16	
4	Loss	0.00	0.00	
	Total	554.11	924.16	



23. व्यवसाय अधिग्रहण लागत का ब्यौरा

भारतीय प्रत्यक्ष व्यवसाय के संबंध में वर्ष 2014-15 के दौरान उपगत कमीशन / दलाली का विवरण नीचे दिया गया है:

(लाख रुपए में)

			, ,
क्र.सं.	श्रेणी	2014-15	2013-14
1	अभिकर्ता	34094.45	33344.40
2	दलाल	9698.67	9304.73
3	कारपोरेट एजेंसी	2980.37	2766.46
4	रेफरल व्यवस्था	0	0
	कुल	46773.49	45415.59

24. निवेश

- 24.1 4.23 लाख रुपए के क्रय मूल्य (गत वर्ष 4.23 लाख रुपए) वाले 29.39 लाख रुपए के बही मूल्य (उचित मुल्य) (गत वर्ष 20.27 लाख रुपए) के शेयरों को कंपनी के नाम पंजीकृत नहीं किया गया है क्योंकि इसका अंतरण 1998 से पहले की अवधि के लिए आपत्ति के अधीन है।
- 24.2 कंपनी के बहीखातों के अनुसार भारतीय स्टॉक होल्डिंग कारपोरेशन (कस्टोडियन) द्वारा जारी प्रमाणपत्रों की दृष्टि से निवेश में विसंगति पाई गई है। बही मुल्य में यह अंतर 0.09 लाख रुपए एसएचसीआईएल की बही में कम तथा 3.06 लाख रुपए एसएचसीआईएल की बही में ज्यादा (पिछले वर्ष क्रमशः 1.31लाख रुपए और 6.18लाख रुपए) है। इस अंतर का समाधान किया जा रहा है।
- 24.3 ऋणों के एकमुश्त समाधान / पुनः संरचना शोधन के संबंध में 540.28 लाख रुपए (गत वर्ष 11.25 लाख रुपए की निवल निर्गत राशि) के अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधानों में निवल निर्गम राशि समाहित की गई है।
- 24.4 तुलन पत्र की तिथि को गैर क्रियाशील परिसंपत्तियों के अंतर्गत ऋण / निवेश को दीर्घकालीन श्रेणी के तहत वर्गीकृत किया गया है क्योंकि इनकी वसूली निश्चित नहीं है।
- 24.5 निवेशों पर आईआरडीए के मानकों के अनुरूप सूचीबद्ध इक्विटी / म्युचुअल फंड के उचित मूल्य में परिवर्तन के कारण उत्पन्न 972913.78 लाख रुपए (गत वर्ष 857011. <mark>36 लाख रुपए) के अप्राप्त ला</mark>भ / हानि को निवेश में

23. Break up of Business Acquisition Cost

The Commission/Brokerage incurred during the year 2014-15 in respect of Indian Direct Business is given below:

(Rs. in lacs)

Sr. No.	Category	2014-15	2013-14
1	Agents	34094.45	33344.40
2	Brokers	9698.67	9304.73
3	Corporate Agency	2980.37	2766.46
4	Referral Arrangement	0	0
	Total	46773.49	45415.59

24. Investments

- 24.1 Shares of the book value (fair value)of Rs 29.39 lacs (Previous year Rs20.27lacs) having purchase value of Rs.4.23 lacs (Previous year Rs.4.23 lacs)have not been registered in the name of the company, as the transfers are under objection for the period prior to 1998.
- 24.2 There are discrepancies in investments as per company's books with the certificates issued by Stock Holding Corporation of India (custodian) of book value (fair value) of Rs0.09 lacs (Short) in SHCIL books) and Rs.3.06 lacs (Excess) in SHCIL books (Previous year Rs. 1.31lacs and Rs6.18lacs respectively). The differences are under reconciliation.
- 24.3 There is a net release in provisions for bad & doubtful debts of Rs 540.28 lacs (Previous year net release Rs11.25lacs) on account of One Time Settlements/ Restructuring/ Redemption of debts.
- 24.4 Loans/investments under non-performing assets as on the date of Balance Sheet have been classified under long term category as their realisibility is not certain.
- 24.5 In accordance with IRDAI norms on investments, unrealized gains/ loss of Rs



लाया गया है और उसके लिए "उचित मूल्य परिवर्तन लेखा" में तदनुरूप समान आरक्षित राशि की व्यवस्था की गई है। लाभ एवं हानि पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है और इस तरह की आरक्षित राशि वितरण के लिए उपलब्ध नहीं है।

24.6 दीर्घकालीन निवेशों की बिक्री पर को 31.03.2015 समाप्त वित्त वर्ष के दौरान 87937.75 लाख रुपए (गत वर्ष 85995.45 लाख रुपए) का लाभ हुआ।

25. अचल संपत्तियां

अचल परिसंपत्तियों में 2432.59 लाख रुपए (गत वर्ष 2432.59 लाख रुपए) की लागत की कतिपय संपत्तियां शामिल हैं जिनके लिए या तो स्वामित्व विलेख रिकॉर्ड में नहीं है या पंजीकरण लंबित है। इनके पंजीकरण / स्टांप शुल्क प्रभारों को अब तक लेखाब) नहीं किया गया है और उसको पंजीकरण के समय परिकलित किया जाएगा।

- 26. निम्नलिखित शीर्षों के अधीन शेष समाधान / अभिपृष्टि के लिए लंबित हैं
 - एजेंटों की शेष राशि निवल
 - प्रीमियम जमाराशि एवं एजेंटों के प्रीमियम को वर्तमान देनदारियों में सम्मिलित किया गया है।
 - बंद कंपनियों के पास आरक्षित जमा
 - बीमा व्यवसाय करने वाले अन्य व्यक्तियों अथवा निकायों पर / को बकाया राशि
 - कर्मचारियों पर / को बकाया राशि
 - फुटकर देनदार
 - फुटकर लेनदार
 - अग्रिम

उपर्युक्त के संबंध में यदि कोई समायोजन होना है तो उसे अभिपृष्टि / विश्लेषण / समाधान के बाद ही किया जाएगा।

27. मूल्यहास / ऋण परिशोधन

(i) मूर्त स्थायी परिसंपत्तियों पर मूल्यहास का प्रावधान करने के लिए कंपनी की लेखाकरण नीति में बदलाव आया है। पहले कंपनी, कंपनी अधिनियम, 1956 और आयकर अधिनियमए 1961 में उल्लिखित दरों में से उच्चतर दरों पर डब्ल्युडीवी तरीके से मृल्यहास प्रभारित कर रही थी। कंपनी अधिनियम में परिवर्तन की वजह से, कंपनी ने कंपनी अधिनियमए 2013 972913.78 lacs (Previous year Rs. 857011.36 lacs) arising due to change in fair value of listed equities and mutual funds are taken to investment and corresponding equal reserve created for the same as "Fair Value Change Account". There is no effect on Profit and Loss account and such reserve is not available for distribution.

24.6 Profit on sale of long term investments amounted to Rs.87937.75 lacs (Previous year Rs. 85995.45lacs) during the financial year ended 31.03.2015.

25. Immovable Properties

Fixed assets include certain properties costing Rs. 2432.59lacs (previous year Rs2432.59 lacs) for which either title deeds are not on record or registration is pending. The registration/stamp duty charges, to the extent not accounted, will be accounted for at the time of registration.

26. Balances under the following heads are pending reconciliation / confirmation

- Agents' Balances (Net)
- Premium Deposits and Agents' Premium, included in Current Liabilities.
- Reserve Deposits with ceding companies.
- Amounts due to /from other persons or bodies carrying on Insurance Business.
- Amounts due to/from employees.
- **Sundry Debtors**
- **Sundry Creditors**
- Advances

The adjustments, if any, in respect of above will be made upon confirmation/analysis/ reconciliation.

27. Depreciation/Amortization

(i) There is a change in Accounting Policy of the Company for providing depreciation on tangible Fixed Assets. The Company was earlier charging the depreciation on WDV method at higher of the rates mentioned in the Companies Act, 1956 and Income Tax Act, 1961. Due to change in the Companies



की अनुसूची ।। के भाग ग में दिए गए तरीके के अनुसार सरल रेखा आधार मूर्त स्थायी परिसंपत्तियों पर मल्यहास प्रभारित करने का निर्णय किया है। लेखाकरण नीति में परिवर्तन के कारण, वित्त वर्ष 2014-15 का मुल्यहास प्रभार उस प्रभार की तूलना में 136.44 लाख रुपए कम है जो पिछली लेखाकरण नीति का उपयोग करके प्राप्त होता। चालू वर्ष के लिए लाभ में समतुल्य राशि जितनी वृद्धि हुई है।

28. असमाप्त जीरिवम के लिए आरक्षित राशि

वर्ष के दौरान भारत में अर्जित प्रत्यक्ष प्रीमियम जो आगामी लेखाकरण अवधि में योगदान देने वाला तथा उसमें आवंटित होने वाला है वह बीमा अधिनियम, की धारा 64वी (1)(ii) (b) में वर्णित प्रतिशत स्तर से कम है और इसलिए पुनर्बीमा के सकल प्रीमियम पर असमाप्त जोखिमों के लिए रिजर्व का निर्माण केवल विविध व्यवसाय को छोड़कर सभी संवर्गों में आईआरडीए के विनियमों के अनुरूप धारा में वर्णित प्रतिशत स्तर पर तथा आईआरडीए के विनियमों के अनुसार धारा 64 वी(1)(ii)(b) में वर्णित प्रतिशत स्तर पर तथा आईआरडीए के वित्तीय विवरण तैयार करना -सामान्य बीमा के संबंध में अक्टूबर, 2012 में जारी मास्टर परिपत्र के अनुसार और बीमा अध्यादेश 2014 के अनुसार किया गया है। (देखें लेखाकरण नीति 4.1)

29. आय कर एवं सेवा कर आकलन की स्थिति

- (i) आकलन वर्ष 2012-13 हेत् एवं उस वर्ष तक आय कर तथा वित्तीय वर्ष 2002-03 के लिए / तक एवं वित्तीय वर्ष 2008-09 से 2010-11 तक के लिए सेवा कर का आकलन पूरा कर लिया गया है। पूर्ववर्ती वर्षों के लिए आय कर तथा सेवा कर से संबंधित कतिपय अपीलें लंबित हैं। आकलन/अपील के पूरा होने के बाद आवश्यक समायोजन किए जाए।
- (ii) ऐसे मामलों में, जहां कंपनी ने सक्षम प्राधिकरण के पास अपील कर रखी है या इसकी प्रक्रिया में है, वहां जहां कहीं उपयुक्त समझा गया, आय कर अधि ाकारियों द्वारा उठाई गई मांगों का पूरी तरह निपटारा कर दिया गया है।
- (iii) माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर आधारित आय कर वापसी की रकम 2461 लाख रुपए तथा उस पर ब्याज की राशि 8283 लाख रुपए का लेखा जोखा वित्त

Act, the Company has decided to charge depreciation On tangible Fixed Assets in accordance with the methodology provided in Part C of Schedule II to the Companies Act, 2013, on Straight Line basis.

Due to this change in Accounting Policy, the depreciation charge for the F.Y.2014-15 is less by Rs.136.44 lacs as compared to the charge which would have been arrived by using the previous accounting policy .The profit for the current year has increased by an equivalent amount.

28. Reserve for Unexpired Risk

Direct Premium written in India during the year attributable to and to be allocated to succeeding accounting periods is less than the percentages laid down in Sec 64V(1)(ii)(b) of the Insurance Act, 1938 and hence Reserve for Unexpired Risks on Premium net of Reinsurance is created at the percentages laid down in Sec 64V(1)(ii) (b) in accordance with IRDAI Regulations in all segments (Refer Accounting Policy No. 4.1, as per IRDAI Master Circular on preparation of Financial Statements-General Insurance-issued in October'2012 and as per Insurance Ordinance 2014.

29. Status of income tax and service tax assessments

- (i) The income tax assessment for and up to the assessment year 2012-13 and service tax assessment for and up to financial year 2002-03 and for the financial years 2008-09 to 2010-11 have been completed. Certain appeals pertaining to Income Tax and Service Tax are pending for the earlier years. The necessary adjustments shall be carried out after completion of assessments/ appeals.
- (ii) Demands raised by Income Tax authorities have been fully provided for, wherever considered appropriate, in cases where the company has filed or is in the process of filing an appeal with the appropriate authority.



वर्ष 2004-05 के अनुमानित आधार पर किया गया है। लेकिन आय कर विभाग द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल की गई अपील को ध्यान में रख कर तथा सीओडी द्वारा स्वीकृति दिए जाने के बाद आकलन वर्ष 1974.75, 1976.77, 1977.78 और 1979.80 से संबंधित अप्राप्त ब्याज के लिए 6518 लाख रुपए का प्रावधान वर्ष 2005-06 में सजित किया गया था। यद्यपि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपील का फैसला हमारे पक्ष में दिया है लेकिन फिर भी कंपनी ने अभी तक सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के प्रभाव को मान्यता नहीं दी है, क्योंकि ब्याज की वापसी के लिए आय कर विभाग से मिलने वाली स्चना अभी प्रतीक्षित है।

- (iv) आय कर विभाग की ओर से आकलन वर्ष 1978.79 के लिए 61.74 करोड़ रुपए के रिफंड आदेश के आधार पर वर्ष के दौरान 19.14 करोड़ रुपए की ब्याज की आय बही में डाली गई है।
- (v) कर हेत् प्रावधान में चालू वर्ष 2014-15 के लिए 22820 लाख रुपए और गत वर्ष 2013-14 के लिए 5 लाख रुपए शामिल है।

30. बकाया दावों के लिए प्रावधानः

अक्टूबर 2012 में जारी आईआरडीए के मास्टर परिपत्र के अनुसरण में, नियुक्त बीमांकिक / मुहर्रर ने चालू वर्ष 2014-15 के लिए स्वास्थ्य सेगमेंट के अधीन फी लुक अवधि के प्रावधान का मूल्यांकन 0.71 लाख रुपए (गत वर्ष 0.51 लाख रुपए) के रूप में किया है।

31. पीमियम में कमी

अग्नि, मैरीन एवं विविध राजस्व लेखा में प्रीमियम में कोई कमी नहीं है और इसलिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में किसी प्रीमियम की कमी के लिए प्रावधान नहीं किया गया है। तथापि, विविध के अंतर्गत आने वाले आठ संवर्गों में से विमानन में लाख रुपए गत 362 वर्ष लाख रुपए (गत वर्ष 543 लाख रुपए) की प्रीमियम की कमी दर्ज की गई। इसके अतिक्रित स्वास्थ्य संवर्ग (प्रीमियम जोखिम अंकन में 10 प्रतिशत से अधिक का योगदान करने वाला एक महत्वपूर्ण संवर्ग है) में 15873 लाख रुपए (गत वर्ष 4096 लाख रुपए) की प्रीमियम की कमी दर्ज की गई है।

यदि प्रत्याशित दावों की राशि, संबंधित व्यय और दावों के निपटान से संबंधित रख-रखाव लागत व्यवसाय के

- (iii) Based upon Hon'ble Delhi High Court Order, Income Tax refund and interest thereon of Rs.2461 lacs and Rs. 8283 lacs respectively were accounted for on an estimated basis in the FY 2004-05. However in view of the appeal filed by the I.T. Department in Hon'ble Supreme Court and clearance given by COD, a provision of Rs. 6518 lacs towards unrealised interest relating to assessment years 1974-75, 1976-77, 1977-78 and 1979-80 was created in 2005-06. Though the appeal has been decided by Hon'ble Supreme Court in our favour, the Company has not yet recognized the effect of Supreme Court order, as intimation from IT department for refund of interest is still awaited.
- An interest income of Rs.19.14 crores has been booked during the year on the basis of intimation of refund order of Rs.61.74 crores received from the Income Tax Department for the Assessment Year 1978-79.
- (v) Provision for tax includes Rs.22820 lacs for the current year 2014-15 and Rs 5 lacs for the previous year 2013-14.

30. PROVISIONS FOR OUTSTANDING CLAIMS:

In pursuance to IRDAI Master Circular issued in October' 2012, the Appointed Actuary has valued the provision for Free Look Period under the Health Segment as Rs.0.71 lacs for the current year 2014-15 (Previous year Rs.0.51 lacs)

31. Premium Deficiency

Overall there is no Premium Deficiency in Fire, Marine and Miscellaneous Revenue Accounts put together and hence no premium deficiency has been provided in the current financial year. However, under the 8 segments falling under Miscellaneous, there is Premium Deficiency of Rs. 362 lacs (Previous year Rs543 lacs) in Aviation. In addition, in Health segment (a reportable segment which contributes to more than 10% of the Premium underwritten), the Premium Deficiency works out to Rs.15873 lacs (previous year Rs. 4096 lacs).

The Premium deficiency is recognized if the sum



संबंधित वर्ग के लिए अप्राप्त प्रीमियम से अधिक होती है, तो प्रीमियम कमी को स्वीकृत किया जाता है।

- 32. निम्नलिखित शीर्षों के अधीन किया गया व्यय
 - i. आउटसोर्सिंग व्ययः रुपए 12560.95 लाख रुपए
 - ii. विपणन सहयोगः शून्य रुपए
- 33. एमएसीटी मामलों में स्रोत पर कर कटौती में विफलता हेतु आय कर की मांग के मद में आय कर (अपीलों) के लिए चुकाए गए 289.40 लाख रुपए सहित 5558.84 लाख रुपए की फुटकर देनदारी, जो अब तक बकाया है और इसलिए उसे पूरी राशि प्रदान की गई है।
- 34. तकनीकी विभागों के समूह जोखिम अंकन प्रकोष्ठों (जीयूसी) एवं पुनर्बीमा खातों द्वारा अनुरक्षित खातों के बीच सौंपे गए संभागीय प्रीमियम तथा संभागीय दावे की चुकता वापसी की राशि का पुनर्मिलान नहीं हुआ है।

31.03.2015 को संभागीय प्रीमियम के लिए निवल अंतर 11937.70 लाख रुपए (गत वर्ष 6749.67 लाख रुपए) तथा भुगतान के सापेक्ष वापसी का अंतर 1330.68 लाख रुपए (गत वर्ष 4676.26 लाख रुपए) बैठता है।

35. लेखारकण मानक 3: नकद प्रवाह विवरण

कंपनी का नकद प्रवाह विवरण प्रत्यक्ष विधि के तहत तैयार किया गया है।

- 36. लेखाकरण मानक 5ः पूर्वावधि मदें:--
 - क) पूर्वावधि अवधि मदों में निम्नलिखित शामिल हैं:

क्र.सं.	विवरण	2014-15	2013-14
1	पूर्वावधि आय	12.08	29.48
2	पूर्वावधि व्यय	289.26	(-)721.27
	निवल आय	301.34	(-)691.79

"कर पूर्व लाभ" के बाद लाभ हानि लेखा में राशियां अलग से दर्शाई गई हैं।

ख) लेखाकरण अनुमानों में परिवर्तन

लेखाकरण नीति 5.1क की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें विशेष रूप से कहा गया है कि 'वर्ष के अंत में बकाया दावों के लिए अनुमानित दायित्व of expected claims cost, related expenses and maintenance costs related to claims handling exceeds the unearned premium for the related class of business.

32. Expenses Incurred Under Following Heads

- i. Outsourcing Expenses Rs. 12560.95 lacs
- ii. Marketing Support Rs. NIL
- 33. Sundry debtors of Rs5558.84 lacs includes Rs. 289.40 lacs paid to income tax(appeals) on account of income tax demand for failure to deduct tax at source in MACT cases, which remains outstanding and so has been provided fully.
- 34. There is non reconciliation of amount of facultative premium ceded and facultative claims paid recoveries between the accounts maintained by the reinsurance accounts and the group underwriting cells (GUC) of technical departments.

As on 31.03.2015 the net difference for facultative premium ceded comes to Rs 11937.70 lacs (previous year Rs. 6749.67 lacs) and for recoveries it comes to Rs 1330.68 lacs (previous year Rs 4676.26 lacs).

35. Accounting Standard 3: Cash Flow Statement

The Cash Flow statement of the Company has been prepared under the direct method

36. Accounting Standard 5: Prior Period items:-

a) Prior period items consist of the following:

(Rs. in lacs)

Sr. No.	Particulars	2014-15	2013-14
1	Prior Period	12.08	29.48
	Income		
2	Prior period	289.26	(-)721.27
	expenses		
	Net Income	301.34	(-)691.79

The amounts are shown separately in profit and loss account after 'profit before tax'

b) Changes in Accounting Estimates



(देनदारियां) सर्वेक्षण की रिपोर्ट, ग्राहकों द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना, नेताओं के परामर्श तथा अंतिम रूप देने की तारीख तक के अन्य स्रोतों. पिछले अनुभव तथा लागु होने वाले अन्य कानुनों पर आध गरित होता है। अनुमानों की निरंतर समीक्षा की जाती है और तदनुसार प्रावधान किए जाते हैं। लेकिन फिर भी अंतिम देयता (देनदारी) उपलब्ध राशि से अधिक या कम हो सकती है जिसके लिए किसी प्रकार के समायोजन को उस अवधि में दिखाया जाएगा जिसमें उसकी पहचान की गई है।'

बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 25 मई. 2004 के अपने पत्र के माध्यम से यह भी स्पष्ट किया गया है कि अनुमानों में इस तरह के परिवर्तनों के प्रभाव को तब तक प्रकट करने की जरूरत नहीं पड़ती है जब तक बकाया दावों के लिए प्रावधान निर्माण की विधि में कोई बदलाव न किया जाए। चूंकि चालू वर्ष में बकाया दावों के लिए प्रावधान निर्माण के तरीके में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है इसलिए अलग से कोई प्रकटन नहीं किया गया है।

- ग) मुकदमेबाजी का निपटान 31.03.2015 दिनांक को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए मुकदमेबाजी के मद में 132854.07 लाख रुपए (गत वर्ष 129939.41 लाख रुपए) की राशि का निपटान किया गया है।
- घ) स्थायी परिसंपत्तियों का निपटान वर्ष के दौरान स्थायी परिसंपत्तियों की बिक्री पर निवल रूप से 297.77 लाख रुपए (गत वर्ष 468.99 लाख रुपए) की राशि अर्जित की गई और अचल परिसंपत्तियों की बिक्री पर निवल लाभ की राशि 32.78 लाख रुपए (गत वर्ष 94.51 लाख रुपए) रही।
- 37. लेखाकरण मानक 15 (संशोधित) कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2007-2008 के दौरान लेखाकरण मानक एएस-15 (संशोधित 2005) कर्मचारियों के लिए लाभ को अपनाया है।

परिभाषित कर्मचारी योजनाएं निम्नानुसार हैं:

1. सेवाकाल के दौरान कर्मचारियों के लाभ बीमारी अवकाश एवं एलटीएस के लिए दायित्व की पहचान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर की जाती है।

Attention is drawn to Accounting Policy 5.1.a, wherein it has been specifically stated that "Estimated liability for outstanding claims at the year end are based on survey reports, information provided by clients, advices of the leader and other sources upto the date of finalization, past experience and other applicable laws. The estimates are continuously reviewed and provisions made accordingly. However, the final liability may be in excess of, or less than, the amount provided, for which any adjustments will be reflected in the periods in which they become known." It has also been clarified by the Insurance Regulatory and Development Authority vide letter dated 25th May 2004 that impact of such changes in estimates, do not call for disclosure so long as there is no change in the method of provisioning for outstanding claims. As there has been no change in the method of provisioning for outstanding claims in the current year, no disclosure has been separately made.

c) Litigation Settlements

The settlements made on account of litigations for the financial year ended on 31.03.2015 amounted to Rs.132854.07 lacs (previous year Rs 129939.41 lacs).

d) Disposal of Fixed Assets

The net proceeds on sale of fixed assets during the year amounted to Rs.297.77 lacs (previous year Rs. 468.99 lacs) and the net loss on sale of fixed assets amounted to Rs.32.78 lacs (previous year Rs. 94.51 lacs).

37. Accounting Standard 15 (Revised)

The Company has adopted Accounting Standard, AS-15 (Revised 2005) 'Employee Benefits' during the financial year 2007-2008.

The defined Employees benefits schemes are as under:

1. EMPLOYEES BENEFITS DURING SERVICE



- (क) वर्ष के दौरान एलटीएस देनदारी में 339 लाख रुपए की कमी (गत वर्ष 25.81 लाख रुपए) की कमी हुई है और इसे लाभ एवं हानि खाता में क्रेडिट / डेबिट कर दिया गया है। 31.03.2015 को एलटीएस की कुल देयता 745.32 लाख रुपए (गत वर्ष 1084.20 लाख रुपए) है।
- (ख) चालू वर्ष के लिए बीमारी अवकाश हेत् दायित्व में 610.13 लाख रुपए (गत वर्ष 2356.99 लाख रुपए) की वृद्धि हुई है और इसे लाभ एवं हानि खाता में डेबिट किया गया है। 31.03.2015 को बीमारी अवकाश के लिए कुल दायित्व 17588.87 लाख रुपए (गत वर्ष 16978.75 लाख रुपए) है।

अनुमान:- बकाया बीमारी अवकाश के 70% प्रतिशत (गत वर्ष 75%) का लाभ उठाया गया। यह अनुमान सेवा निवृत्ति के समय कर्मचारियों के खाते में अप्राप्त बीमारी अवकाश पर आधारित है जिसे प्राप्त नहीं करने पर सेवा निवृत्ति पर समाप्त माना जाता है।

2. कर्मचारी सेवानिवृत्ति लाभः इसमें पेंशन, उपदान एवं अवकाश नकदीकरण शामिल हैं।

पेंशन:

कंपनी की एक परिभाषित पेंशन योजना है। इस योजना के अंतर्गत उन कर्मचारियों को पेंशन दी जाती है जिन्होंने पेंशन योजना का विकल्प चुना है। कंपनी ने इस योजना के लिए अलग निधि बनाई है जिसका वित्तपोषण कंपनी द्वारा किया जाता है। इसके लिए दायित्व की पहचान बीमांकि मूल्यांकन के आधार पर की जाती है।

तथापि, ऐसे कर्मचारियों के मामले में, जिन्होंने 1 जनवरी 2004 के बाद से कंपनी में नौकरी की शुरुआत की है, पेंशन अंशदायी लाभ योजना है, जिसमें कंपनी का दायित्व केवल आवधिक अंशदानों तक ही सीमित है। 31.03.15 तक इस योजना के अंतर्गत संचयी कोष की कुल राशि 3200.50 लाख रुपए है जिसमें इसकी स्थापना से अब तक का 572.55 लाख रुपए का ब्याज (वित्त वर्ष 2014-15 के लिए 227.94 लाख रुपए का ब्याज) शामिल है जिसकी गणना निवेश पोर्टफोलियो पर औसत प्राप्ति के आधार पर की गई है और जो पेंशन नियामक एवं विकास प्राधिकरण को भेजे जाने के

PERIOD

The liability for Sick Leave and LTS is recognized based on Actuarial Valuation.

- (a) LTS Liability has decreased by Rs.339 lacs during the year (previous year decreased by Rs. 25.81 lacs) and has been credited/ debited to Profit & Loss Account respectively. Total liability for LTS as on 31.03.2015 is Rs. 745.32 lacs (previous vear Rs. 1084.20 lacs).
- (b) Liability for sick leave for the current year has increased by Rs. 610.13 lacs (previous year increased by Rs2356.99 lacs) and has been debited to Profit and Loss Account. Total liability for sick leave as on 31-03-2015 is Rs. 17588.87 lacs (previous year Rs.16978.75 lacs).

Assumption:- Availment of 70 % of outstanding sick leave (previous year 75%). The assumption is based on un-availed sick leave to the credit of employees at the time of retirement, which, being not vesting, lapses on retirement.

2. EMPLOYEES RETIREMENT BENEFITS:

This includes Pension, Gratuity and Leave Encashment.

Pension:

Company has a Defined Pension Scheme. Under this scheme, Pension is payable to Employees who have opted for Pension Scheme. Company has created separate Fund for the Scheme which is funded by the Company and managed by separate Trust. The liability for the same is recognized on the basis of actuarial valuation.

However, in case of employees who joined service from 1st January 2004 onwards, Pension is Contributory benefit scheme wherein Company's obligation is restricted only to the periodic contributions. Total funds accumulated under this scheme as on 31.03.15 amounting to Rs.3200.50 lacs



लिए लंबित है।

उपदान:

कंपनी की सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए अपनी परिभाषित लाभ उपदान योजना मौजूद है। पांच वर्ष की निरंतर सेवा के बाद उपदान का भूगतान किया जाता है। इसके लिए कंपनी ने पृथक कोष का निर्माण किया है जिसके लिए धन की व्यवस्था कंपनी द्वारा और इसकी देख रेख एक पृथक न्यास द्वारा की जाती है। बीमांकिक मुल्यांकन के आधार पर इसके दायित्व की पहचान की जाती है।

उपदान दायित्व का ऋण शोधनः

वर्ष 2010-11 के दौरान कंपनी द्वारा अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा की गई है। इसके अलावा भारत सरकार ने दिनांक 24 मई, 2010 को जारी राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से "उपदान भुगतान अधिनियम 1972" के अंतर्गत उपदान के लिए उच्चतम सीमा की उर्ध्वमुखी समीक्षा करके इसे 3.50 लाख रुपए से बढाकर 10.00 लाख रुपए निर्धारित किया है। इसके परिणामस्वरूप उपदान दायित्व में 17122.76 लाख रुपए की बढौतरी हो गई है।

कर्मचारी लाभ पर लेखाकरण मानक 15 (संशोधित) की अपेक्षाओं के दृष्टिकोण से वित्त वित्त वर्ष 2010-11 में 17122.76 लाख रुपए के संपूर्ण दायित्व को लाभ एवं हानि खाता में प्रभारित करना अपेक्षित था।

आईआरडीए ने दिनांक 18 अप्रैल, 2011 आईआरडीए / एफएंडए / अपने परिपत्र संख्या सीआईआर/एसीटी/069/04/2011 के माध्यम से बीमाकर्ताओं को उपदान के मामले में पांच वर्ष की अवधि तक अतिरिक्त दायित्व के शोधन की अनुमति प्रदान की गई है। आईआरडीए के परिपत्र के आलोक में सेवारत कर्मचारियों से संबंधित उपदान की मद में अतिरिक्त दायित्व की राशि 14856.73 लाख रुपए बैठती है जिसे पांच वर्ष की अवधि में शोधित किया जा रहा है जिसकी शुरुआत 2010-11 से हो चुकी है। वर्ष 2013-14 के दौरान कुल 14856.73 लाख रुपए की देयता से 1/5 भाग की राशि 2971.35 लाख रुपए को राजस्व / लाभ एवं हानि लेखा में प्रभारित कर दिया गया है। 31.03.2014 को गैर शोधित देयता की शेष बची राशि 2971.34 लाख रुपए को "विविध व्यय लेखा"

including interest of Rs. 572.55lacs since inception (Rs. 227.94 lacs interest for the FY 2014-15), calculated on the basis of average yield on Investment portfolio, are pending remittance to Pension Regulatory and Development Authority.

Gratuity:

Company has Defined Benefit Gratuity Plan for all categories of employees. Gratuity is payable after 5 years of continuous service. Company has created separate Fund which is funded by the Company and managed by separate trust. The liability for same is recognized on the basis of actuarial valuation.

Amortization of Gratuity Liability:

During the year 2010-11, pay revision of the officers and employees have been carried out by the Company. Further, Government of India, vide Gazette Notification dated May 24th 2010, has revised upward maximum limit for Gratuity under "Payment of Gratuity Act 1972" from Rs. 3.50 lacs to Rs. 10.00 lacs which resulted in increase in Gratuity Liability by Rs 17122.76 lacs.

In terms of the requirements of Accounting Standard 15 (Revised) on employees' benefits, entire liability of Rs 17122.76 lacs was required to be charged to profit and loss account in the FY 2010-11.

IRDAI, vide Circular No IRDAI/F&A/CIR/ ACT/069/04/2011 dated 18th April 2011, has permitted insurers to amortize the additional liability on account of Gratuity over a period of five years. In pursuance of IRDAI Circular, the additional liability on account of Gratuity relating to employees in service amounting to Rs 14856.73 lacs, is being amortized over a period of five years commencing from 2010-11. During the year 2014-15, 1/5th of the liability of Rs. 14856.73 lacs amounting to Rs. 2971.35 lacs has been charged to Revenue / Profit and Loss



में रखा गया है और अगले दो वर्ष में समान किस्तों में इसका शोधन किया जाएगा।

अवकाश नकदीकरणः

सेवाकाल के दौरान एवं सेवा निवृत्ति पर, दोनों अवधि में कर्मचारियों के सभी वर्गों के लिए प्रीविलेज लीव (पीएल) के नकदीकरण की अनुमति दी गई है। सेवा काल के दौरान 2 वर्ष में एक बार 15 दिन के लिए नकदीकरण की अनुमित होती है और सेवानिवृत्ति पर पीएल की सीमा 240 दिनों तक नियत रखी है। इसके लिए कोष नहीं होता है और इसकी पहचान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर की जाती है।

लाभ एवं हानि लेखा तथा तूलनपत्र में स्वीकृत कर्मचारियों के उपर्युक्त लाभ की संक्षिप्त स्थिति नीचे दिए गए अनुसार है:

वर्णित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

Account. The balance unamortized liability as on 31.03.2015 is NIL.

Leave Encashment:

Encashment of Privilege Leave (PL) is allowed to all class of employees, both during service period and on retirement. During service period, encashment is allowed for 15 days PL once in 2 years and on retirement, it is restricted to 240 days PL. This is unfunded and recognized on the basis of actuarial valuation.

The summarized position of the above Employees benefits recognized in the Profit and Loss Account and Balance Sheet are as under:

CHANGE IN THE PRESENT VALUE OF THE DEFINED BENEFIT OBLIGATIONS

विवरण PARTICULARS	पेंशन NRS PENSION				ग्रेच्युटी GRATUITY				अवकारा नकदीकरण LEAVE ENCASHMENT			
	14-15	13-14	12-13	11-12	14-15	13-14	12-13	11-12	14-15	13-14	12-13	11-12
1 अप्रैल 2014 को वर्णित लाभ दायित्व Defined benefit obligations as at 1st April,2014	171743	152559	128098	117693	62082	60693	54464*	50835	30619	26474	22119	19914
वर्तमान सेवा लागत Current Service Cost	11838	21380	11036	9799	3843	3322	2799	2642	5510	4754	4593	3480
ब्याज लागत Interest Cost	12651	12875	9519	9454	4723	5315	4310	4233	2275	2222	1699	1615
दायित्व पर वास्तविक (लाभ) / हानि Actuarial (gain) / loss on obligation	35001	8618	26520	2782	2521	(3962)	2521	(1275)	394	738	606	(1073)
प्रदत्त लाभ Benefits paid	(23190)	(23689)	(22614)	(11630)	(4593)	(3286)	(3392)	(2067)	(3647)	(3569)	(2543)	(1817)



विवरण PARTICULARS	पेंशन PENSION			ग्रेच्युटी GRATUITY				अवकारा नकदीकरण LEAVE ENCASHMENT				
	14-15	13-14	12-13	11-12	14-15	13-14	12-13	11-12	14-15	13-14	12-13	11-12
31 मार्च 2014 को वर्णित लाभ दायित्व Defined benefit obligation as at 31st March,2015	208043	171743	152559	128098	68576	62082	60693	54368	35151	30619	26474	22119

योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन CHANGE IN FAIR VALUE OF PLAN ASSETS

विवरण PARTICULARS		चें। PEN:	रान SION		ग्रेच्युटी GRATUITY						
	14-15	13-14	12-13	11-12	14-15	13-14	12-13	11-12			
1अप्रैल 2015 को योजना परिसंपत्तियों का उचित	144680	119166	116651	117693	62906	56277	52524*	50835			
मूल्य Fair value of plan assets as at 1st April,2014											
योजना परिसंपत्ति पर वास्तविक लाभ Actual return on plan assets	13123	11123	10063	7083	5332	5025	4689	3682			
कर्मचारियों का योगदान Employer's contribution	2871	3270	3250	3505							
अतिरिक्त योगदान Additional contribution	27179	33170	11447	0	43	4415	2456	0			
प्रदत्त लाभ Benefits paid	(23190)	(23689)	(22614)	(11630)	(4593)	(3286)	(3392)	(2067)			
31 मार्च, 2015 को योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य Fair value of plan assets as at 31st March, 2015	164906	144680	119166	116651	64131	62906	56277	52450			

लाभ एवं हानि खाता में स्वीकृत व्यय EXPENSES RECOGNISED IN PROFIT AND LOSS ACCOUNT

विवरण PARTICULARS		पेंह PENS	ग्रन SION		ग्रेच्युटी GRATUITY					
	14-15	13-14	12-13	11-12	14-15	13-14	12-13	11-12		
वर्तमान सेवा लागत Current Service Cost	11838	21380	11036	9799	3843	3322	2799	2642		
ब्याज लागत Interest Cost	11838	21380	11036	9799	4723	5315	4301	4233		
योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक लाभ Actual return on plan assets	(13123)	(11123)	(10063)	(8032)	(5333)	(5498)	(4689)	(3682)		
निवल वास्तविक (लाभ) / हानि Net Actuarial (Gain)/ Loss	34757	6978	26152	(3721)	(2079)	(4435)	2006	(1275)		
निवल आवधिक लागत Net Periodic Cost अस्वीकृत ऋण शेष Unrecognized credit	46124	30110	36643	14952	4430	1379 2972	4416 5942	1918		
balance वर्तमान वर्ष में स्वीकृत अशोधित शेष Recognized in current year Unamortized balance					2972	2972	2972	2972		



तुलन पत्र में स्वीकृत राशि AMOUNT RECOGNISED IN BALANCE SHEET

(Rs. in lacs)

विवरण	पेंशन ग्रेच्यूटी अवकाश नकदीकरण											m (acs)
PARTICULARS		PENS				GRAT	~			AVE ENC		
	14-15	13-14	12-13	11-12	14-15	13-14	12-13	11-12	14-15	13-14	12-13	11-12
31 मार्च 2015	208043	163864	152559	128098	68576	62082	60694	54368	35151	30619	26474	22119
को वर्णित लाभ												
दायित्व का												
वर्तमान मूल्य												
Present value												
of defined												
benefit obligations as												
at 31 st March,												
2015												
31 मार्च 2014	164906	144680	119166	128098	64131	62906	56278	52450	-	-	-	-
को योजना												
परिसंपत्तियों												
का उचित मूल्य												
(वर्तमान वर्ष												
में कंपनी को												
योगदान सहित)												
Fair value of												
plan assets												
as at 31st												
March, 2015 (including												
current year												
Company's												
contribution)												
तुलन पत्र में	43137	19184	33393	NIL	5302	(824)	4416	1918	35151	30619	26474	2205
स्वीकृत देयता												
Liability												
recognized in Balance Sheet												
Daidlice Stieet												

नोटः उपर्युक्त तालिकाओं में आंकड़ों को निकटतम लाख रुपए में रखा गया है। Note: The figures in the above tables are rounded off to nearest Rupees in Lacs.

बीमांकिक अनुमान **ACTUARIAL ASSUMPTION**

बींकाकिक मूल्यांकन के लिए इस्तेमाल होने वाले प्रमुख अनुमान इस प्रकार हैं: The Principal Assumptions used for Actuarial Valuation are:

विवरण PARTICULARS		पें र PEN				उपर GRAT			अवकाश नकदीकरण LEAVE ENCASHMENT			
	14-15	13-14	12-13	11-12	14-15	13-14	12-13	11-12	14-15	13-14	12-13	11-12
(ii) छूट दर % (ii) Discount rate %	7.90	9.15	8.45	8.45		9.00	8.15	8.5	7.90	9.00	8.15	8.5
(iii)परिसंपत्तियों पर लाभ की संभावित दर*% (iii) Expected rate of return on assets*%	8.86	886	8.43	8.44		8.84	9.05	8.5	7.90	9.00	8.15	8.5
(iv)भविष्य में वेतन वृद्धि #% (iv)Future Salary Increase #%	7	7	5	5		5	5	5	7	7	5	5
(v) मृत्युदर (v) Mortality	LIC (1	996-98) Table	LIC (199 Table	94-96)	IAL(200 Ultimat Table	06-08)l e Table	IC (1994	994-96)IAL(2006-08)LIC (1994-96) Ultimate Table Table				-96)
vi) कर्मचारियों का कारोबार vi) Employees Turnover	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
vii) सेवा के शेष वर्ष vii) Remaining working life years	11.69	9.57	10.27	11.00	10.71	11.42	11.21	11.39	10.71	11.42	11.21	11.39

<mark>* योजना परिसंपत्तियों पर वापसी की अनुमानित दर</mark> बाजार की संभावना पर आधारित है जो वर्ष के आरंभ में संबंधित दायित्व की संपूर्ण जीवनावधि हेतु प्रतिफल के लिए है।

<mark># बींकाकिक ने दायित्व का अनुमान लगाने के क्रम में मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति एवं अन्य संबंधित घटकों का ध्यान</mark> रखा है।

^{*} Expected rate of return on plan assets is based on market expectation, at the beginning of the year, for return over the entire life of the related obligation.

[#] Actuary, while estimating liability has taken into consideration inflation, seniority, promotion and other relevant factors.



31 मार्च, 2015 को न्यास द्वारा अनुरक्षित योजना परिसंपत्तियों का ब्यौरा निम्नानुसार है: Details of Plan Assets maintained by the trust as on 31st March, 2015 are as follows:

(प्रतिशत में / In Percentage)

विवरण PARTICULARS	पेंशन PENSION				उपदान GRATUITY			
	14-15	13-14	12-13	11-12	14-15	13-14	12-13	11-12
(i) विशेष जमा (i) Special Deposits	0.00	4.42	10.01	10.23	6.66	6.92	7.43	8.01
(ii) सरकारी प्रतिभूतियां (ii) Government Securities	54.54	51.38	47.01	44.70	35.76	36.18	37.86	38.45
(iii) बंध पत्र / ऋण पत्र (iii) Bonds/debentures	39.69	37.33	38.66	39.00	35.76	36.18	37.86	38.45
(iv) बैंकों में जमा (iv) Deposits in Banks	0.79	2.20	-	0.38	0.48	0.68	-	0.90
(v) अन्य (v) Others	4.98	4.67	4.32	5.79	1.13	1.39	1.65	2.60

^{*}गैर-लेखापरीक्षित

सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभः

कंपनी से सेवानिवृत्ति के पश्चात चिकित्सा लाभ की कोई योजना नहीं है। तथापि, कंपनी के पूर्णकालिक निदेशकों (जो कि कंपनी के पूर्णकालिक कर्मचारी होते हैं) द्वारा स्वयं और परिवार के लिए चिकित्सा व्यय (अस्पताल में भर्ती एवं ओपीडी व्यय दोनों) को कंपनी द्वारा उस समय भी वहन किया जाता है जब निदेशक कंपनी के निदेशकों / कार्मिकों की श्रेणी से हट जाते हैं बशर्ते कंपनी ऐसे पूर्व कार्मिकों की मूल कंपनी रही हो। इस लाभ के लिए संबंधित पूर्व अधिकारियों से कोई प्रीमियम प्रभारित नहीं किया जा रहा है।

कंपनी वर्ष 2014 से लागू नई सामूहिक चिकित्सा दावा नीति के उपबंध 09.2.1 और 09.2.2 के अनुसार सेवानिवृत्त कर्मचारी और उसकी पत्नी / पति के संबंध में उसके अनुमानतः समायोजित मूल वेतन के आधार पर कर्मचारियों के लिए लागू पात्र बीमित राशि के आध गर पर गणना किए गए देय चिकित्सा दावा प्रीमियम के 75 प्रतिशत हिस्से का वहन करेगी।

पारिश्रमिक संशोधन के लिए प्रावधानः

31.03.2015 की स्थिति के अनुसार कर्मचारियों को 1 अगस्त 2012 से देय पारिश्रमिक संशोधन संबंध

Post Retirement Medical Benefits:

Company does not have any Post Retirement Medical Benefit Scheme. However medical expenses (both hospitalization and OP expenses) incurred by full time directors of the Company (who are full time employees of the company) for self and family are met by the Company even after the directors cease to be directors/employees of the Company, provided the Company is the Parent Company of such ex-employees. No premium is being charged from the exexecutives concerned for this benefit.

The Company shall bear 75% of the mediclaim premium payable computed on the basis of eligible Sum Insured applicable for the employee based on his notionally adjusted Basic Pay in respect of retired employee and spouse as per clause 09.2.1 and 09.2.2 of the New Group Mediclaim policy which is effective from 2014

Provision for wage revision:

Provision for wage revision due to employees

^{*}unaudited



ी प्रावधान 38143.06 लाख रुपए है और इसमें वर्ष 2014-15 के लिए प्रावधान की गई 235 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि शामिल है।

38. लेखाकरण मानक 17 संवर्ग रिपोर्टिंगः तुलनपत्र की अनुसूची 1,2 और 3 के अनुरूप संवर्गीय रिपोर्टिंग पर आईआरडीए (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण एवं लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट तैयार करना) विनियम 2002 द्वारा निर्धारित निम्नलिखित प्रारूप में संवर्गीय सूचना उपलब्ध कराई गई है:

w.e.f 1st August 2012 stood at Rs.38143.06 lacs as at 31.03.2015 and it includes Rs.235 crores additional amount provided in the year 2014-15

38. Accounting Standard 17 Segment Reporting:

Segmental information has been given in the following format prescribed by IRDAI (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations, 2002 on Segmental Reporting, as per Schedules 1, 2 and 3 of Balance Sheet.

(Rs. in lacs)

				(113. 111 1aC3)
संवर्ग	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम	कुल व्यवसाय का	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम	कुल व्यवसाय का
Segment	वित्त वर्ष 2014—15	प्रतिशत	वित्त वर्ष 2014—15	प्रतिशत
	Gross Direct	Percentage to	Gross Direct	Percentage to
	Premium	Total Business	Premium	Total Business
	FY 2014-15		FY 2013-14	
अग्नि	101277.67	13.39	103977.09	14.28
Fire				
मैरीन कार्गो	24757.89	3.27	27257.21	3.74
Marine Cargo				
मैरीन हल	17389.04	2.30	21032.98	2.89
Marine Hull				
मोटर ओडी	126133.83	16.68	119819.94	16.45
Motor OD				
मोटर टीपी (नॉन-पूल)	160572.25	21.23	138363.26	19.00
Motor TP (Non-Pool)				
मोटर टीपी (पूल) एवं	4739.28	0.63	10628.01	1.46
डीआर पूल				
Motor TP (Pool) & D.R.				
Pool				
अभियांत्रिकी	35597.77	4.71	37477.16	5.15
Engineering				
उड्डयन	10093.90	1.33	11161.04	1.53
Aviation				
कामगार क्षतिपूर्ति	8024.56	1.06	8164.60	1.12
Workmen Compensation				
व्यक्तिगत दुर्घटना	14936.71	1.98	14241.27	1.96
Personal Accident				
स्वास्थ्य	205385.25	27.16	189875.15	26.07
Health				



संवर्ग	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम	कुल व्यवसाय का	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम	कुल व्यवसाय का
Segment	वित्त वर्ष 2014—15	प्रतिशत	वित्त वर्ष 2014—15	- प्रतिशत
	Gross Direct	Percentage to	Gross Direct	Percentage to
	Premium	Total Business	Premium	Total Business
	FY 2014-15		FY 2013-14	
दायित्व	5089.26	0.67	4513.80	0.62
Liability				
अन्य विविध	42195.38	5.58	41742.41	5.73
Other Miscellaneous				
कुल सकल प्रीमियम	756192.79	100	728253.93	100
Total Gross Premium				

39. लेखाकरण मानक 18: संबंधित पक्ष प्रकटनः

- 1. लेखाकरण मानक 18 के अनुसार संबंधित पक्ष प्रकटन
 - क. सहायक कंपनियां दि इंडस्ट्रियल क्रेडिट कंपनी लिमिटेड
 - ख. सहयोगी कंपनियां इंडिया इंटरनेशनल इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए ऑफ इंडिया
 - ग. निकाय, जिन पर नियंत्रण बरकरार है
 - i. ओआईसीएल कर्मचारी भविष्य निधि
 - ii. ओआईसीएल पेंशन निधि
 - iii. ओआईसीएल कर्मचारी उपदान निधि

प्रमुख प्रबंधन कार्मिकः

- 1. डॉ. ए.के. सक्सेना, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (12.06.2012 से)
- 2. सुश्री रिंग बाजपेयी, कंपनी सचिव (20.08.2007
- 3. सुश्री के रमादेवी, महाप्रबंधक एवं सीएफओ (23. 06.2014 से)

39. Accounting Standard 18: Related Party Disclosure:

1. Related party disclosures as per Accounting Standard 18

a. Subsidiaries

The Industrial Credit Company Limited.

b. Associates

India International Insurance Pvt. Ltd., Singapore Health Insurance TPA of India

c. Entities over which control exists

- **OICL Staff Provident Fund**
- **OICL Pension Fund**
- iii. OICL Employees Gratuity Fund

Key Management Personnel:

- 1. Dr. A.K. Saxena, Chairman-cum-Managing Director (from 12.06.2012)
- 2. Ms.Rashmi Bajpai, Company Secretary (from 20.08.2007)
- 3. Ms.K.Ramadevi, General Manager & CFO (from 23.06.2014)

संबंधित पक्षो के साथ संव्यवहारः

Transactions with related parties:

(Rs. in lacs)

क्र.सं.	संबंध की प्रकृति	कारोबार की प्रकृति	2014-15	2013-14
Sr. No.	Nature of Relationship	Nature of Transaction		
i)	सहायक कंपनियां	अन्य देय राशि	5.83	5.44
	Subsidiary	Other Amount Due		
ii)	सहयोगी कंपनियां	क) इंडिया इंटरनेशनल इंश्योरेंस	356.80	233.64
	Associates	प्राइवेट लिभिटेड, सिंगापुर:-	391.10	391.10
		प्राप्त लाभांश आय शेयरों में	475.00	237.50
		निवेश		
		a)India International		
		Insurance Pvt. Ltd.,		
		Singapore :-		
		Dividend Income received		
		Investment in shares		
		ख) हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए ऑफ		
		इंडिया:		
		शेयरों में निवेश		
		b) Health Insurance TPA		
		of India :-		
		Investment in shares		

40. पट्टे

कंपनी के कार्यालय परिसर एवं कर्मचारियों के लिए आवासीय फुलैट पट्टे पर लिए गए हैं और आपसी सहमति से नवीकरण / निरस्तीकरण किया जा सकता है। पट्टा करारों द्वारा कोई बंदिश नहीं लगाई गई है। पट्टे के नियम अलग-अलग करारों पर आधारित हैं। महत्वपूण पट्टाजन्य समझौते परिसरों के लिए पट्टे के संबंध में हैं। पट्टे के अंतर्गत दायित्व के संबंध में कुल पट्टा किराया की राशि 6214.21 लाख रुपए (गत वर्ष 5991.44 लाख रुपए) को चालू वर्ष में राजस्व लेखा में प्रभारित किया गया है।

40.Leases

The company's office premises and residential flats for employees are obtained on lease and are renewable/ cancellable at mutual consent. There are no restrictions imposed by lease agreements. Lease terms are based on individual agreements. Significant leasing arrangements are in respect of lease for premises. Aggregate lease rentals amounting to Rs.6214.21 lacs in the current year (previous year Rs.5991.44 lacs) in respect of obligation under lease are charged to Revenue Account in the current year.



41. लेखाकरण मानक 20- "प्रति शेयर आय":

(लाख रुपए में)

	31.03.15 को	31.03.14 को
Net Profit attributable to Shareholders (Rs. in Lacs)	39209.52	46028.73
Weighted Average Number of Equity Shares issued	20,00,00,000	15,00,00,000
Basic & Diluted Earnings per Share of Rs. 10/- each	19.60	30.69

42. लेखाकरण मानक 22

पिछली हानियों को आगे लाए जाने के कारण आस्थिगित कर परिसंपत्ति बढ़ रही है जिस पर भावी लाभ की अनिश्चितता के कारण कंपनी द्वारा विचार नहीं किया गया है।

43. लेखाकरण मानक 28

लेखाकरण मानक 28 के अनुसार प्रबंधन ने परिसंपत्तियों की हानि की संभावना का आकलन किया है और स्थायी परिसंपत्तियों के मुल्य में कोई विसंगति नहीं पाई गई है।

44. प्नबीमा स्वीकृति से संबंधित (लेखाकरण नीति संख्या 5.1 क ii में देखें) बकाया दावा प्रावधानों के संबंध में वर्ष के दौरान निम्नलिखन निथियों को अपनाया गया:

- 1. भारतीय व्यवसाय के संबंध में वित्तीय विवणों को अंतिम रूप देने की तिथि तक (लेखाकरण नीति 4.2.)
- 2. विदेशी व्यवसाय के संबंध में:
 - (i) वर्ष के अंत तक हुए समस्त नुकसान एवं उसके तत्काल बाद आने वाले वर्ष में 30 अप्रैल तक प्राप्त सूचना।
 - (ii) निरस्त संधियों के मामले में 15 मई अथवा लेखों को अंतिम रूप देने की तिथि जो भी पहल हो, तक प्राप्त पुनर्बीमा वापसी में यथा सूचित विदेशी कंपनियों द्वारा निपटाए गए दावों को बकाया दावों के रूप में माना जाएगा।
- 45. कंपनी बीमा अधिनियम की धारा 3 क के साथ पठनीय

41. Accounting Standard 20 - "Earnings Per Share":

(Rs. in lacs)

	As at 31.03.2015	As at 31.03.2014
Net Profit attributable to Shareholders (Rs. in Lacs)	39209.52	46028.73
Weighted Average Number of Equity Shares issued	20,00,00,000	15,00,00,000
Basic & Diluted Earnings per Share of Rs. 10/- each	19.60	30.69

42. Accounting Standard 22

In view of brought forward Losses, the Deferred Tax Assets is emerging which has not been considered by the company due to uncertainty of future profits.

43. Accounting Standard 28

In accordance with Accounting Standard-28, the Management has assessed the possibility of impairment of assets and there is no impairment in the value of fixed assets.

44. In respect of outstanding claim provisions relating to reinsurance acceptances (Refer Accounting

Policy no.5.1.a.ii), the following dates were adopted during the year:

- 1. In respect on Indian business up to the date of finalization of financial statement (Accounting Policy 4.2.)
- 2. In respect on Foreign business:
 - (i) All losses incurred up to the year-end and communications received up to 30th April of the immediately succeeding year.
 - (ii) In the case of cancelled treaties, claims paid by the foreign companies as reported in reinsurance returns received up to 15th May or finalization of accounts



- धारा 3 और बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 के अधीन 23 मार्च 2015 की अधिसूचना के प्रावधानों का अनुपालन किया है।
- 46. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत आपूर्तिकर्ताओं को देय राशि से संबंधित सूचना कंपनी के पास तैयार रूप से उपलब्ध नहीं है ओर इसलिए उक्त अधिनियम के तहत आवश्यक भूगतेय/ भुगतान योग्य ब्याज के साथ-साथ वर्ष के अंत में गैर चुकता राशि, यदि कोई हो, के संबंध में कोई प्रकटन नहीं किया गया है।
- 47. वर्ष के दौरान विभिन्न सरकारी प्राधिकरणों द्वारा की गई दंडात्मक कार्रवाई का विवरण नीचे दिया गया है:

- which ever is earlier, was considered as outstanding claims.
- 45. The Company has complied with the provisions of Section 3 read with Section 3A of the Insurance Act, 1938, and the notification dated 23 rd March, 2015 under the Insurance Laws (Amendment) Act, 2015.
- **46**. The information as to amount due to suppliers under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act 2006 is not readily available with the company and hence disclosures, if any, relating to amounts unpaid as at the year end together with interest paid/ payable as required under the said Act have not been given.
- **47.** Details of penal actions taken by the various Government Authorities during the year are as under:

क्र.सं. SI. No.	प्राधिकरण Authority	गैर—अनुपालन / उल्लंघन Non Compliance/ Violation	लगाया गया दंड Penalty Awarded		चुकता दंड Penalty Paid		दंड माफी / कमी Penalty waived/reduced	
			2014-15	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14
1	आईआरडीए IRDAI	टननुपालन Non Compliance	शून्य NIL	5	शून्य NIL	5	शून्य NIL	शून्य NIL
2	सेवा कर प्राधिकरण Service Tax Authorities	सेवा कर विभाग की लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर आधारित विभाग द्वारा की गई सेवा कर की मांग Service Tax demand raised by Dept based on Audit Report of Service Tax Dept	श्रून्य NIL	शून्य NIL	शून्य NIL	शून्य NIL	शून्य NIL	शून्य NIL
3	सेवा कर प्राधिकरण Income Tax Authorities	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 271(1)(ग) के तहत जुर्माना Penalty under Section 271(1)(c) of I Tax Act, 1961	19.60	17396.03	9289.30	6304.62* #	शून्य NIL	शून्य NIL



क्र.सं. SI. No.	प्राधिकरण Authority	गैर—अनुपालन / उल्लंघन Non Compliance/ Violation	लगाया गया दंड Penalty Awarded		चुकता दंड Penalty Paid		दंड माफी / कमी Penalty waived/reduced	
			2014-15	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14
4	कोई अन्य कर प्राधिकरण Any other Tax Authorities		शून्य NIL	शून्य NIL	शून्य NIL	शून्य NIL	शून्य NIL	शून्य NIL
5	प्रवर्तन निदेशालय / अधिनिर्णय प्राधिकरण / अथवा एफईएमए अर्थात फेमा के अंतर्गत कोई प्राधिकरण Enforcement Directorate/ Adjudicating Authority/ Tribunal or any Authority under FEMA		श्रून्य NIL	श्रून्य NIL	शून्य NIL	श्रून्य NIL	शून्य NIL	शून्य NIL
6	आरओसी / सीएलबी / एमसीए ROC/CLB/MCA	वैधानिक सीमा तक चुकता पूँजी नहीं जुटाना Not raising Paid up Capital to Statutory limit	शून्य NIL	शून्य NIL	शून्य NIL	शून्य NIL	शून्य NIL	शून्य NIL



क्र.सं. SI. No.	प्राधिकरण Authority	गैर—अनुपालन / उल्लंघन Non Compliance/ Violation	लगाया गया दंड Penalty Awarded		चुकता दंड Penalty Paid		दंड माफी / कमी Penalty waived/reduced	
7	दावा निपटान सहित लेकिन क्षतिपूर्ति को छोड़ते हुए किसी मामले के संबंध में किसी न्यायालय / अधिकरण द्वारा लगया गया दंड Penalty awarded by any Court/ Tribunal for any matter including		2014-15 NIL	9	2014-15 NIL	9	2014-15 NIL	2013-14 NIL
8	claim settlement but excluding compensation भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड Securities and Exchange Board of India		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
9	भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग Competition Commission of India		NIL	NIL		NIL	NIL	NIL
10	कोई अन्य केंद्रीय/ राज्य/स्थानीय सरकार/सांविधिक प्राधिकरण Any other Central/State/ LocalGovernment/ Statutory Authority		शून्य NIL	शून्य NIL	शून्य NIL	शून्य NIL	शून्य NIL	शून्य NIL

^{* 6304.62} लाख रुपए में आय कर प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा देय कर वापसी से वसूल किए गए 5099 लाख रुपए शामिल हैं और कंपनी ने इसका विरोध किया है। इसमें कंपनी द्वारा आईटीएटी के स्थगनादेश के संबंध में भुगतान किए गए 12 करोड़ रुपए भी शामिल हैं।

#9289.30 लाख रुपए में पिछले वर्ष 2013—14 में लगाए गए जुर्माने के 9281.31 लाख रुपए शामिल हैं जो आकलन वर्ष 2005—06 के लिए 8916.28 लाख रुपए और आकलन वर्ष 2004—05 के लिए 365.03 लाख रुपए बनता है।



* Rs.6304.62 lacs includes Rs.5099 lacs recovered by the Income Tax Authority, New Delhi, from tax refunds due and has been protested by the Company. It also includes Rs.12 crores paid by the Company against stay order by ITAT.

Rs.9289.30 lacs includes Rs.9281.31 lacs penalty awarded in the previous year 2013-14 amounting to Rs,8916.28 lacs for the A.Y. 2005-06 and Rs.365.03 lacs for the A.Y 2004-05.

48. पॉलिसीधारकों का बकायाः

पॉलिसी धारकों का उम्र-वार विश्लेषण नीचे दिया गया हैरू बकारा

48. Policyholders dues:

Age wise analysis of Policyholders dues is given hereunder:

Outstanding

(Rs. in lacs)

							> 36	
विवरण	3 माह	4-12	13-18	19—24	25-30	31-36		<u>कु</u> ल
Particulars	तक	माह	माह	माह	माह	माह	माह	Total
	Upto 3	4-12	13-18	19-24	25-30	31-36	> 36	
	months							
क. दावे का निपटान मगर	12.20	0	0	0	0	0	21.54	33.74
पॉलिसी धारकों / बीमितों को								
किसी कारण से भुगतान नहीं								
जिसमें बीमितों / पॉलिसी धारकों								
से मुकदमेबाजी के तहत कारण								
शामिल नहीं हैं।								
A. Claim settled but not								
paid to the Policyholders /								
insured due to any reasons								
except under litigation from								
the insured / policyholders.								
ख. प्रीमियम कर या किसी अन्य	184.19	162.54	147.61	141.18	140.00	139.48	1570.38	2485.38
शुल्क की कोई अधिक वसूली								
जो पॉलिसी धारकों को या तो								
पॉलिसी के नियमों-शर्तों के								
अनुरूप या कानून के मुताबिक								
अथवा प्राधिकरण के निर्देश के								
तहत लौटाने योग्य है मगर अब								
तक लौटाई नहीं गई है								
B. Any excess collection of								
premium / tax or any other								
charges which is refundable								
to the policyholder/s either								
as per term of conditions								
of the policy or as per law								
or as per the direction								
of the Authority but not								
refundable so far.								

ग. पॉलिसी की समयावधि पूरी	13.81	6.18	1.96	2.51	1.88	0.66	17.56	44.56
होने या किसी अन्य आधार								
पर बीमित व्यक्तियों /								
पॉलिसीधारकों को देय/								
भुगतेय कोई अन्य राशि								
C. Any other sum due /								
payable to the insured								
/ policyholders on								
completion of the policy terms or otherwise.								
	106444	232.52	152.30	124.70	129.70	141.47	1651.70	3496.83
'क', 'ख' या 'ग' के अंतर्गत	1064.44	232.32	152.30	124.70	129.70	141.47	1031.70	3490.83
कंपनी द्वारा चेक जारी किए								
गए लेकिन पॉलिसी धारकों/								
बीमित व्यक्तियों द्वारा उन								
चेकों को नहीं भुनाया गया है								
D. Cheques issued by								
the company under "A",								
"B" or "C" and cheques have not been encashed								
by the policyholders/								
insured.								
Total	1274.64	401.24	301.87	268.39	271.58	281.61	3261.18	6060.51

टिप्पणियां:-

- 1. पॉलिसी धारकों को जारी किए गए ऐसे चेक जिन्हें 3 महीने के भीतर नहीं भूनाया गया, उन्हें पॉलिसी धारकों के बकाए हेतू स्थानांतरित नहीं किया जाता है क्योंकि वे चेक पुराने नहीं हुए हैं। लेकिन उनकी राशि उपर्युक्त विवरण में दर्शाई गई है।
- 2. निपटाए गए दावे के तहत भुगतान नहीं होने के मामले पॉलिसीधारकों के बकाए में स्थानांतरित नहीं किए गए हैं क्योंकि इन दावों के लिए बकाया दावे के तौर पर ही प्रावधान किया गया है। लेकिन इनकी राशियां उपर्युक्त विवरण में दर्शाई गई है।
- 49. प्रभागीय कार्यालयों में से एक में से निधि के दुर्विनियोजन के संबंध में 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार शीर्ष ''अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए आरक्षित'' के अंतर्गत प्रधान कार्यालय में 327 लाख रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है।
- 50. कंपनी द्वारा एकीकृत नॉन लाइफ इंश्योरेंस एप्लीकेशन

Notes:-

- 1. Cheques issued to policyholders and not encashed for less than 3 months are not transferred to policyholders dues as these cheques have not become stale. However, the amounts are shown in the above statement.
- 2. Claims settled but not paid are not transferred to policyholders dues as these claims have been provided for as outstanding claims. However, the amounts are shown in the above statement.
- 49. A provision for a sum of Rs.327 lacs has been made at HO under the head "Reserve for bad and doubtful debts" as on 31.03.2015 towards misappropriation of funds in one of the Divisional Offices.
- **50.** The Company has introduced Integrated Non Life Insurance Application Software (INLIAS) which has not been fully implemented as some Modules, such as Head Office Accounts Consolidation Module, GUC Module and

THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LTD.



सोफ्टवेयर (इनलियास) आरंभ किया गया है किंतु इसे अभी तक पूरी तरह क्रियान्वित नहीं किया जा सका है क्योंकि कुछ मॉड्यूल्स जैसे हेड ऑफिस एकाउंट्स कंसोलिडेशन मॉड्यूल, जीयूएस मॉड्यूल और पुनर्बीमा खात मॉड्यूल अभी विकास / परीक्षण के दौर में हैं। कंपनी इनलियास में शेष मॉड्यूल्स के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक कद उठा रही है।

51. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों के अनुसार, 7.92 करोड़ रुपए की धनराशि को लाभ एवं हानि खाते में 'सीएसआर व्यय' नामक पृथक लाइन आइटम के रूप में दर्ज किया गया है। 7.92 करोड़ रुपए की राशि में से सीएसआर व्यय की कुल राशि 4.59 करोड़ रुपए है और शेष 3.33 करोड़ रुपए को वर्ष 2014—15 के दौरान कंपनी द्वारा चलाई गई सीएसआर गतिविधि के रूप में दर्ज किया गया है।

Re- insurance Accounts Module which are under development/testing. Company is taking necessary steps for implementation of remaining Modules in INLIAS.

51. As per the provisions of Section 135 of the Companies Act,2013, an amount of Rs. 7.92 crores has been recognized as a separate line item 'CSR Expenditure' in the Profit & Loss Account. Out of Rs.7.92 crores actual amount of CSR spent Rs.4.59 crores and the balance of Rs.3.33 crores has been recognized as liability towards CSR activity already undertaken by the Company during the year 2014-15.

हमारी संलग्न लेखा परीक्षक रिपोर्ट के अनुसार As per our auditors report attached

कृते केपीएमआर एंड एसोसिएट्स चार्टर्ड एकाउंटेंट एफआरएन सं. 02504N For KPMR & Associates Chartered Accountants FRN No. 02504N कृते एस.मान एंड कंपनी चार्टर्ड एकाउंटेंट एफआरएन सं.000075N For S.MANN & CO. Chartered Accountants FRN No.000075N (डॉ. ए.के. सक्सेना) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक **DR. A.K. SAXENA** Chairman-cum-Managing Director

सी.ए. एस.एम.वाई कुरैशी

भागीदार सदस्यता संख्या 081750 **CA. S.M.Y. Qureshi** Partner

M. No. 081750

के. रमादेवी

महाप्रबंधक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी

K.Ramadevi GM & Chief Financial Officer

Place: New Delhi Dated: 15.05.2015 सी.ए. सुभाष मान भागीदार सदस्यता संख्या 080500 CA. Subhash Mann Partner M. No. 080500

रिश्च बाजपेयी कंपनी सचिव Rashmi Bajpai Company Secretary एज. श्रीजिवास राव कुलदीप सिंह निदेशक निदेशक Kuldip Singh Director Director

सुजय बनर्जी निदेशक Sujay Banarji Director



31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित प्राप्ति एवं भुगतान लेखा (अर्थात् नकद प्रवाह विवरणी) THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED

CONSOLIDATED RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT (I.E. CASH FLOW STATEMENT) **FOR THE YEAR ENDING 31ST MARCH, 2015**

(Rs in lacs)

			(Rs. in lacs)
		31.03.2015 को	31.03.2014 को
		समाप्त वर्ष	समाप्त वर्ष
		Year ending	Year ending
		31.03.2015	31.03.2014
क. प्रच	गलनिक गतिविधियों से नकद प्रवाह		
A. Ca	sh Flow from the operating activities		
1.	पॉलिसीधारकों से प्राप्त प्रीमियम, अग्रिम प्राप्तियों सहित	79947241	76997799
	Premium received from policyholders, including advance		
	receipts		
2.	अन्य प्राप्तियां (निवल)	5543652	5780394
	Other receipts (net)		
3.	पुनर्बीमाकर्ताओं को भुगतान, कमीशनों और दावों से निवल	-3822448	-2659670
	Payments to reinsurers, net of commissions and claims		
4.	सहबीमाकर्ताओं को भुगतान, दावों की वसूली से निवल	-1210782	-11986032
	Payments to coinsurers, net of claims recovery		
5.	दावों का भुगतान	'-58607119	-54652862
	Payments of claims		
6.	कमीशन और ब्रोकरेज का भुगतान	-5105835	-5377584
	Payments of commission and brokerage		
7.	अन्य प्रचालनिक खर्चों का भुगतान	-20470300	-15549634
	Payments of other operating expenses		
8.	प्रारंभिक और प्रचालन-पूर्व खर्चे	0	0
	Preliminary and pre-operative expenses		
9.	जमा राशियां, अग्रिम और कर्मचारी ऋण	-254016	577826
	Deposits, advances and staff loans		
10.	चुकता आय कर (निवल)	-3190982	-2204596
	Income taxes paid (net)		
11:	एकत्रित / चुकता सेवा कर (निवल)	829062	1141018
	Service tax collected/paid (net)		
12.	अन्य भुगतान (निवल)	0	0
	Other payments (Net)		



		21 02 2015 →	21 02 2014 →
		31.03.2015 को	31.03.2014 को
		समाप्त वर्ष	समाप्त वर्ष
		Year ending	Year ending
		31.03.2015	31.03.2014
13.	असाधारण मदों से पूर्व नकद प्रवाह	-6341527	-7933341
	Cash flow before extraordinary items		
14.	असाधारण प्रचालनों से नकद प्रवाह		
	Cash flow from extraordinary operations		
15.	प्रचालनिक गतिविधियों से निवल नकद प्रवाह	-6341527	7933341
	Net cash flow from operating activities		
ख निवे	श गतिविधियों से नकद प्रवाह		
' B. Ca	sh Flow from investing activities		
1.	स्थायी परिसम्पत्तियों की खरीद (निवल)	-483794	-566274
	Purchase of fixed assets(net)		
2.	स्थायी परिसम्पत्तियों की बिक्री से आगम	29845	46899
	Proceeds from sale of fixed assets		
3.	निवेशों की खरीद	-82121405	-13005969
	Purchase of investments		
4.	वितरित ऋण	0	0
	Loans disbursed		
5.	निवेशों की बिक्री	11175154	10984596
	Sales of investments		
6.	प्राप्त पुनःभुगतान	70647222	3737343
	Repayments received		
7.	प्राप्त किराये / ब्याज / लाभांश	10387854	10530389
	Rents/Interests/Dividends received		
8.	धन बाजार लिखतों और नकद म्युचुअल निधियों में निवेश (निवल)	0	-458900
	Investments in money market instruments & liquid n		
9.	निवेशों से संबंधित खर्चे	-40369	-32551
	Expenses relating to investments		
10.	निवेश गतिविधियों से निवल नकद प्रवाह	9594507	11235533
	Net cashflow from the investing activities		
ग	वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह		
C.	Cash Flow from financing activities		
1.	शेयर पूंजी के निर्गम से आगम	23750	23750
	Proceeds from issuance of share capital		
2.	उधार राशि से आगम	0	0
	Proceeds from borrowing		
3.	उधार राशि की चुकौती	0	0
	Repayments of borrowing		
4.	चुकता ब्याज / लाभांश (वितरण कर सहित)	-1263507	-1246000
	Interest/dividends (including distribution tax) paid		

		31.03.2015 को	31.03.2014 को
		समाप्त वर्ष	समाप्त वर्ष
		Year ending	Year ending
		31.03.2015	31.03.2014
5.	वित्तीय गतिविधियों से निवल नकद प्रवाह	-1239757	-1222250
	Net cash flow from the financing activities		
घ	नकद और नकद समतुल्यों पर विदेशी मुद्रा का प्रभाव (निवल)		
D.	Effect of foreign exchange rates on cash and Cc		
ड.	नकद और नकद समतुल्यों में निवल वृद्धि(+)/कमी(-)	2013076	2185766
E.	Net increase(+)/decrease(-) in cash and cash eq		
1.	वर्ष के प्रारंभ में नकद और नकद समतुल्य	22281050	20095284
	Cash and cash equivalents at the beginning of the >		
2.	वर्ष के अंत में नकद और नकद समतुल्य	24294126	22281050
	Cash and cash equivalents at the end of the year		

टिप्पणियां:

- आकृति (+)अंतः प्रवाह को और आकृति (-) बिहर्प्रवाह को दर्शाती हैं।
- 2. आईआरडीएआई के दिनांक 01.04.2013 से लागू दिनांक 05.10.2012 के मास्टर परिपत्र के दृष्टिगत गत वर्ष के आंकड़ों को आवश्यकतानुसार पुनःसमूहबद्ध किया गया है।

Notes:

- (+) figure represents inflow and (-) figure represents outflow
- Figures of previous year have been regrouped wherever necessary, in view of change in the format as per IRDAI Master Circular date 05.10.2012 effective from 01.04.2013.

हमारी संलग्न लेखा परीक्षक रिपोर्ट के अनुसार As per our auditors report attached

कृते केपीएमआर एंड एसोसिएट्स चार्टर्ड एकाउंटेंट एफआरएन सं. 02504N For KPMR & Associates Chartered Accountants FRN No. 02504N कृते एस.मान एंड कंपनी चार्टर्ड एकाउंटेंट एफआरएन सं.000075N For S.MANN & CO. Chartered Accountants FRN No.000075N

(डॉ. ए.के. सक्सेना) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक **DR. A.K. SAXENA** Chairman-cum-Managing Director

सी.ए. एस.एम.वाई कुरैशी भागीदार सदस्यता संख्या 081750

CA. S.M.Y. Qureshi Partner M. No. 081750

के. रमादेवी

महाप्रबंधक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी **K.Ramadevi** GM & Chief Financial Officer

स्थानः नई दिल्ली दिनांकः 15.05.2015 सी.ए. सुभाष मान भागीदार सदस्यता संख्या 080500 CA. Subhash Mann Partner M. No. 080500

रिम बाजपेयी कंपनी सचिव Rashmi Bajpai Company Secretary

Place: New Delhi Dated: 15.05.2015 एन. श्रीनिवास राव कुलदीप सिंह निदेशक निदेशक N. Srinivasa Rao Kuldip Singh Director Director

सुजय बनर्जी निदेशक Sujay Banarji Director



दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिभिटेड तुलन पत्र के उद्धरण और कम्पनी की सामान्य रूपरेखा

THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED

BALANCE SHEET ABSTRACT AND COMPANY'S GENERAL PROFILE

। पंजीकरण का ब्यौरा

I. REGISTRATION DETAILS

पंजीकरण संख्या राज्य कोड

Registration Number 00556 State Code 55

तूलन पत्र की तारीख

Balance Sheet Date 31.03.2015

II. वर्ष के दौरान जुटाई गई पूंजी (राशि हजार रूपए में)

II. CAPITAL RAISED DURING THE YEAR (AMOUNT IN Rs. THOUSANDS)

सार्वजनिक निर्गम राइट निर्गम शून्य शून्य **Public Issue** NIL NIL Right Issue बोनस निर्गम निजी नियोजन शून्य शून्य Bonus Issue NIL Private Placement NIL

III. निधियों के संचलन और नियोजना की स्थित (राशि हजार रूपए में)

III. POSITION OF MOBILISATION AND DEPLOYMENT OF FUNDS (AMOUNT IN Rs. THOUSANDS)

कुल देनदारियां कुल परिसम्पत्तियां

Total Liabilities Total Assets 129084599 129084599

निधियों के स्रोत

Source of Funds

प्रदत्त पूंजी आरक्षितियां और अधिशेष

Reserve& Surplus Paid up Capital 2000000

चाल देनदारियां और स्थिति और उचित मूल्य परिवर्तन

Current Liabilities & Provision 133742300 and Fair Value Change 127084599

निधियों की प्रयोज्यता

Application of Funds

निवल स्थायी परिसम्पत्तियां निवेश

Net Fixed Assets Investments 1580840 208442369

निवल चालू परिसम्पत्तियां विविध व्यय

Net Current Assets 52803690 Misc. Expenditure 0

Accumulated Losses Nil



IV. कम्पनी का निष्पादन (राशि हजार रुपए में)

IV. PERFORMANCE OF COMPANY (AMOUNT IN Rs. THOUSANDS)

टर्नओवर कुल व्यय

Turnover 64723871 Total Expenditure 79585299

कर पूर्व लाभ / हानि कर पश्चात लाभ / हानि

Profit/Loss before Tax 6173373 Profit/Loss after Tax 3908623

लाभांश

Dividend 1100000

V. कम्पनी के तीन प्रमुख उत्पादों/सेवाओं के सामान्य (जेनरिकट्स नाम (मौद्रिक राब्दावली के अनुसारद्ध V. GENERIC NAMES OF THREE PRINCIPAL PRODUCTS/SERVICES OF CO. (AS PER MONETARY TERMS)

मद कोड संख्या शून्य Items Code No. NIL

उत्पाद का विवरण गैर-जीवन बीमा कारोबार

Product Description Non Life Insurance Business

स्थानः नई दिल्ली **Place:** New Delhi दिनांकः 15.05.2015 **Dated:** 15.05.2015

डा. ए.के. सक्सेना

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

Dr. A. K. Saxena

(Chairman cum managing Director)

एन. श्रीनिवास राव N.SRINIVASA RAO

कुलदीप सिंह KULDIP SINGH

सुजय बनर्जी SUJAY BANARJI

(निदेशक)

(Directors)



दि इंडस्ट्रीयल क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड THE INDUSTRIAL **CREDIT COMPANY LIMITED**



दि इंडस्टीय क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड के निदेशकों का पतिवेदन

सज्जनों.

निदेशक दिनांक 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए अपना 85वां प्रतिवेदन और लेखा परीक्षित लेखे और तुलन पत्र प्रस्तुत करते हैं।

वित्तीय परिणाम और प्रचालनिक समीक्षा

कम्पनी ने वर्ष के दौरान कोई कारोबार नहीं किया। लाभ हानि लेखे के अनुसार समीक्षाधीन वर्ष के लिए हानि रु. 6,827 / -है और वर्ष के अंत में आगे ले जाई गई कुल हानि रु.

आरक्षितियां

चूंकि वर्ष के दौरान कोई कारोबार नहीं किया गया अतः आरक्षिति में कोई धनराशि अंतरित नहीं की गई है।

लाभांश

आगे ले जाई गई हानियों को देखते अए, आपके निदेशकदिनांक 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए किसी भी लाभांश के भगतान या किसी निधि के अंतरण की सिफारिश नहीं करते हैं।

शेयर पूंजी

दिनांक 31 मार्च 2015 को प्रदत्त इक्विटी पूंजी रु. 5,00,000 / - (मात्र पांच लाख रुपए) थी जो रु. 100 / -प्रत्येक के 5000 इक्विटी शेयरों में विभाजित थी। कम्पनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई नए शेयर जारी नहीं किए।

वित्त

दिनांक31 मार्च, 2015 को नकद और नकद समतुल्य रु. 433,225 / - थे।

स्थायी जमा

कम्पनी ने जनता से कोई जमा राशि प्राप्त नहीं की है, अतः ऐसी कोई अदावी या अदत्त जमा नहीं है।

कम्पनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले महत्वपुण पिरवर्तन और प्रतिबद्धताएं, यदि कोई हों, जो उस कम्पनी के वित वर्ष के अंत और प्रतिवेदन की तारीख के बीच धटित हुए हों जिससे ये वित्तीय विवरणिकाएं संबंधित हैं

उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण आदेशों का ब्यौरा

REPORT OF THE DIRECTORS OF THE INDUS-TRIAL CREDIT COMPANY LTD.

Gentlemen,

The Directors present their 85th Annual Report and the Audited Accounts and the Balance Sheet for the year ended 31st March, 2015.

FINANCIAL RESULTS & OPERATIONAL REVIEW

The Company did not transact any business during the year. The loss for the year under review as per the Profit & Loss account is Rs. 6,827/- and the total carried forward loss at the end of the year is Rs.6,58,787/-.

RESERVES

As there was no business undertaken during the year no amount has been transferred to Reserve.

DIVIDEND

In view of carry forward losses, your Directors do not recommend payment of any dividend or transfer of any funds to reserves for the year ended on 31st March, 2015.

SHARE CAPITAL

The paid up equity capital as on 31st March, 2015, was Rs. 5,00,000/- (Rs. Five lakhs only) divided into 5000 Equity shares of Rs. 100/- each. The Company did not issue any fresh shares during the year under review.

FINANCE

Cash and cash equivalents as at 31st March, 2015, was Rs. 433,225/-.

FIXED DEPOSITS

The Company has not accepted any deposits from the public, hence there is no such unclaimed or unpaid deposit.

MATERIAL CHANGES AND COMMITMENTS, IF ANY, AFFECTING THE FINANCIAL POSITION OF THE **COMPANY WHICH HAVE OCCURRED BETWEEN THE** END OF THE FINANCIAL YEAR OF THE COMPANY TO WHICH THE FINANCIAL STATEMENTS RELATE AND THE DATE OF THE REPORT

NIL

DETAILS OF SIGNIFICANT AND MATERIAL ORDERS



विनियामकों या न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा कम्पनी के लाभकारी कारोबार वाले संस्थान के दर्ज और भविष्य में कम्पनी के प्रचालनों को प्रभावित करने वाले उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण आदेशों का ब्यौरा

कोई नहीं

ऋणों, गारंटियों या निवेशों का विवरण

कम्पनी ने कम्पनी अधिनियमए 2013 की धारा 186 के प्रावधानों के अंतर्गत कोई ऋण या गारंटी प्रदान नहीं की है। कम्पनी द्वारा किए गए निवेशों का ब्यौरा वित्तीय विवरणिकाओं में दिया गया है।

आंतरिक नियंत्रण, प्रणालियां और पर्याप्तता

आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां और पर्याप्तता से संबंधित कम्पनी अधिनियम के प्रावधान कम्पनीए 2013 पर लागू नहीं होते क्योंकि कम्पनी कोई सक्रिय कारोबार नहीं कर रही है।

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी पहलें

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंधित कम्पनी अधिनियम के प्रावधान कम्पनीए 2013 पर लागू नहीं होते।

उर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन

उर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन सेसंबंधित कम्पनी अधि ानियम के प्रावधान कम्पनीए 2013 पर लागू नहीं होते क्योंकि यह एक वित्तीय कम्पनी है और कोई सक्रिय कारोबार भी नहीं कर रही है।

विदेशी मुद्रा अर्जन एवं परिव्यय

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई विदेशी मुद्रा अर्जनया परिव्यय नहीं हुआ।

कम्पनी का पबंधन

कम्पनी का प्रबंधन उन निदेशकों द्वारा किया जाता है जो दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड (धारक कम्पनी) द्व ारा नामांकित होते हैं। प्रशासनिक सेवाएं ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड द्वारा प्रदान की जाती हैं।

निदेशक

श्री पी. सेंथिलकुमार, निदेशक आगामी वार्षिक आम सभा से रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त हो रहे हैं। श्री पी. सेंथिलकुमार ने

PASSED BY THE REGULATORS OR COURTS OR TRIBUNALS IMPACTING THE GOING CONCERN STATUS AND COMPANY'S OPERATIONS IN FUTURE

NIL

PARTICULARS OF LOANS, GUARANTEES OR **INVESTMENTS**

The Company has not given any loans or guarantees under the provisions of Section 186 of the Companies Act, 2013.

The details of the investments made by the Company are given in the financial statements

INTERNAL CONTROL, SYSTEMS AND THEIR **ADEQUACY**

The provisions of the Companies Act, 2013 regarding Internal Control, Systems and Adequacy are not applicable to the Company as the Company is not doing any active business.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY INITIATIVES

The provisions of the Companies Act, 2013 regarding Corporate Social Responsibility are not applicable to the Company.

CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION

The provisions of the Companies Act, 2013 regarding conservation of energy, technology absorption are not applicable to the Company, as it is a finance company and not doing any active business also.

FOREIGN EXCHANGE EARNINGS AND OUTGO

During the year under review there was no foreign exchange earnings or out flow.

MANAGEMENT OF THE COMPANY

The Company was managed by the Directors who are nominees of The Oriental Insurance Company Limited (Holding Company). The administrative services are lent by The Oriental Insurance Company Limited.

DIRECTORS

Shri P.Senthilkumar, Director retires by rotation at the forthcoming Annual General Meeting. Mr. Senthilkumar has expressed his unwillingness to be re



कम्पनी के निदेशक के तौर पर पुनः नियुक्त किए जाने पर अपनी अनिच्छा जताई है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान दिनांक 08.05.2014, 22.07.2014, 05.11.2014 और 05.02.2015 को निदेशक मंडल की चार बैठकें आयोजित की गईं। बैठकों के बीच का अंतराल कम्पनी अधिनियमए 2013 के अधीन निर्धारित अवधि के भीतर था। ए

निदेशकों के उत्तरदायितव संबंधी वक्तव्यः

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (5) के प्रावधानों के अनुसरण में, निदेशक एतद्द्वारा उल्लेख करते हैं-

- (क) कि वार्षिक लेखों की तैयारी में, महत्वपूर्ण विचलनों के संबंध में उपयुक्त स्पष्टीकरण सहित प्रयोज्य लेखाकरण मानदंडों का अनुसरण किया गया है;
- (ख) कि निदेशकों निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियां चुनी हैं और उन्हें सतत रूप से लागू किया और ऐसे निर्णय तथा अनुमान लगाए जो कि उचित और न्यायसंगत थे ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के कामकाज की स्थिति और वित्त वर्ष की समाप्ति पर कंपनी के कामकाज को लेकर और कंपनी लाभ हानि की एक यथार्थ और निष्पक्ष स्थिति प्रस्तुत की जा सके;
- (ग) कि निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की अभिरक्षा के लिए और धोखाधडी और अन्य अनियमितताएं रोकने और अभिज्ञात करने के उद्देश्य से इस अधिनियम के प्रावध ाानों के अनुसार उपयुक्त लेखांकन रिकॉर्ड रखने के संबंध में उपयुक्त और समीचीन ध्यान रखा है;
- (घ) किनिदेशकों ने वित्तीय वर्ष हेतू सुनाम-प्रतिष्ठान आधार पर वार्षिक लेखे तैयार किए हैंय और
- (ड.) किनिदेशकों ने सभी प्रयोज्य विधियों के प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त प्रणालियां तैयार की हैं और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त हैं और प्रभावी रूप से काम कर रही हैं।

संबंधित पक्षकार संव्यवहार

कम्पनी और इसकी धारक कम्पनी के बीच संव्यवहारों का ब्यौरा निदेशकों के प्रतिवेदन के अनुबंध क के रूप में एतद्सहित प्रपत्र एओसी 2 में संलग्न है।

अनुषंगी कम्पनियां

कम्पनी की कोई अनुषंगी कम्पनी नहीं है।

appointed as Director of the Company.

During the year under review four meetings of the Board of Directors were convened and held on 08.05.2014, 22.07.2014, 05.11.2014 and 05.02.2015. The intervening gap between the Meetings was within the period prescribed under the Companies Act, 2013.

DIRECTORS RESPOSIBILITY STATEMENTS:

Pursuant to provisions of Sec. 134 (5) of the Companies Act, 2013, the Directors hereby state:-

- (a) That in the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards have been followed along with proper explanation relating to material departures;
- (b) That the directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that were reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the company at the end of the financial year and of the profit and loss of the company for year under review;
- (c) That the directors have taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of this Act for safeguarding the assets of the company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;
- (d) That the directors had prepared the annual accounts on a going concern basis.
- (e) The directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

RELATED PARTY TRANSACTIONS

The details of transactions between the Company with its Holding Company are attached herewith in Form AOC 2 as Annexure A to the Directors Report.

SUBSIDIARY COMPANIES

The Company does not have any subsidiary.



लेखा परीखक

दिनांक 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली-110 002 द्वारा मैसर्स चतुर्वेदी एंड पार्टनर्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को कम्पनी के लेखा परीक्षकों के तौर पर नियुक्त किया गया था। उनका प्रतिवेदन वित्तीय विवरणिकाओं के साथ संलग्न है ओर उनके अवलोकन स्वतः स्पष्ट हैं।

वित्तीय विवरणी का उद्धरण

वित्तीय विवरणी के उद्धरण के भाग को बनाने वाला विवरण प्रपत्र एमजीटी-9 में बोर्ड के प्रतिवेदन के साथ अनुबंध ख' के तौर पर संलग्न है।

कर्मचारियों का विवरण

चुंकि प्रशासनिक सेवाएं दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड द्वारा प्रदान की जाती हैं अतः कम्पनी की कर्मचारी सूची में कोई कर्मचारी नहीं है।

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार As per our report of even date attached.

कृते चतुर्वेदी एंड पार्टनर्स

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स कंपनी पंजीकरण संख्या 307068E

For CHATURVEDI & PARTNERS.

Chartered Accountants Firm Registration No. 307068E

स्थानः नई दिल्ली Place: New Delhi दिनांक: 11.05.2015 Date: 11.05.2015

AUDITORS

M/s Chaturvedi & Partners, Chartered Accountants were appointed as Auditors of the Company for the year ended 31st March, 2015 by the Comptroller and Auditor General of India, New Delhi-110 002. Their report is annexed to the financial statements and their observations are self explanatory.

EXTRACT OF ANNUAL RETURN

The details forming part of the extract of the Annual Return in form MGT-9 is annexed to the Board's Report as Annexure 'B'.

PARTICULARS OF EMPLOYEES

Since the administrative services are lent by The Oriental Insurance Company Limited, there is no employee on the rolls of the company.

ए.के. मित्तल

A.K. Mittal Director

निदेशक

बोर्ड की ओर से

FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD

कुलदीप सिंह पी. सेंथिल कुमार निदेशक निदेशक **Kuldip Singh** P. Senthil Kumar Director Director



अनुबंध 'क' फॉर्म संख्या एओसी.2

(अधिनियमकी धारा 134 की उप—धारा (3) के खंड और कम्पनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 8(2) के अनुसरण में)

कम्पनी अधिनियमए 2013 की धारा 188 की उप-धारा (1) में संदर्भित संबंधित पक्षकारों के साथ कम्पनी द्वारा की गई संविदाओं/करारों के ब्यौरे के प्रकटीकरण के लिए प्रपन्न जिसमें इस अधिनियम के तीसरे परंतुक के अंतर्गत कतिपय दूरी रखकर किए जाने वाले धारित संव्यवहार शामिल हैं

- जो संविदाएं या समझौते या संव्यवहार निश्चित दूरी रखकर (आर्म्स लैंथ बेसिसपर) नहीं की गई हैं, उनका ब्यौरा–कोई नहीं
 - क. संबंधित पक्ष का (के) नाम और संबंध की प्रकृति
 - ख. संविदाओं / समझौतों / संव्यवहारों की प्रकृति
 - ग. संविदाओं / समझौतों / संव्यवहारों की अवधि
 - घ. संविदाओं या समझौतों या संव्यवहारों की मुख्य शर्तें जिनमें मूल्य, यदि कोई हो, भी शामिल है
 - ड. ऐसी संविदाओं या समझौतों या संव्यवहारों के लिए औचित्य
 - च. बोर्ड द्वारा अनुमोदन, यदि कोई हो, की तारीख (तारीखें)
 - छ. अग्रिम के रूप में अदा की गई राशि, यदि कोई हो
 - ज. वे तारीखें जिन पर आम बैठक में विशेष संकल्प पारित किए गए थे, जैसा कि धारा 188 के प्रथम परन्तु के अधीन अपेक्षित है
- 2. जो महत्वपूर्ण संविदाएं या समझौते या संव्यवहार निश्चित दूरी रखकर (आर्म्स लैंथ बेसिस पर) किए गए हैं, उनका ब्यौरा
 - क. संबंधित पक्षकार का (के) नाम और संबंध की प्रकृति—िद ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड (ओआईसी — धारक कम्पनी)
 - ख. संविदाओं / समझौतों / संव्यवहारों की प्रकृति— कम्पनी द्वारा उपगत सभी खर्चे ओआईसी द्वारा वहन किए जाते हैं।
 - ख. संविदाओं / समझौतों / संव्यवहारों की अवधि—1973 से
 - ग. संविदाओं या समझौतों या संव्यवहारों की मुख्य शर्ते जिनमें मूल्य, यदि कोई हो, भी शामिल हैः धारक और

ANNEXURE 'A'

Form No. AOC-2

(Pursuant to clause (h) of sub-section (3) of section 134 of the Act and Rule 8(2) of the Companies (Accounts) Rules, 2014)

Form for disclosure of particulars of contracts/ arrangements entered into by the company with related parties referred to in sub-section (1) of section 188 of the Companies Act, 2013 including certain arms length transactions under third proviso thereto

- 1. Details of contracts or arrangements or transactions not at arm's length basis NONE
 - (a) Name(s) of the related party and nature of relationship
 - (b) Nature of contracts/arrangements/ transactions
 - (c) Duration of the contracts / arrangements/ transactions
 - (d) Salient terms of the contracts or arrangements or transactions including the value, if any
 - (e) Justification for entering into such contracts or arrangements or transactions
 - (f) date(s) of approval by the Board
 - (g) Amount paid as advances, if any:
 - (h) Date on which the special resolution was passed in general meeting as required under first proviso to section 188
- 2. Details of material contracts or arrangement or transactions at arm's length basis -
 - (a) Name(s) of the related party and nature of relationship THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED, NEW DELHI (OIC -HOLDING COMPANY)
 - (b) Nature of contracts/arrangements/ transactions – All the expenses incurred by the Company are borne by OIC
 - (c) Duration of the contracts / arrangements/ transactions – SINCE 1973.
 - (d) Salient terms of the contracts or

THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LTD.



- अनुषंगी कम्पनी के बीच संव्यवहार
- घ. बोर्ड द्वारा अनुमोदन, यदि कोई हो, की तारीख (खें) : कोई नहीं
- ड. अग्रिम के रूप में अदा की गई राशि, यदि कोई हो: शून्य। ओआईसी ने दिनांक 31.3.2015 तक खर्चों के खाते में रु. 5,82,587 / - उपगत किए हैं - लेखाओं पर टिप्पणियों के अनुसार
- arrangements or transactions including the value, if any: TRANSACTIONS BETWEEN **HOLDING & SUBSIDIARY COMPANY**
- (e) Date(s) of approval by the Board, if any: NONE
- (f) Amount paid as advances, if any: NIL. OIC has incurred Rs. 5,82,587/- on account of expenses till 31.3.2015- AS PER NOTES TO THE ACCOUNTS

फॉर्म संख्या एमजीटी-9 वार्षिक रिटर्न का उद्धरण

दिनांक 31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्त वर्ष के अनुसार (कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 92(3) और कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावलीए 2014 के नियम 12(1)2,

Form No. MGT-9 **EXTRACT OF ANNUAL RETURN** as on the financial year ended on....31/03/2015

[Pursuant to section92(3) of the Companies Act 2013 and rule 12(1) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014]

I. पंजीकरण और अन्य विवरणरू

I. REGISTRATION AND OTHER DETAILS:

 LUIJ	INATION AND OTHER DETAILS.		
i)	सीआईएन:— CIN :-		U65921DL1930GOI000216
ii)	पंजीकरण की तारीख Registration Date		5/7/1930
iii)	कम्पनी का नाम Name Of The Company		दि इंडस्ट्रीय क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड THE INDUSTRIAL CREDIT COMPANY LIMITED
iv)	कम्पनी की श्रेणी / उप—श्रेणी Category/Sub-Category of The Company		सरकारी कम्पनी GOVERNMENT COMPANY
v)	पंजीकृत कार्यालय का पता और सम्पर्क विवरण Address of the Registered office and contact details		'ओरिएण्टल हाउस', A-25/27 आसफ अली रोड, दिल्ली—110002 Oriental House, A-25/27 Asaf Ali Road, New Delhi 110002
vi)	क्या सूचीबद्ध कम्पनी है Whether listed company	हां / नहीं Yes/No	नहीं NO
vii)	पंजीयक और अंतरण अभिकर्ता, यदि कोई हो, का नाम, पता और सम्पर्क विवरण Name , Address and Contact details of Registrar and Transfer Agent, if any		शून्य NIL

II. कम्पनी की प्रमुख कारोबारी गतिविधियां

कम्पनी की कुल टर्नओवर में 10% या इससे अधिक का योगदान देने वाली सभी कारोबारी गतिविधियों का उल्लेख किया जाएगारू।

II. PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY

All the business activities contributing 10% or more of the total turnover of the company shall be stated:-

क्र.सं.	मुख्य उत्पादों/सेवाओं का नाम और विवरण	उत्पाद/सेवा का	कम्पनी के कुल टर्नओवर में
SI	Name and Description of main	एनआईसी कोड	%
No.	products/services	NIC Code of the	% to total turnover of the
		Product/service	company
1	वित्तीय सेवाएं	Product/service 6499	company शून्य



III. धारित, अनुषंगी और सहयोगी कम्पनियों का विवरण .

III. PARTICULARS OF HOLDING, SUBSIDIARY AND ASSOCIATE COMPANIES-

क्र. सं. S. No.	कम्पनी का नाम और पता Name and Address of The Company	सीआईएन/जीएलएन CIN/GLN	धारित/ अनुषंगी/ सहयोगी Holding/ Subsidiary/ Associate	धारित रोयरों का % of Shares Held	प्रयोज्य धारा Applicable Section
1	दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED	U66010DL1947GOI007158	धारक HOLDING	100%	धारा 2(46) Sec 2(46)

IV. शेयर धारिता पद्धति

(कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी का ब्यौरा)

i) श्रेणी-वार शेयर धारिता

IV. SHARE HOLDING PATTERN

(Equity Share Capital Breakup as percentage of Total Equity)

i) Category-wise Share Holding

होयरधारकों की श्रेणी Category of Shareholders	संख्या	ग्रारंभ में धारि Shares held a the y	t the beg			iत में धारित nares held at			वर्ष के दौरान परिवर्तन % %Change during the year
	ਤੀਜੇਟ Demat	वास्तविक physical	कुल Total	कुल रोयरों का % % of Total Share	ਤੀਸੇਟ Demat	वास्तविक physical	कुल Total	कुल शेयरों का % % of Total Share	
क. प्रमोटर									
A. Promoters									
(1) भारतीय									
(1) Indian क) एकल / एचयूएफ a) Individual/HUF			0	0			0	0	0
ख) केंद्रीय सरकार b) Central Govt.			0	0			0	0	0
ग) राज्य सरकार (सरकारें) c) State Govt(s)			0	0			0	0	0
घ) निगमित निकाय d) Bodies Corp.		5000	5000	100		5000	5000	100	0



\$) बेंक / वित्तीय संस्थान 0										
e) Banks/FI 1) কাই ল্লাহ্ম 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Nay Other	ड़) बैंक / वित्तीय संस्थान			0	0			0	0	0
JAny Cher Jan										
f) Any Other	च) कोई अन्य			0	0			0	0	0
য়য়—বাদা (क)(1)— 5000 5000 100 0 5000 5000 100 0 Sub-total (A)(1): (2) विदेशी (2) Foreign क) एनआजरआई, फळल क) एनआजरआई, फळल क) NRIS-Individuals क) अन्य-एळल b) Other-Individuals क) विकार/मि क) केई अन्य क) कीई अन्य क) कोई अन्य क										
Sub-total (A) (1): (2) विदेशी (2) Foreign क) एकजारजाई, एकल क) एकजारजाई, एकल क) NRS-Individuals च) अत्य-एकल b) Other-Individuals च) अत्य-एकल b) Other-Individuals च) ज्ञान्य-एकल b) Other-Individuals च) Other-Individuals च) ज्ञान्य-एकल c) Other-Individuals च) Other-Individuals च) ज्ञान्य-एकल च) Other-Individuals च) ज्ञान्य-एकल च) Other-Individuals च) ज्ञान्य-एकल च) Other-Individuals च) ज्ञान्य-एकल च) Other-Individuals च] Other-Indivi			5000	5000	100	0	5000	5000	100	0
(2) विदेशी (2) Foreign (2) Foreign (2) (2) Foreign (3) (নামাবনার্র্র্র্র্র্র্র্র্র্র্র্র্র্র্র্র্র্র্										
(2) Foreign । (2) Foreign । (3) সন্দ্ৰ-দ্ৰকল । (3) সন্দ্ৰ-দ্ৰকল । (4) ত ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০										
क) प्रभारआरआई एकल a) NRIs-Individuals										
a) NRIs-Individuals	क्र) एनआरआई एकल			0	0	0	0	0	0	0
ষ্ট্য अन्य-एकल b) Other-Individuals '										
S) Out quarter (and the property of the prope				0	0	0	0	0	0	0
ग) निर्मामित निकाय c) Bodies Corp. vi) बैंक , बित्तीय संस्थान 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0										
(a) Policies Corp. b) बैंक / वित्तीय संस्थान c) 0 0 0 0 0 0 0 0 d) Banks/FI e) कोई अन्य e) Any Other g) Any Other g) Any Other g) Any Other sub-total (A) (2):- yiriza' की कुल शेयरशारिता Total Shareholding of Promoter क = (क) (1)+(क)(2) A= (A) (1)+(A)(2) B. Public Shareholding 1. संस्थाए 1. Institutions क) म्युचुअल फंड a) Mutual Funds च] बैंक / वित्तीय संस्थान 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a) Mutual Funds च] बैंक / वित्तीय संस्थान 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 b) Banks/FI n) केंद्रीय सरकार C) Central Govt E) राज्य सरकार (सरकारें) d) State Govt(s) e) उद्यम पूंजी निधियां e) Venture Capital Funds च] वीमा कम्पनियां 0 0 0 0 0 0 0 0 0 f) Insurance Companies b) एफआईआई 0 0 0 0 0 0 0 0 0 g) Fils o) विदेशी उद्यम पूंजी निधियां h) Foreign Venture Capital Funds u) अन्य (विनिर्देष्ट करें) i) उपनेय (विनिर्देष्ट करें) i) अन्य (विनिर्देष्ट करें) i) उपनेय (विनिर्देष्ट करें) i) Others (Specify) output (a) (1):-				0	0	0	0	0	0	0
EI) बैंक / वित्तीय संस्थान 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <						ŭ	ŭ	ŭ	Ĭ	· ·
d) Banks/FI				0	0	0	0	0	0	0
ভ) कोई अन्य					· ·	J	Ü	J	J	J
e) Any Other उप-योग (क)(2):- Sub-total (A) (2):- प्रमोटरों की कुल शेयरधारिता Total Shareholding of Promoter क = (क) (1)+(क)(2)				0	0	0	0	0	0	0
उप—योग (क)(2):— Sub-total (A) (2):- Sub-total (A) (2):- Total Shareholding of Promoter क = (क) (1)+(क)(2)				U	U	U	U	U	U	U
Sub-total (A) (2):- प्रमोटरों की कुल शेयरधारिता Total Shareholding of Promoter क = (क) (1)+(क)(2)				0	0	0	0	0	0	0
प्रमोटरों की कुल शेयरधारिता Total Shareholding of Promoter क = (क) (1)+(क)(2)				U	U	U	U	U	U	U
Total Shareholding of Promoter South of the promoter South of the promoter South of the program South of the promoter South of the program South										
Promoter										
क = (क) (1)+(क)(2) A= (A) (1)+(A)(2) ख. सार्वजिक हो रायारिता B. Public Shareholding 1. संस्थाए 1. Institutions क) मुचुअल फंड a) Mutual Funds खो बँक / वित्तीय संस्थान 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 b) Banks/Fl ग) केंद्रीय सरकार c) Central Govt प) राज्य सरकार (सरकारें) d) State Govt(s) ड) उद्यम पूंजी निधियां e) भीमा कम्पनियां 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 e) Venture Capital Funds चो बीमा कम्पनियां 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 e) Venture Companies छ) एफआईआई डि उद्यम पूंजी निधियां h) Foreign Venture Capital Funds i) अन्य (विनिर्दिष्ट करें) i) उम्य (विनिर्दिष्ट करें) i) उम्य (विनिर्दिष्ट करें) i) उप-योग (ख)(1):— 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0	_									
A= (A) (1)+(A)(2) ख. सार्वजिक ग्रेथरधारिता B. Public Shareholding 1. संस्थाएं 1. Institutions क) म्युञ्जल फंड	Promoter									
ख. सार्वजिक शेयरधारिता B. Public Shareholding 1. संस्थाएं 1. Institutions क) म्युचुअल फंड	क = (क) (1)+(क)(2)			5000	100	0	5000	5000	100	0
B. Public Shareholding 1. संस्थाएं 1. Institutions 0										
1. संस्थाएं 1. Institutions क) म्युचुअल फंड	ख. सार्वजनिक शेयरधारिता									
1. Institutions क) म्युचुअल फंड	B. Public Shareholding									
क) म्युचुअल फंड a) Mutual Funds ख) बेंक / वित्तीय संस्थान b) Banks/FI ग) केंद्रीय सरकार c) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 b) Banks/FI ग) केंद्रीय सरकार c) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 c) Central Govt घ) राज्य सरकार (सरकारें) d) State Govt(s) इ) उद्यम पूंजी निधियां 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 e) Venture Capital Funds च) बीमा कम्पनियां 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 f) Insurance Companies छ) एफआईआई	1. संस्थाएं									
a) Mutual Funds ख) बैंक / वित्तीय संस्थान 0 0 0 0 0 0 0 0 0 b) Banks/FI ग) केंद्रीय सरकार 0 0 0 0 0 0 0 0 0 c) Central Govt घ) राज्य सरकार (सरकारें) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 d) State Govt(s) इ) उद्यम पूंजी निधियां 0 0 0 0 0 0 0 0 0 e) Venture Capital Funds च) बीमा कम्पनियां 0 0 0 0 0 0 0 0 0 f) Insurance Companies छ) एफआईआई 0 0 0 0 0 0 0 0 g) FIIs ज) विदेशी उद्यम पूंजी निधियां h) Foreign Venture Capital Funds i) अन्य (विनिर्दिष्ट करें) i) Others (Specify) उप—योग (ख)(1):— 0 0 0 0 0 0 0 Sub-total (B) (1):- 2. गैर—संस्थाएं	1. Institutions									
a) Mutual Funds ख) बँक / वित्तीय संस्थान 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 b) Banks/Fl ग) केंद्रीय सरकार 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 c) Central Govt घ) राज्य सरकार (सरकारें) d) State Govt(s) ड) उद्यम पूंजी निधियां 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 e) Venture Capital Funds च) बीमा कम्पनियां 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 f) Insurance Companies छ) एफआईआई छ) एफआईआई छ) एफआईआई ज) विदेशी उद्यम पूंजी निधियां h) Foreign Venture Capital Funds i) अन्य (विनिर्दिष्ट करें) i) Others (Specify) उप—योग (ख)(1):— 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sub-total (B) (1):-	क) म्युचुअल फंड		0	0	0	0	0	0	0	0
ख) बैंक / वित्तीय संस्थान 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	a) Mutual Funds									
b) Banks/FI ग) केंद्रीय सरकार 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0	0	0	0	0	0	0	0
ग) केंद्रीय सरकार										
c) Central Govt घ) राज्य सरकार (सरकारें) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0	0	0	0	0	0	0	0
घ) राज्य सरकार (सरकारें) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0										
d) State Govt(s) ड) उद्यम पूंजी निधियां ० 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0	0	0	0	0	0	0	0
ड़) उद्यम पूंजी निधियां 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0										
e) Venture Capital Funds च) बीमा कम्पनियां 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0	0	0	0	0	0	0	0
च) बीमा कम्पनियां 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	e) Venture Capital Funds									
f) Insurance Companies छ) एफआईआई छ) एफआईआई छ) एफआईआई छ) एफआईआई छ) एफआईआई छ) एफआईआई छ) छ। जे छाम पूंजी निधियां हे छो अन्य (विनिर्दिष्ट करें) हे छो-राम (ख)(1):- डिक्टिंग्येन संस्थाएं		0	0	0	0	0	0	0	0	0
চ্চ) एफआईआई					J	3			J	
g) Fils ज) विदेशी उद्यम पूंजी निधियां 0 0 0 0 0 0 0 0 h) Foreign Venture Capital Funds i) अन्य (विनिर्दिष्ट करें) i) Others (Specify) उप—योग (ख)(1):— Sub-total (B) (1):- 2. गैर—संस्थाएं				0	n	0	n	0	0	0
ज) विदेशी उद्यम पूंजी निधियां h) Foreign Venture Capital Funds i) अन्य (विनिर्दिष्ट करें) i) Others (Specify) उप—योग (ख)(1):— Sub-total (B) (1):- 2. गैर—संस्थाएं				3	· ·		U	U	J	o o
h) Foreign Venture Capital Funds i) अन्य (विनिर्दिष्ट करें) i) Others (Specify) उप—योग (ख)(1):— Sub-total (B) (1):- 2. गैर—संस्थाएं				0	0	0	0	0	0	0
Funds i) अन्य (विनिर्दिष्ट करें) i) Others (Specify) उप—योग (ख)(1):— Sub-total (B) (1):- 2. गैर—संस्थाएं				0	U	U	U	U	U	U
i) अन्य (विनिर्दिष्ट करें) i) Others (Specify) उप—योग (ख)(1):— Sub-total (B) (1):- 2. गैर—संस्थाएं										
i) Others (Specify) उप—योग (ख)(1):— Sub-total (B) (1):- 2. गैर—संस्थाएं				0	0	0	0	0	0	0
उप—योग (ख)(1):- Sub-total (B) (1):- 2. गैर—संस्थाएं				U	U	U	U	U	U	U
Sub-total (B) (1):- 2. गैर—संस्थाएं								•		
2. गैर-संस्थाएं			U	U	U	U	0	0	U	U
2. Non-Institutions										
	2. Non-Institutions									

THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LTD.



क) निगमित निकाय a) Bodies Corp.								
i) भारतीय	0	0	0	0	0	0	0	0
i) Indian ii) पारसमुद्री	0	0	0	0	0	0	0	0
ii) Overseas	0							
ख) व्यक्तिगत	0							
b) Individuals	0							
i) रु. 1 लाख तक की	0	0	0	0	0	0	0	0
सांकेतिक शेयर पूंजी धारित								
करने वाले एकल शेयरधारक i) Individual Shareholders holding nominal share capital upto Rs. 1 Lakh								
ii) रु. 1 लाख से अधिक सांकेतिक शेयर पूंजी धारित	0	0	0	0	0	0	0	0
करने वाले एकल शेयरधारक ii) Individual Shareholders holding nominal share capital in excess of Rs. 1 Lakh								
	0							
ब) अन्य (विनिर्दिष्ट करें) c) Others (specify)	0	0	0	0	0	0	0	0
उप—योग (ख) (2):- Sub-total (B) (2):-	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल सार्वजनिक शेयरधारिता Total Public Shareholding								
ख= (ख)(1)+(ख)(2) B= (B)(1)+(B)(2)	0	0	0	0	0	0	0	0
ग. जीडीआर और एडीआर के	0	0	0	0	0	0	0	0
लिए कस्टोटियनों द्वारा धारित								
शेयर C. SHARES HELD BY								
CUSTODIAN FOR GDRs & ADRs								
कुल योग GRAND TOTAL								
(क+ख+ग) (A+B+C)	0	5000	100	0	5000	5000	100	0

ii) Shareholding of Promoters



		शेयरों की संख्या No. of Shares		शेयरों का % % of shares Pledged/	शेयरों की संख्या No. of Shares	कुल रोयरों	शेयरों का % % of shares Pledged/	
2	दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड The Oriental Insurance Co Ltd	5000	100		5000	100		0
3	कुल Total							

iii) Change in Promoters' Shareholding (Please Specify, if there is no change)

	•									
	r. सं.		वर्ष की शुरूआत में		वर्ष के दोरान संचि					
S	il No.			the beginning of	Cumulative Shareholding during					
				year	the year					
			शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल	शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल				
			No. of Shares	शेयरों का %	No. of Shares	शेयरों का %				
				% of Total shares		% of Total shares				
				of the company		of the company				
		वर्ष की शुरुआत में	5000	100%	5000	100%				
		At the beginning of the year								
		वृद्धि / कमी के कारणों (अर्थात्	0	0	0	0				
		आवंटन/अंतरण/बोनस/स्वैट इक्विटी								
		आदि) को विशेष तौर पर दर्शाते हुए								
		वर्ष केदौरान प्रमोटरों की शेयरधारिता में								
		तारीख–वार वृद्धि / कमीरू								
		Date wise increase/Decrease in								
		Promoters Shareholding during								
		the year specifying the reasons for								
		increase/ decrease (e.g. allotment/								
		transfer/bonus/sweat equity etc):								
		वर्ष के अंत में	5000	100%	5000	100%				
		At the End of the year								



iv) शीर्ष दस शेयरधारकों की शेयरधारिता पद्धति (निदेशकों, प्रमोटरों और जीडीआर और एडीआर के धारकों को छोड़कर):

iv) Shareholding Pattern of top ten Shareholders (Other than Directors, Promoters and Holders of GDRs and ADRs):

क्र. सं. SI No.	प्रत्येक 10 शीर्ष शेयरधारकों के लिए For Each of the TOP 10 Shareholders	वर्ष की शुरुआत में शेयरधारिता Shareholding at the beginning of the year शेयरों की कम्पनी के संख्या No. Of Shares का % %of total shares of the company		शेयरध् Cumulative S	रान संचित ब्रारिता Shareholding the year कम्पनी के कुल होयरों का % %of total shares of the company
1	नाम Name वर्ष की शुरुआत में At the beginning of the year वृद्धि / कमी के कारणों (अर्थात् आवंटन / अंतरण / बोनस / स्वैट इक्विटी आदि) को विशेष तौर पर दर्शाते हुए वर्ष केदौरान प्रमोटरों की शेयरधारिता में तारीख—वार वृद्धि / कमीः Date wise Increase/Decrease in Share holding during the year specifying the reasons for increase/ decrease(e.g. allotment/transfer/bonus/sweat equity etc):	THE ORIENTAL 5000	हुयोरेंस कम्पनी . INSURANCE C 100 0	ਲਿਸਿਟੇਡ OMPANY LIMIT 5000 0	T ED 100
	वर्ष के अंत में (या पृथक्करण की तारीख पर, यदि पृथक्करण वर्ष के दौरान हुआ हो) At the End of the year (Or on the date of seperation, if seperated during the year)	5000	100	5000	100

v) निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) की शेयरधारिताः

v) Shareholding of Directors and Key Managerial Personnel:

क्र. सं.	प्रत्येक निदेशक और केएमपी के लिए	वर्ष की शुरुआत में		Cumulative Shareholding	
SI No.	For Each of the Directors and KMP	शेयरधारिता		during the year	
		Shareholding at the			
		beginning of the year			
		शेयरों की कम्पनी के		रोयरों की	कम्पनी के
		संख्या कुल रोयरों		संख्या	कुल होयरों
		No. Of Shares	का %	No. Of Shares	का %
			%of total		%of total
			shares of the		shares of the
			company		company
	वर्ष की शुरुआत में				1
	At the beginning of the year				



वृद्धि / कमी के कारणों (अर्थात् आवंटन / अंतरण /	0	0	0	0
बोनस / स्वैट इक्विटी आदि) को विशेष तौर पर				
दर्शाते हुए वर्ष केदौरान प्रमोटरों की शेयरधारिता में				
तारीख–वार वृद्धि / कमीः				
Date wise Increase/Decrease in Share holding				
during the year specifying the reasons for increase/				
decrease(e.g. allotment/transfer/bonus/sweat equity				
etc):				
वर्ष के अंत में (या पृथक्करण की तारीख पर, यदि				
पृथक्करण वर्ष के दौरान हुआ हो)				
At the End of the year (Or on the date of seperation,				
if seperated during the year)				

ऋणग्रस्तता

बकाया/उपचित किंतु भुगतान के लिए अदेय ब्याज सहित कम्पनी की ऋणग्रस्तता INDEBTEDNESS

Indebtedness of the Company including interest outstanding/ accrued but not due for payment

	जमा राशियों को छोड़कर प्रत्याभूत ऋण Secured Loans excluding deposits	अप्रत्याभूत ऋण Unsecured Loans	जमा राशियां Deposits	कुल ऋणग्रस्तता Total Indebtedness
वित्त वर्ष के प्रारम्भ में ऋणग्रस्तता				
Indebtedness at the beginning of the financia	al year	I		_
i)मूल धनराशि				0
i) Principal Amount				
ii) देय किंतु अदा न किया गया ब्याज				0
ii) Interest due but not paid				
iii)उपचित किंतु अदेय ब्याज				0
iii) Interest accrued but not due				
कुल (i+ii+iii)	0	0	0	0
Total (i+ii+iii)				
वित्त वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
Change in indebtedness during the financial	year	1		
* जमा				0
* Addition				_
* घटा				0
* Reduction	_	_		_
निवल परिवर्तन	0	0	0	0
Net Change				
वित्त वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता				
Indebtedness at the end of the financial year				_
i) मूल धनराशि				0
i) Principal Amount				
ii) देय किंतु अदा न किया गया ब्याज				0
ii) Interest due but not paid				
iii)उपचित किंतु अदेय ब्याज				0
iii) Interest accrued but not due				
कुल (i+ii+iii)	0	0	0	0
Total (i+ii+iii)				



निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों और / या प्रबंधक का पारिश्रमिकः REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL

A. Remuneration to Managing Director, Whole-time Directors and/or Manager:

क्र. सं. SI No.	पारिश्रमिक का विवरण Particulars of Remuneration		प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/प्रबंधक का नाम Name of MD/WTD/Manager				कुल राशि Total Amount	
		1	2	3	4	5		
1	सकल वेतन Gross salary							
	(क) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन (a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income Tax Act 1961	0	0	0	0	0	0	
	(ख) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(2) के अधीन पूर्वापेक्षाओं का मूल्य (b) Value of perquisites u/s 17(2) of the Income Tax Act 1961	0	0	0	0	0	0	
	(ग) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(3) के अधीन वेतन के बदले लाभ (c) Profits in lieu of salary u/s 17(3) of the Income Tax Act 1961	0	0	0	0	0	0	
2	स्टॉक विकल्प Stock Option						0	
3	स्वैट इक्विटी Sweat Equity						0	
4	कमीशन Commission							
	—लाभ के : के तौर पर - as % of Profit						0	
	—अन्य, विनिर्दिष्ट करें - others, specify						0	
5	अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें Others, please specify						0	
	कुल (क) Total (A)	0	0	0	0	0	0	



V. अधिनियम के अनुसार सीमा

ख. अन्य निदेशकों का पारिश्रमिकः

V. Ceiling as per the Act

B. Remuneration to Other Directors:

	uneration to Other Directors:		~	0_0	<u> </u>			
क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रबंध ि	नाम	कुल राशि Total Amount				
SI No.	Particulars of Remuneration	1	Name of MD/WTD/Manager					
1	. 6)	I	2	3	4	5		
1	स्वतंत्र निदेशक							
	Independent Directors							
	'बोर्ड की समितियों की बैठक में	0	0	0	0	0	0	
	उपस्थित होने के लिए शुल्क							
	*Fee for attending Board committee							
	meetings							
	*कमीशन	0	0	0	0	0	0	
	*Commission							
	'अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें	0	0	0	0	0	0	
	*Others, please specify							
	कुल (1)	0	0	0	0	0	0	
	Total (1)							
2.	अन्य गैर–कार्यपालक निदेशक							
	Other Non-Executive Directors							
	*बोर्ड की समितियों की बैठक में	0	0	0	0	0	0	
	उपस्थित होने के लिए शुल्क							
	*Fee for attending Board committee							
	meetings							
	*कमीशन	0	0	0	0	0	0	
	*Commission							
	*अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें	0	0	0	0	0	0	
	*Others, please specify							
	कुल (2)						0	
	Total (2)							
	कुल (ख)=(1+2)	0	0	0	0	0	0	
	Total (B)=(1+2)							
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक	0	0	0	0	0	0	
	Total Managerial Remuneration							
	अधिनियम के अनुसार सीमा							
	Ceiling as per the Act							
	denning as per the rice							



VI. ग. प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/प्रबंधक से अन्य प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक VI. C. Remuneration to Key Managerial Personnel other than MD/Manager/WTD

क्र. सं. SI. No.	पारिश्रमिक का विवरण Particulars of Remuneration		प्रमुख प्रबंधर्क Key Manageria	al Personnel	
		सीईओ CEO	कम्पनी सचिव COMPANY SECRETARY		कुल Total
1	सकल वेतन				
	Gross salary (क) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन (a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income Tax Act 1961	0	0	0	0
	(ख) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(2) के अधीन पूर्वापेक्षाओं का मूल्य (b) Value of perquisites u/s 17(2) of the Income Tax Act 1961	0	0	0	0
	(ग) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(3) के अधीन वेतन के बदले लाभ (c) Profits in lieu of salary u/s 17(3) of the Income Tax Act 1961	0	0	0	0
2	रटॉक विकल्प Stock Option	0	0	0	0
3	स्वैट इक्विटी Sweat Equity	0	0	0	0
2	कमीशन Commission	0	0	0	0
	—लाभ के : के तौर पर - as % of Profit	0	0	0	0
	—अन्य, विनिर्दिष्ट करें - others, specify	0	0	0	0
5	अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें Others, please specify	0	0	0	0
	कुल (क) Total (A)	0	0	0	0



अधिकारियों की शास्तियां/दंड/कम्पाउंडः

PENALTIES/ PUNISHMENT/ COMPOUNDING OF OFFENCES:

प्रकार Type	कम्पनी अधिनियम की धारा Section of the Companies Act	संक्षिप्त विवरण Brief Description	लगाई गई शास्तियों/ दंड/ कम्पाउंड शुल्क का ब्यौरा Details of Penalty/ Punishment/ Compounding fee imposed	प्राधिकरण (आरडी/ एनसीएलटी/ न्यायालय) Authority [RD/ NCLT/COURT]	की गई अपील, यदि कोई हो (ब्यौरा दें) Appeal made if any (give Details)
क. कम्पनी					
A. COMPANY	<u> </u>	 			
शास्ति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
Penalty दंड	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Punishment	शून्य NIL	शून्य NIL	शून्य NIL	शून्य NIL	शून्य NIL
जब्ती					
Compounding	शून्य NIL	शून्य NIL	शून्य NIL	शून्य NIL	शून्य NIL
खण् निदेशक	IVIL	IVIL	IVIL	IVIL	INIL
B. DIRECTORS					
शास्ति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
Penalty	NÎL	NIL	NIL	NÎL	NÎL
दण्ड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
Punishment	NÎL	NÎL	NÎL	NÏL	NÎL
कम्पाउंडिंग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
Compounding	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
ग) अन्य चूककर्ता अधिकारी					
C. OTHER OFFICERS IN					
DEFAULT		 	<u> </u>	 	 <u></u>
शास्ति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
Penalty ਵਂਤ	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
৭ড Punishment	शून्य NIL	शून्य NIL	शून्य NIL	शून्य NIL	शून्य NIL
जब्दी					
Compounding	शून्य NIL	शून्य NIL	शून्य NIL	शून्य NIL	शून्य NIL



स्वतंत्र लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन दि इंडस्टीयल क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड के सदस्यगण वित्तीय विवरणों पर पतिवेदन

हमने 'दि इंडस्ट्रियल क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड के संलग्न वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण किया है जिसमें 31 मार्च 2015 तक का तूलन पत्र और उस समय समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि का विवरण और नकद प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां और अन्य व्याख्यात्मक सूचना का सारांश भागिल है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का दायित्व

कम्पनी का निदेशक मंडल कम्पनी (लेखे) नियमावलीए 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अधीन लेखा मानकों सहित भारत में सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार कम्पनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नकद प्रवाहों का सत्य और न्यायोचित अवलोकन देने वाली इन पथक वित्तीय विवरणिकाओं को तैयार करने के संबंध में समय समय पर यथा संशोधित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5), बीमा अधिनियम, 1938. आईआरडीएआई विनियमावली. 2002 में उल्लिखित मामलों के लिए उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में कम्पनी की परिसम्पित्यों के संरक्षण के लिए और धोखाधिडयों तथा अन्य अनियमितताओं के निवारण और पहचान करने; समीचीन लेखाकरण नीतियों के चयन और इन्हें लागू करने; ऐसे निर्णय और प्राक्कलन करने जो कि औचित्यपूर्ण और विवेकपूर्ण हों: और पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों का आरेखन, कार्यान्वयन और अनुरक्षण करने के लिए, जो लेखाकरण अभिलेखों की सटीकता और सक्षमता को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से काम कर रही हों, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखाकरण अभिलेखों का अनुरक्षण भी भामिल है, जो सत्य और न्यायोचित अवलोकन प्रदान करने वाली वित्तीय विवरणिकाओं की तैयारी और प्रस्तुतिकरण के लिए प्रासंगिक हों और किसी उल्लेखनीय मिथ्या कथन से मुक्त हों, चाहे वह धोखे की वजह से हो या त्रुटि की वजह से हुआ हो।

लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर इन पृथक वित्तीय विवरणिकाओं पर एक मत व्यक्त करना है। हमने अधिनियम के प्रावधानों, और ऐसे लेखाकरण तथा लेखा परीक्षा मानकों का ध्यान रखा है जिन्हें अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत लेखा परीक्षा

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT THE MEMBERS OF THE INDUSTRIAL CREDIT COMPANY LIMITED

REPORT ON THE FINANCIAL STATEMENTS

We have audited the accompanying financial statements of The Industrial Credit Company Limited ("the Company"), which comprise the Balance sheet as at March 31, 2015, the Statement of profit and loss account and cash flow statement for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's Responsibility for the Financial **Statements**

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in Section 134(5) of the Companies Act, 2013 ("the Act") with respect to the preparation and presentation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free frcim material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We have taken into account the provisions of the Act, the accounting and auditing standards and matters which are required to be included in the audit report under the provisions of the Act and the Rules made thereunder.



प्रतिवेदन में भामिल किया जाना अपेक्षित है।

हमने अपनी लेखा परीक्षा अधिनियम की धारा 143(10) के अधीन विनिर्दिष्ट लेखा परीक्षा संबंधी मानकों के अनुसार की है। इन मानकों में अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं और योजना का अनुपालन करें और यह औचित्यपूर्ण आश्वस्ति प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा निष्पादित करें कि क्या ये वित्तीय विवरणिकाएं महत्वपूर्ण मिथ्या कथन से मुक्त हैं।

एक लेखा परीक्षा में वित्तीय विवरणिकाओं में निहित राशि और प्रकटीकरणों के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रियाएं निष्पादित करना भामिल होता है। चुनी गई प्रक्रियाएं लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिनमें वित्तीय विवरणिकाओं में उल्लेखनीय मिथ्या कथन का आकलन किया जाना भाामिल है, चाहे वह धोखे की वजह से हो या त्रुटि की वजह से हुआ हो। वे जोखिम आकलन करते समय, लेखा परीक्षक कम्पनी की सत्य और न्यायोचित अवलोकन देने वाली वित्तीय विवरणिकाओं की तैयारी से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर विचार करता है ताकि ऐसी लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं तैयार की जा सके जो उन परिस्थितियों में समीचीन हों। एक लेखा परीक्षा में कम्पनी के निदेशकों द्वारा प्रयुक्त लेखाकरण नीतियों की उपयुक्तता तथा तैयार किए गए लेखाकरण प्राक्कलों के औचित्य का मूल्यांकन करने के साथ साथ वित्तीय विवरणिकाओं के समग्र प्रस्तुतिकरण का मूल्यांकन किया जाना भी भामिल होता है।

हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किया गया लेखा परीक्षा साक्ष्य पृथक वित्तीय विवरणिकाओं पर हमारे लेखा परीक्षा मत के लिए आधार मुहैया कराने के लिए पर्याप्त और समीचीन है।

मत

हमारे मत में और हमारी सर्वोत्तम सूचना में और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपरोल्लिखित पृथक वित्तीय विवरणिकाए अधिनियमद्वारा अपेक्षित दिनांक 31 मार्चए2015 की स्थिति के अनुसार कम्पनी की हालत और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए इसके नकद प्रवाह के बारे में सूचना इस प्रकार अपेक्षित तरीके से और भारत में सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप प्रदान करती हैं।

महत्वपूर्ण मामले

वित्तीय विवरणों की टिप्पणी ॥ (क) (2) जिसमें इंगित किया गया है कि कम्पनी को संचित हानियां हुई हैं और इसके निवल मूल्य का पूर्णतया क्षय हो चुका है, कम्पनी को चालू और विगत वर्ष (वर्षों) के दौरान निवल हानि / निवल नकद हानि हुई है,

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing specified under Section 143(10) of the 1\ct. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and the disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal financial control relevant to the Company's preparation of the financial statements that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on whether the Company has in place an adequate internal financial controls system over financial reporting and the operating effectiveness of such controls. An audit also included evaluating the appropriateness of the accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by the Company's Directors, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the financial statements.

Opinion

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid financial statements give the information required by the Act in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Company as at 31 March 2015 and its loss and its cash flows for the year ended on that date.

Emphasis of Matters

Note II (a) (2) in the financial statements which indicate that the Company has accumulated losses and its



कम्पनी की चालू देनदारियां तुलन पत्र में दिए अनुसार इसकी चाल परिसम्पत्तियों से अधिक हो चुकी हैं। ये स्थितियां एक टोस अनिश्चितता की ओ इंगित करती हैं जो कम्पनी की एक सुनाम प्रतिष्टान के रूप में जारी रहने की क्षमता पर अत्यधिक संदेह उत्पन्न करती है। बहरहाल, कम्पनी के वित्तीय विवरण उक्त टिप्पणी में दिए गए कारणों के आधार पर एक सुनाम प्रतिष्टान के आधार पर तैयार किए गए हैं। हमारा मत इसके लिए अर्हत नहीं है।

अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर प्रतिवेदन

- 1. जैसा कि अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (11) के अनुसार केंद्रीय सरकार द्वारा जारी कम्पनी (लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन) आदेशए 2015 ('आदेश ') हारा अपेक्षित है, हम प्रयोज्य सीमा तक उक्त आदेश के पैरा 3और 4में विनिर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण संलग्न में दे रहे हैं।
- 2. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने कम्पनी अधिनियम की धारा 143 (5) के अधीन निदेश / उप निदेश जारी किए हैं, जिनका विवरण अनुबंध । और ॥ में दिया गया है।
- 3. जैसा कि अधिनियम की धारा 143 (3) द्वारा अपेक्षित है, हम सचित करते हैं कि:
- क. हमने वह सब सूचना और स्पष्टीकरण मांगे हैं और प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजनों हेतू आवश्यक थेय
- ख. हमारे मत में, विधि द्वारा यथोपेक्षित उपयुक्त लेखा पुस्तिकाएं कम्पनी द्वारा रखी गई हैं जहां तक उन पुस्तिकाओं की हमारी जांच से प्रतीत होता है:
- ग. इस प्रतिवेदन में जिन तुलन पत्र और लाभ हानि विवरि ाका का उपयोग किया गया है वे लेखा पुस्तिकाओं के अनुरूप हैं;
- घ. हमारे मतानुसार, उपर्युक्त पृथक वित्तीय विवरणिकाएं कम्पनी (लेखे) नियमावलीए 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 का अनुपालन करती हैं;
- ड. उपर्युक्त पैरा 'महत्वपूर्ण मामले' के तहत सुनाम प्रति<mark>ष्टान</mark> वाले मामले का, हमारे मतानुसार, कम्पनी के कामकाज पर कोई प्रतिकुल प्रभाव नहीं हो सकता।

net worth has been fully eroded, the Company has incurred a net loss/net cash loss during the current and previous year(s) and, the Company's current liabilities exceeded its current assets as at the balance sheet date. These conditions indicate the existence of a material uncertainty that may cast significant doubt about the Company's ability to continue as a going concern. However, the financial statements of the Company have been prepared on a going concern basis for the reasons stated in the said Note. Our opinion is not qualified for the same.

Report on Other Legal Regulatory and Requirements

- 1. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2015 ("the Order") issued by the Central Government of India in terms of sub-section (11) of section 143 of the Act, we give in the Annexure a statement on the matters specified in the paragraph 3 and 4 of the Order, to the extent applicable.
- 2. The C & A G of India has issued directions/ sub directions under section 143 (5) of the Companies Act, compliance of which are set out in Annexure I and II.
- 3. As required by section 143 (3) of the Act, we report that:
 - a. we have sought and obtained all the infdrmation and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.
 - **b.** in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as appears from our examination of those books.
 - c. the Balance Sheet and the Statement of Profit and Loss dealt with by this report are in agreement with the books of account.
 - d. In our op+nion, the aforesaid financial statements comply with the Accounting Standards specified under section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014;

- च. दिनांक 31मार्चए 2015 की स्थिति के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा रिकॉर्ड में लिए गए निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदनों के आधार पर, कोई भी निदेशक 31मार्चए 2015 की स्थिति के अनुसार अधिनियम की धारा 164 (2द्धके अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए अयोग्य नहीं है:
- छ. जहां तक कम्पनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षकद्ध नियमए 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन में भामिल किए जाने वाले अन्य मामलों का संबंध है, हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसारः
 - कम्पनी ने अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकद्दमेबाजियों के प्रभाव का प्रकटीकरण अपने वित्तीय विवरणों में कर दिया है - कृपया वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी ॥ (क) (2) देखें।
 - ii. कम्पनी ने महत्वपूर्ण अनुमान्य हानियों के लिए प्रयोज्य विधि या लेखाकरण मानकों के अधीन यथोपेक्षित, प्रावध ान किए हैं। कम्पनी की व्युत्पन्न संविदाओं सहित दीर्घावधिक संविदाओं पर कोई महत्वपूर्ण अनुमान्य हानि नहीं थी, जिनके लिए कोई कोई महत्वपूर्ण अनुमान्य हानियां थीं।
 - iii. ऐसी कोई धनराशियां नहीं थीं जिन्हें कम्पनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में अंतरित किया जाना अपेक्षित हो।

कृते चतुर्वेदी एंड पार्टनर्स चार्टर्ड एकाउंटेंट्स कम्पनी पंजीकरण संख्या छवण ३०७०६८म

अनुज महानसरिया भागीदार सदस्यता संख्या 500819

- **e.** The going concern matter described under the Emphasis of Matters paragraph above, in our opinion, may not have an adverse effect on the functioning of the Company.
- **f.** on the basis of the written representations received from the directors as on 31 March 2015 taken on record by the Board of Directors, none of the directors is disqualified as on 31 March 2015 from being appointed as a director in terms of Section 164 (2) of the Act;
- g. with respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:
 - the Company has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its financial statements - Refer Note II (a) (1) to the financial statements:
 - ii. the Company has made provision, as required under the applicable law or accounting standards for material foreseeable losses. The Company did not have any long-term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses
 - iii. there were no amounts which were required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Company.

For Chaturvedi & Partners

Chartered Accountants Firm Registration No. 307068E

Anuj Mahansaria

Partner membership No. 500819



दिनांक 31मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए द ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड की वित्तीय विवरणिकाओं पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (4) के साथ पिटत धारा १४३ (६) (ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (बीमा कम्पनियों की वित्तीय विवरणिका और लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की तैयारी) विनियमावली, 2002 और कम्पनी अधिनियम, 2013 के साथ पठित बीमा अधिनियम, 1938 के अधीन निर्धारित किए गए वित्तीय प्रतिवेदन प्रारूप के अनुसार दिनांक 31मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए द ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड की वित्तीय विवरणिकाओं को तैयार करना कम्पनी के प्रबंधन का दायित्व है। अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 139(5) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के अधीन निर्धारित लेखा परीक्षण पर मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरणिकाओं पर मत व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। यह कार्य उनके द्वारा दिनांक 15 मई 2015 के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के द्वारा किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित 143(6)(क) के अंतर्गत दिनांक 31मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड की वित्तीय विवरणिकाओं की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। हमने दिनांक 31मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड की वित्तीय विवरणिकाओं की अनुपुरक लेखापरीक्षा की है, किंतु उस तारीख का समाप्त वर्ष के लिए दि इंडस्ट्रियल क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड और हैल्थ इंश्योरेंस टीपीए ऑफ इंडिया लिमिटेड की वित्तीय विवरणिकाओं की अनुपूरक लेखा परीक्षा नहीं की है। यह अनुपूरक लेखा परीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षक के कार्यशील दस्तावेजों तक पहुँच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और यह मुख्यतः सांविधिक लेखा परीक्षकों और कम्पनी कार्मिकों की जांचों और कुछ लेखाकरण अभिलेखों की चुनी हुई जांच तक सीमित है।

अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर, मेरी जानकारी में ऐसा कुछ उल्लेखनीय नहीं आया है जिससे सांविधिक लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन पर या इसके अनुपूरण में कोई टिप्पणी उत्पन्न होती हो।

कृते और

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से

(सुपर्णा देव) प्रधान वाणिज्यिक लेखापरीक्षा निदेशक एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड-।। नई दिल्ली

स्थानः नई दिल्ली तारीखः 15.07.2015



COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6) (b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF THE INDUSTRIAL CREDIT COMPANY LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2015.

The preparation of financial statements of The Industrial Credit Company Limited for the year ended 31 March 2015 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 is the responsibility of the management of the Company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under Section 139(5) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 08 June 2015.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India have decided not to conduct the supplementary audit of the financial statements of The Industrial Credit Company Limited for the year ended 31 March 2015 and as such have no comments to make under section 143(6)(b) of the Act.

> For and on the behalf of the Comptroller & Auditor General of India

(Suparna Deb) Principal Director of Commercial Audit & Ex-officio Member, Audit Board-II, New Delhi

Place: New Delhi Date: 13.07.2015



31 मार्च, 2015 को तुलनपत्र द इन्डिस्ट्रियल क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड THE INDUSTRIAL CREDIT COMPANY LIMITED **BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2015**

	विवरण टिप्पणी सं. 31 मार्च, 2015 को			(वास्तावक / Actual) 31 मार्च, 2014 को
	Particulars	Note No.	As at	As at
	T di Cicalai 3	Hote Ho.	March 31, 2015	March 31,2014
ı	इक्विटी एवं देयताएं		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,
	EQUITY AND LIABILITIES			
	शेयरधारकों की निधियां			
	Shareholders' Funds			
	(क) शेयर पूंजी	2	500,000	500,000
	(a) Share Capital			
	(ख) आरक्षितियां और अधिशेष	3	(667,849)	(651,960)
	(b) Reserves and Surplus			
3	चालू देयताएं			
	Current Liabilities		500 507	5 40 000
	(क) अल्पावधिक उधार	4	582,587	543,882
	(a) Short-term Borrowings	5	10 407	12.405
	(ख) अन्य चालू देयताएं (b) Other Current Liabilities)	18,487	13,485
			433,225	405,407
	কুল Total		433,223	405,407
II.	परिसंपत्तियां			
	Assets			
2	थे चालू परिसंपत्तियां			
	Current Assets			
	(क) कारोबार प्राप्य	6	-	-
	(a) Trade Receivables			
	(ख) नकद एवं नकद समतुल्य	7	433,225	402,125
	(b) Cash and Cash Equivalents			
	(ग) अन्य चालू परिसंपत्तियां	8	-	3,282
	(c) Other Current Assets			
	कुल		433,225	405,407
	Total			
	वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न टिप्पणियां	1		
	Accompanying notes on the Financial			
	Satatments			



विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2015 को	31 मार्च, 2014 को
Particulars	Note No.	As at	As at
		March 31, 2015	March 31,2014
हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार			
As per our report of even date attached.			
वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न टिप्पणियां	1		
Accompanying notes on the Financial			
Satatments			

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार As per our report of even date attached.

कृते चतुर्वेदी एंड पार्टनर्स

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

कंपनी पंजीकरण संख्या 307068E

For CHATURVEDI & PARTNERS.

Chartered Accountants

Firm Registration No. 307068E

स्थानः नई दिल्ली Place: New Delhi दिनांकः 11.05.2015

Date: 11.05.2015

बोर्ड की ओर से

FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD

जुलदीप सिंह पी. सेंथिल कुमार ए.के. मित्तल निदेशक निदेशक निदेशक Kuldip Singh P. Senthil Kumar A.K. Mittal Director Director



31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि विवरण द इन्डिस्ट्रियल क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड THE INDUSTRIAL CREDIT COMPANY LIMITED STATEMENT OF PROFIT AND LOSS FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2015

				(वास्तावक / Actual)
	विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2015	31 मार्च, 2014
	Particulars	Note No.	को	को
			As at	As at
			March 31, 2015	March 31, 2014
1	आय	8	27,818	7,283
	Income			
II	व्यय:			
	Expenses:			
	अन्य व्यय	9	43,707	28,845
	Other Expenses			
	कुल व्यय		43,707	28,845
	Total Expenses			
Ш	असाधारण मदों से पूर्व लाभ / (हानि), पूर्वावधि की		(15,889)	(21,562)
	मदें और कर			
	Profit/(Loss) before Extraordinary items,			
	Prior Period Items and Tax			
	जोड़ें / (घटाएं): असाधारण मदें, पूर्वावधि की मदें		-	-
	और कर और व्यय			
	Add/ (Less): Extra ordinary items, Prior			
	Period Item and Tax Expenses			
IV	कर पूर्व लाभ / (हानि)		(15,889)	(21,562)
	Profit/ (Loss) before tax			
V	कर व्यय			
	Tax Expense			
	निवल चालू कर		-	-
	Net Current Tax			

	विवरण Particulars	टिप्पणी सं. Note No.	31 मार्च, 2015 को As at March 31, 2015	31 मार्च, 2014 को As at March 31, 2014
VI	वर्ष के लिए लाभ / (हानि) Profit/(Loss) for the year		(15,889)	(21,562)
	आय प्रति इक्विटी शेयरः Earning per equity share:			
	मूल Basic		(3.18)	(4.31)
	विरलित Diluted		(3.18)	(4.31)
	वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न टिप्पणियां Accompanying notes on the Financial Statements	1		

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार As per our report of even date attached.

कृते चतुर्वेदी एंड पार्टनर्स

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स कंपनी पंजीकरण संख्या 307068E

For CHATURVEDI & PARTNERS.

Chartered Accountants

Firm Registration No. 307068E

स्थानः नई दिल्ली Place: New Delhi दिनांक: 11.05.2015

Date: 11.05.2015

बोर्ड की ओर से

FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD

कुलदीप सिंह पी. सेंथिल कुमार ए.के. मित्तल निदेशक निदेशक निदेशक **Kuldip Singh** P. Senthil Kumar A.K. Mittal Director Director Director



टिप्पणियां: 1 वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न टिप्पणियां:

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

क वित्तीय विवरणों को तैयार करने का आधार:

ये वित्तीय विवरण प्राप्ति आधार पर ऐतिहासिक लागत अभिसमय के अधीन भारत में सामान्य तौर पर स्वीकृत सिद्धांतों के अनुसार तैयार किए जाते हैं, ऐसी कतिपय मूर्त परिसंपत्तियों को छोडकर, जिने विवरण पुनःमूल्यांकित अलेखों पर तैयार किए जा रहे हैं। कंपनी अधिनियम (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठनीय कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अनुसरण में, केंद्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय वित्तीय सूचना प्राधिकरण के परामर्श और सिफारिशों पर कोई परिशिष्ट या लेखा मानक निर्धारित किए जाने तक, कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन अधिसूचित मौजूदा लेखा मानक लागू होते रहेंगे।

परिणामस्वरूप, ये वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 211(3ग) ख्कंपनी (लेखाकरण मानक) नियम, 2006, यथा संशोधित, तथा अन्य संबंधित प्रावधानों के अधीन अधिसचित लेखकरण मानकों का सभी महत्वपूर्ण पहलुओं की दृष्टि से अनुपालन करने के लिए तैयार किए गए हैं।

सभी परिसंपत्तियों और देयताओं को कंपनी के सामान्य प्रचालन चक्र और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची ।।। में निर्धारित अन्य मापदंडों के अनुसार चालू या गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उत्पादों के प्रकृति और उन्हें संसाधित करके नकद और नकद समतुल्य के रूप में नकदीकरण किया जाने के लिए इनके अधिग्रहण के बीच अवधि के आधार पर, कंपनी ने परिसंपत्तियों और देयताओं के चालू-गैर-चालू में वर्गीकरण के उद्देश्य के लिए अपना प्रचालन चक्र 12 महीने के रूप में निश्चित किया है।

ख. राजस्व की स्वीकृतिः

सवधि जमा पर ब्याज को प्राप्ति आधार पर स्वीकृति दी गई है और इन्हें प्राप्त किया जाना निश्चित है।

ग. कराधानः

क) चालू कर

चालू कर के लिए प्रावधान आय कर अधिनियम, 1961 के अधीन अनुमेय लाभों को ध्यान में रखते हुए अनुमानित कर देयता के आधार पर किया गया है।

ख) आस्थिगत कर

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान द्वारा जारी लेखाकरण

NOTES: 1 ACCOMPANYING NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS:

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Basis of preparation of Financial Statements:

These financial statements have been prepared in accordance with the generally accepted accounting principles in India under the historical cost convention on accrual basis, except for certain tangible assets which are being carried at revalued amounts. Pursuant to section 133 of the Companies Act, 2013 read with rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014, till the standard of accounting or any addendum thereto are prescribed by Central Government in consultation and recommendation of the National Financial Reporting Authority, the existing accounting standards notified under the Companies Act, 1956 shall continue to apply.

Consequently, these financial statements have been prepared to comply in all material aspects with the accounting standards notified under 211(3C) [Companies Section (Accounting Standards) Rules, 2006, as amended] and the other relevant provisions of the Companies Act, 2013.

All assets and liabilities have been classified as current or non-current as per the Company's normal operating cycle and other criteria set out in the Schedule III to the Companies Act, 2013. Based on the nature of products and the time between the acquisition of assets for processing and their realization in cash and cash equivalents, the Company has ascertained its operating cycle as 12 months for the purpose of current - non-current classification of assets and liabilities.

b. Revenue Recognition:

Interest on term deposit is recognised on the accrual basis and certain to received.

c. Taxation:

a) Current Tax

Provision for current tax is made on the basis of the estimated tax liability after considering benefits admissible under



मानक 22 - आय पर करों के लिए लेखाकरण के अनुसार, वर्ष के लिए बही और कर लाभों के बीच कालांतरों के लिए आस्थिगित कर का लेखाकरण उन कर दरों और विधियों का इस्तेमाल करके किया जाता है जिन्हें तुलनपत्र की तारीख का अधिनियमित या वस्तुतः अधिनियमित किया जा चुका हो।

अस्थायी कालांतरों से उत्पन्न होने वाली आस्थगित कर परिसंपत्तियों को उस सीमा तक स्वीकृति दी जाती है जहां तक इस बात की औचित्पूर्ण निश्चितता हो कि परिसंपत्तियों का भविष्य में नकदीकरण कद दिया जाएगा।

घ. प्रावधान, आकरिमक देयताएं और आकरिमक परिसंपत्तियां

जिन प्रावधानों के मापन में उल्लेखनीय स्तर तक अनुमान निहित हो, उन्हें तब स्वीकृति दी जाती है जब गत घटनाओं के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान बाध्यता हो और यह संभावना हो कि संसाधनों का बहिर्प्रवाह होगा।

ड. आय प्रति शेयर - ईपीएस

कंपनी की ईपीएस के लिए जिस आय पर विचार किया जाता है उसमें इक्विटी शेयरधारकों को अभिदेय कर-पश्चात निवल लाभ शामिल होता है (और किसी भी अतिरिक्त मद का कर-पश्चात प्रभाव) शामिल होता है। मूल ईपीएस की गणना में प्रयुक्त शेयरों की संख्या वर्ष के दौरान बकाया शेयरों की औसत भारित संख्या होती है। विरलित ईपीएस की गणना, संभावित विरलक इक्विटी शेयरों के समायोजन के पश्चात, मूल ईपीएस के समान की जाती है।

I. लेखाकरण पर टिप्पणियां

- क. आकरिमक देयताएं:
- 1. कंपनी के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया रु. 91,28,631 / — (गत वर्ष रु. 8727900 / —) टिप्पणीः एक पूर्व पार्टी मध्यस्थता निर्णय दिनांक 6 मई, 1999 को मैसर्स सरस्वती वार्ष्णेय (सुपुत्री स्वर्गीय श्रीमती रमा देवी वार्ष्णेय) के पक्ष में पारित किया गया था जो कि 20 अगस्त, 1999 को न्यायालय का नियम (पूर्व पार्टी स्वर्गीय रमा देवी वार्ष्णेय के मूल आदेश मुकदमा संख्या 277 / 71 के अंतर्गत) बन गया और कंपनी के विरुद्ध 30,82,541.82 रुपए के लिए एक आधिकारिक आदेश

Income Tax Act, 1961

b) Deferred Taxes

In accordance with Accounting Standard 22- Accounting for Taxes on Income, issued by The Institute of Chartered Accountants of India, the deferred tax for timing differences between the book and tax profits for the year is accounted by using the tax rates and laws that have been enacted or substantially enacted as of the balance sheet date.

Deferred Tax Assets arising from temporary timing differences are recognized to the extent there is reasonable certainty that the assets can be realized in future.

d. Provisions, Contingent liabilities and Contingent assets

Provisions involving substantial degree of estimation in measurement are recognized when there is a present obligation as a result of past events and are probable that there will be an outflow of resources.

e. Earning Per Share

The earning considered in ascertaining the Company EPS comprises the net profit after tax (and include the post-tax effect of any extra ordinary items) attributable to equity shareholders. The number of shares used in computing Basic EPS is the weighted average number of shares outstanding during the year. The diluted EPS is calculated on the same as basic EPS, after adjusting for the effect of potential dilutive equity shares.

NOTES TO ACCOUNT

a. Contingent Liabilities:

1. Claims against the Company not acknowledged as debts Rs. 91,28,631/- (Previous year Rs. 8727900/-).

Note: An ex-party arbitration award dated May 06, 1999 was passed in favour of M/s Saraswati Varshney (daughter of Late Smt. Rama Devi Varshney), which made a rule of court on August 20, 1999 (vide original order suit no. 277/71 of ex-party Late Smt. Rama Devi Varshney) and a



अर्थात डिग्री जारी किया गया था। डिग्री धारक ने 3 मार्च 2000 के पश्चात निर्णीत राशि पर 13 प्रतिशत वार्षिक की दर से भावी ब्याज के साथ उपर्युक्त राशि की वसूली के लिए एक निष्पादन मामला संख्या 11/2000 दायर कर दिया। इसके बाद कंपनी ने इस मांग का विरोध किया और वर्तमान समय में यह मामला द्वितीय अतिरिक्त दीवानी न्यायाधीश अलीगढ के समक्ष लंबित है।

ख. लेखा परीक्षकों को भूगतान

(वास्तविक)

	विवरण	मार्च 31,	मार्च 31,
		2015 को	2014 को
		समाप्त वर्ष	समाप्त वर्ष
		के लिए	के लिए
(i)	लेखापरीक्षा शुल्क	12,000*	12,000

*सेवा कर के अतिरिक्त

ग. संबंधित पक्ष संव्यवहार

धारक कंपनीः दि ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

(तास्तितिक)

			(41((1144))
	विवरण	मार्च 31,	मार्च 31,
		2015 को	2014 को
		समाप्त वर्ष	समाप्त वर्ष
		के लिए	के लिए
1	संव्यवहार धारक कंपनी	38,705	26,296
	से ऋण		
	उपगत व्ययों का वहन		
	धारक कंपनी "दि		
	ओरिएंटल इंश्योरेंस		
	कंपनी लिमिटेड'' द्वारा		
	किया जाता है		
2	अंतिम शेष	5,82,587	5,43,882

घ. प्रति रोयर आय (ईपीएसः

(वास्तविक)

		,
विवरण	मार्च 31,	मार्च 31,
	2015 को	2014 को
	समाप्त वर्ष	समाप्त वर्ष
	के लिए	के लिए
वर्ष के लिए लाभ / (हानि) (क)	(15889)	(21,562)
इक्विटी शेयरों की संख्या (ख)	5000	5000
लाभ प्रति शेयर (क/ख)	3.18	(4.31)

decree for Rs. 30,82,541.82 was passed against the Company. An execution case bearing no. 11/2000 has filed by the decree holder for recovery of the aforesaid amount along with future interest @ 13% p.a. on the awarded amount after March 03, 2000. Further, the company has contested the demand and at present the case is pending before IInd Additional Civil Judge, Aligarh.

b. Payment to Auditors

(Actual)

	Particulars	For the	For the
		year	year
		ended	ended
		March	March
		31, 2015	31, 2014
(i)	Audit Fee	12,000*	12,000

^{*}Exclusive of service tax

C. Related Party Transaction

Holding Company: The Oriental Insurance Co. Ltd

(Actual)

			` '
	Particulars	For the	For the
		year	year
		ended	ended
		March 31,	March
		2015	31, 2014
1	Loan from Holding	38,705	26,296
	Company		
	Expenses Incurred are		
	borne by the holding		
	Company "The		
	Oriental Insurance Co.		
	Ltd."		
2	Closing balance;	5,82,587	5,43,882

d. Earning Per Share (EPS)

(Actual)

Particulars	For the	For the
	year	year
	ended	ended
	March	March
	31, 2015	31, 2014
Profit /(Loss) for the year(A)	(15889)	(21,562)
Number of Equity Shares (B)	5000	5000
Profit Per Share (A/B)	3.18	(4.31)



- ड़. निदेशकों द्वारा बोर्ड की बैठक में उपस्थित होने के लिए उपस्थिति शुल्क का दावा छोड़ दिया गया है।
- च. कर्जदार पर 37,973 करोड़ रुपए की बकाया राशि पर ब्याज का हिसाब नहीं दिया गया है क्योंकि बकाया राशि को संदिग्ध कर्ज के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- छ. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम के अधीन पंजीकृत आपूर्तीकर्ताओं के प्रति कंपनी की कोई देयता नहीं है।
- ज. जहां कहीं आवश्यक हुआ है, गत वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूह, पुनः व्यवस्थित और पुनःवर्गीकृत किया गया है।

- **e.** The directors have waived the sitting fee for attending the Board Meeting.
- **f.** Interest on outstanding amount of Rs. 37,973 with the debtor has not been accounted for since the outstanding amount has been classified as doubtful debt.
- **g.** According to the information and explanations given to us, the Company has no due to suppliers registered under Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006.
- **h.** Previous year's figure have been regrouped, rearranged and reclassified wherever necessary.

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार As per our report of even date attached.

कृते चतुर्वेदी एंड पार्टनर्स

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स कंपनी पंजीकरण संख्या 307068E

For CHATURVEDI & PARTNERS.

Chartered Accountants
Firm Registration No. 307068E

स्थानः नई दिल्ली Place: New Delhi दिनांकः 11.05.2015 Date: 11.05.2015 बोर्ड की ओर से FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD

<mark>कुलदीप सिंह पी. सेंथिल कुमार</mark> निदेशक निदेशक **Kuldip Singh P. Senthil Kumar** Director Director **ए.के. मित्तल** निदेशक **A.K. Mittal** Director



द इन्डिस्ट्रियल क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड तुलन पत्र मार्च 31, 2015 का हिस्सा बनने वाले नोट्स THE INDUSTRIAL CREDIT COMPANY LIMITED

NOTES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT MARCH 31,2015

(बारसाबक्) प्रत		
	31 मार्च, 2015 को	31 मार्च, 2014 को
	As at	As at
	March 31,2015	March 31,2014
टिप्पणी - २ रोयर पूंजी		
Note-2 Share Capital		
प्राधिकृत		
Authorised		
100 / — रुपए प्रत्येक के 10000 (गत वर्ष 10000) इक्विटी शेयर	1,000,000	1,000,000
10000 (Previous Year 10000) Equity Shares of ₹100/- each		
जारी किए गए		
Issued		
100 / — रुपए प्रत्येक के 5050 (5050) इक्विटी शेयर	505,000	505,000
5050(5050) Equity Shares of Rs. 100/-		
अभिदत्त एवं प्रदत्त		
Subscribed and Paid-up		
100 / — रुपए प्रत्येक के 5000 (5000) इक्विटी शेयर		
5000(5000) Equity Shares of Rs. 100/-		
प्रत्येक पूर्णतः प्रदत्त शेयर (उपर्युक्त शेयरों में से 5000 (5000) धारक	500,000	500,000
कंपनी तथा इसके नामांकित निदेशकों द्वारा धारित किए जाते हैं		
each fully paid up (of the above Shares, 5000		
(5000) Equity Shares are held by Holding Company		
& its nominee Directors)		
कुल	500,000	500,000
Total		

(वास्तविक / Actual)

शेयरों की संख्या का समाधान					
Reconcilation of Number of Shares	Reconcilation of Number of Shares				
	31 मार्च, 2015 को	31 मार्च, 2014 को			
	As at	As at			
	March 31,2015	March 31,2014			
इक्विटी शेयरः					
Equity Shares:					
वर्ष के प्रारंभ में शेष	5,000	5,000			
Balance at the beginning of the year					
जोड़ें: जारी किए गए शेयरों की संख्या	-	-			
Add:Number of Shares Issued					
वर्ष के अंत में शेष	5,000	5,000			
Balance at the end of the year					
कंपनी के पूर्णयोग शेयरों के 5 प्रतिशत से अधिक धारित करने					
वाले शेयरधारकों के धारित शेयरों का ब्यौरा					
Details of shares held of shareholders holding more					
than 5% of the aggregate shares in the Company					

(वास्तविक / Actual)

		, , , ,
नाम	31 मार्च, 2015 को	31 मार्च, 2014 को
Name	As at	As at
	March 31,2015	March 31,2014
इक्विटी शेयरः		
Equity Shares:		
दि ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (धारक कंपनी) और इसके	5000 (100%)	5000 (100%)
नामांकित निदेशक		
The Oriental Insurance Company Limited (Holding		
Company) & its nominee directors		
टिप्पणी.3: आरक्षितियां एवं अधिशेष		
Note-3: Reserves & Surplus		
लाभ हानि विवरण में अधिशेष / (न्यूनता)		
Surplus/(Deficit) in Statement of Profit & Loss		
वर्ष के प्रारंभ में	(651,960)	(630,398)
as at the beginning of the year		
जोड़ें: वर्ष के लिए निवल हानि	(15,889)	(21,562)
Add: Net Loss for the year		
वर्ष के अंत में शेष	(667,849)	(651,960)
Balance as at the end of the year		
कुल	(667,849)	(651,960)
Total		

पुरुद्धि पी. सेंथिल कुमार ए.के. मित्तल निदेशक निदेशक निदेशक Kuldip Singh P. Senthil Kumar A.K. Mittal Director Director



दि इंडस्ट्रीयल क्रेडिट कंपनी लिमिटेड

31 मार्चए 2015 को तुलनपत्र का भाग बनाने वाली टिप्पणियां THE INDUSTRIAL CREDIT COMPANY LIMITED **NOTES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT MARCH 31,2015**

(वास्तविक / Actual)

	31 मार्च, 2015 को As at	31 मार्च, 2014 की As at
	March 31,2015	March 31,2014
टिप्पणी–4: अल्पावधिक उधार		
Note-4: Short Term Borrowings		
अप्रत्याभूत ऋणः		
Unsecured Loan:		
–'धारक कंपनी ''द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड''	582,587	543,882
- From the Holding Company "The Oriental Insurance		
Company"		
कुल	582,587	543,882
Total		
टिप्पणी:5: अन्य चालू देयताएं		
Note-5: Other Current Liabilities		
अन्य देय	18,487	13,485
Other payables		
	18,487	13,485

दि इंडस्ट्रीयल क्रेडिट कंपनी लिमिटेड

31 मार्चए 2015 को तुलनपत्र का भाग बनाने वाली टिप्पणियां

THE INDUSTRIAL CREDIT COMPANY LIMITED NOTES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT MARCH 31,2015

	31 मार्च, 2015 को As at March 31,2015	31 मार्च, 2014 को As at March 31,2014
टिप्पणी–6 : कारोबार प्राप्य		
Note - 6 : Trade Receivables		
अप्रत्याभूत, संदिग्ध समझे गए		
Unsecured, Considered doubtful		
तिथि से छह महीने के अधिक की अवधि से बकाया		
Outstanding for a period exceeding six months from the		
date		
ये भुगतान हेतु देय हैं	37,973	37,973
they are due for payment		
घटाएं : संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	37,973	37,973
Less: Provision for doubtful debts		
कुल	-	-
Total		



टिप्पणी–७ नकद एवं नकद समतुल्य		
Note - 7 Cash and Cash Equivalents		
नकद एवं नकद समतुल्य		
Cash and Cash Equivalents		
बैंक में शेष		
Bank balances		
. चालू खाते में	33,225	12,125
- In Current Account		
बैंक में सावधि जमा	400,000	390,000
Fixed deposit with bank		
कुल	433,225	402,125
Total		
टिप्पणी . ८ अन्य चालू परिसंपत्तियां		
Note -8 Other Current Assets		
(घ) ब्याज प्राप्य	-	2,954
(d)Interst Receivables		
(ड़) टीडीएस प्राप्य	-	328
(e)TDS Receivables		
	-	3,282

पी. सेंथिल कुमार	ए.के. मित्तल
निदेशक	निदेशक
P. Senthil Kumar	A.K. Mittal
Director	Director
	निदेशक P. Senthil Kumar



दि इंडस्ट्रियल क्रेडिट कंपनी लिमिटेड

31 मार्च, 2015 को लाभ हानि लेखा का भाग बनाने वाली टिप्पणियां

THE INDUSTRIAL CREDIT COMPANY LIMITED

NOTES FORMING PART OF PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2015

(वास्तविक / Actual)

	(II ttill I II / Tiecalai)
31 मार्च, 2015 को	31 मार्च, 2014 को
समाप्त वर्ष के लिए	समाप्त वर्ष के लिए
For the Year Ended	For the Year Ended
March 31,2015	March 31,2014
27,818	
	3,282
	4,001
27,818	7,283
	समाप्त वर्ष के लिए For the Year Ended March 31,2015 27,818

	(41 ((1144) / Metaal)
31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए
For the Year Ended March 31,2015	For the Year Ended March 31,2014
5,000	
	-
25,222	15,060
13,485	13,485
	300
43,707	28,845
	समाप्त वर्ष के लिए For the Year Ended March 31,2015 5,000 25,222 13,485

दि इंडस्ट्रीयल क्रेडिट कंपनी लिमिटेड

31 मार्च, 2015 को नकद प्रवाह विवरण का भाग बनाने वाली टिप्पणियां THE INDUSTRIAL CREDIT COMPANY LIMITED **CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2015**

(वास्तावक / AC		
	31 मार्च, 2015 को	31 मार्च, 2014 को
	समाप्त वर्ष के लिए	समाप्त वर्ष के लिए
	Year Ended	Year Ended
	March 31, 2015	March 31, 2014
प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह		
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES		
कराधान पूर्व वर्ष के लिए लाभ	(15,889)	(21,562)
Profit for the year before Taxation		
के लिए समायोजन		
Adjustments for		
जोड़ें / (घटाएं) कराधान	-	-
Add/(Less) Taxation		
कार्यशील पूंजी से पूर्व प्रचालन लाभ	(15,889)	(21,562)
Operating profit before Working Capital changes		
अन्य देय देयताओं में वृद्धि / (कमी)	5,002	4,000
Increase/ (Derease) in Other Liabilities Payable		
अन्य चालू परिसंपत्तियों में वृद्धि / (कमी)	(3,282)	
Increase/ (Derease) in Other Current assets		
प्रचालन गतिविधियों द्वारा प्रदान किया गया निवल नकद	(14,169)	(17,562)
Net cash provided by Operating Activities		
वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह		
CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES		
कार्यशील पूंजी में आवागमन और अन्य उधार	38,705	21,116
Movement in Working Capital & Other borrowings		
वित्तीय गतिविधियों द्वारा प्रदान किया गया निवल नकद	38,705	21,116
Net cash provided by Financing Activities		
वर्ष के दौरान नकद और नकद समतुलय में निवल वृद्धि / (कमी)	24,536	3,554
NET (DECREASE)/ INCREASE IN CASH AND CASH		
EQUIVALENTS DURING THE YEAR		
वर्ष के प्रारंभ में नकद और नकद समतुल्य	402,425	402,725
Cash and Cash Equivalents at the beginning of the year		
वर्ष के अंत में नकद और नकद समतुल्य	426,961	406,279
Cash and cash equivalents at the end of the year		
अंतिम नकद और नकद समतुल्य	433,225	402,425
Closing Cash and Cash Equivalents		



टिप्पणी:

- 1. नकद प्रवाह विवरण कंपनी लेखाकरण मानक नियम, 2006 के अंतर्गत जारी नकद प्रवाह विवरण पर लेखाकरण मानक (एएस-3) में यथावर्णित अप्रत्यक्ष विधि के अनुरूप है।
- 2. नकद एवं नकद समत्ल्य में निम्नलिखित शामिल हैं:

Note:

- 1. The Cash Flow Statement has been as per the indirect method as set out in the Accounting Standard (AS-3) on cash Flow Statement issued under the Companies Accounting Standards Rules, 2006
- 2. The Cash and Cash equivalents comprise of the followings:

(वास्तविक / Actual)

Particulars	31 मार्च, 2015 को राशि	31 मार्च, 2014 को राशि
	Amount as at	Amount as at
	March 31, 2015	March 31, 2014
बैंक में नकद	433,225	402,125
Cash In Bank		
	433,225	402,125

कुलदीप सिंह	पी. सेंथिल कुमार	ए.के. मित्तल
निदेशक	निदेशक	निदेशक
Kuldip Singh	P. Senthil Kumar	A.K. Mittal
Director	Director	Director

स्थानः नई दिल्ली Place: New Delhi दिनांकः 11.05.2015 Date: 11.05.2015

तुलन पत्र के उद्धरण और कम्पनी की सामान्य रूपरेखा

THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED

BALANCE SHEET ABSTRACT AND COMPANY'S GENERAL PROFILE

। पंजीकरण का ब्यौरा

I. REGISTRATION DETAILS

पंजीकरण संख्या राज्य कोड

Registration Number 00216 State Code 55

तुलन पत्र की तारीख

Balance Sheet Date 31.03.2015

II. वर्ष के दौरान जुटाई गई पूंजी (राशि हजार रूपए में)

II. CAPITAL RAISED DURING THE YEAR (AMOUNT IN RS. THOUSANDS)

सार्वजनिक निर्गम	शून्य	राइट निर्गम	शून्य
Public Issue	NIL	Right Issue	NIL
बोनस निर्गम	शून्य	निजी नियोजन	शून्य
Bonus Issue	NIL	Private Placement	NIL

III. निधियों के संचलन और नियोजना की स्थिति (राशि हजार रूपए में)

III. POSITION OF MOBILISATION AND DEPLOYMENT OF FUNDS (AMOUNT IN RUPEES THOUSANDS)

कुल देनदारियां		कुल परिसम्पत्तियां		
Total Liabilities	433	Total Assets	433	

निधियों के स्रोत Source of Funds

प्रदत्त पूंजी

Paid up Capital 500

आरक्षितियां और अधिशेष

Reserve & Surplus 668 सुरक्षित ऋण शून्य Secured Loans NIL

सुरक्षित ऋण

Unsecured Loans 582

निधियों की प्रयोज्यता

Application of Funds

निवल स्थायी परिसम्पत्तियां निवेश शून्य Net Fixed Assets Investments NIL

निवल चालू परिसम्पत्तियां

Net Current Assets 433 विविध व्यय शून्य Misc. Expenditure NIL

संचित घाटा

Accumulated Losses 668



IV. कम्पनी के प्रदर्शन (राशि हनार रूपए में)

IV. PERFORMANCE OF COMPANY (AMOUNT IN Rs. THOUSANDS)

टर्नओवर कुल व्यय शून्य

Turnover NIL **Total Expenditure** 44

कर पूर्व घाटा कर पश्चात घाटा

Loss before Tax 15.8 Loss after Tax 15.8

लाभांश शून्य Dividend NIL

कम्पनी के तीन प्रमुख उत्पादो/सेवाओं का नाम (प्रति मौद्रिक संदर्भ के रूप)

V. GENERIC NAMES OF THREE PRINCIPAL PRODUCTS/SERVICES OF CO. (AS PER MONETARY TERMS)

आइटम कोड नं. शून्य Items Code No. NIL

Product Description Hire Purchase Finance

कुलदीप सिंह पी. सेंथिल कुमार ए.के. भित्तल निदेशक निदेशक निदेशक **Kuldip Singh** P. Senthil Kumar A.K. Mittal Director Director Director

स्थानः नई दिल्ली Place: New Delhi दिनांकः 11.05.2015 Date: 11.05.2015

प्रपत्र एओसी-1

Form AOC-1

(कम्पनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 5 के साथ पिठत धारा 129 की उप—धारा (3) के प्रथम परंतुक के अनुसरण में) अनुषंगी कम्पनियों/सहयोगी कम्पनियों/संयुक्त उपक्रमों की वित्तीय विवरणिका की मुख्य विशेषताओं को सम्मिलित करने वाला विवरण

(Pursuant to first proviso to sub-section (3) of section 129 read with rule 5 of Companies (Accounts) Rules, 2014)

Statement containing salient features of the financial statement of subsidiaries/associate companies/joint ventures

भाग ''क'': अनुषंगी कम्पनियां

(प्रत्येक अनुषंगी कम्पनी के संबंध में सूचना रु. में राशि सहित प्रस्तुत की जानी है)

Part 'A': Subsidiaries

(Information in respect of each subsidiary to be presented with amounts in Rs.)

क्र.सं.	विवरण	<u>ब्य</u> ीरा
SI. No.	Particulars	Details
1.	अनुषंगी कम्पनी का नाम	THE INDUSTRIAL CREDIT COMPANY LTD.
	Name of the subsidiary	COMPANY LID.
2.	संबंधित अनुषंगी के लिए प्रतिवेदन अवधि, यदि धारक कम्पनी की प्रतिवेदन अवधि से	
	भिन्न हो	
	Reporting period for the subsidiary concerned, if different from the holding company"s reporting period	
3.	विदेशी अनुषंगियों के मामले में अंतिम तिथि को प्रतिवेदन मुद्रा और विनिमय दर	N.A.
	Reporting currency and Exchange rate as on the last date of the relevant Financial year in the case of foreignsubsidiaries	
4.	शेयर पूंजी	500000
	Share capital	
5.	आरक्षितियां एवं अधिशेष	(667849)
	Reserves & surplus	
6.	कुल परिसम्पत्तियां	433225
	Total assets	
7.	कूल देनदारियां	601074
	Total Liabilities	
8.	निवेश	NIL
	Investments	
9.	टर्नओवर	NIL
	Turnover	
10.	कराधान के पूर्व लाभ	NIL
	Profit before taxation	
11.	कराधान के लिए प्रावधान	NIL
	Provision for taxation	
12.	कराधान के बाद लाभ	NIL
	Profit after taxation	
13.	प्रस्तवित लाभांश	NIL
	Proposed Dividend	
14.	शेयरधारिता का %	100 %
	% of shareholding	



टिप्पणियाः निम्नलिखित सूचना विवरण के अंत में प्रस्तुत की जाएगीः

- 1. उन अनुषंगियों का नाम जिनके प्रचालन अभी आरंभ होने हैं
- 2. उन अनुषंगियों का नाम जिनका वर्ष के दौरान नकदीकरण या विक्रय किया जा चुका है।

Notes: The following information shall be furnished at the end of the statement:

- 1. Names of subsidiaries which are yet to commence operations
- 2. Names of subsidiaries which have been liquidated or sold during the year.

भाग रखररू सहयोगी कम्पनियां और संयुक्त उपक्रम Part 'B': Associates and Joint Ventures

सहयोगी कम्पनियों और संयुक्त उपक्रम से सबंधित कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 129 (3) के अनुसरण में विवरण Statement pursuant to Section 129 (3) of the Companies Act, 2013 related to Associate Companies and Joint Ventures

सहयोगी कम्पनी / संयुक्त उपक्रम का नाम Name of associates/Joint Ventures	हैल्थ टीपीए ऑफ इंडिया Health TPA of India
 अंतिम लेखा परीखित तुलन पत्र की तारीख Latest audited Balance Sheet Date 	31/03/2015
 कम्पनी द्वारा धारित सहयोगी कम्पनी / संयुक्त उपक्रम के शेयर Shares of Associate/Joint Ventures held by the company on the year end 	
संख्या No.	4750000
कम्पनी / संयुक्त उपक्रम में निवेश की राशि Amount of Investment in Associates/Joint Venture	47500000
धारिता की सीमा : Extend of Holding%	23.75%
 इस बारे में विवरण कि कैसे उल्लेखनीय प्रभाव है Description of how there is significant influence 	हमारी शेयरधारिता our shareholding
 इसका कारण कि क्यों सहयोगी कम्पनी / संयुक्त उपक्रम समेकित नहीं है Reason why the associate/joint venture is not consolidated 	
5. अंतिम लेखा परीखित तुलन पत्र के अनुसार शेयरधारिता में रोप्य निवल मूल्य 5. Net worth attributable to shareholding as per latest audited Balance Sheet	96982640
6. वर्ष के लिए लाभ / हानि 6. Profit/Loss for the year	-51882607
i. समेकन में विचार किया गया i. Considered in Consolidation	-12322119
ii. समेकन में विचार नहीं किया गया ii. Not Considered in Consolidation	-39560488

- 1. उन सहयोगी कम्पनियों / संयुक्त उपक्रमों का नाम जिनके प्रचालन अभी आरंभ होने हैं
- 2. उन सहयोगी कम्पनियों / संयुक्त उपक्रमों का नाम जिनका वर्ष के दौरान नकदीकरण या विक्रय किया जा चुका है।
- 1. Names of associates or joint ventures which are yet to commence operations.
- 2. Names of associates or joint ventures which have been liquidated or sold during the year.

टिप्पणीः यह प्रपत्र इस तरीके से प्रमाणित किया जाना है जिसमें तुलन पत्र को प्रमाणित किया जाना है।

Note: This Form is to be certified in the same manner in which the Balance Sheet is to be certified.



दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड The Oriental Insurance Company Limited

Registered Office:

'Oriental House' A-25/27, Asaf Ali Road, New Delhi-110022 Ph.: 011-23279221

CIN No.: U66010DL1947GO1007158 Visit us at: www.orientalinsurance.org.in

पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश । सबकी सुरक्षा हमारे पास । Prithvi, Agni, Jal, Aakash, Sab ki Suraksha hamare pass.